बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुसार
30 जून 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में बैंकिग की प्रवृत्ति
एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2010-11

भारतीय रिज़र्व बैंक

बिक्री मूल्य

भारत में	–	₹ 200	(सामान्य)
	–	₹ 240	(डाक प्रभार सहित)
	–	₹ 150	(रियायती - काउंटर पर)
	–	₹ 190	(रियायती - डाक प्रभार सहित)
विदेश में	–	22	अमरीकी डॉलर (एयर मेल कूरियर प्रभार सहित)

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2011
सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्रोत के प्रति आभार व्यक्त किया जाए।

श्रीमती महुआ राय द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा जयंत प्रिन्टरी,
352/54, मुरलीधर कम्पाउंड, गिरगांव रोड, मुंबई - 400 002 में अभिकल्पित और मुद्रित।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण पत्र

संदर्भ सं आनीअवि.बीआरडी.3030/13.01.01/2011-12 14 नवंबर 2011
23 कार्तिक 1933 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली - 110 001

प्रिय सचिव महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के उपबंधों के अनुसरण में 30 जून 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट की दो प्रतियां इसके साथ प्रेषित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

भवदीय,

(डी. सुब्बाराव)

केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुम्बई - 400 001, भारत
फोन: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 फैक्स: +91 22 2266 1784 ई-मेल: governor@rbi.org.in
Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001, India
Tel: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 Fax: +91 22 2266 1784 E-mail: governor@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

विषयसूची

क्रम सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
अध्याय I : भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की संभावनाएं		
1.	परिचय	1
2.	परिवेश को स्वरूप देनेवाले तत्व	2
3.	रणनीतिगत तथा परिचालनात्मक अनुक्रिया	3
4.	चुनौतियां	5
5.	भावी मार्ग	8
अध्याय II: वैश्विक बैंकिंग गतिविधियां		
1.	परिचय	10
2.	वैश्विक बैंकिंग रुझान	11
3.	चुनिंदा क्षेत्रों और देशों में बैंकिंग प्रवृत्तियां	18
4.	विश्व के 100 शीर्ष बैंकों के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण	22
5.	वैश्विक नीति सुधार	25
6.	निष्कर्ष	29
अध्याय III : नीतिगत परिवेश		
1.	परिचय	31
2.	मौद्रिक नीति	32
3.	ऋण वितरण	33
4.	वित्तीय समावेशन	36
5.	विवेकपूर्ण विनियामक नीति	38
6.	पर्यवेक्षी नीति	42
7.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	45
8.	सहकारी बैंक	46
9.	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं	49
10.	बैंकों में ग्राहक सेवा	51
11.	वित्तीय बाजार	52
12.	भुगतान और निपटान प्रणाली	54
13.	प्रौद्योगिकीय विकास	55
14.	बैंकिंग क्षेत्र संबंधी विधान	56
15.	निष्कर्ष	57
अध्याय IV: वाणिज्य बैंकों के कार्य और निष्पादन		
1.	परिचय	59
2.	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रीय परिचालन	60
3.	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय निष्पादन	69
4.	सुदृढ़ता संकेतक	73

क्रम सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
5.	बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन	83
6.	पूंजी बाजार में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन	87
7.	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में शेयरधारिता पद्धति	88
8.	विदेशी बैंकों के भारत में परिचालन और भारतीय बैंकों के विदेश में परिचालन	90
9.	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास	90
10.	ग्राहक सेवा	92
11.	वित्तीय समावेशन	93
12.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	100
13.	स्थानीय क्षेत्र के बैंक	100
14.	निष्कर्ष	101
अध्याय V - सहकारी बैंकिंग की गतिविधियां		
1.	परिचय	105
2.	शहरी सहकारी बैंक	107
3.	ग्रामीण सहकारी संस्थाएं	116
4.	ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने में नाबार्ड की भूमिका	125
5.	निष्कर्ष	130
अध्याय VI: गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं		
1.	परिचय	131
2.	वित्तीय संस्थाएं	132
3.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	136
4.	प्राथमिक व्यापारी	151
5.	निष्कर्ष	154

बॉक्स सूची

बॉक्स सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
II.1	यूरोप के बैंकों का यूरो क्षेत्र के सरकारी ऋण के प्रति एक्सपोजर	22
II.2	बासेल III ढांचे के प्रमुख उद्देश्य और विशेषताएं	27
II.3	प्रतिचक्रीय पूंजी बफर : संकल्पना और कार्यप्रणाली	28
III.1	ड्यूरेशन गैप विश्लेषण के आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की निगरानी	46
III.2	बैंकों में ग्राहक सेवा समिति की रिपोर्ट	52
III.3	कार्ड उपस्थिति वाले लेनदेनों को सुरक्षित करने के संबंध में कार्यदल की सिफारिशें	55
IV.1	भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति देयता असंतुलन: विस्तार और निरंतरता	68
IV.2	लाभप्रदता बनाम जोखिम: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में तुलनपत्रेतर एक्सपोजर का विश्लेषण	70
IV.3	भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की निवल ब्याज मार्जिन: कार्यकुशलता बनाम लाभप्रदता	73
IV.4	अग्रिमों के पुनर्निधारण का बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता पर प्रभाव	79
IV.5	मजबूत ऋण वृद्धि और ऋण में तेजी-भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का विश्लेषण	82
V.1	शहरी सहकारी बैंकों का विलय और समामेलन	108
V.2	राज्य सहकारी बैंकों की सुदृढ़ता	121
V.3	वित्तीय समावेशन में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की भूमिका - कुछ उभरते मुद्दे	126
VI.1	भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बैंकों के बीच अंतर्संबद्धता	138
VI.2	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग -प्रथाएं एंव संभावनाएं	140
VI.3	एनबीएफसी क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं पर गठित कार्यदल की सिफारिशें	151

सारणी सूची

सारणी सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
II.1	चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं के बैंकों की आस्तियों पर आय	12
II.2	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं में वृद्धि	14
II.3	चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात	15
II.4	2009 और 2010 के बीच विश्व के शीर्ष बैंकों का रैंक कोरिलेशन कोइफीशियेंट	23
III.1	कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना के अंतर्गत क्षति-पूर्ति	36
IV.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का समेकित तुलनपत्र	61
IV.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में वृद्धि	62
IV.3	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के गैर एसएलआर निवेश	64
IV.4	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - प्रकारानुसार	65
IV.5	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ - प्रकार से	65
IV.6	भारत को छोड़कर अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण - परिपक्वता और क्षेत्रवार	66
IV.7	भारत को छोड़कर अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	66
IV.8	बैंक समूह-वार चुनिंदा देयताओं / आस्तियों की परिपक्वता प्रोफाइल	67
IV.9	भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति देयता बेमेल	69
IV.10	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय का रुझान	71
IV.11	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिफल और इक्विटी पर प्रतिफल - बैंक समूहवार	71
IV.12	निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिफल - बैंक समूहवार	72
IV.13	बासेल I और II के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात - बैंक समूह वार	74
IV.14	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की घटकवार पूंजी पर्याप्तता	74
IV.15	अनर्जक आस्तियों का रुझान - बैंक समूहवार	76
IV.16	विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूल किया गया अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एनपीए	78
IV.17	एससी/आरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियों के विवरण	78
IV.18	देशी बैंकों का क्षेत्रवार एनपीए	80
IV.19	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों की प्रवृत्तियां - बैंक समूह-वार	81
IV.20	ऋण आस्तियों का वर्गीकरण - बैंक समूहवार	81
IV.21	सकल बैंक ऋण का सेक्टर-वार विनियोजन	84
IV.22	सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार	85
IV.23	विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार	87
IV.24	बैंकों के खुदरा पोर्टफोलियो	87
IV.25	बैंकिंग क्षेत्र के सार्वजनिक निर्गम	87
IV.26	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन	88
IV.27	बैंकिंग क्षेत्र द्वारा यूरो निर्गम माध्यम से संसाधन जुटाना	88

सारणी सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
IV.28	जोखिम -प्रतिफल निष्पादन, टर्नओवर और बैंक स्टॉक्स का पूंजीकरण	89
IV.29	निजी शेयरधारिता के प्रतिशत द्वारा वर्गीकृत सरकारी क्षेत्र के बैंक	89
IV.30	भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन	91
IV.31	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम	91
IV.32	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी डेबिट कार्ड	92
IV.33	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड	92
IV.34	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों की मात्रा और मूल्य	93
IV.35	बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों को क्षेत्र वार मिली शिकायतें	93
IV.36	बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों को मिली क्षेत्र वार शिकायतें	94
IV.37	वित्तीय समावेशन में प्रगति	94
IV.38	क्षेत्रों और जनसंख्या समूहों में नई बैंक शाखाओं का वितरण	95
IV.39	विभिन्न केन्द्रों में स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम की संख्या	96
IV.40	वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति	98
IV.41	व्यष्टि वित्त कार्यक्रमों की प्रगति	99
IV.42	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन-पत्र	100
IV.43	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय निष्पादन	101
IV.44	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण का प्रयोजन-वार वितरण	101
IV.45	स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की प्रोफ़ाइल	102
IV.46	स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय निष्पादन	102
V.I	शहरी सहकारी बैंकों की जमा-राशि और अग्रिमों का ग्रेडवार वर्गीकरण	107
V.2	जमा-राशि और अग्रिमों के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण	110
V.3	शहरी सहकारी बैंकों का टियरवार वर्गीकरण	110
V.4	शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	111
V.5	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किए गए निवेश	112
V.6	अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन	113
V.7	शहरी सहकारी बैंकों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक	113
V.8	शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियां	114
V.9	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कमज़ोर वर्गों को दिए गए अग्रिम	115
V.10	ग्रामीण सहकारी बैंकों का स्वरूप	117
V.11	अधिक्रमण के अंतर्गत निर्वाचित बोर्ड	117
V.12	मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	118
V.13	राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन	119
V.14	राज्य सहकारी बैंकों की सुदृढ़ता संबंधी संकेतक	119

सारणी सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
V.15	ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	120
V.16	ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन	120
V.17	ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की सुदृढ़ता संबंधी संकेतक	122
V.18	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां - चुनिंदा तुलन-पत्रगत संकेतक	122
V.19	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां	123
V.20	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन	124
V.21	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की सुदृढ़ता संबंधी संकेतक	124
V.22	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां	124
V.23	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन	125
V.24	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	125
V.25	नाबार्ड द्वारा एसटीसीबी, राज्य सरकारों और आरआरबी को दिया गया ऋण	127
V.26	आरआईडीएफ का ट्रैन्चवार ब्योरा (मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)	128
V.27	किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत की गई प्रगति	128
VI.1	वित्तीय संस्थाओं के स्वामित्व का स्वरूप	132
VI.2	वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता	133
VI.3	वित्तीय संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां	134
VI.4	वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन	134
VI.5	वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन	134
VI.6	वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों और नियोजन की प्रवृत्ति	135
VI.7	चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए स्वया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता	135
VI.8	चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की दीर्घावधि पीएलआर संरचना	135
VI.9	चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन	136
VI.10	वित्तीय संस्थाओं के चुनिंदा वित्तीय मानदंड	136
VI.11	वित्तीय संस्थाओं की निवल अनर्जक आस्तियां	136
VI.12	वित्तीय संस्थाओं का आस्ति वर्गीकरण	137
VI.13	चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की जोखिम (भारित) आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात	137
VI.14	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के स्वामित्व का स्वरूप	139
VI.15	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रूपरेखा	139
VI.16	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का समेकित तुलनपत्र	141
VI.17	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के श्रेणी के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की देयता के मुख्य घटक	142
VI.18	जमाराशियों के दायरे के अनुसार एनबीएफसी- डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां	142

सारणी सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
VI.19	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशि- क्षेत्र-वार	143
VI.20	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - जमाराशि पर ब्याज दर-दायरा-वार	143
VI.21	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता का स्वरूप	144
VI.22	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की उधार राशियों के स्रोत	144
VI.23	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण-वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों के मुख्य घटक	145
VI.24	आस्ति आकार के दायरे के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियां	145
VI.25	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों का वितरण- कार्यकलापवार	145
VI.26	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन	146
VI.27	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी के अनर्जक आस्ति अनुपात	146
VI.28	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के श्रेणी के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की अनर्जक आस्तियां	146
VI.29	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के श्रेणी के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों का वर्गीकरण	147
VI.30	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात	147
VI.31	एनबीएफसी के श्रेणी के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की सार्वजनिक जमाराशि की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि	147
VI.32	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की सार्वजनिक जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा	148
VI.33	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों का प्रोफाइल	148
VI.34	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - क्षेत्र-वार	149
VI.35	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के निवेश का स्वरूप	149
VI.36	एनबीएफसी-एनडी-एसआई का समेकित तुलनपत्र	149
VI.37	जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधार राशियां - क्षेत्र-वार	150
VI.38	जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	150
VI.39	गैर-बैंकिंग कंपनी एनडी-एसआई के अनर्जक आस्ति अनुपात	150
VI.40	सार्वजनिक निधियों पर निर्भरता	152
VI.41	एनबीएफसी-एनडी-एसआई की पूंजी पर्याप्तता अनुपात	152
VI.42	एनबीएफसी -एनडी - एसआई का बैंक एक्सपोजर	153
VI.43	प्राथमिक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन	153
VI.44	द्वितीयक बाजार में स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन	153
VI.45	स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उपयोग	154
VI.46	स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	154
VI.47	प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय संकेतक	154
VI.48	स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का सीआरएआर	155
VI.49	प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा संकेतक	155

चार्ट सूची

चार्ट सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
II.1	वैश्विक समष्टि आर्थिक रुझान	11
II.2	बैंक ऋण वृद्धि का तीन वर्ष का घटता-बढ़ता औसत, प्रतिशत में	13
II.3	चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं/अर्थव्यवस्था समूहों में बैंक शेयर सूचकांक	14
II.4	उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां/देयताएं	15
II.5	चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं की बैंकिंग प्रणाली में लीवरेज	16
II.6	चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	16
II.7	वैश्विक बैंकों का सीडीएस स्प्रैड	17
II.8	चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में देशों और बैंकों का सीडीएस स्प्रैड	17
II.9	चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं की बैंकिंग सेवाओं तक जनसांख्यिकीय पहुंच	18
II.10	चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग - जमाराशियां	18
II.11	चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग - ऋण	19
II.12	अमरीकी बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति वृद्धि	19
II.13	अमरीका के बैंकों की ऋण वृद्धि की सेक्टोरल दरें	20
II.14	अमरीका के बैंकों की सेक्टोरल चूक दरें	20
II.15	यूरो क्षेत्र में बैंकों के तुलन पत्र संकेतक	20
II.16	यूरो क्षेत्र में एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण दशाओं के बारे में प्रत्याशाएं	20
II.17	यूरो अंतर बैंक प्रस्ताव दर में उतार-चढ़ाव	21
II.18	गैर वित्तीय निगमों की बैंक जमाराशियों (एक वर्ष से कम परिपक्वता वाली) पर ब्याज दरें, चुनिंदा यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं	21
II.19	ब्रिटेन में एसएमई के लिए बैंक ऋण उपलब्धता संबंधी प्रत्याशाएं	22
II.20	ब्रिटेन के बैंकों की बट्टा दरें	23
II.21	चीन के बैंकों के तुलनपत्र में वृद्धि	23
II.22	वैश्विक बैंकिंग कारोबार के स्थान	24
II.23	विश्व के 100 शीर्ष बैंकों की कुल आस्तियों में देशों का हिस्सा	24
II.24	आस्तियों पर आय के अनुसार विश्व के 100 शीर्ष बैंकों का प्रतिशत संवितरण	24
II.25	सीआरएआर के अनुसार विश्व के 100 शीर्ष बैंकों का प्रतिशत संवितरण	25
II.26	पूंजी पर्याप्तता (लीवरेज) के अनुसार विश्व के 100 शीर्ष बैंकों का प्रतिशत संवितरण	25
II.27	एनपीएल अनुपात के अनुसार विश्व के 100 शीर्ष बैंकों का प्रतिशत संवितरण	25
II.28	विश्व के 20 शीर्ष बैंकों के सुदृढ़ता संकेतकों में परिवर्तन	26
IV.1	जमा राशियों की संरचना 2010-11	62
IV.2	जमा राशियां और उधारियां 2010-11	63
IV.3	जमा और उधारियों के प्रतिशत के रूप में क्रेडिट 2010-11	66
IV.4	वृद्धिशील ऋण- और निवेश- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के जमा अनुपात	67
IV.5	बैंकिंग क्षेत्र के तुलन पत्रेतर एक्सपोजर की संरचना 2010-11	69

चार्ट सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
IV.6	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल लाभ	72
IV.7	निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ - बैंक समूह -वार 2010-11	74
IV.8	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का टियर I अनुपात	75
IV.9	सकल अनर्जक ऋणों की प्रवृत्ति	75
IV.10(क)	पिछले वर्ष के सकल एनपीए के रूप में बट्टे खाते में डाले गए एनपीए	76
IV.10(ख)	बट्टे खाते में डालने का अनुपात- बैंक समूह -वार 2010-11	76
IV.11(क)	स्लिपेज अनुपात	77
IV.11(ख)	स्लिपेज अनुपात-बैंक समूह -वार 2010-11	77
IV.12(क)	पिछले वर्ष के सकल एनपीए के प्रतिशत के रूप में वसूला गया एनपीए	77
IV.12(ख)	रिकवरी अनुपात-बैंक समूह -वार 2010-11	77
IV.13	अग्रिमों की तुलना में एनपीए का अनुपात	78
IV.14	देशी बैंकों के वृद्धिशील एनपीए की संरचना 2010-11	80
IV.15	कृषि और औद्योगिक ऋण में जनसंख्या समूहों का हिस्सा	84
IV.16(क)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार : लक्ष्य और सफलताएं 2010-11	86
IV.16(ख)	कृषि अग्रिम: लक्ष्य और सफलताएं 2010-11	86
IV.17(क)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम: लक्ष्य और सफलताएं 2010-11	86
IV.17(ख)	निर्यात ऋण : लक्ष्य और सफलताएं 2010-11	86
IV.18	बैंकेक्स और बीएसई सेंसेक्स का तुलनात्मक निष्पादन- 2010-11	88
IV.19	सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार की शेयरधारिता	89
IV.20	देशी बैंकों में विदेशी शेयरधारिता	89
IV.21	बकाया डेबिट कार्डों में बैंक समूहों का हिस्सा	91
IV.22	बकाया क्रेडिट कार्डों में बैंक समूहों का हिस्सा	92
IV.23	बैंक समूहों के संबंध में प्रमुख शिकायतें 2010-11	94
IV.24	अब तक बैंक रहित केंद्रों में शाखाएं खोली गईं (अप्रैल-मार्च)	95
IV.25	प्रति बैंक शाखा क्षेत्र-वार जनसंख्या (मार्च 2011 की समाप्ति पर)	96
IV.26	एटीएम का जनसंख्या समूह-वार वितरण (मार्च 2011 की समाप्ति पर)	96
IV.27	एटीएम में हुई की कुल निवल वृद्धि में क्षेत्र-वार हिस्सा - 2010-11	97
IV.28	बैंकिंग केंद्रों के अनुसार जमा राशियों और ऋण का वितरण - मार्च 2011	97
IV.29(क)	ऋण में क्षेत्र-वार हिस्सा - मार्च 2010-11	98
V.29(ख)	ऋण में जनसंख्या समूह-वार हिस्सा - मार्च 2011	98
V.1	भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना	106
V.2	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या का ग्रेडवार वर्गीकरण तथा कुल अग्रिमों और जमा-राशियों में उनका हिस्सा	108
V.3	शहरी सहकारी बैंकों का बदलता स्वरूप	109
V.4	आस्ति के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण	109
V.5	शहरी सहकारी बैंकों के निवेश की संरचना	112

चार्ट सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
V.6	सीआरएआर के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण	113
V.7	शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर और आस्तिजन्य आय	114
V.8	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों की संरचना	114
V.9	शहरी सहकारी बैंकों का क्षेत्रवार और राज्यवार स्वरूप	115
V.10	शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या में सर्वोच्च और सबसे निचले पांच राज्यों के हिस्से का प्रतिशत	116
V.11	अनुसूचित एसटीसीबी के चुनिंदा तुलन-पत्र संकेतक	118
V.12	एसटीसीबी के विभिन्न प्रकार के एनपीए वर्गों का प्रतिशत हिस्सा	119
V.13	आरआईडीएफ के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं और ऋणों का प्रयोजनावार ब्योरा	127
VI.1	निवल अनर्जक आस्तियां/निवल ऋण	137
VI.2	भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या	139
VI.3	व्यापक चलनिधि (एल 3) और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियों का अनुपात	141
VI.4	जमाराशियों के दायरे के अनुसार एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा	142
VI.5	एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा - क्षेत्र-वार	143
VI.6	एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशि पर ब्याज -दर - दायरा-वार	143
VI.7	एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता का स्वरूप	144
VI.8	एनबीएफसी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन	146

परिशिष्ट सारणियों की सूची

सारणी सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
IV.1	भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर	156
IV.2(अ)	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार	157
IV.2(आ)	निजी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां-क्षेत्रवार	158
IV.2(इ)	विदेशी बैंकों की अनर्जक आस्तियां-क्षेत्रवार	159
IV.3(अ)	कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिमों में अनर्जक आस्तियां - सरकारी क्षेत्र के बैंक	160
IV.3(आ)	कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिमों में अनर्जक आस्तियां - निजी क्षेत्र के बैंक	161
IV.4(अ)	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर वर्गों को अग्रिम	162
IV.4(आ)	निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर वर्गों को अग्रिम	163
IV.4(इ)	विदेशी बैंकों द्वारा माइक्रो तथा लघु उद्योग (एमएसई) और निर्यात क्षेत्र को अग्रिम	164
IV.5(अ)	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य	165
IV.5(आ)	निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य	166
IV.5(इ)	विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य	167
IV.6	संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूहवार उधार	168
IV.7	बीएसई में बैंक स्टॉक का शेयर मूल्य तथा मूल्य/अर्जन अनुपात	169
IV.8	देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप	170
IV.9	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम	172
IV.10	बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण	175
IV.11	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कर्ज-जमाराशि अनुपात एवं निवेश तथा कर्ज-जमाराशि अनुपात-क्षेत्र/राज्यवार	178
V.1	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड	179
V.2	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक	180
V.3	शहरी सहकारी बैंकों का राज्य वार वितरण	182
V.4	राज्य सहकारी बैंकों के कार्यशील परिणाम - क्षेत्रवार और राज्यवार	183
V.5	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के क्षेत्रवार और राज्यवार कार्यशील परिणाम	184
V.6	प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के चुनिंदा संकेतक -राज्यवार	185
V.7	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्यशील परिणाम	187
V.8	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्यशील परिणाम	188
V.9	ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृतियां और संवितरण - राज्यवार	189
V.10	किसान क्रेडिट कार्ड योजना - राज्यवार प्रगति	192
VI.1	वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता	193
VI.2	प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन	194
VI.3	प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक	195

चुनिंदा संक्षेपाक्षर सूची

एडी	प्राधिकृत व्यापारी
एडीआर	अमरीकी निक्षेपागार रसीद
एडीडब्ल्यूडीआर	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना
एएफसी	आस्ति वित्तीय कंपनियां
एएफआई	वार्षिक वित्तीय निरीक्षण
एआईएफआईज़	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं
एएलएम	आस्ति-देयता विसंगति
एएमए	उन्नत मापन दृष्टिकोण
एएमएल	धन शोधन निवारण
एएनबीसी	समायोजित निवल बैंक ऋण
एएसए	एकांतर मानकीकृत दृष्टिकोण
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
बीसी	कारोबार संपर्की
बीसीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति
बीसीपी-डीआर	कारोबार निरंतरता प्रबंधन और डिज़ास्टर रिकवरी
बीसीएसबीआई	भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड
बीएफएस	वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
बीआईएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
बीओ	बैंकिंग लोकपाल
बीओडी	निदेशक मंडल
बीओएम	प्रबंधन बोर्ड
बीपीआर	बिज़नेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग
बीएसई	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि.
सीएआर	क्षमता पर्याप्तता अनुपात
सीएएस	सामान्य लेखांकन प्रणाली
सीएएसए	चालू खाता और बचत खाता
सीबीआई	केंद्रीय अन्वेषण बोर्ड
सीबीएलओ	संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता
सीबीएस	कोर बैंकिंग समाधान
सीसीएआर	व्यापक पूंजी मूल्यांकन समीक्षा
सीसीएफ	ऋण परिवर्तन कारक
सीसीपी	केंद्रीय प्रतिपक्षकार
सीडीज़	जमा प्रमाणपत्र
सीडीएस	ऋण चूक अदला-बदली
सीई	सामान्य इक्विटी
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीईओबीएसई	ऋण समतुल्य राशि तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र
सीएफएसए	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति
सीएफटी	आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
सीजीएफएस	वैश्विक वित्तीय स्थिरता समिति
सीजीएस	ऋण गारंटी योजना
सीजीटीएमएसई	माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास
सीआईसी	ऋण सूचना कंपनी
सीआईसीज़-एनडी-एसआई	प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियां
सीएमबी	नकदी प्रबंधन बिल
सीएमई	पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र
सीएनपी	बिना कार्ड
सीओआर	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीपीज़	वाणिज्यिक पत्र
सीपी	कार्ड द्वारा
सीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली समिति
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूँजी अनुपात
सीआरएज़	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां
सीआरसीएस	सहकारी समितियों का केंद्रीय पंजीयक
सीआरई	वाणिज्यिक स्थावर संपदा
सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

डीजीए	अवधि अंतराल विश्लेषण
डीआईसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएन	निदेशक पहचान संख्या
डीएलआईसी	जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति
डीआर	डिज़ास्टर रिकवरी
डीआरटी	ऋण वसूली ट्रिब्यूनल
डीएसए	प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट
ईएआर	आय जोखिम
ईबीए	यूरोपियन बैंकिंग प्राधिकरण
ईसीसीएस	एक्सप्रेस चेक समाशोधन प्रणाली
ईसीएस	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
ईएफएसएफ	यूरोपियन वित्तीय स्थिरता सुविधा
ईएफएसएम	यूरोपियन वित्तीय स्थिरीकरण प्रणाली
ईआईओपीए	यूरोपियन इंस्योरेंस एंड आक्यूपेशनल पेंशन्स आथारिटि
ईएल	प्रत्याशित हानि
ईएमई	उभरती बाजार अर्थव्यवस्था
ईएमवी	यूरो पे मास्टरकार्ड वीज़ा
ईएसए	यूरोपियन पर्यवेक्षी प्राधिकारी
ईएसएफएस	वित्तीय पर्यवेक्षण की यूरोपियन प्रणाली
ईएसएम	यूरोपियन स्थिरता प्रणाली
ईएसएमए	यूरोपियन सिक्यूरिटीज़ एण्ड मार्केटस् आथारिटि
ईएसआरबी	यूरोपियन सिस्टमिक रिस्क बोर्ड
ईयू	यूरोपियन संघ
यूरीबोर	यूरो अंतर बैंक प्रस्तावित दर
एक्ज़िम बैंक	भारतीय निर्यात आयात बैंक
एफएएसबी	वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड
एफएटीएफ	वित्तीय कार्रवाई कार्य बल
एफबी	विदेशी बैंक
एफसीए	वित्तीय आचरण प्राधिकारी
एफसीसीबी	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
एफसीएमडी	फाइनेंशियल कांग्लोमरेट मॉनीटरिंग डिवीजन
एफसीएनआर(बी)	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)
एफईएमए (फेमा)	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफएचसी	वित्तीय होल्डिंग कंपनी
एफआई	वित्तीय संस्था
एफआईआई	विदेशी संस्थागत निवेश
एफआईपी	वित्तीय समावेशन योजना
एफएलसीसी	वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र
एफएमआई	वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना
एफएमयू	विदेशी बाजार उपयोगिताएं
एफपीसी	वित्तीय नीति समिति
एफएसए	वित्तीय सेवा प्राधिकारी
एफएसएपी	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम
एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसएलआरसी	वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
एफएसओसी	वित्तीय स्थिरता निगरानी परिषद
एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
जी सेक	सरकारी प्रतिभूतियां
जीसीसी	सामान्य क्रेडिट कार्ड
जीडीपी	सकल देशी उत्पाद
जीडीआर	वैश्विक निक्षेपागार रसीद
जीएफएसआर	वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
जीएचओएस	गवर्नर और पर्यवेक्षण के मुख्य अधिकारी
जीआईसी	भारतीय सामान्य बीमा निगम
जीएनपीए	सकल अनर्जक आस्तियां
जीओआई	भारत सरकार
जीएसआईबी	प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंक
एचआरएम	मानव संसाधन प्रबंधन
एचएसबीसी	हांगकांग एण्ड संघाई बैंकिंग कार्पोरेशन
एचटीएम	परिपक्वता तक धारित
आईएएस	अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक
आईएएसबी	अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड
आईबीए	भारतीय बैंक संघ

आईसीज़	निवेश कंपनियां
आईसीबी	बैंकिंग पर स्वतंत्र आयोग
आईसीडीज़	अंतर कंपनी जमाराशियां
आईसीआईसीआई	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईडीबीआई	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आईडीआरबीटी	बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान
आईएफसी	इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी
आईएफआरएस	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
आईआईबीआई	भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक
आईएल	उठाई गयी हानि
आईएमए	आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
इंड एएसज़	भारतीय लेखांकन मानक
इन्फिनेट	भारतीय वित्तीय नेटवर्क
आईओएससीओ	अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन
आईआरबी	आंतरिक रेटिंग आधारित
आईआरसी	वृद्धिशील जोखिम प्रभार
आईआरडीए (इरडा)	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईआरएसडी	अवधि अंतराल विश्लेषण के अंतर्गत ब्याज दर संवेदनशीलता
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईवीआर	इंटरऐक्टिव वॉइस रिस्पांस
जेएलजीज़	संयुक्त देयता समूह
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केवाइसी	अपने ग्राहक को जानिए
एलएबी	स्थानीय क्षेत्र बैंक
एलएएफ	चलनिधि समायोजन सुविधा
एलसीबीजी	बड़े और जटिल बैंकिंग समूह
एलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात
एलसीज़	कर्ज कंपनियां
एलईआई	दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव
एलजीडी	हानि के कारण चूक
लिबोर	लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर
एलआईसी	भारतीय जीवन बीमा निगम
एलटीसीसीएस	दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना
एमएजी	समष्टि आर्थिक मूल्यांकन समूह
एमसीए	कंपनी मामले मंत्रालय
एमडीजी	संशोधित अवधि अंतराल
एमईएनए	मध्य-पूर्व और उत्तर अफ्रीका
एमएफआई	व्यष्टि वित्त संस्था
एमआईसीआर	चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान (माइकर)
एमआईएस	प्रबंध सूचना प्रणाली
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसई	माइक्रो और लघु उद्यम
एमएसएफ	सीमांत स्थायी सविधा
एमएसएमई	माइक्रो, लघु और मझौले उद्यम
एमवीई	इक्विटी का बाजार मूल्य
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएएफएससीओबी	राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-डी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-जमाराशियां लेने वाली
एनबीएफसी-एनडी	जमाराशियां न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-एनडी-एसआई	प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण जमाराशियां न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफआईज़	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं
एनडीएस	तयशुदा लेन-देन प्रणाली
एनडीटीएल	निवल मांग और मीयादी देयता
एनईसीएस	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनआईआई	निवल ब्याज आय
एनआईएम	निवल ब्याज मार्जिन
एनआईएमसी	राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति

एनओसी	अनापत्ति प्रमाणपत्र
एनओएफ	निवल स्वाधिकृत निधियां
एनओएचसी	निष्क्रिय होल्डिंग कंपनी
एनपीए	अनर्जक आस्तियां
एनआरई	अनिवासी बाह्य
एनआरईजीए	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एनआरआरडीए	राष्ट्रीय ग्रामीण मार्ग विकास एजेंसी
एनआरओ	अनिवासी सामान्य
एनएसएफआर	निवल स्थिर निधीयन अनुपात
ओबीएस	तुलन पत्रेतर
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ऑस्मोस	अप्रत्यक्ष निगरानी और चौकसी प्रणाली
ओटीसी	ओवर द काउंटर
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
पीएटी	कर पश्चात लाभ
पीबीटी	कर पूर्व लाभ
पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पीडी	प्राथमिक व्यापारी
पीडीओ-एनडीएस	लोक ऋण कार्यालय - तयशुदा लेनदेन प्रणाली
पीई	मूल्य अर्जन
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पीआईएन	व्यक्तिगत पहचान चिह्न
पीओएस	बिक्री स्थान
पीआरए	विवेकपूर्ण विनियमन प्राधिकरण
पीआरबीज़	निजी क्षेत्र के बैंक
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र के बैंक
आरसीएस	सहकारी समिति पंजीयक
आरआईडीएफ	ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि
आरएनबीसी	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी
आरओए	आस्तियों पर आय
आरओई	इक्विटी पर आय
आरओआरडब्ल्यूए	जोखिम भारित आस्तियों पर आय
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरएसए	दर संवेदनशील आस्तियां
आरएसएल	दर संवेदनशील देयताएं
आरटीजीएस	तत्काल सकल निपटान प्रणाली
एसएओ	मौसमी कृषि कार्य
एसएआरएफएईएसआई	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन
एसबीएलपी	स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम
एससी	अनुसूचित जाति
एससीएपी	पर्यवेक्षी पूंजी मूल्यांकन कार्यक्रम
एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
एससीज़/आरसीज़	प्रतिभूतिकरण कंपनियां/पुनर्निर्माण कंपनियां
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
सिडबी	भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक
एसआईएफआई	प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था
एसएलआईएमसी	राज्य स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसएमई	लघु और मझौले उद्योग
एसपीवी	विशेष प्रयोजन के माध्यम
एसएसआई	लघु उद्योग
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
एसटीसीसीएस	अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचा
टी/बी	खजाना बिल
टीएएफसीयूबी	शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल
टीजीए	पारंपरिक अंतराल विश्लेषण
टीएलई	टर्मिनल लाइन इनक्रिप्शन
यूबीडी	शहरी बैंक विभाग
यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
यूकेपीटी	यूनिक की प्रति टर्मिनल
यूओ	छत्रक संस्थाएं
वीएपीटी	वल्नरेबिलिटी एनेलिसेज एंड पेनिट्रेशन टेस्ट
वीएआर	मूल्य जोखिम में

अध्याय-I

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की संभावनाएं

2010-11 के दौरान पूंजी और चलनिधि के पर्याप्त रिजर्व एवं लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता के बेहतर प्रदर्शन के चलते देशी बैंकों ने वृद्धि का प्रबंधन सुदृढ़ता से करना जारी रखा। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की उच्च संभावनाओं एवं अनुकूल जनसांख्यिकी के चलते बैंकों के पास पर्याप्त संभावनाएं हैं कि वे पारंपरिक तथा नवोन्मेषी उत्पादों के जरिए एवं प्रौद्योगिकी आधारित वहनीय कारोबारी मॉडलों का उपयोग करके वित्तीय समावेशन के जरिए अपने कारोबार को और बढ़ा सकते हैं। परंतु वर्तमान के ब्याज दर के माहौल एवं ब्याज दर के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में कुछ असंतुलित एक्सपोजरों के चलते अल्पावधि में वृद्धि की दर में कमी आने को देखते हुए आगे चलकर ऐसे एक्सपोजरों का प्रबंधन दक्षता के साथ करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा, उच्च वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पूंजी एवं चलनिधि जुटाना एवं बासेल III की अपेक्षाओं को पूरा करना बैंकों के लिए एक चुनौती होगी। इसके लिए बैंकों को नवोन्मेषी एवं आकर्षक बाजार आधारित निधीयन के चैनलों का उपयोग करना होगा, विशेष रूप से तब जब पूंजी प्राप्त करना कठिन हो तथा राजकोषीय स्थितियों के कारण सरकारी समर्थन प्राप्त न हो। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने की चुनौती से निपटने के लिए बैंकों को सूचना प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन सहित मूलभूत ढांचे का उन्नयन करना होगा। समावेशी वृद्धि के प्रति फोकस को देखते हुए बैंकों को चाहिए कि वे वित्तीय समावेशन के दायरे को बढ़ाने हेतु नए सिरे से प्रयास करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य कारोबारी मॉडलों का उपयोग करें। अंत में, जोखिमों को कम करने हेतु निरंतर किए गए रणनीतिगत प्रयास, राजस्व के स्रोतों को व्यापक बनाने, आस्ति-देयता के असंतुलनों को सीमित करने, वैश्विक बाजार के बदलते परिवेश के प्रति प्रभावी उपाय करने तथा ग्राहक सेवा में सुधार जैसे उपायों से मध्यावधि में बैंकिंग क्षेत्र की समग्र वृद्धि को बल मिल सकता है।

1.परिचय

1.1 भारत का बैंकिंग क्षेत्र 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट से लगभग अप्रभावित होकर बाहर निकला परंतु व्यापार, वित्त तथा विश्वास के स्तर में कमी आने के चलते इसने वृद्धि दर में कमी की समस्या का सामना किया। परंतु संकट के बाद भारत सहित अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में आर्थिक वृद्धि में सुधार आया जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की दर कमजोर बनी रही। यूरो क्षेत्र में सरकारी ऋण बाजारों में अस्थिरता, मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) क्षेत्र में अशांति, जापान की आपदा, इस वर्ष अगस्त में अमरीका के सरकारी ऋणों को डाउनग्रेड किये जाने एवं पण्यों की कीमतें निरंतर उच्चतर स्तर पर बनी रहने से वैश्विक वृद्धि में कमी आने का जोखिम उत्पन्न हुआ। जहां इन जोखिमों के समय के साथ क्रमशः कम होते जाने की संभावना है वहीं भारत में उच्चतर वृद्धि की स्थिरता लंबे समय तक बनी रहना मुख्यतः बैंकिंग क्षेत्र द्वारा जमाराशियों के संग्रहण की क्षमता एवं नवोन्मेषी वित्तीय लिखतों एवं सेवाओं के जरिए बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऋण की जरूरतों को पूरा किये जाने पर निर्भर करेगा जिससे वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी हो सके एवं कर्ज की सुविधा का लाभ दक्षता के साथ एवं पारदर्शी तरीके से मिल सके।

1.2 घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों से उत्पन्न महत्त्वपूर्ण चुनौतियों के बावजूद 2010-11 के दौरान भारतीय बैंकों का निष्पादन बेहतर रहा। बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता पूंजी के आधार, आस्तियों की गुणवत्ता एवं लाभप्रदता में हुए सुधार में देखी जा सकती है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की लाभप्रदता में आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) एवं ईक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) दोनों ही दृष्टि से सुधार हुआ। साथ ही सकल तथा निवल अनर्जक आस्ति अनुपातों में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई। चूंकि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में बैंकों की प्रमुखता है अतः समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए दबाव सहने की बैंकों की क्षमता की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। क्रेडिट, चलनिधि तथा ब्याज दर जोखिम के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कई चक्रों में

किये गये दबाव परीक्षण ने दर्शाया है कि बैंक काफी हद तक सुदृढ़ हैं। तथापि, कड़े आघात की स्थिति में कुछ बैंकों में चलनिधि की थोड़ी समस्या हो सकती है जिससे उनकी लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है।

1.3 वैश्विक गतिविधियों के परिदृश्य का एक विस्तृत विवरण वैश्विक बैंकिंग गतिविधियां शीर्षक अध्याय II में दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के संबंधित परिदृश्य का विवरण दिया गया है।

2. परिवेश को स्वरूप देनेवाले तत्व

क्या भारतीय बैंक बासेल III व्यवस्था की ओर अग्रसर होने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है?

1.4 भारत में वाणिज्य बैंकों ने बासेल II के अंतर्गत मानक दृष्टिकोणों का पहले ही पालन कर लिया है। अब समय आ गया है कि बड़े बैंकों को अपनी प्रणालियों को उन्नत करने एवं उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उन्नत दृष्टिकोण को अपनाने पर बैंकों को अपने दैनिक जोखिम प्रबंधन में अंतर्निहित प्रक्रियाओं को भी एकसाथ उपयोग करना जरूरी होता है। हाल के वैश्विक विनियमन संबंधी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में अक्सर यह पूछा जाता है कि क्या भारतीय बैंक बासेल III के लिए तैयार है? बासेल III के आधारभूत जरूरतें अब स्पष्ट हो चुकी हैं: उच्चतर तथा बेहतर गुणवत्तावाली पूंजी; अत्यधिक जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समायोजित लिवरेज अनुपात; पूंजी बफरों का निर्माण जिनको अच्छे समय में बढ़ाया जा सकता है ताकि दबाव के समय में इनका उपयोग किया जा सके; न्यूनतम वैश्विक चलनिधि मानक; तथा पर्यवेक्षण, सार्वजनिक घोषणा एवं जोखिम प्रबंधन के सुदृढ़ मानक। मोटे आकलन से स्पष्ट होता है कि समग्र स्तर पर भारतीय बैंकों को पूंजी संबंधी नये नियमों के साथ मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही दृष्टि से सामंजस्य बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। भारतीय बैंक पूंजी के नए नियमों के अनुपालन की दृष्टि से बेहतर स्थिति में हैं।

1.5 ध्यान दी जाने वाली एक बात यह है कि यह तुलनात्मक स्थिति समेकित स्तर की है; कुछेक बैंकों के मानदंड बासेल III की अपेक्षाओं से कम हो सकते हैं और उन्हें अपनी पूंजी के स्तर में वृद्धि करनी होगी। अधिक कठोर विनियामक व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को उन्नीत करके तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की कर्ज संबंधी जरूरतों को पूरा करने में भी चुनौतियां आएंगी। प्रतिचक्रीय पूंजी बफरों के अतिरिक्त, बासेल III प्रतिचक्रीय प्रावधानों की भी अपेक्षा रखता है।

1.6 भारत में बैंकों के पास चल प्रावधानों का आधार है परंतु रिज़र्व बैंक ने प्रणालीगत दबाव की स्थिति को छोड़कर इसके उपयोग की अनुमति नहीं दी है। चल प्रावधान जहां प्रतिचक्रीय प्रावधान की जरूरतों को पूरा कर सकता है वहीं इसके उपयोग के संबंध में एक ढांचे का होना जरूरी है। अस्थायी उपाय के रूप में रिज़र्व बैंक स्पेन की डाइनामिक प्रोविजनिंग प्रणाली की तर्ज पर एक पद्धति विकसित करने का प्रयास कर रहा है। परंतु आंकड़ों की कमी तथा बैंकों की विश्लेषण की क्षमता को देखते हुए यह कार्य आसान नहीं लगता। बासेल III की ओर अग्रसर होने के लिए चल आस्तियों के एक पूल के जरिए चलनिधि के उच्च स्तर को बनाए रखना जरूरी है। चल आस्तियों की परिभाषा काफी कठोर है जिसमें यह अपेक्षा भी शामिल है कि वह जब चाहे तब उपलब्ध होनी चाहिए।

क्या भारतीय बैंक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय तथा रिपोर्टिंग प्रणाली (आईएफआरएस) अपनाने के लिए तैयार है?

1.7 वैश्विक लेखांकन मानकों अर्थात् आईएफआरएस को अपनाने से विभिन्न देशों में कार्यरत उद्यमों के बीच तुलना करने में सुविधा होती है। लेखाविधि में एकरूपता से उद्योग को पूंजी की लागत तथा अनुपालन संबंधी व्यय दोनों को कम करने में मदद मिलती है। आईएफआरएस के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण, शिक्षा तथा कौशल का विकास महत्त्वपूर्ण है। निवेशकों, लेखाकारों, लेखा परीक्षकों, ग्राहकों, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर वेंडरों, रेटिंग एजेंसियों, विश्लेषकों, लेखा परीक्षा समितियों, अक्चूरियों, मूल्यांकन विशेषज्ञों एवं अन्य विशेषज्ञों को आईएफआरएस के प्रावधानों तथा इससे जुड़े उनके कार्यों के बारे में अपेक्षित स्तर की समझ होनी चाहिए। आईएफआरएस को अपनाने की ओर बैंक कितनी सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाते हैं वह इस बात पर निर्भर करेगा कि न केवल लेखांकन संबंधी मुद्दों बल्कि गैर-लेखांकन संबंधी मुद्दों का हल किस प्रकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को आईटी तथा मानव संसाधन सहित अपने

ढांचागत आधार को उन्नीत करना होगा ताकि आईएफआरएस की जटिलताओं और चुनौतियों का सामना किया जा सके। लेखांकन विधियों को समरूप बनाने की प्रक्रिया के दौरान भारतीय बैंकों के सामने आनेवाली कुछ प्रमुख तकनीकी मुद्दों में आईएफआरएस तथा वर्तमान के विनियामक दिशानिर्देशों में स्थित अंतर है, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक (आईएएस) 39 के प्रतिस्थापन की परियोजना है जो वित्तीय आस्तियों और देयताओं के वर्गीकरण और मापन से संबंधित है।

बैंकिंग क्षेत्र की अंतरसंबद्धता और वित्तीय प्रणाली की कमजोरी

1.8 संकट के बाद प्रणालीगत जोखिम के समाधान हेतु समष्टि-विवेकपूर्ण नीति एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरकर आयी है जो इसके समय एवं अंतर-अनुभागीय आयाम को दर्शाती है। जहां समय संबंधी आयाम उन अनुचक्रीय तत्वों को दर्शाता है जिनसे समय के साथ सकल जोखिम उत्पन्न होता है, जबकि अंतर-अनुभागीय आयाम का संबंध जोखिमों के वितरण से है जिसमें वित्तीय प्रणाली की अंतर संबद्धता के चलते बढ़ोतरी हो सकती है। विवेकपूर्ण विनियमन के संबंधी चर्चा में समष्टि-वित्तीय निगरानी के एक हिस्से के रूप में वित्तीय अंतर-संबद्धता एक प्रमुख मुद्दा है क्योंकि इससे समग्र वित्तीय प्रणाली में विशेष प्रकार के आघातों में वृद्धि हो सकती है। वित्तीय प्रणाली की समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी की प्रभावी प्रणाली स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने अंतर-बैंक एक्सपोजरों की अभिकल्पना हेतु नेटवर्क विश्लेषण पद्धति का उपयोग करना शुरू कर दिया है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र एक दूसरे से काफी गहराई तक जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, नेटवर्क विश्लेषण के आधार पर किए गए संक्रमण विश्लेषण से यह बात उभरकर आयी कि बैंकिंग क्षेत्र की अंतर-संबद्धता से एक या एकाधिक बैंकों के विफल हो जाने पर उनकी अंतर-संबद्धता के स्तर के अनुरूप वित्तीय प्रणाली में कमजोरियां पैदा होती हैं। अंतर-बैंक एक्सपोजरों के संबंध में विनियामक सीमाएं रहने के चलते संक्रमण प्रभाव को तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर ढंग से रोका गया। यदि अन्य संस्थाओं, जैसे कि अन्य बैंकों, एनबीएफसी और म्यूच्युअल फंडों को विश्लेषण में शामिल किया जाए तो यह प्रभाव और गंभीर हो सकता है।

वर्तमान तथा उभरता परिदृश्य बैंकों के लिए सुदृढ़ कारोबारी संभावनाएं प्रस्तुत करता है

1.9 उभरता आर्थिक परिदृश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए कई संभावनाएं प्रस्तुत करता है। संभावित आर्थिक निष्पादन, अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभ के कारण बचतों में होनेवाली सुदृढ़ वृद्धि, भौतिक मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के प्रति दिया गया बल तथा वित्तीय वंचन का स्तर, जिसे अभी पाटना है, आदि ऐसे कारक हैं जिनसे मध्यावधि में बैंकिंग क्षेत्र में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी। इन संभावनाओं तथा अपनी सुदृढ़ता का लाभ उठाने के लिए भारतीय बैंकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना होगा। रणनीतिगत दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धा का लाभ तभी मिल सकेगा जब मात्रा, संभावना, विवेक तथा ज्ञान जैसे कारकों में संतुलन स्थापित हो।

3. रणनीतिगत तथा परिचालनात्मक अनुक्रिया

भारत में वित्तीय संगुटों का होल्डिंग कंपनी ढांचे में परिवर्तन

1.10 इस समय भारत में अधिकांश वित्तीय समूह बैंकों के अधीन हैं और इनका परिचालन बैंक सब्सिडियरी मॉडल के अंतर्गत किया जाता है। इस मॉडल में सब्सिडियरियों के कंपनी अभिशासन, कार्यनिष्पादन तथा पूंजी आवश्यकता के लिए मूल बैंक जिम्मेदार होता है। इसके अलावा, इसमें मूल बैंक के लिए प्रतिष्ठा संबंधी पर्याप्त जोखिम भी जुड़ा होता है। 'भारत में बैंकों के लिए होल्डिंग कंपनी ढांचे की शुरुआत' संबंधी कार्यदल ने प्रमुख वित्तीय संगुटों को होल्डिंग कंपनी ढांचे की ओर आगे बढ़ने की सिफारिश की है ताकि इन खामियों को कुछ हद तक दूर किया जा सके। सिफारिशों के कार्यान्वयन में आने वाली मुख्य चुनौतियों में वित्तीय होल्डिंग कंपनियों के कार्यकलापों को नियंत्रित करने के लिए नये कानून बनाना, समुचित कर व्यवस्था के जरिए विद्यमान वित्तीय संगुटों को समुचित प्रोत्साहन देना तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में रणनीतिगत एवं सार्वजनिक नीति संबंधी मुद्दों का सरकार द्वारा समाधान किया जाना शामिल हैं।

जोखिमों के कुशल प्रबंधन के लिए नवोन्मेषी वित्तीय उत्पादों की शुरुआत करना

1.11 नवोन्मेषी वित्तीय उत्पादों की शुरुआत करना बैंकिंग कारोबार से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन का कुशल तरीका है। इस दृष्टि से 24

अक्तूबर 2011से ऋण चूक अदला-बदली (सीडीएस) व्यवस्था की शुरुआत करने का निर्णय एक स्वागतयोग्य कदम है। परंतु, सीडीएस की जटिल प्रकृति को देखते हुए इसका उपयोग सूचीबद्ध कंपनी बांडों, इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के गैर सूचीबद्ध परंतु रेटिंग किए गए बांडों तथा संदर्भगत दायित्व के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा जारी किए गए गैर-सूचीबद्ध / रेटिंग न किए गए बांडों के लिए ही किया जा सकता है एवं संदर्भगत संस्था एकल कानूनी निवासी होनी चाहिए। दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार सहभागियों को सुदृढ़ तथा समुचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है। जोखिमों के नए क्षेत्रों तथा नए तत्वों के प्रबंधन हेतु नए प्रकार के कौशल की जरूरत होगी और यह समस्या अति उन्नत बैंकों के सम्मुख भी बनी हुई है। नवोन्मेषी वित्तीय उत्पाद लाते समय प्रतिपक्षी तथा संबद्ध जोखिमों के सटीक आकलन की जरूरत पड़ती है। बैंकों को जोखिम प्रबंधन की अपनी दक्षता के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक दृष्टिकोण अपनाना होता है जिसमें पारदर्शिता, ढांचागत संपूर्णता तथा परिचालनात्मक नियंत्रण के उच्चतर स्तर की अपेक्षा रहती है। जहां बाजारों का विस्तार करना संस्था के अस्तित्व के लिए आवश्यक है वहीं बैंकों के लिए यह भी चुनौती होगी कि किस प्रकार सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करके अपने परिचालनों को सुरक्षित रखा जाए और यह प्रणाली न केवल कारोबार को संरक्षण देनेवाली हो बल्कि समावेशी होने के साथ-साथ कारोबार को बढ़ाने में भी सहायक हो।

आस्तियों की गुणवत्ता का प्रबंधन

1.12 सकल अनर्जक आस्तियां प्रतिशत के रूप में जहां मार्च 1997 के 15.70 प्रतिशत से घटकर मार्च 2011 में 2.25 प्रतिशत हो गई, परंतु यह प्रवृत्ति इसके पीछे की वास्तविकताओं को पूर्णतः उजागर नहीं करती तथा कुछ प्रवृत्तियां चिंता का कारण बनी हुई हैं जो भविष्य में बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। उच्च ऋण विस्तार की अवधि में उधारियों में वृद्धि के बाद जब संकट का दौर आया तो सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात मार्च 2008 के अंत के 1.81 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर मार्च 2010 के अंत में 2.21 प्रतिशत हो गया, परंतु उसके बाद 2011 में यह मामूली घटकर 2.01 प्रतिशत रह गया। चिंता की बात यह है कि 2007-08 से स्थिति में जो गिरावट आई है उसमें सुधार नहीं हुआ है। बढ़ती ब्याज दरों के चलते तथा संकट के दौरान किये गये पुनर्गठन के कार्य को सावधानीपूर्वक आगे नहीं बढ़ाया गया तो बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, ब्याज दर के बदले हुए माहौल में बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ऐसे माहौल में छोटे तथा मध्यम दर्जे के उद्यमों के अशोध्य ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि हो सकती है। अतः, बैंकों को चाहिए कि वे अपनी अनर्जक आस्तियों की समस्या के समाधान हेतु प्रयास तेज करें और अपनी कर्ज जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाएं।

सुदृढ़ कारोबार निरंतरता प्रबंधन तथा आपदा के बाद बहाली

1.13 रिटेल एवं अंतर सस्थागत तथा अंतर बैंक बाजारों में लेन-देनों की प्रोसेसिंग हेतु प्रौद्योगिकी प्रणाली के अत्यधिक उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि इन प्रणालियों की उपलब्धता पर्याप्त हो एवं इनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि भारत में वित्तीय बाजारों तथा बैंकिंग उद्योग में सुचारु रूप से कामकाज चलाने के लिए इनपर पड़ने वाले दबावों को ये संभाल सकें। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रबंधित डेटा केन्द्रों एवं भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फिनेट), जो कि बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) द्वारा प्रबंधित वित्तीय क्षेत्र के लिए संचार का मूल माध्यम है, ने वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में सुदृढ़ समर्थन देना जारी रखा। तत्काल समय सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली एवं लोक ऋण कार्यालय-तयशुदा लेनदेन प्रणाली (पीडीओ-एनडीएस) अप्लिकेशनों के सॉफ्टवेयरों में परिवर्तन किया गया ताकि इनके कार्यनिष्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ इनमें नयी सुविधाएं भी जोड़ी जा सकें। उन्नत प्रौद्योगिकी तथा नई सुविधाओं के साथ आरटीजीएस की अगली पीढ़ी पर भी कार्य चल रहा है जिसमें उन्नत चलनिधि प्रबंधन सुविधा; आईएसओ 2002 समर्थित एक्सटेंसिबल मार्कअप लैग्वेज आधारित मैसेजिंग प्रणाली तथा तत्काल समय सूचना एवं लेनदेन निगरानी व नियंत्रण प्रणाली जैसी विशेषताएं होंगी। साझे इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा भुगतान और निपटान प्रणालियों के कारोबार निरंतरता प्रबंधन एवं आपदा के बाद बहाली (बीसीपी-डीआर) की प्रभाविता के संबंध में फीडबैक तथा आश्वासन प्राप्त करने के लिए नियमित ड्रिल किये गये। वाणिज्य बैंकों द्वारा उनके स्तर पर किये गये बीसीपी-डीआर तथा संवेदनशीलता विश्लेषण व

पेनिट्रेशन टेस्टिंग(वीएपीटी) की तिमाही रिपोर्ट भी प्राप्त की जाती है तथा इनमें शामिल मुद्दों को नियमित अंतरालों पर जारी की जाने वाली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में विश्लेषण के इनपुट के रूप में शामिल किया जाता है।

4. चुनौतियां

भारतीय बैंकों की दक्षता संबंधी मानदंडों में और सुधार किये जाने की आवश्यकता

1.14 पिछले 15 वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। उत्पादकता/दक्षता संबंधी अधिकांश संकेतक वैश्विक स्तर के करीब पहुंच चुके हैं। प्रौद्योगिकी के उन्नयन तथा स्टाफ के पुनर्गठन के चलते हाल के वर्षों में विशेष रूप से बैंकों की परिचालनात्मक दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। परंतु, उच्च तथा समावेशी वृद्धि को बनाए रखने के लिए देशी बचत के स्तर को बढ़ाने एवं इसे निवेश में लगाने की जरूरत है। इसका तात्पर्य है कि बैंकों को जमाकर्ताओं को दी जाने वाली ब्याज दरों को आकर्षक बनाने तथा उधारकर्ताओं पर लगायी जाने वाली ब्याज दरों को कम करने, अर्थात् निवल ब्याज अंतर (एनआईएम) में कमी लाने की आवश्यकता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का निवल ब्याज अंतर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले उधार, सरकार के गरीबी-रोधी प्रयासों के अंतर्गत कर्ज सहायता संबंधी सामाजिक क्षेत्र के अनिवार्य दायित्वों को हिसाब में लेन के बाद भी, कुछ अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक है।

1.15 इस समय सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि परिचालन लागत अर्थात् मजदूरी तथा वेतन सहित ब्याज से इतर व्यय, लेनदेन लागत तथा प्रावधान संबंधी व्यय को अधिक से अधिक सीमित करके अब तक प्राप्त की गयी सफलता से आगे किस प्रकार परिचालनात्मक दक्षता में सुधार किया जाए। इससे बैंकों को अपनी लाभप्रदता को बनाए रखते हुए उधार की दरों को कम करने में मदद मिलेगी। यदि वित्तीय समावेशन को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो इससे बैंकों को कम लागत वाली निधि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी। इससे बैंको को कम मात्रा वाले खंड में उधार देने का अवसर भी प्राप्त होगा। कम मात्रा वाले खंड में उधार देना इसलिए भी संभव होगा क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने कम राशि के कर्ज पर लगायी जाने वाली ब्याज दरों को विनियमित कर दिया है। वित्तीय समावेशन को लाभजनक तरीके से लागू करने के लिए बैंकों को अपने कारोबारी मॉडलों में निरंतर सुधार करना होगा तथा तेजी से ढांचागत रूपांतरण के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की मांग के अनुसार अपने उत्पादों एवं सेवाओं की डिजाइन करनी होगी।

समावेशी वृद्धि को और सुदृढ़ करने की दिशा में आने वाली चुनौतियां

1.16 बैंकिंग क्षेत्र समावेशी वृद्धि का प्रमुख माध्यम है। समावेशी वृद्धि को आगे बढ़ाने में मांग तथा आपूर्ति पक्षीय कारकों की भूमिका रहती है। बैंकों तथा वित्तीय सेवाओं से जुड़े अन्य खिलाड़ियों से मुख्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि वे आपूर्ति पक्षीय प्रक्रियाओं से जुड़ी उन समस्याओं को कम करेंगे जिनके चलते गरीबों तथा कम अवसरप्राप्त सामाजिक समूहों को वित्तीय प्रणाली तक पहुंचने में बाधाएं आती हैं। बैंकों को सूचित किया गया कि वे बिजनेस कॉरेस्पोंडेंटों पर निरंतर निगरानी रखें । उन्हें सूचित किया गया कि भविष्य में वे मूल शाखा तथा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट वाले स्थान के बीच किसी प्रकार की कम लागत वाली भवनयुक्त शाखा खोलें। इसके अलावा, बैंकों को चाहिए कि वे नो-फ्रिल खातों में लेनदेनों की संख्या में वृद्धि करें। वित्तीय समावेशन के सर्वर और उनके कोर बैंकिंग वाले आंतरिक सर्वर (सीबीएस) के बीच व्यवधानरहित समन्वय होना चाहिए और इंड-टू-इंड सॉल्यूशन के मामले में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के प्रौद्योगिकी संबंधित कार्यकलापों और उनके सेवा प्रदाताओं के कार्यकलापों के बीच स्पष्ट सीमा होनी चाहिए । परंतु, बैंकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि समावेशी वृद्धि के लिए आपूर्ति पक्षीय कारकों के अलावा कम आय तथा/अथवा आस्ति धारिता जैसे मांग पक्षीय कारकों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण होती है।

1.17 वित्तीय समावेशन की रणनीति को सफल बनाने के लिए बैंकों को संभावित ग्राहकों के विभिन्न आचरणगत तथा प्रेरणात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इस समय वित्तीय उत्पादों का लाभ प्राप्त करने के मार्ग में कुछ कारक व्यवधान बने हुए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैंः वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता की कमी, महंगे उत्पाद, लेनदेन की उच्च लागत तथा ऐसे उत्पाद जो सुविधाजनक न हो, जिनमें लचीलापन न हो, जो जरूरत के मुताबिक न

हो तथा कम गुणवत्ता वाली हो। अगली सदी की प्रमुख चुनौती असंगठित क्षेत्र, माइक्रो एवं लघु व्यापार क्षेत्र के लोगों, छोटे तथा सीमांत किसानों एवं कृषि क्षेत्र के ग्रामीण बटाईदार जैसे लाखों लोगों को वित्तपोषण करने की है। अन्य चुनौतियों में कम आय वर्ग के परिवारों की किफायती आवास एवं शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करना शामिल है।

बैंकों में प्रभावी कंपनी अभिशासन की जरूरत

1.18 बैंक अन्य कंपनियों से कई महत्त्वपूर्ण मामलों में भिन्न होते हैं, इसलिए बैंकों के कंपनी अभिशासन का मुद्दा अन्यों की तुलना में न केवल भिन्न होता है बल्कि अधिक महत्त्वपूर्ण भी होता है। बैंक आर्थिक वृद्धि में मदद करते हैं, वे मौद्रिक नीति के संचरण के माध्यम हैं और अर्थव्यवस्था की भुगतान तथा निपटान प्रणाली के आधार है। अपनी कारोबार की प्रकृति के अनुसार बैंक अत्यधिक लीवरेज वाली संस्था होते हैं। वे न्यासीय हैसियत में भारी मात्रा में जनता से गैर जमानती निधियां तथा जमाराशियां स्वीकार करते हैं और कर्ज के निर्माण के जरिए इन निधियों को और बढ़ाते हैं। बैंक आपस में विविध एवं जटिल प्रकार से अपारदर्शी रूप में जुड़े होते हैं और यह स्थिति उनकी 'संक्रमण' की संभावना को रेखांकित करती है। यदि कोई कंपनी फेल होती है तो उसका असर उसके हितधारकों तक ही सीमित रहता है। यदि बैंक फेल होता है तो उसका असर शीघ्र ही अन्य बैंकों पर भी पड़ता है जिसका समग्र वित्तीय प्रणाली तथा समस्त अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम होता है। जहां बैंकों में सुदृढ़ कंपनी अभिशासन सुनिश्चित करने के लिए विनियमन की भूमिका होती है वहीं विचारणीय मुद्दा यह है कि प्रभावी विनियमन की आवश्यकता तो है परंतु बेहतर कंपनी अभिशासन के लिए यही एकमात्र आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में भारत में बैंकों में कंपनी अभिशासन से जुड़े मुद्दों में बैंकों का स्वामित्व, जवाबदेही, पारदर्शिता, आचार नीति, क्षतिपूर्ति, बैंकों के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पदों को अलग-अलग करना तथा वित्तीय होल्डिंग कंपनी ढांचे में कंपनी अभिशासन, शामिल हैं जिनपर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनों की समीक्षा की जरूरत

1.19 वर्तमान की सांविधिक व्यवस्था जटिल प्रकार की है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र के अलग-अलग खंडों के नियंत्रण के लिए अलग-अलग कानून बने हुए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 से नियंत्रित होते हैं। भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके अनुषंगी बैंक उनके संबंधित विधानों से नियंत्रित होते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक कंपनी अधिनियम, 1956 तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे में आते हैं। वे विदेशी बैंक भी बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं जिन्होंने अपने दस्तावेज कंपनी अधिनियम की धारा 592 के अंतर्गत पंजीकृत करा रखे हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए भी लागू किये गये हैं। उसी प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के कुछ प्रावधान भी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों पर भी लागू होते हैं। विशिष्ट प्रकार के विभिन्न कानूनों के बावजूद इस कानूनी व्यवस्था ने व्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली को बनाए रखने में मदद करके प्रणाली को लाभ पहुंचाया है। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि प्रत्येक कानून उस समय की आवश्यकता और चिंताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। परिस्थितियों में हुए बदलाव एवं संदर्भों को ध्यान में रखते हुए लगभग सभी कानूनों में समय-समय पर संशोधन करना पड़ा। कई कारणों से इन सभी कानूनों की समीक्षा करके इन्हें नए सिरे से तैयार करने की सख्त जरूरत है। इस बात की भी जरूरत है कि बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले मूल कानूनों तथा बैंकिंग क्षेत्र पर लागू होने वाले अन्य कानूनों के बीच जो विसंगतियां हैं, उन्हें दूर किया जाए। सरकार द्वारा ''वित्तीय क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार इस क्षेत्र के कानूनों को संशोधित करने एवं उन्हें नए सिरे से लिखने" के लिए वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग गठित करने का जो निर्णय लिया गया है वह अत्यंत सामयिक तथा महत्त्वपूर्ण है। परंतु यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि नीति अथवा विनियामक ढांचे में बदलाव का विषय विधान सुधार आयोग की सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। बल्कि आयोग के कार्य के शुरुआती चरण के रूप में इन विषयों पर बहस करके निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि आयोग को नीति संबंधी दिशा के बार में स्पष्ट अधिदेश हो।

क्या भारतीय बैंकों को वैश्विक आकार का बनने के लिए प्रयास करना चाहिए?

1.20 हाल में इस बात पर बहस चल रही है कि क्या भारतीय बैंकों को वैश्विक बैंक का स्वरूप लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस

संदर्भ में संबंधित लाभ तथा हानियों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और इस चाहत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती हैसियत के अनुरूप देखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में ऐसे दो विशिष्ट प्रश्न हैं जिनके बारे में स्पष्टता की जरूरत हैः (i) क्या भारतीय बैंक वैश्विक आकार का बनने का प्रयास कर सकते हैं? और (ii) क्या भारतीय बैंकों को वैश्विक आकार का बैंक बनने का प्रयास करना चाहिए? पहले प्रश्न के संबंध में इस बात की संभावना नहीं है कि युक्तिसंगत समेकन के बाद भी कोई भी भारतीय बैंक विश्व के शीर्ष के दस बैंकों की सूची में आ सकता है। दूसरे प्रश्न के संदर्भ में जो यह मानते हैं कि बैंकों को वैश्विक स्तर का होना चाहिए उनका तर्क है कि वैश्विक शीर्षता के क्रम में हमारे बैंकों के आकार का मुद्दा उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, परंतु जरूरत इस बात की है कि भारतीय बैंकों की वैश्विक स्तर पर उपस्थिति अच्छी होनी चाहिए। मुख्य तर्क यह है कि भारतीय कंपनियों के बढ़ते वैश्विक आकार तथा प्रभाव को देखते हुए भारतीय बैंकों की वैश्विक स्तर पर तदनुरूप उपस्थिति में वृद्धि होनी चाहिए। इससे विपरीत विचारधारा यह है कि भारतीय बैंकों को बाहर के बजाय अंदर की ओर देखना चाहिए और वैश्विक आकार का बैंक बनने की चाह रखने के बजाय उन्हें वित्तीय गहनता को बढ़ाने की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बीच का रास्ता भी अपनाया जा सकता है कि वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए बाहर की ओर देखना और वित्तीय पैठ को बढ़ाने के लिए अंदर की ओर देखना आपस में विपरीत विचार-धारा नहीं है, बल्कि दोनों को एक साथ लक्षित करना संभव है। हमारे बैंकों का विदेशों में जिस तेजी से विस्तार हो रहा था वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान उसमें विराम आया। फिर भी, जोखिमों के बावजूद कुछ बड़े बैंकों को अपनी सुदृढ़ता केअवसर की तलाश में बाहर की ओर देखने का यही सही समय होगा। अतः इस चर्चा का सार यह है कि भारतीय बैंकों को वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ानी चाहिए। तेजी से बदल रहे वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में भारतीय बैंकों के लिए जरूरी है कि वे वैश्विक स्तर पर सोचें परंतु स्थानीय स्तर के अनुसार कार्य करें।

बैंकिंग के स्वरूप को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के लाभ एवं जोखिम

1.21 प्रौद्योगिकी के उपयोग ने भारत में बैंकिंग के स्वरूप को बदल दिया है। बैंकिंग के कारोबार में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग ने कुछ नये मुद्दों तथा चुनौतियों को सामने ला दिया है। इनको मोटे तौर पर लागत तथा जोखिम के रूप में दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। लागत इस रूप में कि आईटी को लगाने से व्यय में वृद्धि होती है तथा और जोखिम इस रूप में कि आवश्यक बचाव व्यवस्था के बिना आईटी प्रणालियों पर निर्भरता से जोखिम में बढ़ोतरी होती है। लागत संबंधी मुद्दे का समाधान आईटी को लगाने के लक्ष्य को कारोबार के व्यापक एवं रणनीतिगत लक्ष्यों के साथ सामंजस्य रखते हुए पूरा किया जा सकता है ताकि इनकी खरीद तथा समुचित प्रौद्योगिकीय समाधान के रखरखाव पर परिचालनात्मक एवं प्रबंधन संबंधी पर्याप्त नियंत्रण रखा जा सके। प्रौद्योगिकी जोखिम से जुड़ा हुआ दूसरा पक्ष अति महत्त्वपूर्ण है। आईटी के बढ़ते उपयोग के साथ बैंकों तथा उनके ग्राहकों के लिए भी जोखिम जुड़ा हुआ है जो मौद्रिक हानि, डेटा की चोरी, गोपनीयता के भंग के रूप में हो सकता है तथा बैंकों को ऐसे जोखिमों के बारे में स्पष्ट धारणा होनी चाहिए। बैंकिंग कारोबार का अन्य उल्लेखनीय पक्ष विनियामक तथा पर्यवेक्षी अनुपालन का है। सामान्यतः बाजारों के वैश्वीकरण में वृद्धि होने एवं विशेष रूप से हाल के संकट के बाद इस तरह के अनुपालन की अपेक्षाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। बासेल II तथा III के कार्यान्वयन के साथ बड़ी चुनौती जुड़ी हुई है। बैंकों ने प्रौद्योगिकी को अपनाया तो है परंतु प्रौद्योगिकी का लाभ लागत, गति एवं सुविधा की दृष्टि से पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। प्रौद्योगिकी से मिलने वाले लाभों को ग्राहकों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है।

भुगतान प्रणालियों की उभरती प्रवृत्तियां तथा उनसे जुड़ी चुनौतियां

1.22 बाजार तथा वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ आर्थिक दक्षता एवं वित्तीय बाजारों के कुशलतापूर्वक कार्यकलाप हेतु यह आवश्यक है कि समर्थनकारी भुगतान तथा निपटान प्रणाली सुचारु रूप से कार्य करें। वित्तीय क्षेत्र, तथा भुगतान तथा निपटान प्रणाली का ढांचा वास्तविक क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। भुगतान प्रणालियों का बदलता परिदृश्य इस उद्योग के सभी खंडों के लिए नई चुनौतियों के साथ-साथ अवसर भी पैदा करता है। नए उत्पादों से प्राप्त हुए अवसरों का लाभ उठाते समय प्रणाली प्रदाताओं/बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनसे जुड़ी चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान कर लिया जाता है। इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये उत्पाद

जनता के सभी वर्गों को उपलब्ध हो और इन उत्पादों को लेने के लिए प्रोत्साहन हो। विनियामक प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए नई प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में होने वाली नियमित गतिविधियों का समर्थन करती हो। इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि बैंक किस प्रकार किफायती, सुरक्षित एवं तीव्रता से तथा व्यवधान रहित तरीके से कार्य करने वाला भुगतान तथा निपटान संबंधी उत्पाद तथा समाधान उपलब्ध कराते हैं।

वित्तीय स्थिरता से जुड़ी कुछ चिंताएं

1.23 वैश्विक समष्टि-वित्तीय परिवेश के कमजोर रहने के बावजूद भारत का समष्टि-आर्थिक आधार सुदृढ़ रहा। इसके अलावा, दिसंबर 2010 से वित्तीय बाजार दबावों से मुक्त रहे तथा वित्तीय स्थिरता संकेतक के पूर्वानुमान के आंकड़े दर्शाते हैं कि ये अल्पावधि में सुस्थिर बने रहेंगे। वित्तीय स्थिरता के संबंध में कुछ उभरती हुई चिंताओं की प्रवृत्तियां हैं (i)वस्तुओं के बढ़ते वित्तीयकरण का असर वित्तीय बाजारों तक फैलने की संभावना, (ii) उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ब्याज दरों में अंतर जिसके कारण भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में निधीयन को बढ़ावा मिल सकता है जिसके चलते मुद्राओं में असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है, (iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) की परिपक्वता का रोलओवर जोखिम जिसके कारण उच्चतर ब्याज दरों पर वित्तपोषण की जरूरत पड़ सकती हैं, तथा (iv) आस्ति-देयता में असंतुलन के साथ चार विशिष्ट क्षेत्रों अर्थात् स्थावर संपदा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एनबीएफसी तथा खुदरा क्रेडिट में बैंक कर्ज की असमानुपातिक वृद्धि, उधार ली गई निधियों पर निर्भरता तथा अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान संबंधी बढ़ी हुई अपेक्षाएं। दबाव परीक्षणों से ज्ञात होता है कि बैंकिंग क्षेत्र पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है तथा वह आस्तियों की गुणवत्ता संबंधी आघातों एवं समष्टि आर्थिक परिदृश्य में हो सकने वाले प्रतिकूल परिवर्तनों के प्रति सुदृढ़ है। वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने वाले एनबीएफसी क्षेत्र की विनियामक खामियों से जुड़े मुद्दों का समाधान विनियमन की परिसीमा में वृद्धि करके किया जा रहा है जबकि देशी केंद्रीय प्रतिपक्षियों की चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की खामियों को बेल-आउट की नई व्यवस्था की दृष्टि से आंका जा रहा है।

5. भावी मार्ग

1.24 जहां बैंकों की और आगे बढ़ने की संभावनाओं में वृद्धि हुई है वहीं उन्हें आगे बढ़ते समय नई चुनौतियों का भी सामना करना होगा। बचत बैंक जमाराशि दरों के अविनियमन संबंधी 25 अक्तूबर 2011 की हाल की घोषणा से शुरू में कुछ प्रतिस्पर्धा हो सकती है, क्योंकि जिन बैंकों के पास बचत जमाराशि कम हैं वे ऐसी बचत जमाराशियों का बड़ा हिस्सा प्राप्त करेने का प्रयास करेंगे। तथापि, यह प्रक्रिया व्यवधान पैदा करनेवाली नहीं होनी चाहिए। पेंशन देयताओं के लिए किये गये प्रावधान एवं रिटेल तथा स्थावर संपदा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में वृद्धिशील रूप में ऋण पोर्टफोलियो की उच्च वृद्धि में आई नरमी के चलते लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को भारी मात्रा में तथा तीव्र गति से दिये गये ऋण से जुड़ा एक विशिष्ट विषय चिंता के रूप में उभरकर आया है जो भविष्य में चूक की बढ़ती घटनाओं की आशंकाओं को जन्म देता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वित्तीय समावेशन एवं प्रौद्योगिकी और उत्पादों को नया स्वरूप देकर बेहतर ऋण सुविधाएं देने के जरिए वृद्धि को समर्थन देने की बढ़ती जरूरत के रूप में बैंकों को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा।

1.25 इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि वित्तीय प्रणाली के और अधिक वैश्वीकरण, समेकन, विनियमन तथा विविधीकरण से बैंकिंग कारोबार अधिक जटिल तथा जोखिम भरा होने जा रहा है। जटिल प्रकार का जोखिम प्रबंधन, समुचित चलनिधि प्रबंधन एवं दक्षता में वृद्धि जैसे कतिपय चुनौतियां भारतीय संदर्भ में पहले ही दिखाई देने लगी हैं। हाल के समय में बैंकों तथा वित्तीय बाजारों के बीच के संबंधों में मौलिक बदलाव आया है। बैंक वित्तीय बाजारों के साथ और अधिक निकटता से जुड़ गए हैं जिसके चलते वे वित्तीय बाजारों में होने वाले दबावों से अधिक प्रभावित होंगे। जहां आईटी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकास ने बैंकिंग सेवाओं की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार ला दिया है वहीं बैंक कारोबार प्रक्रिया की रिइंजीनियरिंग के अभाव में दक्षताओं में हुई वृद्धि का लाभ पूरी तरह उठा नहीं सके हैं। चुनौती इस बात की है कि वृद्धि, दक्षता और जोखिम प्रबंधन के लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए किस प्रकार प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ उठाया जा सकता है।

मध्यावधि परिदृश्य

1.26 नई चुनौतियों का समाधान करते हुए अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया का महत्त्व निर्विवाद है। बैंकों को चार सिद्धांतों अर्थात दक्षता, स्थिरता, पारदर्शिता और समावेशन की नींव पर स्वयं को स्थापित करना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र संबंधी विकास की रणनीति के जरिए जिन तीन संतुलनकारी कार्यों को किया जाना है वे हैं :बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि के प्रेरक तत्त्वों एवं वृद्धि तथा विकास की वृहत्तर कार्यसूची की जरूरत के बीच संतुलन; भारी स्तर पर वैश्विक एकीकरण के लाभों तथा जोखिमों के बीच संतुलन; तथा मात्रात्मक लाभ एवं विविधता की अनिवार्यताओं के बीच संतुलन। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है अर्थव्यवस्था का प्रत्याशित निष्पादन, अच्छी बचत, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार हेतु दिए गए नीतिगत बल तथा वित्तीय समावेशन में हुए और सुधार से आशा है कि मध्यावधि में बैंकिंग क्षेत्र में सुदृढ़ वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी।

1.27 परंतु दीर्घावधि में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सामने महत्त्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाएं ठीक प्रकार से उपलब्ध हों ताकि वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा किया जा सके। आगे चलकर 'वित्तीय वंचन' की खाई को पाटना बैंकों का महत्त्वपूर्ण दायित्व होगा। सभी चुनौतियों तथा समाधान किये जाने वाले मुद्दों के बावजूद, भारत का बैंकिंग क्षेत्र अपनी दीर्घावधि वृद्धि की चाहत को पूरा करने के लिए अपनी प्रचुर संभावनाओं की ओर ध्यान दे सकता है। अतः बैंकिंग क्षेत्र को देश के विनियमों का पालन करते हुए अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं को ग्रहण करके समावेशन, नवोन्मेष तथा विविधीकरण के जरिए वृद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

अध्याय-II

वैश्विक बैंकिंग गतिविधियां

वर्ष 2010 और 2011 अब तक वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के लिए एक कठिन काल रहा है क्योंकि वैश्विक वित्तीय प्रणाली तथा विभिन्न देशों में उभरते राजकोषीय और आर्थिक वृद्धि परिदृश्य के कारण चुनौतियां सामने आ रही हैं।सितंबर 2011 की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में सावधान किया गया है कि अक्तूबर 2008 से पहली बार वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम बढ़े हैं, जो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई प्रगति में आंशिक विपर्यय के संकेत दे रहे हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग प्रणाली धीमी आर्थिक पुनर्वापसी और देशों की बढ़ती ऋण चिंताओं के कारण अनिश्चय की स्थिति में बनी हुई है जिसके परिणामस्वरूप पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है।। क्यूई2 का सहारा लेने के बावजूद, अमरीका अपनी आर्थिक बहाली की गति खो रहा है और इसकी साख को डाउनग्रेडिंग का सामना करना पड़ा है। अमरीकी बैंकिंग प्रणाली, जिसमें 2010 में ऋण वद्धि और लाभप्रदता में सुधार के संकेत दिखे थे, अब एक गंभीर प्रश्न का सामना कर रही है कि क्या बैंकिंग प्रणाली की यह पुनर्वापसी निकट भविष्य में जारी रहेगी। यूरोप के कुछ देशों के सार्वजनिक वित्त में गंभीर गिरावट के कारण यूरो क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली कुल मिलाकर बढ़ते ऋण, बाजार और निधीयन जोखिम के समक्ष कमजोर होकर खड़ी है। इसके अलावा, इनमें से कई बैंकों को देशों की चूकों के जोखिम से बचने के लिए पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता है। ब्रिटन में भी बैंकिंग प्रणाली उच्च लीवरेज और कमजोर आस्ति गुणवत्ता से ग्रस्त बनी हुई है। प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऋण वृद्धि सापेक्षिक रूप से उच्च स्तर पर रही है; इसे बढ़ते मुद्रास्फीतिक दबावों तथा पूंजी अंतर्वाहों को देखते हुए चिंता का एक कारण माना जा रहा है। इसके अलावा, यह भी चिंता व्यक्त की जा रही है कि ऋण वृद्धि आगे आने वाले वर्षों में एक कमजोर आस्ति गुणवत्ता की नींव डाल रही है। अच्छी बात है कि उन्नत और उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं ने वैयक्तिक और बहुपक्षीय रूप से अपनी बैंकिंग प्रणालियों की समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी को मजबूत किया है। जबकि यह महत्त्वपूर्ण है कि वैश्विक बैंकिंग प्रणाली को अंदर से मजबूत करने के प्रयास किये जाएं लेकिन यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि राजकोषीय और आर्थिक जोखिमों को रोकने के लिए प्रभावी समाधान निकाले जाएं जो इस समय अंदर से बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता के लिए खतरा बने हुए हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी समाधान निकाले जाने की आवश्यकता है।

1.परिचय

2.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2010 आशाओं और चिंताओं की मिश्रित भावनाओं से भरा रहा। वित्तीय संकट के फलस्वरूप 2009 में आर्थिक वृद्धि में एक बड़ी रुकावट के बाद, इस आशा के कारण उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 'तेज' बहाली को कुछ प्रोत्साहन मिला। ये चिंताएं यूरो क्षेत्र में देशों की साख के बढ़ते जोखिमों तथा मध्य-पूर्व और उत्तर अफ्रीका क्षेत्र में अनिश्चितता के साथ बढ़ते मुद्रास्फीतिक दबावों के कारण थीं। 2011 की शुरुआत में दिखी आशाओं ने सामान्य रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से 2011 में अमरीकी अर्थव्यवस्था में अनुमानित मंदी के कारण और अधिक चिंताओं को जन्म दिया। इसके अलावा, अमरीका में सरकारी ऋण सीमा में वृद्धि और स्टैंडर्ड एण्ड पुअर की ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा उसकी साख की रेटिंग में डाउनग्रेडिंग के कारण अमरीका में भी साख संबंधी जोखिम और बढ़ गए हैं ।

2.2 ऐसे वातावरण में वैश्विक बैंकिंग प्रणाली का कार्यनिष्पादन भी कुछ सकारात्मक गतिविधियों और कई कमियों की मिश्रित सामग्री से भरा हुआ रहा है। सकारात्मक गतिवधियां देशों के द्वारा संकट से सीखकर विनियामी और पर्यवेक्षी ढांचे में सुधार तथा बैंकों की

पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने के प्रयास के रूप में रही हैं। लेकिन, बड़ी कमियां वैश्विक बैंकिंग गतिविधियों की व्यापक पुनर्वापसी के न होने के रूप में रही हैं, ये पुनर्वापसी बेहतर ऋण वृद्धि, लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता तथा कम लीवरेज के रूप में वर्णित की जा सकती है।

2.3 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में चुनिंदा उन्नत तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बैंकिंग गतिविधियों और सुदृढ़ता के प्रमुख संकेतकों का प्रयोग करते हुए वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण किया गया है। इसमें कुछ उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं/अर्थव्यवस्था-समूहों की बैंकिंग प्रणालियों के वैयक्तिक कार्यष्पिादन का विस्तृत ब्यौरा भी दिया गया है। अंत में, संस्थागत स्तर पर इसमें व्यापक वैश्विक उपस्थिति वाले 100 शीर्ष बैंकों के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण किया गया है। इसके पश्चात, इसमें वर्ष के दौरान वैश्विक बैंकिंग प्रणाली से संबंधित प्रमुख विनियामी और पर्यवेक्षी नीतियों पर प्रकाश डाला गया है।

2. वैश्विक बैंकिंग रुझान

2.4 वर्तमान वैश्विक समष्टि आर्थिक स्थिति में उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में असंतुलित आर्थिक रिकवरी, 2011 में आर्थिक संभावनाओं में कमी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीतिक दबावों का उच्च स्तर तथा सरकारी ऋण का उच्च स्तर जैसी विशेषताएं मौजूद हैं (चार्ट II.1)।

समष्टि आर्थिक जोखिम काफी अधिक बढ़ गये हैं

2.5 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने सितंबर 2011 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में 2011 के दौरान कुल मिलाकर विश्व अर्थव्यवस्था के लिए 4.0 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है जिसमें उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं 6.4 प्रतिशत की दर से तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाएं केवल 1.6 प्रतिशत की दर से बढ़ रही हैं। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की कम त्रैमासिक जीडीपी वृद्धि को देखते हुए, सितंबर 2011 में किया गया 1.6 प्रतिशत का उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का आकलन जून 2011 में किये गये 2.2 प्रतिशत के आकलन से कम है। 2010 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी की

चार्ट II.1: वैश्विक समष्टि आर्थिक रुझान

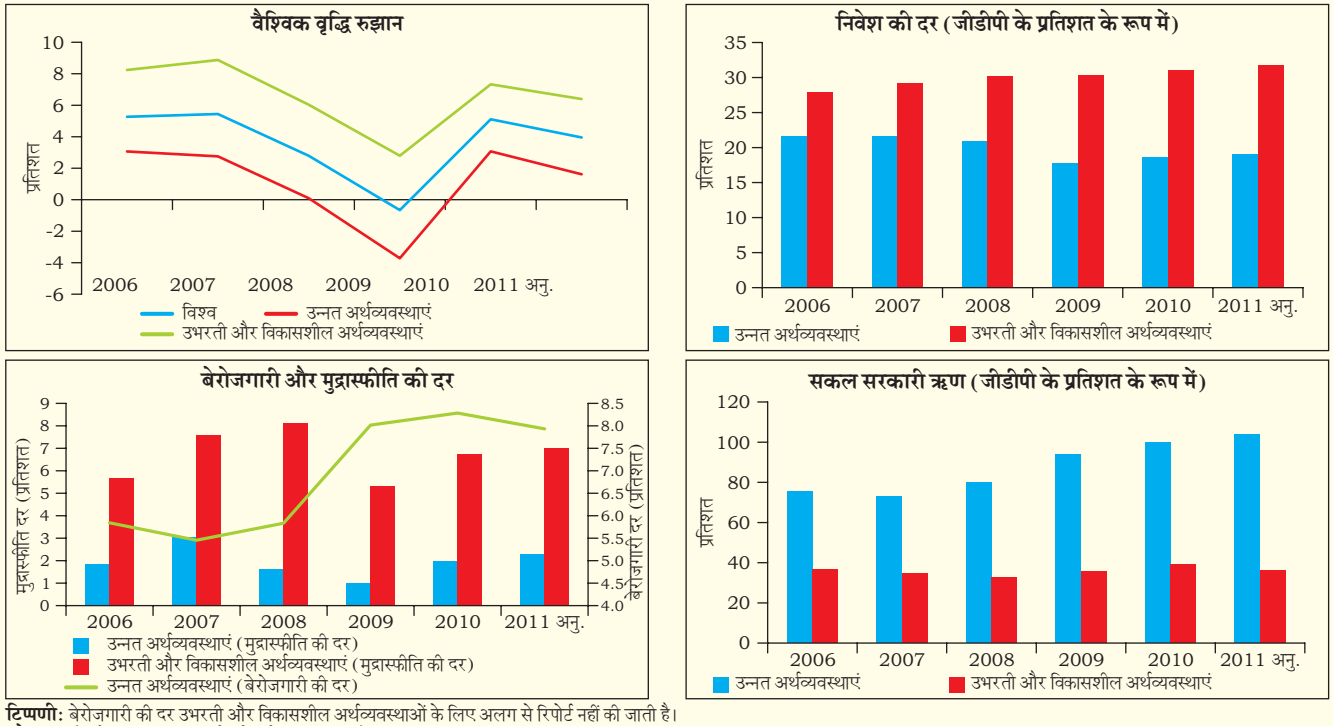

टिप्पणी: बेरोजगारी की दर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए अलग से रिपोर्ट नहीं की जाती है।
स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस से गणना की गई।

दर 8 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर रही है अलबत्ता आइएमएफ के आकलनों के अनुसार इसमें 2011 में कुछ कमी आएगी। मुद्रास्फीतिक दबाव जो 2010 में तेल, खाद्य और वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों के कारण बहुत अधिक हो गये थे, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इनके 2011 में और भी बढ़ने की आशा है।

ऋण पुनर्वापसी संबंधी अनिश्चितता जारी है

2.6 पूर्व खंड में की गयी चर्चा के अनुसार समष्टि आर्थिक पृष्ठभूमि में कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बैंकिंग कारोबार में 2010 में पुनर्वापसी के चिह्न दिखे। संकट के बाद ऋणात्मक वृद्धि जोन में जाने के पश्चात, 2011 की पहली तिमाही में अमरीका, जर्मनी और फ्रांस में बैंक ऋण की वृद्धि में बढ़ोतरी दिखी। लेकिन, अमरीका और अब जर्मनी[1] में भी आर्थिक पुनर्वापसी की तस्वीर के अस्पष्ट होने के कारण अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या यह ऋण पुनर्वापसी जारी रहेगी अथवा नहीं। वास्तव में, अमरीका में 2011 की दूसरी तिमाही में ऋण वृद्धि में फिर गिरावट देखी गई है। 2011 में ब्रिटेन और जापान में बैंक ऋण वृद्धि, जिसमें 2009 की शुरुआत से गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई थी, में बहाली दिखी है, लेकिन यह अभी ऋणात्मक जोन में बनी हुई है। यूरोप की अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं विशेष रूप से राजकोषीय तनावों वाले देशों अर्थात पुर्तगाल, स्पेन और इटली में बैंक ऋण वृद्धि में सीधी गिरावट देखी गई, यहां पर 2011 तक पुनर्वापसी के कोई चिह्न नहीं नजर आ रहे हैं (चार्ट II.2)।

आस्तियों पर आय में मामूली वृद्धि दिखी

2.7 ऋण वृद्धि में तेजी के अलावा आस्तियों पर आय (आरओए), जो बैंकिंग प्रणाली की लाभप्रदता और सुदृढ़ता का एक संकेतक है, में भी 2010 में अमरीका और फ्रांस में मामूली वृद्धि दिखी (सारणी II.1)। अमरीकी बैंकों की आस्तियों पर आय 2008 और 2009 में ऋणात्मक जोन में रहने के पश्चात धनात्मक हो गई; इसमें 2011 (मार्च) में और वृद्धि दिखी। रूस, चीन और मलेशिया की

सारणी II.1: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं के बैंकों की आस्तियों पर आय

देश	2007	2008	2009	2010	2011*
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं					
फ्रांस	0.4	0.0	0.4	0.6	...
जर्मनी	0.3	-0.1	0.2	...	...
ग्रीस	1.0	0.2	-0.1	-0.6	-0.3
इटली	0.7	0.3	0.2	...	...
जापान	0.3	-0.3	0.2	0.4	...
पुर्तगाल	1.2	0.4	0.4	0.5	0.5
स्पेन	1.1	0.8	0.6	0.5	...
ब्रिटेन	0.4	-0.4	0.1	0.2	...
यूनाइटेड स्टेट	1.2	-0.1	-0.1	0.9	1.2
उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं					
रूस	3.0	1.8	0.7	1.9	2.3
चीन	0.9	1.0	0.9	1.0	...
भारत	0.9	1.0	1.1	1.1	...
मलेशिया	1.5	1.5	1.2	1.5	1.8
ब्राजील	3.4	1.5	2.4	3.2	3.3
मैक्सिको	2.3	1.4	1.5	1.8	1.6

स्रोत: आइएमएफ के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक से संकलित।
... उपलब्ध नहीं।
* मार्च को समाप्त अवधि तक।

बैंकिंग प्रणाली की आस्तियों पर आय 2009 और 2010 के बीच बढ़ी जबकि 2008 और 2009 के बीच इन आस्तियों की आय में कमी आई थी। रूस और मलेशिया में आस्तियों पर आय में वृद्धि की प्रवृत्ति 2011(मार्च) में भी जारी रही। भारतीय बैंकों की आस्तियों पर आय में भी 2008 और 2010 के बीच मामूली वृद्धि दिखी।

बैंक शेयरों का निराशाजनक कार्यनिष्पादन

2.8 बैंक शेयर सूचकांकों के परिवर्तन में वैश्विक तौर पर 2009 की शुरुआत से धीमे-धीमे बहाली हो रही है, ये परिवर्तन सामान्य रूप से बैंकों के तुलनपत्र और लाभप्रदता वृद्धि के परिवर्तनों से संबद्ध होते हैं। अमरीका में बैंक शेयरों के मूल्यों में ऊपर की ओर चढ़ाव दिखा लेकिन यह एक संकुचित दायरे में रहा जो इन शेयरों में निवेशकों के कमजोर आत्मविश्वास को दर्शाता है (चार्ट II.3)। 2011 की शुरुआत से अमरीका के बैंक शेयरों में एक असाधारण गिरावट हुई। इसी तरह की गिरावट राजकोषीय रूप से तनावग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं के बैंकों के शेयरों में भी देखी जा सकती है। कुल मिलाकर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और चीन में 2009 की शुरुआत से बैंक

[1] 2011 की पहली तिमाही में अमरीकी जीडीपी में वृद्धि घटकर 0.4 प्रतिशत हो गई और इसके बाद इसमें सुधार आया अलबत्ता थोडा-सा जिससे यह दूसरी तिमाही में बढ़कर 1.3 प्रतिशत हो गई। जर्मनी में 2011 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि 1.3 प्रतिशत थी लेकिन वर्ष की दूसरी तिमाही में घटकर 0.1 प्रतिशत हो गई।

चार्ट II.2: बैंक ऋण वृद्धि का तीन वर्ष का घटता-बढ़ता औसत, प्रतिशत में

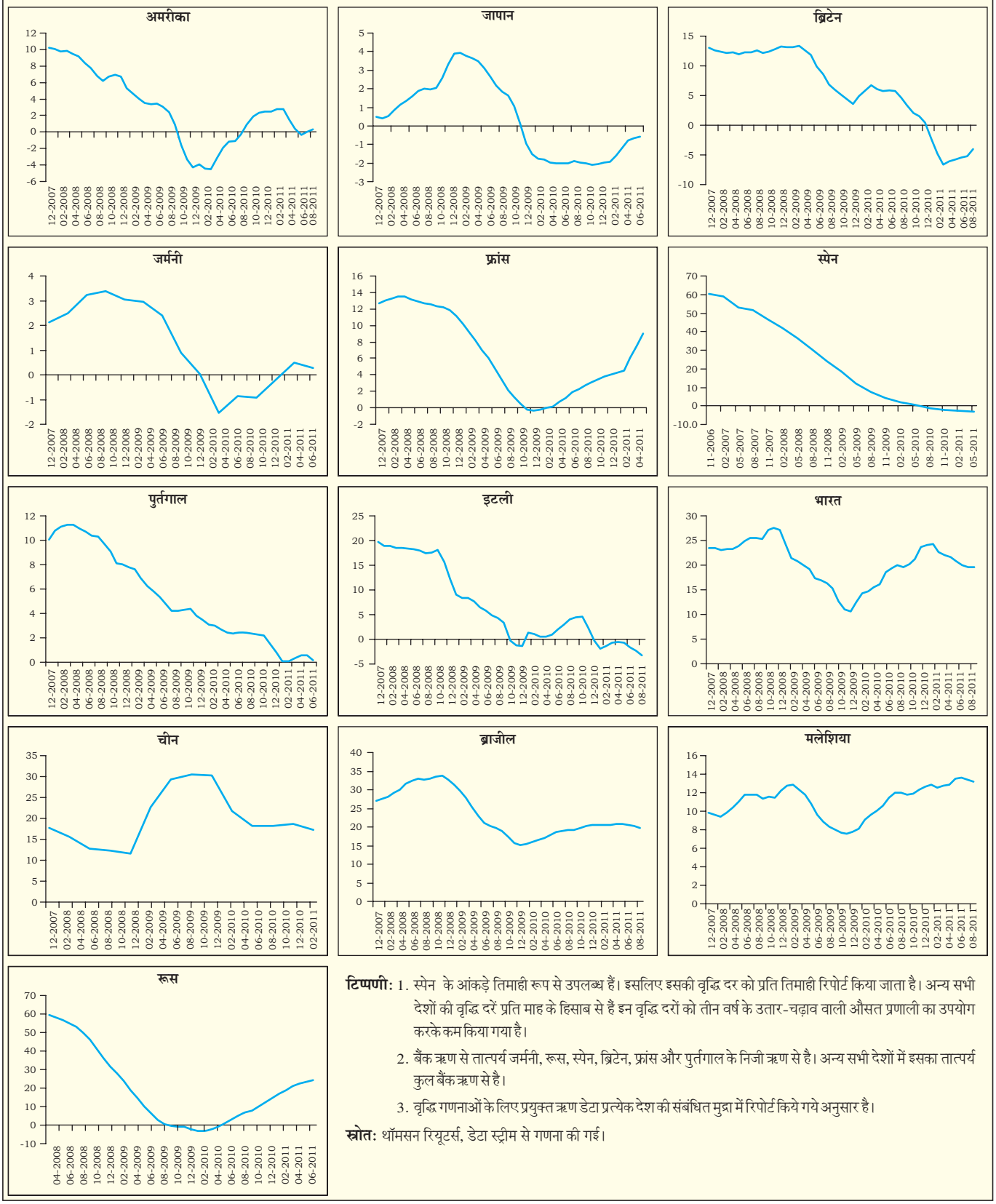

टिप्पणी: 1. स्पेन के आंकड़े तिमाही रूप से उपलब्ध हैं। इसलिए इसकी वृद्धि दर को प्रति तिमाही रिपोर्ट किया जाता है। अन्य सभी देशों की वृद्धि दरें प्रति माह के हिसाब से हैं इन वृद्धि दरों को तीन वर्ष के उतार-चढ़ाव वाली औसत प्रणाली का उपयोग करके कम किया गया है।

2. बैंक ऋण से तात्पर्य जर्मनी, रूस, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल के निजी ऋण से है। अन्य सभी देशों में इसका तात्पर्य कुल बैंक ऋण से है।

3. वृद्धि गणनाओं के लिए प्रयुक्त ऋण डेटा प्रत्येक देश की संबंधित मुद्रा में रिपोर्ट किये गये अनुसार है।

स्रोत: थॉमसन रियूटर्स, डेटा स्ट्रीम से गणना की गई।

चार्ट II.3: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं/अर्थव्यवस्था समूहों में बैंक शेयर सूचकांक

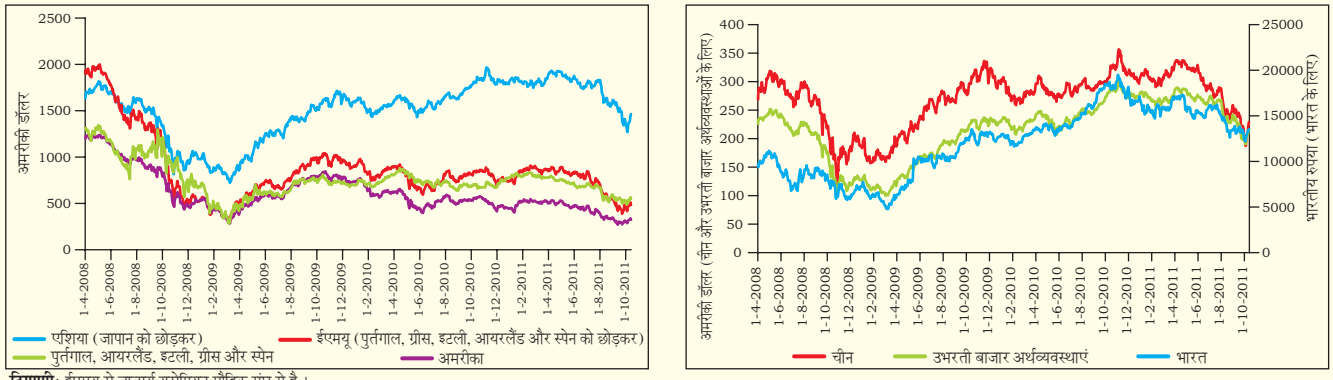

टिप्पणी: ईएमयू से तात्पर्य यूरोपियन मौद्रिक संघ से है ।
स्रोत: थॉमसन रियूटर्स, डेटास्ट्रीम से गणना की गई।

शेयरों के सूचकांकों में ऊपर की ओर बहुत धीमी वृद्धि हुई। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से,भारत में 2009 की शुरुआत से बैंकों के शेयरों में ऊपर की ओर चढ़ाव काफी अधिक रहा जिसके फलस्वरूप इसका सूचकांक 2010 के अंत तक ऊपर की ओर चढ़कर संकट पूर्व के चिह्न तक पहुंच गया।

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार की पुनर्वापसी

2.9 2010-11 (मार्च) में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार की काफी अधिक पुनर्वापसी हुई (रिपोर्टिंग बैंक के स्थान के अनुसार),यह रुझान 2009-10 में भी जारी रहा। 2008-09 के दौरान बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां और देयताएं वित्तीय संकट के पश्चात काफी अधिक संकुचित हो गईं (सारणी II.2)।

सारणी II.2: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं में वृद्धि

मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
कुल आस्तियां	**26.1**	**-17.5**	**0.2**	**5.4**
1. बाह्य आस्तियां	26.6	-17.5	0.1	5.3
कर्ज और जमा राशियां	28.2	-19.0	-1.0	6.7
प्रतिभूतियों और अन्य आस्तियों की धारिताएं	22.1	-13.2	3.0	1.9
2. विदेशी मुद्रा में स्थानीय आस्तियां	22.4	-17.5	0.7	5.7
कुल देयताएं	**26.5**	**-18.0**	**-0.7**	**7.1**
1. बाह्य देयताएं	27.4	-18.6	0.2	6.6
कर्ज और जमाराशियां	26.5	-21.2	-1.3	6.0
प्रतिभूतियों के अपने निर्गम और अन्य देयताएं	33.7	-2.0	7.4	9.5
2. विदेशी मुद्रा में स्थानीय देयताएं	20.8	-14.4	-6.1	10.5

स्रोत: बीआइएस, लोकेशनल बैंकिंग स्टेटिस्टिक्स से गणना की गई।

2.10 अधिकांश उन्नत देशों में अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं (सभी क्षेत्रों की सभी मुद्राओं में) के परिमाण में मार्च 2010 के अंत और मार्च 2011 के अंत के बीच वृद्धि का इसी प्रकार का रुझान दिखा (चार्ट II.4)। उन्नत देशों में से, अमरीका और ब्रिटेन में स्थित बैंकों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि सबसे असाधारण रही। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार में 2011 की पहली तिमाही तक काफी अधिक गति आ गयी। लैटिन अमरीका के बैंकों ने प्रतिभूतियों के निर्गम का बड़े पैमाने पर सहारा लिया जिससे इन बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में तीव्र वृद्धि हुई।

बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता

1. पूंजी पर्याप्तता के स्तर में वृद्धि

2.11 अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों की पूंजी पर्याप्तता का स्तर 2008 और 2010 के बीच धीमी गति से बढ़ा (सारणी II.3)। 2010 तक ब्रिटेन, अमरीका, जापान और जर्मनी में जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 15 प्रतिशत के ऊपर रखा गया। 2011 की पहली तिमाही में अमरीका और जर्मनी के बैंकों के इस अनुपात में और वृद्धि दिखी। लेकिन, प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी पर्याप्तता का स्तर 2009 और 2010 के बीच मामूली रूप से गिरा, चीन, भारत और मैक्सिको इसके अपवाद रहे। मैक्सिको और चीन दोनों के बैंकों में मार्च 2011 तक उनकी पूंजी में मामूली गिरावट हुई।

चार्ट II.4: उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां/देयताएं

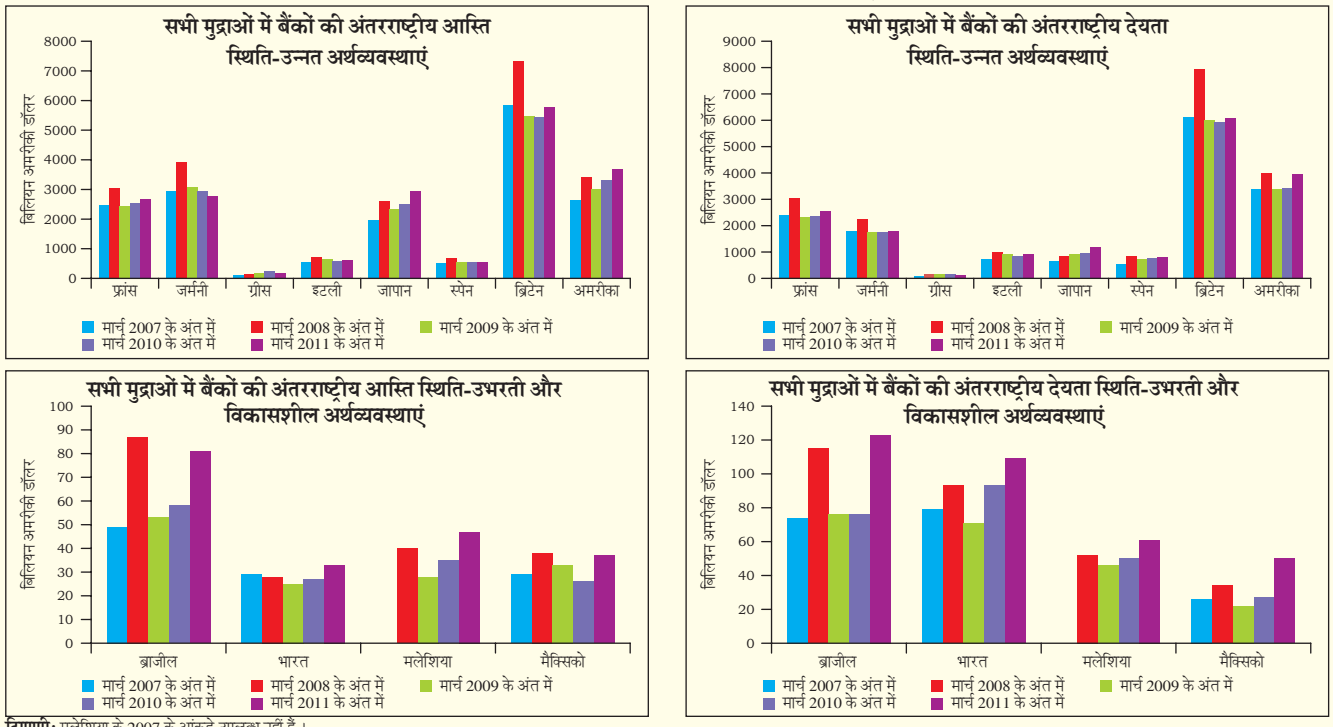

टिप्पणी: मलेशिया के 2007 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।
स्रोत: बीआइएस स्थानीय बैंकिंग सांख्यिकी से समेकित।

सारणी II.3: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात

देश	2007	2008	2009	2010	2011*
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं					
फ्रांस	10.2	10.5	12.4	12.3	...
जर्मनी	12.9	13.6	14.8	16.1	16.6
ग्रीस	11.2	9.4	11.7	11.4	12.3
इटली	10.4	10.8	12.1	12.3	...
जापान	12.3	12.4	15.8	16.7	...
पुर्तगाल	10.4	9.4	10.5	10.2	10.5
स्पेन	11.4	11.3	12.2	11.8	...
ब्रिटेन	12.6	12.9	14.8	15.9	...
अमरीका	12.8	12.8	14.3	15.3	15.5
उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं					
ब्राजील	18.7	18.2	18.9	17.6	18.2
चीन	8.4	12.0	11.4	12.2	11.8
भारत	12.3	13.0	13.2	13.6	...
मलेशिया	14.4	15.5	18.2	17.5	16.4
मैक्सिको	15.9	15.3	16.5	16.9	16.5
रूस	15.5	16.8	20.9	18.1	17.2

स्रोत: आइएमएफ के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक से संकलित।
... उपलब्ध नहीं।
* मार्च को समाप्त अवधि तक।

2. लीवरेज में असमान गिरावट

2.12 संकट के पश्चात भिन्न-भिन्न देशों के बीच बैंकिंग क्षेत्र के लीवरेज में असमान गिरावट आई; यहां पर कुल आस्तियों की तुलना में कुल पूंजी (और आरक्षित निधियां) के अनुपात को बैंकिंग प्रणाली[2] में लीवरेज के एक संकेतक के रूप में लिया गया है। अमरीका में 2008 और 2010 के बीच बैंकिंग प्रणाली के लीवरेज में कुछ कमी दिखी (चार्ट II.5)। अमरीकी बैंकों का यह रुझान 2011 की पहली तिमाही में आगे जारी रहा। 2008 और 2010 के बीच ब्रिटेन के बैंकों के लीवरेज में भी कुछ कमी देखी जा सकती है। इस कमी के बावजूद भी ब्रिटेन के बैंकों के लीवरेज की मात्रा सापेक्षिक रूप से उच्च स्तर पर बनी रही। 2008 को संदर्भ बिंदु मानते हुए अन्य उन्नत यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं अर्थात फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, ग्रीस और स्पेन की बैंकिंग प्रणाली की डिलीवरेजिंग में कोई अधिक गति नहीं आई।

[2] बासेल III के नियम पाठ के अंतर्गत बीसीबीएस द्वारा प्रस्तुत लीवरेज अनुपात के आधार प्रस्ताव के अनुसार, (i) *पूंजी* मापन में टियर I पूंजी और टियर I पूंजी के प्रभावी रूप को शामिल किया जाना चाहिए, जबकि (ii) कुल *एक्सपोजर* में सभी प्रावधानों और अन्य मूल्यन समायोजनों को घटाकर निकले एक्सपोजर को शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान विश्लेषण में प्रयुक्त लीवरेज के मापन को प्रारंभिक के रूप में उल्लिखित किया गया है। यह अपने वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक (एफएसआइ) डेटाबेस में आइएमएफ द्वारा प्रदान किये गये मापन का सीधी तौर पर अनुगमन करता है। यह उल्लेखनीय है कि आइएमएफ इस मापन की चर्चा करते समय इसे ''लीवरेज अनुपात'' के रूप में उल्लेख करता है: देखें एफएसआइ की ''संकल्पना और परिभाषा'', <www.imf.org>।

चार्ट II.5: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं की बैंकिंग प्रणाली में लीवरेज

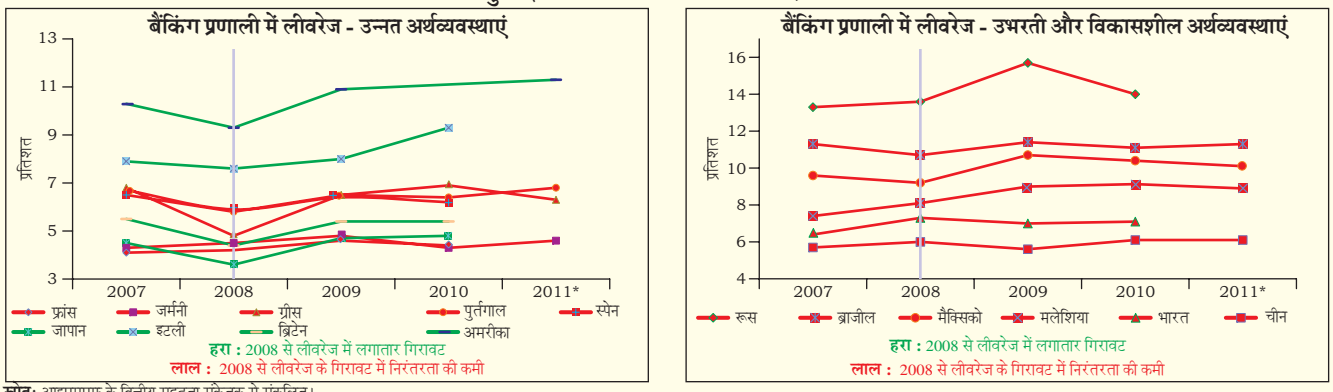

स्रोत: आइएमएफ के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक से संकलित।
* मार्च को समाप्त अवधि तक।

2.13 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग प्रणालियां सामान्य रूप से अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम लीवरेज्ड रहीं। लेकिन, संकट की अवधि के दौरान इन अर्थव्यवस्थाओं की बैंकिंग प्रणालियों के लीवरेज में कोई गोचर वृद्धि के चिह्न नहीं दिखे। 2008 को संदर्भ बिंदु मानने पर, संकट की अवधि के पश्चात कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बैंकिंग प्रणालियों के लीवरेज में वृद्धि हुई। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (सितंबर 2011) में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बैंकिंग प्रणालियों में रिलीवरेजिंग को एक प्रमुख चिंता के रूप में दिखाया गया है।

3. कमजोर होती आस्ति गुणवत्ता

2.14 वैश्विक रूप से, वित्तीय संकट के प्रारंभ से बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (सितंबर 2011) के अनुसार ऋण जोखिम बढ़े हैं और वे वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए प्रमुख संभावित जोखिम बने हुए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ऋण जोखिम की वृद्धि ने वास्तविक अर्थव्यवस्था के सुधारों को पीछे छोड़ दिया। अमरीका को छोड़कर 2008 और 2010 के बीच अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अनर्जक कर्ज़ (एनपीएल) अनुपात की बढ़ती प्रवृत्ति बनी रही। अमरीका में 2009 और 2010 के बीच आस्ति गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ जो 2011 की पहली तिमाही में जारी रहा (चार्ट II.6)। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बिल्कुल विपरीत, कई प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में संकट के बाद के वर्षों में आस्ति गुणवत्ता में काफी अधिक सुधार दिखा। चीन में आस्ति गुणवत्ता विशेष रूप से सुदृढ़ बनी रही।

चार्ट II.6: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

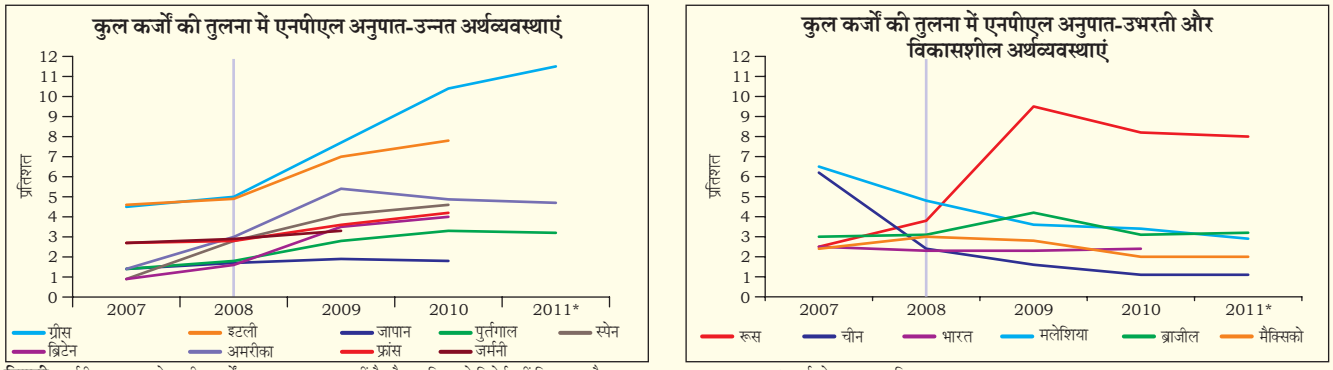

टिप्पणी: जर्मनी का 2010 के एनपीए कर्जों का अनुपात उपलब्ध नहीं है और इसलिए इसे रिपोर्ट नहीं किया गया है।
स्रोत: आइएमएफ के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक से संकलित।
* मार्च को समाप्त अवधि तक।

बढ़ते सीडीएस स्प्रैड जोखिम बोध के बढ़ने का संकेत दे रहे हैं

2.15 2010-11 के दौरान वैश्विक बैंकों के सीडीएस स्प्रैड में सामान्य रूप से वृद्धि हुई साथ ही इसमें गिरावट सविराम अवधियों में हुई (चार्ट II.7)। 2011 के दौरान सीडीएस स्प्रैड में मध्य अप्रैल तक गिरावट हुई और इसके बाद इसमें वृद्धि हुई। कुछ देशों विशेष रूप से यूरो जोन के कुछ देशों की आर्थिक हैसियत पर हाल के महीनों में गंभीर प्रश्न चिह्न खड़े होने से, वैश्विक बैंकों का सीडीएस स्प्रैड बढ़ रहा है साथ ही सरकारी ऋण से जुड़े जोखिम भी बढ़ रहे हैं (चार्ट II.7)। ग्रीस के मामले में सोवरेन सीडीएस स्प्रैड 15 सितंबर 2011 तक बहुत तेजी से बढ़ा है जो सरकारी ऋण जोखिमों की बढ़ती गंभीरता को परिलक्षित करता है (चार्ट II.8)।

चार्ट II.7: वैश्विक बैंकों का सीडीएस स्प्रैड

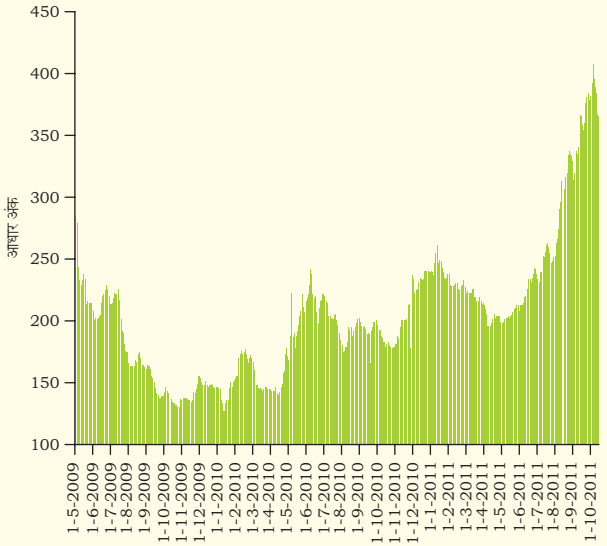

स्रोत: ब्लूमबर्ग

2.16 सितंबर 2008 के दौरान विभिन्न देशों में बैंकों का सीडीएस स्प्रैड काफी अधिक बढ़ गया था (चार्ट II.8)। स्प्रैड में अगले महीने कुछ कमी आई और यूरो क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश उन्नत और आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं में यह 2010 और 2011 की पहली छमाही में कम बना रहा। न केवल यूरो क्षेत्र में बल्कि विश्व के अन्य भागों में भी बैंकों का सीडीएस स्प्रैड 2011 की तीसरी तिमाही में बढ़ रहा है।

चार्ट II.8: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में देशों और बैंकों का सीडीएस स्प्रैड

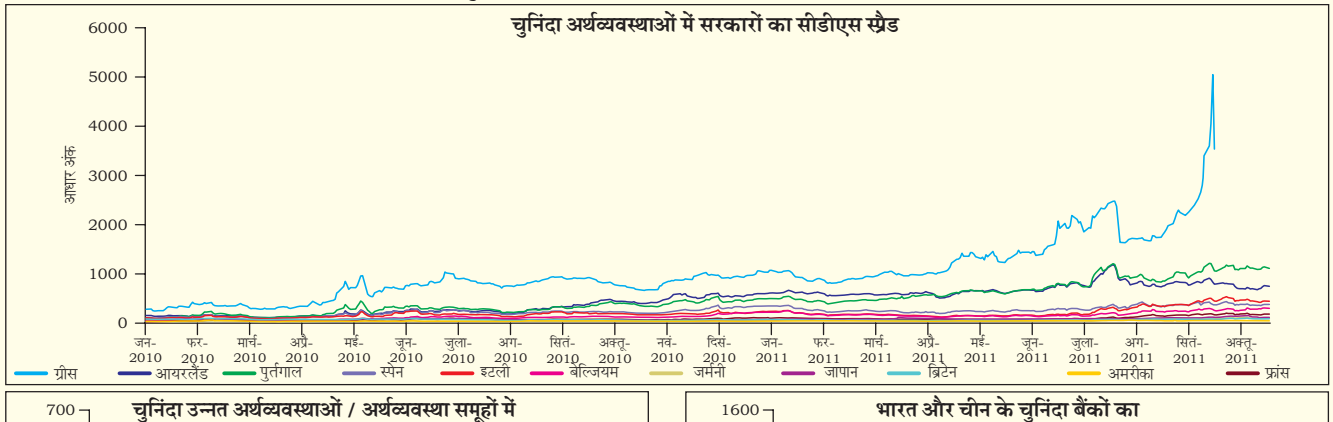

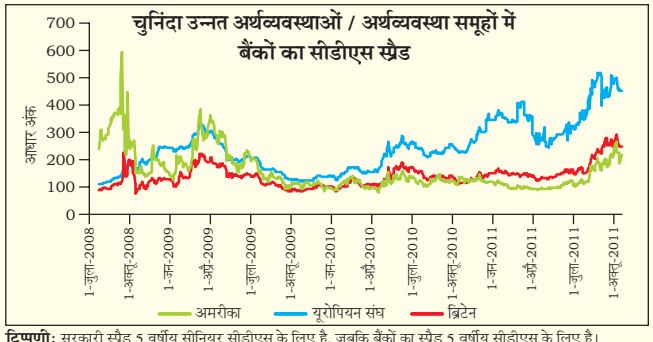

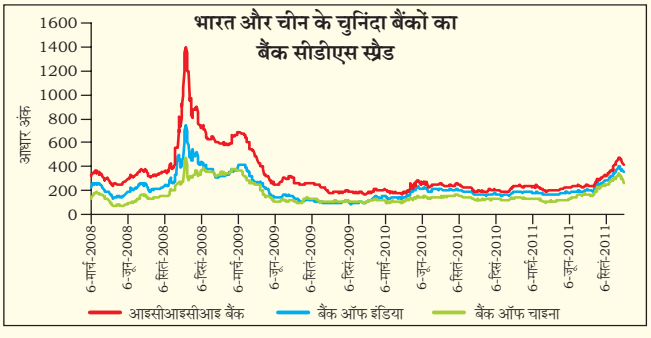

टिप्पणी: सरकारी स्प्रैड 5 वर्षीय सीनियर सीडीएस के लिए है, जबकि बैंकों का स्प्रैड 5 वर्षीय सीडीएस के लिए है।
स्रोत: सरकारी स्प्रैड के लिए ब्लूमबर्ग और बैंकों के स्प्रैड के लिए थॉमसन रियूटर्स, डेटा स्ट्रीम।

चार्ट II.9: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं की बैंकिंग सेवाओं तक जनसांख्यिकीय पहुंच

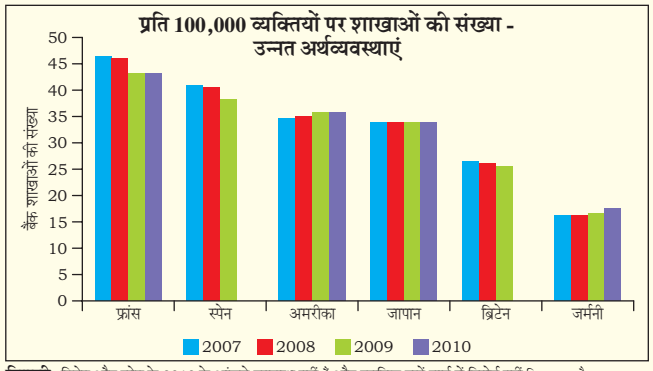

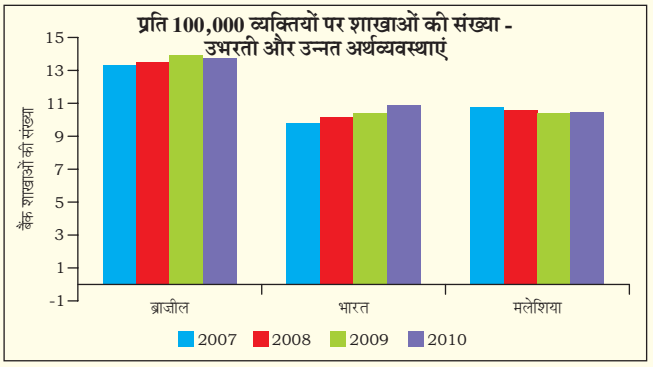

टिप्पणी: ब्रिटेन और स्पेन के 2010 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है और इसलिए उन्हें चार्ट में रिपोर्ट नहीं किया गया है।
स्रोत: फाइनेंशियल एक्सेस सर्वे, आईएमएफ से समेकित।

बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच और उपयोग की प्रवृत्ति

संकट के फलस्वरूप वित्तीय वंचना में वृद्धि की संभावना

2.17 हाल के वर्षों में वित्तीय समावेशन उन्नत और उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग नीति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। विशेष रूप से वित्तीय संकट के पश्चात इसे प्रमुख स्थान प्राप्त हो गया है। ऐसा इस कारण है क्योंकि संकट के पश्चात विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय वंचना में वृद्धि की संभावना की चिंताएं पैदा हो गई हैं। बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच और उपयोग पर विश्व बैंक से प्राप्त हाल के आंकड़े बताते हैं कि ये चिंताएं गलत नहीं हैं। बैंक शाखाओं के बंद होने के परिणामस्वरूप संकट से प्रभावित कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में कमी आई है (चार्ट II.9)। विश्व बैंक की "फाइनेंशियल एक्सेस" रिपोर्ट में उल्लेख के अनुसार आर्थिक वृद्धि के घटने का कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में खुदरा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ा और बैंकों की शाखाएं इस प्रभाव[3] की एक शिकार बनीं। बैंक सेवाओं के उपयोग में भी कमी आई। बैंकिंग सेवाओं के उपयोग में गिरावट सबसे अधिक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में रही। यह गिरावट जमा सेवाओं की तुलना में ऋण सेवाओं के उपयोग में ज्यादा मुखर और व्यापक थी (चार्ट II.10 और II.11)।

3. चुनिंदा क्षेत्रों और देशों में बैंकिंग प्रवृत्तियां

अमरीकी बैंकिंग प्रणाली - कमजोर बहाली के चिह्न

2.18 2010 में अमरीकी बैंकिंग प्रणाली के कार्यनिष्पादन में वित्तीय संकट के समय से बहाली के चिह्न दिखे, लेकिन ऐतिहासिक

चार्ट II.10: विभिन्न चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग - जमाराशियां

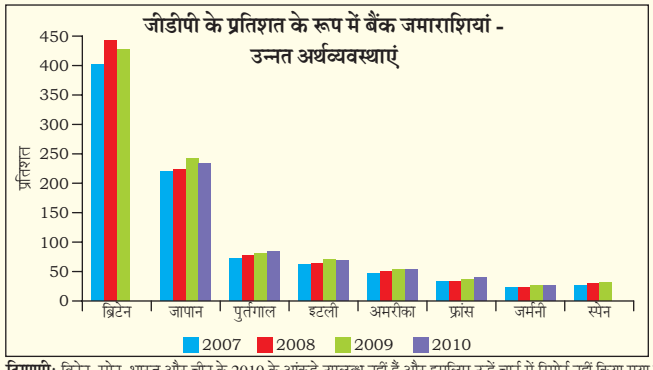

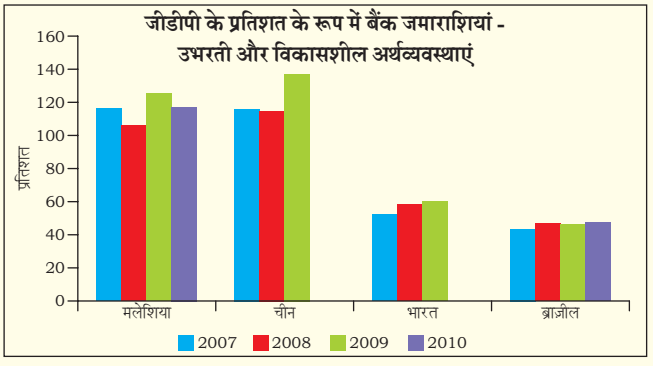

टिप्पणी: ब्रिटेन, स्पेन, भारत और चीन के 2010 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए उन्हें चार्ट में रिपोर्ट नहीं किया गया है।
स्रोत: फाइनेंशियल एक्सेस सर्वे, आईएमएफ से समेकित।

[3] *फाइनेंशियल एक्सेस 2010 - दि स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूशन थ्रू दि क्राइसेज; सीजीएपी, विश्व बैंक।*

चार्ट II.11: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग - ऋण

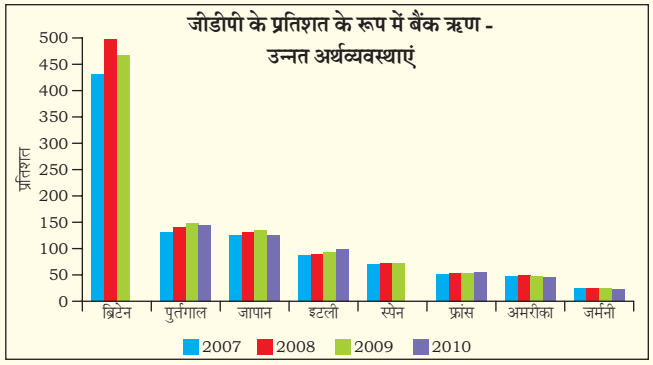

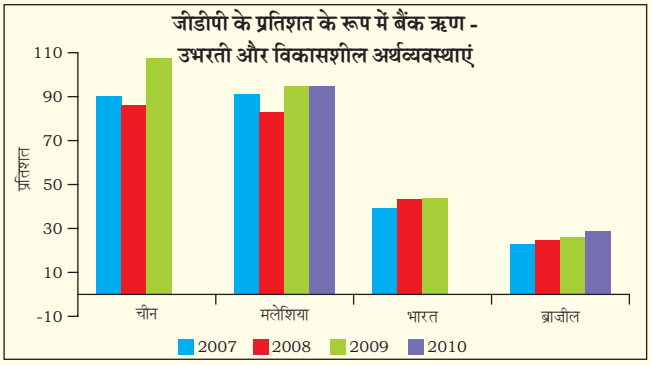

टिप्पणी: ब्रिटेन, स्पेन, भारत और चीन के 2010 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए उन्हें चार्ट में रिपोर्ट नहीं किया गया है।
स्रोत: फाइनेंशियल एक्सेस सर्वे, आईएमएफ से समेकित।

मानकों के अनुसार यह बहाली कमजोर बनी रही। अमरीकी बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों में 2008-09 के 3.9 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि से 2009-10 में 2.1 प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई। यह बहाली व्यापक रूप से 1 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के आस्ति आकार वाले अमरीकी बैंकों के कारण हुई जिसमें कुल आस्तियों का लगभग 90 प्रतिशत अमरीकी बैंकिंग क्षेत्र का था (चार्ट II.12)।

चार्ट II.12: अमरीकी बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति वृद्धि

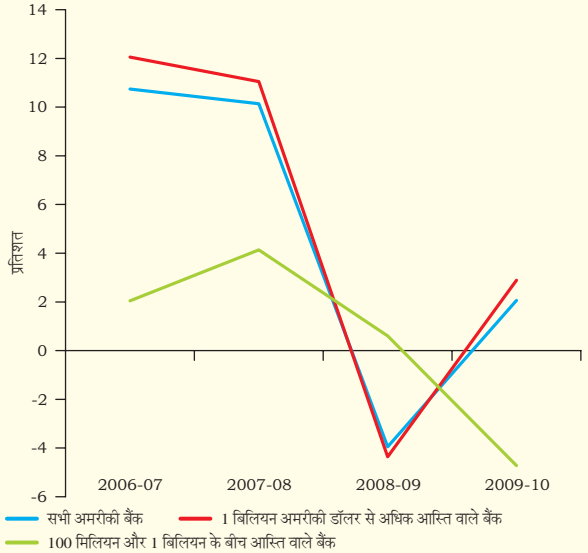

स्रोत: एफडीआइसी डेटाबेस के डेटा का प्रयोग करते हुए गणना की गई।

ऋण औद्योगिक क्षेत्र तक सीमित बना रहा

2.19 अमरीकी बैंकों के तुलन पत्र के प्रमुख घटकों में से एक ऋण था जिसको संकट के कारण सबसे अधिक आघात लगा। जैसाकि पूर्व खंड में पहले ही उल्लेख किया गया है, अमरीकी बैंकों के ऋण में वृद्धि सितंबर 2009 से ऋणात्मक हो गई और अगस्त 2010 में एक वर्ष पश्चात धनात्मक जोन में पहुंच गयी लेकिन 2011 में इसमें पुनः कमी के चिह्न दिखने लगे (देखें पूर्व का चार्ट II.2)। वह क्षेत्र, जिसे संकट के फलस्वरूप हुई ऋण और आर्थिक दोनों की वृद्धि में गिरावट के कारण सबसे अधिक आघात लगा, अमरीका का वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र था। वाणिज्यिक/औद्योगिक और स्थावर संपदा दोनों क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण 2009-10 में भी प्रतिबंधित बने रहे क्योंकि वैयक्तिक ऋण विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड में, निम्न आधार और बेहतर आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में अमरीकी उपभोक्ताओं के विश्वास में कुछ सुधार के कारण, काफी अधिक पुनर्वापसी दिखी (चार्ट II.13)।

अनर्जक कर्जों का उच्च स्तर

2.20 अनर्जक कर्जों का उच्च स्तर, विशेष रूप से स्थावर संपदा क्षेत्र में, अमरीकी बैंकिंग प्रणाली में सबसे कमजोर स्थल बना रहा, जैसाकि फेडरल रिज़र्व की वार्षिक रिपोर्ट (2010) में कहा गया। स्थावर संपदा कर्जों की चूक दर 2010 की दूसरी तिमाही में 10 प्रतिशत से ऊपर थी (चार्ट II.14)[4]। बाद की तिमाहियों में यह दर मामूली रूप से कम हुई लेकिन अभी भी काफी ऊंचाई पर बनी हुई है।

[4] चूक दर को 30 दिन अथवा अधिक तक देय कर्ज तथा अभी भी उपचित हो रहे ब्याज और गैर उपचित स्थिति वाले ब्याज के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे मौसमी तौर पर समायोजित किया जाता है। इसलिए इन दरों की तुलना पूर्व में दिये गये चार्ट II.6 के एनपीएल अनुपात से नहीं की गई है।

चार्ट II.13: अमरीका के बैंकों की ऋण वृद्धि की सेक्टोरल दरें

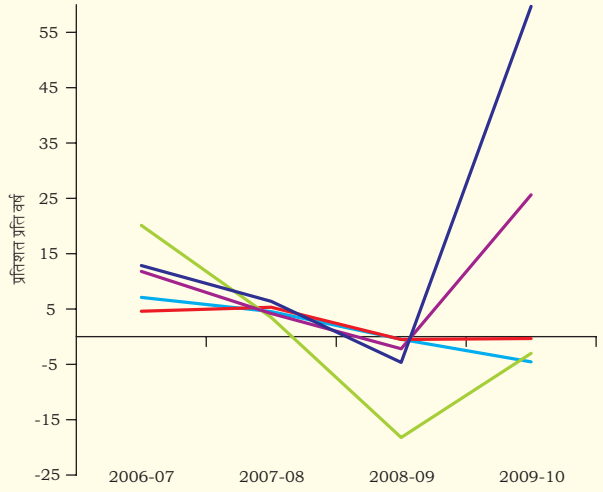

स्रोत: एफडीआइसी डेटाबेस के डेटा का प्रयोग करते हुए गणना की गई।

चार्ट II.15: यूरो क्षेत्र में बैंकों के तुलन पत्र संकेतक

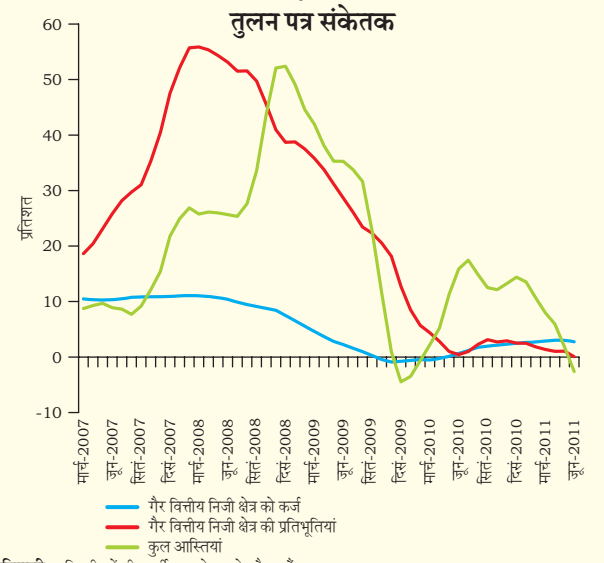

टिप्पणी: वृद्धि की दरें तीन वर्षीय घटते-बढ़ते औसत हैं।
स्रोत: ईसीबी डेटाबेस से गणना की गई।

यूरो क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली : ऋण की पुनर्वापसी संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं

2.21 कुल स्तर पर, यूरो क्षेत्र की बैंकिंग दशाओं में सुधार के चिह्न दिखे, ये चिह्न 2010 में निजी ऋण तथा निजी क्षेत्र की प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश में वृद्धि की पुनर्वापसी के रूप में दिखे (चार्ट II.15)। लेकिन, अलग-अलग स्तर पर, ऋण पुनर्वापसी की चिंताओं ने राजकोषीय तौर पर संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों को त्रस्त करना जारी रखा। यूरो क्षेत्र में लघु और मझौले उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण की पुनर्वापसी संबंधी चिंताएं बनी रहीं, यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर बैंक वित्त पर निर्भर है (चार्ट II.16)।

चार्ट II.14: अमरीका के बैंकों की सेक्टोरल चूक दरें

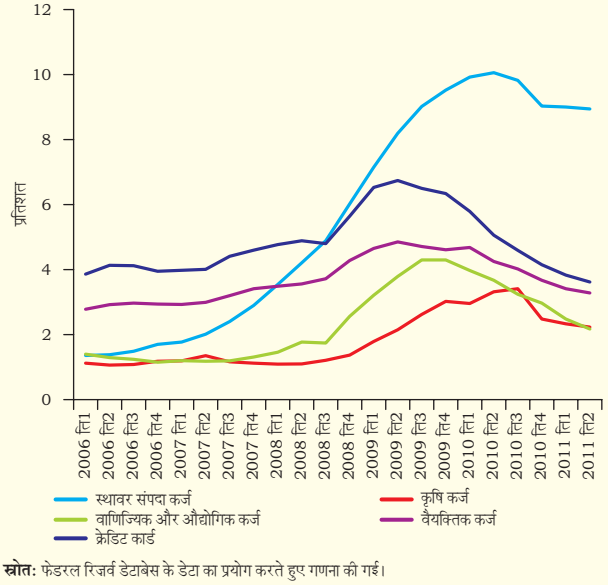

स्रोत: फेडरल रिजर्व डेटाबेस के डेटा का प्रयोग करते हुए गणना की गई।

चार्ट II.16: यूरो क्षेत्र में एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण दशाओं के बारे में प्रत्याशाएं

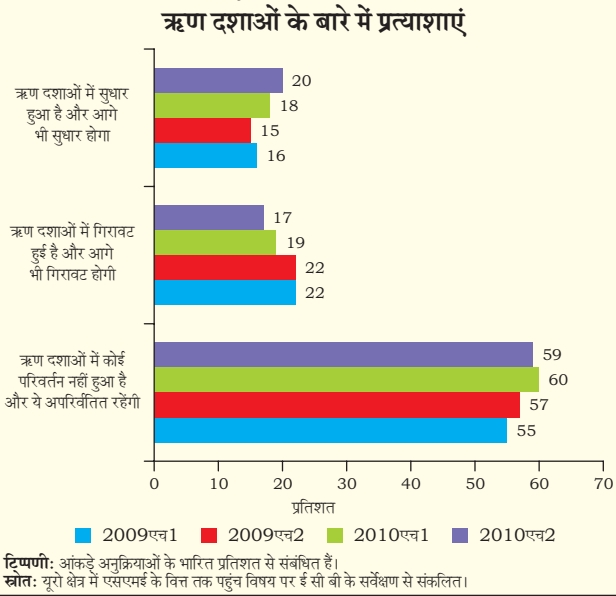

टिप्पणी: आंकड़े अनुक्रियाओं के भारित प्रतिशत से संबंधित हैं।
स्रोत: यूरो क्षेत्र में एसएमई के वित्त तक पहुंच विषय पर ई सी बी के सर्वेक्षण से संकलित।

यूरो क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली पर सरकारी ऋण संकट का प्रभाव

2.22 सरकारी ऋण विशेष रूप से देश के सरकारी ऋण, सामान्यतयः बैंकों के तुलन पत्र का एक महत्त्वपूर्ण भाग होते हैं। सरकारी ऋण की साख गिरने और परिणामस्वरूप हानि होने से यूरो क्षेत्र के देशों के बैंकों के तुलनपत्र, विशेष रूप से राजकोषीय तौर पर पंगु देशों में, काफी अधिक कमजोर हो गये हैं। इसके अलावा, देश के साख संबंधी बढ़ते जोखिमों ने भी यूरो क्षेत्र के बैंकों के लिए निधीयन जोखिम को बढ़ाया है। यह 2010 के मध्य से यूरोबोर (यूरो अंतर बैंक प्रस्तावित दर) में बढ़ रहे रुझान से स्पष्ट है (चार्ट II.17)। यह उल्लेखनीय है कि सरकारी ऋण संकट से बुरी तरह प्रभावित स्पेन, इटली और ग्रीस की जमा दरें, जो यूरो क्षेत्र के अन्य देशों अर्थात फ्रांस और जर्मनी में प्रचलित दरों की तुलना में अधिक थीं, इन अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों के लिए निधीयन संबंधी तनाव पुनः दर्शा रही हैं (चार्ट II.18)।

सरकारी ऋण के विभिन्न देशों के बीच एक्सपोज़र से संबंधित जोखिम

2.23 यूरो क्षेत्र में सरकारी ऋण संबंधी चिंताओं के सामने आने से, यूरो क्षेत्र के देशों के सरकारी ऋण के प्रति एक्सपोज़र वाले बैंकों की स्थिरता पर चिंताएं खड़ी हो गई हैं, विशेष रूप से सरकारी ऋण के विभिन्न देशों के बीच एक्सपोज़र के कारण (बॉक्स II.1)।

चार्ट II.17: यूरो अंतर बैंक प्रस्ताव दर में उतार-चढ़ाव

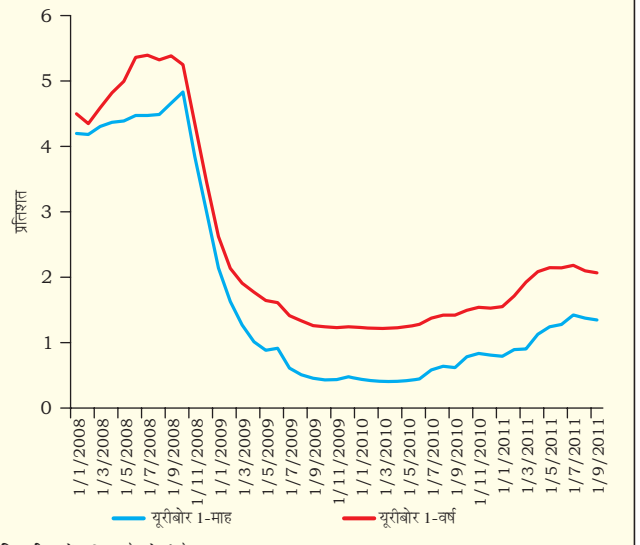

टिप्पणी: दरें मासिक औसतों की हैं।
स्रोत: ईसीबी डेटाबेस से संकलित।

चार्ट II.18: गैर वित्तीय निगमों की बैंक जमाराशियों पर ब्याज दरें (एक वर्ष से कम परिपक्वता वाली), चुनिंदा यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं

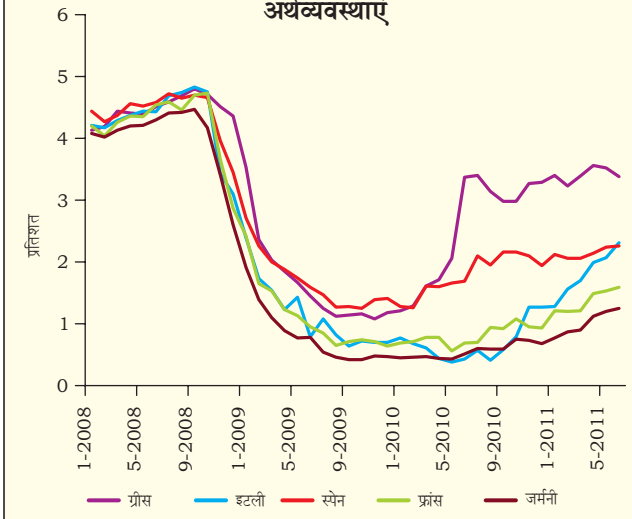

स्रोत: यूरोस्टेट डेटाबेस से संकलित।

ब्रिटेन की बैंकिंग प्रणाली : लीवरेज और ऋण जोखिम उच्च स्तर पर हैं

2.24 2010-11 में ब्रिटेन की बैंकिंग प्रणाली में मामूली डिलीवरेजिंग दिखी और थोक निधीयन पर इसकी निर्भरता घटी, परन्तु यूरो क्षेत्र में इसके सहभागियों की स्थिति विपरीत रही। इसके बाद भी, ब्रिटेन की बैंकिंग प्रणाली कुछ चिंताओं से निरंतर घिरी रही; एक, डिलीवरेजिंग के बावजूद, ब्रिटेन के बैंकों के लिए लीवरेज का स्तर अभी भी अधिक बना हुआ है। दूसरा, निजी ऋण वृद्धि काफी अधिक कमजोर बनी हुई है जैसा कि पहले ही चार्ट पैनल II.2 में दर्शाया गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के ऋण स्थिति सर्वेक्षण के अनुसार ऋण उपलब्धता में सुधार संबंधी निकट मध्यमकालिक प्रत्याशाएं क्षीण हो रही हुई हैं, विशेष रूप से मध्यमकालिक उद्यमों के लिए (चार्ट II.19)। तीन, ऋण जोखिम अभी भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं, जैसाकि पूर्व में चार्ट II.6 में वर्णित किया गया है। सेक्टोरल स्तर पर, बैंक ऋण के बेजमानती घटक अर्थात क्रेडिट कार्ड कर्ज के लिए ऋण जोखिम बढ़े हैं (चार्ट II.20)।

चीनी बैंकिंग प्रणाली -आस्ति गुणवत्ता के कमजोर होने संबंधी चिंताएं

2.25 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से, चीन ने 2009 में अपनी बैंकिंग प्रणाली के आस्ति आकार में तीव्र विस्तार किया, यह वह समय

बॉक्स II.1: यूरोप के बैंकों का यूरो क्षेत्र के सरकारी ऋण के प्रति एक्सपोजर

उनके अपने देश के सरकारी ऋण के प्रति एक्सपोजर के अलावा, यूरो क्षेत्र के कुछ राष्ट्रों के बैंको का विभिन्न देशों के सरकारी ऋण के प्रति एक्सपोजर भी बहुत अधिक है (सारणी नीचे)। उदाहरण के तौर पर, जर्मनी की सुदृढ़ राजकोषीय स्थिति के बावजूद यूरो क्षेत्र के अन्य देशों, जिनके सामने ऋण धारणीयता की समस्यायें हैं, के सरकारी ऋणों के प्रति इसका एक्सपोजर सापेक्षिक रूप से अधिक है। जर्मनी और फ्रांस के बैंक अन्य देशों की तुलना में इटली के सरकारी ऋण के प्रति सापेक्षिक रूप से अधिक एक्सपोज्ड हैं। बैंकों के सरकारी ऋण के विभिन्न देशों में अधिक एक्सपोजर के कारण, यदि कोई हेयरकट / पुनर्गठन किया जाता है तो यह उन देशों के बैंकों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है जिनकी अन्यथा राजकोषीय स्थिति सुदृढ़ है।

सारणी: बैंकों का सरकारी ऋण के प्रति एक्सपोजर

(यूरो मिलियन में)

		सरकारी ऋण के प्रति एक्सपोजर				
		ग्रीस	आयरलैंड	पुर्तगाल	इटली	स्पेन
के प्रति बैंकों का एक्सपोजर	ग्रीस	56,148	-	-	-	-
	आयरलैंड	-	5,322	257	-	-
	पुर्तगाल	1,739	839	13,707	1,179	345
	इटली	1,778	239	304	1,44,856	1,383
	स्पेन	1,016	-	6,807	6,017	2,03,310
	फ्रांस	11,624	2,476	4,864	48,185	6,592
	जर्मनी	18,718	12,922	10,888	72,717	31,854
	ब्रिटेन	4,131	5,580	2,571	10,029	5,916
	नीदरलैंड	3,160	559	2,272	10,313	1,685

टिप्पणी: यूरो क्षेत्र के चुनिंदा देशों की सूची में प्रमुख स्रोतों और सरकारी ऋणों के स्थान को कवर किया गया है और यह व्यापक नहीं है।

स्रोत: ब्लंडेल विगनाल, ए. और पी. स्लोविक (2010) ''दि ईयू स्ट्रेस टैस्ट एंड सोवरेन डेट एक्सपोजर्स'' *ओईसीडी वर्किंग पेपर्स ऑन फाइनेंस, इंस्योरेंस एंड प्राइवेट पेंशंस*, सं.4 ।

था जब संकट के पश्चात अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियां संकुचन अवस्था में थीं। बैंक की आस्तियों और ऋण में वृद्धि 2009 के अंत में चरम स्थिति पर पहुंच गयी तथा इसके पश्चात इसमें गिरावट आई (चार्ट II.21)। फिर भी, चीन में ऋण वृद्धि 2010 में उच्च स्तर पर बनी रही। ऋण में तीव्र वृद्धि से निकट भविष्य में चीन के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता के कमजोर होने संबंधी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं।

4. विश्व के 100 शीर्ष बैंकों के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण

आस्ति के अनुसार शीर्ष के बैंकों में उल्लेखनीय बदलाव

2.26 2009 और 2010 के बीच शीर्ष के 20 वैश्विक बैंकों का रैंक कोरिलेशन कोइफीशियंट 0.83 था। कोरिलेशन कोइफीशियंट में लगातार वृद्धि हुई क्योंकि बैंकों के सैंपल को बढ़ाकर 50 शीर्ष बैंक और फिर 100 शीर्ष बैंक तक किया गया। सैंपल आकार में वृद्धि के साथ

चार्ट II.19: ब्रिटेन में एसएमई के लिए बैंक ऋण उपलब्धता संबंधी प्रत्याशाएं

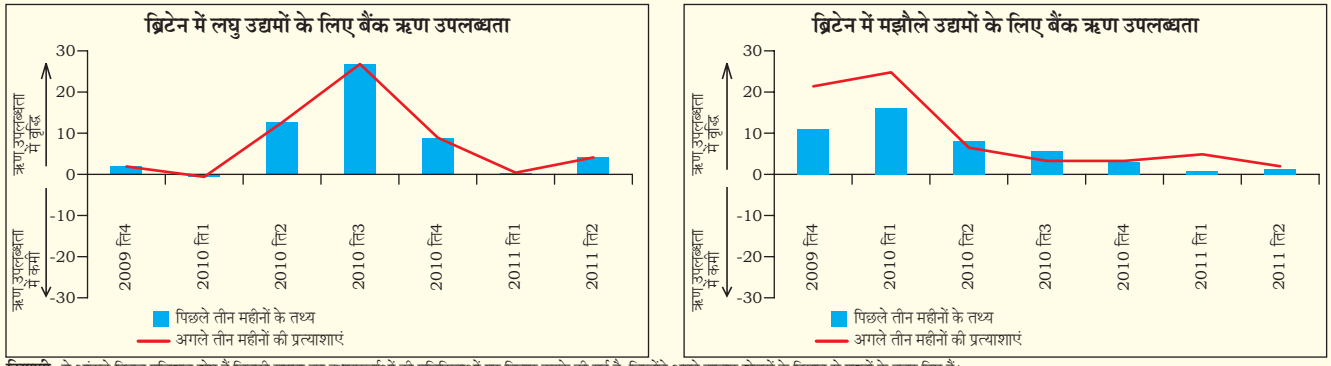

टिप्पणी: ये आंकड़े निवल प्रतिशत शेष हैं जिनकी गणना उन उधारकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं पर विचार करके की गई है, जिन्होंने अपने बाजार शेयरों के हिसाब से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं।
स्रोत: बैंक ऑफ इंग्लैंड, क्रेडिट कंडीशंस सर्वे।

चार्ट II.20: ब्रिटेन के बैंकों की बट्टा दरें

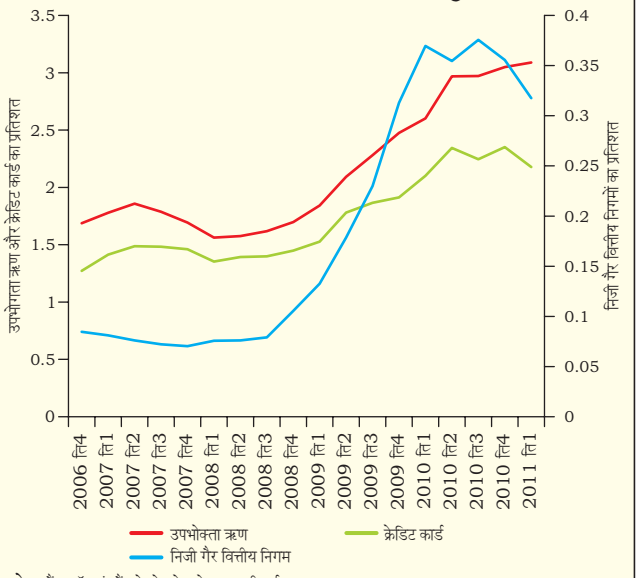

स्रोत: बैंक ऑफ इंग्लैंड के डेटाबेस से गणना की गई।

रैंक कोरिलेशन कोइफीशियंट में वृद्धि से पता चलता है कि आस्ति के अनुसार शीर्ष के बैंकों में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है (सारणी II.4)।

वैश्विक बैंकिंग कारोबार का उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मामूली स्थानांतरण

2.27 विश्व के 100 शीर्ष बैंकों (उनकी टियर I पूंजी की क्षमता के अनुसार स्थान दिया गया) के निगमीकरण के स्थान के विश्लेषण से

चार्ट II.21: चीन के बैंकों के तुलनपत्र में वृद्धि

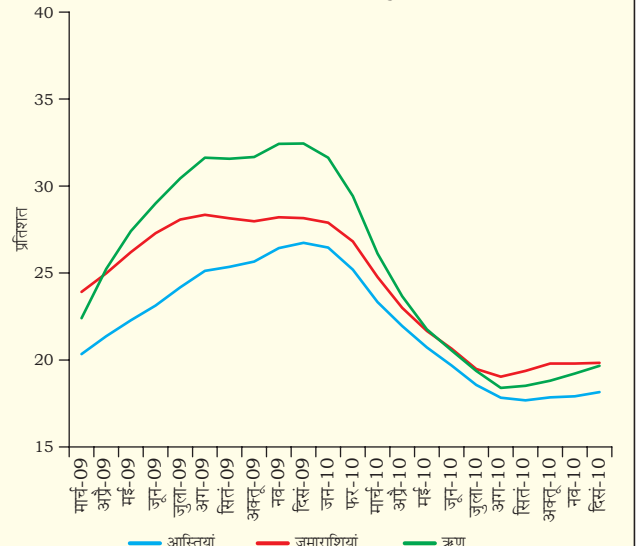

टिप्पणी: तीन वर्षीय उतार-चढ़ाव वाली औसत प्रणाली का प्रयोग करके श्रृंखला को सुकर बनाया गया है।
स्रोत: पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के डेटाबेस से गणना की गई।

सारणी II.4: 2009 और 2010 के बीच विश्व के शीर्ष बैंकों का रैंक कोरिलेशन कोइफीशियेंट

मद	20 शीर्ष बैंक	50 शीर्ष बैंक	100 शीर्ष बैंक
रैंक कोरिलेशन कोइफीशियेंट	0.83	0.96	0.98

टिप्पणी: कोइफीशियेंट यह मानकर निकाला गया है कि दो वर्षों के बीच शीर्ष बैंकों के नमूने समान थे। दूसरे शब्दों में, रैंकिंग इस अवधि के दौरान की नई वृद्धियों/समापनों को हटाकर निकाली गई है।
स्रोत: बैंकर डेटाबेस से गणना की गई।

पता चलता है कि संकट के पश्चात वैश्विक बैंकिंग कारोबार का उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मामूली स्थानांतरण हुआ है। इस स्थानांतरण के लिए बैंक डूबने और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बैंकों के आस्ति आकार में कमजोर वृद्धि को उत्तरदायी माना जा सकता है। विश्व के 100 शीर्ष बैंकों की संख्या और कुल आस्ति के अर्थ में, 2009 और 2010 के बीच उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के हिस्से में गिरावट आई (चार्ट II.22)। 2009 और 2010 के बीच उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की आस्तियों के हिस्से में गिरावट अमरीका, ब्रिटेन और प्रमुख रूप से यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित रही (चार्ट II.23)।

वैश्विक बैंकों की लाभप्रदता में सुधार

2.28 2008 और 2009 के बीच वैश्विक बैंकों की लाभप्रदता में सुनिश्चित सुधार हुआ जैसाकि आस्तियों पर आय (आरओए) में वृद्धि से स्पष्ट है। हानि उठाने वाले वैश्विक बैंकों का प्रतिशत (आस्तियों पर आय ऋणात्मक रिपोर्ट करने वाले) 2009 के 25 प्रतिशत से घटकर 2010 में केवल 5 प्रतिशत रह गया। इसके अलावा, 2010 में लगभग 89 प्रतिशत वैश्विक बैंकों का धनात्मक आरओए 2 प्रतिशत से कम रहा जबकि 2009 में यह हिस्सा 70 प्रतिशत था (चार्ट II.24)।

वैश्विक बैंकों की पूंजी पर्याप्तता को मजबूत करना

2.29 वैश्विक बैंकों के लाभ में सुधार के अलावा, 2009 और 2010 के बीच इन संस्थाओं की पूंजी पर्याप्तता स्थिति को भी मजबूत किया गया। 2009 और 2010 के बीच बैंकों का बढ़ता सकेंद्रण सीआरएआर पर आधारित उच्चतर आकार वाली श्रेणियों में रहा। दिसंबर 2010 के अंत में, विश्व के 100 शीर्ष बैंकों के 47 प्रतिशत का

चार्ट II.22: वैश्विक बैंकिंग कारोबार के स्थान

स्रोत: बैंकर डेटाबेस का प्रयोग करते हुए गणना की गई।

सीआरएआर 13 प्रतिशत और 17 प्रतिशत के बीच दायरे में रहा जो बासेल II ढांचे के अंतर्गत 8 प्रतिशत के बीसीबीएस मानदंड के काफी ऊपर था (चार्ट II.25)।

वैश्विक बैंकों के डिलीवरेजिंग की धीमी प्रक्रिया

2.30 सीआरएआर में सुधार के बावजूद वैश्विक बैंकों की सुदृढ़ता, डिलीवरेजिंग की धीमी प्रक्रिया और एनपीए के बढ़ते स्तर के कारण, एक चिंता बनी रही। 2009 के अंत में 100 शीर्ष वैश्विक बैंकों के लगभग 24 प्रतिशत बैंक काफी अधिक लीवरेज्ड थे जिनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर), जो वित्तीय लीवरेज की एक माप है, चार प्रतिशत से कम रहा; 2010 के अंत में यह प्रतिशत मामूली रूप से अर्थात 5 प्रतिशत अंक घटकर 19 प्रतिशत हो गया (चार्ट II.26)। इसके विपरीत, 4 और 6 प्रतिशत के बीच सीआरएआर दायरे वाले वैश्विक बैंकों का प्रतिशत ठीक उसी परिमाण में बढ़कर 41 प्रतिशत से 46 प्रतिशत हो गया।

वैश्विक बैंकों की कमजोर होती आस्ति गुणवत्ता

2.31 2009 और 2010 के बीच बहुत अधिक एनपीएल अनुपात रिपोर्ट करने वाले बैंकों के हिस्से में कमी आई, जिससे पता चलता है कि

चार्ट II.23: विश्व के 100 शीर्ष बैंकों की कुल आस्तियों में देशों का हिस्सा

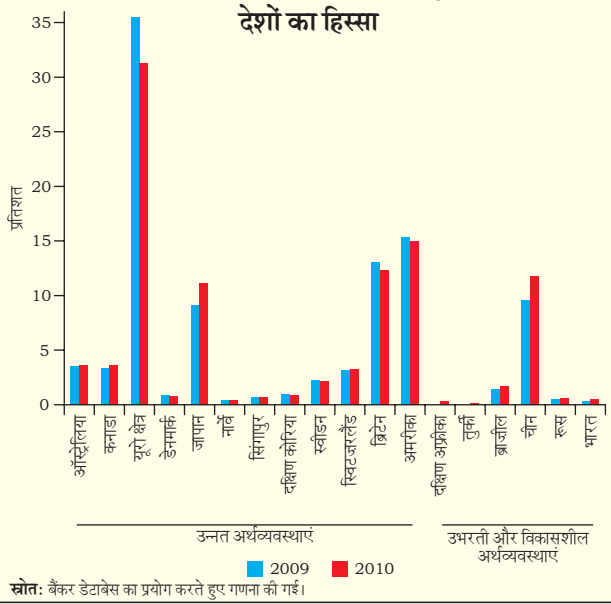

स्रोत: बैंकर डेटाबेस का प्रयोग करते हुए गणना की गई।

चार्ट II.24: आस्तियों पर आय के अनुसार विश्व के 100 शीर्ष बैंकों का प्रतिशत संवितरण

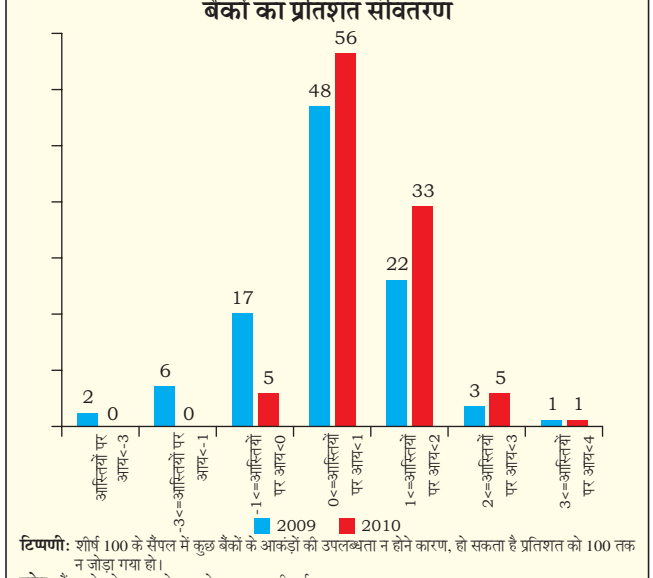

टिप्पणी: शीर्ष 100 के सैंपल में कुछ बैंकों के आकड़ों की उपलब्धता न होने कारण, हो सकता है प्रतिशत को 100 तक न जोड़ा गया हो।

स्रोत: बैंकर डेटाबेस का प्रयोग करते हुए गणना की गई।

चार्ट II.25: सीआरएआर के अनुसार विश्व के 100 शीर्ष बैंकों का प्रतिशत संवितरण

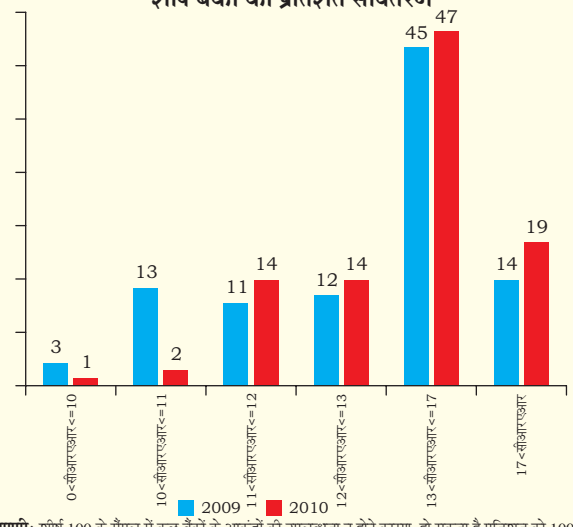

टिप्पणी: शीर्ष 100 के सैंपल में कुछ बैंकों के आकंड़ों की उपलब्धता न होने कारण, हो सकता है प्रतिशत को 100 तक न जोड़ा गया हो।
स्रोत: बैंकर डेटाबेस का प्रयोग करते हुए गणना की गई।

बैंकों[5] ने गंभीर ऋण तनाव की स्थिति में कुछ संयम दिखाया। चरम स्थिति के इस परिवर्तन को छोड़कर, विश्व के शीर्ष बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सामान्य कमजोरी रही (चार्ट II.27)।

2.32 सीआरएआर, लीवरेज और एनपीएल अनुपात के तीन संकेतकों को लेते हुए 20 शीर्ष वैश्विक बैंकों के स्कैटर प्लॉट से पता

चार्ट II.26: पूंजी पर्याप्तता (लीवरेज) के अनुसार विश्व के 100 शीर्ष बैंकों का प्रतिशत संवितरण

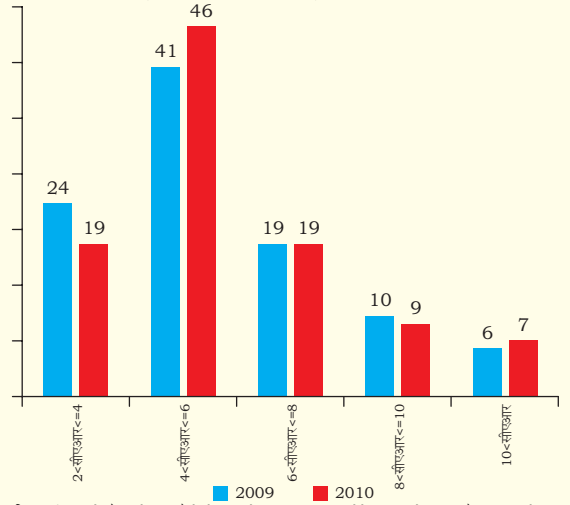

टिप्पणी: शीर्ष 100 के सैंपल में कुछ बैंकों के आकंड़ों की उपलब्धता न होने कारण, हो सकता है प्रतिशत को 100 तक न जोड़ा गया हो।
स्रोत: बैंकर डेटाबेस का प्रयोग करते हुए गणना की गई।

चार्ट II.27: एनपीएल अनुपात के अनुसार विश्व के 100 शीर्ष बैंकों का प्रतिशत संवितरण

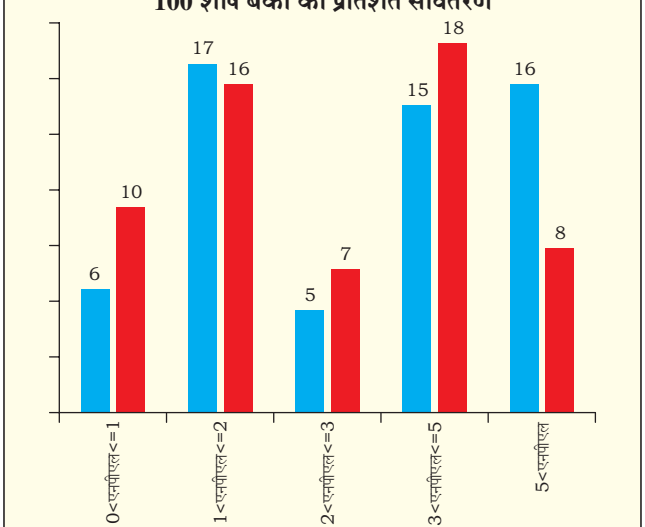

स्रोत: बैंकर डेटाबेस का प्रयोग करते हुए गणना की गई।

चलता है कि जबकि बैंक 2009 और 2010 के बीच अपने सीआरएआर को बढ़ाने की प्रक्रिया में थे इस अवधि के दौरान बैंकों के लीवरेज और एनपीएल अनुपात में थोड़ा सुधार आया लगता है (चार्ट II.28)।

5. वैश्विक नीति सुधार

विनियामी सुधारों में काफी अधिक वृद्धि

2.33 अमरीका के नवीनतम वित्तीय संकट जांच आयोग (2011) सहित संकट पर अब तक विभिन्न आधिकारिक रिपोर्टों ने इतने विशाल परिमाण और प्रभाव वाले वित्तीय संकट के स्फोट के लिए वित्तीय विनियामी और पर्यवेक्षी[6] ढांचे में गंभीर त्रुटियों को उत्तरदायी माना है। इसके अलावा, वित्त के वैश्वीकरण के कारण इन रिपोर्टों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अंतर विनियामक समन्वय को बढ़ाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। तब से बैंकिंग नीति संबंधी कई सुधारों पर विचार किया जा रहा है; इनमें से कुछ कार्यान्वयन के स्तर तक भी पहुंच गये हैं।

[5] कई बैंकों द्वारा आंकड़े रिपोर्ट नहीं किये जाने के कारण एनपीए का वर्तमान विश्लेषण 100 बैंकों के स्थान पर केवल 59 बैंकों के सैंपल पर आधारित है।

[6] उदाहरण के लिए, देखें *टर्नर समीक्षा (2009) और लारोसियरे रिपोर्ट* (2009)।

चार्ट II.28: विश्व के 20 शीर्ष बैंकों के सुदृढ़ता संकेतकों में परिवर्तन

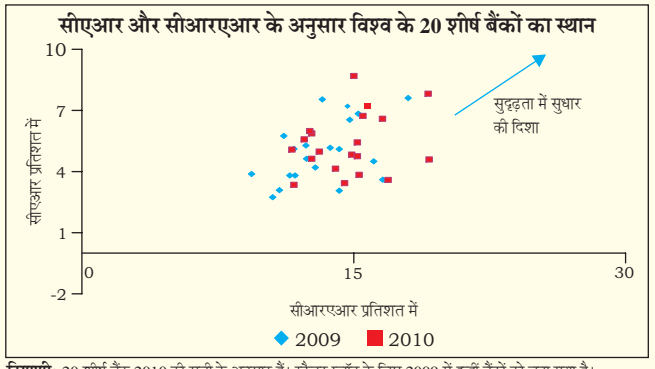

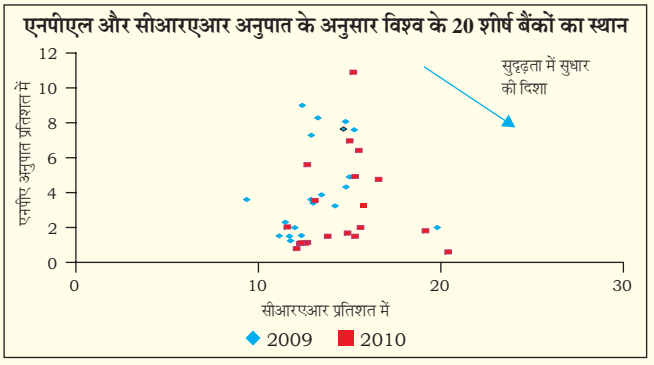

टिप्पणी: 20 शीर्ष बैंक 2010 की सूची के अनुसार हैं। स्कैटर प्लॉट के लिए 2009 में इन्हीं बैंकों को चुना गया है।
स्रोत: बैंकर डेटाबेस से समेकित।

पूंजी और चलनिधि मानकों में सुधार

2.34 वर्ष के दौरान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण गतिविधि दिसंबर 2010 में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति की पूंजी और चलनिधि मानकों को मजबूत करने के लिए सुधार ढांचा संबंधी घोषणा थी (जून 2010 में द्विपक्षीय व्यापार में काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के लिए पूंजी संव्यवहार से संबंधित अल्प संशोधनों के पश्चात)। इस ढांचे में सितंबर 2010 में गवर्नर और पर्यवेक्षण के मुख्य अधिकारियों द्वारा सहमत तथा नवंबर 2010 में जी20 के नेताओं द्वारा अनुसंशित विनियामक मानकों के ब्यौरे दिये गये हैं। इस ढांचे में विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए व्यष्टि-विवेकपूर्ण और समष्टि - विवेकपूर्ण दृष्टिकोणों को अपनाया गया है। दृष्टिकोण में यह बासेल II[7] की तुलना में ज्यादा व्यापक और प्रतिचक्रीय है। इसमें सामूहिक न्यूनतम अपेक्षाओं का एक सेट दिया गया है और इसे समग्रता में कार्यान्वित किया जाना है न कि टुकड़ों[8] में। बासेल III ढांचे में सुझाए गए सुधार उपायों के प्रमुख उद्देश्य और विशेषताएं बॉक्स II.2 में संक्षेप में दी गई हैं।

2.35 दिसंबर 2010 के पूंजी नियमों के अलावा, बीसीबीएस ने विनियामी पूंजी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक उपाय के रूप में जनवरी 2011 में गैर-लाभप्रदता की स्थिति में पूंजी लिखतों द्वारा हानियों के अवशोषण की भी सिफारिश की। सिफारिश के अनुसार जब कोई बैंक निजी बाजार में अपनी सहायता करने में अपने को असमर्थ पाता है और ऐसी स्थिति में जब बैंक को बचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता होती हैं तब ऐसी दशा में सभी विनियामी पूंजी लिखतें हानियों का अवशोषण कर सकेंगी।

2.36 दिसंबर 2010 में, वित्तीय स्थिरता बोर्ड और बीसीबीएस द्वारा बनाये गये समष्टि आर्थिक मूल्यांकन समूह की अंतिम रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया गया कि आर्थिक वृद्धि पर उच्चतर पूंजी मानकों का प्रभाव कम होगा और यह परिमाण में भी काफी कम होगा तथा इसकी समयावधि अगस्त 2010 में समष्टि आर्थिक मूल्यांकन समूह द्वारा अनुमानित समयावधि की तुलना में अधिक होगी। राष्ट्रीय अनुमानों के माध्य को लेते हुए, समष्टि आर्थिक मूल्यांकन समूह ने मानकों के कार्यान्वयन की शुरुआत से 35 तिमाहियों में वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर में इसके आधारभूत स्तर से लगभग 3 आधार अंकों की गिरावट पाई। दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव समूह ने लंबे समय तक नये मानकों के लागत और लाभों के बारे में अध्ययन किया। दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव समूह ने पाया कि जबकि त्यागी गई स्थायी जीडीपी की लागत के थोड़ी होने की आशा है, वहीं संकट से संबंधित जोखिम कम करने के लाभ काफी अधिक[9] होंगे।

[7] पूंजी अपेक्षाओं के बासेल III और बासेल II मानदंडों की तुलना तथा बासेल III की चरणबद्ध व्यवस्था हेतु अनुसूची के लिए 2008-09 की भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट देखें।

[8] देखें ''रेगुलेटरी रिफॉर्म : रिमेनिंग चेलेंजेस'' पर श्री जैम करुआना का भाषण बीआइएस, जुलाई 2011।

[9] ''एन एसेसमेंट ऑफ दि लांग टर्म इकोनॉमिक इम्पेक्ट ऑफ स्ट्रांगर कैपिटल एंड लिक्वीडिटी रिक्वाइरमेंट्स'' बीआइएस, अगस्त 2010 ।

बॉक्स II.2: बासेल III ढांचे के प्रमुख उद्देश्य और विशेषताएं

पूंजी मानक

I. पूंजी आधार बढ़ाना

उद्देश्य - विभिन्न क्षेत्राधिकारों से संबंधित परिभाषाओं में गुणवत्ता, सुसंगतता और पूंजी आधार के प्रकटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना ।

मानदंड - I.1 टियर I पूंजी को मुख्य रूप से सामान्य शेयरों और प्रतिधारित अर्जनों के रूप में रखा गया है; I.2 टियर I पूंजी के शेष में ऐसी गौण लिखतें शामिल हैं जिसमें पूर्ण रूप से विवेकसम्मत असंचयी लाभांश हैं और जिसमें कोई परिपक्वता तिथि अथवा शोधन के लिए प्रोत्साहन नहीं हैं; I.3 ऐसी नवीन हाइब्रिड लिखतों को समाप्त किया जाएगा जिनके साथ शोधन के लिए प्रोत्साहन हैं।

II. जोखिम कवरेज को बढ़ाना

उद्देश्य - विशेष रूप से तुलन पत्र और तुलनपत्रेतर मदों तथा डेरिवेटिव एक्सपोजर के लिए पूंजी ढ़ांचे के जोखिम कवरेज को मजबूत करना।

मानदंड - II.1 तनावग्रस्त मूल्य जोखिम (वीएआर) पूंजी अपेक्षा की शुरुआत करना जो काफी अधिक वित्तीय तनाव की निरंतर 12 महीने की अवधि पर आधारित हो; II.2 बैंकिंग और ट्रेडिंग बुक में पुनर्प्रतिभूतिकरण के लिए उच्चतर पूंजी अपेक्षा; II.3 काउंटरपार्टी की ऋण पात्रता में गिरावट से संबद्ध, ऋण मूल्यन समायोजन जोखिमों की संभावित बाजार मूल्य हानियों के लिए, पूंजी प्रभार की शुरुआत करना; II.4 संपार्श्विकीकृत प्रबंधन के लिए मानकों को मजबूत करना। काउंटरपार्टी के प्रति गैर-तरल डेरिवेटिव स्थिति वाले बड़े बैंकों को, विनियामी पूंजी अपेक्षाओं को निर्धारित करने के लिए लंबी मार्जिन अवधि हेतु आवेदन करना होगा।

III. लीवरेज मानदंड के साथ जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं को संपूरित करना

उद्देश्य - बैंकिंग क्षेत्र में लीवरेज को रोकना जिससे डिलीवरेजिंग से संबंधित जोखिम कम हों।

मानदंड - III.1 लीवरेज के एक साधारण, पारदर्शी और स्वतंत्र मानदंड की शुरुआत करना जो लेखांकन मानकों के अंतरों को समायोजित करके विभिन्न क्षेत्राधिकारों में तुलनीय हो।

IV. प्रतिचक्रीय बफर के माध्यम से चक्रीय-अनुकूलता को घटाना

उद्देश्य - बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत चक्रीय अनुकूलता संबंधी उतार-चढ़ावों को कम करने के लिए इसे ''आघात अवशोषक'' के रूप में बनाना बजाए इसको वास्तविक अर्थव्यवस्था के प्रति जोखिम के संप्रेषक बनाने के।

मानदंड - IV.1 मौजूदा उपचित हानि (आईएल) के विपरीत, सापेक्षिक रूप से कम चक्रीय अनुकूलता प्रत्याशित हानि (ईएल) की ओर प्रस्थान और प्रत्याशित हानि दृष्टिकोण के अनुरूप पर्यवेक्षी दिशानिर्देश का अपडेशन करना; IV.2 न्यूनतम पूंजी से अधिक पूंजी कंजर्वेशन बफर का निर्माण करना और अत्यधिक ऋण वृद्धि की अवधि के दौरान बफर दायरे का समायोजन करना।

चलनिधि मानक

I.न्यूनतम चलनिधि मानक

उद्देश्य - अंतरराष्ट्रीय रूप से मिले-जुले और मजबूत चलनिधि मानक लाना क्योंकि सुदृढ़ पूंजी अपेक्षाएं आवश्यक तो हो सकती हैं लेकिन बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता के लिए पर्याप्त दशाएं नहीं।

मानदंड - I.1 पिछले एक माह से जारी गंभीर तनाव के परिवेश का सामना करने के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात की शुरुआत करना जिससे उच्च गुणवता वाले तरल संसाधनों की पर्याप्तता सुनिश्चित हो; I.2 निवल स्थिर वित्तीयन अनुपात, जिसकी एक वर्ष की लंबी समय सीमा होती है, की शुरुआत करना जिससे आस्तियों और देयताओं को धारणीय परिपक्वता ढांचा प्रदान किया जा सके।

II.संख्यात्मक चलनिधि मैट्रिक्स

उद्देश्य - चलनिधि जोखिमों को रोकने के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा प्रयुक्त संख्यात्मक मैट्रिक्स में सुसंगतता लाना।

मानदंड - II.1. मैट्रिक्स की शुरुआत करना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संविदागत परिपक्वता विसंगति, वित्तीयन का संकेंद्रण, प्रचलन के अनुसार उपलब्ध अप्रभारित आस्तियां और चलनिधि कवरेज अनुपात शामिल हो।

संदर्भ :

बासेल III: ''ए ग्लोबल रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मोर रिसीलिएंट बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम्स'' अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, जून 2011 ।

प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन में सुधार

1. समष्टि विवेकपूर्ण विनियामी ढांचे से संबंधित सुधार

2.37 संकट ने बताया कि अधिकांश वित्तीय कंपनियों को वैयक्तिक स्तर पर विनियमित किया जा सकता है लेकिन प्रणाली को पर्यवेक्षित करने के लिए एक व्यवस्था की कमी कुल मिलाकर वित्तीय अस्थिरता पैदा कर सकती है। संकट के समय से, प्रणाली - व्यापी जोखिमों से निपटने के लिए एक समष्टि विवेकपूर्ण ढांचा विकसित करने पर स्पष्ट रूप से फोकस रहा है।

2.38 जी-20 विनियामी सुधार संबंधी कार्य सूची में समष्टि विवेकपूर्ण विनियमन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिसमें एक ऐसा ढांचा[10] विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का आवाहन किया गया है । बीसीबीएस द्वारा बनाये गये बासेल III ढांचे में चक्रीय-अनुकूलता को कम करने और वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता को बढ़ाने के लिए कई प्रावधान शामिल किये गये हैं। बासेल III ढांचे के अंतर्गत सबसे महत्त्वपूर्ण समष्टि विवेकपूर्ण मानदंड प्रतिचक्रीय पूंजी बफर है जो प्रणालीगत जोखिम के *समय* आयाम को ध्यान में रख सकता है; इस बफर की संकल्पना और कार्यप्रणाली के ब्यौरे बॉक्स II.3 में दिये गये हैं।

2.39 बासेल III के अन्य प्रावधान ऐसे हैं जो प्रणालीगत जोखिमों के टाइम डाइमेंशन की समस्या का भी निराकरण कर सकते हैं यद्यपि वे

[10] देखें ''दि बासेल कमिटीज रिस्पोंस टू दी फाइनेंशियल क्राइसेसः रिपोर्ट टु दि जी-20'' बीआइएस, अक्तूबर 2010।

बॉक्स II. 3 : प्रतिचक्रीय पूंजी बफर : संकल्पना और कार्यप्रणाली

बासेल III ढांचे में प्रतिचक्रीय पूंजी बफर की शुरुआत, विनियामी पूंजी की गुणवत्ता में सुधार लाने और इसकी चक्रीय - अनुकूलता पर कार्रवाई करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे बैंकिंग प्रणाली की एक बेहतर समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी संभव हो सकेगी ।

दिसंबर 2010 में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने प्रतिचक्रीय पूंजी बफर को कार्यशील करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किए । इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार तय करेगा कि कैसे बफर जोखिम भारित आस्तियों के 0-2.5 प्रतिशत के दायरे के अंतर्गत अलग-अलग होगा और यदि प्रणालीगत जोखिम एक आकार ले लेते हैं तो उसे समयबद्ध तरीके से इस अपेक्षा को दूर करने के लिए तैयार रहना होगा । बफर को मजबूत करने के लिए सामान्य संदर्भ दिशानिर्देश, जैसाकि बीसीबीएस सिद्धांतों में कहा गया है, जीडीपी अंतराल की तुलना में निजी क्षेत्र का ऋण है (दीर्घावधि रुझान के अनुसार जीडीपी की तुलना में ऋण अनुपात का विचलन)। बीसीबीएस ने कहा है कि यह दिशानिर्देश हमेशा सभी क्षेत्राधिकारों में काम नहीं करता है, दिशानिर्देश पर यांत्रिक रूप से निर्भर रहने के बजाय समुचित संप्रेषण के साथ निर्णय लेना, बफर को मजबूत करने का एक अभिन्न हिस्सा है। बीसीबीएस ने अन्य परिवर्तनशील चरों और गुणवत्तात्मक सूचनाओं जैसे आस्ति मूल्य, निधीयन स्प्रैड तथा ऋण चूक स्वैप स्प्रेड, ऋण दशाओं संबंधी सर्वेक्षणों तथा अन्य बातों के साथ-साथ वास्तविक जीडीपी वृद्धि को शामिल करते हुए भी सुझाव दिए हैं। ये संकेतक ऋण वृद्धि की धारणीयता और प्रणाली व्यापक जोखिम के स्तर के मूल्यांकन में उपयोगी हो सकते हैं।

बीसीबीएस दिशानिर्देश के अनुसार बफर में कोई वृद्धि 12 महीने पहले ही घोषित की जानी चाहिए जिससे बैंक प्रभावी तिथि से पूर्व अतिरिक्त पूंजी अपेक्षा का समय से पालन कर सकें । कटौतियां तत्काल प्रभाव से बंद की जाएंगी जिससे विनियामी पूंजी अपेक्षाओं के कारण तंगी ग्रस्त हो रही ऋण आपूर्ति की समस्या को कम किया जा सके। फिर भी, प्राधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने पास सूचनाओं की समीक्षा करें और तद्नुसार प्रतिचक्रीय पूंजी बफर के निर्णय संबंधी समीक्षा तिमाही अथवा और जल्दी आधार पर करें।

चूंकि बफर को बनाने का निर्णय राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारियों द्वारा लिया जाना है, भारत में रिज़र्व बैंक के अंदर एक कार्यदल बनाया गया है। भारतीय संदर्भ में बफर को मज़बूत करने का प्रमुख मुद्दा संदर्भ दिशानिर्देश के विकल्प से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं और वृद्धि सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हुई है। परिणाम के रूप में, सेक्टोरल ऋण अपेक्षाएं काफी अधिक अलग-अलग हो सकती हैं जिससे केवल ऋण/जीडीपी दिशानिर्देश पर आधारित जोखिम निर्माण का मूल्यांकन एक कठिन कार्य होता जा रहा है। समूह वर्तमान में इसकी और प्रतिचक्रीय पूंजी बफर के कार्यशील होने संबंधी विभिन्न मुद्दों की जांच कर रहा है।

संदर्भ :

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (2010), ''गाइडेंस टु नेशनल आथारिटिज़ फॉर ऑपरेटिंग दि काउंटर - साइक्लीकल कैपिटल बफर'', दिसंबर ।

इस समस्या के पूरी तरह निराकरण के लिए नहीं बनाये गये हैं। इसमें स्थायी पूंजी कनर्वजन बफर; न्यूनतम लीवरेज अनुपात; और नये चलनिधि मानक शामिल हैं। जहां तक प्रणालीगत जोखिमों के क्रॉस सेक्शनल डाइमेंशन से निपटने की बात है, बढ़ी हुई बैंक पूंजी और चलनिधि के साथ बासेल III से अपेक्षा है कि वह प्रतिकूल आघातों का सामना करने के लिए प्रत्येक संस्था की आघात सहनीयता बढ़ाए।

2. प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं से संबंधित सुधार

2.40 प्रणालीगत जोखिमों को रोकने से संबंधित वर्ष के दौरान की एक प्रमुख गतिविधि जून 2011 को परामर्शकारी दस्तावेज पर गवर्नर और पर्यवेक्षण के मुख्य अधिकारी द्वारा की गई सहमति है, इस दस्तावेज में प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वैश्विक बैंकों के लिए विनियामी उपाय दिये गये हैं। अंतर्संबद्ध और संक्रमण जोखिम को कम करके, प्रणालीगत जोखिम के क्रॉस सेक्शनल डाइमेंशन की समस्या से निपटने में प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वैश्विक बैंकों का विनियमन सहायक हो रहा है। इन उपायों में प्रणालीगत महत्ता के मूल्यांकन की कार्य-प्रणाली और अतिरिक्त अपेक्षित पूंजी तथा उनकी चरणबद्ध-व्यवस्था शामिल है। प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वैश्विक बैंकों की मूल्यांकन प्रणाली संकेतक आधारित है और इसके पांच प्रमुख वर्ग हैं अर्थात उनका आकार, अंतर्संबद्धता, उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के स्थानापन्न का अभाव, वैश्विक (विभिन्न क्षेत्रों में) गतिविधि और जटिलता[11]।

3.शैडो बैंकिंग के विनियमन के लिए सुधार और विनियामी परिधि को बढ़ाना

2.41 चूंकि प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के विनियमन, पर्यवेक्षण और प्रस्ताव के ढांचे को मजबूत बनाया गया है, इस बात की संभावना है कि शैडो बैंकिंग प्रणाली की ओर अंतरण के लिए कारोबारों के प्रोत्साहन में वृद्धि की जाए। शैडो बैंकिंग को ''नियमित बैंकिंग प्रणाली के बाहर कंपनियों और गतिविधियों में ऋण मध्यस्थ'' के रूप में वर्णित किया जाता है। यह खंड चिंता का विषय है

[11] देखें ''ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपोरटेंट बैंक्स; एसेसमेंट मैथडोलॉजी एंड एडीशनल लॉश एब्जॉर्बेंसी रिक्वायरमेंट'' परामर्शकारी दस्तावेज, बीआइएस, जुलाई 2011।

[12] देखें ''शैडो बैंकिंग : स्कोपिंग दि इस्यूज'' एफएसबी, अप्रैल 2011।

क्योंकि इस खंड में वित्तीय मध्यस्थता एक ऐसे वातावरण में की जाती है जहां पर विवेकपूर्ण विनियामी / पर्यवेक्षी निगरानी या तो नहीं की जाती है या इसी तरह की गतिविधियों में लगे बैंकों की तुलना में कम की जाती है। विनियामी अंतराल को भरने के प्रयास में वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने एक कार्यबल बनाया है, जिसने ''शैडो बैंकिंगः मुद्दों की संभावना'' शीर्षक वाला एक संभावना पत्र प्रारूप तैयार किया है जिसके आधार पर इसने ऑटम 2011 में जी-20 के विचारार्थ सिफारिशें की हैं। जी-20 ने अक्तूबर 2011 की अपनी बैठक में शैडो बैंकिंग की निगरानी संबंधी आरंभिक सिफारिशों पर सहमति जताई है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने निम्न के माध्यम से शैडो बैंकिंग प्रणाली की निगरानी का सुझाव दिया है (i) *व्यष्टि* और *समष्टि* परिप्रेक्ष्य से दो चरणों में बेहतर निगरानी करना और (ii) शैडो बैंकिंग कंपनियों का *प्रत्यक्ष* विनियमन तथा इन संस्थाओं के साथ बैंकों के संव्यवहारों को नियंत्रित करने वाला *अप्रत्यक्ष* विनियमन।

2.42 इन वैश्विक सुधारों के अलावा, संकट के पश्चात की अवधि में काफी अधिक नीतिगत सुधार किए गए हैं। अमरीका, ब्रिटेन और यूरोपियन संघ में कालेजियल व्यवस्था को संस्थागत रूप देने का प्रयास किया किया गया है जिसमें सरकारों, केंद्रीय बैंकों और अन्य विनियामकों को शामिल किया गया है जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी प्रणालीगत जोखिम की पहचान करना, निगरानी करना और इनसे संबंधित खतरों से निपटना है।

6. निष्कर्ष

वैश्विक बैंक बहुत से जोखिमों का सामना कर रहे हैं

2.43 आज वैश्विक बैंकिंग प्रणाली उस मुकाम पर खड़ी है जहां पर डाउनसाइड जोखिम और चुनौतियां, बैंकिंग प्रणाली द्वारा वित्तीय संकट की शुरुआत से वृद्धि को पुनः पाने के लिए किए जा रहे सकारात्मक उपायों पर भारी पड़ रही हैं। डाउनसाइड जोखिम कई प्रकार के हैं और वे न केवल बैंकिंग प्रणाली से बल्कि सामान्य रूप से वित्तीय प्रणाली, वित्तीय दशा और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति से भी उद्भूत हुए हैं। अन्य खंडों से उद्भूत जोखिम 'प्रतिकूल फीडबैक' प्रभाव के माध्यम से बैंकिंग खंड को प्रभावित करते हैं, यह शब्द यूरोपियन सेंट्रल बैंक में प्रयोग किया जाता है।

पूंजी पर्याप्तता में मामूली सुधार और वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की लाभप्रदता

2.44 जैसी कि चर्चा की गयी है, वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की वृद्धि और सुदृढ़ता 2008 से दो प्रमुख मामलों में थोड़ी-सी सुधरी है। एक, 2010 में अमरीका और ब्रिटेन के बैंकों की लाभप्रदता में थोड़े सुधार के संकेत हैं। दो, वैश्विक बैंकों द्वारा पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं जिससे वे अपनी भावी हानियों को और प्रभावी तरीके से अवशोषित करने के लिए तैयार हो सकते हैं।

दुर्बलता बरकरार है

2.45 संकट के पश्चात वैश्विक बैंकिंग प्रणाली कई मामलों में कमजोर बनी हुई है। एक, कुल मिलाकर प्रणाली और अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, विशेष रूप से यूरो क्षेत्र की राजकोषीय रूप से समस्याग्रस्त अर्थव्यवस्थाएं, अभी बहुत कमजोर ऋण वृद्धि दर्शा रही हैं। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के उन क्षेत्रों में ऋण वृद्धि की पुनर्वापसी संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं जो बैंक वित्तपोषण पर बहुत अधिक निर्भर हैं तथा जो रोजगार और वृद्धि अर्थात लघु और मझौले उद्यमों में पुनर्वापसी के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

2.46 दो, 2010 के प्रारंभ से सरकारी ऋण दबावों की शुरुआत ने यूरो क्षेत्र की सरकारी ऋण संबंधी समस्या से ग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं तथा जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की परिधीय अर्थव्यवस्थाओं में ऋण, बाजार और वित्तीयन जोखिम के पुनः आने की संभावना को जन्म दिया है, इन देशों के बैंक या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन देशों के सरकारी ऋणों के प्रति एक्सपोज्ड हैं। वर्तमान समय मे यूरो क्षेत्र में बैंकों का पुनर्पूंजीकरण भी एक बड़ी चिंता है। उच्च ग्रीक हेयरकट की दशा में पूंजी की कमी को देखते हुए यूरो क्षेत्र के बैंकों को पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता हो सकती है।

2.47 तीन, डिलीवरेजिंग के प्रयासों के बावजूद अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से यूरो क्षेत्र और ब्रिटेन के वैश्विक बैंक बहुत अधिक लीवरेज्ड बने हुए हैं और वे थोक वित्तीयन बाजार पर आश्रित हैं। चार, ऋण जोखिम भी उच्च स्तर पर बने हुए हैं, इसके लिए न केवल सरकार के ऋण संबंधी जोखिम उत्तरदायी हैं बल्कि कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंक ऋण का बेजमानती हिस्सा भी जोखिम

के लिए जिम्मेदार है। पांच, संकट ने अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय समावेशन के विस्तार को धीमा किया है, जिससे आपूर्ति और मांग दोनों कारकों के कारण लोग वित्तीय प्रणाली की सीमा से बाहर जा रहे हैं। बैंकों के फेल होने से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग सुविधाओं की आपूर्ति में कमी आई है और बैंकिंग गतिविधियों में गिरावट हुई है। मांग ने बैंकिंग सेवाओं को भी प्रभावित किया है जिससे इन अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार और आय सृजन में कमी आई है।

2.48 अंत में, उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बैंकिंग प्रणालियों के कार्यनिष्पादन के बीच भिन्नता बढ़ रही है।जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों की वृद्धि और सुदृढ़ता का स्तर कम है, प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऋण वृद्धि उच्च रही है जिससे इन अर्थव्यवस्थाओं में ओवरहीटिंग की समस्या पैदा हो रही है। चीन में उच्च ऋण वृद्धि की समस्या है जिससे बैंकों में हानिग्रस्त आस्तियां बढ़ रही हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते अल्पावधि पूंजी प्रवाह के साथ मुद्रास्फीति के उच्च स्तर ने वित्तीय स्थिरता की चिंताओं को बढ़ाया है।

वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के लिए निकट - भावी संभावना कई अनिश्चितताओं से भरी हुई है

2.49 यह देखते हुए कि वैश्विक जोखिमों ने सुधारों को पीछे छोड़ दिया है, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए तुरंत आवश्यक हो गया है कि वे समष्टि आर्थिक कार्रवाई तेज करें विशेष रूप से राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए। इसके अलावा, वैश्विक बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने और पुनरूज्जीवित करने के लिए उन्नत और उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं को वैयक्तिक रूप से और सामूहिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। अपनी समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी को मजबूत करने के पश्चात इन देशों को ऐसे बैंकिंग संबंधी विनियामी सुधारों को निरंतर कार्यान्वित करने के प्रति और अधिक प्रतिबद्धता दिखानी होगी जिन पर पहले से ही सहमति हो चुकी है। इस प्रणाली में हो रहे परिवर्तनों की सही-सही पैमाइश की आवश्यकता है जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर होने वाले कोई किसी प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सके, विशेष रूप से उस समय से जब से वैश्विक आर्थिक बहाली कमजोर बनी हुई है। यूरो मसले को अंतिम रूप देने के लिए यूरोपियन देशों के बीच हाल के गंभीर औपचारिक विचार-विमर्श का यूरोप के बैंकों पर काफी अधिक प्रभाव पड़ेगा जिसके अनुसार उनको कठोर हेयरकट को स्वीकार करना है और पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करना है। इस प्रकार, यूरोप के बैंकों को परिणामतः स्थिर होने के पहले कुछ ऐसे कठिन अभ्यासों को करना होगा। कुल मिलाकर, वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की निकट-भावी संभावना कई अनिश्चितताओं से भरी हुई है, उनमें से कुछ इसके सीधे नियंत्रण से बाहर हैं। वर्तमान स्थिति में सरकारी एजेंसियों, केन्द्रीय बैंकों और बैंकिंग संस्थाओं को एक साथ मिलकर स्थायी रिकवरी और स्थिरता के लिए जोखिम भरे मार्ग पर चलना होगा।

अध्याय-III

नीतिगत परिवेश

2010-11 के दौरान भारत में समष्टि आर्थिक नीति उच्च वास्तविक जीडीपी वृद्धि तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थी। मौद्रिक प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य के भीतर उत्पादक ऋण के माध्यम से वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग क्षेत्र नीति को समष्टि आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप होना पड़ता है। हालांकि विकसित देश अभी भी निम्न आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्त में गिरावट का सामना कर रहे हैं और वित्तीय संकट के बाद अपने वित्तीय विनियामक ढांचे को सुधारने में प्रयासरत हैं, लेकिन भारत 2010-11 में सफलतापूर्वक संकट से पूर्व के मार्ग पर लौट आया। तथापि, स्फीतिकारक दबाव, जो आंशिक रूप से उच्च वैश्विक पण्य मूल्यों तथा आंशिक रूप से मांग और आपूर्ति में आंतरिक संरचनात्मक असंतुलनों के कारण हुए, 2010-11 में इतने सहज नहीं थे। इन दबावों के कारण बार-बार मौद्रिक नीतिगत उपाय करने पड़े ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक वृद्धि, जो समेकन की प्रक्रिया के अधीन थी, प्रभावित न हो। वित्तीय उदारीकरण और नवोन्मेष के संबंध में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र नीति हमेशा ही नपीतुली व सतर्कतापूर्ण रहने पर भी अनुरूप रही है। हाल ही के संकट के दौरान भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, यह तथ्य इस नीति की सफलता का प्रमाण है। इसी मार्ग पर चलते हुए, बासेल II फ्रेमवर्क के अधीन उन्नत दृष्टिकोण अपनाते हुए और बासेल III फ्रेमवर्क की ओर बढ़ने को सुविधाजनक बनाते हुए, रिज़र्व बैंक ने नए बैंक लाइसेंस देने, विदेशी बैंकों के प्रवेश के लिए मार्ग प्रशस्त करने, बैंकों के लिए होल्डिंग कंपनी संरचना, और क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप प्रारंभ करने के लिए महत्त्वपूर्ण नीतिगत उपाय प्रारंभ किए। बैंकों द्वारा बोर्ड से अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजनाएं प्रारंभ करना रिज़र्व बैंक की कार्यसूची में वित्तीय समावेशन का कार्य प्रमुख बना रहा।

1. परिचय

3.1 वैश्विक वित्तीय संकट के कारण, पूरे विश्व में बैंकिंग क्षेत्र नीति ने एक नया अर्थ और संगतता प्राप्त कर ली है। अधिकाधिक यह महसूस किया जा रहा है कि विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिससे बैंकिंग क्षेत्र में चक्र समर्थक गतिविधियों का सामना करने के लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाया जा सके। विनियमन की परिधि में अब तक अविनियमित खंड को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि विनियामक आर्बिट्रेज न्यूनतम रखा जा सके। कुछ चुनिंदा देशों में से एक होने के कारण भारत की प्रशंसा की गई है जिसने बैंकिंग क्षेत्र गतिविधियों के प्रति सजग तथा प्रति चक्रीय नीति अपनाई है। उसने विनियामक परिधि को लगातार व्यापक बनाया है ताकि गैर-बैंकिंग इकाइयों को विनियमन के अधीन लाया जा सके। इस अध्याय में बैंकिंग क्षेत्र नीति के विभिन्न खंडों में हुई गतिविधियां प्रस्तुत की गई हैं, और 2010-11[1] के दौरान अपनाई गई विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों पर विशेष बल दिया गया है। बैंकिंग क्षेत्र के अन्य प्रमुख पहलुओं में मौद्रिक नीति, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन, प्रौद्योगिक गतिविधियां, भुगतान तथा निपटान प्रणाली, ग्राहक सेवाएं और बैंकिंग के कानूनी उपबंध शामिल हैं। वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र के अतिरिक्त, इस अध्याय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा वित्तीय बाजारों से संबंधित प्रमुख नीतिगत उपायों पर भी चर्चा की गई है।

[1] इस अध्याय में अप्रैल 2010 से अक्तूबर 2011 तक की अवधि शामिल की गई है।

2. मौद्रिक नीति[2]

मौद्रिक नीति का रुझान और उपाय

3.2 2010-11 में मौद्रिक नीति का रुझान वैश्विक अनिश्चितता के व्यापक संदर्भ में अर्थव्यवस्था में विद्यमान वृद्धि-मुद्रास्फीति डायनेमिक्स के अनुसार था। 2010-11 की पहली छमाही में, मौद्रिक नीति का बल मुद्रास्फीति दबावों को नियंत्रण में रखने के साथ-साथ वैश्विक अनिश्चितता के बीच समुत्थान में बाधाओं से बचना था।

3.3 2010-11 की दूसरी छमाही में, हालांकि वृद्धि समेकित हुई लेकिन देशी और वैश्विक आपूर्ति संबंधी आघातों के कारण दिसंबर 2010 से मुद्रास्फीति में कमी की प्रवृत्ति बदल गई। खाद्येतर विनिर्माण मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत की प्रवृत्ति वृद्धि से 2010-11 की दूसरी छमाही में अधिक रही। इसलिए, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने और मुद्रास्फीतिकारक प्रत्याशाओं पर अंकुश लगाने के लिए नीतिगत दरों में वृद्धि की गई। इसकी आवश्यकता भी थी क्योंकि अल्पावधि में कुछ वृद्धि में कमी के बावजूद दीर्घावधि वृद्धि को सुनिश्चित करना आवश्यक था।

3.4 चूंकि 2011-12 में भी रिज़र्व बैंक की आशा की तुलना में, मुद्रास्फीति उच्च बनी रही, इसलिए इस अवधि में स्फीतिरोधक रुझान जारी रहा। संकट के कारण अपनाई गई विस्तारात्मक नीति रुझान को छोड़ने के बाद रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दर (रिपो दर) में 13 बार वृद्धि करके 375 आधार अंकों की वृद्धि की। मार्च 2011 तक नीतिगत दर में आठ बार वृद्धि करके 200 आधार अंकों की वृद्धि की गई। 2011-12 में अब तक (25 अक्तूबर 2011 तक) इसमें पांच बार वृद्धि करके 175 आधार अंकों की वृद्धि की गई। अक्तूबर 2009 से 525 आधार अंकों की प्रभावी वृद्धि की गई जिससे सिस्टम में चलनिधि अधिशेषों के बजाय कम हो गई। सीआरआर में भी 100 आधार अंकों की वृद्धि की गई।

मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया में परिवर्तन

3.5 आपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ मोनेटरी पालिसी पर कार्यदल की रिपोर्ट के आधार पर (अध्यक्षः श्री दीपक मोहंती), रिज़र्व बैंक ने मई 2011 से मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया में कई परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों के अनुसार, भारित औसत एक दिवसीय मांग मुद्रा दर को मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य बनाया गया। इसके अतिरिक्त, रिवर्स रेपो दर को रेपो दर से 100 आधार अंक नीचे रखते हुए, रेपो दर को एकल नीति दर बनाया गया ताकि मौद्रिक नीति के रुझान का सही रूप से संकेत दिया जा सके। एक नई एमएसएफ भी स्थापित की गई जिसके अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंक वांछित एसएलआर में से अपने एनडीएलटी के एक प्रतिशत तक एक दिन के लिए उधार ले सकते थे। एमएसएफ दर रेपो दर से 100 आधार अंक अधिक है और रिवर्स रेपो दर को निम्नतर सीमा सहित नीति दर कोरीडोर को उच्चतर सीमा देती है। बेहतर चलनिधि प्रबंधन और प्रभावी मौद्रिक संचार के लिए ये परिवर्तन आवश्यक समझे गए।

बचत बैंक जमाराशि दर का अविनियमन

3.6 1990 के दशक के प्रारंभ से, विनियमन की प्रक्रिया मजबूत होने से एकमात्र रुपया ब्याज दर जो विनियमित हुई है, वह है बचत राशि ब्याज दर। बचत दर के अविनियमन के लाभ और हानियां दिखलाने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक चर्चा पत्र तैयार किया है जो जनता से सुझाव प्राप्त करने के लिए अप्रैल 2011 में रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर रखा गया। चर्चा पत्र से स्टेकधारकों से कई प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए। गुण-दोषों का अध्ययन करने के बाद, रिज़र्व बैंक ने 25 अक्तूबर, 2011 को जारी 2011-12 की दूसरी तिमाही समीक्षा में बचत बैंक ब्याज दर को अविनियमित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन बैंक अपनी बचत बैंक जमाराशि ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं:

- 1 लाख रुपए तक की बचत बैंक जमाराशियों पर प्रत्येक बैंक एकसमान ब्याज दर देगा, चाहे इस सीमा के भीतर जमाराशि कुछ भी हो।
- 1 लाख रुपये से अधिक की बचत बैंक जमाराशियों पर, यदि बैंक चाहे तो विभेदक ब्याज दरें दे सकता है। तथापि, एक ही

[2] इस खंड में मौद्रिक नीति गतिविधियों पर संक्षेप में चर्चा की गई है क्योंकि उन पर रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 में विस्तार से चर्चा की गई है।

राशि वाली जमाराशियों पर ग्राहकों के बीच ब्याज दर के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

3. ऋण वितरण

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण

3.7 फरवरी 2011 में रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया कि स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर व्यक्तियों को या अन्य इकाइयों को उधार देने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को स्वीकृत ऋण कृषि ऋण के रूप में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अधीन वर्गीकृत नहीं किए जा सकेंगे। इसी प्रकार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रारंभ की गई प्रतिभूत आस्तियों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश, जहां निहित आस्तियां स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण हैं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से स्वर्ण लोन पोर्टफोलियो का क्रय/समनुदेशन हैं, भी कृषि क्षेत्र अधीन वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं है।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार नीति - कृषि को उधार

3.8 सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में ब्याज सहायता की योजना 2006-07 से लागू है। 2009-10 में, 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक उत्पादन ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज सहायता उपलब्ध कराई गई जिससे सुनिश्चित हो कि किसानों को 7 प्रतिशत वार्षिक के आधार स्तर पर ऋण उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 1 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता उन किसानों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जो ऐसे ऋणों के वितरण के एक वर्ष के भीतर अपना ऋण चुकाने में मुस्तैद थे जिससे ऐसे किसानों के लिए प्रभावी दर और भी कम हो कर 6 प्रतिशत रह गई। 2010-11 में ब्याज सहायता कम करके 1.5 प्रतिशत कर दी गई है तथा मुस्तैदी से चुकौती करने वाले किसानों के लिए अतिरिक्त ब्याज सहायता बढ़ा कर 2 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, 2011-12 के केन्द्रीय बजट में, वित्त मंत्री ने मुस्तैदी से चुकौती करने वाले किसानों के लिए अतिरिक्त ब्याज सहायता बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव किया जिससे ऐसे किसानों के लिए प्रभावी दर 4 प्रतिशत रह गई।

माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण-माइक्रो उद्यमों के लिए ऋण का लक्ष्य

3.9 भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय कार्यबल की सिफारिशों के अनुसरण में (अध्यक्षः श्री टी.के.ए. नायर), अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 29 जून 2010 को सूचित किया गया है कि वे अति छोटे उद्यमों को एमएसई अग्रिमों का 60 प्रतिशत आवंटित करें। यह लक्ष्य तीन चरणों में प्राप्त किया जाएगा अर्थात 2010-11 में 50 प्रतिशत, 2011-12 में 55 प्रतिशत और 2012-13 में 60 प्रतिशत और इसके साथ अति छोटे उद्यम खातों में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो और अति छोटे तथा छोटे उद्यमों को उधार में 20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो। अर्ध वार्षिक आधार पर (मार्च तथा सितंबर) बैंकों द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में सूचना तथा निकट से निगरानी करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक फार्मेट भी तैयार किया है। जून 2011 को समाप्त तिमाही से, यह निगरानी तिमाही आधार पर की जा रही है। कार्यबल द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा न करने वाले बैंकों के साथ रिज़र्व बैंक ने यह मामला उठाया है।

अति छोटे तथा छोटे उद्यमों के लिए ऋण हेतु ऋण गारंटी (सीजीटीएमएसई)

3.10 सीजीटीएमएसई की ऋण गारंटी योजना की समीक्षा करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च 2010 में गठित कार्यदल (अध्यक्षः श्री वी.के. शर्मा) की सिफारिशों के आधार पर, एमएसई क्षेत्र को कोलेटरल मुक्त ऋणों के लिए सीमा बढ़ा कर 10 लाख रुपए कर दी गई है और बैंकों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि कोलेटरल मुक्त उधार के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन करें, शाखा स्तर पर कार्यपालकों को ऋण गारंटी कवर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके आकलन में उनके निष्पादन को एक मानदंड बनाए। कार्यदल ने गारंटी कवर की सीमा बढ़ाने,

कुछ शर्तों के अधीन सीजीटीएमएसई द्वारा 10 लाख रुपये तक के कोलेटरल मुक्त ऋणों के लिए गारंटी शुल्क एब्ज़ार्व करने, सीजीटीएमएसई को दावे प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के बारे में भी सिफारिशें की हैं। कार्यान्वित करने के लिए ये सिफारिशें सीजीटीएमएसई को भेज दी गई हैं।

आवासीय ऋण

3.11 मध्यम तथा निम्न आय वर्गों के लिए आवास उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए 2009-10 के केन्द्रीय बजट में 10 लाख रुपए तक के वैयक्तिक आवासीय ऋणों के लिए 1 प्रतिशत ब्याज सहायता की घोषणा की गई थी बशर्ते कि यूनिट की लागत 20 लाख रुपए से अधिक न हो। यह योजना प्रारंभ में 1 अक्तूबर 2009 से 30 सितंबर 2010 तक एक वर्ष की अवधि के लिए लागू थी। इस प्रयोजन के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया गया था। 2010-11 के लिए केन्द्रीय बजट में योजना के विस्तार की घोषणा की गई और 2010-11 के लिए योजना के अधीन 700 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। 2011-12 के केन्द्रीय बजट के अनुसार, वर्तमान योजना को उदार बना कर 15 लाख रुपए तक आवासीय ऋण के लिए कर दिया गया है, जहां पहले की क्रमशः 10 लाख रुपए और 20 लाख रुपए की सीमा की तुलना में आवास की लागत 25 लाख रुपए से अधिक न हो। यह योजना अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक संपर्क एजेंसी के रूप में कार्य करता है। पात्र ऋणों की मंजूरी और वितरण के बाद, अनुसूचित वाणिज्य बैंक मासिक आधार पर रिज़र्व बैंक से सहायता की प्रतिपूर्ति का दावा करते हैं। योजना के संबंध में उदारीकरण के आवश्यक अनुदेश रिज़र्व बैंक द्वारा 21 अप्रैल 2011 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी किए गए हैं।

एमएफआई को ऋण

3.12 आंध्र प्रदेश में माइक्रो फाइनेन्स क्षेत्र को लेकर हुई चिंता के बाद, एमएफआई के रूप में कार्य कर रही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कुछ और कड़ा विनियमन करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की एक उप समिति (अध्यक्षः श्री वाई.एच.मालेगाम) एमएफआई क्षेत्र में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2011 में प्रस्तुत कर दी है जिसे पब्लिक डोमेन में रख दिया गया है। समिति ने अन्य बातों के साथ, ये सिफारिशें की हैं: (i) एनबीएफसी-एमएफआई की एक अलग श्रेणी बनाना; (ii) वैयक्तिक ऋणों पर मार्जिन की अधिकतम सीमा और ब्याज दर की अधिकतम सीमा; (iii) ब्याज दरों में पारदर्शिता (iv) वैयक्तिक उधारकर्ताओं को दो से अनधिक एमएफआई द्वारा उधार (v) एक या अधिक क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो की स्थापना; (vi) एमएफआई द्वारा शिकायतों के निपटान के लिए यथोचित प्रणाली स्थापित करना; (vii) एक या अधिक ''सोशल कैपिटल फंड'' बनाना; तथा (viii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अधीन एमएफआई को बैंक ऋण की श्रेणी जारी रखना और एनबीएफसी - एमएफआई के लिए निर्धारित विनियमन का अनुपालन करना।

3.13 समिति की सिफारिशों पर सभी स्टेकधारकों से चर्चा की गई, और प्राप्त फीडबैक के आधार पर समिति द्वारा सिफारिश किए गए फ्रेमवर्क को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, 3 मई 2011 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है किः

1. 1 अप्रैल 2011 को या उसके बाद व्यक्तियों को देने के लिए तथा एसएचजीएस/ जेएलजीएस को देने के लिए एमएफआई को दिए गए बैंक ऋण संबंधित श्रेणी के अधीन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम समझा जाएगा अर्थात् कृषि, अति छोटे तथा छोटे उद्यम तथा माइक्रो ऋण (अन्य प्रयोजनों के लिए), अप्रत्यक्ष वित्त बशर्ते:

   क) एमएफआई द्वारा दिए गए कम से कम 75 प्रतिशत समग्र ऋण आय सृजन गतिविधियों के लिए दिए जाते हैं;

   ख) एमएफआई की कुल आस्तियों (नकदी, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के पास शेष राशियों, सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों को छोड़कर) का कम से कम 85 प्रतिशत ''अर्हक आस्तियों'' के रूप में है। ''अर्हक आस्ति'' को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने

होंगेः (i) ऋण उसको दिया जाए जिसकी ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक न हो, जबकि गैर-ग्रामीण क्षेत्रों में यह 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए; (ii) पहले चक्र में ऋण 35,000 रुपये से अधिक और बाद के चक्रों में 50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए; (iii) उधारग्राही की कुल ऋणग्रस्तता 50,000/- रुपये से अधिक नहीं है; (iv) ऋण की अवधि 24 महीने से कम नहीं है जब बिना किसी दंड के उधारकर्ता के पूर्व भुगतान के अधिकार सहित ऋण 15,000/- रुपये से अधिक हैं; (v) ऋण बिना कोलेटरल के है; (vi) उधारग्राही के विकल्प पर ऋण की चुकौती साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक किस्तों में है।

ग) बैंक यह सुनिश्चित करें कि एमएफआई मार्जिन तथा ब्याज दरों तथा अन्य मूल्यन दिशानिर्देशों के संबंध में निम्नलिखित सीमाओं का पालन करते हैंः (i) सभी एमएफआई के लिए मार्जिन कैप 12 प्रतिशत पर; (ii) ब्याज लागत की गणना बकाया उधार के औसत पाक्षिक शेष पर की जाएगी और ब्याज आय की गणना अर्हक आस्तियों के बकाया ऋण पोर्टफोलियो के औसत पाक्षिक शेष पर की जाएगी; (iii) 26 प्रतिशत वार्षिक पर वैयक्तिक ऋणों पर ब्याज की गणना घटते शेष के आधार पर की जाएगी; (iv) ऋणों के मूल्यन में केवल तीन घटक शामिल किए जाएंगे अर्थात प्रोसेसिंग शुल्क जो कुल ऋण राशि के 1 प्रतिशत से अधिक न हो; ब्याज प्रभार; और बीमा प्रीमियम; (v) प्रोसेसिंग शुल्क मार्जिन सीमा या 26 प्रतिशत की ब्याज सीमा में शामिल नहीं होगा; (vi) बीमा की वास्तविक लागत अर्थात उधारग्राही तथा उसकी पत्नी/पति के लिए जीवन, स्वास्थ्य तथा पशुधन के लिए समूह बीमा के लिए ली जा सकती है और प्रशासनिक प्रभार आईआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार लिए जाने चाहिए; (vii) विलंब से भुगतान के लिए कोई दंड नहीं होना चाहिए; (viii) उधारग्राही से कोई प्रतिभूति/मार्जिन नहीं लिया जाएगा।

घ) प्रत्येक तिमाही के अंत में बैंक एमएफआई से सनदी लेखाकार का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख होगा कि उपर्युक्त तीनों शर्तों का पालन किया गया है।

2. एमएफआई को बैंक ऋण, जो उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करते और अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक ऋण को 1 अप्रैल 2011 से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण नहीं माना जाएगा। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अधीन वर्गीकृत 1 अप्रैल 2011 से पहले दिए गए ऋण ऐसे ऋणों की परिपक्वता तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ही माने जाएंगे।

कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना, 2008 की प्रगति

3.14 कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना 2008 के संबंध में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी अनुसूची के अनुसार, सारणी III.1 के अनुसार उधारदाता संस्थाओं को क्रमिक तरीके से क्षतिपूर्ति की गई थी। भारत सरकार ने पहली और दूसरी किश्त के रूप में 40,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसमें से 28,000 करोड़ रुपये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों को प्रतिपूर्ति करने के लिए नाबार्ड को अंतरित किए गए। शेष 12,000 करोड़ रुपये अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिपूर्ति करने के लिए आबंटित किए गए हैं। 11340.47 करोड़ रुपये की तीसरी किश्त भारत सरकार द्वारा जनवरी 2011 में जारी की गई जिसमें से 1240.12 करोड़ रुपये की राशि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों को प्रतिपूर्ति करने के लिए नाबार्ड को जारी की गई और 10,100.35 करोड़ रुपये की शेष राशि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रयुक्त की गई है।

4. वित्तीय समावेशन

3.15 वित्तीय समावेशन को भारत में बैंकिंग क्षेत्र नीति का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है। रिज़र्व बैंक कई रणनीतियों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ा रहा है। इनमें विनियामक दिशानिर्देशों में छूट देना, नवोन्मेषी उत्पाद उपलब्ध कराना, अर्थक्षम तथा स्केलयोग्य वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए अन्य सहायक उपाय करना शामिल है। 2010-11 में भी, रिज़र्व बैंक ने देश के दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में नीतिगत पहल जारी रखी।

ग्रामीण बैंक सुविधारहित केंद्रों पर शाखाएं खोलना अनिवार्य

3.16 ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं में और वृद्धि करने के लिए, कारोबारी प्रतिनिधियों के साथ-साथ परिसर युक्त शाखाएं खोलने की आवश्यकता है। तदनुसार, बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वे वर्ष के दौरान खोली जानेवाली शाखाओं में से कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक सुविधारहित ग्रामीण केंद्रों में खोलें। इसके अतिरिक्त, अक्तूबर, 2011 में टियर 2 केंद्रों (2001 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या) पर बैंकिंग सेवाओं में वृद्धि करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना इन केंद्रों पर शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाए, परंतु इसकी सूचना देनी होगी। टियर 1 केंद्रों पर (2001 की जनगणना के अनुसार 1,00,000 तथा उससे अधिक जनसंख्या) शाखाएं खोलने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति लेनी होगी। ऐसा प्राधिकार देते समय, रिज़र्व बैंक, अन्य बातों के साथ साथ, यह भी ध्यान में रखेगा कि वर्ष के दौरान खोली जाने वाली कुल शाखाओं में से क्या कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक सुविधारहित ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने का प्रस्ताव है।

केवाईसी मानकों में छूट

3.17 बैंक खाते खोलने के लिए केवाईसी आवश्यकताओं में छोटे खातों के लिए अगस्त 2005 में छूट दी गई थी। कार्यविधियों में सरलता लाते हुए यह विनिर्दिष्ट किया गया था कि जिस खाताधारक ने केवाईसी आवश्यकता पूरी कर ली है, उसके द्वारा परिचय कराने और बैंक की संतुष्टि के लिए ग्राहक पहचान और पते का प्रमाण देना ऐसे खाते खोलने के लिए पर्याप्त होगा। 2010-11 में, 27 जनवरी 2011 के परिपत्र के द्वारा केवाईसी मानदंडों में और छूट दी गई है जिससे छोटी राशि के बैंक खाते खोलने के लिए एनआरईजीए के अधीन जारी किए गए जाब कार्ड (राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित) या नाम, पता और आधार संख्या वाले यूआईडी द्वारा जारी पत्र भी स्वीकार किए जा सकते हैं। 28 सितंबर 2011 के परिपत्र के द्वारा इसमें और छूट देते हुए इसे सभी खातों पर लागू कर दिया गया है।

कारोबारी प्रतिनिधि की परिभाषा को व्यापक बनाना

3.18 2006 से, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बीएफ और बीसी को मध्यस्थों के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी है। बीसी के रूप में पात्र व्यक्तियों/इकाइयों की सूची में समय-समय पर विस्तार किया गया है। 2010-11 में, वित्तीय तथा बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कंपनियों के बड़े तथा व्यापक नेटवर्क का उपयोग करने के लिए पहले अनुमति दी गई

सारणी III.1 कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना के अंतर्गत क्षति-पूर्ति

(राशि करोड़ रुपए में)

ऋणदात्री संस्थाएं	प्रस्तावित संवितरण**			
	पहली किस्त	दूसरी किस्त	तीसरी किस्त	चौथी किस्त
	सितंबर 2008	जुलाई 2009	जुलाई 2010	जुलाई 2011
आरआरबी एवं सहकारी संस्थाएं	17,500	10,500	2,800	शेष राशि , यदि कोई हो,
एससीबी, यूसीबी और एलएबी	7,500	4,500	9,200	शेष राशि , यदि कोई हो,
कुल	**25,000**	**15,000**	**12,000**	**शेष राशि , यदि कोई हो,**

** वर्तमान अनंतिम अनुमान पर आधारित।

संस्थाओं के अतिरिक्त, 'फार प्रौफिट' कंपनियों को भी बैंकों के कारोबारी प्रतिनिधि मध्यस्थों के रूप में नियुक्ति करने के लिए अनुमति दी गई।

नवोन्मेषी तथा सरल उत्पाद प्रारंभ करना

3.19 निर्धन व्यक्तियों के लिए समय पर और बाधारहित ऋण प्राप्त करना बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। इसको ध्यान में रखते हुए, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे नो-फ्रिल्स खातों में छोटी-छोटी राशियों का ओवरड्राफ्ट दे जिससे आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्राहक बिना कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ दिए छोटी - छोटी राशियों का ऋण प्राप्त कर सकें।

बैंकिंग सेवाओं के लिए रोडमैप

3.20 देश के सभी भागों में बैंकिंग सुविधाओं की एकसमान प्रगति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बैंकों को सूचित किया गया कि वे परिसरयुक्त शाखा या कारोबारी प्रतिनिधि सहित आईसीटी आधारित किसी माडल के माध्यम से 2000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंक सुविधारहित प्रत्येक गांव में बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए योजनाएं तैयार करें। बजट में की गई घोषणाओं के अनुरूप, 16 सितंबर 2010 के परिपत्र के द्वारा योजना तैयार करने की तारीख मार्च 2012 तक बढ़ा दी गई। बैंक सुविधारहित लगभग 72,800 ऐसे गांवों की पहचान कर ली गई हैं और उन्हें राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से विभिन्न बैंकों को आबंटित किया गया।

वित्तीय समावेशन योजनाओं में प्रगति

3.21 जनवरी 2010 में, सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) तैयार करें और उसे मार्च 2010 तक रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। इन बैंकों ने मार्च 2011, 2012 और 2013 के लिए अपने लक्ष्य तैयार किए और उन्हें प्रस्तुत किया। इन योजनाओं में मोटे तौर पर खोली जाने वाली परिसर वाली ग्रामीण शाखाएं, नियोजित किए जाने वाले कारोबारी प्रतिनिधि; शाखाओं/कारोबारी प्रतिनिधियों/अन्य माध्यमों से 2000 से अधिक तथा 2000 से कम आबादी वाले बैंक सुविधा रहित गांवों को कवर करना, बीसी-आईसीटी के माध्यम से खोले गए खातों सहित नो-फ्रिल्स खाते, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) तथा जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी); तथा वित्तीय सेवाओं से वंचित खंडों के लिए उनके द्वारा तैयार विशिष्ट उत्पाद शामिल हैं। बैंकों को सूचित किया गया कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित एफआईपी को अपनी कारोबारी योजनाओं से समन्वित करें तथा अपने स्टाफ के निष्पादन के आकलन में वित्तीय समावेशन को एक मानदंड के रूप में शामिल कर लें। इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर रिज़र्व बैंक द्वारा निगरानी रखी जा रही है।

3.22 2010-11 के दौरान एफआईपी के कार्यान्वयन में बैंकों की प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य में त्वरित प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए रिज़र्व बैंक बैंकों के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ प्रत्यक्ष समीक्षा बैठकें करता रहा है। मई-जून 2011 में चर्चा के दौरान उभरकर आए कुछ कार्रवाई बिन्दु निम्नानुसार हैं :

- बैंक अपने डिलीवरी माडलों की समीक्षा करेंगे ताकि वित्तीय समावेशन से उनका कारोबार लाभप्रद हो।
- 2000 से अधिक आबादी वाली गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त वे 2000 से कम आबादी वाले आसपास के गांवों में भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
- भविष्य में, बैंकिंग सुविधा रहित गांवों में परिसरयुक्त शाखाएं खोलने पर बैंक ध्यान केंन्द्रित करेंगे। यह 2-3 किमी की यथोचित दूरी पर 10 कारोबारी प्रतिनिधियों तक के लिए छोटे छोटे ग्राहक लेनदेनों के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं सहित निम्न लागत का मध्यस्थ हो सकता है। इस दृष्टिकोण से एक बेहतर ग्राहक शिकायत निवारण कार्यविधि स्थापित करने में उन्हें सहायता मिलेगी और साथ ही एक बेहतर कारोबारी प्रतिनिधि निगरानी कार्यविधि विकसित करने में भी सहायता मिलेगी। इससे नकदी प्रबंधन, प्रलेखीकरण, ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने में दक्षता आएगी।

- बैंक शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों तथा छोटे दुकानदारों को लक्ष्यबद्ध रखते हुए वित्तीय समावेशन में विस्तार करेंगे जिससे बैंक खाते खोलने में आधारीय पंजीकरण का भी लीवरेज होगा।
- अपने द्वारा प्रायोजित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए बैंक वित्तीय समावेशन योजनाएं तैयार करेंगे और प्रभावकारी निगरानी कार्यविधि विकसित करेंगे ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आबंटित लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त किए जा सकें।

5. विवेकपूर्ण विनियामक नीति

बासेल II के अधीन उन्नत दृष्टिकोण अपनाना

3.23 मार्च 2009 में, भारत में सभी अनुसूचित बैंकों ने बासेल II के बुनियादी दृष्टिकोणों का पूरा माइग्रेशन का कार्य पूरा कर लिया। हालांकि मानकीकृत दृष्टिकोणों और पिलर 2 के कार्यान्वयन का कार्य बेहतर किया जाएगा, हाल ही में ध्यान बासेल II फ्रेमवर्क के अधीन पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता की गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोणों के अपनाने पर केंद्रित हो गया है। ये उन्नत दृष्टिकोण अलग अलग बैंकों की विनियामक पूंजी तथा उनके जोखिम प्रोफाइल में सामंजस्य लाने में सहायता करेंगे और साथ ही उनकी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में भी सहायता करेंगे। बैंकिंग उत्पादों तथा कारोबारी माडलों के अधिकाधिक जटिल होने से, उन्नत दृष्टिकोणों में इन उत्पादों में निहित जोखिम मापे जा सकते हैं और उनका बेहतर ढंग से प्रबंध किया जा सकता है। अतः उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने से वित्तीय उत्पादों के मूल्यन तथा निष्पादन मापन में भी सहायता मिलेगी।

3.24 मानक दृष्टिकोणों की तुलना में उन्नत दृष्टिकोण अपनाना अधिक चुनौतीपूर्ण है। पहला, उन्नत देशों के विपरीत, भारत में बैंक जोखिम प्रबंधन में उन्नत मात्रात्मक तकनीकों के प्रयोग से वाकिफ नहीं हैं जो बासेल II के अधीन जोखिम उपायों को मापने के लिए आवश्यक हैं। दूसरा, बैंकों को उन्नत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क, विशेषकर स्टाफ के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन और क्षतिपूर्ति स्कीम के रूप में, के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत क्षमताएं बनानी हैं। तीसरा, बैंकों को गुणवत्तावाले डाटा, आर्थिक चक्र की समझ, जोखिम माडलों के वैधीकरण के लिए मात्रात्मक तकनीकों तथा दक्ष स्टाफ की आवश्यकता है। अतः उचित यही होगा कि पर्याप्त जोखिम प्रबंध प्रणालियां वाले बड़े बैंक पहले उन्नत दृष्टिकोण अपनाएं और दूसरे बैंक जोखिम प्रबंध प्रणालियों और ब्याज को इस प्रकार अपनाएं कि वह उनके वर्तमान परिचालनों के अनुरूप हो और साथ-साथ उन्नत दृष्टिकोणों के लिए वांछित संगठनात्मक कौशल बनाएं।

3.25 इसके अतिरिक्त, अलग अलग दृष्टिकोणों के कार्यान्वयन में विशिष्ट चुनौतियां जुड़ी हैं। पहला, आईआरबी दृष्टिकोण के अधीन, ऋण जोखिम के माडल में बैंक के अपने ऐतिहासिक ऋण के आधार पर चूक और एलजीडी के संबंध में चूक की संभावना का माडल बनाने की आवश्यकता है। ऐसी प्रक्रिया में पर्याप्त ऐतिहासिक डाटा न होना एक कठिनाई है। इसके अतिरिक्त, संबंधित डाटा अक्सर अलग-अलग प्रणालियों और यूनिटों में रखा जाता है और बैंकों द्वारा प्रयुक्त पारंपरिक आस्ति श्रेणियां आईआरबी दृष्टिकोण से विभिन्न हैं। भारत में प्रयोग के लिए बाजार डाटा के आधार पर ऋण जोखिम माडल की उपयुक्तता बहुत सीमित है क्योंकि अधिकांश कंपनी उधारग्राही असूचीबद्ध हैं और उनके पास सूचीबद्ध कंपनी बांड नहीं हैं।

3.26 दूसरा, एएमए के अधीन परिचालनात्मक जोखिम का माडल बनाना बाह्य हानि डाटा और गुणवत्ता वाले आंतरिक हानि डाटा के अभाव के कारण चुनौतीपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, परिचालनात्मक जोखिम पूंजी प्रभार की गणना कारोबारी परिवेश के प्रभाव, आंतरिक नियंत्रण घटक और परिदृश्य विश्लेषण का इस्तेमाल करने में उल्लेखनीय व्यक्तिपरक निर्णय करना होता है।

3.27 तीसरा, हालांकि बाजार जोखिम के लिए आईएमए में अधिक डाटा तथा माडलिंग की आवश्यकता नहीं है लेकिन आईआरसी के लिए कार्यविधियां अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं।

3.28 रिज़र्व बैंक ने उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। मार्च 2010 में परिचालनगत जोखिम के लिए तथा अप्रैल 2010 में बाजार जोखिम के लिए टीएसए/एएसए तथा आईएमए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। अप्रैल 2011 में परिचालनगत जोखिम के लिए एएमए के संबंध में भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। फाउंडेशन आईआरबी तथा ऋण जोखिम पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए उन्नत आईआरबी के लिए भी दिशानिर्देश 10 अगस्त 2011 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखे गए हैं। इसमें बैंकों तथा अन्य स्टेकधारकों से टिप्पणियां मंगाई गई हैं। 2011-12 की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा के अनुसार यह प्रस्ताव है कि दिसम्बर 2011 के अंत तक आईआरबी दृष्टिकोण पर अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिए जाएं।

निजी क्षेत्र के नये बैंकों को लाइसेंस दिया जाना

3.29 केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में की गई घोषणा और वर्ष 2010-11 के लिए रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य के अनुसरण में, " ऐण्ट्री आफ न्यू बैंक्स इन द प्राइवेट सैक्टर" विषय पर एक चर्चा पत्र 11 अगस्त 2010 को रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर रखा गया। विभिन्न स्टेकधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और व्यापक आंतरिक चर्चा तथा भारत सरकार से परामर्श के आधार पर, प्रारूप दिशानिर्देश तैयार किए गए और रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर 29 अगस्त, 2010 को जारी किए गए। इसके द्वारा विभिन्न स्टेकधारकों से टिप्पणियां मांगी गईं। प्रारूप दिशानिर्देशों पर सुझाव और टिप्पणियां 31 अक्तूबर 2011 तक मंगाई गई हैं।

प्रारूप दिशानिर्देशों की प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं :

(i) पात्र प्रमोटर : निजी क्षेत्र में संस्थाएं/समूह, निवासियों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित स्वामित्व विविधीकृत, मजबूत साख तथा कम से कम 10 वर्ष तक सफल ट्रैक रिकार्ड वाले, बैंक प्रोमोट करने के पात्र होंगे। जिन संस्थाएं/समूह का स्थावर रूपया निर्माण तथा/या दलाली गतिविधियां से अलग-अलग या सामूहिक रूप से पिछले तीन वर्ष में उल्लेखनीय आय या आस्तियों या दोनों (10 प्रतिशत या अधिक) हिस्सा हैं वे पात्र नहीं होगी।

(ii) कंपनी संघटन : नए बैंक केवल पूर्णतया स्वामित्व वाली एनओएचसी के माध्यम से स्थापित किए जाएंगे जो रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत की जाएगी जो बैंक तथा अन्य वित्तीय कंपनियों को प्रमोटर समूह में रखेगी।

(iii) न्यूनतम पूंजी आवश्यकता : न्यूनतम पूंजी आवश्यकता 500 करोड़ रुपये होगी। इस शर्त के अधीन लाई जानेवाली प्रस्तावित पूंजी प्रमोटरों की कारोबारी योजना पर निर्भर करेगी। एनओएचसी बैंक को लाइसेंस देने की तारीख से पांच वर्ष के लिए बैंक की प्रदत्त पूंजी का कम से कम 40 प्रतिशत धारित करेगी। एनओएचसी में 40 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता को 10 वर्ष के भीतर कम कर के 20 प्रतिशत किया जाएगा और बैंक को लाइसेंस देने की तारीख से 12 वर्ष के भीतर कम कर के 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

(iv) विदेशी शेयरधारिता : नए बैंक में कुल अनिवासी शेयरधारिता पहले 5 वर्ष के लिए 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उसके बाद यह विद्यमान नीति के अनुसार होगी।

(v) कंपनी अभिशासन : एनओएचसी के कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिएं। कंपनी का संघटन इस प्रकार होना चाहिए जिससे रिज़र्व बैंक द्वारा समेकित आधार पर बैंकों तथा एनओएचसी के प्रभावी पर्यवेक्षण में कोई बाधा न आए।

(vi) कारोबारी माडल : माडल वास्तविक तथा अर्थक्षम होना चाहिए और बैंक वित्तीय समावेशन कैसे प्राप्त करेगा उसका प्रावधान होना चाहिए।

(vii) अन्य शर्तें :

- प्रमोटर समूह में किसी संस्था में बैंक का एक्सपोज़र 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। समूह की सभी संस्थाओं में कुल एक्सपोज़र बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा रिज़र्व राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- लाइसेंस प्राप्त करने की तारीख से दो वर्ष के भीतर बैंक अपने शेयर शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करवाएगा।

- बैंक अपनी शाखाओं का कम से कम 25 प्रतिशत बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोलेगा
- वर्तमान एनबीएफसी को, यदि पात्र पाई जाती है, तो उन्हें या तो कोई नया बैंक प्रमोट करने या अपने आप को बैंक में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी।

(viii) गैर-वित्तीय कारोबार से 40 प्रतिशत या अधिक आस्तियों / आय वाले प्रमोटर समूहों के लिए कुछ अतिरिक्त शर्तें निर्धारित

यह उल्लेखनीय है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में कुछ संशोधन करना भारत सरकार के विचाराधीन है। इनमें से कुछ निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस की नीति को अंतिम रूप देने और कार्यान्वित करने से संबंधित हैं जो महत्त्वपूर्ण हैं। महत्त्वपूर्ण संशोधनों में ये शामिल हैं-मतदान अधिकारों के प्रतिबंध हटाना और साथ-साथ किसी बैंक में 5 प्रतिशत या अधिक शेयरों तथा/या मतदान अधिकारों के अधिग्रहण के अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक को प्राधिकृत करना जो 'योग्य तथा उचित है', किसी बैंक के बोर्ड को भंग करने के लिए रिज़र्व बैंक को प्राधिकृत करना ताकि जमाकर्ताओं के हित की रक्षा की जा सके और समेकित पर्यवेक्षण में सहायता मिल सके।

निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना के लिए आवेदन मंगाने की प्रक्रिया दिशानिर्देशों के प्रारूप पर फीडबैक/ टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के बाद अंतिम दिशानिर्देश जारी किये जाने एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन किये जाने के बाद प्रारंभ की जाएगी।

भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति

3.30 रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2011 में भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के बारे में भी एक चर्चा पत्र जारी किया जिसमें स्टेकधारकों और आम जनता से फीडबैक और सुझाव मांगे गए थे। चर्चा पत्र पर फीडबैक, टिप्पणियां तथा सुझाव प्राप्त होने के बाद भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के स्वरूप के बारे में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

भारतीय बैंकों के लिए होल्डिंग कंपनी संरचना

3.31 वर्ष 2010-11 के लिए मौद्रिक नीति वक्तव्य में दी गई घोषणा के परिणामस्वरूप, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए होल्डिंग कंपनी संरचना प्रारंभ करने तथा विधायी और विनियामक फ्रेमवर्क में परिवर्तनों की जांच करने के लिए जून 2010 में एक कार्य बल गठित किया गया (अध्यक्षः श्रीमती श्यामला गोपीनाथ)। इस दल में भारत सरकार, रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए, आईबीए तथा कुछ बैंकों के प्रतिनिधि थे। सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए कार्यदल की रिपोर्ट मई 2011 में रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखी गई। रिपोर्ट भारत सरकार को विचारार्थ भेज दी गई है।

3.32 कार्यदल ने बैंकों तथा सभी बड़े वित्तीय समूहों के लिए अधिमानतः फिनैन्शियल होल्डिंग कंपनी (एचडीएफसी) माडल की सिफारिश की है चाहे उनके पास बैंक हो या नहीं। एफएचसी मुख्यतया एक गैर परिचालन संस्था होगी और सहायक संस्थाओं के माध्यम से सभी वित्तीय गतिविधियां करेगी। एफएचसी विविधीकृत होगी और कड़े स्वामित्व तथा अधिशासन मानदंडों के अधीन होगी। स्वामित्व संबंधी प्रतिबंध या तो एफएचसी के स्तर पर या संस्था के स्तर पर होंगे, जिसका आधार होगा कि प्रमोटर, जहां विधि द्वारा ऐसा अनुमत है, सहायक संस्थाओं में प्रमुख नियंत्रण रखने के इच्छुक हैं।

3.33 कार्यदल ने यह पाया कि बैंक सब्सिडियरी माडल की तुलना में जहां मूल बैंक के लिक्विडेशन से सहायक संस्थाओं का लिक्विडेशन करना आवश्यक हो जाएगा, एफएचसी माडल से वित्तीय समूहों का बेहतर पर्यवेक्षण हो पाएगा और विभिन्न संस्थाओं का बेहतर समाधान हो पाएगा।

3.34 प्रणालीगत चिंताओं का समाधान करने के लिए, कार्यदल ने एफएचसी स्तर पर समेकित पर्यवेक्षण की संकल्पना व्यक्त की है जिसे वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के बीच सहमति ज्ञापनों के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा। एफएचसी विनियमन का कार्य रिज़र्व बैंक में ही एक अलग इकाई द्वारा किया

जाएगा। इसमें रिज़र्व बैंक से तथा अन्य विनियामकों का स्टाफ होगा। एफएचसी माडल को पूरी तरह से परिचालित करने के लिए, यह सिफारिश की गई है कि एफएचसी का विनियमन करने के लिए एक अलग कानून बनाया जाए और साथ ही, जहां आवश्यक हो, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, कंपनी अधिनियम तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के संबंध में भी कानूनों में संशोधन किया जाए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कराधान प्रावधानों में यथोचित संशोधन करने आवश्यक होंगे ताकि बैंक सब्सिडियरी माडल से एफएचसी माडल में परिवर्तन होने पर, यह कर तथा स्टांप शुल्क निरपेक्ष हो जाए।

3.35 तथापि, पुरानी परिपाटी संबंधी मुद्दों और विनियामक तथा कानूनी प्रावधानों की बहुलता के कारण, भारत में एफएचसी माडल के कार्यान्वयन में बहुत सी चुनौतियां हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नानुसार हैं:

- हालांकि एफएचसी के लिए एक अलग कानून बनाने की सिफारिश की गई है, लेकिन इसके लिए समय लग सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार सहित यह सिफारिश सभी स्टेकधारकों द्वारा स्वीकार की जानी है और विभिन्न अन्य अधिनियमों में अभी संशोधन किया जाना है।
- वित्तीय क्षेत्र में कई निहित मुद्दे हैं : ये हैं - विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में विभेदक सरकारी स्वामित्व, विभिन्न विनियामकों द्वारा निर्धारित विभेदक स्वामित्व तथा अधिशासन मानक और विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित विदेशी स्वामित्व के लिए विभेदक उच्चतम सीमाएं। किसी समूह की सभी वित्तीय गतिविधियों को एक एफएचसी के अंदर लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की नीतियों के बीच सामंजस्य होना अनिवार्य है।
- सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बैंक सब्सिडियरी माडल से एफएचसी में पुनर्गठित करना होगा क्योंकि इसमें सरकार के लिए रणनीति तथा सार्वजनिक नीति मुद्दे जुड़े हैं। चाहे सरकार अपना नियंत्रण एफएचसी स्तर पर रखे या बैंक स्तर पर, उसे कार्यान्वयन, प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी मुद्दों का समाधान खोजना होगा।

क्षतिपूर्ति नीति

3.36 कई अन्य अधिकारक्षेत्रों के विपरीत, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों में सीईओ सहित निदेशक मंडल की क्षतिपूर्ति का विषय हमेशा ही बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन रिज़र्व बैंक के विनियमन में रहा है। अधिनियम के उपबंधों के अधीन, अपने निदेशकों/सीईओ को उनके कार्यरत रहने या उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद कोई लाभ, सुविधा या अनुलाभ देने के लिए भारत में बैंकिंग कंपनियां रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करती हैं।

3.37 सशक्त क्षतिपूर्ति प्रथाओं के लिए एफएसबी सिद्धांतों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए जुलाई 2010 में क्षतिपूर्ति के संबंध में प्रारूप दिशानिर्देश अपने वेबसाइट पर रखे। अक्तूबर 2010 में बीसीबीएस ने ''रेंज ऑफ मेथडॉलॉजीस फॉर रिस्क ऐंड परफॉरमेंस एलाइनमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन '' नामक लेख पर एक परामर्शी पत्र जारी किया और मई 2011 में एक अंतिम पत्र जारी किया।

3.38 मई 2011 में घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसरण में तथा प्रारूप दिशानिर्देशों के संबंध में प्राप्त फीडबैक, बाह्य सलाहकारों की सहायता से किए गए प्रभाव विश्लेषण तथा जोखिम सामंजस्य के संबंध में बीसीबीएस द्वारा निर्धारित कार्यविधियों के आधार पर, रिज़र्व बैंक क्षतिपूर्ति के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे रहा है।

साख सूचना कंपनियां

3.39 ऐक्सपीरियन क्रेडिट इन्फार्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा ईक्विफैक्स क्रेडिट इन्फार्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पहले 2009-10 में साख सूचना का कारोबार प्रारंभ करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र देने के बाद,

2010-11 में रिज़र्व बैंक ने हाइमार्क क्रेडिट इन्फार्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को साख सूचना का कारोबार करने के लिए प्रमाणपत्र जारी किया। रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2010 में परिपत्र जारी किया। इसमें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे साख सूचना कंपनियों और रिज़र्व बैंक को उनके द्वारा प्रस्तुत डाटा में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) को एक फील्ड के रूप में शामिल करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन साख सूचना कंपनियों के निदेशकों की सही पहचान की जा सकेगी और किसी भी स्थिति में, जिन व्यक्तियों के नाम 25 लाख और उससे अधिक राशि का जानबूझकर चूक करने वाले या 1 करोड़ रुपये से अधिक चूक करने उधारकर्ताओं के नाम से मिलते जुलते हैं, ऐसे आधार पर ऋण सुविधाओं से वंचित न किए जाएं।

अग्रिमों के लिए प्रावधान कवरेज (पीसीआर)

3.40 एक समष्टि विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, बैंकों से अपेक्षित था कि वे सितंबर 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल एनपीए का 70 प्रतिशत पीसीआर के रूप में बनाए रखें। निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड से अधिक के सरप्लस को "काउंटरसाइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर" नामक अलग खाते में रखा जाएगा जिसे रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से व्यापक मंदी के दौरान प्रयुक्त किया जाएगा। यह एक अंतरिम उपाय है जब तक कि रिज़र्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग की कुछ अधिक व्यापक कार्यविधि प्रारंभ नहीं कर देता।

पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान

3.41 लेखा मानक एएस15 के अनुसरण में जो अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक आईएएस 19 पर आधारित है, बैंक पेंशन, ग्रेच्युटी, आदि जैसे लाभ कर्मचारियों को देते हैं। बैंकों से अपेक्षित है कि यह सुनिश्चित करें कि उनकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी वेतन संबंधी प्रतिबद्धताएं उनके द्वारा वहन की जा सकती हैं। अप्रैल 2010 में किए गए पिछले 9वें द्विपक्षीय समझौते में सरकारी क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के 10 पुराने बैंक, उपर्युक्त समझौते के कारण अतिरिक्त बोझ के प्रभाव को सहन नहीं कर पाए। अतिरिक्त देयता को ऐमोर्टाइज़ करने के लिए सदस्य बैंकों की ओर से आईबीए ने रिज़र्व बैंक से संपर्क किया। रिज़र्व बैंक द्वारा इन बैंकों को कुछ शर्तों के अधीन पांच वर्ष में इस देयता को एमोर्टाइज करने की विशेष विनियामक छूट दी गयी[3]। ऐसी देयताओं के लिए पर्याप्त प्रावधान न करना एक विनियामक चिंता है। यह प्रणालीगत स्थिरता मुद्दों से भी जुड़ा है जो न्यून प्रावधान तथा वर्तमान लेखा मानकों का अनुपालन न करने के कारण है। इसलिए, बैंक अपनी अधिवर्षिता देयताओं का उचित आकलन करें और उसी वर्ष में उनका प्रावधान करें जिसमें वेतन समझौते देय हो जाते हैं न कि जिस वर्ष में वे किए जाते हैं।

बासेल III के लिए रोडमैप

3.42 बासेल समिति ने 1 जनवरी 2013 तथा 1 जनवरी 2019 के बीच बासेल III मानक अपनाने के लिए एक विस्तृत रोडमैप निर्धारित किया है। इस संबंध में किए गए आकलन से पता चलता है कि फेज-इन अवधि में बासेल III मानक अपनाने के लिए भारतीय बैंक तैयार हैं। तथापि, कई चुनौतियां बनी हुई है जैसे कि जोखिम प्रावधान प्रणालियों को अपग्रेड करना, कुछ कड़ी विनियामक व्यवस्था के रहते हुए भी तीव्रता से विकासशील अर्थव्यवस्था की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना।

6. पर्यवेक्षी नीति

बड़े तथा प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंकिंग समूहों का निकट से निरंतर पर्यवेक्षण

3.43 पर्यवेक्षी संसाधनों को इष्टतम करने और साथ ही प्रणालीगत रूप से कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण बैंकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग की पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं और संगठनात्मक संरचना का पुनर्गठन

[3] विस्तृत विवरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट-2010-11 देखें।

किया जाए। विभाग का पुनर्गठन 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी किया गया जिसके द्वारा वित्तीय संगुट निगरानी प्रभाग (एफसीएमडी) के नाम से एक नया प्रभाग बनाया गया। यह प्रभाग 12 बड़े तथा प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंकिंग समूहों का ''निकट से तथा निरंतर पर्यवेक्षण'' करेगा। इन 12 बैंकों के पास बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों का 52.7 प्रतिशत हिस्सा है। पुनर्गठित स्थापना के अधीन, एफसीएमडी के लिए पर्यवेक्षी उत्तरदायित्व में आन-साइट तथा आफ-साइट पर्यवेक्षण तथा, अन्य बातों के साथ-साथ, समूह - वार पूंजी पर्याप्तता आकलन पर ध्यान केंन्द्रित करते हुए बैंकिंग समूहों का और अधिक अर्थपूर्ण समेकित/संगुट पर्यवेक्षण किया जाएगा।

वाणिज्य बैंकों के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए स्टीयरिंग समिति

3.44 रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी नीतियों, कार्यविधियों तथा प्रक्रियाओं की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए और पर्यवेक्षी नीतियों को वैश्विक मानकों के समतुल्य बनाने के लिए सुधारों का सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय स्टीयरिंग समिति (अध्यक्षः डा. के.सी.चक्रवर्ती) गठित की गई है। श्री बी. महापात्र, कार्यपालक निदेशक, रिज़र्व बैंक, डा.जे.आर.वर्मा, प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद, श्री दिवाकर गुप्ता, एमडी तथा सीएफओ, भारतीय स्टेट बैंक, श्रीमती चन्दा कोचर, प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईसीआईसीआई बैंक लि., श्री बसंत सेठ, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, सिंडिकेट बैंक, तथा श्री एम.बी.एन.राव, सेवानिवृत्त प्रबंध निदेशक, केनरा बैंक इसके सदस्य हैं और श्री जी. जगनमोहन राव, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक इसके सदस्य-सचिव हैं। समिति अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2012 तक प्रस्तुत करेगी।

बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के फार्मेट की समीक्षा

3.45 बैंकिंग प्रणाली में परिवर्तनों, बैंकों द्वारा कारोबार करने के तरीकों के अनुसार तेजी से बदलती कारोबारी प्रथाओं के अनुरूप पर्यवेक्षकों को स्वयं को बदलने की आवश्यकता को देखते हुए, बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण की प्रक्रिया को पुनःपरिभाषित किया गया है। वार्षिक वित्तीय निरीक्षण की व्याप्ति तथा इन रिपोर्टों को बनाने की पद्धति के संबंध में संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य फोकस को प्रखर करना तथा विश्लेषण में अधिक स्पष्टता लाना एवं स्पष्ट निष्कर्षों पर पहुंचना है ताकि रिज़र्व बैंक निष्कर्षों के आधार पर स्पष्ट पर्यवेक्षी कार्रवाई कर सके। ये दिशानिर्देश वर्तमान वार्षिक वित्तीय निरीक्षण चक्र 2011-12 में प्रारंभ कर दिये गये हैं।

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) द्वारा की गई पहलें

3.46 नवंबर 1994 में गठित बीएफएस रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी और विनियामक पहल के पीछे मुख्य दिशानिर्देश वाली शक्ति है। जुलाई 2010 से जुलाई 2011 तक बीएफएस ने 13 बैठकें कीं। उसने 98 निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा की (सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 25, निजी क्षेत्र के बैंकों की 30, विदेशी बैंकों की 31, स्थानीय क्षेत्र बैंकों की 4, तथा वित्तीय संस्थाओं की 8)। इस अवधि में, बीएफएस ने निरीक्षण रिपोर्टों के 15 सारांशों और ग्रेड I/II में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय मुख्य-मुख्य बातों के 43 सारांशों की भी समीक्षा की। अवधि के दौरान बीएफएस ने जिन महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :

- पर्यवेक्षी श्रेणी निर्धारण के संबंध में काफी रुचि दिखाते हुए बीएफएस ने श्रेणी निर्धारण कार्यविधि की पूरी समीक्षा करने की अपेक्षा की। सुझावों में (i) उप पैरामीटरों को दिए भारांक की समीक्षा; (ii) कम्पोज़िट श्रेणी निर्धारण में समायोजन ताकि विभिन्न पैरामीटरों के निष्पादन में गिरावट या सुधार दिखाया जा सके। इस समय पर्यवेक्षी श्रेणी निर्धारण फ्रेमवर्क की समीक्षा की जा रही है।
- समीक्षाधीन अवधि में, बीएफएस ने देखा कि अनुकूल बाजार परिस्थितियों का फायदा उठाने और लाभ बुक करने के लिए कई बैंकों ने वर्ष में एक से अधिक बार एचटीएम श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों की बिक्री की। बीएफएस के निर्देशानुसार, अगस्त 2010 में एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें बैंकों को सूचित किया गया कि एचटीएम श्रेणी के अधीन धारित निवेशों का बाजार मूल्य बताएं और यदि

एचएमटी श्रेणी को/से प्रतिभूतियों के विक्रय और अंतरणों का मूल्य एचटीएम में निवेश के बही मूल्य से अधिक हो, तो बाजार मूल्य की तुलना में बही मूल्य का आधिक्य बताएं, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। यह सूचना बैंकों के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में '' नोट्स टू अकाउंट्स'' में दी जाएगी। नवंबर 2010 में, यह स्पष्ट किया गया कि लेखा वर्ष के प्रारंभ में निदेशक मंडल के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी को/से प्रतिभूतियों के एकबारगी अंतरण तथा पूर्वघोषित ओएमओ नीलामियों के अधीन रिज़र्व बैंक को किए गए विक्रय अगस्त 2010 में निर्धारित की गई 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा से बाहर होंगे।

- बीएफएस ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जिसके अनुसार केवल उन्हीं विदेशी बैंकों का वार्षिक वित्तीय निरीक्षण किया जाएगा, जिनका कारोबारी अंश, बाजार अंश (आस्तियां+ तुलनपत्र से इतर कारोबार) के 0.1 प्रतिशत से अधिक है। जिन विदेशी बैंकों का बाजार में हिस्सा 0.1 प्रतिशत से कम है उनका निरीक्षण दो वर्ष में एक बार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी रेटिंग 'बी' तथा उससे अधिक हो। जिन विदेशी बैंकों का बाजार में हिस्सा 0.1 प्रतिशत से कम है तथा रेटिंग 'सी' तथा उससे कम है, उनका निरीक्षण प्रत्येक वर्ष किया जाएगा।
- बीएफएस के सुझावों के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि पर्यवेक्षकों के तौर पर, निरीक्षण अधिकारी को बैंक की निरीक्षण/लेखा परीक्षा टीमों की सभी रिपोर्टों/ समीक्षा टिप्पणियां उपलब्ध होनी चाहिएं, जिनमें से कुछ विदेश से हो सकती हैं और स्थानीय रूप से उपलब्ध न हों।

यूके में होल फर्म लिक्विडिटी मोडिफिकेशन व्यवस्था : भारतीय बैंकों के लिए निहितार्थ

3.47 वित्तीय पर्यवेक्षण व्यवस्थाओं में बढ़े अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आघातों को सहन करने के लिए बैंकिंग प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए यूके की फिनांशियल सर्विसेज़ ऑथरिटी(एफएसए) ने एक नई चलनिधि व्यवस्था का प्रस्ताव दिया। व्होल फर्म लिक्विडिटी मोडिफिकेशन व्यवस्था जिसमें यूके में शाखाओं/सहायक संस्थाओं के माध्यम से परिचालन कर रहे भारतीय बैंक शामिल हैं, से भारतीय बैंक की यूके शाखा, होल फर्म (बैंक) के भीतर से कहीं से भी असीमित चलनिधि प्राप्त कर सकेगी। रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद, यूके में कार्यरत छह भारतीय बैंकों ने उपर्युक्त व्यवस्था के अधीन '' व्होल फर्म मोडिफिकेशन'' के लिए आवेदन किया है। बाद में, रिज़र्व बैंक ने एफएसए के साथ अक्तूबर 2010 में करार भी किए ताकि छह बैंकों के संबंध में निरंतर आधार पर मूल बैंक की चलनिधि पर निगरानी रखी जा सके। करार के अनुसार, भारतीय बैंकों की यूके शाखाओं के संबंध में चलनिधि अपर्याप्तता के ट्रिगरों की विशेषताओं और निगरानी का काम मूल बैंक करेगा।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की सूचना देना

3.48 रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2010 में एक परिपत्र जारी करके सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को धोखाधड़ी की सूचना देने के लिए उच्चतम सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपये कर दी गई है और तदनुसार, 1 करोड़ रुपये से अधिक और 7.5 करोड़ रुपये तक के सभी धोखाधड़ी मामलों, जहां प्रथम दृष्टि में स्टाफ शामिल हैं, की सूचना भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी जानी चाहिए। तथापि, जहां पृथम दृष्टि में स्टाफ शामिल नहीं है, वहां सूचना केंद्रीय जांच ब्यूरो की आर्थिक अपराध विंग को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, 7.5 करोड़ रुपये से अधिक के सभी मामलों की सूचना बैंकिंग सुरक्षा और धोखाधड़ी कक्ष के संबंधित केंद्र को दी जाएगी जो प्रमुख बैंक धोखाधड़ी के मामलों के लिए आर्थिक अपराध विंग का विशिष्ट कक्ष है।

निजी क्षेत्र/विदेशी बैंकों में आंतरिक सतर्कता

3.49 निजी तथा विदेशी बैंकों के आंतरिक सतर्कता कार्य को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अनुरूप बनाने के लिए कुछ निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के वर्तमान सतर्कता कार्यों को वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ मैप किया गया और यह देखा गया कि बैंकों में प्रथाएं अलग-

अलग हैं। मई 2011 में निजी क्षेत्र तथा विदेशी बैंकों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए ताकि भ्रष्टाचार, कुप्रथाओं और धोखाधड़ी के संबंध में चूक से संबंधित मुद्दों पर समय पर और यथोचित कार्रवाई की जा सके। विस्तृत दिशानिर्देशों का उद्देश्य आंतरिक सतर्कता के कार्य में एकरूपता लाना तथा उसे युक्तिसंगत बनाना था। भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, सूचित किया गया कि वे (i) आंतरिक सतर्कता का प्रमुख अधिकारी नियुक्त करें और उसकी भूमिका भी दिशानिर्देशों में परिभाषित की गई है; (ii) संवेदनशील पदों की पहचान करें और संवेदनशील डेस्कों पर कार्यरत स्टाफ के रोटेशन, उन्हें अनिवार्यतः छुट्टी पर भेजने के संबंध में बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करें।

फोरैन्सिक संवीक्षा के लिए दिशानिर्देश

3.50 रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत खामियों, यदि कोई हो, और नियंत्रणों की पर्याप्तता की पहचान करने के लिए कुछ पहचान किए गए बैंकों में फोरैन्सिक संवीक्षा की गई क्योंकि बड़े मूल्य की धोखाधड़ियां हुई थीं और ऐसे बैंकों में धोखाधड़ियों की संख्या बढ़ गई थी। संवीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर पहले जारी ''डिटैक्शन एण्ड रिपोर्टिंग आफ फ्राड्स, करैक्टिव ऐक्शन एण्ड प्रीवैन्टिव एण्ड प्यूनिटिव ऐक्शन'' परिपत्र के अनुसार धोखाधड़ी का पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए परिचालनात्मक फ्रेमवर्क के बारे में सूचित किया गया। बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी एचआर प्रक्रिया और आंतरिक निरीक्षण लेखा परीक्षा प्रक्रिया में यथोचित नियंत्रण और निरुत्साहित करने वाले उपाय रखें, जो विशिष्ट शाखाओं में 'योग्य तथा उचित मानदंड' का पालन करते हुए स्टाफ नियोजित करे और जांच/डाटा विश्लेषण में रुचि रखने वाले स्टाफ का डाटा बेस तैयार करे और उन्हें जांच और फोरेन्सिक लेखा परीक्षा का प्रशिक्षण दें।

डेरिवेटिव लेनदेनों के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई

3.51 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठित रिज़र्व बैंक की धारा 47ए(1)बी, के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने 19 वाणिज्य बैंकों पर दंड लगाया है। रिज़र्व बैंक द्वारा डेरिवेटिव लेनदेनों के बारे में जारी विभिन्न निदेशों तथा अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए यह दंड लगाया गया है। ये उल्लंघन प्रयोक्ता की उपयुक्तता तथा उत्पादों की संगतता के बारे में पर्याप्त सावधानी न बरतने तथा डेरिवेटिव उत्पाद ऐसे प्रयोक्ताओं को बेचने के कारण था जिन्हें यथोचित जोखिम प्रबंधन नीतियों का ज्ञान नहीं था।

ब्याज दर संवेदनशीलता की निगरानी के लिए विवरणी

3.52 रिज़र्व बैंक ने ड्यूरेशन गैप के आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता पर निगरानी रखने के लिए एक नई विवरणी प्रारंभ की है और ड्यूरेशन गैप की गणना के संबंध में नवंबर 2010 में एक परिपत्र जारी किया है। विवरणी तथा गणना की कार्यविधि बाक्स III.1 में दी गई है।

7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3.53 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्र पर आधारित और ग्रामीणोन्मुख बैंक हैं जो समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों के अनुसार संस्थागत ऋण संरचना में क्षेत्रीय असंतुलनों और कार्यमूलक कमियों को दूर करने के लिए स्थापित किए गए हैं। कारोबारी प्रतिनिधि, कारोबारी फैसिलिटेटर तथा नई प्रौद्योगिकियों जैसे नए ऋण वितरण माडलों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि नए ग्राहकों तक पहुंचा जा सके। अतः स्थानीय स्वरूप का होने और वहां के लोगों से परिचित होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय समावेशन के आंदोलन को आगे बढ़ाने में आदर्श है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन

3.54 सितंबर 2005 में प्रारंभ की गई समेकन और समामेलन की प्रक्रिया के कारण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घट कर 82 रह गई है। अब, 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 80 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिए गए हैं। इस समय दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंगाल और कलिंग ग्रामीण बैंक, उड़ीसा अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं।

बाक्स III.1 : ड्यूरेशन गैप विश्लेषण के आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की निगरानी

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जहां बाजार ब्याज दरों में परिवर्तनों से बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है। ब्याज दरों में परिवर्तन से बैंक की एनआईआई में परिवर्तन के माध्यम से बैंक के अर्जन पर प्रभाव पड़ता है। ब्याज दरों में परिवर्तन से उसकी दर संवेदनशील आस्तियों के आर्थिक मूल्य, देयताओं और तुलनपत्र से इतर स्थितियों के परिवर्तनों से बैंक की एमवीई या निवल मालियत पर भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार ब्याज दर जोखिम को दो तरीकों से देखा जा सकता है, अर्थात् 'अर्जन दृष्टिकोण' और 'आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण'। सामान्यतया, अर्जन को टीजीए का प्रयोग करते हुए मापा जाता है और आर्थिक मूल्य को कुछ और अधिक परिष्कृत जीपीए के द्वारा मापा जाता है।

इस समय, रिज़र्व बैंक ब्याज दर संवेदनशीलता के संबंध में मासिक विवरणी के माध्यम से टीजीए का प्रयोग करते हुए बैंकों के ब्याज दर जोखिम की निगरानी करता है। टीजीए का ध्यान सामान्यतया एक वर्ष की अवधि में बैंक की ब्याज दर घटबढ़ में उसकी एनआईआई में संवेदनशीलता के संदर्भ में ब्याज दर जोखिम के प्रति बैंक के जोखिम स्तर को मापना है। इसमें सभी आरएसए तथा आरएसएल तथा अवशिष्ट परिपक्वता/विभिन्न टाइम बैंड में पुनर्मूल्यन तथा ईएआर की गणना या एक वर्ष में विभिन्न ब्याज परिदृश्यों के अधीन आय की हानि तुलनपत्र से इतर मदें निहित हैं।

पारंपरिक गैप विश्लेषण के अधीन ब्याज दर जोखिम पर निगरानी करने के लिए वर्तमान विवरणी के अलावा, डीजीए का प्रयोग करते हुए, एक नई विवरणी प्रारंभ की जा रही है, जिसे आईएसआरडी कहा जाएगा। डीजीए में विभिन्न टाइम बैंक में अवशिष्ट परिपक्वता/पुनर्मूल्यन के अनुसार सभी आरएसए तथा आरएसएल की बकटिंग तथा एमडीजी की गणना निहित है। आरएसए तथा आरएसएल में दर संवेदी तुलनपत्र से इतर आस्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। एमडीजी का प्रयोग विभिन्न ब्याज दर परिदृश्यों के अधीन बैंक की एमवीई पर प्रभाव के आकलन के लिए किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में बैंकों ने आवास ऋण तथा बुनियादी सुविधाओं जैसी दीर्घावधि आस्तियों का वित्तपोषण प्रारंभ किया है। बैंकों को बुनियादी सुविधा क्षेत्र में पांच वर्ष से अधिक की परिपक्वता में उनके एक्सपोजर की सीमा तक न्यूनतम पांच वर्ष की परिपक्वता वाले दीर्घावधि बांड के माध्यम से निधियां जुटाने की अनुमति दी गई है। अतः नई विवरणी में समय बजट अर्थात '5 वर्ष से अधिक तथा 7 वर्ष तक', '7 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष तक' और '10 वर्ष से अधिक तथा 15 वर्ष तक' और 15 वर्ष से अधिक शामिल किए गए हैं।

संशोधित ड्यूरेशन गैप की गणना करने के लिए क्रमवार दृष्टिकोण का विवरण रिज़र्व बैंक के 4 नवंबर 2010 के परिपत्र (डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.59/21.04.098/2010-11) में दिया गया है। जहां बैंक की कुल वैश्विक आस्तियों/देयताओं में आस्तियां/देयताएं 5 प्रतिशत या अधिक हैं, वहां बैंकों को अपनी ब्याज दर जोखिम स्थिति, की गणना, प्रत्येक मुद्रा में (रुपये सहित) उस मुद्रा में आरएसए तथा आरएसएल मदों पर डीजीए का प्रयोग करके करनी होगी। शेष अन्य सभी मुद्राओं में ब्याज दर जोखिम की स्थिति की गणना समग्र आधार पर अलग-अलग की जाएगी। निर्धारित फ्रेमवर्क का उद्देश्य है -पूरे बैंक में ब्याज दर संवेदी स्थितियों में परिवर्तनों के कारण एमवीई पर प्रभाव का निर्धारण, अर्थात बैंकिंग तथा व्यापारी बहियों दोनों में। बैंक निर्धारित फार्मेट में डीजीए के अनुसार ब्याज दर संवेदनशीलता के संबंध में 30 जून 2011 से 31 मार्च 2012 तक तिमाही आधार पर और 30 अप्रैल 2012 से मासिक आधार पर रिर्पोट प्रस्तुत करेंगे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा लाइसेंस नीति

3.55 रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा लाइसेंस नीति को हाल ही में उदार कर दिया है और उन्हें टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों में (2001 की जनगणना के अनुसार 49,999 तक जनसंख्या) रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना शाखा खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कि वे इसकी सूचना रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें और संबंधित परिपत्र में विनिर्दिष्ट कुछ शर्तों को पूरा करते हों।

सीबीएस कार्यान्वयन

3.56 30 सितंबर 2011 की स्थिति के अनुसार, 82 में से 65 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सीबीएस को पूरी तरह से अपना लिया है और शेष बैंकों में सीबीएस के कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर है। सभी प्रायोजक बैंकों ने सितंबर 2011 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सीबीएस को कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया है।

ग्रैच्युटी का अमोर्टाइजेशन

3.57 ग्रैच्युटी के भुगतान के लिए उच्चतम सीमा 3.50 लाख से बढ़ा कर 10.00 लाख रुपये करने के परिणामस्वरूप, एलआईसी को अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की देयता काफी बढ़ गई है। अतः, उन्हें प्रत्येक वर्ष निहित राशि के न्यूनतम 1/5 हिस्से की शर्त के अधीन 31 मार्च 2011 के अंत से प्रारंभ करके 5 वित्तीय वर्षों में बढ़े हुए खर्च को अमोर्टाइज करने की अनुमति दी गई है।

8. सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक

3.58 समावेशक विकास, जिसमें वित्तीय समावेशन को उल्लेखनीय महत्ता प्रदान की गई है, की दृष्टि से भारतीय वित्तीय प्रणाली में सहकारी बैंकों की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। 2010-11 में, भारत में सहकारी बैंकिंग को मजबूत करने के लिए कई प्रकार की पहलें की गई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा आफ साइट एटीएम खोलना-उदारीकरण

3.59 उदारीकृत नीति के अनुसार, वित्तीय रूप से सुदृढ़ तथा भलीभांति प्रबंधित शहरी सहकारी बैंक अपनी वार्षिक कारोबारी योजना में शामिल एटीएम के अलावा आफ साइट एटीएम खोल सकते हैं बशर्ते कि वे निम्नलिखित मानदंडों का पालन करें: i) 10 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखना, ii) निवल एनपीए 5 प्रतिशत से कम हों, iii) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर बनाए रखने में कोई चूक न हुई हो, iv) पिछले 3 वर्ष के दौरान लगातार निवल लाभ, v) बोर्ड में दो पेशेवर निदेशकों सहित मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा vi) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949(सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों/निदेशों के अनुपालन के ट्रेक रिकार्ड के आधार पर विनियामक संतुष्टि। इसके अतिरिक्त, वित्तीय रूप से सुदृढ़ तथा भलीभांति प्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों की न्यूनतम स्वाधिकृत निधियां उस केंद्र के लिए निर्धारित प्रवेश संबंधी पूंजीगत मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए जहां ऑफ साइट एटीएम लगाने का प्रस्ताव है/जहां शहरी सहकारी बैंक पंजीकृत है।

नए बैंक लाइसेंस

3.60 जैसा कि वार्षिक नीति वक्तव्य 2010-11 में घोषित किया गया, रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को नए बैंक लाइसेंस देने के औचित्य का अध्ययन करने के लिए सभी स्टेकधारकों को लेकर एक समिति(अध्यक्ष: श्री वाई.एच.मालेगाम) गठित की। विशेषज्ञ समिति ने 18 अगस्त 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के मत में, बैंक सुविधारहित जिलों तथा 5 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्रों पर शहरी सहकारी बैंकों की बेहतर उपस्थिति की आवश्यकता है। इस संबंध में, यह आवश्यक है कि नए प्रवेशकर्ताओं को बैंक सुविधारहित तथा अपर्याप्त बैंक सुविधावाले राज्यों और जिलों में बैंक और शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वर्तमान भलीभांति प्रबंधित और अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाली सहकारी ऋण समितियों को शहरी सहकारी बैंकों के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस देने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, विशेषकर बैंक सुविधारहित या अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले केंद्रों में। नए शहरी सहकारी बैंक खोलने के संबंध में विशेषज्ञ समिति के दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं :-

- जो शहरी सहकारी बैंक किसी पूर्वोत्तर राज्य या केवल एक राज्य में काम करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 50 लाख रुपये की पूंजी की आवश्यकता होगी। जो शहरी सहकारी बैंक दूसरे राज्यों में काम करना चाहते हैं लेकिन उनकी अधिकांश शाखाएं "सी" और "डी" श्रेणी के जनसंख्या केंद्रों पर हैं, उन्हें न्यूनतम 100 लाख रुपए की पूंजी की आवश्यकता होगी। जो शहरी सहकारी बैंक "सी" और "डी" श्रेणी के बिना दूसरे राज्यों में काम करना चाहते हैं उनकी न्यूनतम पूंजी 300 लाख रुपये होनी चाहिए। पांच वर्ष के सफल परिचालन के बाद जो शहरी सहकारी बैंक एक से अधिक राज्य में काम करना चाहते हैं उन्हें कम से कम 500 लाख रुपये की पूंजी की आवश्यकता होगी।
- बैंक के रूप में सहकारी बैंक का स्वामित्व उसके सहकारी समिति के रूप में कार्य से अलग होना चाहिए। नए संगठन में निदेशक मंडल के अतिरिक्त प्रबंधन बोर्ड भी होगा।
- निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधन मंडल गठित किया जाएगा। इसमें पेशेवर कुशलताप्राप्त व्यक्ति होंगे जिन्हें बैंक के नियंत्रण और उसके कार्यकलापों को दिशा देने का दायित्व सौंपा जाएगा। इस काम में एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रबंधन मंडल की सहायता करेगा और वह बैंक के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से की जाएगी।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा मुद्रा आप्शन का व्यापार करने के संबंध में दिशानिर्देश

3.61 प्राधिकृत व्यापारी (श्रेणी I) के रूप में लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) के दिशानिर्देशों के अधीन केवल ग्राहकों के लेनदेनों के कारण उत्पन्न अन्तर्निहित एक्सपोजर की सुरक्षा करने के प्रयोजन से, सेबी द्वारा केवल ग्राहक के रूप में मान्यताप्राप्त किसी विनिर्दिष्ट ऐक्सचेंज पर ऐक्सचेंज ट्रेडड करेंसी ऑप्शन बाजार में भाग लेने के लिए अनुमति दी गई है।

आवासन, स्थावर संपदा क्षेत्र और वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र में एक्सपोजर

3.62 जैसा कि 2010-11 की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में घोषित किया गया था, आवासन, स्थावर संपदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋणों में शहरी सहकारी बैंकों का एक्सपोजर उनकी कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत तक होगा, न कि जमाराशियों के 15 प्रतिशत तक, जो 10 लाख रुपये तक की लागतवाले आवासीय यूनिटों के संबंध में आस्तियों के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा तक बढ़ाया जा सकता है जिसे बाद में व्यक्तियों को मंजूर किए गए आवास ऋण के लिए बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया कि शहरी बैंकों द्वारा स्थावर संपदा, वाणिज्यिक स्थावर संपदा और आवासीय ऋणों की समग्र सीमा उच्चतर वित्तीयन एजेंसियों तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त से अधिक नहीं होगी।

जीरो कूपन बांड में निवेश के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

3.63 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि जब तक जारीकर्ता समूचे उपचित ब्याज के लिए सिंकिंग फंड नहीं बना और उसका तरल निवेशों/प्रतिभूतियों (सरकारी बांडों) में निवेश जारी नहीं रखता, तब तक वह जीरो कूपन बांड में निवेश न करे।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के आवासीय ऋणों की सीमा

3.64 शहरी सहकारी बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 2011 को या उसके बाद प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में मंजूर किए गए आवासीय ऋणों की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ा कर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

निवेश के लिए लेखा कार्यविधि : निपटान दिवस लेखाकरण

3.65 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए लेखाकरण करते समय एकसमान प्रथाएं अपनाने के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों में आउटराइट तथा रेडी फारवर्ड क्रय और विक्रय रिकार्ड करने के लिए ''सैटलमैंट डेट'' लेखांकन का पालन करें।

ग्रैच्यूटी सीमा में वृद्धि- विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार

3.66 ग्रैच्यूटी अधिनियम, 1972 में संशोधन के परिणामस्वरूप, ग्रैच्युटी भुगतान में वृद्धि किए जाने से, शहरी बैंकों को, यदि व्यय वित्तीय वर्ष 2010-11 में पूरी तरह लाभ और हानि खाते में प्रभारित नहीं किया गया है, तो 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष से प्रारंभ करते हुए पांच वर्ष की अवधि में आस्थगित करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि प्रत्येक वर्ष कुल संबंधित राशि का न्यूनतम 1/5 हिस्सा लाभ और हानि खाता में प्रभारित किया जाए। शहरी सहकारी बैंक इस प्रकार आस्थगित किए गए व्यय की सूचना वार्षिक वित्तीय विवरणों में देंगे।

स्वसहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों का वित्तीयन

3.67 शहरी सहकारी बैंकों की आउटरीच और अधिक बढ़ाने तथा वित्तीय समावेशन के लिए एक और चैनल खोलने की दृष्टि से, जो उन्हें कमजोर वर्गों को उधार का उप लक्ष्य प्राप्त करने में भी सहायता देगा, शहरी सहकारी बैंकों को स्वसहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों को उधार देने की अनुमति दी गई। कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए स्वसहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों को दिये गये ऐसे उधार को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम माना जाएगा। इसके अतिरिक्त 50,000 रुपये तक स्वसहायता समूह/संयुक्त देयता समूह को दिए गए अन्य ऋणों को माइक्रो क्रेडिट समझा जाएगा और इसलिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम माना जाएगा। स्वसहायता समूहों को उधार, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण माना जाता है, भी कमजोर वर्गों को उधार का भाग माना जाएगा।

शहरी सहकारी बैंकों के ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा

3.68 न्यूनतम 100 करोड़ रुपये की निवल राशि, न्यूनतम 10 प्रतिशत सीआरएआर तथा 5 प्रतिशत से कम निवल एनपीए वाले तथा पिछले तीन वर्ष में लगातार निवल लाभ अर्जित करने वाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक को रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की शर्त के अधीन अपने ग्राहकों को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई।

ग्रामीण सहकारी बैंक

सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने की स्थिति

3.69 देश में 31 राज्य सहकारी बैंक और 371 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक हैं। लाइसेंस के बारे में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जाने के परिणामस्वरूप, दस राज्य सहकारी बैंकों और 160 जिला

मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस दिया गया। 30 जून 2011 की स्थिति के अनुसार, सात राज्य सहकारी बैंकों और 136 जिला मध्यवर्ती बैंकों के पास अभी भी लाइसेंस नहीं हैं।

राज्य तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंको के लिए आवास वित्त की सीमा निर्धारित

3.70 राज्य तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि आवास वित्त में अपने एक्सपोज़र अपनी कुल आस्तियों के 5 प्रतिशत तक सीमित रखें न कि अपने कुल ऋणों और अग्रिमों के 10 प्रतिशत तक।

9. गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

मूलभूत सुविधा ऋण की परिभाषा में संशोधन

3.71 ''मूलभूत सुविधा ऋण'' पद की परिभाषा, जिसे क्रमशः गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (जमाराशि स्वीकारने या धारण करने वाली) विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 के पैरा 2 (viii)तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (जमाराशि न स्वीकारने वाली धारण न करने वाली) विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 2007 में परिभाषित किया गया, में संशोधन किया गया है। परिणामस्वरूप, गैर बैंकिंग कंपनियों को "टेलीकाम टावर्स" को बुनियादी सुविधा में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि केवल रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित साख निर्धारण एजेंसियां ही इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्स कंपनियों का साख निर्धारण कर सकती हैं।

कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक फ्रेमवर्क

3.72 वर्तमान विनियामक फ्रेमवर्क के अधीन, 100 करोड़ रुपये से कम आस्तियों वाली कोर निवेश कंपनियों को रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण कराने से छूट प्राप्त है। तथापि, 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक आस्तियों वाली तथा सार्वजनिक निधियां स्वीकार करने वाली सीआईसी को प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी-एनडी-एसआई) माना जाएगा और उन्हें रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा चाहे उन्हें विगत में यह सूचित किया गया हो कि पंजीकरण आवश्यक नहीं है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मानक आस्तियों के लिए 0.25 प्रतिशत प्रावधान प्रारंभ करना

3.73 प्रतिचक्रीयता तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आर्थिक मंदी के प्रभाव से स्वयं को सुरक्षित रख सकें, बकाया मानक आस्तियों के 0.25 प्रतिशत का प्रावधान प्रारंभ किया गया है।

मुद्रा आप्शन में सहभागिता

3.74 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(आरएनबीसी को छोड़कर) को सेबी द्वारा मान्यताप्राप्त विनिर्दिष्ट मुद्रा आप्शन ऐक्स्चेंजों में सहभागिता की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए और यह सहभागिता केवल अन्तर्निहित विदेशी मुद्रा ऐक्स्पोजर की सुरक्षा के लिए हो और इसकी यथोचित सूचना तुलनपत्र में दी जाए।

ऋण सूचना कंपनियों को डाटा प्रस्तुत करना

3.75 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा है कि वे कम से कम एक ऋण सूचना कंपनी का सदस्य बनें। उनसे अपेक्षा है कि निर्धारित फार्मेट में ऋण सूचना कंपनियों को ऋण सूचना उपलब्ध कराएं। उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे ऐतिहासिक डाटा उपलब्ध कराएं ताकि नई ऋण सूचना कंपनियां एक मजबूत डाटा बेस विकसित कर सकें।

तुलनपत्र तथा लाभ और हानि खाता सूचना

3.76. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी सूचित किया गया है कि 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष अपना तुलनपत्र और लाभ और हानि खाता तैयार करें। तुलनपत्र की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें तुलनपत्र को अंतिम रूप देने की तारीख से एक महीने के भीतर प्रति वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार कंपनी की स्थिति के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और किसी भी स्थिति में उस वर्ष की 30 दिसंबर के बाद नहीं होगा।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भागीदारी फर्मों में भागीदार नहीं होंगी

3.77 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के भागीदारी फर्मों के साथ जुड़ने के जोखिम को देखते हुए, गैर बैंकिंग कंपनियों पर यह प्रतिबन्ध है कि किसी भागीदारी फर्म में पूंजी का अंशदान न करें या भागीदारी फर्मों में भागीदार न बनें। वर्तमान भागीदारी के मामले में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे भागीदार फर्मों से शीघ्र अलग हो जाएं।

कंपनी ऋण प्रतिभूतियों में रैडी फार्वर्ड संविदाएं

3.78 रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनियों को छोड़कर) कंपनी ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेनों में भाग लेने के लिए पात्र हैं। ऐसे रेपो लेनदेनों में भाग लेने की इच्छुक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और लेखाकरण दिशानिर्देशों का पालन करें। प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण सभी जमाराशियां स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां रेपो लेनदेनों में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से अपंग / दृष्टिहीन व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं

3.79 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि अशक्तता के आधार पर शारीरिक रूप से अपंग / दृष्टिहीन व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं देने सहित उत्पादों और सुविधाओं को देने में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए।

सीआरएआर को बढ़ा कर 15 प्रतिशत करना

3.80 यह निर्णय लिया गया कि जमाराशियां स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के न्यूनतम पूंजी अनुपात को एनबीएफसी-एनडी-एसआई के 15 प्रतिशत के बराबर कर दिया जाए। तदनुसार, जमाराशि स्वीकार करनेवाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि टीयर I और टीयर II पूंजी का न्यूनतम पूंजी अनुपात बनाए रखें, जो 31 मार्च, 2012 से तुलनपत्र पर उसके समग्र जोखिम भारित आस्तियों और तुलनपत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 15 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

सरफैसी (एसएआरएफएईएसआई)अधिनियम, 2002 के अधीन केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्री स्थापित करना

3.81 एक ही अचल संपत्ति पर विभिन्न बैंकों से बहुल उधारों के ऋण मामलों में धोखाधड़ी रोकने के लिए, सरफैसी अधिनियम के अधीन एक केंद्रीय इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्री स्थापित की गई है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेशों में शाखा/सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम/प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना

3.82 विदेश में निवेश करने की इच्छुक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (संशोधन) विनियम 2004 तथा गैर बैंकिंग वित्तीय पर्यवेक्षण विभाग, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (शाखा/सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम/प्रतिनिधि कार्यालय या विदेश में निवेश करना) निदेश 2011 के अधीन 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त करना चाहिए, जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का प्रधान कार्यालय पंजीकृत है।

बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का प्रवेश

3.83 रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कुछ रक्षोपायों के अधीन जोखिम सहभागिता सहित बीमा कारोबार करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी : i) किसी संयुक्त उद्यम कंपनी में ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो अधिकतम ईक्विटी अंशदान कर सकती है, वह है बीमा कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 50 प्रतिशत; ii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के उसी समूह या किसी और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में जुड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था या बैंकिंग कारोबार से जुड़ी कंपनी को जोखिम भागीदारी आधार या बीमा कंपनी से जुड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि यदि उसी समूह की एक से अधिक कंपनी, बीमा कंपनी में स्टेक लेना चाहती है, तो उसी समूह की सभी कंपनियों के अंशदान को एनबीएफसी के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा में गिना जाएगा।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां - संशोधित फार्मेट

3.84 वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, सभी एनबीएफसी (आरएनबीसी को छोड़कर) को अन्य मदों के साथ-साथ, जमाराशियां स्वीकार करने, विवेकपूर्ण मानदंड तथा पूंजी बाजार एक्सपोज़र के संबंध में विभिन्न विवरणियां प्रस्तुत करनी होती हैं। यह निर्णय लिया गया है कि रिपोर्टिंग प्रणाली को सुचारु बनाने और डाटा एकत्र करने की वर्तमान विधि में सुधार लाने के लिए विवरणियों को युक्तिसंगत बनाया जाए। अब बैंक ने संशोधित विवरणियों का फार्मेट बैंक की वेबसाइट https://cosmos.rbi.org.in पर रख दिया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सभी विवरणियां संशोधित फार्मेट में ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगी।

10. बैंकों में ग्राहक सेवा

3.85 रिज़र्व बैंक सूचना के उच्च प्रसार के माध्यम से ग्राहक सशक्तिकरण पर ध्यान देता है। ग्राहकों को और अधिक कुशल तथा पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, 2010-11 में कई प्रकार की पहल की गई।

क्रेडिट कार्ड सेवाएं

3.86 चूंकि बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों के बारे में बहुत सी शिकायतें हैं, इसलिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि क्रेडिट कार्ड के संबंध में 1जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र में दिए गए दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। इन दिशानिर्देशों का पालन न करने पर संबंधित सांविधिक उपबंधों के अधीन मौद्रिक दंड लगाने सहित यथोचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

एटीएम सेवाओं के लिए आनलाइन अलर्ट

3.87 रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि एटीएम से धोखाधड़ी करके धन आहरण के मामलों में हुई वृद्धि को देखते हुए, विभिन्न माध्यमों से, चाहे राशि कुछ भी हो, सभी प्रकार के लेनदेनों के लिए कार्डधारकों को 30 जून, 2011 तक आनलाइन अलर्ट भेजने के संबंध में एक प्रणाली स्थापित करें। इसके अतिरिक्त, बैकों को सूचित किया गया है कि एटीएम से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए सभी एटीएम स्थलों पर शिकायत के टैम्प्लेट उपलब्ध कराएं।

तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली (एनईएफटी) सेवाएं

3.88 आरटीजीएस से संबंधित ग्राहकों की शिकायतें दूर करना सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे एनईएफटी तथा आरटीजीएस की शिकायतों के संबंध में स्थापित विद्यमान ग्राहक सुविधा केंद्रों का उपयोग करें। आरटीजीएस/ एनईएफटी रिटर्न लेनदेनों के सुविधाजनक मिलान हेतु बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रिटर्न लेनदेनों के बारे में ग्राहकों की लेखा विवरणी में आवश्यक जानकारी दें। इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ग्राहकों की पासबुक अथवा लेखा विवरणियों में एनईएफटी/ नैशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस)/ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) के जरिए प्राप्त हुई जमा प्रविष्टियों में प्रेषणकर्ता का विवरण दें।

चेक ड्रॉप - बाक्स सेवाएं

3.89 काउंटर पर दिए गए चेकों के लिए ग्राहकों को पावती देने से बैंकों द्वारा इनकार करने की शिकायतों को देखते हुए, जिसके कारण उन्हें चेक जबरन ड्राप बाक्स में डालने पड़ते हैं, बैंकों को सूचित किया गया है कि चेक ड्राप बॉक्स सुविधा के बारे में वर्तमान अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि कोई भी शाखा काउंटर पर चेक स्वीकार करने से मना न करे और यथोचित पावती दे।

ऋण सेवाएं

3.90 निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, बैंकों को सूचित किया गया है कि 'आल इन कास्ट' बताएं, जिसमें आवेदन पर कार्रवाई करने और ऋणों की मंजूरी की संबंध में सभी प्रभार शामिल हों ताकि ग्राहक वित्त के दूसरे स्रोतों से प्रभारों की तुलना कर सकें। बैंक यह सुनिश्चित करें कि ये प्रभार भेदभावपूर्ण न हों।

बैंकों में ग्राहक सेवा पर समिति

3.91 रिज़र्व बैंक ने बैंकों में ग्राहक सेवा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है। समिति द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियां बाक्स III.2 में दी गई हैं।

ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण : एटीएम लेनदेन

3.92 देश में एटीएम के प्रयोग के बारे में ग्राहक संतुष्टि का आकलन करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक सर्वेक्षण आयोजित किया। सर्वेक्षण में देश में कुल 60,000 एटीएम के 1 प्रतिशत को कवर करते हुए आनुपातिक रूप से मैट्रो, शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 600 एटीएम शामिल थे। अंतरिम रिपोर्ट जून 2011 में भुगतान और निगरानी प्रणाली बोर्ड को प्रस्तुत की गई। अन्य बातों के साथ-साथ सर्वेक्षण की मुख्य बातें थी : i) मुख्यतया कार्ड नकदी निकालने या खरीदारी के लिए प्रयोग किए गए; ii) बिलों के भुगतान/ टिकट खरीदने के लिए कार्ड का प्रयोग अभी भी कम है iii) खरीदारी के लिए कार्ड का प्रयोग महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक था। ; iv) युवाओं में खरीदारी के लिए कार्ड का प्रयोग अधिक था; v) महिलाओं ने कार्ड का प्रयोग कम किया।

उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की रजत जयंती वर्ष

3.93 वर्ष 2010-11 उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम,1986 का रजत जयंती वर्ष था। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित समारोहों के लिए थीम, था ''उपभोक्ता अपने उत्तरदायित्व निभाएं / अपने अधिकार जाने''। इस अवसर पर उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा लिखी ' कन्ज्म्यूमर प्रोटैक्शन इन इंडिया' नामक पुस्तक दिसंबर 2011 में जारी करेगी।

ग्राहक सेवा के बारे में विशेष बोर्ड बैठकें

3.94 बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित मुद्दों के पर्यवेक्षण के संबंध में बोर्ड पर्यवेक्षण बढ़ाने के लिए 2010-11 के लिए मौद्रिक नीति के वार्षिक वक्तव्य में घोषणा की गई थी कि इन मुद्दों पर चर्चा के लिए छह महीने में एक बार बोर्ड इस बात पर पूरी तरह से चर्चा करें। सभी बैंक, निदेशक मंडल को प्रत्येक छह महीने में एक बार ग्राहक सेवाओं के बारे में विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत करेंग, और जहां गुणवत्ता और कौशल में कमियां पाई जाती हैं, वहां तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करेंगे।

11.वित्तीय बाजार

आनलाइन भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) दिशानिर्देशों का पालन

3.95 आनलाइन पेमैंट गेटवे ई कामर्स के लिए लोकप्रिय साधन के रूप में सामने आए और उन्होंने निर्यात को सुविधाजनक बनाया है विशेषकर छोटे मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं के लिए। रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2010 में प्राधिकृत व्यापारियों को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसके द्वारा कुछ शर्तों के अधीन वे आनलाइन पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाताओं के साथ स्थायी व्यवस्थाएं करके निर्यात से संबंध विप्रेषणों (प्रति लेनदेन 500 यूएस डालर तक) की सुविधा दे सकते हैं। प्रति लेनदेन 500 यूएस डालर की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

बॉक्स III.2: बैंकों में ग्राहक सेवा समिति की रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिटेल और छोटे ग्राहकों, जिनके अंतर्गत पेंशनभोगी भी शामिल हैं, को दी जाने वाली बैंकिंग सेवाओं की जांच करने हेतु सेबी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एम. दामोदरन की अध्यक्षता में एक समिति (दिनांक 26 मई 2010 के बोर्ड ज्ञापन के माध्यम से) का गठन किया। समिति के अधिदेश में बैंकों में मौजूद शिकायत निवारण तंत्र, उसकी संरचना और प्रभावशीलता की जांच करना तथा शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक उपाय सुझाना आदि भी शामिल है।

समिति ने संबंधित विभिन्न हितधारकों के साथ ग्राहक सेवा के सभी पहलुओं पर विचार-विनिमय किया जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ समुचित व्यवहार, पेंशनरों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार, छोटे और ग्रामीण ग्राहकों के प्रति बैंक स्टाफ की प्रवृत्ति, सेवा प्रभार और शुल्क, परिचालनों में पारदर्शिता, शिकायत निवारण, सेवा में तत्परता, नए उत्पादों का ज्ञान और जानकारी, एवं ग्राहकों के अधिकार व प्रत्याशाएं शामिल हैं। समिति ने जनसाधारण से सुझाव भी प्राप्त किए।

समिति ने जुलाई 2011 में बैंक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के अनुसार ग्राहक बैंकों से निम्नलिखित प्रमुख अपेक्षाएं रखते हैं : (i) ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण हो; (ii) समुचित और गैर-शोषणकारी बर्ताव तथा सूचना का संपूर्ण प्रकटीकरण; (iii) एक त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था हो; (iv) ग्राहक द्वारा मांग किए बिना स्वयं ही अनेक सेवाएं देकर उन पर प्रभार लगाने के बजाय एक सीधा-साधा जमा खाता उपलब्ध कराया जाए।

इस समिति की सिफारिशें ग्राहकों की उपर्युक्त अपेक्षाओं पर आधारित हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं : (i) एक शुल्क रहित सामान्य बैंक कॉल नंबर उपलब्ध कराना; (ii) बिना किसी न्यूनतम शेष-राशि के एक सीधा-साधा बचत खाता मुहैया कराना; (iii) एक ऐसे विश्वसनीय तीसरी पार्टी केवाईसी डेटा बैंक की स्थापना करना, जिस पर केवाईसी प्रयोजनों के संबंध में निर्भर किया जा सके; (iv) वाजिब मूल्य पर कम राशि के धन के प्रेषण की व्यवस्था उपलब्ध कराना; (v) एटीएम और ऑनलाइन लेनदेनों में होने वाली हानि के संबंध में शून्य देयता; (vi) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कवर को 5,00,000 रुपये तक बढ़ाना।

ओटीसी विदेशी मुद्रा डैरिवेटिव

3.96 ओटीसी विदेशी मुद्रा डैरिवेटिव और पण्य मूल्यों तथा मालभाड़े जोखिमों की विदेशी हैजिंग के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश 28 दिसंबर 2010 को जारी किए गए। अन्य बातों के साथ-साथ संशोधित दिशानिर्देशों के महत्त्वपूर्ण तत्व, जो फरवरी 2011 में प्रभावी हुए हैं : (i) एडी श्रेणी बैंक केवल प्लेन वनीला यूरोपीय क्रास करेंसी आप्शन दे सकते हैं (ii) विदेशी मुद्रा रुपये स्वैप के मामले में अंतर्निहित क्रास करेंसी आप्शन की अनुमति (iii) कुछ रक्षोपायों के अधीन, लागत कम करने की संरचना, संविदागत ऐक्सपोजर तथा पिछले निष्पादन मार्ग, दोनों के अधीन (iv) कुछ रक्षोपायों के अधीन, रुपये की देयताओं को विदेशी मुद्रा देयता में बदलने के लिए स्वैप।

कार्पोरेट बांड के लिए क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप्स (सीडीएस)प्रारंभ करना

3.97 रिज़र्व बैंक ने 2003 तथा 2007 में सीडीएस प्रारंभ करने के संबंध में प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए थे। तथापि, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में प्रतिकूल गतिविधियों को देखते हुए, अंतिम दिशानिर्देशों को जारी करने का काम आस्थगित कर दिया गया। 2009-10 की दूसरी तिमाही मौद्रिक नीति की समीक्षा में कंपनी बांड के लिए प्लेन वनीला ओटीसी तथा एकल नाम सीडीएस प्रारंभ करने के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, परिचालनगत फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने के लिए एक आंतरिक कार्यदल गठित किया गया (संयोजक : श्री आर.एन.कार)। दल द्वारा तैयार प्रारूप दिशानिर्देशों के संबंध में स्टेकधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, मई 2011 में अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, दिशानिर्देशों की प्रमुख बाते हैं:

i सीडीएस की अनुमति सूचीबद्ध कंपनी बांडों, असूचीबद्ध लेकिन मूलभूत सुविधा कंपनियों के श्रेणीबद्ध बांड और मूलभूत सुविधा कंपनियों द्वारा स्थापित एसपीवी के द्वारा जारी असूचीबद्ध/ बिना श्रेणी की बांड

ii संदर्भ इकाइयां एकल विधिक निवासी इकाइयां होंगी।

iii अनुमत सहभागियों की श्रेणी निम्नानुसार होगी:

क) मार्केट मेकर्स : कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त के अधीन वाणिज्य बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों जैसे सहभागियों को प्रोटेक्शन क्रय और प्रोटेक्शन विक्रय की अनुमति दी गई है। अपने संबंधी विनियामकों का अनुमोदन प्राप्त कर लेने पर, बीमा कंपनियां और म्युच्यूअल फंड मार्केट मेकर का कार्य कर सकते हैं।

ख) प्रयोक्ता: इसमें वाणिज्य बैंक, प्राथमिक व्यापारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, म्युच्यूअल फंड, बीमा कंपनियां तथा सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं जो केवल अपने अंतर्निहित ऐक्सपोजर की सुरक्षा कर सकती हैं। अंतर्निहित ऐक्सपोजर के बिना प्रयोक्ता सीडीएस नहीं खरीद सकते और सुरक्षा केवल ऐसे अंतर्निहित जोखिम की सीमा तक ही खरीदी जा सकती है (राशि तथा अवधि दोनों में)

iv. प्रयोक्ताओं के लिए, मूर्त सैटलमेंट अनिवार्य है। मार्केट मेकर तीन में से किसी भी निपटान विधियों का चयन कर सकते हैं (मूर्त, नकदी या नीलामी सैटलमैट) बशर्ते कि सीडीसी दस्तावेज में ऐसी निपटान विधि शामिल हो।

v. सूचना देने संबंधी आवश्यकता : मार्केट मेकर्स के लिए अनिवार्य है कि डील होने के 30 मिनट के भीतर अपने सीडीएस सौदों की सूचना सीडीएस व्यापार सूचना प्लैटफॉर्म पर दें।

vi. चूंकि सीडीएस बाजारों में विभिन्न जोखिम हैं, इसलिए मार्केट मेकर्स इन जोखिमों को ध्यान में रखें और यथोचित जोखिम प्रबंधन प्रणालियां बनाएं। दिशानिर्देशों के अनुसार काउंटर पार्टी ऋण एक्सपोजर सीमाएं, पीवी01 सीमा (यील्ड में एक आधार बिंदु परिवर्तन के लिए रुपये 100 के नामिनल बांड के

मूल्य में परिवर्तन) तथा जोखिमों के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क।

12. भुगतान और निपटान प्रणाली

3.98 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मजबूत प्रौद्योगिकी आधारित भुगतान और निपटान प्रणाली संबंधी बुनियादी सुविधा स्थापित की है जिसके माध्यम से बाधारहित और दक्ष सेवा सुनिश्चित होगी। वर्ष के दौरान भुगतान और निपटान प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

पेपर समाशोधन: त्वरित चेक समाशोधन प्रणाली

3.99 गैर-माइकर समाशोधन गृहों में समाशोधन प्रक्रिया में अधिक दक्षता लाने के लिए एक उन्नत समाशोधन गृह स्वचालित पैकेज त्वरित चेक समाशोधन प्रणाली (ईसीसीएस) को लाया गया है। ईसीसीएस नेटवर्कयुक्त वातावरण, कोर बैंकिंग इंटीग्रेशन और ग्राफिक इंटरफेस कंपैटिबिलिटी के संबंध में मल्टी यूजर इनपुट्स स्वीकार करेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को इस पैकेज को लागू करवाने की जिम्मेदारी दी गई है।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली

3.100 खुदरा उपभोक्ताओं को शीघ्र निधि अंतरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और साथ ही शेयर बाजार के समय से भी अनुकूलन रखने के लिए, मार्च 2010 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के अंतर्गत सप्ताह के दिन 11-घंटे निपटान और शनिवार को पांच घंटे निपटान लागू किया गया है और अब इसे 79,000 शाखाओं में लागू कर दिया गया है। इससे भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड के प्रति उपभोक्ताओं का रुझान बढ़ने की आशा है।

प्रीपेड भुगतान लिखत

3.101 प्रीपेड भुगतान लिखतों की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए, अप्रैल 2009 में जारी हुए दिशानिर्देशों की नवंबर 2010 में समीक्षा करके अन्य बातों के साथ -साथ निम्नलिखित संशोधन लागू किए गए : (क) यूटिलिटी बिलों के भुगतान और यात्रा टिकटों की खरीद के लिए प्रयुक्त सेमी - क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखत के प्रयोग का विस्तार; (ख) बैंकों को एजेंटों और कारोबार प्रतिनिधियों के माध्यम से सेमी - क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करने की अनुमति। इसके अलावा मोबाइल वॅलेट्स (एम-वॅलेट्स) के रूप में उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रीपेड लिखतों का अधिकतम मूल्य भी 5,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया।

मोबाइल बैंकिंग लेनदेन

3.102 वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की दिशा में बैंकिंग टूल के रूप में मोबाइल फोनों के प्रयोग की सही क्षमता को पहचानते हुए, मोबाइल बैंकिंग का बैंक के नेतृत्व वाला माडल अपनाया गया जो मोबाइल चैनल के माध्यम से धन के अंतरण सहित बैंकिंग की सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। रिज़र्व बैंक ने मोबाइल बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने के लिए अब तक 50 बैंकों के प्रस्तावों को अनुमोदन दिया है। रिज़र्व बैंक ने एनपीसीआई को प्राधिकृत किया है कि वह मोबाइल के माध्यम से सीमलेस, त्वरित, 24X7, मोबाइल आधारित अंतर बैंक निधि अंतरण प्रणाली उपलब्ध कराएं जिसे अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा कहा जाएगा।

कार्ड आधारित लेनदेन

3.103 बैंकों द्वारा जारी कार्डों (क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड) के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, यह बात बहुत आवश्यक है कि कार्ड प्रेजेंट (सीपी) जहां आटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) में कार्ड को स्वाइप किया जाता है और पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) और कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेनों को सुरक्षित बनाया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाया गया कदम जो दुनिया भर में अनोखा है वह यह है कि कार्ड पर अनुपलब्ध जानकारी पर आधारित सभी सीएनपी लेनदेनों के संबंध में अतिरिक्त प्रमाणीकरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बैंकों को दी गई है। अप्रैल 2009 में इंटरएक्टिव वॉइस रिसपॉंस (आईवीआर) को छोड़कर बैंकों ने सीएनपी लेनदेनों के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण लागू किया और फरवरी 2011 में इसे सभी आईवीआर लेनदेनों के संबंध में लागू किया गया है। वर्तमान में यह

आदेश भारत में मर्चेंट साइटों पर किए जाने वाले लेनदेनों, जहां विदेशी मुद्रा बहिर्वाह शामिल नहीं है, पर भुगतान करने के लिए कार्ड का उपयोग करने वाले सभी लेनदेनों के संबंध में लागू होता है। इस पहल के चलते इस चैनल पर उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ा है जिसके फलस्वरूप ई-कॉमर्स लेनदेनों में होने वाली धोखाधड़ियों में काफी गिरावट आई है। रिज़र्व बैंक ने हाल ही में सभी सीपी लेनदेनों की सुरक्षा संबंधी मामलों को देखने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है; इस दल की प्रमुख सिफारिशों पर बॉक्स III.3 में चर्चा की गई हैं।

एटीएम डिलिवरी चैनल में दक्षता

3.104 ग्राहकों के लिए एटीएम की परिचालनात्मक दक्षता को बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने मई 2011 में बैंकों को अन्य बातों के साथ - साथ निम्न सूचनाएं दीं: (क) ग्राहकों की शिकायतों को निपटाने के लिए दिए जाने वाले समय को 12 कार्य दिवसों से घटाकर ग्राहक की शिकायत प्राप्त होने के बाद से सात कार्यदिवस किया जाना; (ख) किसी भी विलंब के लिए ग्राहक को 100 रुपये रोज के हिसाब से प्रतिपूरक राशि प्रदान की जानी चाहिए बशर्ते कि यह शिकायत लेनदेन की तिथि से 30 दिनों के भीतर जारी कर्ता बैंक में की गई हो; (ग) एटीएम में लेनदेनों के विफल रहने से संबंधित सभी विवादों को जारीकर्ता बैंक और अधिग्राहक बैंक द्वारा केवल एटीएम सिस्टम प्रोवाइडर के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए ताकि सिस्टम प्रोवाइडर के विवाद निपटान तंत्र के बाहर द्विपक्षीय निपटान प्रबंधन की कोई संभावना ही न रह जाए। इस उपाय के चलते जारीकर्ता बैंक और अधिग्राहक बैंक के बीच प्रतिपूर्ति की राशि के भुगतान संबंधी विवादों में कमी आएगी।

भुगतान प्रणालियों की निगरानी

3.105 इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि भुगतान प्रणाली सुरक्षित एवं सुचारु ढंग से और मौजूदा नीतिगत प्रावधानों के अनुसार चलती रहे, रिज़र्व बैंक ने आकलन की एक प्रक्रिया की शुरुआत की है जिसमें ऑफसाइट निगरानी और ऑनसाइट निरीक्षण दोनों ही शामिल हैं और साथ ही इससे बाजार आसूचना भी जुड़ी हुई है। ऑफसाइट निगरानी के रूप में विभिन्न भुगतान लिखतों केडेटाबेस, उनकी मात्रा और मूल्य सृजित किया गया है और उसे भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया है। आकलन संबंधी एक टेम्प्लेट बनाई गई है जो प्राधिकृत कंपनियों की सहायता करेगी ताकि वे स्वयं के परिचालनों, जोखिम प्रबंधन और कारोबारी निरंतरता प्रबंधों का आकलन कर सकें।

13. प्रौद्योगिकीय विकास

3.106 बैंकिंग सेवाओं के सृजन और वितरण के संबंध में प्रौद्योगिकी की प्रमुख भूमिका है। आधुनिक बैंकिंग प्रमुख रूप से प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष और सुधार पर निर्भर हैं। 2010-11 के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सामान्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र की प्रौद्योगिकी में सुधार लाने और भुगतान और विशेष रूप से निपटान प्रणाली में सुधार करने के लिए कई पहलें की गईं।

कारोबारी निरंतरता प्रबंधन और आपदा राहत

3.107 वर्ष के दौरान, साझे बुनियादी ढांचे और भुगतान और निपटान प्रणालियों के संबंध में कारोबार निरंतरता प्रबंधन और आपदा राहत (डीआर) व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए

बॉक्स III.3: कार्ड उपस्थिति वाले लेनदेनों को सुरक्षित करने के संबंध में कार्यदल की सिफारिशें

कार्ड की उपस्थिति से किए गए सभी लेनदेनों के सुरक्षा उपाय हेतु सिफारिशें देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2011 को एक कार्यदल का गठन किया। कार्यदल ने 31 मई 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें कीं :(क) यूनिक की पर टर्मिनल (यूकेपीटी) और टर्मिनल लाइन एनक्रिप्शन (टीएलई) को 18-24 महीने के अंदर सुदृढ़ किया जाना चाहिए; (ख) सभी घरेलू डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए एक अतिरिक्त कारक (पर्सनल आईडेंटीफिकेशन नंबर (पिन) अथवा बायोमेट्रिक) की शुरुआत 24 महीनों के अंदर की जानी चाहिए; (ग) आधार के अंतर्गत विशिष्ट पहचान नंबर दिये जाने की स्थिति में हुई प्रगति की निगरानी के बाद एटीएम तथा बिक्री स्थलों पर पिन के स्थान पर बायोमेट्रिक फिंगर-प्रिंट का उपयोग किये जाने के विषय पर 18 माह के अंदर विचार किया जाए; (घ) उक्त सिफारिशों के आधार पर सभी घरेलू लेनदेनों में क्रेडिट तथा डेबिट कार्डों के लिए यूरो पे मास्टरकार्ड विसा (ईएमवी) चिप तथा पिन की शुरुआत करने के लिए क्रमशः पांच से सात वर्ष के अंदर निर्णय लिया जाना चाहिए; (ङ) विदेश से कम से कम एक खरीद किये जाने की स्थिति में मैगस्ट्रीप कार्डों के स्थान पर ईएमवी चिप तथा पिन जारी किये जाने चाहिए। यह रिपोर्ट जनता की टिप्पणी के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखी गई थी। कार्यदल की सिफारिशों को बैंक ने स्वीकार किया और सितंबर 2011 में निदेश जारी किये गये।

आवधिक रूप से ड्रिल की गई। इन सदस्य बैंकों ने अपनी प्राथमिक और साथ ही साथ डीआर साइट को रिज़र्व बैंक की डीआर साइट के साथ जोड़ा। वाणिज्य बैंकों द्वारा स्वयं की गई कारोबारी निरंतरता योजना (बीसीपी)- डीआर और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ऐंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग (वीएपीटी) कार्रवाई की तिमाही रिपोर्ट प्राप्त की गई। इन कार्रवाइयों के दौरान पाये गये प्रमुख बिंदुओं को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाने वाली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में विश्लेषण हेतु इनपुट के रूप में लिया गया तथा रिपोर्ट में इन्हें समुचित रूप से शामिल किया गया।

आईटी विज़न दस्तावेज़ - 2011-17

3.108 एक उच्चस्तरीय समिति (अध्यक्षः डॉ. के.सी. चक्रवर्ती) ने, जिसमें आईआईटी, आईआईएम, आईडीआरबीटी, बैंकों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के सदस्य थे, रिज़र्व बैंक तथा बैंकों के लिए निदर्शनात्मक ''आईटी विज़न दस्तावेज 2011-17'' तैयार किया जो बैंकिंग क्षेत्र में आईटी के बर्धित उपयोग हेतु निदर्शनात्मक रूपरेखा के रूप में कार्य करेगा।

ऑटोमेटेड डेटा फ्लो (एडीएफ) तथा आरटीजीएस की नई पीढ़ी (एनजी-आरटीजीएस)

3.109 विनियामक रिपोर्टिंग की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार करने के लिए, बैंकों से रिज़र्व बैंक में आंकड़ों के सीधे प्रवाह (एडीएफ) संबंधी एक परियोजना को प्रारंभ की गई है। बैंकों को एक रोडमैप प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है जिसमें उन विवरणियों का उल्लेख हो जिन्हें रिज़र्व बैंक में प्रस्तुत करने के लिए उनके सिस्टमों से सीधे लिया जा सकता है। आशा है कि यह परियोजना दिसंबर 2012 तक पूरी हो जाएगी।

3.110 2010-11 के वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में उल्लेख किये गये के अनुसार, आरटीजीएस की अगली पीढ़ी के कार्यान्वयन हेतु एक कार्यदल का गठन किया गया जिसमें रिज़र्व बैंक तथा चुनिंदा वाणिज्य बैंकों के प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2010 में प्रस्तुत की जिसे स्वीकार किया गया। नई पीढ़ी के आरटीजीएस (एनजी-आरटीजीएस) में कार्यदल ने कई नई विशेषताओं को शामिल करने का सुझाव दिया है, जैसे कि चलनिधि प्रबंधन सुविधा का उन्नत तरीके से प्रबंध, एक्सटेंसिबल मार्क अप लैंग्वेज आधारित मैसेजिंग प्रणाली तथा तत्काल समय सूचना एवं ट्रांजैक्शन की मानीटरिंग। कार्यदल की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है और एनजी-आरटीजीएस परियोजना दिसंबर 2012 तक कार्यान्वित हो जाने की आशा है।

14. बैंकिंग क्षेत्र संबंधी विधान

3.111 वर्ष के दौरान कई महत्त्वपूर्ण विधानों में बदलाव की प्रक्रिया की शुरुआत की गई अथवा यह कार्य पूरा किया गया जिसने बैंकिंग संबंधी कानूनों पर पुनर्विचार करने, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) के रूप में अंतर विनियामक व्यवस्था की शुरुआत करने एवं वाणिज्य बैंकों के संबंध में रिज़र्व बैंक के अधिकारों को सुदृढ़ करने का मार्ग प्रशस्त किया।

वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग(एफएसएलआरसी) का गठन

3.112 केंद्र सरकार ने मार्च 2011 में न्यायाधीश बी.एन.श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग का गठन किया ताकि भारत के वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों के अनुसार वित्तीय क्षेत्र के कानूनों, नियमों तथा विनियमों को नए सिरे से लिखा जा सके तथा विसंगतियों को दूर करके इनमें एकरूपता लाई जा सके। आयोग के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल थेः (i)भारतीय वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली वैधानिक तथा विनियामक प्रणाली के ढांचे का निरीक्षण; (ii) इस बात पर विचार करना कि क्या अधीनस्थ विधानों के प्रारूप के संबंध में सार्वजनिक प्रतिसूचना को, आपातकालीन उपायों को छोड़कर, अनिवार्य किया जाना चाहिए; तथा (iii)विनियामकों पर निगरानी के सबसे उचित उपाय एवं सरकार से उनकी स्वायत्तता के बारे में विचार करना।

प्रतिभूति एवं बीमा कानून (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 2010

3.113 उक्त अधिनियम, जो 18 जून 2010 से प्रभावी हुआ, ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, बीमा अधिनियम, 1938, प्रतिभूति संविदा (विनियमन)अधिनियम, 1956 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन किया। जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 में उल्लेख किया गया है ''संयुक्त तंत्र'' विषयक एक नया अध्याय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में शामिल किया गया है। इस अध्याय

में विनियामकों के बीच के मतभेदों को दूर करने के लिए एक तंत्र की व्यवस्था की गई है जिसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, पदेन उपाध्यक्ष रिज़र्व बैंक के गवर्नर एवं सदस्यों में वित्त सचिव तथा सेबी, आईआरडीए और पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्याय होते हैं। अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि संयुक्त समिति को केवल विनियामकों द्वारा कोई विषय संदर्भित किया जा सकता है न कि केंद्र सरकार द्वारा। संयुक्त समिति का निर्णय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए तथा पीएफआरडीए पर बाध्यकारी होगा।

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2011

3.114 इस विधेयक द्वारा, जिसे मार्च 2011 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है ताकि रिज़र्व बैंक के विनियामक अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके और बैंकिंग कारोबार के विस्तार हेतु पूंजी जुटाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी बाजार तक पहुंच को बढ़ाया जा सके। विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ (i) राष्ट्रीयकृत बैंकों को केंद्र सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाने और घटाने की अनुमति दी गयी है ताकि वे 3,000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा में न बंधे रहें; (ii) यह सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है कि बैंकिंग कंपनी का नियंत्रण उचित और योग्य व्यक्तियों के हाथों में हो; (iii) राष्ट्रीयकृत बैंकों को दो अतिरिक्त लिखत (बोनस शेयर और राइट निर्गम) जारी करने की अनुमति दी गई है ताकि वे बैंकिंग कारोबार के विस्तार के लिए पूंजी जुटाने हेतु पूंजी बाजार में जा सकें (iv)बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 के कुछ उल्लंघनों के लिए दंड और जुर्माने की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए; तथा (v) रिज़र्व बैंक को अधिकार दिया गया है कि वह अपेक्षित आरक्षित नकदी निधि अनुपात का पालन न करने की स्थिति में दंडात्मक ब्याज लगा सकता है।

15. निष्कर्ष

3.115 इस अध्याय में 2010-11 तथा 2011-12 में बैंकिंग क्षेत्र की अब तक की नीति संबंधी प्रमुख गतिविधियों की चर्चा की गई है। नीति संबंधी ये गतिविधियां मोटे तौर पर आर्थिक बहाली, वित्तीय स्थिरता, वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय क्षेत्र विकास का समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के प्रमुख नीतिगत लक्ष्यों के अनुरूप थीं।

3.116 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों को नये लाइसेंस देने संबंधी दिशानिर्देशों का प्रारूप तैयार करने का महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया, साथ ही विदेशी बैंकों की उपस्थिति के संबंध में एवं बैंकों में होल्डिंग कंपनी ढांचे को बढ़ावा देने संबंधी दो चर्चा पत्र जारी किये। ये सभी प्रयास वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताओं पर विचार करते हुए वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए किये गये। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में किये गये सबसे उल्लेखनीय गतिविधियों में बैंकों द्वारा अगले तीन वर्षों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन की योजनाओं को स्वीकृत किया जाना था। अन्य महत्त्वपूर्ण नीतिगत गतिविधियों में, जिनसे बैंकिंग क्षेत्र में और सुधार का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 सहित बैंकिंग क्षेत्र के विधानों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन तथा वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग का गठन किया जाना शामिल हैं।

3.117 बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने एवं ग्राहक सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान कई उपाय किये जिनमें आरटीजीएस की नई पीढ़ी की शुरुआत किया जाना तथा बैंकों से ग्राहकों की अपेक्षाओं का विश्लेषण करने हेतु एक समिति का गठन किया जाना शामिल है। बाजार के निर्माता एवं उपयोगकर्ता के रूप में विशेष रूप से बैंकों के लिए महत्त्वपूर्ण अन्य प्रमुख नीतिगत गतिविधि में, जो आने वाले वर्षो में वित्तीय क्षेत्र के विकास को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, कारपोरेट बांडों के लिए सीडीएस की शुरुआत किया जाना है। अंत में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा शहरी सहकारी बैंकों की माली हालत एवं इनके भौगोलिक विस्तार को बढ़ाने के लिए कई विनियामक तथा विकासात्मक उपाय किये गये। एनबीएफसी क्षेत्र में किये गये प्रमुख नीतिगत उपायों में एनबीएफसी-एमएफआई तथा कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक ढांचा निर्धारित किया जाना था।

3.118 वर्ष के दौरान, मुद्रास्फीतिकारी दबावों के अंशतः बाह्य गतिविधियों के परिणामस्वरूप तथा कुछ हद तक घरेलू ढांचागत

असंतुलनों के कारण बार-बार बढ़ने के चलते नीतिगत उपाय निरंतर आधार पर करने की जरूरत पड़ी। परंतु, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते समय इस बात को ध्यान में रखना जरूरी था कि आर्थिक बहाली, जो संकट के बाद नाजुक दौर में थी, पर प्रतिकूल असर न पड़े। रिज़र्व बैंक ने मुद्रास्फीतिकारी दबावों का सामना दीर्घावधि वृद्धि की संभावनाओं को बचाये रखने की दृष्टि से किया।

3. 119 आगे चलकर वित्तीय स्थिरता एवं वित्तीय समावेशन पर सतत ध्यान के साथ बैंकिंग क्षेत्र की नीति की निरंतर तथा सुस्थिर प्रगति से इस क्षेत्र की हालत बेहतर होगी, साथ ही इससे समावेशी बैंकिंग सुनिश्चित की जा सकेगी जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में वहनीय तथा समावेशी वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में मदद मिलेगी।

अध्याय-IV

वाणिज्य बैंकों के कार्य और उनका कार्य-निष्पादन

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का निष्पादन चुनौतीपूर्ण परिचालनात्मक वातावरण के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में बेहतर रहा। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के बैंकिंग कारोबार ने पिछले कुछ वर्षों की तुलना में 2010-11 में उच्च वृद्धि दर्ज की। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में ऋण में 22.9 प्रतिशत और जमाराशि में 18.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। तदनुसार 2010-11 में एससीबी का बकाया ऋण-जमाराशि अनुपात बढ़कर 76.5 प्रतिशत हो गया जबकि पिछले वर्ष यह 73.6 प्रतिशत था। उच्च ब्याज दर वातावरण के कारण मार्जिन पर बढ़ते दबाव के बावजूद एससीबी की आस्तियों पर प्रतिलाभ 2009-10 के 1.05 प्रतिशत से बढ़ कर 1.10 प्रतिशत हो गया। बासेल I और II संरचनाओं के तहत पूंजी-जोखिम भारांकित आस्ति अनुपात 2010-11 में क्रमश: 13.0 प्रतिशत और 14.2 प्रतिशत था जो कि 9 प्रतिशत की न्यूनतम आवश्यकता से काफी ऊपर था। सकल गैर निष्पादक आस्ति-सकल अग्रिम अनुपात 2009-10 के 2.39 प्रतिशत से कम होकर 2010-11 में 2.25 प्रतिशत रह गया जो कि बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में सुधार का द्योतक है। बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सुधार होने के बावजूद वित्तीय समावेशन लगातार काफी कम बना रहा। बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कमी आयी।

1.परिचय

बैंकों का कार्य निष्पादन वृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन की गतिशीलता से प्रेरित था

4.1 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, जो कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र को दर्शाता है, द्वारा वैश्विक वित्तीय संकट के सबसे बुरे परिणाम किसी सीमा तक सह लेने के बावजूद इसे संकटोत्तर समय के दौरान चुनौतीपूर्ण समष्टिआर्थिक वातावरण से गुजरना था। वित्तीय संकट से पहले वैश्विक वित्तीय क्षेत्र सामान्यत: यूरोपीय सरकारी ऋण संकट और यूरो जोन तथा अमरीका में भी वृद्धि में सुधार की धीमी गति से परेशान था। इसके विपरीत 2010-11 में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने उनके पश्चिमी प्रतिपक्षियों की तुलना में बेहतर निष्पादन दिया। किंतु संकटोत्तर समय के दौरान भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से अनेक को मुद्रास्फीति को सहने योग्य स्तर पर बनाये रखते हुए आर्थिक वृद्धि में सुधार लाने की चुनौती का सामना करना पड़ा। मुद्रास्फीति को सहने योग्य स्तर पर बनाये रखने के लिए रिज़र्व बैंक ने भी 2010-11 के दौरान मौद्रिक कड़ाई की। तदनुसार 2010-11 के दौरान वाणिज्य बैंकों के कार्य और निष्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था में आये निष्पादन वृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन की गतिशीलता से प्रेरित था।

बैंकों ने चुनौतीपूर्ण परिचालनात्मक वातावरण में कार्य किया

4.2 2010-11 के दौरान उच्च ब्याज दर वातावरण के कारण न केवल ऋण वृद्धि में मंदी संबंधी चिंता उभरी बल्कि उधारकर्ताओं की चुकौती क्षमता में सामान्य रूप से संभाव्य कमजोरी के आधार पर आस्ति गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना भी बढ़ी। कड़े ब्याज दर वातावरण ने 2010-11 में मार्जिन कम रहने की संभावना के चलते वाणिज्य बैंकों की लाभ संभावना कम कर दी। वर्ष के दौरान एनबीएफसी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के अधिक ऋण लेने के कारण भी क्षेत्रवार ऋण में तेजी के संभाव्य निर्माण के माध्यम से वित्तीय मजबूती संबंधी चिंता उभार दी। 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में

सहभागी होने के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा भारी उधार लेने, सरकारी व्यय में कमी आने और उच्च मुद्रास्फीति के कारण लोगों द्वारा अपने पास रखी गयी मुद्रा की व्यापक मात्रा से 2010-11 में चलनिधि की काफी कमी हो गयी। इसके अलावा बासेल II के तहत पूंजी स्तरीकरण के उन्नत दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता भी एक ऐसी चुनौती थी जो कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर छायी हुई थी। इसके साथ ही और अधिक नवोन्मेषी बनना अति आवश्यक था ताकि अद्यतन प्रौद्योगिकीय विकासों से कदम मिलाकर चला जा सके, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारी जा सके और बैंकिंग सुविधा रहित गांवों को लाभदायक कारोबारी क्षेत्र बनाकर वित्तीय समावेशन की गति बढ़ायी जा सके।

4.3 इस पृष्ठभूमि में यह अध्याय अन्य बातों के साथ-साथ ऋण नियोजन, लाभप्रदता, सुदृढ़ता मानदंड और क्षेत्रीय पहुंच के संदर्भ में 2010-11 में भारत में वाणिज्य बैंकों के परिचालनों और निष्पादन का विश्लेषण करता है। यह अध्याय भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में उभरते मुद्दों को रेखांकित करने के लिए 83 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों [1], 1,82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के चार बैंकों के 2010-11 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों का विश्लेषण करता है।

2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रीय परिचालन

एससीबी के समेकित तुलनपत्रों ने उच्च वृद्धि दर्ज की

4.4 एससीबी के समेकित तुलनपत्रों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में उच्च वृद्धि दर्ज की। यह पिछले दो वर्षों में देखी गयी प्रवृत्ति के विपरीत है और वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव कम होने का संकेत है। एससीबी के समेकित तुलनपत्रों में उच्च वृद्धि में सभी बैंक समूहों का योगदान था जिसका अपवाद निजी क्षेत्र के पुराने बैंक थे जिन्होंने वृद्धि में कुछ गिरावट दर्ज की थी। सर्वाधिक वृद्धि निजी क्षेत्र के नये बैंकों ने दर्ज की जिनके बाद सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का स्थान था। फिर भी मार्च 2011 के अंत में बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में से तीन चौथाई भाग पीएसबी का था जिनके बाद निजी क्षेत्र के नये बैंकों (15 प्रतिशत) का स्थान था। सबसे कम भाग निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों का था (लगभग चार प्रतिशत) जिनके बाद विदेशी बैंकों (लगभग सात प्रतिशत) का स्थान था।

तुलनपत्र का देयता पक्ष पूंजी, उधार और अन्य देयताओं से प्रेरित था

4.5 तुलनपत्र के देयता पक्ष में वृद्धि मुख्यत: पूंजी, उधार और अन्य देयताओं तथा प्रावधानीकरण से प्रेरित थी। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुन: पूंजीकरण और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से शेयर बाजार से निधि जुटाना 2010-11 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की पूंजी में वृद्धि होने के मुख्य कारण थे। 2010-11 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्रों में विशेष बात बचत बैंक जमाराशि तथा मांग जमाराशि में वृद्धि में गिरावट आना और सावधि जमाराशि वृद्धि बढ़ना था। इसका कारण प्रचलित उच्च ब्याज दरें हो सकता है जिससे बचत और मांग जमाराशि की तुलना में सावधि जमाराशि अधिक आकर्षक हो गयी थी।

तुलनपत्र का आस्ति पक्ष ऋणों और अग्रिमों से प्रेरित था

4.6 तुलनपत्र के आस्ति पक्ष में वृद्धि मुख्यत: ऋणों और अग्रिमों से प्रेरित थी। कड़े ब्याज दर वातावरण के बावजूद सभी बैंक समूहों में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में ऋण वृद्धि में सुधार हुआ। 2010-11 में निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों की ऋण वृद्धि पिछले वर्ष के उनके निष्पादन की तुलना में विशेष रू प से उल्लेखनीय थी। उल्लेखनीय रू प से बैंकिंग क्षेत्र की निवेश वृद्धि में पिछले वर्ष की

[1] इनमें सरकारी क्षेत्र के 26 बैंक (भारतीय स्टेट बैंक और इसके पांच सहयोगी बैंक, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक और आईडीबीआई बैंक लि.), निजी क्षेत्र के 7 नये बैंक, निजी क्षेत्र के 14 पुराने बैंक और 36 विदेशी बैंक शामिल हैं।

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्र

(करोड़ रुपये में)

मद	मार्च 2011केअंत में					
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**निजी क्षेत्र के बैंक**	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**विदेशी बैंक**	**सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक**
1	**2**	**3**	4	5	**6**	**7**
1. पूंजी	**19,055**	**4,805**	1,396	3,409	**35,383**	**59,243**
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	**2,71,196**	**1,33,784**	22,425	1,11,359	**45,668**	**4,50,648**
3. जमा राशियां	**43,72,985**	**10,02,759**	2,64,157	7,38,602	**2,40,689**	**56,16,432**
3.1. मांग जमा	**4,10,109**	**1,58,929**	24,222	1,34,707	**72,900**	**6,41,939**
3.2. बचत बैंक जमारशियां	**10,83,001**	**2,29,130**	49,667	1,79,463	**39,650**	**13,51,782**
3.3. सावधि जमा	**28,79,874**	**6,14,699**	1,90,268	4,24,432	**1,28,138**	**36,22,712**
4. उधार	**3,95,144**	**1,85,984**	10,967	1,75,017	**92,797**	**6,73,925**
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	**2,35,438**	**70,844**	10,066	60,778	**76,992**	**3,83,273**
कुल देयताएं / आस्तियां	**52,93,817**	**13,98,176**	**3,09,011**	**10,89,166**	**4,91,528**	**71,83,522**
1. आरबीआई के पास नकदी और शेष	**3,52,379**	**86,111**	18,173	67,938	**20,293**	**4,58,783**
2. बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा	**1,32,225**	**31,616**	3,908	27,708	**27,365**	**1,91,206**
3. निवेश	**13,28,534**	**4,22,020**	92,617	3,29,403	**1,65,499**	**19,16,053**
3.1 सरकारी प्रतिभूतियां (क+ ख)	**10,82,515**	**2,63,181**	64,603	1,98,578	**1,11,960**	**14,57,657**
क) भारत में	**10,74,411**	**2,62,252**	64,603	1,97,649	**1,11,960**	**14,48,624**
ख) भारत के बाहर	**8,103**	**929**	-	929	**-**	**9,033**
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों	**3,098**	**89**	51	38	**2**	**3,189**
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियां	**2,42,920**	**1,58,750**	27,962	1,30,787	**53,537**	**4,55,207**
4. ऋण और अग्रिम	**33,05,632**	**7,97,534**	1,84,647	6,12,886	**1,95,539**	**42,98,704**
4.1 खरीदे गए और भुनाए गए बिल	**1,83,405**	**33,013**	9,875	23,138	**25,182**	**2,41,600**
4.2 कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, *आदि.*	**13,97,114**	**2,03,756**	84,039	1,19,717	**91,172**	**16,92,042**
4.3 सावधि ऋण	**17,25,113**	**5,60,765**	90,733	4,70,032	**79,185**	**23,65,063**
5. अचल आस्तियां	**36,156**	**12,980**	2,509	10,470	**4,958**	**54,093**
6. अन्य आस्तियां	**1,38,892**	**47,915**	7,156	40,760	**77,874**	**2,64,681**

-: नगण्य
स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

तुलना में 2010-11 में गिरावट आयी। इस सामान्य प्रवृत्ति का एकमात्र अपवाद निजी क्षेत्र के नये बैंक थे जिन्होंने ने पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में निवेश में उच्च वृद्धि दर्ज की (सारणी IV.1 और IV.2)।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रमुख देयताएं

जमाराशि

जमाराशि में उच्च वृद्धि दर्ज हुई

4.7 जमाराशि जो कि बैंकिंग क्षेत्र की कुल देयताओं का 78 प्रतिशत होती है, ने हाल के वर्षों की प्रवृत्ति के विपरीत 2010-11 में उच्च वृद्धि दर्ज की। इसका मुख्य कारण निजी क्षेत्र के नये बैंकों द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में अधिक जमाराशि संग्रह करना था। जमाराशि वृद्धि में तेजी का प्रमुख कारण सावधि जमाराशियां थीं। पहले कहे अनुसार इसका कारण उच्च ब्याज दर वातावरण हो सकता है जिससे सावधि जमाराशि दरें बढ़ गयी थीं। जहां सावधि जमाराशि की तेज वृद्धि तुलनपत्र की स्थिरता की दृष्टि से अच्छी बात हो सकती है क्योंकि यह खुदरा जमाराशि का आधार बढ़ाती है और आस्ति देयता असंतुलन कम करती है; वहीं यह बैंकिंग क्षेत्र का ब्याज-व्यय बढ़ा सकती है जिससे लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

कुल वृद्धिशील जमाराशि में चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों का हिस्सा कम हुआ

4.8 विपरीत रूप से चालू खाता और बचत खाता (सीएएसए) जमाराशियां, जो कि न्यूनतम लागत स्रोत हैं, का हिस्सा 2010-11 में कम हो गया। यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि 1 अप्रैल 2010 से बचत जमाराशियों पर दैनिक उत्पाद आधार पर प्रतिलाभ बढ़ने के बावजूद 2010-11 में सभी बैंक समूहों में पिछले वर्ष की तुलना में बचत जमाराशि संग्रह में गिरावट आयी। इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण निधि

सारणी IV.2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में वृद्धि

(प्रतिशत)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1. पूंजी	0.1	40.7	7.3	5.6	8.7	9.7	6.7	4.1	19.7	15.9	12.3	21.9
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	16.8	19.2	21.0	15.9	15.9	18.7	22.0	15.4	12.3	18.2	17.5	18.1
3. जमा राशियां	18.6	18.4	11.7	21.9	15.4	14.9	10.4	24.6	8.4	3.7	16.8	18.3
3.1. मांग जमा	18.4	11.3	33.5	18.1	22.5	12.2	35.9	19.2	12.7	6.8	20.9	12.4
3.2. बचत बैंक जमारशियां	25.8	22.1	32.8	23.0	26.2	14.0	34.9	25.8	26.5	8.8	26.9	21.8
3.3. सावधि जमा	16.2	18.2	1.3	22.5	12.0	15.5	-3.1	25.8	2.2	0.6	12.9	18.2
4. उधार	21.4	25.9	8.5	24.5	40.6	26.4	6.9	24.4	-11.9	36.0	12.2	26.8
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	4.2	21.4	8.5	20.9	8.4	-1.0	8.5	25.5	-29.7	16.9	-4.6	20.4
कुल देयताएं / आस्तियां	17.9	19.2	12.0	21.5	15.8	14.9	10.9	23.5	-2.2	12.9	15.0	19.2
1. आरबीआई के पास नकदी और शेष	20.8	30.1	32.0	13.5	27.7	7.4	33.3	15.2	22.1	6.3	23.1	25.4
2. आरबीआई के पास नकदी और शेष बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा	-12.9	15.6	13.9	-18.2	-43.3	-31.3	38.0	-16.0	-34.2	33.1	-11.6	10.1
3. निवेश	20.0	9.3	15.5	19.2	15.3	10.9	15.6	21.7	22.2	3.9	19.3	10.8
3.1 सरकारी प्रतिभूतियां (क +ख)	19.0	7.4	10.6	9.1	13.4	6.2	9.7	10.1	17.5	-4.7	17.3	6.6
क) भारत में	18.8	7.4	10.6	8.8	13.4	6.2	9.7	9.7	17.5	-4.7	17.2	6.6
ख) भारत के बाहर	48.2	-3.0	72.6	464.8	-	-	72.6	464.8	-	-	48.6	6.1
3.2 अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों	-36.8	-38.2	43.4	-71.4	56.2	-82.2	-31.7	74.8	-41.7	-57.1	-34.6	-40.2
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियां	28.4	20.1	27.6	41.0	20.5	24.9	29.5	45.0	37.7	28.1	29.2	27.6
4. ऋण और अग्रिम	19.6	22.4	9.9	26.1	19.9	19.8	7.1	28.1	-1.3	19.8	16.6	22.9
4.1 खरीदे गए और भुनाए गए बिल	10.4	30.3	30.7	20.2	19.1	10.3	37.2	25.0	46.9	18.2	16.3	27.5
4.2 कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, *आदि.*	22.9	26.9	9.6	28.4	20.8	23.4	2.5	32.1	2.5	24.8	19.9	27.0
4.3 सावधि ऋण	18.1	18.2	9.0	25.7	19.2	17.8	7.0	27.3	-13.4	14.9	14.4	19.8
5. अचल आस्तियां	2.2	4.9	3.6	26.8	8.0	6.5	2.4	32.8	2.6	2.0	2.5	9.1
6. अन्य आस्तियां	-0.2	32.9	-11.6	21.6	7.4	12.6	-14.5	23.3	-30.1	14.0	-14.1	24.7

-: नगण्य
स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

का अधिक ब्याज दरों के कारण सावधि जमाराशि में अंतरित हो जाना था। किंतु अप्रैल 2011 में बचत जमाराशि दर 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.0 प्रतिशत करने और अक्तूबर 2011 में बचत जमाराशि पर ब्याज दर विनियमन हटाने से आगे इसमें सुधार होने की अपेक्षा है। किंतु ब्याज दर विनियमन हटाने से प्रतिस्पर्धी वातावरण में बचत जमाराशि पहले जैसी कम लागत वाली नहीं रह जाएंगी। वृद्धि में गिरावट के अनुरू प कुल वृद्धिशील जमाराशि में चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों का हिस्सा पिछले वर्ष के 48 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 में कम होकर 36 प्रतिशत रह गया। बैंक समूह स्तर पर किये गये विश्लेषण से पता चलता है कि चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों में सर्वाधिक हिस्सा विदेशी बैंकों का था जिनके बाद निजी क्षेत्र के नये बैंक और पीएसबी का स्थान था (चार्ट IV.1)।

अदावी जमाराशियों की वृद्धि में गिरावट आयी

4.9 रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती अदावी जमाराशियों के प्रति चिंता प्रकट की और अगस्त 2008 में एससीबी को सूचित किया कि वे ऐसे ग्राहकों को ढूंढने के अधिक प्रयास करें। परिणामस्वरूप 2008 से अदावी जमाराशियों की वृद्धि दर में कमी

चार्ट IV.1: जमा राशियों की संरचना 2010-11

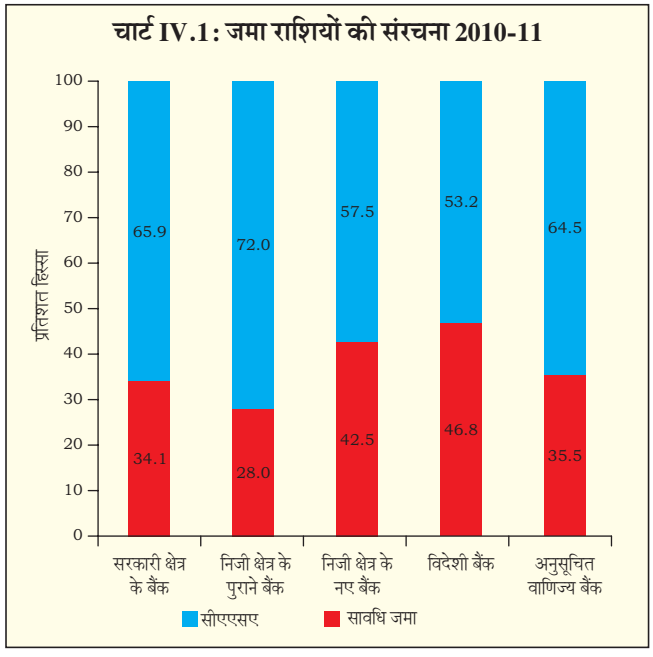

आयी। अदावी जमाराशियों की वृद्धि दर दिसंबर 2008 के 18 प्रतिशत और दिसंबर 2009 के 15 प्रतिशत से कम होकर दिसंबर 2010 में 5 प्रतिशत रह गयी। महत्त्वपूर्ण रूप से चालू खाते और मीयादी जमाराशि खाते की अदावी जमाराशि पिछले वर्ष की तुलना में दिसंबर 2010 के अंत में कम हो गयी। किंतु कुल जमाराशि में अदावी जमाराशि का हिस्सा पिछले वर्ष जैसे ही 2010-11 में भी लगभग 0.02 प्रतिशत बना रहा।[2]

उधार

उधार में उच्च वृद्धि दर्ज हुई

4.10 उधार, जो कि बैंकिंग क्षेत्र की कुल देयताओं का नौ प्रतिशत है, ने पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में वृद्धि दर्ज की। बैंक समूह स्तर पर कुल देयताओं में उधार के हिस्से में काफी भिन्नता देखी गयी। उधार पर विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के नये बैंकों की निर्भरता अन्य बैंक समूहों की तुलना में अधिक थी (चार्ट IV.2)।

चार्ट IV.2 जमा राशियां और उधारियां 2010-11

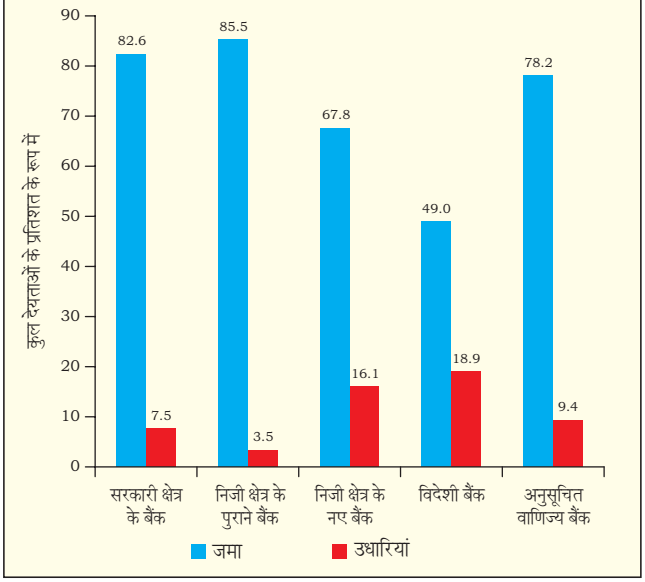

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रमुख आस्तियां

बैंक ऋण

ऋण और अग्रिम वृद्धि बढ़ी

4.11 यह उल्लेखनीय है कि कड़ी मौद्रिक नीति के संदर्भ में ऋण उठाव में धीमेपन , वर्ष-दर-वर्ष, की व्यापक चिंता के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में ऋण और अग्रिम में वृद्धि हुई। जहां हाल के वित्तीय संकट से आर्थिक रूप से बाहर निकलने से ऋण की मांग में वृद्धि हुई, वहीं आपूर्ति पक्ष की दृष्टि से जमाराशि में उच्च वृद्धि और पूंजी में वृद्धि से उच्च ऋण वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की प्रवृत्ति दर्शाते हुए 2010-11 में अल्पावधि ऋण की तुलना में सावधि ऋण कम दर पर बढ़े। 2010-11 में निजी क्षेत्र के नये बैंकों ने सावधि जमाराशि संग्रह की तदनुरूपी उच्च वृद्धि के आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में सावधि ऋण में उच्च वृद्धि दर्ज की।

निवेश

निवेश वृद्धि में गिरावट आयी

4.12 उच्च ऋण वृद्धि के निभाव के कारण प्रतिभूतियों में निवेश की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कम हो गयी। 2010-11 में बैंकिंग क्षेत्र के कुल निवेश का लगभग तीन चौथाई भारत में धारित सरकारी प्रतिभूतियों में था जो कि मुख्यत: रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एसएलआर अपेक्षा पूरी करने और अल्पावधि मुद्रा बाजार से निधि जुटाने के लिए था। किंतु भारत में धारित सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकिंग क्षेत्र के निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कम वृद्धि हुई जो कि 18 दिसंबर 2010 से एसएलआर अपेक्षा 25 प्रतिशत से कम करके 24 प्रतिशत करने के अनुरूप थी।

एसएलआर से भिन्न निवेश में गिरावट आयी

4.13 एससीबी के एसएलआर से भिन्न निवेश में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में मार्च 2011 में कमी आयी। इसका

[2] जमाराशि के आंकड़े एससीबी की जमाराशि और ऋण की तिमाही सांख्यिकी से लिये गये।

प्राथमिक कारण वाणिज्यिक पत्रों में निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कमी आना था। वाणिज्यिक पत्रों में निवेश अल्पकालिक अधिशेष से आर्थिक लाभ लेने के लिए बैंकिंग क्षेत्र का अल्पकालिक निवेश होता है। ऐसे निवेश में गिरावट से 2010-11 के दौरान कड़ी चलनिधि स्थिति का पता चलता है। दूसरी ओर शेयरों में बैंकों के निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में वृद्धि हुई। इसके साथ-साथ बांडों/डिबेंचरों में बैंकों के निवेश में भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कुछ वृद्धि हुई (सारणी IV.3)।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां[3]

अंतरराष्ट्रीय देयताओं में कम वृद्धि हुई

4.14 2010-11 में बैंकिंग क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय देयताएं अंतरराष्ट्रीय आस्तियों की तुलना में कम दर पर बढ़ीं। फिर भी बैंकिंग क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय देयताएं हाल की पूर्ववर्ती अवधि जैसे ही 2010-11 में बैंकिंग क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों की तुलना में लगातार लगभग दोगुनी बनी रहीं। बैंकिंग क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में वृद्धि में अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों के शेयरों, अनिवासी साधारण (एनआरओ) जमाराशि और विदेशी मुद्रा उधार में वृद्धि का मुख्य योगदान था। (सारणी IV.4)।

अंतरराष्ट्रीय आस्तियों में उच्च वृद्धि दर्ज हुई

4.15 अंतरराष्ट्रीय आस्तियों में हुई वृद्धि मुख्य रूप से निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण, निवासियों द्वारा अनिवासियों पर आहरित बकाया निर्यात बिलों और नोस्ट्रो शेषों से प्रेरित थी (सारणी IV.5)।

समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे[4]

समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में उच्च वृद्धि हुई

4.16 बैंकिंग क्षेत्र के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में उच्च वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय दावों की क्षेत्रवार संरचना से पता चला कि यह मुख्यत: बैंकों पर दावे थे जिससे बैंकों के कुल अंतरराष्ट्रीय दावों में वृद्धि हुई (सारणी IV.6)।

सारणी IV.3 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के गैर एसएलआर निवेश

(राशि करोड़ रुपये में)

लिखत	25 मार्च 2011 को	कुल की तुलना में प्रतिशत	7 अक्तूबर 2011 को	कुल की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. वाणिज्यिक पत्र	**12,310**	**5.4**	**21,244**	**8.1**
	(-51.1)		**(-50.2)**	
2. शेयर	**41,316**	**18.2**	**38,941**	**14.8**
	(37.2)		**(15.0)**	
क) जिसमें से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	8,965	4.0	8,377	3.2
ख) जिसमें से, निजी कंपनी क्षेत्र	32,351	14.3	30,564	11.6
3. बांड / डिबेंचर	**93,975**	**41.5**	**1,09,089**	**41.4**
	(49.7)		**(47.0)**	
क) जिसमें से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	27,946	12.3	35,013	9.2
ख) जिसमें से, निजी कंपनी क्षेत्र	66,029	29.2	74,077	28.1
4. म्युच्युअल फंड की इकाइयां	**47,603**	**21.0**	**61,806**	**23.5**
	(-10.0)		**(2.3)**	
5. वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए लिखत*	**31,296**	**13.8**	**32,326**	**12.3**
	(-4.0)		**(12.3)**	
कुल निवेश (1 से 5)	**2,26,500**	**100.0**	**2,63,406**	**100.0**
	(11.3)		**(9.8)**	

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े वर्ष पूर्व की तदनुरूप अवधि में प्रतिशत भिन्नता को दर्शाते हैं।
स्रोत: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत 42 (2) खंड की विवरणियां।

[3] भौगोलिक रूप से भारत में स्थित सभी वाणिज्य बैंकों की शाखाओं की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां।
[4] देशी वाणिज्य बैंकों की सभी शाखाओं (भारत और विदेश में स्थित) की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां।

सारणी IV.4: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - प्रकार - वार

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2010	2011	प्रतिशत घट-बढ़ 2010	प्रतिशत घट-बढ़ 2011
1	2	3	4	5
1. जमा और उधार	**3,38,574**	**3,78,221**	**4.8**	**11.7**
जिसमें से:	**(74.9)**	**(74.9)**		
विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा (बैंक)	72,234	77,413	-0.8	7.2
[एफसीएनआर (बी)]योजना	(16.0)	(14.8)		
विदेशी मुद्रा उधार *	74,354	95,419	-1.4	28.3
	(16.4)	(18.3)		
अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) जमा	1,22,380	1,21,229	-1.7	-0.9
	(27.1)	(23.2)		
अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपया जमा	30,824	41,072	49.0	33.2
	(6.8)	(7.9)		
2. प्रतिभूति/बांड के अपने निर्गम	**5,439**	**4,575**	**-20.8**	**-15.9**
	(1.2)	**(0.9)**		
3. अन्य देयताएं	**1,08,166**	**1,38,658**	**91.3**	**28.2**
जिसमें से:	**(23.9)**	**(26.6)**		
एडीआर / जीडीआर	30,391	34,699	193.4	14.2
	(6.7)	(6.7)		
अनिवासियों के पास बैंकों की इक्विटीज	50,313	73,159	165.8	45.4
	(11.1)	(14.0)		
भारत में विदेशी बैंकों की पूंजी/प्रेषण योग्य लाभ और	27,462	30,799	0.8	12.2
अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय देयताएं	(6.1)	(5.9)		
कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं	**4,52,179**	**5,21,454**	**17.0**	**15.3**

* : भारत में और विदेश से अंतर बैंक उधार तथा बैंकों के बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल है।
टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े कुल अंतरराष्ट्रीय देयताओं की तुलना में प्रतिशत हैं।
स्रोत: स्थानगत बैंकिंग सांख्यिकी।

4.17 भारत से भिन्न देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में वृद्धि मुख्यत: जर्मनी, यूएई और यूएसए पर बैंकों के दावों से प्रेरित थी। इसके विपरीत यूके और हांगकांग पर बैंकों के दावों में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कमी आयी (सारणी IV.7)।

सारणी IV.5: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ - प्रकार से

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये)

मद	2010	2011	प्रतिशत घट-बढ़ 2010	प्रतिशत घट-बढ़ 2011
1	2	3	4	5
1. ऋण और निवेश	**2,37,181**	**2,78,741**	**8.0**	**17.5**
	(96.3)	**(96.8)**		
जिसमें से:				
क) अनिवासियों को उधार*	10,196	14,414	22.2	41.4
	(4.1)	(5.0)		
ख) निवासियों को विदेशी मुद्रा उधार**	1,23,476	1,40,083	23.5	13.4
	(50.1)	(48.6)		
ग) निवासियों द्वारा अनिवासियों पर	50,496	61,321	13.3	21.4
आहरित बकाया निर्यात बिल	(20.5)	(21.3)		
घ) नोस्ट्रो शेष@	52,135	62,343	-21.6	19.6
	(21.2)	(21.6)		
2. ऋण प्रतिभूतियों की धारिताएं	**39**	**179**	**-48.7**	**359.0**
	(0.0)	**(0.1)**		
3. अन्य आस्तियाँ @@	**9,139**	**9,147**	**-6.1**	**0.1**
	(3.7)	**(3.2)**		
कुल अंतरराष्ट्रीय आस्तियां	**2,46,359**	**2,88,067**	**7.4**	**16.9**
	(100.0)	**(100.0)**		

* : अनिवासियों की जमाराशियों में से रुपया उधार और विदेशी मुद्रा उधार को शामिल किया गया है।
** : एफसीएनआर (बी) जमाराशियों से दिए गए उधार और विदेशी मुद्रा में पैकिंग ऋण (पीसीएफसी) तथा एफसी दिए गए उधार और भारत के बैंकों में जमा राशियां आदि।
@ : विदेश में किए गए प्लेसमेंट एवं अनिवासी के बैंकों के पास शेष मीयादी जमाराशियाँ।
@@ : भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / सहायक संस्थाओं को आपूर्ति की गई पूंजी और उनसे प्राप्त लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय आस्तियां।
टिप्पणिया : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत: स्थानगत बैंकिंग सांख्यिकी।

सारणी IV.6 : भारत को छोड़कर अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण - परिपक्वता और क्षेत्रवार

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये)

अवशिष्ट परिपक्वता / क्षेत्र	2010	2011
1	2	3
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**2,33,071**	**2,46,413**
क) परिपक्वता - वार		
1) अल्पावधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष से कम)	1,44,638 (62.1)	1,53,893 (62.5)
2) दीर्घावधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष और ऊपर)	81,939 (35.2)	87,247 (35.4)
3) अनाबंटित	6,494 (2.8)	5,273 (2.1)
ख)क्षेत्र वार		
1) बैंक	98,191 (42.1)	1,09,142 (44.3)
2) बैंकेतर सार्वजनिक	1,442 (0.6)	870 (0.4)
3) बैंकेतर निजी	1,33,438 (57.3)	1,36,401 (55.4)

टिप्पणियां : 1) कोष्ठकमें दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2) अनाबंटित अवशिष्ट परिपक्वता में परिपक्वता लागू नहीं (अर्थात इक्विटी के लिए) और बैंक शाखाओं से उपलब्ध न करायी गई परिपक्वता सूचना शामिल है।
3) बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी मौद्रिक संस्थाएं (जैसे आईएफसी, ईसीबी आदि) और केंद्रीय बैंक शामिल हैं।
4) मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से पूर्व, 'बैंकेतर सार्वजनिक क्षेत्र' में ऐसे बैंकों को छोड़कर जिनमें राज्य/केंद्रीय सरकारों की कम-से- कम 51 प्रतिशत शेयर धारिता थी, राज्य / केंद्र सरकार और उसके विभागों सहित कंपनियां/संस्थाएं शामिल थीं। मार्च 2005 की तिमाही से 'बैंकेतर सार्वजनिक' क्षेत्र में केवल राज्य/केंद्रीय सरकार और उनके विभाग शामिल हैं।

स्रोत : समेकित बैंकिंग सांख्यिकी - निकटवर्ती देशगत जोखिम आधार।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण-जमाराशि तथा निवेश-जमाराशि अनुपात

बैंकों ने उच्च बकाया ऋण-जमाराशि अनुपात की सूचना दी

4.18 ऋण-जमाराशि अनुपात और निवेश-जमाराशि अनुपात की प्रवृत्ति ने 2010-11 में निवेश की तुलना में ऋण को तरजीह मिलना दर्शाया। 2010-11 में बकाया ऋण-जमाराशि अनुपात 77 प्रतिशत पर अधिक था जो कि पिछले वर्ष 74 प्रतिशत था। इसके विपरीत 2010-11 में बकाया निवेश-जमाराशि अनुपात 34 प्रतिशत पर कम था जो कि पिछले वर्ष 36 प्रतिशत था। बैंक समूहों में 200-11 में सर्वाधिक निजी क्षेत्र के नये बैंकों ने ऋण-जमाराशि अनुपात दर्ज किया जिनके बाद विदेशी बैंकों का स्थान था। किंतु निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा सूचित उच्च ऋण-जमाराशि अनुपात को सावधानीपूर्वक देखने की आवश्यकता है क्योंकि निधि के लिए

सारणी IV.7: भारत को छोड़कर अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2010	2011
1	2	3
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**2,33,071 (100.0)**	**2,46,413 (100.0)**
जिसमें से:		
क) संयुक्त राज्य अमरीका	53,394 (22.9)	54,818 (22.2)
ख) यूनाइटेड किंगडम	36,141 (15.5)	34,370 (13.9)
ग) सिंगापुर	18,437 (7.9)	18,546 (7.5)
घ) जर्मनी	12,179 (5.2)	14,164 (5.7)
ङ) हांगकांग	18,978 (8.1)	18,376 (7.5)
च) संयुक्त अरब अमीरात	13,536 (5.8)	15,498 (6.3)

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े कुल अंतरराष्ट्रीय दावों में प्रतिशत अंश हैं।

स्रोत : समेकित बैंकिंग सांख्यिकी - निकटवर्ती देश जोखिम आधार।

जमाराशि पर इन बैंक समूहों की निर्भरता अन्य बैंक समूहों की तुलना में कम है। ये बैंक समूह निधि की बड़ी मात्रा उधार के माध्यम से जुटाते हैं (चार्ट IV.2 देखें)। अत: किसी बैंक समूह तुलना के लिए अधिक अर्थपूर्ण अनुपात जमाराशि और उधार के प्रतिशत के रूप में क्रेडिट होगा। इस अनुपात के संदर्भ में पीसीबी प्रथम स्थान पर हैं जिनके बाद निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंकों का स्थान है (चार्ट IV.3)।

चार्ट IV.3 जमा और उधारियों के प्रतिशत के रूप में क्रेडिट 2010-11

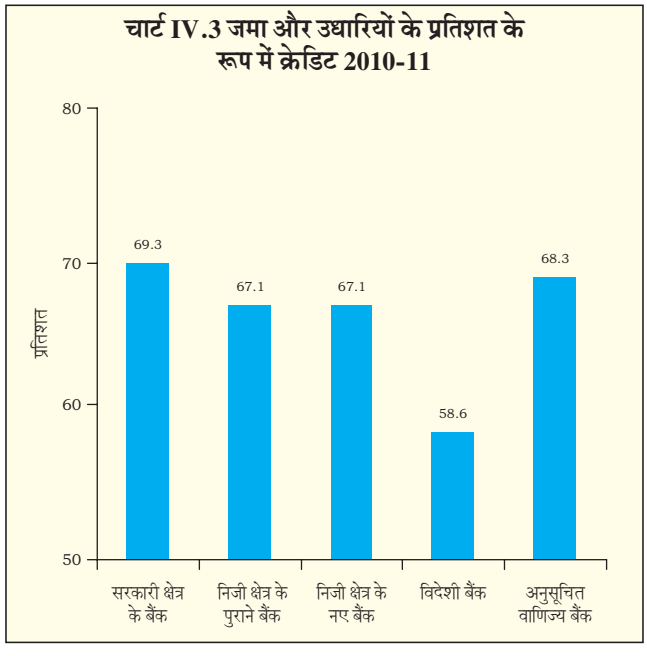

4.19 100 प्रतिशत से अधिक का वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात अर्थव्यवस्था में ओवरहिटिंग का एक सामान्य संकेतक है। 2010-11 की मजबूत ऋण वृद्धि के कारण 2010-11 की तीसरी तिमाही में ऋण-जमाराशि अनुपात 100 प्रतिशत से ऊपर चला गया। किंतु उसके बाद वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात में कमी आयी। तदनुसार वर्ष के उत्तरार्ध में वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात में सुधार हुआ (चार्ट IV.4)।

चार्ट IV.4 वृद्धिशील ऋण- और निवेश-अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के जमा अनुपात

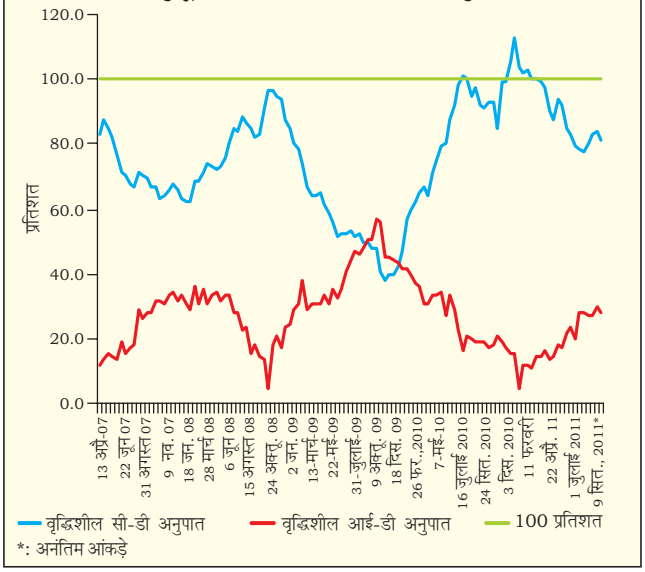

बैंकों की आस्तियों और देयताओं का अवधिपूर्णता प्रोफाइल

आस्तियों और देयताओं की अवधिपूर्णता प्रोफाइल-वार संरचना में विशेष अंतर नहीं हुआ

4.20 बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों और देयताओं की अवधिपूर्णता प्रोफाइल में बेमेल होना चिंता का विषय होता है क्योंकि इससे दीर्घावधि आस्तियों का अल्पावधि देयताओं से वित्तपोषण होता है। आस्तियों और देयताओं की अवधिपूर्णता प्रोफाइल-वार संरचना ने दर्शाया कि मार्च 2011 के अंत में बैंकिंग क्षेत्र कि कुल जमाराशि और उधार का लगभग आधा हिस्सा अल्पकालिक था। किंतु इसी अवधि में लगभग एक चौथाई कुल ऋण और अग्रिम तथा आधे से अधिक कुल निवेश दीर्घकालिक थे। आस्तियों और देयताओं की अवधिपूर्णता प्रोफाइल-वार संरचना में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में विशेष अंतर

सारणी IV.8: बैंक समूह-वार चुनिंदा देयताओं / आस्तियों की परिपक्वता प्रोफाइल

(मार्च के अंत में)

(प्रत्येक मद के अंतर्गत कुल का प्रतिशत)

देयताएं / आस्तियाँ	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
I. जमाराशियाँ												
क) 1 वर्ष तक	**48.9**	**48.2**	**47.7**	**46.1**	47.6	45.3	47.7	46.4	**63.7**	**64.2**	**49.4**	**48.5**
ख)1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	**27.5**	**28.6**	**38.4**	**38.6**	36.8	40.6	39.0	37.9	**26.8**	**26.9**	**29.4**	**30.3**
ग) 3 वर्ष से अधिक	**23.6**	**23.2**	**13.9**	**15.2**	15.6	14.1	13.3	15.6	**9.5**	**9.0**	**21.2**	**21.1**
II. उधार राशियां												
क) 1 वर्ष तक	**42.0**	**40.1**	**34.7**	**42.4**	49.0	54.5	33.9	41.7	**74.6**	**78.7**	**44.2**	**46.2**
ख)1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	**11.0**	**12.5**	**23.9**	**16.2**	15.6	12.5	24.4	16.4	**14.7**	**14.8**	**15.3**	**13.9**
ग) 3 वर्ष से अधिक	**46.9**	**47.4**	**41.4**	**41.4**	35.3	33.0	41.7	41.9	**10.7**	**6.5**	**40.5**	**40.0**
III. ऋण और अग्रिम												
क) 1 वर्ष तक	**38.0**	**36.0**	**37.1**	**37.6**	40.5	41.9	36.0	36.3	**61.1**	**68.1**	**38.9**	**37.8**
ख)1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	**33.8**	**36.2**	**34.2**	**36.4**	36.8	38.4	33.4	35.8	**20.1**	**17.0**	**33.3**	**35.4**
ग) 3 वर्ष से अधिक	**28.2**	**27.7**	**28.7**	**26.0**	22.7	19.7	30.6	27.8	**18.8**	**15.0**	**27.8**	**26.8**
IV. निवेश												
क) 1 वर्ष तक	**18.8**	**18.1**	**38.1**	**37.3**	24.4	28.7	42.4	39.7	**76.4**	**79.0**	**28.1**	**27.6**
ख)1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	**12.2**	**12.7**	**21.6**	**22.4**	8.8	12.2	25.6	25.3	**15.2**	**14.6**	**14.4**	**15.0**
ग) 3 वर्ष से अधिक	**69.0**	**69.2**	**40.2**	**40.2**	66.8	59.1	32.0	35.0	**8.4**	**6.4**	**57.5**	**57.3**

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।

बाक्स IV.1: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति देयता असंतुलन: विस्तार और निरंतरता

दीर्घकालिक आस्तियों और देयताओं के अवधिपूर्णता प्रोफाइल के विश्लेषण से पता चलता है कि समग्र स्तर पर दीर्घकालिक आस्तियों का वित्तपोषण अल्पकालिक देयताओं से किया जाता है। दीर्घकालिक आस्तियों से दीर्घकालिक देयताएं घटाकर गणना किया गया एएलएम हाल के वर्षों में कभी भी नकारात्मक नहीं हुआ जिसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के दीर्घकालिक ऋण घटक में देखी गयी उच्च वृद्धि से बैंकिंग क्षेत्र में असंतुलन बढ़ रहा है। एएलएम सकारात्मक अंतर का समूह-वार विश्लेषण दर्शाता है कि बैंकिंग क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक के समूह में एएलएम सकारात्मक अंतर सर्वाधिक था जिसके बाद 3-5 वर्ष और 1-3 वर्ष का स्थान था। सितंबर 2010 के अंत में कुल एएलएम सकारात्मक अंतर में 5 वर्ष से अधिक के समूह में एएलएम सकारात्मक अंतर 42 प्रतिशत था जिसके बाद 3-5 वर्ष (31 प्रतिशत) और 1-3 वर्ष (27 प्रतिशत) का स्थान था।

मार्किज द्वारा विकसित पद्धति (2004) अपनाकर एएलएम सकारात्मक अंतर की निरंतरता का विश्लेषण किया गया। तदनुसार एएलएम सकारात्मक अंतर की निरंतरता का अनुमान माध्य रिवर्शन की अनुपस्थिति के आधार पर निकाला गया है, अर्थात

$$\gamma = 1 - \left(\frac{n}{T}\right)$$

जहां एन का अर्थ टी+1 ऑब्जर्वेशन के साथ समय अंतरा के दौरान माध्य को श्रृंखला द्वारा जितनी बार क्रॉस किया गया वह है। सैद्धांतिक रूप से यह सिद्ध हो गया है कि सिमेट्रिक जीरो मीन व्हाइट नॉइस प्रोसेस में ई (वाई) =0.5. इस प्रकार यदि वाई का मूल्य 0.5 के करीब है तो इसका अर्थ यह है कि कोई विशेष निरंतरता नहीं है। दूसरी ओर यदि वाई का मूल्य 0.5 से काफी अधिक है तो इसका अर्थ यह है कि विशेष निरंतरता है। सिमेट्रिक जीरो मीन व्हाइट नॉइस प्रोसेस (शून्य निरंतरता) की धारणा के तहत निरंतरता वाई की नाप के सांख्यिकी महत्त्व की जांच के लिए निम्नलिखित सूत्र प्रयोग में लाया जाता है:

$$\left[\frac{\gamma - 0.5}{\frac{0.5}{\sqrt{T}}}\right] \cap N(0;1)$$

सारणी :आस्ति देयता बेमेल (एएलएम) पॉज़िट्रिव गैप की निरंतरता की नाप-बकेट-वार

टाइम बकेट	निरंतरता (γ)	महत्त्व $(\gamma - 0.5)/(0.5/\sqrt{T})$
एक से तीन वर्ष	0.60	1.483[b] (0.0606)
तीन से पांच वर्ष	0.47	-0.404[b] (0.3264)
पांच वर्ष से अधिक	0.47	-0.404[b] (0.3264)
कुल	**0.47**	**0.405[b] (0.3264)**

b: 5 प्रतिशत स्तर पर शून्य निरंतरता की शून्य परिकल्पना की स्वीकार्यता।

टिप्पणी: विश्लेषण के लिए प्रयुक्त आब्जर्वेशनों की संख्या 55 है।

सभी एससीबी के लिए पूरी नमूना अवधि अर्थात मार्च 2006 से सितंबर 2010 के दौरान एएलएम सकारात्मक अंतर के लिए वाई का मूल्य 0.47 है जो कि 0.5 से थोड़ा कम है। यह दर्शाता है कि समग्र स्तर पर संदर्भाधीन अवधि के दौरान एएलएम सकारात्मक अंतर में कोई विशेष निरंतरता नहीं थी। निरंतरता का समूह-वार विश्लेषण दर्शाता है कि किसी भी समय समूह में 5 प्रतिशत स्तर में कोई विशेष निरंतरता नहीं थी। किंतु 10 प्रतिशत स्तर में "एक वर्ष से तीन वर्ष" के समय समूह में निरंतरता थी (सारणी)। इस प्रकार सारांश के रूप में समग्र स्तर पर ही सही किंतु एएलएम सकारात्मक अंतर में विशेष निरंतरता नहीं थी, लेकिन "एक वर्ष से तीन वर्ष" के समय समूह में यह विशेष थी जिस पर सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है।

संदर्भ:

मार्किस, कार्लोस रोबालो (2004), "इन्फ्लेशन पर्सिस्टंस: फॅक्ट्स ऑर आर्टफॅक्स?", वर्किंग पेपर सं.371,जून, यूरोपीय केंद्रीय बैंक।

नहीं हुआ जो आस्ति-देयता में बेमेल की निरंतरता दर्शाता है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति-देयता बेमेल की सीमा और निरंतरता का विश्लेषण बाक्स IV.1 में दिया गया है (सारणी IV.8)।

4.21 2010-11 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की दीर्घावधि आस्तियों का लगभग 20 प्रतिशत अल्पावधि देयताओं से वित्तपोषित हुआ था। अल्पावधि देयताओं से वित्तपोषित दीर्घावधि आस्तियों का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम हो गया (सारणी IV.9)।

4.22 वित्तपोषण पक्ष में बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 23 प्रतिशत अल्पावधि देयताओं का प्रयोग 20 प्रतिशत दीर्घावधि आस्तियों के वित्तपोषण के लिए किया गया। दीर्घावधि आस्तियों के वित्तपोषण के लिए प्रयुक्त अल्पावधि देयताओं का प्रतिशत हिस्सा भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कुछ कम हो गया (सारणी IV.9)।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रेतर परिचालन

बैंकों के तुलनपत्रेतर परिचालनों में लगातार वृद्धि हुई

4.23 हाल के वैश्विक वित्तीय संकट ने तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (ओबीएस) भारी वृद्धि से संबद्ध जोखिम को दर्शाया। ओबीएस के जोखिमपूर्ण और अनिश्चित स्वरूप को पहचानते हुए रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2008 में ओबीएस संबंधी विवेकसम्मत मानदंडों को कड़ा किया।

4.24 बैंकिंग क्षेत्र का तुलनपत्रेतर एक्सपोजर, जो कि पिछले दो वर्षों में कम हो गया था, 2010-11 में 31 प्रतिशत बढ़ा। 2010-11 में कुल तुलनपत्रेतर एक्सपोजर का तीन चौथाई से अधिक भाग वायदा विनिमय संविदाएं थीं। विदेशी बैंकों का तुलनपत्रेतर एक्सपोजर 2010-11 में बैंकिंग क्षेत्र के कुल तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के दो

सारणी IV.9: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति देयता बेमेल

प्रतिशत

क्र. सं.	बैंक समूह/वर्ष	अल्पावधिक देयताओं द्वारा वित्त पोषित दीर्घकालिक आस्तियां*		दीर्घकालिक आस्तियों** का वित्त पोषण करने वाली अल्पावधिक देयताओं का प्रतिशत	
1		2	3	4	5
		2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**22.6**	**22.0**	**28.5**	**27.9**
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक#	24.1	22.3	27.3	24.6
	1.2 एसबीआई समूह	19.7	21.4	31.8	38.2
2	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**14.4**	**15.7**	**19.6**	**21.0**
	2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	18.9	13.4	23.8	17.0
	2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक	13.1	16.3	18.2	22.1
3	**विदेशी बैंक**	**-16.2**	**-25.0**	**-6.4**	**-9.0**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**19.7**	**19.5**	**23.4**	**23.3**

*: (दीर्घकालिक आस्तियों से दीर्घकालिक देयताएं घटाकर)*100 के रुप में गणना की गयी।
**: (दीर्घकालिक आस्तियों से दीर्घ कालिक देयताएं घटाकर) अल्पकालिक देयताओं*100 के रूप में गणना की गयी।
#: आईडीबीआई बैंक लि. सहित

चार्ट IV.5 : बैंकिंग क्षेत्र के तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र की संरचना 2010-11

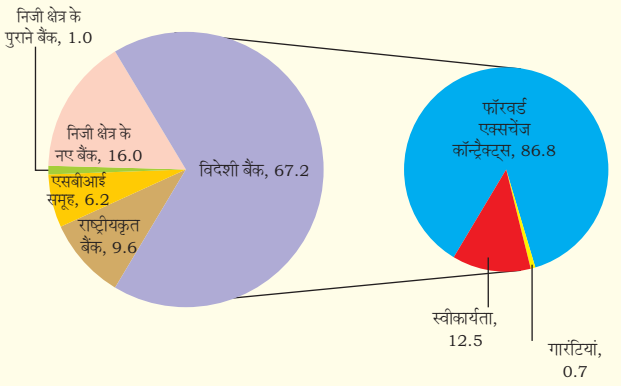

तिहाई से अधिक बना रहा। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के ओबीएस का विस्तृत विश्लेषण बाक्स IV.2 में दिया गया है (परिशिष्ट सारणी IV.1 और चार्ट IV.5)।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय निष्पादन

लाभप्रदता

समेकित निवल लाभ में उच्च वृद्धि हुई

4.25 एक ओर उच्च ब्याज व्यय के कारण लाभप्रदता संबंधी व्यापक चिंताओं और दूसरी ओर उच्च अनर्जक आस्तियों और परिणामी उच्च प्रावधानीकरण अपेक्षाओं तथा कम ब्याज आय के बावजूद एससीबी के निष्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सुधार हुआ।

4.26 बैंकिंग क्षेत्र के समेकित निवल लाभ में 2009-10 में हुई गिरावट के विपरीत 2010-11 में उच्च वृद्धि हुई जिसका प्राथमिक कारण ब्याज आय में उच्च वृद्धि था। 1 जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली लागू करने, जो कि कंपनी क्षेत्र को सब-प्राइम उधार देने पर रोक लगाती है, से 2010-11 में उच्च ब्याज आय में मदद मिली होगी और ऋण वृद्धि भी मजबूत रही। उच्च ब्याज दर वातावरण के कारण 2010-11 में ब्याज व्यय भी अधिक होने के बावजूद यह ब्याज आय वृद्धि की तुलना में काफी कम था। तदनुसार एससीबी की निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सुधार हुआ।

"अन्य आय" वृद्धि में कमी आयी

4.27 "अन्य आय" में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कम वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में बैंकिंग क्षेत्र की व्यापार आय में गिरावट इस गिरावट का एक मुख्य कारण थी। किंतु "अन्य आय" में समग्र गिरावट के बावजूद "अन्य आय" का एक प्रमुख घटक अर्थात कमीशन और दलाली में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में उच्च वृद्धि हुई।

परिचालन व्यय की वृद्धि उच्च दर पर हुई

4.28 विपरीत रूप से, बैंकिंग क्षेत्र का परिचालन व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में उच्च दर पर बढ़ा जिसका मुख्य कारण पिछले एक वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र में वेतन वृद्धि लागू होना था। इसके अलावा प्रावधानीकरण और आकस्मिक व्यय में भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में उच्च वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण सकल

बाक्स IV.2: लाभप्रदता बनाम जोखिम: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में तुलनपत्रेतर एक्सपोजर का विश्लेषण

तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (ओबीएस) से चिंता उभरती है क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता पर इसका प्रभाव अनिश्चित है। चूक की स्थिति में तुलनपत्रेतर एक्सपोजर बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है जैसा कि हाल के वैश्विक वित्तीय संकट से प्रकट हुआ था। पिछले दस वर्षों के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के ओबीएस में और विशेष रूप से निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों के मामले में काफी वृद्धि हुई। वैश्विक वित्तीय संकट के प्रारंभ के कारण ओबीएस पर नीति को अगस्त 2008 में कड़ा किया गया। परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र के ओबीएस में 2008-09 और 2009-10 में गिरावट आयी। किंतु सुधार की शुरूआत से बैंकिंग क्षेत्र के ओबीएस में 2010-11 में पुन: सकारात्मक वृद्धि हुई (चार्ट क)।

तथ्यत: विनिमय दर में घट-बढ़ और साथ ही उच्च ब्याज दर वातावरण से बैंकों के ग्राहकों से वायदा संविदाओं की मांग बढ़ती है जो कि बैंकिंग क्षेत्र के ओबीएस एक्सपोजर का सबसे बड़ा घटक है। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ बैंकिंग क्षेत्र से ऐसी जोखिम प्रबंधन सेवाओं की मांग बढ़ती है। दूसरी ओर बैंकों की दृष्टि से ओबीएस एक्सपोजर, जो कि मूलत: शुल्क-आधारित सेवाएं हैं, से बैंकों की सकल आय में वृद्धि होती है, हालांकि इसमें जोखिम अधिक होती है। इस प्रकार यदि कोई बैंक अधिक जोखिम उठाता है तो उसे अधिक शुल्क आय का ओबीएस एक्सपोजर लाभ मिलता है।

"अन्य आय" उत्पत्ति में ओबीएस एक्सपोजर की भूमिका की समीक्षा पैनल डाटा रिग्रेशन विश्लेषण का उपयोग करके की गयी थी। पैनल डाटा रिग्रेशन बैंक समूह स्तर पर किया गया था। प्रयुक्त बैंक समूह-वार डाटा भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति की रिपोर्ट से लिया गया है।

"अन्य आय" का लॉग निर्भर चर के रूप में लिया गया। ओबीएस एक्सपोजर, तुलनपत्रीय आस्तियां और "अन्य आय" का पहला लॅग स्वतंत्र चर थे। इस प्रकार सांकेतिक रूप से अध्ययन में प्रयुक्त मॉडल को निम्नवत् लिखा जा सकता है:

$$\pi_{it} = c + \sum_{k=1}^{K} \beta_k X_{it}^{k} + \varepsilon_{it}$$

Where

$$\varepsilon_{it} = v_i + u_{it}$$

बैंक समूह की "अन्य आय", समय t में है जिसमें i=1, ...,N; t=1, T,c निरंतर टर्म है,Xits k स्पष्टिकरणात्मक चर हैं और .it व्यवधान है और vi न देखा गया बैंक विशेष का प्रभाव है और uit आईडियोसिन्करेटिक चूक है। हाउसमॅन जांच सांख्यिकी महत्त्वपूर्ण नहीं थी। इसलिए रैडम इफेक्ट मॉडल के परिणाम दिये गये हैं। रिग्रेशन परिणाम नीचे दिये गये हैं (सारणी)।

सारणी: "अन्य आय" पर ओबीएस का प्रभाव

(नमूना अवधि: पांच बैंक समूहों में 2002 से 2010 के बीच प्राप्त विचार-50)

निर्भर वेरिएबल : "अन्य आय"

व्याख्यात्मक वेरिएबल	कोएफिसिएंट	टी-मूल्य
इंटरसेप्ट	-1.188	-1.750*
तुलन पत्र आस्तियां	0.365	3.715***
तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर	0.085	2.189**
"अन्य आय" का प्रथम लैग	0.480	4.172***
आर- स्क्वायर्ड: 0.89		
समायोजित आर- स्क्वायर्ड: 0.88		
डी डब्ल्यू सांख्यिकी: 1.44		

*: दस प्रतिशत के स्तर पर महत्त्वपूर्ण।
**: पांच प्रतिशत के स्तर पर महत्त्वपूर्ण।
***: एक प्रतिशत के स्तर पर महत्त्वपूर्ण।

परिणामों ने दर्शाया कि ओबीएस एक्सपोजर के एक प्रतिशत वृद्धि से बैंकिंग क्षेत्र की "अन्य आय" में 0.08 प्रतिशत वृद्धि होती है। इस प्रकार ..... बेहतर "अन्य आय" और लाभ प्राप्त के लिए बैंक ओबीएस एक्सपोजर संचय का लाभ मिलता है।

दूसरी ओर इस ओबीएस एक्सपोजर से जुड़ी जोखिम को नापना कठिन है। किंतु यह उल्लेखनीय है कि मार्च 2011 के अंत में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का कुल ओबीएस एक्सपोजर बैंकिंग क्षेत्र की कुल तुलनपत्रीय आस्तियों से अधिक था। इसका मुख्य कारण निजी क्षेत्र के नये बैंक और विदेशी बैंक थे। पीएसबी और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों ओबीएस एक्सपोजर अन्य बैंक समूहों की तुलना में कम था। इस प्रकार विशेष रूप से निजी क्षेत्र के नये बैंक और विदेशी बैंकों की चूक की स्थिति में ये एक्सपोजर बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं (चार्ट ख)।

चार्ट क: ओबीएस में गतिविधियां

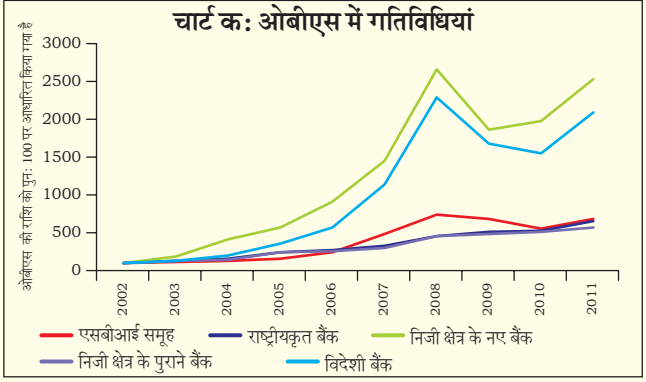

चार्ट ख : तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र और तुलन पत्र आस्तियां (बी ए)-2010-11

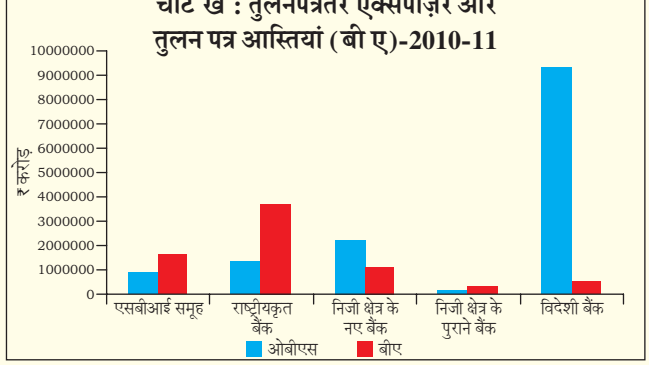

सारणी IV.10 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय का रुझान

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2009-10		2010-11	
	राशि	प्रतिशत घटबढ़	राशि	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5
1. आय	**4,94,446**	**6.63**	**5,71,230**	**15.53**
क) ब्याज आय	4,15,179	6.87	4,91,667	18.42
ख) अन्य आय	79,267	5.38	79,564	0.37
2. व्यय	**4,37,337**	**6.42**	**5,00,899**	**14.53**
क) व्यय किया गया ब्याज	2,72,083	3.37	2,98,891	9.85
ख) परिचालन व्यय	1,00,028	11.66	1,23,129	23.09
जिसमें से : वेतन बिल	55,248	15.16	71,950	30.23
ग) प्रावधानिकरण और अनुषंगी व्यय	65,226	12.17	78,879	20.93
3. परिचालन लाभ	**1,22,335**	**10.31**	**1,49,210**	**21.97**
4. वर्ष में निवल लाभ	**57,109**	**8.26**	**70,331**	**23.15**
5. निवल ब्याज आय (1क-2क)	**1,43,096**	**14.24**	**1,92,776**	**34.72**
ज्ञापन मद:				
1. निवल ब्याज मार्जिन	**2.17**		**2.92**	

स्रोत : संबंधित बैंकों के लाभ और हानि विवरण ।

अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) में वृद्धि (निरपेक्ष संदर्भ में) था। उच्च ब्याज दर वातावरण के कारण निवेश मूल्यह्रास में मूल्यस से भी बैंकिंग क्षेत्र की प्रावधानीकरण अपेक्षा में वृद्धि हुई। मई 2011 में एनपीए की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षा बढ़ने के कारण भविष्य में इसमें और वृद्धि होने की अपेक्षा है (सारणी IV.10)।

4.29 2010-11 में बैंकिंग क्षेत्र में लाभप्रदता बनाये रखने में मदद करने वाला एक कारक यह था कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प को पुन: खोलने से उभरी देयता तक विनियामक व्यवहार बढ़ाना और फरवरी 2011 में उपदान सीमा में वृद्धि करना था। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अनुमति दी कि वे इन घटनाओं से उभरी कुल देयताओं का शोधन पांच वर्ष की अवधि में कर सकते हैं जिससे कुल देयताओं का 1/5 भाग ही चालू वर्ष के लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया गया।[5]

आस्तियों पर प्रतिलाभ में कुछ सुधार हुआ

4.30 परिणामस्वरूप, बैंकिंग क्षेत्र के समेकित निवल लाभ में 2010-11 में उच्च वृद्धि हुई जबकि पिछले कुछ समय से इसमें गिरावट की प्रवृत्ति बनी हुई थी। एससीबी की आस्तियों पर प्रतिलाभ भी बढ़कर 2010-11 में 1.10 प्रतिशत हो गया जो कि 2009-10 में 1.05 प्रतिशत था जिसका मुख्य कारण उच्च निवल ब्याज मार्जिन था। इक्विटी पर प्रतिलाभ में भी उक्त अवधि में सुधार हुआ। किंतु एसबीआई समूह इस सामान्य प्रवृत्ति का अपवाद था। एसबीआई समूह द्वारा दर्ज आस्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी पर प्रतिलाभ में कुछ गिरावट आने का आंशिक कारण टीजर ब्याज दरों पर दिये गये आवास ऋणों की प्रावधानीकरण अपेक्षा था। ऐसे ऋणों के पुनर्मूल्यन पर लाभ बढ़ाने की जोखिम बढ़ने के कारण रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2010 में ऐसे ऋणों (मानक आस्तियों के रूप में श्रेणीबद्ध) पर प्रावधानीकरण अपेक्षा बढ़ा दी थी (सारणी IV.11 और चार्ट IV.6)।

कार्यकुशलता

4.31 दूसरी ओर, जहां उच्च निवल ब्याज मार्जिन लाभप्रदता बढ़ाती है वहीं दूसरी ओर यह अर्थव्यवस्था में वित्तीय मध्यस्थता की

सारणी: IV.11 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिफल और इक्विटी पर प्रतिफल - बैंक समूहवार

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक समूह/ वर्ष	आस्तियों पर प्रतिफल		इक्विटी पर प्रतिफल	
		2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**0.97**	**0.96**	**17.47**	**16.90**
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक*	1.00	1.03	18.30	18.20
	1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह	0.91	0.79	15.92	14.11
2	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**1.28**	**1.43**	**11.94**	**13.70**
	2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	0.95	1.12	12.29	14.10
	2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.38	1.51	11.87	13.62
3	**विदेशी बैंक**	**1.26**	**1.74**	**7.34**	**10.28**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**1.05**	**1.10**	**14.31**	**14.96**

*: राष्ट्रीयकृत बैंकों में आईडीबीआइ बैंक लिमिटेड शामिल है।

टिप्पणियां: 1)आस्तियों पर प्रतिफल = निवल प्रतिफल / औसत कुल आस्तियां।
2)इक्विटी पर प्रतिफल = निवल लाभ /औसत कुल इक्विटी।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्रों से गणना की गई।

[5] बैंकों की आरक्षित निधि का प्रारंभिक शेष आगे लाये गये अशोधित व्यय की सीमा तक कम किया जाएगा। घटना के अपवादात्मक स्वरूप को देखते हुए अशोधित व्यय टियर I पूंजी से नहीं घटाया जाएगा।

चार्ट IV.6 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल लाभ

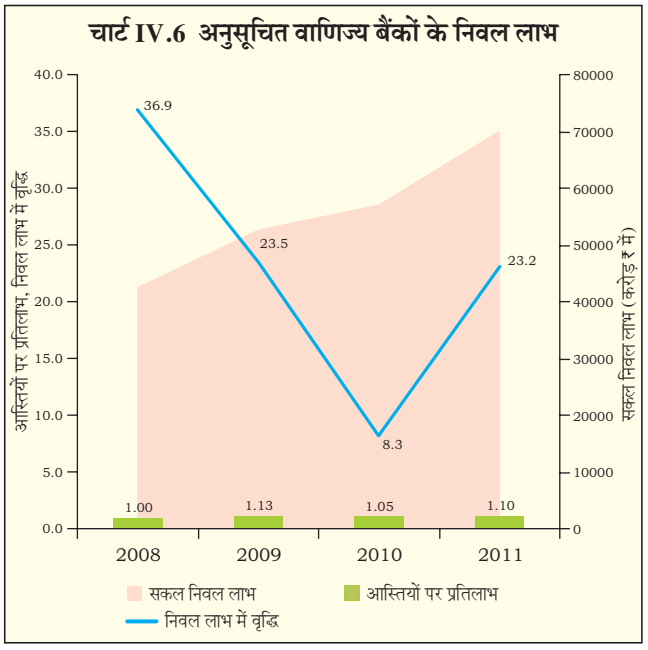

लागत भी बढ़ाती है। इस प्रकार वित्तीय मध्यस्थता की कार्यकुशलता बढ़ाने और लाभप्रदता बनाये रखने के लिए ब्याजेतर आय बढ़ाने के लिए निवल ब्याज मार्जिन में सुधार लाना आवश्यक है। पिछले एक दशक में बैंकिंग क्षेत्र की कार्यकुशलता का विश्लेषण बाक्स IV.3 में दिया गया है।

निधि लागत में गिरावट आयी

4.32 सामन्य अपेक्षा के विपरीत, एससीबी की निधि लागत में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में गिरावट आयी जिसका प्राथमिक कारण जमाराशि कि लागत में गिरावट आना था (सारणी IV.12)।

निधि पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ

4.33 विपरीत रूप से, निधि पर प्रतिलाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में वृद्धि हुई। किंतु अग्रिमों पर प्रतिलाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में गिरावट आयी। इस प्रवृत्ति का एक कारण सकल गैर निष्पादक ऋणों में निरपेक्ष संदर्भ में वृद्धि

सारणी IV.12: निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिफल - बैंक समूहवार

(प्रतिशत)

क्रम. सं.	बैंक समूह/वर्ष	जमा की लागत	उधार की लागत	निधि की लागत	अग्रिमों पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	निधि पर प्रतिफल	अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-5)
1	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**							
	2009-10	**5.68**	**1.50**	**5.35**	**9.10**	**6.65**	**8.34**	**2.99**
	2010-11	**5.12**	**2.31**	**4.89**	**9.09**	**6.80**	**8.41**	**3.52**
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक *							
	2009-10	5.64	1.65	5.37	9.18	6.81	8.46	3.09
	2010-11	5.13	2.36	4.93	9.20	6.85	8.50	3.57
	1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह							
	2009-10	5.75	1.28	5.32	8.93	6.33	8.10	2.78
	2010-11	5.09	2.22	4.80	8.84	6.67	8.21	3.41
2	**निजी क्षेत्र के बैंक**							
	2009-10	**5.36**	**1.95**	**4.83**	**9.89**	**6.23**	**8.60**	**3.77**
	2010-11	**4.97**	**2.31**	**4.56**	**9.67**	**6.53**	**8.56**	**4.00**
	2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक							
	2009-10	6.28	1.87	6.13	10.95	6.09	9.22	3.10
	2010-11	5.63	2.24	5.50	10.42	6.20	8.98	3.48
	2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक							
	2009-10	5.01	1.96	4.42	9.56	6.28	8.40	3.99
	2010-11	4.73	2.31	4.27	9.43	6.62	8.44	4.17
3	**विदेशी बैंक**							
	2009-10	**3.10**	**2.01**	**2.83**	**9.99**	**6.39**	**8.30**	**5.47**
	2010-11	**3.30**	**2.56**	**3.11**	**8.75**	**7.39**	**8.11**	**5.00**
	सभी एससीबी							
	2009-10	**5.49**	**1.70**	**5.10**	**9.29**	**6.54**	**8.39**	**3.29**
	2010-11	**5.01**	**2.34**	**4.73**	**9.18**	**6.79**	**8.42**	**3.69**

*: आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल है।

टिप्पणी: 1) जमा की लागत = जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज / चालू और पूर्व वर्ष की जमाराशियों का औसत।
2) उधारों की लागत = उधारों पर प्रदत्त ब्याज / चालू और पूर्व वर्ष के उधारों का औसत।
3) निधियों की लागत = (जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज +उधारों पर अदा किया गया ब्याज) / (चालू और पूर्व वर्ष की जमाराशियों + उधारों का औसत)।
4) अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / चालू और पूर्व वर्ष के अग्रिमों का औसत।
5) निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेश पर अर्जित ब्याज / चालू और पूर्व वर्ष के निवेशों का औसत।
6) निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों पर अर्जितब्याज + निवेशों पर अर्जितब्याज) / (चालू और पूर्व वर्ष के अग्रिमों + निवेशों का औसत)।
7) *आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्रों से गणना की गई।

बाक्स IV.3: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की निवल ब्याज मार्जिन: कार्यकुशलता बनाम लाभप्रदता

जहां बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए लाभप्रदता बनाये रखना अनिवार्य है, वहीं आर्थिक विकास की दृष्टि से कार्यकुशल वित्तीय मध्यस्थता महत्त्वपूर्ण है। बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता निर्धारण की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम), परिचालन व्यय और "अन्य आय" महत्त्वपूर्ण हैं। बैंकिंग क्षेत्र की कार्यकुशता के आकलन के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक संकेतक एनआईएम है। एनआईएम बैंकिंग कारोबार करते समय बैंकिंग क्षेत्र द्वारा ली गयी मार्जिन दर्शाता है। इस संदर्भ में जहां कार्यकुशता की दृष्टि से एनआईएम को कम करना जरूरी है, वहीं लाभप्रदता की दृष्टि से इसे बढ़ाना जरूरी है। अत: एक संतुलित कार्य यह होगा कि एनआईएम को कम किया जाए जिससे वित्तीय मध्यस्थता की कार्यकुशलता बढ़ेगी और लाभप्रदता बनाये रखने के लिए अन्य क्षेत्रों से आय बढ़ानी होगी परिचालन व्यय कम करने होंगे (सुब्बाराव,2010)।

भारत में पिछले एक दशक के दौरान एनआईएम 2.5 प्रतिशत से 3.1 प्रतिशत के दायरे में था। एनआईएम में 2010-11 के दौरान सुधार हुआ जबकि 2004-2010 के दौरान इसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी थी। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का एनआईएम विश्व की कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में निरंतर अधिक बना हुआ है। कोर बैंकिंग कारोबार से एनआईएम (अर्थात औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण और अग्रिम से ब्याज आय से जमाराशि पर ब्याज व्यय घटाकर आये हुए अंतर के रूप में) और अन्य से एनआईएम (मुख्यत: अन्य सभी ब्याज आय और ब्याज व्यय के बीच का अंतर) के बीच का विभाजन दर्शाता है कि कोर बैंकिंग कारोबार से एनआईएम में पिछले एक दशक के दौरान काफी वृद्धि हुई। इसके विपरीत अन्य से एनआईएम में गिरावट आई जिससे उक्त अवधि के दौरान कुल एनआईएम कमोबेश स्थिर बना रहा। कोर बैंकिंग कारोबार से एनआईएम में वृद्धि दर्शाती है कि वित्तीय मध्यस्थता की लागत में पिछले एक दशक के दौरान वृद्धि हुई। इस प्रकार कुल एनआईएम कम करने के लिए बैंकिंग कारोबार से एनआईएम को कम करने की आवश्यकता है (चार्ट क)।

पहले दर्शाये अनुसार लाभप्रदता के हित में यह महत्त्वपूर्ण है कि आस्ति अनुपात के रूप में परिचालन व्यय कम किया जाए और "अन्य आय" बढ़ायी जाए। कुल औसत आस्ति की तुलना में परिचालन व्यय में पिछले एक वर्ष में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी जिसका मुख्य कारण कम लागत की प्रौद्योगिकीय प्रगति था। किंतु कुल औसत आस्ति-"अन्य आय" अनुपात में भी पिछले एक वर्ष में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी (चार्ट ख)। इस प्रकार वित्तीय मध्यस्थता में लाभप्रदता बनाये रखने और कार्यकुशता सुधारने के लिए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में "अन्य आय" बढ़ाना और एनआईएम घटाना महत्त्वपूर्ण है।

संदर्भ: डी.सुब्बाराव (2010), "फाइव फ्रंटियर इश्यूज इन इंडियन बैंकिंग", "बैंकॉन 2010", मुंबई में दिसंबर में दिया गया भाषण।

चार्ट IV.क : एनआईएम की गतिविधियां

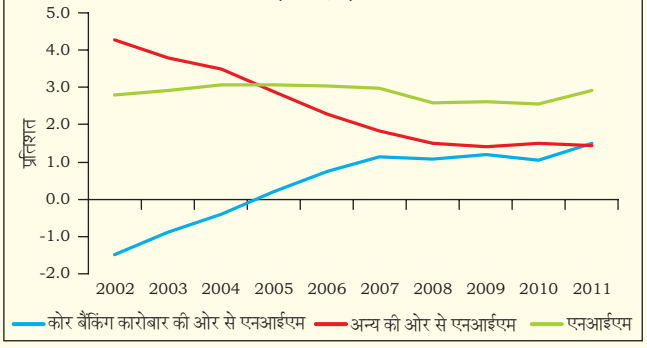

चार्ट IV.ख : परिचालनगत व्यय और अन्य आय की गतिविधियां

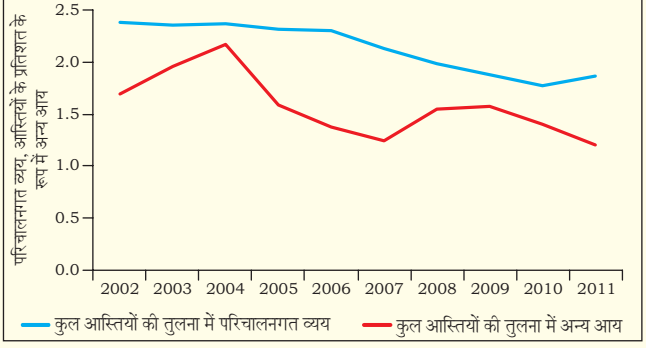

होना हो सकता है। सारांश के रूप में निधि पर प्रतिलाभ में वृद्धि और निधि की लागत में गिरावट से अंतर में वृद्धि हुई। बैंक समूह स्तर पर जहां निधि पर प्रतिलाभ सामान्यत: तुलनीय है वहीं निधि की लागत में काफी अंतर था। विदेशी बैंकों द्वारा दर्ज निधि की न्यूनतम लागत के कारण 2010-11 में वे उच्चतम अंतर दर्ज कर सके। हाल के वर्षों में कम व्यय वाली सीएएसए जमाराशियों के उच्च हिस्से के कारण विदेशी बैंक जमाराशि की कम लागत और अंतत: निधि की कम लागत दर्ज कर सके (चार्ट IV.1 देखें) (चार्ट IV.7)।

4. सुदृढ़ता संकेतक

सुदृढ़ता संकेतक अच्छी स्थिति की ओर संकेत करते हैं

4.34 बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता भारत जैसे बैंकों के प्रभुत्व वाले देश में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए अनिवार्य है। तदनुसार बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता के विभिन्न पहलुओं, नामत: पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, लीवरेज, ऋण में तेजी और चलनिधि का विश्लेषण इस अध्याय में किया गया है।

चार्ट IV.7 : निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ - बैंक समूह -वार 2010-11

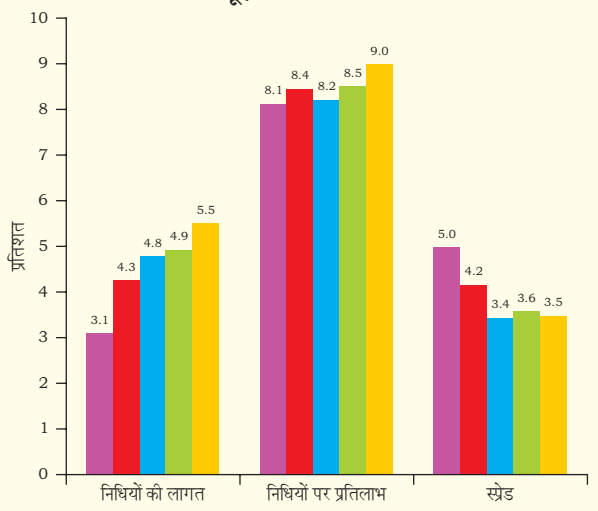

पूंजी-जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर)

बासेल I और II के तहत सीआरएआर निर्धारित मानदंडों से पर्याप्त अधिक रहा

4.35 आरआरबी और एलएबी छोड़कर सभी एससीबी बासेल II संरचना में अंतरित हो जाने के बावजूद बॅकस्टॉप उपाय के रूप में बासेल I भी समांतर रूप से चल रहा है। बासेल I के तहत सभी बैंकों का सीआरएआर 2010-11 में 9 प्रतिशत के निर्धारित मानदंडों से पर्याप्त ऊपर रहा (सारणी IV.13)।

सारणी IV.13: बासेल I और II के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात - बैंक समूह वार

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

बैंक समूह	बासेल I		बासेल II	
	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5
सरकारी क्षेत्र के बैंक	**12.1**	**11.8**	**13.3**	**13.1**
राष्ट्रीयकृत बैंक*	12.1	12.2	13.2	13.5
भारतीय स्टेट बैंक समूह	12.1	11.0	13.5	12.3
निजी क्षेत्र के बैंक	**16.7**	**15.1**	**17.4**	**16.5**
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	13.8	13.3	14.9	14.6
निजी क्षेत्र के नए बैंक	17.3	15.5	18.0	16.9
विदेशी बैंक	**18.1**	**17.7**	**17.3**	**17.0**
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**13.6**	**13.0**	**14.5**	**14.2**

* : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल है।
स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित ।

4.36 किंतु पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सीआरएआर कम हो गया जिसका मुख्य कारण टियर II सीआरएआर अनुपात में कमी आना था। 2010-11 में बैंक समूहों के बीच विदेशी बैंकों ने सर्वाधिक सीआरएआर दर्ज किया जिनके बाद निजी क्षेत्र के बैंकों और पीसीबी का स्थान था। 2010-11 में बासेल II के तहत भी एससीबी का सीआरएआर न्यूनतम अपेक्षा से अधिक था। इसका अर्थ यह है अल्पावधि से मध्यावधि में एससीबी को ऋण देने में पूंजी की समस्या नहीं थी (सारणी IV.14)।

4.37 बासेल II लागू करते समय रिज़र्व बैंक ने बासेल II के तहत न्यूनतम पूंजी के प्रतिशत को बासेल I के तहत न्यूनतम पूंजी के प्रतिशत को विवेकसम्मत आधार के रूप में निर्धारित किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत बासेल II के तहत न्यूनतम बासेल I के तहत की न्यूनतम पूंजी के पहले वर्ष 100 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 90 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 80 प्रतिशत होनी चाहिए ताकि बासेल II संरचना के अनुपालन की गुणवत्ता से उभरने वाली किसी भी जोखिम को सीमित किया जा सके। दिसंबर 2010 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 मार्च 2013 तक समानांतर व्यवस्था जारी रखें और विवेकसम्मत आधार 80 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया। उल्लेखनीय रूप से 2009-10 में, बासेल II लागू करने का तीसरा वर्ष, (अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति वाले सभी विदेशी बैंक और देशी बैंक) यह अनुपात 99.1 प्रतिशत था जो कि रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य से काफी ऊपर था। 2010-11 में यह और बढ़कर 99.4 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में सरकार की योजना है कि

सारणी IV.14: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की घटकवार पूंजी पर्याप्तता

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	बासेल I		बासेल II	
	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5
क. पूंजी निधियां (i + ii)	5,72,582	6,74,662	5,67,381	6,70,389
i) टियर I पूंजी	3,97,666	4,76,615	3,95,100	4,74,581
ii) टियर II पूंजी	1,74,916	1,98,047	1,72,281	1,95,808
ख. जोखिम भारित आस्तियां	42,16,565	51,81,583	39,01,395	47,24,933
ग. सीआरएआर (ख के % के रूप में क)	13.6	13.0	14.5	14.2
जिसमें से: टियर I	9.4	9.2	10.1	10.0
टियर II	4.1	3.8	4.4	4.1

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित।

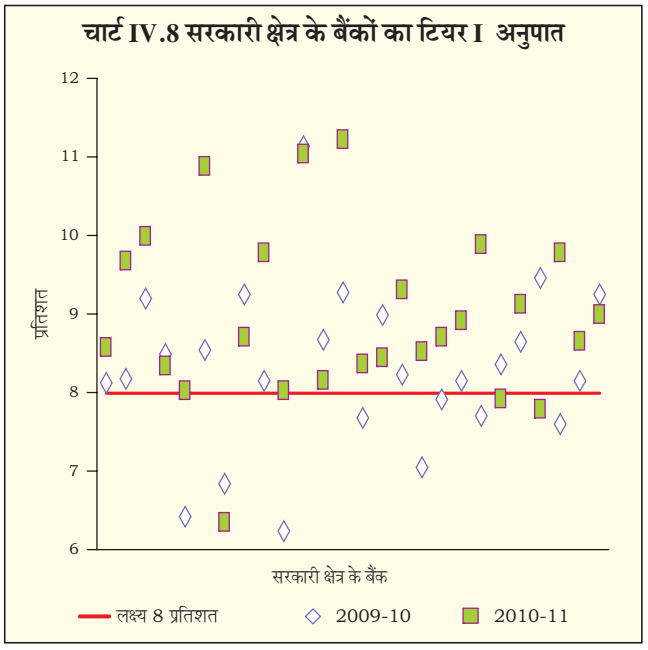

टियर I अनुपात बढ़ाकर 8 प्रतिशत से अधिक किया जाए ताकि इन बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित की जा सके। 2010-11 में मात्र तीन बैंकों का टियर I अनुपात 8 प्रतिशत से कम था (चार्ट IV.8)।

भारतीय बैंक प्रस्तावित बासेल II संरचना से आसानी से तालमेल बिठा सकते हैं

4.38 प्रस्तावित बासेल II संरचना, जो कि 1 जनवरी 2013 से चरणबद्ध रूप से लागू होगी, के साथ भी भारतीय बैंक मात्रा और गुणवत्ता के संदर्भ में नये पूंजी नियमों से तालमेल करने में कोई परेशानी महसूस नहीं करेंगे। बैंकों द्वारा उनकी ऑफसाइट विवरणियों में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर किया गया शीघ्र अनुमान दर्शाता है कि बासेल III के तहत भारतीय बैंकों का सीआरएआर 11.7 प्रतिशत होगा (30 जून 2010 को) जबकि प्रस्तावित बासेल III के तहत अपेक्षित सीआरएआर 10.5 प्रतिशत है।

अनर्जक आस्तियां

जीएनपीए-सकल अग्रिम अनुपात में सुधार हुआ

4.39 बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सुधार हुआ। सकल एनपीए-सकल अग्रिम अनुपात 2010-11 में कम होकर 2.25 प्रतिशत रह गया जो कि पिछले वर्ष 2.39 प्रतिशत था। किंतु जीएनपीए पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में निरपेक्ष संदर्भ में बढ़ा हालांकि इसकी गति कम थी। आस्ति गुणवत्ता में सुधार निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों में स्पष्ट था। किंतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आयी। इसका मुख्य कारण एसबीआई समूह की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आना था। बैंक समूहों के बीच 2010-11 में एसबीआई समूह ने सर्वाधिक जीएनपीए अनुपात दर्ज किया जिसके बाद विदेशी बैंकों का स्थान था। किंतु विदेशी बैंकों ने सकल गैर निष्पादक ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में गिरावट दर्ज की (सारणी IV.15 और चार्ट IV.9)।

बैंकिंग क्षेत्र ने पिछले वर्ष की बकाया जीएनपीए का दस प्रतिशत बट्टे खाते में डाला

4.40 2010-11 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र ने बकाया सकल गैर निष्पादक ऋणों (मार्च 2010 के अंत में) का लगभग दस प्रतिशत बट्टे खाते में डाला जिससे गैर निष्पादक ऋणों की वृद्धि सीमित रखने में मदद मिली। बट्टे खाते में डालने की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कम थी किंतु 2008 और 2009 की तुलना में यह अनुपात अधिक था। इसने यह दर्शाया कि पिछले दो वर्षों के दौरान एसपीए को बट्टे खाते डालना बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता को

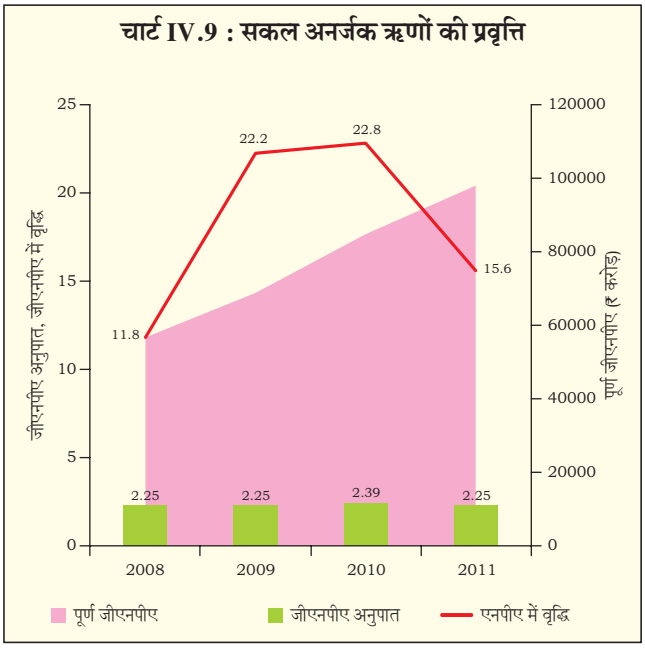

सारणी IV. 15: अनर्जक आस्तियों का रुझान - बैंक समूहवार

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक*	भारतीय स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
1	**2**	3	4	**5**	6	7	**8**	**9**
				सकल एनपीए				
2009-10 के लिए अंतिम शेष	**59,926**	36,394	23,532	**17,639**	3,622	14,017	**7,133**	**84,698**
2010-11 के लिए प्रारंभिक शेष	**59,433**	36,394	23,039	**17,340**	3,323	14,017	**7,133**	**83,906**
2010-11 के दौरान जोड़	**58,226**	35,514	22,712	**8,657**	2,412	6,245	**3,527**	**70,410**
2010-11 के लिए वसूली	**37,160**	25,974	11,186	**5,417**	1,804	3,613	**5,514**	**48,091**
2010-11 के लिए बट्टा खाता डाले गए	**5,884**	1,712	4,172	**2,338**	231	2,107	**77**	**8,299**
2010-11 के लिए अंतिम शेष	**74,614**	44,222	30,392	**18,240**	3,699	14,541	**5,068**	**97,922**
				सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए				
2009-10	**2.19**	1.95	2.70	**2.74**	2.32	2.87	**4.26**	**2.39**
2010-11	**2.23**	1.89	3.00	**2.25**	1.97	2.33	**2.54**	**2.25**
				निवल एनपीए				
2009-10 के लिए अंतिम शेष	**29,375**	16,813	12,562	**6,371**	1,137	5,234	**2,977**	**38,723**
2010-11 के लिए अंतिम शेष	**36,071**	21,281	14,790	**4,430**	982	3,448	**1,312**	**41,813**
				निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप निवल एनपीए				
2009-10	**1.09**	0.91	1.46	**1.01**	0.78	1.08	**1.82**	**1.11**
2010-11	**1.09**	0.92	1.49	**0.56**	0.53	0.56	**0.67**	**0.97**

* : आइडीबीआइ बैंक लि. सहित।

टिप्पणी: स्टेट बैंक समूह के 2009-10 में सकल अनर्जक आस्तियों के अंतिम शेष और 2010-11 की सकल अनर्जक अस्तियों के प्रारंभिक शेष बीच अंतर इसलिए है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया है। पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में अंतर प्रमुख दो कारणों से है : पहला, बैंक ऑफ राजस्थान का विलय और दूसरा सिटी यूनियन बैंक द्वारा 2009-10 की सकल अनर्जक आस्तियों के अंतिम शेष में 5.27 करोड़ रुपये के आरक्षित ब्याज को शामिल करने और 2010-11 में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रारंभिक शेष में इसे शामिल न करने के कारण है।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।

सहनीय स्तर पर बनाये रखने का महत्त्वपूर्ण कारक था। बट्टे खाते डाली गयी बकाया जीएनपीए का कुल बकाया जीएनपीए में प्रतिशत (मार्च 2010 के अंत में) विशेष रूप से एसबीआई समूह और निजी क्षेत्र के नये बैंकों के मामले में अधिक था (चार्ट IV.10क और IV.10ख)।

4.41 पिछले वर्ष की बकाया मानक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान सकल एनपीए के जोड़ के रूप में गणना किया गया स्लिपेज अनुपात आस्ति गुणवत्ता का एक और महत्त्वपूर्ण संकेतक है। 2008 से लगातार बढ़े हुए स्लिपेज अनुपात में 2010-11 में सुधार हुआ जो मुख्यत: वृद्धि में सुधार दर्शाता है। बैंक समूह स्तर पर निजी क्षेत्र के नये बैंकों ने 2010-11 में न्यूनतम स्लिपेज अनुपात दर्ज किया (चार्ट IV.11क और IV.11ख)।

4.42 जीएनपीए में सुधार बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन का एक और महत्त्वपूर्ण घटक है। 2010-11 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र ने विभिन्न वसूली माध्यमों से बकाया जीएनपीए (मार्च 2010 के अंत में) का 57 प्रतिशत भाग वसूल किया। विदेशी बैंकों ने सर्वाधिक वसूली अनुपात दर्ज किया जिनके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों का स्थान था (चार्ट IV.12क और IV.12ख)।

चार्ट IV.10 क: पिछले वर्ष के सकल एनपीए के रूप में बट्टे खाते में डाले गए एनपीए

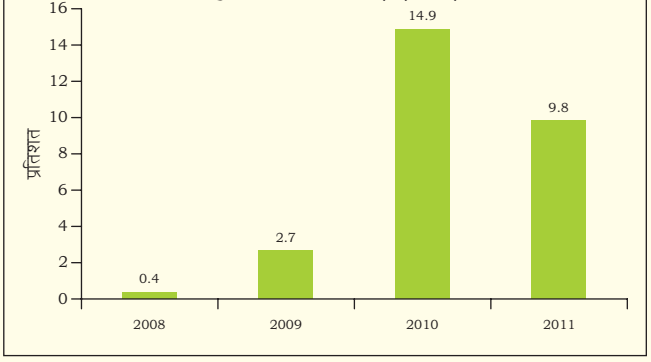

चार्ट IV.10 ख: बट्टे खाते में डालने का अनुपात- बैंक समूहवार 2010-11

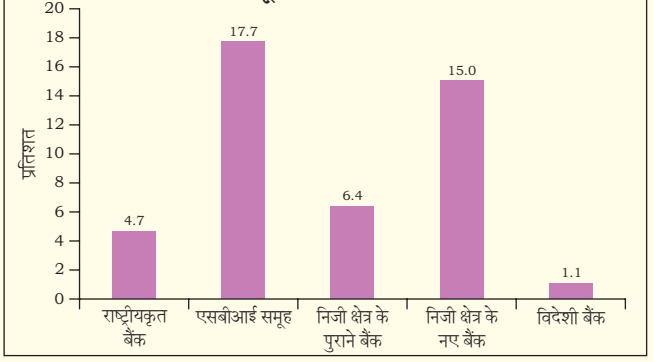

चार्ट IV.11 क: स्लपेज अनुपात

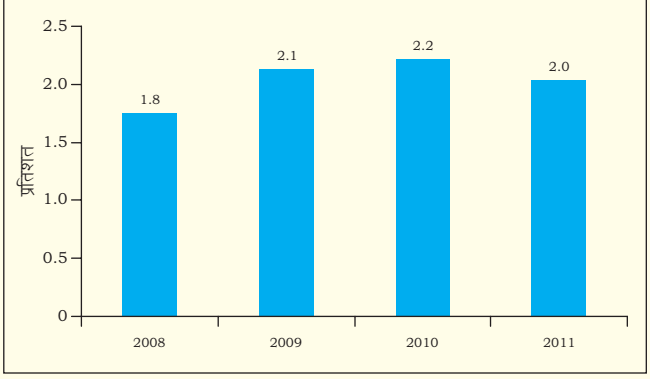

चार्ट IV.11 ख: स्लपेज अनुपात-बैंक समूहवार 2010-11

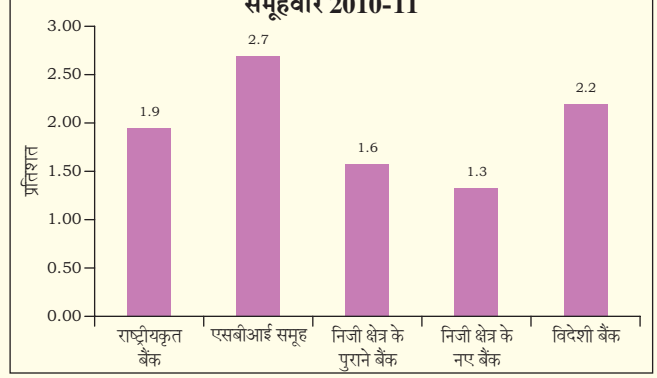

4.43 सरफाइसी (SARFAESI) अधिनियम, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और लोक अदालत ऐसे विविध माध्यम हैं जो कि बैंकिंग क्षेत्र में एसपीए की वसूली के लिए उपलब्ध हैं। 2010-11 में सरफाइसी अधिनियम के तहत संदर्भित मामलों में 51 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसके अलावा संबंधित कुल राशि में से एक तिहाई से अधिक राशि की वसूली 2010-11 में हुई। 2010-11 में डीआरटी को संदर्भित मामलों में 114 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई। लोक अदालत में तेजी से वसूली होने के कारण वसूली के अन्य माध्यमों की तुलना में लोक अदालत में अधिक मामले आते हैं। किंतु 2010-11 में लोक अदालत को भेजे गये मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आयी। इसके अलावा 2010-11 में कुल राशि से वसूली गयी राशि का प्रतिशत डीआरटी की तुलना में लोक अदालत में कम था हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई थी (सारणी IV.16)।

4.44 रिज़र्व बैंक ने जून 2011 के अंत में चौदह प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निमाण कंपनियों (एससी/आरसी) को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किये। इनमें से रिज़र्व बैंक में पंजीकृत तेरह एससी/आरसी ने कार्य शुरू किया। 2010-11 में एससी/आरसी द्वारा अधिग्रहित आस्तियों का बही मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत बढ़ा। 2010-11 में एससी/आरसी द्वारा जारी कुल प्रतिभूति रसीदों में से 71 प्रतिशत का अंशदान बैंकिंग क्षेत्र द्वारा किया गया (सारणी IV.17)।

मानक आस्तियों के पुनर्निधारण से सकल गैर निष्पादक ऋणों की सीमित रखने में सहायता मिली

4.45 हाल के वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा अग्रिमों का पुनर्निधारण करने से बैंकिंग क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात कम होने में सहायता मिली। अग्रिमों के पुनर्निधारण का बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता पर प्रभाव बाक्स IV.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट IV.12 क: पिछले वर्ष के सकल एनपीए के प्रतिशत के रूप में वसूला गया एनपीए

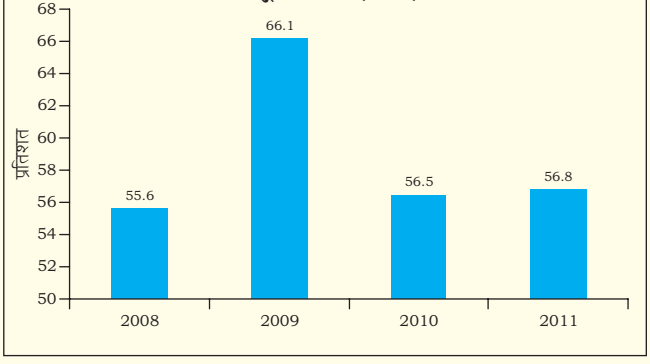

चार्ट IV.12 ख: रिकवरी अनुपात-बैंक समूहवार 2010-11

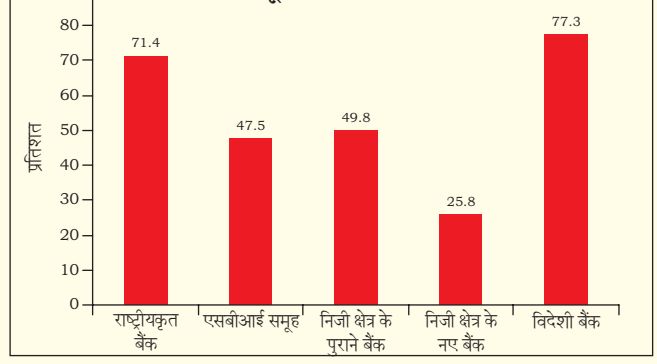

सारणी IV.16: विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूल किया गया अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एनपीए

(राशि करोड़ रुपये में)

वसूली चैनल	2009-10				2010-11			
	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली की राशि*	स्तंभ (3) के % रूप में स्तंभ (4)	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	*वसूली की गई राशि	स्तंभ (7) के रूप में स्तंभ (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) लोक अदालत	778,833	7,235	112	1.55	616,018	5,254	151	2.87
ii) डीआरटी	6,019	9,797	3,133	32.00	12,872	14,092	3,930	27.89
iii) सरफाइसी अधिनियम	78,366#	14,249	4,269	30.00	118,642#	30,604	11,561	37.78

*: दिए गए वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि से तात्पर्य है, जो दिए गए वर्ष के दौरान और पूर्व वर्षों के दौरान भेजे गए मामलों के संबंध में हो सकता है।
#: जारी नोटिसों की संख्या
डीआरटी - ऋण वसूली न्यायाधिकरण

4.46 देशी बैंकों के सकल एनपीए में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एनपीए का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में बढ़ गया। जहां पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के सकल एनपीए- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम का अनुपात सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बढ़ गया, वहीं इसी अवधि में निजी क्षेत्र के बैंकों में यह कम हो गया (सारणी IV.18 और चार्ट IV.13)।

कृषि क्षेत्र ने देशी बैंकों के कुल वृद्धिशील एनपीए में 44 प्रतिशत का योगदान दिया

4.47 2010-11 में कृषि क्षेत्र ने देशी बैंकों के कुल वृद्धिशील एनपीए में 44 प्रतिशत का योगदान दिया। पिछले चार वर्षों (2006-07 से 2009-10) के दौरान कृषि क्षेत्र को ऋण में हुई उच्च वृद्धि से 2010-11 में कृषि एनपीए में वृद्धि हुई जिसका कारण ऋण गुणवत्ता में कमी आना था। देशी बैंकों के कृषि अग्रिम के प्रति कृषि एनपीए, जो कि कृषि ऋण माफी और राहत योजना, 2008 लागू करने के कारण 2008-09 में कम हो गया था, में उसके बाद वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी। 2010-11 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में कृषि एनपीए अनुपात में उच्च वृद्धि दर्ज की (चार्ट IV.13 और IV.14 तथा परिशिष्ट सारणी IV.2 (क), IV.2 (ख) और IV.2 (ग)।

सारणी IV.17: एससी/आरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियों के विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	जून 2010 के अंत में	जून 2011 के अंत में
1	2	3
1 अर्जित आस्तियों का बही मूल्य	62,217	74,088
2 एससी/आरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें	14,051	15,859
3 के द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीदें		
(क) बैंक	10,314	11,233
(ख) एससी /आरसी	2,940	3,384
(ग) एफआईआई	-	39
(घ) अन्य (अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता)	797	1,203
4 पूरी तरह से शोधित प्रतिभूति रसीदों की राशि	4,556	6,704

-: शून्य / नगण्य।
स्रोत : प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण।

4.48 इसी प्रकार, दुर्बल घटकों के अग्रिम के प्रति दुर्बल घटकों के एनपीए में भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों और पीआरबी में वृद्धि देखी गयी। एसएमई क्षेत्र को देय संपार्श्विकमुक्त ऋण की सीमा मई 2010 में 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने के बावजूद एसएमई क्षेत्र का एनपीए अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कम हो

चार्ट IV.13: अग्रिमों की तुलना में एनपीए का अनुपात

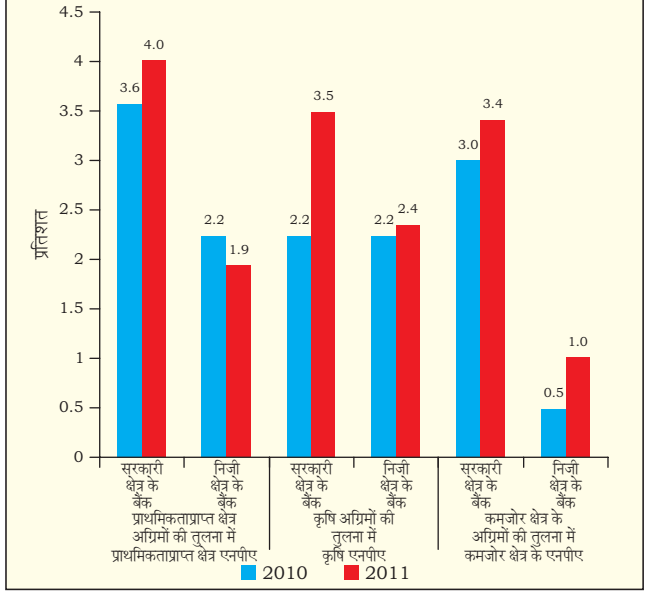

बाक्स IV.4: अग्रिमों के पुनर्निधारण का बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता पर प्रभाव

2007 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद में अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र में गिरावट,यदि कोई हो, को नियंत्रण में रखने के लिए रिज़र्व बैंक ने सक्रिय रूप से अनेक उपाय किये। इन उपायों में एक यह था कि बैंकों को एक बारगी उपाय के रूप में उनके अग्रिमों को पुनर्निधारित करने की अनुमति दी गयी। तदनुसार रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अग्रिमों को पुनर्निधारित करने पर अगस्त 2008 में दिशानिर्देश जारी किये जिनके द्वारा बैंकों को अनुमति दी गयी कि वे मानक, अवमानक और संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत सक्षम संस्थाओं के खाते पुनर्निधारित कर सकते हैं। अगस्त 2008 में यह निर्धारित करने के बावजूद कि मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत खातों को पुनर्निधारित पर तुरंत अवमानक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाए, 1 सितंबर 2008 को मानक रहे सभी खातों को जनवरी 2009 में असाधारण/विशेष विनियामक ट्रीटमेंट दी गयी। असाधारण/विशेष विनियामक ट्रीटमेंट मानक खातों को पुनर्निधारण के बाद मानक मानने की अनुमति देती है बशर्ते कुछ शर्तें पूरी की जाएं। मानक खातों को दी गयी विशेष विनियामक ट्रीटमेंट से बैंकिंग क्षेत्र को सकल गैर-निष्पादक अग्रिमों की वृद्धि सीमित रखने में मदद मिली। किंतु इस बात की चिंता निरंतर बनी रही कि वैश्विक वित्तीय संकट के कारण ये उधारकर्ता अस्थायी नकदी प्रवाह की समस्या का सामना कर रहे थे जिससे पुनर्निधारित मानक खाते कुछ समय बाद पुन: गैर-निष्पादक आस्तियों की श्रेणी में न आ जाएं। इस प्रकार अग्रिमों के पुनर्निधारण का बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता पर प्रभाव पुनर्निधारित मानक खाते पुन: गैर-निष्पादक आस्तियों की श्रेणी में आ जाने में दिखेगा।

बैंक समूहों द्वारा सितंबर 2008 से अग्रिमों के पुनर्निधारण पर आंकड़ों से पता चलता है कि मानक अग्रिमों के पुनर्निधारण में सबसे आगे पीएसबी थे। प्रणाली स्तर पर सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में पुनर्निधारित मानक अग्रिम मार्च 2009 के अंत के 2.16 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2011 के अंत में 2.66 प्रतिशत हो गये। मानक अग्रिमों के पुनर्निधारण का बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता पर प्रभाव का आकलन करने के लिए पुन: गैर-निष्पादक आस्तियों की श्रेणी में न आ जाने वाले पुनर्निधारित मानक अग्रिमों के प्रतिशत के लिए विभिन्न मूल्य हिसाब में लेने से विभिन्न स्थितियां सामने आयी हैं। ये परिणाम नीचे सारणी में दिये गये हैं।

इस चरम धारणा के तहत कि यदि पुनर्निधारित नहीं किया गया होता तो पूरे पुनर्निधारित मानक अग्रिम एनपीए बन गये होते, सकल एनपीए अनुपात सूचित 2.35 प्रतिशत के जीएनपीए अनुपात के बजाय मार्च 2011 के अंत में 5.01 प्रतिशत जितना अधिक रहा होता (सारणी)।

सारणी : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर पुनर्संरचना के प्रभाव

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक			वर्ष-दर -वर्ष वृद्धि		
	मार्च 2009	मार्च 2010	मार्च 2011	2008 की तुलना में 2009	2009 की तुलना में 2010	2010 की तुलना में 2011
1	2	3	4	5	6	7
कुल सकल अग्रिम	27,93,572	32,71,896	40,12,079	19.79	17.12	22.62
मानक अग्रिम	27,25,350	31,90,080	39,17,991	19.73	17.05	22.82
जिसमें से पुनर्संरचित	60,379	97,834	1,06,859	192.98	60.19	10.53
कुल सकल अनर्जक आस्तियां	68,222	81,816	94,088	22.17	19.93	14.84
कुल सकल अग्रिमों की तुलना में कुल सकल अनर्जक आस्तियां	2.44	2.50	2.35			
सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में पुनर्संरचित मानक अग्रिम सकल अग्रिम का %	2.16	2.99	2.66			
परिदृश्य-I- अनर्जक आस्तियों को परिवर्तित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम का 15 प्रतिशत						
परिदृश्य-I अनर्जक आस्तियां	77,279	96,491	1,10,116	31.13	24.64	14.19
परिदृश्य-I अनर्जक आस्ति अनुपात	2.77	2.94	2.74			
परिदृश्य-I I -अनर्जक आस्तियों को परिवर्तित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम का 25 प्रतिशत						
परिदृश्य-I I अनर्जक आस्तियां	83,317	1,05,996	1,20,684	36.59	27.22	13.86
परिदृश्य-I I अनर्जक आस्ति अनुपात	2.98	3.24	3.01			
परिदृश्य-I I I -अनर्जक आस्तियों को परिवर्तित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम का 100						
परिदृश्य-I I I अनर्जक आस्तियां	1,28,601	1,78,537	2,00,860	68.21	38.83	12.50
परिदृश्य-I I I अनर्जक आस्ति अनुपात	4.60	5.46	5.01			

गया। सारांश के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम की तुलना में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एनपीए निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सामान्यत: अधिक थे (सारणी IV.18, चार्ट IV.13 तथा परिशिष्ट सारणी IV.3 (क) और IV.3 (ख)।

चार्ट IV.14: देशी बैंकों के वृद्धिशील एनपीए की संरचना 2010-11

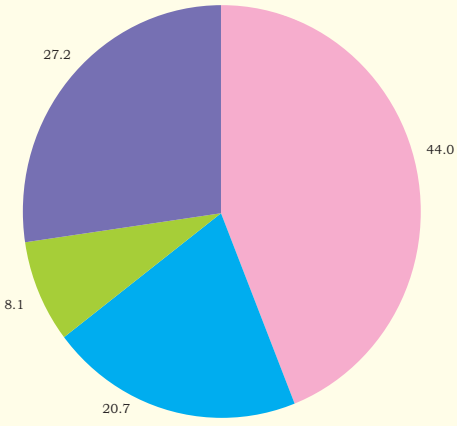

टिप्पणी: 'लघु उद्योग' मद के तहत 2011 का डाटा व्यष्टि और लघु उद्यमों और 2010 का डाटा 'लघु उद्योग' से संबंधित है।

जीएनपीए के लिए प्रावधानीकरण में उच्च वृद्धि हुई

4.49 जीएनपीए वृद्धि के समरूप, एनपीए प्रावधानीकरण में भी पिछले वर्ष की 22 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2010-11 में अधिक अर्थात 25 प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रावधानीकरण में वृद्धि दर्शाते हुए बकाया प्रावधानीकरण-सकल एनपीए अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सुधार हुआ (सारणी IV.19)।

निवल एनपीए में कम वृद्धि हुई

4.50 निवल एनपीए में पिछले वर्ष की 23 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2010-11 में कम अर्थात 8 प्रतिशत वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप निवल एनपीए-निवल अग्रिम अनुपात 2009-10 की तुलना में 2010-11 में कम हो गया।

मानक आस्ति-सकल अग्रिम अनुपात में सुधार हुआ

4.51 पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सकल एनपीए अनुपात कम होने के अनुरूप, उक्त अवधि में मानक आस्ति-सकल अग्रिम अनुपात में भी सुधार हुआ। किंतु पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में संदिग्ध आस्ति-सकल अग्रिम अनुपात में वृद्धि हुई।

सारणी IV.18: देशी बैंकों का क्षेत्रवार एनपीए*

(करोड़ रुपये)

वर्ष	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		जिसमें से						गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		जिसमें से सरकारी क्षेत्र		कुल एनपीए	
			कृषि		लघु उद्योग#		अन्य							
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
सरकारी क्षेत्र के बैंक														
2010	30,848	53.8	8,330	14.5	11,537	20.1	10,981	19.2	26,453	46.2	524	0.9	57,301	100.0
2011	41,245	58.1	14,487	20.4	14,340	20.2	12,417	17.5	29,802	41.9	278	0.4	71,047	100.0
राष्ट्रीयकृत बैंक **														
2010	19,908	56.1	5,741	16.2	8,668	24.4	5,499	15.5	15,562	43.9	280	0.8	35,470	100.0
2011	25,678	59.8	9,220	21.5	10,424	24.3	6,034	14.1	17,229	40.2	273	0.6	42,907	100.0
भारतीय स्टेट बैंक समूह														
2010	10,940	50.1	2,589	11.9	2,869	13.1	5,482	25.1	10,890	49.9	244	1.1	21,830	100.0
2011	15,567	55.3	5,268	18.7	3,916	13.9	6,383	22.7	12,573	44.7	6	0.02	28,140	100.0
निजी क्षेत्र के बैंक														
2010	4,792	27.6	2,023	11.6	1,139	6.6	1,630	9.4	12,592	72.4	-	-	17,384	100.0
2011	4,823	26.8	2,172	12.1	1,298	7.2	1,353	7.5	13,147	73.2	153	0.9	17,971	100.0
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक														
2010	1,613	44.7	269	7.4	475	13.2	869	24.1	1,999	55.3	-	-	3,612	100.0
2011	1,599	43.3	417	11.3	551	14.9	631	17.1	2,095	56.7	153	4.1	3,694	100.0
निजी क्षेत्र के नए बैंक														
2010	3,179	23.1	1,754	12.7	664	4.8	760	5.5	10,594	76.9	-	-	13,773	100.0
2011	3,224	22.6	1,755	12.3	746	5.2	722	5.1	11,053	77.4	-	-	14,277	100.0
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक														
2010	35,640	47.7	10,353	13.9	12,676	17.0	12,611	16.9	39,045	52.3	524	0.7	74,685	100.0
2011	46,068	51.8	16,660	18.7	15,638	17.6	13,370	15.5	42,950	48.2	431	0.5	89,017	100.0

#: 2011 के आंकड़ों का संबंध 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों' से है इसलिए इनजकी तुलना 2010 के आंकड़ो से नहीं की जा सकती।
* : विदेश बैंक शामिल नहीं।
- : शून्य / नगण्य
प्रतिशत - कुल एनपीए का प्रतिशत।
** आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों (देशी) पर आधारित।

सारणी IV.19: अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों की प्रवृत्तियां - बैंक समूह-वार

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	राष्ट्रीयकृत बैंक*	भारतीय स्टेट बैंक समूह	**निजी क्षेत्र के बैंक**	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**विदेशी बैंक**	**अनुसूचित वाणिज्य बैंक**
1	**2**	3	4	**5**	6	7	**8**	**9**
एनपीए के लिए प्रावधान								
मार्च 2010 अंत में	**28,187**	17,818	10,369	**10,848**	2,066	8,782	**4,178**	**43,213**
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गऐ प्रावधान	**29,133**	15,720	13,413	**6,854**	1,149	5,705	**2,755**	**38,742**
घटाएं: बट्टा खाते डाले गए, वर्ष के दौरान अतिरक का प्रतिलेखन	**20,641**	12,348	8,293	**4,150**	749	3,401	**3,126**	**27,917**
मार्च 2011 अंत में	**36,680**	21,190	15,490	**13,552**	2,466	11,086	**3,808**	**54,040**
ज्ञापन:								
सकल एनपीए	**74,614**	44,222	30,392	**18,240**	3,699	14,541	**5,068**	**97,922**
सकल एनपीए (प्रतिशत) की तुलना में बकाया प्रावधानों का अनुपात								
मार्च 2010 के अंत में	**47.4**	48.9	45.0	**62.4**	61.3	62.7	**58.7**	**51.5**
मार्च 2011 के अंत में	**49.2**	47.9	51.0	**74.3**	66.7	76.2	**75.1**	**55.2**

* : आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।

सकल अग्रिमों के अनुपात के रूप में अवमानक आस्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में गिरावट आयी जिसका कारण एक ओर वृद्धि संभावना और दूसरी ओर ऋण गुणवत्ता में सुधार हो सकता है (सारणी IV.20)।

लीवरेज अनुपात

लीवरेज अनुपात अपरिवर्तित बना रहा

4.52 2010-11 के दौरान तुलनपत्र में उच्च वृद्धि के बावजूद लीवरेज अनुपार पिछले वर्ष जैसा ही 6.6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा जिसका कारण बैंकिंग क्षेत्र के पूंजी आधार में हुई तदनुरूप वृद्धि था।

ऋण तेजी

उच्च ऋण वृद्धि के बावजूद ऋण में तेजी का कोई सबूत नहीं है

4.53 बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता की दृष्टि से अर्थव्यवस्था में ऋण में अस्थायी वृद्धि की निगरानी महत्त्वपूर्ण है। बाक्स IV.5 में दिया गया विश्लेषण दर्शाता है कि 2010-11 की मजबूत ऋण वृद्धि से समग्र

सारणी IV.20: ऋण आस्तियों का वर्गीकरण - बैंक समूहवार

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	बैंक समूह	वर्ष	मानक आस्तियां		अवमानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां	
			राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**2010**	**26,73,534**	**97.81**	**28,791**	**1.05**	**25,383**	**0.93**	**5,750**	**0.21**
		2011	**32,72,914**	**97.77**	**34,973**	**1.04**	**33,180**	**0.99**	**6,463**	**0.19**
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक**	2010	18,27,061	98.05	18,520	0.99	15,034	0.81	2,841	0.15
		2011	22,91,111	98.11	21,758	0.93	19,282	0.83	3,183	0.14
	1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह	2010	8,46,473	97.30	10,271	1.18	10,349	1.19	2,909	0.33
		2011	9,81,803	97.00	13,215	1.31	13,898	1.37	3,280	0.32
2	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**2010**	**6,26,472**	**97.27**	**8,842**	**1.37**	**6,590**	**1.02**	**2,166**	**0.34**
		2011	**7,93,590**	**97.76**	**4,530**	**0.56**	**10,795**	**1.33**	**2,864**	**0.35**
	2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2010	1,52,745	97.69	1,395	0.89	1,637	1.05	580	0.37
		2011	1,83,601	98.03	1,253	0.67	1,815	0.97	626	0.33
	2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक	2010	4,73,727	97.13	7,447	1.53	4,953	1.02	1,586	0.33
		2011	6,09,989	97.68	3,277	0.52	8,980	1.44	2,238	0.36
3	**विदेशी बैंक**	**2010**	**1,60,311**	**95.74**	**4,929**	**2.94**	**1,440**	**0.86**	**758**	**0.45**
		2011	**1,94,256**	**97.46**	**1,865**	**0.94**	**2,110**	**1.06**	**1,087**	**0.55**
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**2010**	**34,60,317**	**97.61**	**42,562**	**1.20**	**33,413**	**0.94**	**8,674**	**0.24**
		2011	**42,60,760**	**97.75**	**41,368**	**0.95**	**46,085**	**1.06**	**10,415**	**0.24**

* : सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में।
**: आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण घटक मदों के जोड़ में अंतर हो सकता है।
स्रोत: संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत डीएसबी विवरणी (बीएसए)।

और उप-क्षेत्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में तेजी की कोई घटना नहीं हुई (बाक्स IV.5)।

चलनिधि

स्वायत्त कारणों से बैंकों ने कड़ी चलनिधि की स्थिति में कार्य किया

4.54 2010-11 के दौरान बैंक कड़ी चलनिधि की स्थिति में कार्य कर रहे थे। रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) विंडो, जो कि लगभग 18 माह तक अधिशेष की स्थिति में थी, मई 2010 के अंत में घाटे की स्थिति में आ गयी और 2010-11 की शेष अवधि में घाटे की स्थिति में ही रही। रिज़र्व बैंक में केंद्र का अधिशेष और संचलन में मुद्रा जैसे स्वायत्त कारक 2010-11 में चलनिधि की स्थिति के मुख्य प्रेरक थे। चलनिधि की स्थिति 2011-12 के दौरान अब तक घाटे की स्थिति में बनी रही। चलनिधि की कड़ी स्थिति और रिज़र्व बैंक द्वारा नितीगत दरों में लगातार वृद्धि दर्शाते हुए मांग दर लंबी अवधि तक अनौपचारिक

बाक्स IV.5: मजबूत ऋण वृद्धि और ऋण में तेजी-भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का विश्लेषण

भारतीय अर्थव्यवस्था में 2010-11 के दौरान देखी गयी मजबूत ऋण वृद्धि अर्थव्यवस्था में ऋण-तेजी विकसित होने संबंधी चिंताएं उभारीं। ऋण गुणवत्ता में गिरावट के कारण ऋण तेजी बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। ऋण तेजी के विश्लेषण के लिए यहां कोरीसेली एट.एल.(2006) द्वारा विकसित पद्धति प्रयोग में लायी गयी। इस पद्धति के अनुसार ऋण तेजी या बुलबुला उस समय मौजूद होता है जब ऋण का चक्रीय घटक चक्रीय ऋण के मानक अंतर से 1.5 गुना अधिक होता है। ऋण का चक्रीय घटक हॉडरिक-प्रेसकॉट फिल्टर से प्राप्त किया गया था। कुल खाद्येतर ऋण में मजबूत वृद्धि के साथ ही एनबीएफसी को ऋण और इंफ्रास्ट्रक्चर को ऋण जैसे क्षेत्रों में भी 2010-11 में उच्च वृद्धि होने के कारण उप-क्षेत्रीय स्तर पर भी विश्लेषण किया गया। इसके परिणाम चार्ट क, ख, ग और घ में दिये गये हैं।

परिणामों ने दर्शाया कि उच्च ऋण वृद्धि के बावजूद समग्र स्तर पर 2010-11 में अर्थव्यवस्था में कोई भी ऋण तेजी नहीं थी। किंतु इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को ऋण के चक्रीय घटक ने 2010-11 के प्रारंभ में चक्रीय ऋण के मानक अंतर के 1.5 बार की उच्चतम सीमा पार कर ली हालांकि उसके बाद उसमें कमी आयी। इसके अलावा एनबीएफसी को ऋण में 2010-11 में वृद्धि हुई जिस पर आगे सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है (चार्ट क,ख, ग और घ)।

संदर्भ:

कोरीसेली, फैब्रिजियो, फॅबियो मूसून और देबोरा रिवोल्टला (2006), "हाउसहोल्ड क्रेडिट इन द न्यू यूरोप: लेंडिंग बूम ऑर सस्टेनेबल ग्रोथ?", चर्चा पत्र सं.5520, आर्थिक नीति अनुसंधान केंद्र, लंदन, यूके।

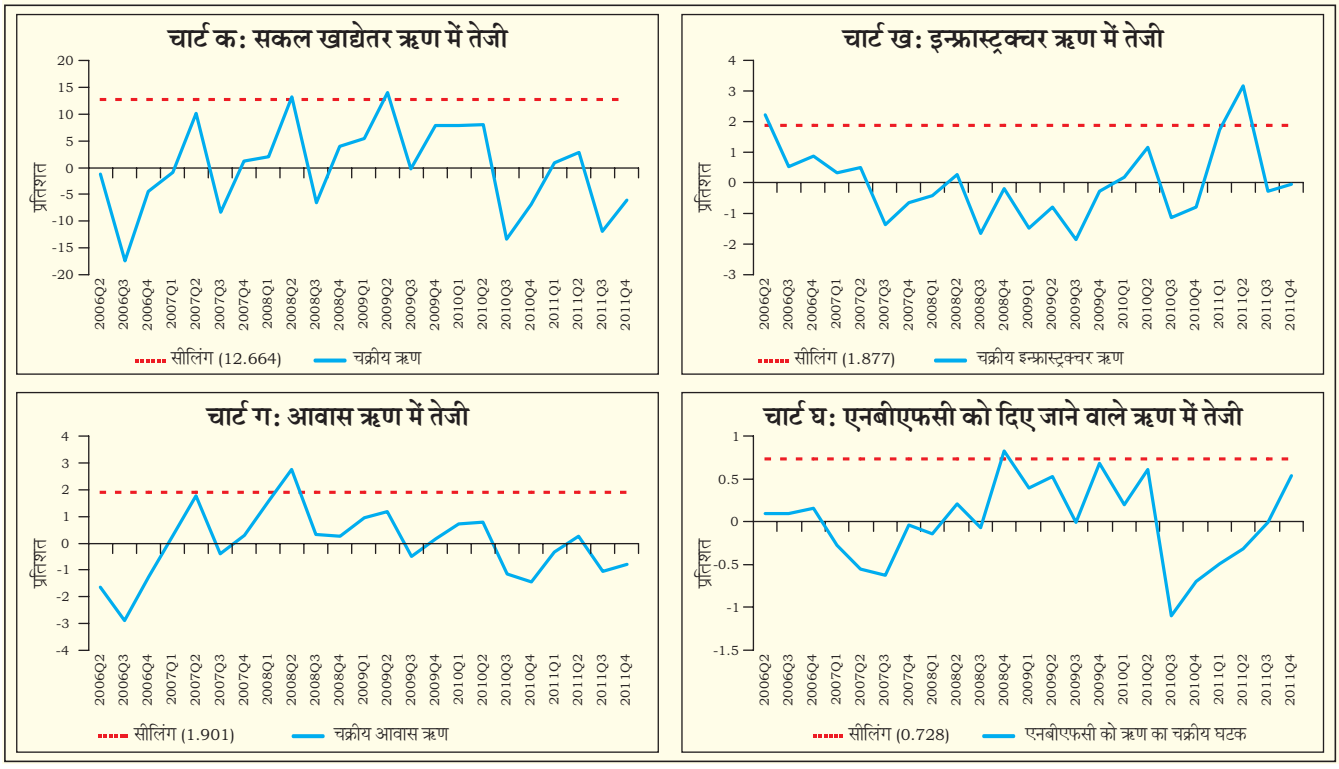

एलएएफ गलियारे के निम्न दायरे में रहने के बाद मई 2010 के अंत से मजबूत हुई और 2010-11 की दूसरी छमाही में सामान्यत: अनौपचारिक गलियारे के ऊपरी दायरे के ऊपर बनी रही। संपार्श्विकृत घटक (अर्थात सीबीएलओ और बाजार रिपो) में दरें मांग दर के अनुरूप बनी रहीं किंतु इस अवधि में सामान्यत: इससे नीचे बनी रही। बैंक और प्राथमिक व्यापारी संपार्श्विकृत घटक में उधारकर्ताओं के प्रमुख समूह थे। जमा प्रमाणपत्र (सीडी) का औसत निर्गम 2010-11 के दौरान उच्च बना रहा। 2010-11 के दौरान औसत निर्गम लगभग 33,000 करोड़ रुपये पर उच्च था जो कि 2009-10 के दौरान 17,000 करोड़ रुपये था। मुद्रा बाजार के अन्य घटकों में दर वृद्धि के अनुरूप औसत सीडी निर्गम के संबंध में प्रभावी ब्याज दर मार्च 2010 के अंत के 6.07 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2011 के अंत में 9.96 प्रतिशत हो गयी।

5. बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन

कुल खाद्येतर ऋण वृद्धि में सुधार हुआ

4.55 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान कुल खाद्येतर ऋण वृद्धि में सुधार हुआ। यह पिछले चार वर्षों के दौरान देखी गयी प्रवृत्ति के विपरीत था। 2010-11 के दौरान इस समग्र ऋण वृद्धि के प्रमुख प्रेरक सेवा क्षेत्र को ऋण और निजी ऋण थे। सेवा क्षेत्र के भीतर गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को ऋण की वृद्धि दर सर्वाधिक थी जिसके बाद पर्यटन, होटल और रेस्तरा तथा व्यावसायिक सेवा का स्थान था। निजी ऋणों के बीच उच्चतम ऋण वृद्धि शेयरों की जमानत पर अग्रिमों में देखी गयी जिसके बाद एफसीएनआर(बी)/एनआरएनआर जमाराशि की जमानत पर अग्रिम और वाहन ऋणों का स्थान था।

कृषि और उद्योग को ऋण वृद्धि में कमी आयी

4.56 कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को ऋण वृद्धि में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान कमी आयी। कृषि ऋण में तेज गिरावट का आंशिक कारण फरवरी-मार्च 2011 में किये गये परिभाषात्मक परिवर्तन था। यह उल्लेखनीय है कि कृषि ऋण की मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षा में छूट के लिए जून 2010 में सीमा में वृद्धि करने (50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये) के बावजूद कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कमी आयी। औद्योगिक ऋण वृद्धि में समग्र कमी आने के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को ऋण में भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कमी आयी। किंतु कुल खाद्येतर ऋण वृद्धि और औद्योगिक ऋण वृद्धि की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की ऋण वृद्धि काफी अधिक थी। इस उच्च वृद्धि में मुख्य योगदान दूरसंचार क्षेत्र का था जिसका मुख्य कारण 3जी स्पेक्ट्रम नीलामी में सहभागिता के लिए दिया गया ऋण था। यह एकबारगी कार्य होने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को ऋण में आगे कमी आ सकती है। किंतु प्रायोगिक अनुमान दर्शाते हैं कि ये दीर्घकालि ऋण बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति देयता असंतुलन बढ़ाते हैं (सारणी IV.21)।[6]

कुल खाद्येतर ऋणों में सेवा क्षेत्र और निजी ऋण का हिस्सा बढ़ा

4.57 उच्च वृद्धि दरों के अनुरूप कुल बकाया खाद्येतर ऋणों में सेवा क्षेत्र और निजी ऋण का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2011 के अंत में बढ़ा। इसके विपरीत कुल खाद्येतर ऋणों में कृषि ऋण का हिस्सा कम हो गया। कृषि क्षेत्र जो कि जनसंख्या के बड़े भाग को रोजगार मुहैया कराता है, को मार्च 2011 के अंत में कुल खाद्येतर ऋण का मात्र 13 प्रतिशत भाग मिला था।

[6] शून्य हायपोथेसिस	एफ-सांख्यिकी	पी-मूल्य
इंफ्रास्ट्रक्चर लोन डज नॉट ग्रैंगर काज एएलएम	2.524***	0.09
इंफ्रास्ट्रक्चर लोन डज नॉट ग्रैंगर काज एएलएम गॉप इन द ''मोर दैन फाइव इयर''	4.096**	0.02

***: दस प्रतिशत स्तर पर महत्त्वपूर्ण। **: पांच प्रतिशत स्तर पर महत्त्वपूर्ण।

सारणी IV.21: सकल बैंक ऋण का सेक्टर-वार विनियोजन

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2009-10		2010-11	
	राशि	प्रतिशत घट-बढ़	राशि	प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4	5
1. कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	**4,16,133**	**22.9**	**4,60,333**	**10.6**
2. उद्योग	**13,11,451**	**24.4**	**16,20,849**	**23.6**
जिसमें से:				
बुनियादी सुविधा संबंधी ऋण	3,79,888	40.7	5,26,655	38.6
3. व्यक्तिगत ऋण	**5,85,633**	**4.1**	**6,85,372**	**17.0**
जिसमें से: आवास	3,00,929	7.7	3,46,110	15.0
क्रेडिट कार्ड बकाया	20,145	-28.1	18,098	-10.2
शिक्षा	36,863	29.0	43,710	18.6
4. सेवाएं	**7,26,790**	**12.5**	**9,00,801**	**23.9**
जिसमें से:				
पर्यटन, होटेल और रेस्टॉरेंट	19,410	42.5	27,729	42.9
वाणिज्यिक स्थावर संपदा उधार	92,128	-0.3	1,11,836	21.4
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	1,13,441	14.8	1,75,577	54.8
कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण (1 से 4)	**30,40,007**	**16.8**	**36,67,355**	**20.6**

टिप्पणी: 1) डेटा अनंतिम है और चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं।
2) कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में आई मंदी प्रमुख रूप से फरवरी-मार्च 2011 से प्रभावी परिभाषात्मक परिवर्तनों के कारण थी।

स्रोत: सेक्टरोल एंड इंडीस्ट्रियल डिप्लायमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट रिटर्न (मासिक)।

4.58 मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल कृषि ऋण का लगभग 39 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों को और 28 प्रतिशत भाग अर्धशहरी क्षेत्रों में संवितरित हुआ था। कुल कृषि ऋण में ग्रामीण अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों के हिस्से में 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान वृद्धि हुई वहीं महानगरीय क्षेत्रों में इसी अवधि में गिरावट हुई (चार्ट IV.15)।[7]

4.59 बकाया खाद्येतर ऋण में औद्योगिक ऋण का हिस्सा भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 कम हो गया। किंतु इस गिरावट के बावजूद 2010-11 में कुल खाद्येतर ऋण का लगभग आधा हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र को गया। कुल औद्योगिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा 2009-10 के 29 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 33 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा दूरसंचार क्षेत्र को ऋण, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11

चार्ट IV.15: कृषि और औद्योगिक ऋण में जनसंख्या समूहों का हिस्सा

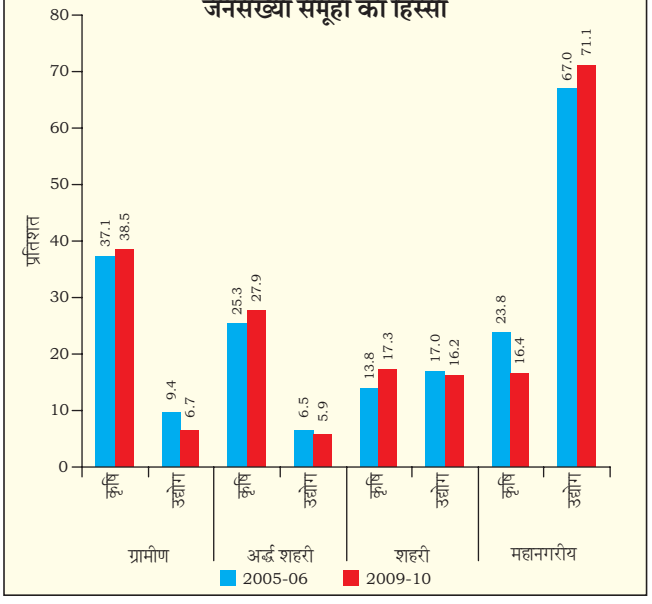

69 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, का कुल इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण में हिस्सा बढ़ गया।

4.60 मार्च 2010 के अंत में कुल औद्योगिक ऋण के 70 प्रतिशत से अधिक भाग महानगरीय क्षेत्रों में संवितरित किया गया था जिससे अन्य जनसंख्या समूहों के लिए कम भाग बचा था (चार्ट IV.15)।[8]

नीतिगत कड़ाई के बावजूद आवास ऋण में उच्च वृद्धि हुई

4.61 निजी ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में 17 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह स्मरण होगा कि निजी ऋण में वृद्धि 2000 के मध्य के उच्च ऋण वृद्धि के दौर के पीछे का एक प्रमुख कारण था। अन्य अनेक कारणों से भी इसकी निगरानी आवश्यक है। पहला, आवास ऋण ब्याज दर वृद्धि के प्रति संवेदनशील होने के कारण उधारकर्ताओं द्वारा चूक की संभावना को बढ़ा सकते हैं। वस्तुत: दिसंबर 2010 में रिज़र्व बैंक ने अति लीवरेजिंग रोकने के लिए आवास ऋण संबंधी विवेकसम्मत मानदंड कड़े किये थे। किंतु नीतिगत कड़ाई के बावजूद आवास ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में उच्च वृद्धि हुई। यह कड़ाई वर्ष के अंतिम दौर में होने के

[7] बेसिक सांख्यिकी विवरणी के विभिन्न अंको से लिये गये आंकड़ों पर आधारित।
[8] बेसिक सांख्यिकी विवरणियां 2009-10 से लिये गये आंकड़ों पर आधारित।

कारण हो सकता है कि इसका असर बाद में दिखे। दूसरा, निजी ऋण (आवास और वाहन ऋण छोड़कर) का बड़ा भाग बेजमानती ऋण होता है और यह बैंकिंग क्षेत्र में जीएनपीए को प्रभावित कर सकती है। तीसरा, अधिकतर निजी ऋण दीर्घावधि ऋण होते हैं और प्रायोगिक विश्लेषण दर्शाता है कि इससे दीर्घावधि समूहों में आस्ति देयता बेमेल उत्पन्न होते हैं [9]।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण

समग्र स्तर पर, बैंकिंग क्षेत्र ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋण का लक्ष्य पूरा किया

4.62 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार[10] में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में 18 प्रतिशत वृद्धि हुई। किंतु कृषि अग्रिम वृद्धि 2010-11 में कम होकर 9 प्रतिशत रह गयी जो कि पिछले वर्ष 23 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष जैसे ही 2010-11 में भी समग्र स्तर पर बैंकों ने अपने एएनबीसी का 40 प्रतिशत से अधिक भाग प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को उधार दिया था। कृषि के लिए एएनबीसी के 18 प्रतिशत का निर्धारित उप-लक्ष्य भी 2010-11 में बैंकों ने पूरा किया (सारणी IV.22)।

कुछ पीएसबी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य पूरा नहीं कर सके

4.63 किंतु एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का बैंक-वार डाटा दर्शाता है कि 26 पीएसबी में से सात 2010-11 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का एएसबीसी के 40 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा करने में समर्थ नहीं थे। इसके अलावा यह चिंता की बात है कि 2010-11 में 26 पीएसबी में से 18 कृषि अग्रिमों का लक्ष्य पूरा

सारणी IV.22: सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार

(मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक	
	2010	2011अ	2010	2011अ
1	2	3	4	5
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम#	**8,63,777**	**10,28,615**	**2,14,669**	**2,48,828**
	(41.6)	**(41.3)**	**(45.8)**	**(46.6)**
जिसमें से, कृषि	3,72,463	4,14,991	90,737	92,136
	(17.9)	(16.5)	(19.4)	(15.7)
जिसमें से, व्यष्टि और लघु उद्यम	2,76,319	3,76,625	64,825	87,857
	(13.3)	(15.1)	(13.8)	(16.4)

अः अनंतिम

#: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार व्यापक वर्ग में छोटे उद्यम, खुदरा व्यापार, माइक्रोक्रेडिट, शिक्षा और आवास शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े निवल बैंक ऋण / समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) / तुलनपत्रेत्तर एक्सपोजर के कर्ज के बराबर राशि (सीईओबीएसई) जो भी अधिक हो, की तुलना में प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

करने में समर्थ नहीं थे। निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच 2010-11 में मात्र एक बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों का लक्ष्य पूरा नहीं कर सका। किंतु निजी क्षेत्र के दस बैंक 2010-11 में कृषि अग्रिमों का लक्ष्य पूरा नहीं कर सके (चार्ट IV.16क और IV.16ख , और परिशिष्ट सारणी IV.4क, IV.4ख,IV.5क और IV.5ख)।

4.64 विदेशी बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों के कुछ अलग मानदंड हैं क्योंकि इस संबंध में उनका लक्ष्य एएनबीसी का 32 प्रतिशत है। इसके अलावा विदेशी बैंकों के लिए निर्यात ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों का एक भाग होता है। 2010-11 में समग्र स्तर पर विदेशी बैंकों ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों का लक्ष्य प्राप्त किया। किंतु 2010-11 में बैंक स्तर पर कुछ बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों का लक्ष्य पूरा नहीं कर सके। इसके अलावा समग्र स्तर पर विदेशी बैंकों द्वारा 12 प्रतिशत का निर्यात ऋण का लक्ष्य पूरा करने के बावजूद बैंक स्तर पर

[9] **शून्य हायपोथेसिस**	**एफ-सांख्यिकी**	**पी-मूल्य**
पर्सनल लोन डज नॉट ग्रॅंगर कॉज एएलएम	2.841**	0.04
पर्सनल लोन डज नॉट ग्रॅंगर कॉज एएलएम इन द ''थ्री टू फाइव इयर''	4.340**	0.02

**: पांच प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण।

[10] मौजूदा मानदंडों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों को पिछले वर्ष के 31 मार्च को उनके समायोजित निवल बैंक ऋण (एनएनबीसी) या तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो का 50 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना होता है।

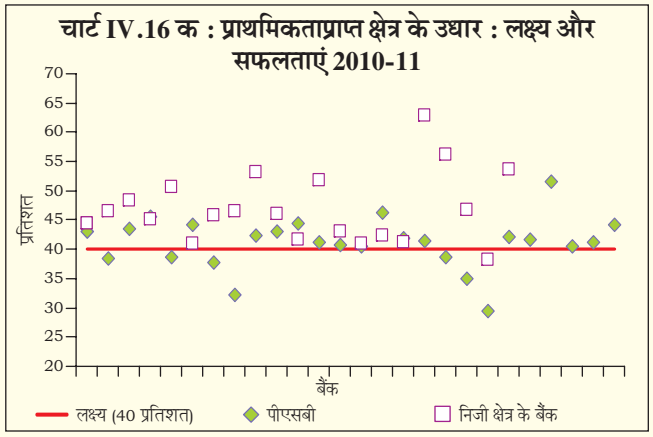

चार्ट IV.16 क : प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार : लक्ष्य और सफलताएं 2010-11

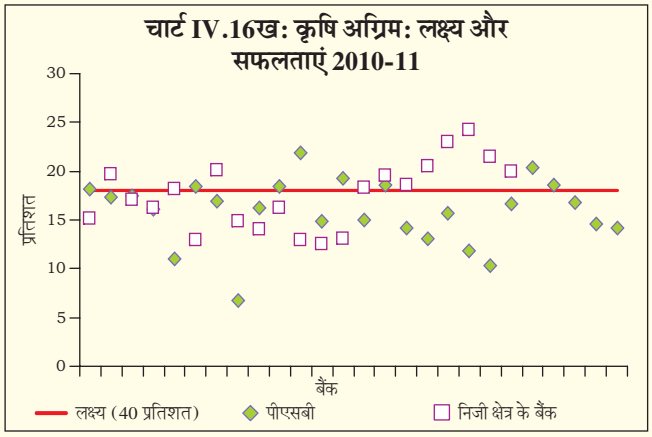

चार्ट IV.16ख: कृषि अग्रिम: लक्ष्य और सफलताएं 2010-11

कुछ बैंक यह लक्ष्य पूरा नहीं कर सके (सारणी IV.23, चार्ट IV.17क और IV.17ख , और परिशिष्ट सारणी IV.4ग और IV.5ग)।

खुदरा ऋण

खुदरा ऋण घटक में उच्च वृद्धि हुई

4.65 बैंकिंग क्षेत्र का खुदरा ऋण घटक, जिसमें हाल की अवधि में गिरावट हुई थी, में 2010-11 में उच्च वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सर्वाधिक वृद्धि उपभोक्ता टिकाऊ माल में दर्ज हुई जिसके बाद ऑटो ऋण का स्थान था। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में आवास ऋण में 16 प्रतिशत की कम वृद्धि हुई। महत्त्वपूर्ण रूप से आवास ऋण बैंकिंग क्षेत्र के कुल खुदरा पोर्टफोलियो का निरंतर लगभग आधा बना रहा। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र उप-घटक क्रेडिट कार्ड रिसिवेबल्स था (सारणी IV.24)।

संवेदनशील क्षेत्रों का ऋण

संवेदनशील क्षेत्रों के ऋण में उच्च वृद्धि हुई

4.66 संवेदनशील क्षेत्रों का ऋण अर्थात ऋण बाजार के प्रति एक्सपोजर, स्थावर सपदा क्षेत्र को प्रत्यक्ष और परोक्ष उधार और पण्य क्षेत्र को ऋण वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मूल्य घट-बढ़ होती रहती है जिससे ऋणों और अग्रिमों में तेजी आ जाती है। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में संवेदनशील क्षेत्रों के ऋण में उच्च वृद्धि हुई। 2010-11 में एसबीआई समूह द्वारा सूचित संवेदनशील क्षेत्रों के ऋण इस उद्योग के 22 प्रतिशत के औसत की तुलना में 41 प्रतिशत पर विशेष रूप से उल्लेखनीय था। इसका मुख्य कारण स्थावर संपदा ऋण में वृद्धि था।

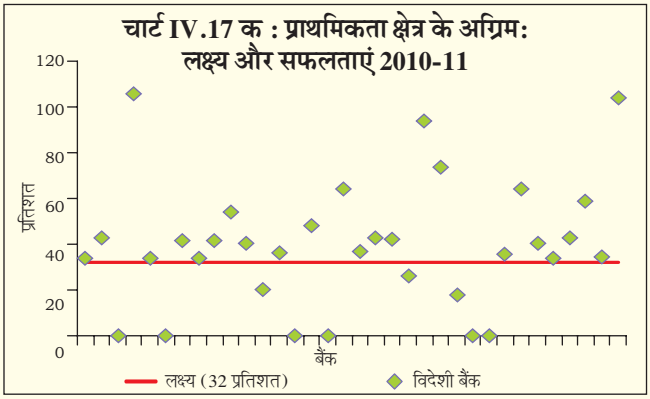

चार्ट IV.17 क : प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम: लक्ष्य और सफलताएं 2010-11

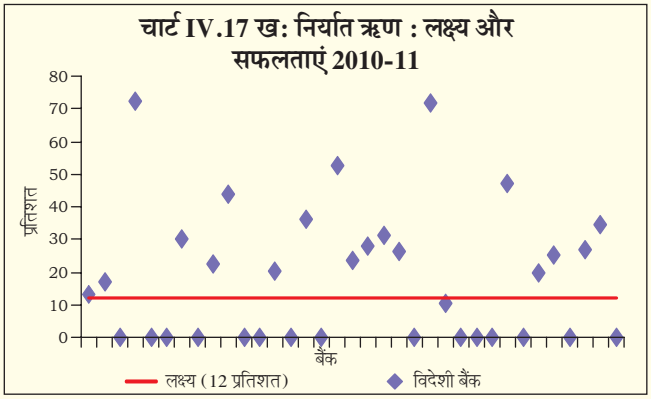

चार्ट IV.17 ख: निर्यात ऋण : लक्ष्य और सफलताएं 2010-11

टिप्पणी: प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य 2011-12 से उन बैंकों पर लागू होगा जिन्होंने अपना कार्य 2010-11 में शुरु किया है। शून्य मूल्य का यह भी एक कारण है।

सारणी IV.23 : विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार

(मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2010		2011अ	
	राशि	एएनबीसी/ सीईओबीएसई की तुलना में प्रतिशत	राशि	एएनबीसी/ सीईओबीएसई की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम#	**59,960**	**36.0**	**66,527**	**40.0**
जिसमें से, निर्यात ऋण	33,396	20.1	42,487	25.5
जिसमें से: व्यष्टि और लघु उद्यम*	21,147	12.7	21,501	12.9

अ: अनंतिम

#: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार व्यापक वर्ग में छोटे उद्यम, खुदरा व्यापार, माइक्रोक्रेडिट, शिक्षा और आवास शामिल है।

*: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों पर नए दिशा निर्देशों में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार लघु और सूक्ष्म उद्यमों की संशोधित परिभाषा को ध्यान में रखा गया है।

टिप्पणी: एएनबीसी/सीईओबीएसई - समायोजित निवल बैंक ऋण / तुलन पत्रेतर एक्सपोजर के बराबर ऋण राशि, जो भी अधिक हो।

सारणी IV.24: बैंकों के खुदरा पोर्टफोलियो

(राशि करोड़ रुपय में)

मद	मार्च के अंत में बकाया		प्रतिशत घट-बढ़	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1. आवास ऋण	3,15,862	3,67,364	20.0	16.3
2. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	3,032	4,555	-44.2	50.2
3. क्रेडिट कार्ड प्राप्तियां	21,565	18,655	-28.0	-13.5
4. ऑटो ऋण	78,346	1,00,155	-6.6	27.8
5. अन्य व्यक्तिगत ऋण	2,03,947	2,53,243	-3.5	24.2
कुल खुदरा ऋण (1 से 5)	**6,22,752 (19.0)**	**7,43,972 (18.5)**	**4.9**	**19.5**

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े कुल उधारों और अग्रिम में खुदरा उधारों के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते है। कुल उधारों और अग्रिमों की राशि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ऑफ साइट विवरणियों (देशी) में दिए गए अनुसार हैं।

स्रोत: ऑफ साइट विवरणी (घरेलू) पर आधारित।

4.67 उच्च वृद्धि के बावजूद कुल ऋणों और अग्रिमों में संवेदनशील क्षेत्रों के ऋण का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कम हो गया जिसका कारण कुल ऋणों और अग्रिमों की वृद्धि में संतुलन होना था। 2010-11 में कुल ऋणों और अग्रिमों में संवेदनशील क्षेत्रों के ऋण और स्थावर संपदा के ऋण का हिस्सा विदेशी बैंकों के मामले में सर्वाधिक था जिनके बाद निजी क्षेत्र के नये बैंकों का स्थान था (परिशिष्ट सारणी IV.6)।

6. पूंजी बाजार में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन

बैंकों द्वारा सार्वजनिक निर्गमों से जुटाये गये संसाधनों में वृद्धि हुई

4.68 पिछले दो वर्षों में देखी गयी प्रवृत्ति के विपरीत बैंकों द्वारा सार्वजनिक निर्गमों से जुटाये गये संसाधनों में 2010-11 में काफी वृद्धि हुई विशेष रूप से मार्च 2011 के दौरान जब कुल संसाधनों का 70 प्रतिशत भाग जुटाया गया था। एफआईआई अंतर्वाहों की पुनर्बहाली और गौण बाजार में कम सुधार के कारण बैंक संसाधन जुटा पाये। बैंकों द्वारा राइट इश्यू के माध्यम से पूंजी जुटायी गयी थी और इस वृद्धि में सर्वाधिक हिस्सा पीएसबी का था (सारणी IV.25)।

4.69 बैंकों द्वारा निजी स्थानन के माध्यम से जुटाये गये संसाधन पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में 40 प्रतिशत कम हो गये जिसका मुख्य कारण निजी क्षेत्र के बैंक थे जिन्होंने 64 प्रतिशत गिरावट दर्ज की थी (सारणी IV.26)।

4.70 2010-11 के दौरान बैंकों ने वैश्विक पूंजी बाजारों से संसाधन नहीं जुटाये। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि में धीमे सुधार का वातावरण, यूरो झोन में सरकारी ऋण समस्या की निरंतरता और एमईएनए क्षेत्र में राजनैतिक तनाव ने यूरो निर्गमों के माध्यम

सारणी IV.25: बैंकिंग क्षेत्र के सार्वजनिक निर्गम

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		कुल		कुल योग
	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)
2009-10	325	-	313	-	638	-	638
2010-11	4,332	-	915	-	5,247	-	5,247

-: शून्य / नगण्य

सारणी IV.26: निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपये में)

श्रेणी	2009-10		2010-11	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र के बैंक	18	17,101	5	6,063
सरकारी क्षेत्र के बैंक	63	23,762	25	20,916
कुल	**81**	**40,863**	**30**	**26,979**

टिप्पणी: 2010-11 के आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: मर्चेंट बैंकर और वित्तीय संस्थाएं।

से समग्र संसाधन जुटाव पर नकारात्मक प्रभाव डाला (सारणी IV.27)।

गौण बाजार में बैंकिंग शेयरों का निष्पादन

चिंताओं के बावजूद बीएसई बैंकेक्स बीएसई सेंसक्स से आगे निकल गया

4.71 देशी शेयर बाजार, जिसने 2009-10 में काफी लाभ दर्ज किया था, 2010-11 में भी निरंतर लाभदायक बना रहा हालांकि इसकी गति धीमी थी। निवल ब्याज मार्जिन और बढ़ते प्रावधानीकरण की चिंता के बावजूद पिछले वर्ष जैसे ही 2010-11 में भी बीएसई बैंकेक्स बीएसई सेंसक्स से आगे निकल गया जो ऋण मांग में अच्छी वृद्धि के कारण बाजार-भावना का सकारात्मक होना दर्शाता है (चार्ट IV.18)।

चार्ट IV.18 क : बैंकेक्स और बीएसई सेंसेक्स का तुलनात्मक निष्पादन- 2010-11

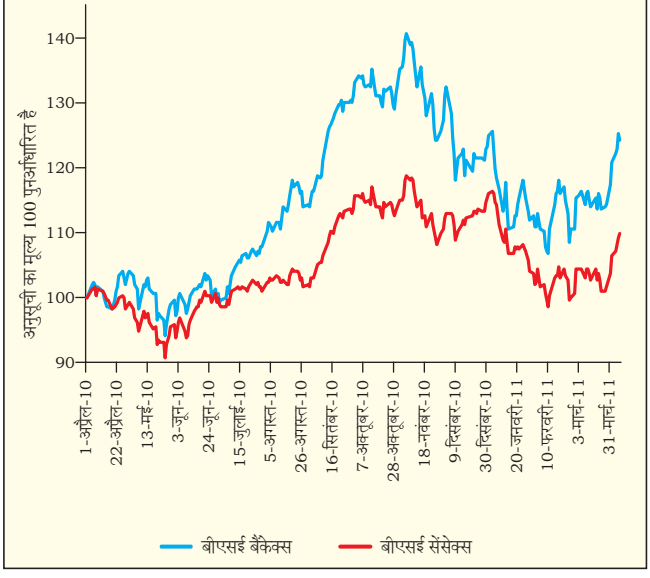

बीएसई बैंकेक्स में बीएसई सेंसक्स की तुलना में अधिक घट-बढ़ हुई

4.72 38 सूचीबद्ध बैंकों में से चार बैंकों ने पिछले वर्ष की तुलना में उनके शेयरों में मूल्यों में गिरावट दर्ज की। बीएसई बैंकेक्स में बीएसई सेंसक्स की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में अधिक घट-बढ़ हुई जो कि इन शेयरों में लेनदेन में जोखिम दर्शाती है (सारणी IV27)।

4.73 2010-11 में 38 बैंकों में से नौ बैंकों का मूल्य-आय (पी/ई) अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में कम था। बैंक शेयरों में 2009-10 की तुलना में 2010-11 में कुल पण्यावर्त में उनके शेयरों में वृद्धि हुई। यह हिस्सा 2011-12 में (अप्रैल और जून के दौरान) और बढ़ा। इसी प्रकार कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक शेयरों का हिस्सा भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में बढ़ा। किंतु कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक शेयरों का हिस्सा मार्च 2011 के अंत की तुलना में जून 2011 के अंत में कम हो गया (सारणी IV.28 और परिशिष्ट सारणी IV.7)।

7. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में शेयरधारिता पद्धति

पीएसबी में सरकारी शेयरधारिता सांविधिक अपेक्षा से पर्याप्त अधिक थी

4.74 2010-11 में पीएसबी में सरकारी शेयरधारिता मोटे तौर पर 57 प्रतिशत और 85 प्रतिशत के बीच थी हालांकि न्यूनतम सांविधिक अपेक्षा 51 प्रतिशत है (सारणी IV.29 और चार्ट IV.19)।

सारणी IV.27: बैंकिंग क्षेत्र द्वारा यूरो निर्गम माध्यम से संसाधन जुटाना

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2009-10	2010-11
1	2	3
यूरो निर्गम	**843**	**-**
(i) एडीआर	**-**	**-**
क) निजी	-	-
ख) सार्वजनिक	-	-
(ii) जीडीआर	**843**	**-**
क) निजी	843	-
ख) सार्वजनिक	-	-
(iii) एफसीसीबी	**उ. न.**	**उ. न.**

उ.न.: उपलब्ध नहीं.
-: शून्य / नगण्य
एफसीसीबी: विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
एडीआर/जीडीआर: अमरीकी / वैश्विक निक्षेपगार रसीदें।

सारणी IV.28: जोखिम -प्रतिफल निष्पादन, टर्नओवर और बैंक स्टॉक्स का पूंजीकरण

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12#
1	2	3	4	5
1. प्रतिफल*				
बीएसई बैंकेक्स	-41.8	137.2	24.9	-3.6
बीएसई सेंसेक्स	-37.9	80.5	10.9	-2.3
2. अस्थिरता@				
बीएसई बैंकेक्स	23.0	16.5	10.3	4.3
बीएसई सेंसेक्स	24.2	11.9	6.3	3.3
3. कुल कारोबार में बैंक स्टॉक के कारोबार का हिस्सा	9.61	8.28	9.48	9.96
4. कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक स्टॉक के पूंजीकरण का हिस्सा**	8.41	10.03	11.91	11.55

*: अंक दर अंक आधार पर सूचकांक में प्रतिशत घटबढ।
@: घटबढ के सह गुणांक के रूप में परिभाषित।
**: अवधि के अंत में
#: अप्रैल - जून 30, 2011
स्रोत: बीएसई

सारणी IV.29: निजी शेयर धारिता के प्रतिशत द्वारा वर्गीकृत सरकारी क्षेत्र के बैंक

(मार्च 2011 के अंत में)

शेयर धारिता की श्रेणी	निजी निवासी शेयर धारिता	निजी अनिवासी शेयर धारिता	कुल निजी शेयर धारिता
1	2	3	4
10 प्रतिशत तक	1	12	-
10 से अधिक और 20 प्रतिशत तक	6	9	4
20 से अधिक और 30 प्रतिशत तक	9	-	1
30 से अधिक और 40 प्रतिशत तक	2	-	6
40 से अधिक और 43 प्रतिशत तक	3	-	10

–: शून्य /नगण्य
*: 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड सहित।

4.75 पीएसबी में विदेशी शेयरधारिता पिछले वर्ष जैसे ही 2010-11 में भी निरंतर कम बनी रही। 21 में से बारह पीएसबी के पास 2010-11 में विदेशी शेयरधारिता का दस प्रतिशत से भी कम भाग था जबकि शेष पीएसबी के पास विदेशी शेयरधारिता का 20 प्रतिशत से भी कम भाग था। निजी क्षेत्र के सभी नये बैंकों के पास 30 प्रतिशत से अधिक की विदेशी शेयरधारिता थी। निजी क्षेत्र के 14 पुराने बैंकों में से नौ में 2010-11 में 20 प्रतिशत से अधिक की विदेशी शेयरधारिता थी। किंतु निजी क्षेत्र के सभी बैंकों की विदेशी शेयरधारिता रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक अधिकतम सीमा अर्थात 74 प्रतिशत से कम थी। यह उल्लेखनीय है कि मात्र चार बैंक नामत: निजी क्षेत्र के तीन नये बैंक और निजी क्षेत्र का एक बैंक की विदेशी शेयरधारिता 2010-11 में 49 प्रतिशत से अधिक है; यह प्रतिशत रिज़र्व बैंक द्वारा नये बैंकों के लिए उनके प्रथम पांच वर्षों के परिचालनों के लिए अगस्त 2011 में जारी ड्राफ्ट दिशानिर्देशों में दी गयी थी (चार्ट VI.20 और परिशिष्ट सारणी VI.8)।

चार्ट IV.19: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार की शेयर धारिता

(मार्च 2011 की समा प्त पर)

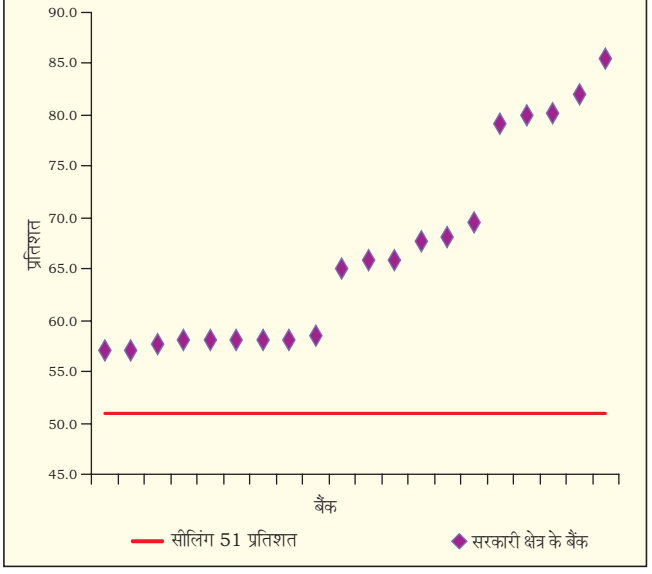

चार्ट IV.20: देशी बैंकों में विदेशी शेयरधारिता

(मार्च 2011 की समा प्त पर)

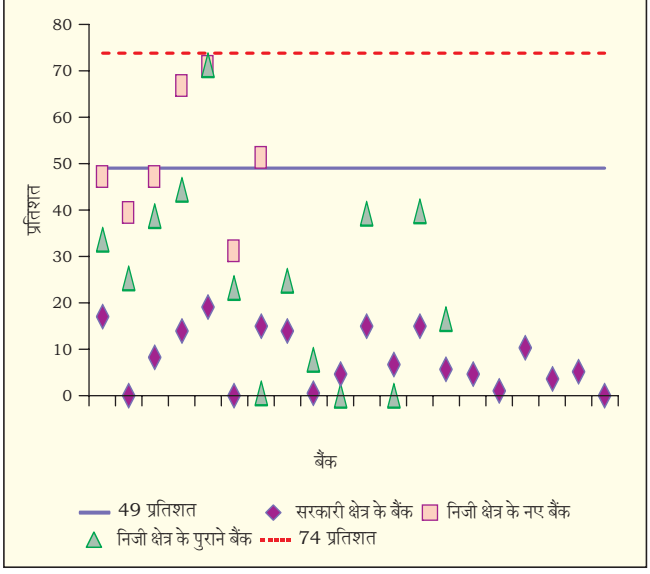

8. विदेशी बैंकों के भारत में परिचालन और भारतीय बैंकों के विदेश में परिचालन

विदेशी बैंकों के भारत में परिचालनों में वृद्धि हुई

4.76 अगस्त 2011 के अंत में भारत में 38 विदेशी बैंक (24 देशों से) कार्यरत थे जबकि सितंबर 2010 के अंत में यह संख्या 34 थी। शाखाओं की कुल संख्या भी अगस्त 2011 के अंत में बढ़कर 321 हो गयी जो कि सितंबर 2010 के अंत में 315 थी। इसके अलावा अगस्त 2011 के अंत में भारत में 47 विदेशी बैंक प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से कार्यरत थे जबकि सितंबर 2010 के अंत में यह संख्या 45 थी। विदेशी बैंकों के संदर्भ में भारत में सबसे बड़ा शाखा नेटवर्क स्टैडर्ड चार्टर्ड बैंक का था जिसके बाद एचएसबीसी लि., सिटीबैंक और रॉयल बंक ऑफ स्कॉटलैंड एन.वी. का स्थान था।

4.77 सितंबर 2010 और अगस्त 2011 के बीच चार नये बैंकों अर्थात नैशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक, इंडस्ट्रीयल ऐंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, राबोबैंक इंटरनैशनल और वूरी बैंक को भारत में एक-एक शाखा खोलने की अनुमति दी गयी। सुमितोमो मित्सुइ बैंकिंग कारपोरेशन को भी भारत में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी गयी।

भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों में वृद्धि हुई

4.78 सितंबर 2010 और अगस्त 2011 के बीच भारतीय बैंकों ने विदेश में एक अनुषंगी तथा एक प्रतिनिधि कार्यालय के साथ ही नौ और शाखाएं खोलीं। इस प्रकार 2010-11 में भारतीय बैंकों (16 पीसीबी और निजी क्षेत्र के 6 बैंक) के विदेश में परिचालन बढ़े जिसमें पिछले वर्ष के 233 कार्यालयों की तुलना में 244 कार्यालयों का नेटवर्क था। अगस्त 2011 के अंत में सबसे बड़े भारतीय बैंक अर्थात भारतीय स्टेट बैंक का विदेशी कार्यालयों का नेटवर्क सबसे व्यापक था जिसके बाद बैंक ऑफ बडौदा का स्थान था। अगस्त 2011 के अंत में कुल विदेशी कार्यालयों में इन दो बैंकों का संयुक्त हिस्सा 51 प्रतिशत था। निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच अगस्त 2011 के अंत में आईसीआईसीआई बैंक लि. की विदेश में सर्वाधिक उपस्थिति थी। 2010-11 में एसबीआई ने विदेश में पांच नये कार्यालय खोलकर विदेशी परिचालनों का सर्वाधिक विस्तार किया (सारणी VI.30)।

9. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास

प्रौद्योगिकीय उन्नयन जारी रहा

4.79 हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास के कारण बैंकिंग की गति और गुनवत्ता में परिवर्तन हुआ है। कंप्यूटरीकरण और कोर बैंकिंग समाधान बैंकिंग सेवाओं की कार्यकुशलता सुधारने की दिशा में उठाया गया महत्त्वपूर्ण कदम था। निजी क्षेत्र के नये बैंक और अधिकतर विदेशी बैंक, जिन्होंने उदारीकरण के बाद नब्बे के दशक के मध्य में अपने परिचालन शुरू किये थे, प्रौद्योगिकी अपनाने के पुरोधा थे। निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों और पीएसबी के लिए उनके पुराने रेकार्ड और प्रथाओं के कारण प्रौद्योगिकी अपनाना दुरूह कार्य था। किंतु यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पीएसबी की लगभग 98 प्रतिशत शाखाएं पूर्णत: कंप्यूटरीकृत हैं और इनमें से लगभग 90 प्रतिशत शाखाएं कोर बैंकिंग प्लेटफार्म पर हैं।

4.80 इसके अलावा स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) के कारण ग्राहक शाखाओं में गये बिना बैंकिंग कार्य करने में समर्थ हो गये। 2010-11 में एटीएम की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत वृद्धि हुई। किंतु कुल एटीएम में ऑफ साइट एटीएम की संख्या 2009-10 के 45.7 प्रतिशत से कुछ कम होकर 45.3 प्रतिशत रह गयी। मार्च 2011 के अंत में कुल एटीएम में से 65 प्रतिशत से अधिक पीएसबी के थे (सारणी VI.31 और परिशिष्ट सारणी VI.9)।

4.81 पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान डेबिट कार्डों की संख्या 25 प्रतिशत की दर पर बढ़ी। एटीएम के मामले में देखी गयी प्रवृत्ति के अनुरूप ही मार्च 2011 के अंत में कुल डेबिट कार्डों में से लगभग तीन चौथाई पीएसबी ने जारी किये थे। बकाया डेबिट कार्डों में पीएसबी का हिस्सा हाल के वर्षों में बढ़ा है जबकि उसी अवधि में निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों का हिस्सा कम हुआ। किंतु निरपेक्ष संदर्भ में हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों के मामले में बकाया डेबिट कार्डों की संख्या में वृद्धि हुई (सारणी VI.32 और चार्ट VI.21)।

सारणी IV.30: भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन

(वास्तविक से परिचालन)

बैंक का नाम	शाखा		सहायक बैंक		प्रतिनिधि कार्यालय		संयुक्त उद्यम बैंक		कुल	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. सरकारी क्षेत्र के बैंक	**137**	**144**	**20**	**21**	**39**	**39**	**7**	**7**	**203**	**211**
1. इलाहाबाद बैंक	1	1	-	-	1	1	-	-	2	2
2. आंध्रा बैंक	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2
3. बैंक ऑफ बड़ौदा	46	47	9	9	3	3	1	1	59	60
4. बैंक ऑफ इंडिया	24	24	3	3	5	5	1	1	33	33
5. केनरा बैंक	4	4	-	-	1	1	-	-	5	5
6. कॉर्पोरेशन बैंक	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2
7. इंडियन बैंक	3	4	-	-	-	-	-	-	3	4
8. इंडियन ओवरसीज बैंक	6	6	1	1	4	4	-	-	11	11
9. आईडीबीआइ बैंक लिमिटेड	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
10. पंजाब नेशनल बैंक	4	4	2	3	4	4	1	1	11	12
11. भारतीय स्टेट बैंक	42	47	5	5	8	8	4	4	59	64
12. सिंडिकेट बैंक	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
13. यूको बैंक	4	4	-	-	2	2	-	-	6	6
14. यूनियन बैंक	1	1	-	-	5	5	-	-	6	6
15. यूनाइटिड बैंक ऑफ इंडिया	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
16. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
II. निजी क्षेत्र के नए बैंक	**11**	**13**	**3**	**3**	**16**	**17**	**-**	**-**	**30**	**33**
17. ऐक्सिस बैंक	3	3	-	-	2	3	-	-	5	6
18. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1	2	-	-	2	2	-	-	3	4
19. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	7	8	3	3	8	8	-	-	18	19
20. इंडसइंड बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2
21. फेडरल बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
22. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
कुल	**148**	**157**	**23**	**24**	**55**	**56**	**7**	**7**	**233**	**244**

-: शून्य

टिप्पणी: 1) 2010 के आंकड़े सितंबर समाप्ति से संबंधित हैं।
2) 2011 के आंकड़े अगस्त समाप्ति से संबंधित हैं।

बकाया क्रेडिट कार्डों की संख्या में कमी आयी

4.82 क्रेडिट कार्डों के निर्गम ने कागजी मुद्रा अपने पास रखे बिना लेनदेन करना सुगम हो जाता है। क्रेडिट कार्डों की संख्या में कमी आने के बावजूद क्रेडिट कार्डों द्वारा किये गये लेनदेनों से संबंधित मात्रा और मूल्य में 2010-11 में क्रमश: 13 प्रतिशत और 22 प्रतिशत वृद्धि हुई। मार्च 2011 के अंत में कुल बकाया क्रेडिट कार्डों में निजी क्षेत्र के

सारणी IV.31: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम

(मार्च 2011 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक समूह	ऑन-साइट एटीएम	ऑफ साइट एटीएम	एटीएम की कुल संख्या	कुल एटीएम के प्रतिशत के अनुसार ऑफ साइट एटीएम
1		2	3	4	5
I	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**29,795**	**19,692**	**49,487**	**39.8**
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक*	15,691	9,145	24,836	36.8
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह	14,104	10,547	24,651	42.8
II	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**10,648**	**13,003**	**23,651**	**55.0**
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2,641	1,485	4,126	36.0
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक	8,007	11,518	19,525	59.0
III	**विदेशी बैंक**	**286**	**1,081**	**1,367**	**79.1**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (I+II+III)	**40,729**	**33,776**	**74,505**	**45.3**

*: आईडीबीआई बैंक लि. सहित।

चार्ट IV.21: बकाया डेबिट कार्डों में बैंक समूहों का हिस्सा

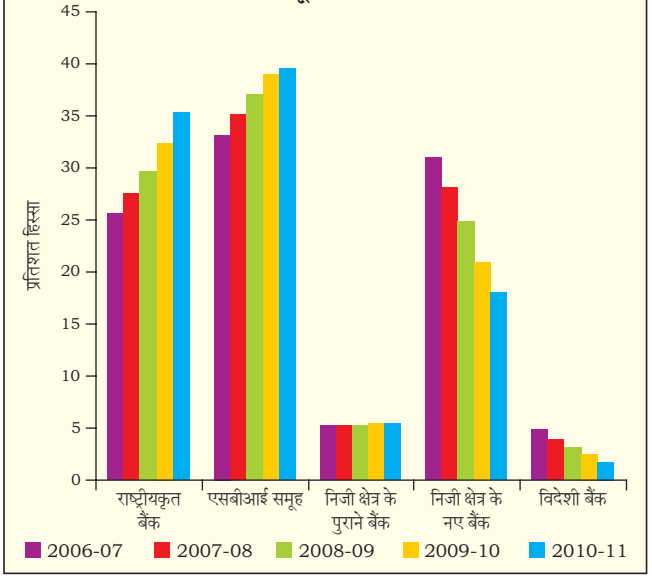

सारणी IV.32: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी डेबिट कार्ड
(मार्च 2010 के अंत में)

(मिलियन में)

क्रम सं.	बैंक समूह	बकाया डेबिट कार्डों की संख्या				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1		2	3	4	5	6
I	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**44.09**	**64.33**	**91.7**	**129.69**	**170.34**
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक	19.24	28.29	40.71	58.82	80.27
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह	24.85	36.04	50.99	70.87	90.07
II	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**27.19**	**34.1**	**41.34**	**47.85**	**53.58**
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	3.94	5.34	7.09	9.81	12.44
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक	23.25	28.76	34.25	38.04	41.14
III	**विदेशी बैंक**	**3.70**	**4.02**	**4.39**	**4.43**	**3.92**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (I+II+III)	**74.98**	**102.44**	**137.43**	**181.97**	**227.84**

नये बैंकों और विदेशी बैंकों का हिस्सा 80 प्रतिशत से अधिक था (सारणी VI.33 और चार्ट VI.22)।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनो में निरंतर वृद्धि हुई

4.83 जमा और नामे के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस), खुदरा लेनदेन के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (नेफ्ट) और बड़े मूल्यों के लिए रियल टाइम सकल निपटान (आरटीजीएस) जैसी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों से देश भर में वित्तीय लेनदेनों की गति में वृद्धि हुई है।

नेफ्ट के माध्यम से किये गये लेनदेनों की मात्रा में तेज वृद्धि हुई

4.84 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के खुदरा और बड़े मूल्य की प्रणाली ने पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान वृद्धि दर्ज की जिसमें से नेफ्ट ने अधिक वृद्धि दर्ज की (सारणी VI.34)।

सारणी IV.33: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड
(मार्च 2010 को समाप्त)

(मिलियन में)

क्रम सं.	बैंक समूह	बकाया क्रेडिट कार्डों की संख्या				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1		2	3	4	5	6
I	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**4.14**	**3.93**	**3.44**	**3.26**	**3.08**
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक	0.75	0.72	0.72	0.73	0.78
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह	3.39	3.21	2.72	2.53	2.30
II	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**10.68**	**13.29**	**12.18**	**9.5**	**9.32**
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	0.03	0.04	0.06	0.06	0.04
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक	10.65	13.25	12.12	9.44	9.28
III	**विदेशी बैंक**	**8.31**	**10.33**	**9.08**	**5.57**	**5.64**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (I+II+III)	**23.12**	**27.55**	**24.70**	**18.33**	**18.04**

चार्ट IV.22: बकाया क्रेडिट कार्डों में बैंक समूहों का हिस्सा

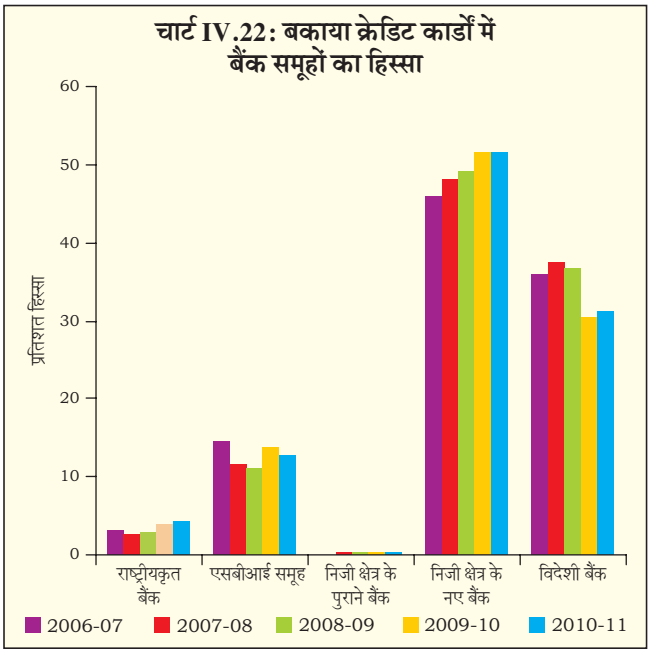

10. ग्राहक सेवा

बैंकों के विरुद्ध शिकायतों में गिरावट

4.85 बैंकिंग क्षेत्र में जनसामान्य का विश्वास बढ़ाने में ग्राहक संतुष्टि एकीकृत घटक है जो कि मध्य से दीर्घ अवधि में वित्तीय समावेशन में भी सहायता कर सकता है। बैंकिंग में ग्राहक सेवा के महत्त्व को पहचानते हुए रिज़र्व बैंक ने 2006 में एक अलग ग्राहक सेवा विभाग बनाया और 15 प्रमुख बैंकिंग केंद्रों में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोले। इसकी शुरुआत से ही ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के निपटान में बैंकिंग लोकपाल काफी प्रभावी सिद्ध हुआ है।

4.86 2010-11 में देश भर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों में कमी आयी। यह गिरावट विशेष रूप से महानगरीय क्षेत्रों अर्थात नयी दिल्ली, मुंबई और चेन्नै में अधिक दिखी। किंतु गिरावट की सामान्य प्रवृत्ति के बावजूद भोपाल, पटना, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और गुवाहाटी जैसे केंद्र भी हैं जहां इन शिकायतों में वृद्धि हुई (सारणी VI.35)।

सारणी IV. 34: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों की मात्रा और मूल्य

(मार्च 2011 की समाप्ति पर)

(मात्रा मिलियन में, मूल्य करोड़ रुपयों में)

वर्ष	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
	मात्रा		प्रतिशत घट-बढ़		मूल्य		प्रतिशत घटबढ़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ईसीएस क्रेडिट	98.1	117.3	11.0	19.5	1,17,613	1,81,686	20.6	54.5
ईसीएस डेबिट	149.3	156.7	-6.7	5.0	69,524	73,646	3.8	5.9
एनईएफटी	66.3	132.3	106.3	99.5	4,09,507	9,39,149	62.5	129.3
आरटीजीएस	33.2	49.3	148.5	48.2	3,94,53,359	4,84,87,234	22.2	22.9

*: कार्डों के माध्यम से किए गए लेनदेनों को छोड़कर

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध शिकायतों में वृद्धि हुई

4.87 किंतु पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध शिकायतों में वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि में निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के विरुद्ध शिकायतों में कमी आयी। 2010-11 में प्रतिशाखा शिकायतों की संख्या 22.34 प्रतिशत पर विदेशी बैंकों के मामले में सर्वाधिक थी। 2010-11 में कुल शिकायतों में से लगभग एक चौथाई शिकायतें क्रेडिट/डेबिट/एटीएम कार्डों के विरुद्ध प्राप्त हुई थीं जिनके बाद पेंशन (8 प्रतिशत) और ऋण तथा अग्रिम (6 प्रतिशत) का स्थान था। पेंशन और प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों (डीएसए) के विरुद्ध शिकायतों में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में वृद्धि हुई (सारणी VI.36 और परिशिष्ट सारणी VI.10)।

4.88 यहां यह नोट करना आवश्यक है कि डीएसए संबंधी शिकायतों का केंद्र निजी क्षेत्र के नये बैंक और विदेशी बैंक थे। 2010-11 में डीएसए संबंधी कुल शिकायतों में से 90 प्रतिशत से अधिक निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों के विरुद्ध थीं। इसके अलावा छुपे प्रभारों संबंधी 50 प्रतिशत से अधिक शिकायतें निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों के विरुद्ध थीं। ऐसी शिकायतें पीएसबी के मामले में तुलनात्मक रूप से कम थीं। किंतु पेंशन संबंधी 95 प्रतिशत से अधिक शिकायतें पीएसबी के विरुद्ध थीं (चार्ट VI.23)।

सारणी IV.35: बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों को क्षेत्र वार मिली शिकायतें

बीओ कार्यालय	शिकायतों की संख्या	
	2009-10	2010-11
1	2	3
अहमदाबाद	4,149	5,190
बंगलुरू	3,854	3,470
भोपाल	3,873	5,210
भुवनेश्वर	1,219	1,124
चंडीगढ़	3,234	3,559
चेन्नै	12,727	7,668
गुवाहाटी	528	584
हैदराबाद	5,622	5,012
जयपुर	4,560	3,512
कानपुर	7,832	8,319
कोलकाता	5,326	5,192
मुंबई	10,058	7,566
नई दिल्ली	12,045	10,508
पटना	1,707	2,283
तिरु वनंतपुरम	2,532	2,077
कुल	**79,266**	**71,274**

स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय।

11. वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन की स्थिति में सुधार हुआ

4.89 हाल के वर्षों में वित्तीय समावेशन रिज़र्व बैंक की शीर्ष प्राथमिकता रहा है। तदनुसार रिज़र्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करता आ रहा है कि वे नयी शाखाओं के गठन और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से और बीसी मॉडल के माध्यम से बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करें। इन सब प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्तीय समावेशन की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सुधार हुआ (सारणी VI.37)।

वित्तीय समावेशन का कार्य अब भी बहुत पीछे है

4.90 वित्तीय समावेशन का कार्य अब भी बहुत पीछे है। मार्च 2010 के अंत में प्रत्येक 1000 लोगों में से मात्र 98 के

सारणी IV.36: बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों को मिली क्षेत्र वार शिकायतें - 2010-11

शिकायत का स्वरूप	सरकारी क्षेत्र बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक*	एसबीआइ समूह	निजी क्षेत्र बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	सहकारी बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= (9+10)
जमा खाते	**726**	379	347	**641**	50	591	293	**1,660**	**67**	**1,727**
प्रेषण	**3,019**	1,574	1,445	**816**	65	751	175	**4,010**	**206**	**4,216**
क्रेडिट/डेबिट/एटीएम कार्ड	**9,217**	3,343	5,874	**4,458**	149	4,309	3,196	**16,871**	**245**	**17,116**
ऋण/अग्रिम	**3,262**	1,891	1,371	**832**	185	647	199	**4,293**	**271**	**4,564**
बिना पूर्व नोटिस के प्रभार	**1,700**	995	705	**1,836**	120	1,716	482	**4,018**	**131**	**4,149**
पेंशन	**5,746**	1,746	4,000	**43**	1	42	21	**5,810**	**117**	**5,927**
प्रतिबद्धताओं संबंधी विफलता	**1,971**	1,035	936	**747**	94	653	161	**2,879**	**83**	**2,962**
प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट	**120**	58	62	**928**	12	916	658	**1,706**	**16**	**1,722**
नोट और सिक्के	**86**	36	50	**25**	1	24	19	**130**	**16**	**146**
उधारदाताओं की निर्धारित प्रथाओं का अननुपालन	**8,799**	4,680	4,119	**3,378**	254	3,124	1,163	**13,340**	**786**	**14,126**
बीसीएसबीआई कोड का अननुपालन	**1,260**	742	518	**812**	51	761	204	**2,276**	**69**	**2,345**
अन्य	**4,835**	2,675	2,160	**2,323**	167	2,156	440	**7,598**	**606**	**8,204**
विषय के बाहर	**1,983**	1,263	720	**283**	30	253	70	**2,336**	**1,734**	**4,070**
कुल शिकायतें	**42,724 (1.9)**	**20,417 (6.94)**	**22,307 (2.3)**	**17,122 (-24.1)**	**1,179 (-15.4)**	**15,943 (-24.6)**	**7,081 (-38.1)**	**66,927 (-11.8)**	**4,347 (30.2)**	**71,274 (-10.1)**
प्रति शाखा शिकायतें	**0.69**	**0.45**	**1.25**	**1.47**	**0.25**	**2.35**	**22.34**	**0.90**		

*: आईडीबीआई बैंक लि. सहित।
टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े पूर्व वर्ष के प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाते हैं।
स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय।

पास ऋण खाता था और 600 के पास जमा खाते थे[11]। इससे यह आवश्यकता रेखांकित हो जाती है कि वित्तीय समावेशन अभियान को सुविचारित नीति से मजबूत करना होगा।

चार्ट IV.23: बैंक समूहों के संबंध में प्रमुख शिकायतें 2010-11

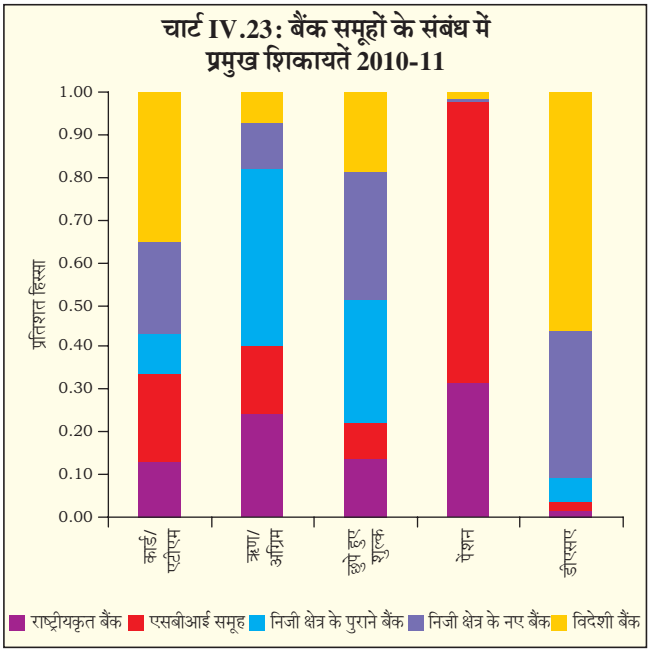

सारणी IV.37: वित्तीय समावेशन में प्रगति

सं.	संकेतक	2009-10	2010-11
1	2	3	4
1	ऋण-जीडीपी	53.4	54.6
2	ऋण-जमा	73.6	76.5
3	प्रति शाखा जनसंख्या	14,000	13,466
4	प्रत्येक एटीएम जनसंख्या	19,700	16,243
5	जमा खाता धारकों की जनसंख्या का प्रतिशत*	55.8	61.2
6	क्रेडिट खाता धारकों की जनसंख्या का प्रतिशत*	9.3	9.9
7	डेबिट कार्ड धारकों की जनसंख्या का प्रतिशत	15.2	18.8
8	क्रेडिट कार्ड धारकों की जनसंख्या का प्रतिशत	1.53	1.49
9	कुल नई बैंक शाखाओं के प्रतिशत के रूप में टायर 3-6 केंद्रों में खोली गई शाखाएं	40.3	55.4
10	कुल नई बैंक शाखाओं के प्रतिशत के रूप में अब तक बिना बैंक की सुविधा वाले केंद्रों में खोली गई शाखाएं	5.6	9.7

*: आंकड़ों का संबंध 2008-09 और 2009-10 से है।
टिप्पणी: 1) ऋण और जमा से संबंधित आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलन पत्रों से लिए गए हैं।
2) बैंक शाखाओं, नई बैंक शाखाओं, टियर 3-6 केंद्रों में खोली गई शाखाओं और बिना बैंक की सुविधा वाले केंद्रों में खोली गई शाखाओं से संबंधित आंकड़े मास्टर ऑफिस फाइल, डीएसआईएम से लिए गए हैं। आंकड़ों का संबंध अप्रैल-मार्च से है।
3) शाखाओं के आंकड़ों में 2010-11 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं शामिल हैं।
4) 2010-11 से संबंधित जनसंख्या के आंकड़े भारत की 2011 की जनगणना से लिए गए हैं।
5) वर्ष 2009-10 से संबंधित प्रत्येक शाखा संबंधी जनसंख्या और प्रत्येक एटीएम के संबंध में जनसंख्या के आंकड़े भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2009-10 से दोहराए गए हैं।
6) वर्ष 2009-10 के लिए संकेतक 5-8 की गणना करने हेतु जनसंख्या संबंधी आंकड़े भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2009-10 में यथा उल्लिखित अनुसार प्रत्येक शाखा संबंधी जनसंख्या से लिए गए हैं।
7) जमा और ऋण खातों की संख्या से संबंधित आंकड़े आधारभूत सांख्यकीय विवरणी 2009-10 से लिए गए हैं।
8) एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्डों की संख्या से संबंधित आंकड़े भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग से लिए गए हैं।

[11] जमा खातों और ऋण खातों का डाटा बेसिक सांख्यिकी विवरणियां 2009-10 से लिया गया है।

बैंक शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार

बैंक शाखाओं की संख्या में 4,826 की वृद्धि हुई

4.91 पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में एससीबी की 4,826 शाखाएं बढ़ी। महत्त्वपूर्ण रूप से एससीबी द्वारा खोली गयी शाखाओं में से 22 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 42 प्रतिशत अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोली गयी थी। नयी बैंक शाखाओं में दक्षिणी क्षेत्र, जो कि पहले से अच्छा बैंकयुक्त है, में 2010-11 में नयी शाखाओं का हिस्सा सर्वाधिक था। दूसरी ओर न्यूनतम बैंकयुक्त क्षेत्र, अर्थात उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 2010-11 में नयी शाखाओं का हिस्सा न्यूनतम था (सारणी VI.38)।

4.92 नयी बैंक शाखाओं के राज्य-वार विवरण से पता चला है कि अप्रैल-मार्च 2010-11 के दौरान खुली नयी बैंक शाखाओं में 11 प्रतिशत के साथ उत्तर प्रदेश सबसे आगे था जिसके बाद महाराष्ट्र (10 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (9 प्रतिशत) और तमिलनाडु (7 प्रतिशत) का स्थान था।

4.93 टियर 3 से टियर 6 वाले केंद्रों में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाने की दिसा में किया गया एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत उपाय दिसंबर 2009 में शाखा प्राधिकरण नीति को उदार बनाना था। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में (अप्रैल-मार्च) एससीबी ने टियर 3 से टियर 6 वाले केंद्रों में अधिक शाखाएं खोली। 2010-11 अप्रैल-मार्च में टियर 3 से टियर 6 वाले केंद्रों में आधे से अधिक नयी शाखाएं खोली गयी (सारणी IV.37)।

सारणी IV.38: क्षेत्रों और जनसंख्या समूहों में नई बैंक शाखाओं का वितरण

(2010-11 अप्रैल-मार्च की अवधि के दौरान)

क्षेत्र	नई शाखाओं की संख्या	जनसंख्या समूह	नई शाखाओं की संख्या
1	2	3	4
मध्य क्षेत्र	874 (18.1)	ग्रामीण	1,077 (22.3)
पूर्वी क्षेत्र	650 (13.5)	अर्ध शहरी	2,011 (41.7)
पूर्वोत्तर क्षेत्र	97 (2.0)	शहरी	865 (17.9)
उत्तरी क्षेत्र	1,120 (23.2)	महानगरीय	873 (18.1)
दक्षिणी क्षेत्र	1,263 (26.2)	-	-
पश्चिमी क्षेत्र	822 (17.0)	-	-
कुल	**4,826(100.0)**	**कुल**	**4,826 (100.0)**

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल नई बैंक शाखाओं का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत: मास्टर ऑफिस फाइल

अब तक बैंकरहित रहे क्षेत्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या बढ़ी

4.94 जुलाई 2011 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपनी कम-से-कम 25 प्रतिशत नयी शाखाएं बैंकरहित ग्रामीण क्षेत्रों में खोलें। अब तक बैंकरहित रहे क्षेत्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या 2009-10 के 281 से बढ़कर 2010-11 (अप्रैल-मार्च) में 470 हो गयी। 2010-11 में खोली गयी कुल नयी शाखाओं में से लगभग 10 प्रतिशत शाखाएं अब तक बैंकरहित रहे क्षेत्रों में खोली गयी जबकि पिछले वर्ष 6 प्रतिशत खोली गयी थीं। किंतु अद्यतन नीतिगत धारणा के अनुसार 2010-11 में बैंकरहित क्षेत्रों में खोली गयी कुल नयी शाखाओं का हिस्सा कम था (चार्ट IV.24)।

4.95 किये गये उपायों के बावजूद 2010-11 में उत्तर-पूवी, पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में प्रति बैंक शाखा जनसंख्या (आरआरबी की शाखाओं सहित) राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक थी (चार्ट IV.25)।

चार्ट IV.24: अब तक बैंक रहित रहे केंद्रों में शाखाएं खोली गईं (अप्रैल-मार्च)

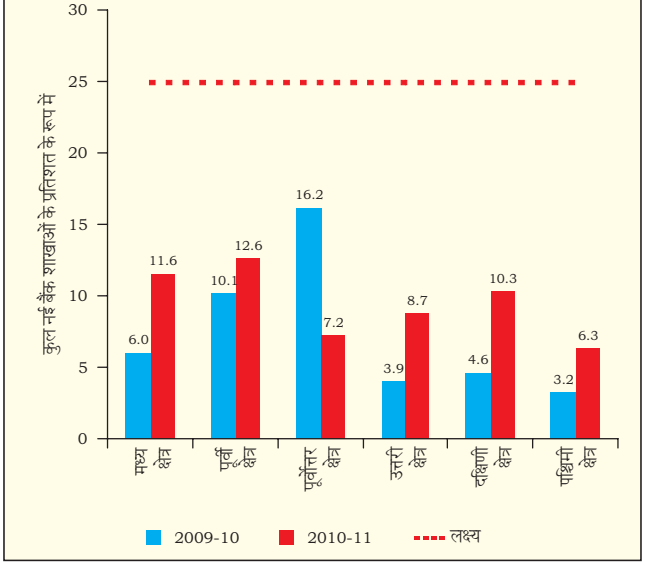

एटीएम के माध्यम से बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार

लगभग 50 प्रतिशत एटीएम ऑफ साइट स्थानों में खोले गये

4.96 बैंकिंग पहुंच की दृष्टि से ऑन साइट एटीएम की तुलना में ऑफ साइट एटीएम अधिक संगत हैं। 2010-11 में खोले गये नये एटीएम में से 44 प्रतिशत ऑफ साइट एटीएम थे। 2010-11 में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोले गये एटीएम में से 63 प्रतिशत और विदेशी बैंकों द्वारा खोले गये एटीएम में से 98 प्रतिशत नये एटीएम ऑफ साइट स्थानों में थे। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोले गये एटीएम में से 41 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों द्वारा खोले गये एटीएम में से 49 प्रतिशत नये एटीएम ऑफ साइट स्थानों में थे।

कुल बकाया एटीएम में ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा दस प्रतिशत

4.97 2010-11 में कुल एटीएम में लगभग दस प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में थे जिनमें से स्टेट बैंक समूह का हिस्सा 44 प्रतिशत था जिसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों का स्थान (38 प्रतिशत) था(सारणी IV.39 और चार्ट IV.26)।

एटीएम के अभिनियोजन में उत्तरोत्तर वृद्धि में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का हिस्सा सबसे कम था

4.98 2010-11 में एटीएम के वृद्धिशील अभिनियोजन में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का हिस्सा सबसे कम था (चार्ट IV.27)।

सारणी IV.39 : विभिन्न क्रेन्द्रों में स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम की संख्या

बैंक समूह	(मार्च 2011 के अंत में)				
	ग्रामीण केंद्र	अर्ध शहरी केंद्र	शहरी केंद्र	महानगरीय केंद्र	सभी केंद्र
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र के बैंक	**5,872**	**13,278**	**16,186**	**14,151**	**49,487**
	(11.9)	**(26.8)**	**(32.7)**	**(28.6)**	**(100.0)**
राष्ट्रीयकृत बैंक*	2,718	5,680	8,132	8,306	24,836
	(10.9)	(22.9)	(32.7)	(33.4)	**(100.0)**
भारतीय स्टेट बैंक समूह	3,154	7,598	8,054	5,845	24,651
	(12.8)	(30.8)	(32.7)	(23.7)	(100.0)
निजी क्षेत्र के बैंक	**1,262**	**4,784**	**7,576**	**10,029**	**23,651**
	(5.3)	**(20.2)**	**(32.0)**	**(42.4)**	**(100.0)**
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	332	1,339	1,401	1,054	4,126
	(8.0)	(32.5)	(34.0)	(25.5)	(100.0)
निजी क्षेत्र के नए बैंक	930	3,445	6,175	8,975	19,525
	(4.8)	(17.6)	(31.6)	(46.0)	(100.0)
विदेशी बैंक	**21**	**20**	**300**	**1,026**	**1,367**
	(1.5)	**(1.5)**	**(21.9)**	**(75.1)**	**(100.0)**
कुल	**7,155**	**18,082**	**24,062**	**25,206**	**74,505**
	(9.6)	**(24.3)**	**(32.3)**	**(33.8)**	**(100.0)**
	[37.7]	**[24.9]**	**[21.8]**	**[21.7]**	**[23.9]**

*: आईडीबीआई बैंक लि. सहित।

टिप्पणी: 1) कोष्ठक के आंकड़े प्रत्येक बैंक समूह के तहत कुल एटीएम के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते है।
2) बड़े कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट बढ़ दर्शाते हैं।

बैंक ऋण और जमाराशि का विवरण[12]

बैंकिंग कारोबार महानगरीय क्षेत्रों में संकेंद्रित है

4.99 ऋण और जमाराशि का स्थान-वार विवरण महानगरीय क्षेत्रों में अधिक संकेंद्रन दर्शाता है। 2010-11 में एकेले बृहन्मुंबई क्षेत्र ने कुल जमाराशि का 22 प्रतिशत और कुल ऋण का 25 प्रतिशत

चार्ट IV.25: प्रति बैंक शाखा क्षेत्र-वार जनसंख्या
(मार्च 2011 की समा प्त पर)

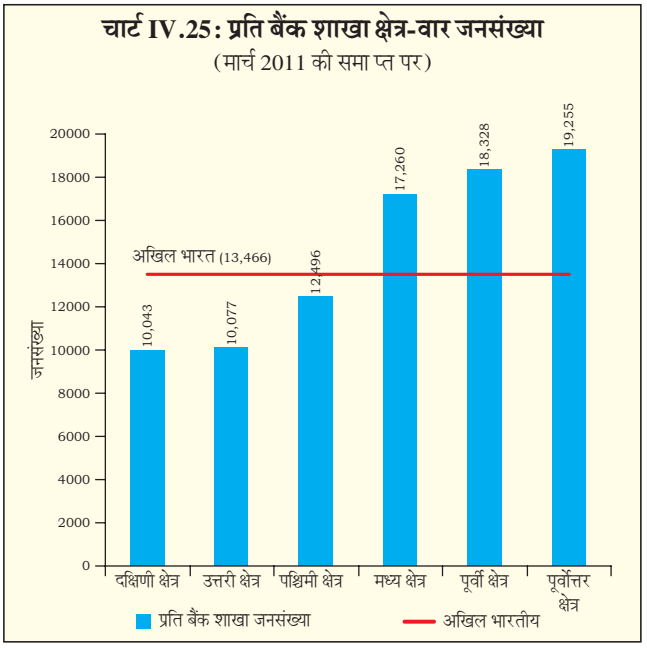

चार्ट IV.26: एटीएम का जनसंख्या समूह-वार वितरण
(मार्च 2011 की समा प्त पर)

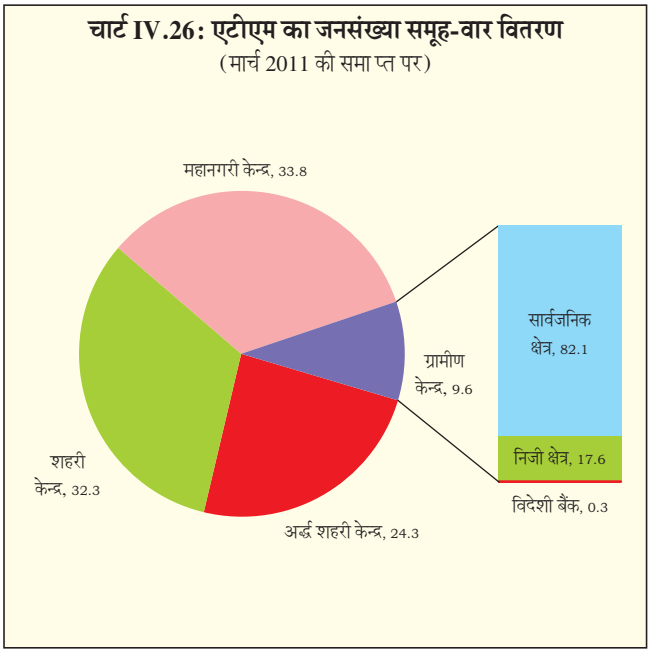

[12] आंकड़े एससीबी की मार्च 2011 की जमाराशि और ऋण पर तिमाही सांख्यिकी से लिये गये हैं।

चार्ट IV.27: एटीएम में हुई कुल निवल वृद्धि में क्षेत्र-वार हिस्सा 2010-11

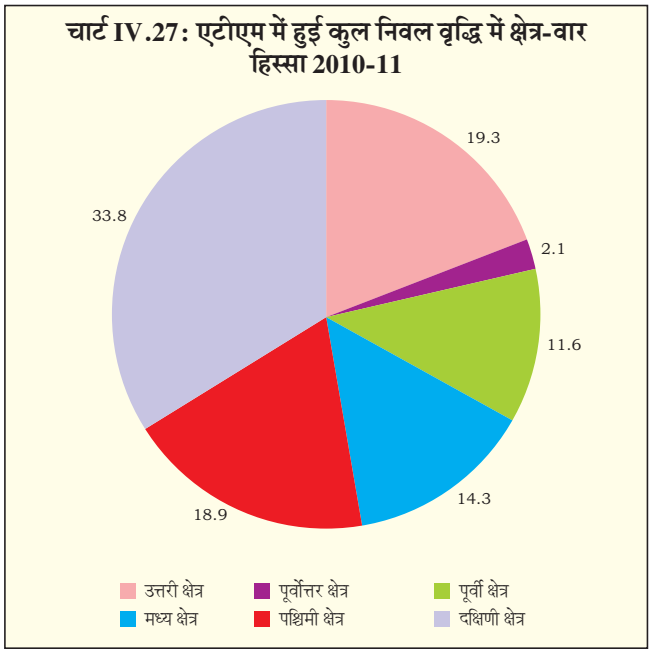

चार्ट IV.28: बैंकिंग केंद्रों के अनुसार जमाराशि और ऋण का वितरण - मार्च 2011

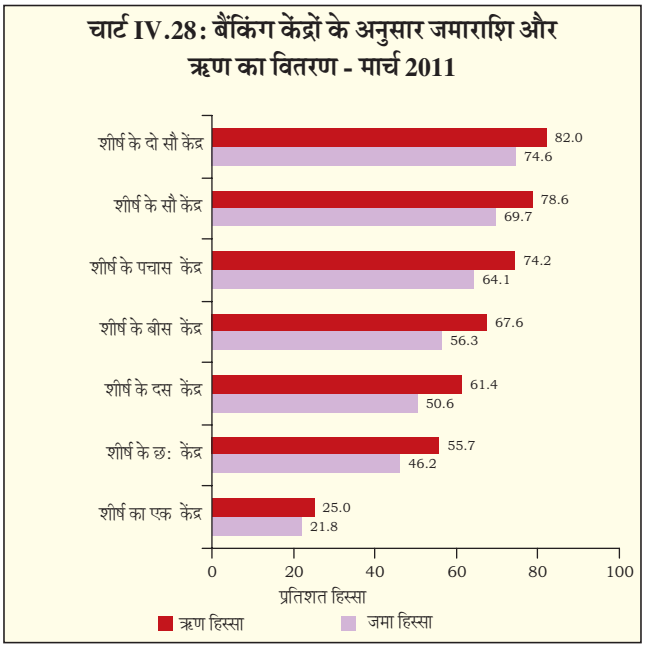

हिस्सा दर्शाया। इसके अलावा शीर्ष छह केंद्रों अर्थात बृहन्मुंबई, दिल्ली,चेन्नै, कोलकाता, बंगलुरु और हैदराबाद का 2010-11 में संयुक्त हिस्सा जमाराशि में 46 प्रतिशत और कुल ऋण में 56 प्रतिशत था। इन क्षेत्रों में जमाराशि की तुलना में ऋण का संकेंद्रन अधिक था (चार्ट IV.28)।

4.100 ऋण के भौगोलिक क्षेत्र-वार विवरण ने दर्शाया कि एक तिहाई से अधिक कुल ऋण पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित था। मार्च 2011 के अंत में कुल ऋण में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा काफी कम था ऋण का जनसंख्या-वार श्रेणीकरण दर्शाता है कि मार्च 2011 के अंत में कुल ऋण में 68 प्रतिशत महानगरीय क्षेत्रों से संबंधित था। जहां मार्च 2011 के अंत में ऋण का 9 प्रतिशत अर्ध शहरी क्षेत्रों का था, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह 6 प्रतिशत था (चार्ट IV.29क और IV.29ख तथा परिशिष्ट सारणी IV.11)।

रिज़र्व बैंक वित्तीय समावेशन की सूक्ष्म निगरानी कर रहा है

4.101 वित्तीय समावेशन के अभियान को मजबूत करने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि मार्च 2012 तक 2,000 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों को कम-से-कम एक बैंकिंग आउटलेट के साथ कवर किया जाए। इसके अलावा 2,000 से कम जनसंख्या वाले आसपास के गांवों को भी कवर करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया गया। इस योजना की सुगम प्रगति को सुसाध्य करने की दृष्टि से सभी बैंकों को सूचित किया गया कि वे बोर्ड-अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) प्रस्तुत करें। बैंकों ने ऐसी योजनाएं तैयार कर ली हैं और रिज़र्व बैंक इन योजनाओं के कार्यान्वयन की सूक्ष्म निगरानी कर रहा है। एफआईपी के तहत की गयी प्रगति सारणी IV.40 में दी गयी है।

4.102 कम-से-कम एक बैंकिंग आउटलेट के साथ कवर किये गये गांवों की कुल संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में 82 प्रतिशत बढ़ी। महत्त्वपूर्ण रूप से 2010-11 में एफआईपी के तहत कवर हुए कुल गांवों में से 47 प्रतिशत 2,000 से कम जनसंख्या वाले गांव थे। सारणी से यह समझा जा सकता है कि एफआईपी के तहत बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए बैंक बीसी पर अत्यधिक निर्भर हैं। 2010-11 में कुल में बी सी के माध्यम से लगभग 77 प्रतिशत गांव कवर हुए थे। "नो फ्रील्स" खातों में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में 82 प्रतिशत वृद्धि हुई। कुल "नो फ्रील्स" खातों में ओवरड्राफ्ट वाले "नो फ्रील्स" खातों का हिस्सा 2009-10 के 0.3 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 6 प्रतिशत हो गया। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और जनरल क्रेडिट कार्ड

चार्ट IV.29 क: ऋण में क्षेत्र-वार हिस्सा - मार्च 2011

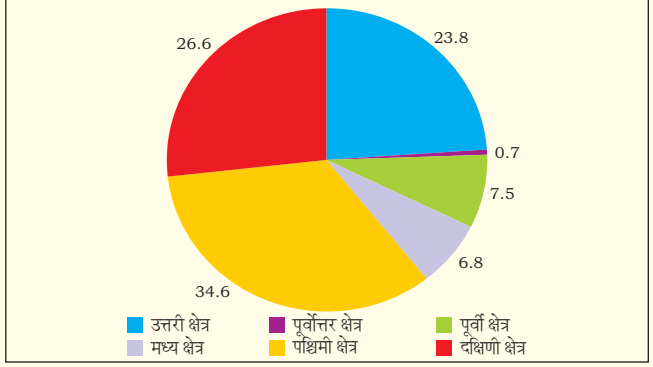

चार्ट IV.29 ख: ऋण में जनसंख्या समूह-वार हिस्सा - मार्च 2010-11

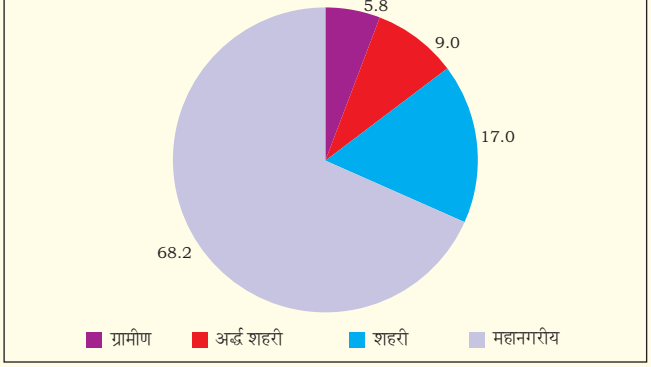

(जीसीसी) की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में क्रमश: 15 प्रतिशत और 49 प्रतिशत वृद्धि हुई (सारणी IV.40)।

व्यष्टि वित्त

4.103 एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने 1992 में प्रायोगिक तौर पर हुई शुरुआत से अपने अस्तित्व के दो दशक पूरे किये हैं। इसे वित्तीय रूप से बाहर रह गये गरीब हाउसहोल्डों, सिविल सोसायटी संगठनों, बैंकरों और साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय जैसे अनेकविध जोखिम धारकों से व्यापक समर्थन मिला। 2010-11 में 1.2 मिलियन नये एसएचजी बैंकों से क्रेडिटलिंक हुए और इन एसएचजी को 14,547 करोड़ रुपये का बैंक ऋण (दोबारा दिये गये ऋण सहित) दिया गया। इसके अलावा मार्च 2011 के अंत में 7.46 मिलियन एसएचजी के बैंकों में खाते थे। औसतन प्रति एसएचजी बचत की राशि 2010-11 के 65,180 रुपये के ऋण की तुलना में 9,405 रुपये थी। ऐसा दृढ़ विश्वास है कि एसएचजी मूमेंट में भारत के बैंक रहित लोगों की वित्तीय सेवा संबंधी आवश्यकता दीर्घकालिक आधार पर पूरी करने की क्षमता है। किंतु इनके संबंध में यह चिंता भी कि ये मितव्ययता और बचत की गुंजाइश बढ़ाए बिना ऋण पर फोकस करते हैं। इसी प्रकार इसने अधिक लचीलापन दिखाने की आवश्यकता है ताकि एसएचली स्तर पर ऋण उधार लेने की विविधता को समाहित किया जा सके। वर्तमान में नाबार्ड का यह प्रयास है कि विविध पक्षों से प्रकट की जा रही चिंताओं पर ध्यान दिया जाए जिनका लक्ष्य इन्हें बदलती आवश्यकताओं के अनुसार अधिक लचीला, ग्राहक-अनुकूल बनाने के लिए इन महत्त्वपूर्ण चिंताओं को दूर करना है (सारणी IV.41)।

4.104 2010-11 में 461 एमएफआई को बैंकों से 7,605 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। 2010-11 में एमएफआई-लिंकेज कार्यक्रम के तहत ऋणों की संख्या और राशि में हुई वृद्धि एमएफआई-लिंकेज कार्यक्रम की तदनुरूपी वृद्धि की तुलना में काफी अधिक थी (सारणी IV.41)।

सारणी IV.40: वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति

क्रम सं.	विवरण	मार्च अंत की स्थिति के अनुसार 2010	2011	प्रगति: अप्रैल 10-मार्च 11
1	2	3	4	5
1	परिनियोजित किए गए कुल ग्राहक सेवा बिंदुओं की संख्या	33,042	58,361	25,319
2	शामिल किए गए कुल गांव	54,757	99,840	45,083
3	कवर किए गए गांव - जनसंख्या >2000	27,743	53,397	25,654
4	कवर किए गए गांव - जनसंख्या <2000	27,014	46,443	19,429
5	शाखाओं के माध्यम से कवर किए गए गांव	21,499	22,684	1,185
6	कारोबार संपर्की के माध्यम से कवर किए गए गांव	33,158	76,801	43,643
7	अन्य माध्यमों (मोबाइल वैन और एटीएम) से कवर किए गए गांव	100	355	255
8	कारोबार संपर्की के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	423	3,653	3,230
9	कवर किए गए कुल हाउसहोल्डों की संख्या (मिलियन में)	50	75	25
10	कवर किए गए कुल ग्रामीण घरों की संख्या (मिलियन में)	4,895	6,566	1,652
11	नो फ्रिल खातों की संख्या (मिलियन में)	.13	4	4
12	नो फ्रिल खातों में राशि (करोड़ रुपयों में)	8	199	190
13	ओडी सहित नो फ्रिल खातों की संख्या (मिलियन में)	20	23	3
14	ओडी सहित नो फ्रिल खातों में राशि (करोड़ रुपयों में)	1,07,519	1,43,862	36,343
15	बकाया जीसीसी की संख्या (मिलियन में)	.6	1	.4
16	बकाया जीसीसी की राशि (करोड़ रुपयों में)	814	1,308	494

सारणी IV.41: व्यष्टि वित्त कार्यक्रमों की प्रगति

(मार्च को समाप्त)

मद	स्व सहायता समूह					
	संख्या (मिलियन में)			राशि (करोड़ रुपये में)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा संवितरित उधार	1.61(0.26)	1.59(0.27)	1.20(0.24)	12,254(2,015)	14,453(2,198)	14,547(2,480)
बैंकों के पास बकाया उधार	4.22(0.98)	4.85(1.25)	4.79(1.29)	22,680(5,862)	28,038(6,251)	31,221(7,829)
बैंकों के पास बचतें	6.12(1.51)	6.95(1.69)	7.46(2.02)	5,546(1,563)	6,199(1,293)	7,016(1,817)
	व्यष्टि वित्त संस्थाएं*					
	संख्या (मिलियन में)			राशि (करोड़ रुपये में)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा संवितरित उधार	581	691	469	3,732	8,063	7,605
बैंकों के पास बकाया उधार	1,915	1,513	2,176	5,009	10,148	10,689

*: बैंक ऋण लेने वाली सूक्ष्म -वित्त संस्थाओं की वास्तविक संख्या एक से अधिक बैंकों से ऋण का लाभ उठाने वाली सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के कारण कम होगी।
टिप्पणी: 1) कोष्ठक के आंकड़े स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत आनेवाले एसएचजी संबंधी ब्यौरे दर्शाते हैं।
स्रोत: नाबार्ड

आंध्र प्रदेश व्यष्टि वित्त अधिनियम

4.105 आंध्र प्रदेश विधान सभा ने 14 दिसंबर 2010 को "अ बिल टू प्रोटेक्ट द विमेन सेल्फ हेल्प ग्रूप्स फ्राम एक्सप्लोइटेशन बाय द माइक्रो फाइनान्स इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड फॉर द मॅटर्स कनेक्टेड देयरविथ ऑर इंसिडेंटल देयरटू" नामक विधेयक पारित किया। इसने इसी मामले पर 15 अक्तूबर 2010 को जारी अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया। यह अधिनियम भारिबैं अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित व्यष्टि वित्त का कारोबार करने वाली सभी एनबीएफसी पर लागू है। इस विधेयक में अन्य के साथ ही निम्नलिखित बातें निर्धारित की गयी हैं: (i) प्रत्येक एमएफआई को जिले के पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत करना होगा, (ii) किसी एसएचजी का सदस्य एक से अधिक एसएचजी का सदस्य नहीं बन सकता, (iii) बकाया बैंक ऋण की स्थिति में कोई भी एमएफआई किसी एसएचजी/उसके सदस्यों को पंजीकरण प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना और ऋण नहीं दे सकती, (iv) सभी चुकौतियां ग्राम पंचायत या किसी नामित सार्वजनिक स्थल में करनी होंगी, (v) एमएफआई वसूली के लिए एजेंटों का उपयोग या वसूली के दमनकारी माध्यम का उपयोग नहीं कर सकती और (vi) ऋण वसूली मासिक किस्तों के आधार पर ही की जानी है।

4.106 यदि राज्य सरकारें पहले रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित एमएफआई के विनियमन के लिए अपने स्वयं के विधान बनाना शुरू करती हैं तो विनियमों का दोहराव हो सकता है जिससे विनियामक समस्या आ सकती है। एनबीएफसी के विनियमन का दायित्व रिज़र्व बैंक को सौंपा गया है जिससे उसे एनबीएफसी-एमएफआई के विनियमन के अधिकार मिले हैं। यदि अन्य राज्य भी आंध्र प्रदेश जैसे अपने विधान बनाते हैं तो न सिर्फ दोहरे विनियमन की समस्या आयेगी बल्कि ग्राहक सुरक्षा की समस्या आयेगी क्योंकि तब उधारकर्ताओं पर विविध विनियमन लागू हो जाएंगे। यदि अलग-अलग राज्यों में एनबीएफसी-एमएफआई के विनियमन के अलग-अलग विधान बनते हैं तो एक से अधिक राज्यों में कार्यरत एमएफआई का रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमन करना और भी कठिन हो जाएगा। इससे उन एमएफआई का कारोबार प्रभावित हो जाएगा जो एक से अधिक राज्यों में कार्यरत हैं।

12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

समामेलन से हाल के वर्षों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की संख्या कम हो गयी

4.107 वाणिज्य बैंकों की व्यावसायिकता और सहकारी संस्थाओं के ग्रामीण उन्मुखीकरण को जोड़कर आरआरबी का गठन किया गया

ताकि बैंकिंग क्षेत्र की समग्र वित्तीय सुदृढ़ता को प्रभावित किये बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऋण प्रवाह को सुधारा जा सके। आरआरबी के प्रायोजक वाणिज्य बैंक के साथ केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारें होती हैं। आरआरबी की वित्तीय सुदृढ़ता सुधारने के लिए उनके निरंतर पुनर्गठन तथा समामेलन के कारण उनकी संख्या 2000 के आरंभ के 196 से कम होकर 82 रह गयी। हाल के वर्षों में अनेक आरआरबी का पुनर्पूंजीकरण भी किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक ऋण दे सकें।

4.108 आरआरबी के समग्र जमाराशि संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में वृद्धि हुई। यह वृद्धि विशेष रूप से बचत जमाराशि के संदर्भ में मुखर थी जिसके बाद चालू खाते का स्थान था। आरआरबी के उधार में भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में वृद्धि हुई जिसका कारण प्रायोजक बैंक, नाबार्ड और अन्य से अधिक उधार था। आस्ति पक्ष में रिज़र्व बैंक में आरआरबी का शेष पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में बढ़ गया (सारणी IV.42)।

4.109 आरआरबी का निवल लाभ पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में बढ़ गया। परिचालन लाभ में गिरावट के बावजूद प्रावधानीकरण और आकस्मिक व्यय में गिरावट के चलते निवल लाभ में वृद्धि हुई। किंतु निरपेक्ष संदर्भ में निवल लाभ में वृद्धि के बावजूद आस्ति पर प्रतिलाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में गिरावट आयी। आरआरबी की प्रति शाखा लाभप्रदता और प्रति कर्मचारी लाभप्रदता में भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में वृद्धि हुई (सारणी IV.43)।

4.110 यह महत्त्वपूर्ण बात है कि 2010-10 में आरआरबी के कुल ऋण का 80 प्रतिशत से अधिक भाग प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से जुड़ा था। 2010-11 में आधे से अधिक ऋण कृषि क्षेत्र को मिला था हालांकि कुल ऋण में कृषि ऋण का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कुछ कम हो गया था। कृषि के भीतर उधार का लगभग 74 प्रतिशत भाग फसल ऋण था। कृषेतर क्षेत्र में 2010-11 में अधिकतर ऋण अन्य प्रयोजनार्थ दिया गया था (सारणी IV.44)।

सारणी IV.42: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़
		2009-10	2010-11अ	
1	2	3	4	5
1	**शेयर पूंजी**	**197**	**197**	**-**
2	**आरक्षित निधियां**	**8,065**	**9,582**	**18.8**
3	**शेयर पूंजी जमा**	**3,985**	**4,060**	**1.9**
4	**जमाराशियां**	**1,45,035**	**1,66,232**	**14.6**
	4.1 चालू	8,065	9,190	13.9
	4.2 बचत	75,906	91,136	20.0
	4.3 सावधि	61,064	65,906	7.9
5	**से उधार**	**18,770**	**26,491**	**41.1**
	5.1 नाबार्ड	12,500	15,240	21.9
	5.2 प्रायोजक बैंक	6,186	9,602	55.2
	5.3 अन्य	84	1,649	1,863.0
6	**अन्य देयताएं**	**8,041**	**8,797**	**9.4**
	कुल देयताएं / आस्तियां	**1,84,093**	**2,15,359**	**17.0**
7	**नकदी**	**1,784**	**2,119**	**18.8**
8	**आरबीआइ के पास शेष**	**8,145**	**9,853**	**21.0**
9	**अन्य बैंक शेष**	**39,102**	**44,080**	**12.7**
10	**निवेश**	**47,289**	**55,280**	**16.9**
11	**ऋण और अग्रिम (निवल)**	**79,157**	**94,715**	**19.7**
12	**अचल आस्तियां**	**379**	**457**	**20.6**
13	**अन्य आस्तियां #**	**8,237**	**8,855**	**7.5**
	ज्ञापन मद			
1	ऋण - जमा अनुपात	57.1	59.69	
2	निवेश -जमा अनुपात	32.6	55.48	
3	(ऋण + निवेश) - जमा अनुपात	87.2	115.17	

अः अनंतिम।
#: संचित हानि सहित।
- : नही नगण्य।
स्रोत: नाबार्ड ।

13. स्थानीय क्षेत्र के बैंक

स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की आस्तियों में कम वृद्धि दर्ज हुई

4.111 स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का बहुत छोटा घटक हैं। छोटे आकार के होने के बावजूद इन संस्थाएं स्थानीय उन्मुख हैं जिससे वे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से आने वाले स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं बेहतर रूप से पूरी कर सकते हैं। इस समय भारत में चार एलएबी कार्यरत हैं जिनमें से एक एलएबी नामत: कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि. के पास सभी एलएबी की कुल आस्तियों का दो तिहायी से अधिक भाग है।

4.112 एलएबी की कुल आस्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कम वृद्धि हुई। समग्र गिरावट के अनुरूप एलएबी के

सारणी IV.43: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये से)

क्र. स.	मद	2009-10 (82)	2010-11अ (82)	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5
क.	**आय (i + ii)**	**13,835**	**16,220**	**17.2**
	i ब्याज आय	12,945	15,225	17.6
	ii अन्य आय	890	995	11.8
ख.	**खर्च (i+ii+iii)**	**11,951**	**14,232**	**19.1**
	i खर्च किया गया ब्याज	7,375	8,612	16.8
	ii परिचालन व्यय	3,547	4,905	38.3
	जिसमें से: वेतन बिल	2,676	3,825	42.9
	iii प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1,029	715	(-)30.5
ग.	**लाभ**			
	i परिचालन लाभ	2,913	2,703	(-)7.2
	ii निवल लाभ	1,884	1,988	5.5
ङ	**कुल आस्तियां**	**1,84,093**	**2,15,359**	**17.0**
च.	**वित्तीय अनुपात**			
	i परिचालन लाभ	1.7	1.3	
	ii निवल लाभ	1.1	0.9	
	iii आय (क+ख)	8.3	7.5	
	क) ब्याज आय	7.7	7.1	
	ख) अन्य आय	0.5	0.5	
	iv व्यय (क+ख+ग)	7.1	6.6	
	क) खर्च किया गया ब्याज	4.4	4.0	
	ख) परिचालन व्यय	2.1	2.3	
	जिसमें से: वेतन बिल	1.6	1.6	
	ग) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.6	0.3	

अं: अनंतिम

टिप्पणी: 2. वित्तीय अनुपात औसत कुल आस्तियों के संबंध में हैं।
3. कोष्ठक के आंकड़े आरआरबी की कुल संख्या दर्शाते है।

स्रोत: नाबार्ड।

सकल अग्रिम की पिछले वर्ष की 22 प्रतिशत की वृद्धि दर 2010-11 में कम होकर 21 प्रतिशत रह गयी। इसके विपरीत जमाराशि संग्रह वृद्धि पिछले वर्ष के 20 प्रतिशत से थोड़ी बढ़कर 2010-11 में 22 प्रतिशत हो गयी (सारणी IV.45)।

4.113 एलएबी की आस्ति वृद्ध में गिरावट आने के बावजूद उनका आस्तियों पर प्रतिलाभ 2009-10 के 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 1.8 प्रतिशत हो गया जिसका मुख्य कारण निवल ब्याज आय में वृद्धि होना था। प्रावधानीकरण और आकस्मिक व्यय में 2010-11 में उच्च वृद्धि होने के बावजूद निवल लाभ में हुई वृद्धि परिचालन लाभ वृद्धि से कम थी (सारण IV.46)।

14. निष्कर्ष

बैंकों के निष्पादन में सुधार हुआ किंतु अब भी चिंताएं बनी हुई हैं

4.114 सिंहावलोकन से पता चलता है कि परिचालनात्मक वातावरण की आवश्यकता के बावजूद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने

सारणी IV.44: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण का प्रयोजन-वार वितरण

(राशि करोड़ रुपये में)

प्रयोजन	मार्च को समाप्त	
	2010	2011अ
1 2	3	4
I कृषि (i से iii)	**46,282**	**55,067**
	(55.9)	(54.9)
i अल्पकालिक कर्ज (फसल ऋण)	33,663	40,663
ii मीयादी ऋण (कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए)	12,619	14,404
iii अप्रत्यक्ष अग्रिम	-	-
II कृषि से इतर (i से iv)	**36,537**	**45,231**
	(44.1)	(45.1)
i ग्रामीण कारीगर	810	881
ii अन्य उद्योग	1,598	2,625
iii खुदरा व्यापार	5,234	5,082
iv अन्य प्रयोजन	28,895	36,643
कुल (I+II)	**82,819**	**1,00,298**
ज्ञापन मदें:		
(क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	68,823	82,643
(ख) गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	13,956	17,655
(ग) कुल ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा	83.1	82.4

अ : अनंतिम
- : नही नगण्य।

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े कुल ऋण में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

स्रोत: नाबार्ड

2010-11 में हाल के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रसारित अनुवर्ती प्रभाव से निरंतर पुनरुज्जीवन दर्शाया है। यह अन्य बातों के साथ ही उच्च ऋण वृद्धि, जमाराशि वृद्धि, आस्ति पर बेहतर प्रतिलाभ, सुदृढ़ सीआरएआर और जीएनपीए अनुपात में सुधार में देखा जा सकता है। किंतु सकारात्मक बातों के बावजूद भारतीय बैंकिंग में कुछ चिंताएं निरंतर बनी हुई हैं।

कार्यकुशलता में और सुधार की आवश्यकता है

4.115 विशेष रूप से उच्च प्रतियोगिता और उच्च ब्याज दर वातावरण में लाभप्रदता बनाये रखना एक चुनौती ही है। फिर भी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में आस्ति पर प्रतिलाभ में कुछ सुधार किया। किंतु विस्तृत विश्लेषण दर्शाता है कि एनआईएम, जो कि कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में पहले से ही अधिक है, में और वृद्धि हुई। इस प्रकार कार्यकुशलता और लाभप्रदता के हित में एनआईएम कम करने, "अन्य आय" बढ़ाने और परिचालन व्यय कम करने की आवश्यकता है।

सारणी IV.45: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की प्रोफ़ाइल

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक	आस्तियां		जमा		सकल अग्रिम	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	651	750	532	648	347	420
	(68.8)	(67.8)	(72.2)	(72.2)	(65.0)	(65.2)
कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	127	158	101	122	84	100
	(13.4)	(14.3)	(13.7)	(13.6)	(15.7)	(15.5)
कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	120	138	75	93	78	88
	(12.7)	(12.5)	(10.2)	(10.4)	(14.6)	(13.7)
सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	48	61	29	34	25	36
	(5.1)	(5.5)	(3.9)	(3.8)	(4.7)	(5.6)
सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक	**946**	**1,107**	**737**	**897**	**534**	**644**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।.
स्रोत: परोक्ष विवरणियों (देशी) पर आधारित है।

आस्ति-गुणवत्ता की सूक्ष्म निगरानी आवश्यक है

4.116 नीतिगत दरों में निरंतर वृद्धि के बीच आस्ति-गुणवत्ता बनाये रखना चुनौतीपूर्ण कार्य था। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में जीएनपीए अनुपात में सुधार होने के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति-गुणवत्ता संबंधी कुछ चिंताएं निरंतर बनी रहीं। पिछले दो वर्षों के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में बट्टा खाते डालने का अनुपात अधिक रहा है जो लाभप्रदता की कीमत पर तुलनपत्र की स्थिति अच्छी दर्शाने का प्रयास है। इसके अलावा पुनर्गठित मानक खातों के संबंध में हमेशा चिंता बनी रही है, अर्थात यह कि उनमें से कितने पुन: एनपीए श्रेणी में चले जाएंगे। साथ ही एक चिंता यह भी है कि 2010-11 में देशी बैंकों के कुल वृद्धिशील एनपीए का एक बड़ा भाग कृषि के एनपीए से आया था।

सारणी IV.46: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये)

विवरण	2009-10	2010-11	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4
क. आय (i+ii)	**104**	**124**	**19.2**
i) ब्याज आय	86	107	24.4
ii) अन्य आय	18	17	-5.6
ख. खर्च (i+ii+iii)	**91**	**105**	**15.4**
i) खर्च किया गया ब्याज	51	55	7.8
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	8	13	62.5
iii) परिचालन व्यय	32	37	15.6
जिसमें से:			
वेतन बिल	14	17	21.4
ग. लाभ			
i) परिचालन लाभ / हानि	**21**	**32**	**52.4**
ii) निवल लाभ / हानि	**13**	**19**	**46.2**
घ. निवल ब्याज आय	**35**	**52**	**48.6**
ङ. कुल आस्तियां	**946**	**1,107**	**17.0**
च. वित्तीय अनुपात			
i) परिचालन लाभ	2.4	3.1	
ii) निवल लाभ	1.5	1.9	
iii) आय	12.0	12.1	
iv) ब्याज आय	9.9	10.4	
v) अन्य आय	2.1	1.7	
vi) व्यय	10.5	10.2	
vii) खर्च किया गया ब्याज	5.9	5.4	
viii) परिचालन व्यय	3.7	3.6	
ix) वेतन बिल	1.6	1.7	
x) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.9	1.3	
xi) स्प्रैड (निवल ब्याज आय)	4.0	5.1	

टिप्पणी: 'च' के तहत सभी अनुपात कुल औसत आस्तियों के संबंधित हैं।
स्रोत: ऑफ -साइट विवरणियों (घरेलू) पर आधारित ।

वित्तीय समावेशन को और सुदृढ़ करने का कार्य जारी रखने की आवश्यकता है

4.117 बैंकिंग क्षेत्र द्वारा किये गये प्रयासों के बावजूद वित्तीय समावेशन में कमी रहना गंभीर मामला है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगामी वर्षों में इस मामले को सुलझाने पर बैंकिंग क्षेत्र को अधिक ध्यान देना होगा। इसके साथ ही उन बाधाओं पर ध्यान देना भी आवश्यक है जो कि हाल के वर्षों में बैंकिंग सेवाएं देते समय देखी गयी थीं। इनमें अन्य बातों के अलावा शाखाओं की तुलना में बीसी के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना, अब तक बैंक रहित रहे क्षेत्र में नयी शाखाएं खोलने का कम प्रतिशत, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खोली गयी शाखाओं का कम प्रतिशत और ओवरड्राफ्ट वाले "नो फ्रील्स" खातों का कम प्रतिशत।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने की आवश्यकता है

4.118 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के वर्तमान कारोबारी दृश्य की एक असंतोषजनक विशेषता यह है कि बैंकिंग कारोबार कुछ ही महानगरीय केंद्रों में संकेंद्रित हो गया है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का लगभग आधा बैंकिंग कारोबार शीर्ष 6 महानगरीय केंद्रों में संकेंद्रित हो गया है। अधिक चेतावनीपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों का ऋण अनुपात बहुत कम है। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी, पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्र बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता और उनके उपयोग में काफी पीछे हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी, पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे ऋण-जीडीपी अनुपात, जो कि भारत जैसे अन्य देशों की तुलना में भारत में कम स्तर पर है, के संदर्भ में ऋण पहुंच बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को अधिक ऋण वृद्धि ऋण गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है

4.119 अर्थव्यवस्था में ऋण तेजी का कोई सबूत न होने के बावजूद एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, निजी ऋण और स्थावर संपदा जैसे कुछ क्षेत्रों में देखी गयी उच्च ऋण वृद्धि के कारण निगरानी आवश्यक हो गयी है। एनबीएफसी को ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई जिसकी सावधानीपूर्वक निगरानी आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण में भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में उच्च वृद्धि हुई किंतु इसका मुख्य कारण दूरसंचार कंपनियों को 3जी स्पेक्ट्रम नीलामी में सहभागी होने के लिए दिया गया ऋण था। इस प्रकार यह आगामी वर्षों में कम होने की संभावना है। फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण और निजी ऋण में देखी गयी वृद्धि बैंकिंग क्षेत्र के लिए जोखिमपूर्ण है क्योंकि ये ऋण आस्ति देयता असंतुलन बढ़ा सकते हैं। इन्हीं कारणों से वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण में हुई वृद्धि पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है।

बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य पूरा करने की आवश्यकता है

4.120 दूसरी ओर 2010-11 के दौरान प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य और कृषि क्षेत्र के अग्रिमों का लक्ष्य पूरा न होना अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र को समान ऋण वितरण की दृष्टि से चिंता उभारता है। बैंक समूहों ने रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य समग्र स्तर पर पूरे करने के बावजूद बैंक स्तर पर ऐसे अनेक बैंक हैं जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए समग्र रूप से निर्धारित उधार और कृषि ऋण का लक्ष्य पूरा करने में समर्थ नहीं थे। कृषि उधार का लक्ष्य पूरा न कर सकने वाले बैंकों की उच्च संख्या चिंता उभारती है क्योंकि भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग उनकी जीविका के लिए अब भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है।

वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग की आवश्यकता है

4.121 परिचालन पक्ष में, बैंकिंग सेवाएं देने में एटीएम से प्राप्त सुविधा के बावजूद डेबिट कार्ड का प्रयोग निरंतर कम बना रहा क्योंकि 30 प्रतिशत जमा खाताधारकों के पास ही डेबिट कार्ड थे। क्रेडिट कार्ड के प्रयोग की स्थिति बदतर थी क्योंकि 2 प्रतिशत से भी कम जनसंख्या के पास क्रेडिट कार्ड थे। इसके अलावा बकाया क्रेडिट कार्डों की संख्या में भी हाल के वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी। ये प्रौद्योगिकीय साधन बैंकिंग सेवाओं की गति और गुणवत्ता बढ़ाते हैं, अत: देश में कार्डों का प्रयोग बढ़ाना आवश्यक है।

बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता है

4.122 बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता एक अन्य क्षेत्र है जिसमें निरंतर सुधार करने की आवश्यकता है ताकि औपचारिक बैंकिंग माध्यम में अधिकाधिक ग्राहकों को लाया जा सके। यह एक स्वागत योग्य बात है कि समग्र स्तर पर विभिन्न बैंकिंग लोकपालों के कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में गिरावट आयी है। किंतु विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के नये बैंकों को डीएसए द्वारा दी जा रही सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने की आवश्यकता है क्योंकि डीएसए संबंधी प्राप्त 90 प्रतिशत से अधिक शिकायतें इन बैंकों से संबंधित थीं। इसके अलावा इन दो बैंक समूहों को ग्राहकों पर लगाये जाने वाले प्रभारों की जानकारी उन्हें देकर पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए। इसका कारण यह है कि छुपे प्रभारों संबंधी अधिकतर शिकायतें भी

इन्हीं दो बैंक समूहों के विरुद्ध प्राप्त हुई थीं। पीसीबी द्वारा जिस क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता है वह है पेंशन संबंधी सेवाएं। सामान्यत: सभी बैंक समूहों ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड प्रस्तावित करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि लगभग एक चौथाई शिकायतें कार्डों से ही संबंधित थीं।

विदेशी बैंकों के परिचालनों की समीक्षा की आवश्यकता है

4.123 इस समय एक मामला जो चिंताएं उत्पन्न करता है वह विदेशी बैंकों के परिचालनों का है। यह वस्तुस्थिति है कि इन बैंकों की उपस्थिति मुख्यत: महानगरीय क्षेत्रों में ही है जिससे विशेष रूप से बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं देने में इनकी भूमिका सीमित है। इसके अलावा यह भी वस्तुस्थिति है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का इनका लक्ष्य कम होने के बाद भी इनमें से बहुत से बैंक इसे पूरा नहीं कर पाते हैं। साथ ही निर्यात ऋण का निर्धारित लक्ष्य भी इनमें से बहुत से बैंक पूरा नहीं कर पाते। अन्य पक्ष में संवेदनशील क्षेत्र को ऋण, विशेष रूप से स्थावर संपदा को ऋण अधिक था। इसके अतिरिक्त विदेशी बैंकों का तुलनपत्रेतर एक्सपोजर विशेष रूप से अधिक था जो कि प्रणालीगत जोखिम उभारता है।

4.124 निष्कर्ष के रूप में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सामना किये जा रहे मामलों पर ध्यान केंद्रित करना अर्थव्यवस्था में वृद्धि और साम्यता प्राप्ति के व्यापक हित में अनिवार्य है। ये मामले सुलझ जाने के बाद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में और गहन और सुदृढ़ होने की क्षमता है। इन मामलों पर अधिक ध्यान देने से अर्थव्यवस्था का बेहतर वित्तीयकरण होने में सहायता मिलेगी जिससे मध्यावधि से दीर्घावधि में व्यापक-आधारित आर्थिक वृद्धि होगी।

अध्याय - V

सहकारी बैंकिंग की गतिविधियां

वर्ष 2010-11 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ, तथापि, चिंता की बात है कि कुछ शहरी सहकारी बैंक ऋणात्मक सीआरएआर दर्ज कर रहे हैं। ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) ने लाभ दर्ज किया है, किंतु बुनियादी संस्थाएं अर्थात् प्राथमिक कृषि ऋण समितियां लगातार अत्यधिक हानि उठा रही हैं। दीर्घावधिक सहकारी संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन अल्पावधिक सहकारी संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन की तुलना में और अधिक कमज़ोर पाया गया। साथ ही, यह भी पाया गया कि सहकारी समितियों का शाखा नेटवर्क देशभर फैला हुआ है, किंतु वह कुछ ही क्षेत्रों में संकेंद्रित रहा है। इसके अलावा, सहकारी संस्थाओं का नेटवर्क देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापक स्तर पर उपलब्ध नहीं है। इससे देश के पूर्वोत्तर भाग में बैंकिंग के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता प्रकट होती है, साथ ही साथ, बुनियादी सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना ज़रूरी प्रतीत होता है।

1. परिचय

5.1 कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों, लघु उद्योगों और स्वनियोजित कामगारों को वित्तीय मध्यस्थता सेवा मुहैया कराकर सहकारी बैंकिंग क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चूंकि देश के कोने-कोने में सहकारी बैंकों का नेटवर्क फैला हुआ है, अतः इन संस्थाओं को दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क की परिधि में लाने का एक सुसाध्य साधन के रूप में देखा जाता है। तथापि, आम तौर पर सहकारी बैंकों और विशेष रूप से बुनियादी सहकारी संस्थाओं की खराब वित्तीय स्थिति एक अड़चन बनी हुई है, अतः इन संस्थाओं के व्यापक नेटवर्क का पूरा लाभ उठाने के लिए इन अड़चनों को दूर करने की ओर ध्यान देना ज़रूरी है।

शहरी सहकारी बैंकों और वाणिज्य बैंकों के बीच अंतर्संबद्धता में वृद्धि

5.2 नवंबर 2010 से भारतीय वित्तीय नेटवर्क (आईएनएफआईएनईटी) और तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) की परिधि में शहरी सहकारी बैंकों को शामिल किए जाने के बाद हाल के वर्षों में सहकारी बैंकों को वित्तीय क्षेत्र में एकीकृत करने की गति में तेज़ी आई है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक के वर्ष 2010-11 के वार्षिक नीति वक्तव्य में वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों को तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) में शामिल करने और शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कतिपय मानदंडों को पूरा किए जाने पर उन्हें इंटरनेट बैंकिंग माध्यम की सुविधा दिये जाने की बात बताई गई है। इस प्रकार सहकारी क्षेत्र की वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र के साथ अंतर्संबद्धता की वजह से संक्रमण के बढ़ने का जोखिम है जो इन संस्थाओं की कमज़ोर वित्तीय स्थिति के चलते तमाम वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकता है।

5.3 भारत की सहकारी संरचना को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) शहरी इलाकों में सेवा मुहैया कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण सहकारी संस्थाएं देश के ग्रामीण इलाकों में परिचालन कर रही हैं। मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार देश में 1,645 शहरी सहकारी बैंक परिचालन कर रहे थे, जिनमें से अधिकांश बैंक गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक थे। जहां अधिकांश शहरी सहकारी बैंक एक ही राज्य में परिचालनरत हैं वहीं कुल 42 ऐसे शहरी सहकारी बैंक हैं जो एक से अधिक राज्यों में परिचालन कर रहे हैं।

5.4 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को अल्पावधिक और दीर्घावधिक संरचनाओं में बांटा गया है। अल्पावधिक सहकारी क्षेत्र की संरचना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) है, जो शीर्ष स्तरीय संस्थाओं के रूप में कार्य करता है। ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) ज़िला के स्तर पर कार्य करता है और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) बुनियादी स्तर पर कार्य करती हैं। इसी प्रकार, राज्य के स्तर पर परिचालित राज्य सहकारी

कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और ज़िला/खंड के स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) दीर्घावधिक ऋण देने वाली सहकारी संस्थाएं हैं (चार्ट V.1)

5.5 शहरी सहकारी बैंकों की बैंकिंग संबंधी गतिविधियां रिज़र्व बैंक के नियंत्रणाधीन हैं, जबकि जहाँ तक पंजीकरण और प्रबंधन संबंधी गतिविधियों का संबंध है, एकल राज्य में परिचालित शहरी सहकारी बैंक सहकारी समिति रजिस्ट्रार (आरसीएस) के नियंत्रणाधीन हैं और बहु राज्य शहरी सहकारी बैंक केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार के नियंत्रणाधीन हैं। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की संरचना और भी जटिल है, क्योंकि उनकी बैंकिंग संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करने की ज़िम्मेदारी रिज़र्व बैंक और नाबार्ड पर है, जबकि उनकी पंजीकरण/प्रबंधन संबंधी गतिविधियों को सहकारी समिति रजिस्ट्रार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तथापि, हाल के वर्षों में रिज़र्व बैंक ने उनके दोहरे नियंत्रण संबंधी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत केंद्र/राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ दोहरे नियंत्रणों से पैदा होने वाले मुद्दों को दूर करने हेतु राज्य के स्तर पर शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल (टीएएफसीयूबी) का गठन करना शामिल है।

5.6 इस अध्याय को पांच भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें भारत में सहकारी बैंकों के परिचालन और कार्य-निष्पादन का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। भाग-1 में परिचय और भारत में सहकारी क्षेत्र का एक व्यापक सिंहावलोकन शामिल है। भाग-2 और 3 में क्रमशः 2011 में शहरी सहकारी बैंकों के कारोबारी परिचालन और कार्य-निष्पादन तथा 2009-10 में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के कारोबारी परिचालन और कार्य-निष्पादन पर प्रकाश डाला गया है[1]। भाग-4 में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के पुनर्जीवन के संबंध में नाबार्ड द्वारा हाल में की गई पहल का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। भाग-5 में इस अध्याय में प्रस्तुत किए गए विश्लेषण के आधार पर व्यक्त किए गए विचारों का वर्णन किया गया है[2]।

चार्ट V.1 : भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

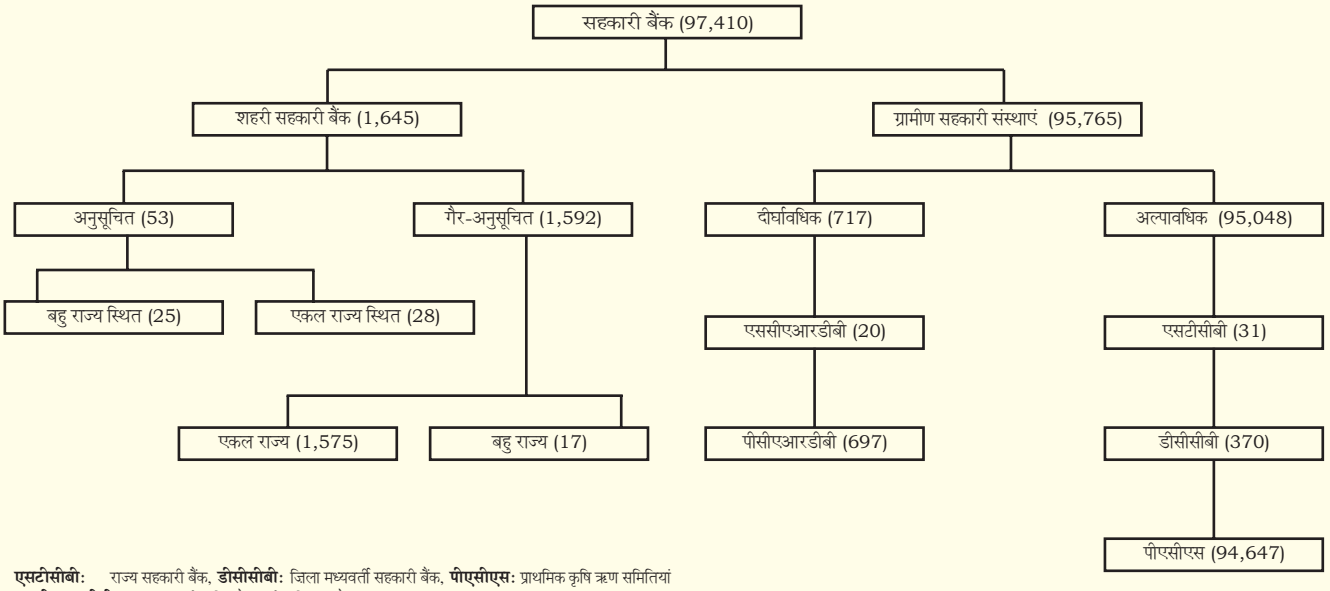

एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंक, **डीसीसीबी:** जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, **पीएसीएस:** प्राथमिक कृषि ऋण समितियां
एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
नोट: 1. कोष्ठकों में दिए गए अंक मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों की संख्या और मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की संख्या को दर्शाते हैं।
2. ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के लिए दर्शाई गई संख्या, रिपोर्ट करने वाली सहकारी संस्थाओं की है।

[1] चूंकि एक वर्ष के समय अंतराल पर ग्रामीण सहकारी संस्थाओं से संबंधित आंकड़े उपलब्ध होते हैं।

[2] इस अध्याय में रिज़र्व बैंक के शहरी बैंक विभाग (शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में), नाबार्ड (पीएसीएस को छोड़कर ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के संबंध में) और राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय महासंघ या एनएएफएससीओबी (पीएसीएस के संबंध में) से जुटाए गए आंकड़े के आधार पर सहकारी बैंकों के परिचालन और कार्य-निष्पादन का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

2. शहरी सहकारी बैंक[3]

शहरी सहकारी बैंकों का स्वरूप

विलय/अभिग्रहण के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों का समेकन कार्य प्रगति पर है

5.7 शहरी सहकारी बैंक समाज के बड़े वर्ग को, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में बैंकिंग सेवा प्रदान करने की महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 1991-2004 की अवधि में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र ने संभवतः सुधार के बाद वाली अवधि में उदारीकृत नीति के परिवेश में मिले प्रोत्साहन के चलते काफी वृद्धि हासिल की। साथ ही साथ, शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में अनेक संस्थाएं कमज़ोर और अलाभकारी हो गईं, जिससे वे जनता में अपना विश्वास खो बैठीं और इससे इस क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिम पैदा होने लगा। इस क्षेत्र की जटिलता को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित अपने विज़न दस्तावेज, 2005 में विशेषकर शहरी सहकारी बैंकों के पुनर्जीवन और मज़बूती की दृष्टि से एक बहु-स्तरीय विनियामक व पर्यवेक्षी दृष्टिकोण का प्रस्ताव किया। उपर्युक्त विज़न दस्तावेज में रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र के लाभकारी संस्थाओं के विलय/समामेलन और अलाभकारी संस्थाओं को निर्बाध रूप से बंद करने संबंधी प्रस्ताव पेश किया है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में चल रही समेकन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या में गिरावट आई है।

शहरी सहकारी बैंकों का ग्रेडवार वर्गीकरण

5.8 शहरी सहकारी बैंकों को सीआरएआर, निवल एनपीए और लाभ/हानि के पूर्ववृत्त जैसे कतिपय मानदंडों के अनुसार उनके वित्तीय निष्पादन के आधार पर चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यथा- ग्रेड I, II, III और IV। ग्रेड I और II के रूप में वर्गीकृत शहरी सहकारी बैंक ग्रेड III और IV के बैंकों की तुलना में मज़बूत माने जाते हैं।

ग्रेड I और II के शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कारोबार के हिस्से में बढ़ोतरी

5.9 शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की विद्यमान समेकन प्रक्रिया के अंतर्गत वित्तीय दृष्टि से लाभकारी बैंकों में विलय/अभिग्रहण और गैर-लाभकारी बैंकों को बंद किए जाने से हाल के वर्षों में ग्रेड I और II के शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल शहरी सहकारी बैंकों में ग्रेड I और II के बैंकों का प्रतिशत 82 था, जबकि मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल शहरी सहकारी बैंकों में उनका हिस्सा 80 प्रतिशत था। तथापि, 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में ग्रेड I वर्ग के शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिशत में मामूली गिरावट आई।

5.10 पिछले कुछ समय में वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों को मिलने वाले बैंकिंग कारोबार के हिस्से में भी बढ़ोतरी हुई। हाल के वर्षों में कुल जमा-राशि और अग्रिम में ग्रेड I और II के शहरी सहकारी बैंकों के हिस्से में हुई वृद्धि से यह बात स्पष्ट होती है। मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों की कुल जमा-राशि और अग्रिमों में ग्रेड I और II के शहरी सहकारी बैंकों का समेकित हिस्सा क्रमशः 89.5 और 89.9 प्रतिशत रहा।

आस्ति और कारोबार की मात्रा के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का स्वरूप

बड़े शहरी सहकारी बैंकों को अधिक कारोबार की प्राप्ति

5.11 आस्ति, जमा-राशि और अग्रिम की मात्रा के अनुसार शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के निष्पादन के विश्लेषण से भी यही साबित हुआ कि जिन शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति की मात्रा अधिक है, उन्हें अधिक कारोबार प्राप्त हुआ है। वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मात्रा में आस्ति रखने वाले बैंकों (25 करोड़ रुपये से अधिक की आस्ति) के कारोबार के प्रतिशत हिस्से में बढ़ोतरी हुई।

सारणी V.1 : शहरी सहकारी बैंकों की जमा-राशि और अग्रिमों का ग्रेडवार वर्गीकरण

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

ग्रेड	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या	कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत	जमा-राशि	कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत	अग्रिम दी हुई राशि	कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
I	845	51.3	1,34,691	63.5	86,916	63.7
II	497	30.2	55,130	26.0	35,701	26.2
III	172	10.5	10,206	4.8	6,487	4.8
IV	131	8.0	12,004	5.7	7,237	5.3
कुल	**1,645**	**100.0**	**2,12,031**	**100.0**	**1,36,341**	**100.0**

[3] इस भाग में 2011 के संबंध में प्रस्तुत आंकड़ा अनंतिम है।

बॉक्स V.1 : शहरी सहकारी बैंकों का विलय और समामेलन

कमज़ोर संस्थाओं का मज़बूत संस्थाओं के साथ विलय करने की प्रक्रिया के माध्यम से शहरी सहकारी संस्थाओं का समेकन कार्य फरवरी 2005 में जारी किए गए पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ दिशा-निर्देश के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। हालाँकि शहरी सहकारी बैंकों का विलय/समामेलन कार्य संबंधित राज्य सरकार के कार्य-क्षेत्र में आता है, फिर भी, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्व-अनुमोदन लेना ज़रूरी है। रिज़र्व बैंक विलय/अभिग्रहण संबंधी प्रस्तावों पर विचार करते समय जमाकर्ताओं के हितों और अभिग्रहणकर्ता बैंक की विलय के बाद की वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए विलय के वित्तीय पहलुओं तक ही अपना अनुमोदन सीमित रखता है।

अभिग्रहण के मामलों में अभिग्रहणकर्ता बैंक के वित्तीय मानदंड विलय के बाद निरपवाद रूप से विनिर्दिष्ट न्यूनतम विवेकपूर्ण व विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप अवश्य होने चाहिए। फरवरी 2005 में जारी किए गए दिशा-निर्देश के अलावा, रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2009 में मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार ऋणात्मक निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों के विलय/अभिग्रहण के संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी किया। नए दिशा-निर्देश के अनुसार रिज़र्व बैंक निम्नलिखित शर्तों के आधार पर समामेलन योजना पर भी विचार करेगा, (i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के अंतर्गत जमाकर्ताओं को भुगतान किया जाना (ii) अंतरिती बैंक द्वारा वित्तीय योगदान किया जाना (iii) बड़े जमाकर्ताओं द्वारा घाटा उठाने के लिए तैयार रहना।

विलय/अभिग्रहण की प्रक्रिया के अंतर्गत अभिग्रहणकर्ता बैंक को आरसीएस/सीआरसीएस और रिज़र्व बैंक को निश्चित सूचना प्रस्तुत करते हुए प्रस्ताव पेश करना होगा। रिज़र्व बैंक उस विलय योजना के गुण-दोषों की जांच करेगा और उसे आगे छानबीन और सिफारिश के लिए एक विशेषज्ञ समूह के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यदि रिज़र्व बैंक प्रस्ताव को उचित समझता है तो संबंधित सहकारी संस्था/आरसीएस/सीआरसीएस को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देता है। शहरी सहकारी बैंकों के विलय संबंधी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद जून 2011 (सारणी 1.1) के अंत की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक को विलय संबंधी 158 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 120 प्रस्तावों पर रिज़र्व बैंक ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। आरसीएस ने 95 विलय संबंधी अधिसूचना जारी की, जिसके अंतर्गत 8 ग्रेड I, 4 ग्रेड II, 17 ग्रेड III और 66 ग्रेड IV शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं। विलय/अभिग्रहण के संबंध में हुई वर्षवार प्रगति सारणी 1.1 में दर्शाई गई है।

सारणी 1.1 : विलय/अभिग्रहण में वर्षवार हुई प्रगति

वित्तीय वर्ष	रिज़र्व बैंक को प्राप्त प्रस्ताव	रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र	किए गए विलय (आरसीएस द्वारा अधिसूचित)
1	2	3	4
2005-06	24	13	4
2006-07	32	17	15
2007-08	42	28	27
2008-09	16	26	22
2009-10	26	17	13
2010-11	17	13	11
2011-12*	1	6	3
कुल	**158**	**120**	**95**

*: 30 जून 2011 तक

अब तक रिपोर्ट किए गए 95 विलयों में ऐसे 59 शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं, जिनकी निवल मालियत ऋणात्मक रही। सबसे अधिक विलय महाराष्ट्र (58) में हुए। उसके बाद गुजरात (16) और आंध्र प्रदेश (10) का क्रम रहा। विलय/अभिग्रहण की दिशा में राज्यवार हुई प्रगति का ब्योरा सारणी 1.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.2 : विलय/अभिग्रहण में हुई राज्यवार प्रगति

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	2	12	14	16	6	6	2	58
गुजरात	2	1	7	2	2	1	1	16
आंध्र प्रदेश	-	1	3	1	3	2	-	10
कर्नाटक	-	-	2	1	-	-	-	3
पंजाब	-	1	-	-	-	-	-	1
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	1	-	1
उत्तराखंड	-	-	1	1	-	-	-	2
छत्तीसगढ़	-	-	-	1	-	1	-	2
राजस्थान	-	-	-	-	2	-	-	2
कुल	**4**	**15**	**27**	**22**	**13**	**11**	**3**	**95**

चार्ट V.2: शहरी सहकारी बैंकों की संख्या का ग्रेडवार वर्गीकरण तथा कुल अग्रिमों और जमा-राशियों में उनका हिस्सा

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

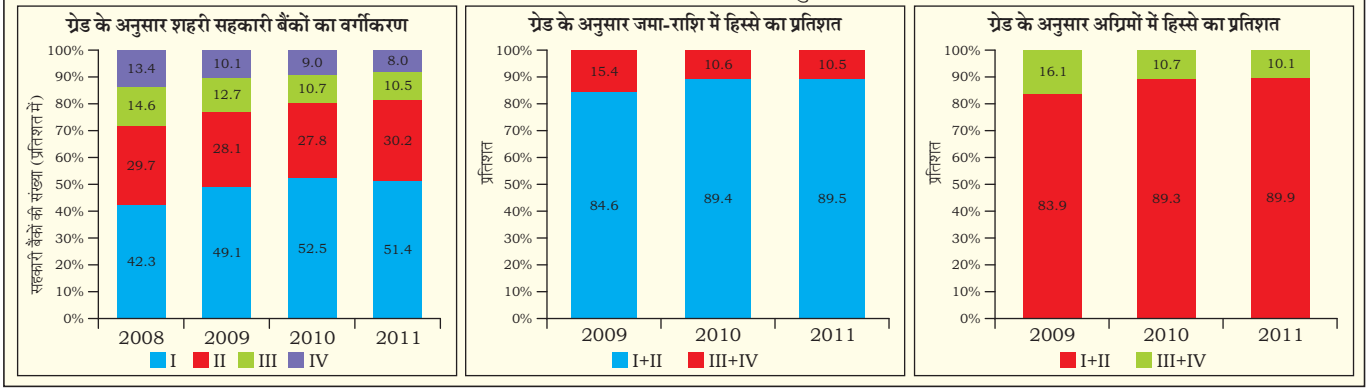

चार्ट V.3 : शहरी सहकारी बैंकों का बदलता स्वरूप

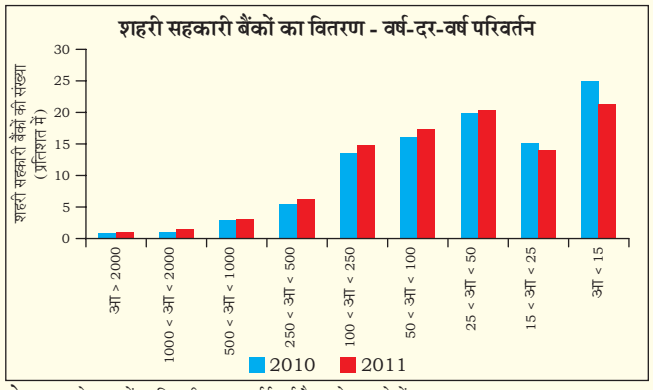

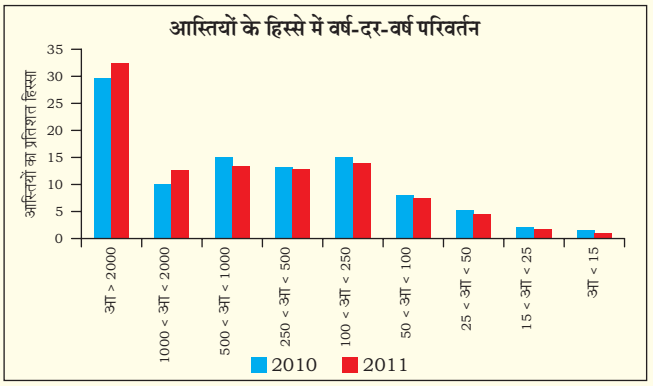

नोट: 'आ' के रूप में आस्ति की मात्रा दर्शाई गई है (करोड़ रुपये में)

परंतु, इसी अवधि में 25 करोड़ रुपये से कम आस्ति रखने वाले शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिशत हिस्से में गिरावट आई। आस्तियों के हिस्से की दृष्टि से भी कुल आस्ति में बड़ी मात्रा में आस्ति रखने वाले शहरी सहकारी बैंकों के हिस्से में वृद्धि हुई (चार्ट V.3)।

5.12 मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार 500 करोड़ रुपये से अधिक आस्ति आकार वाले शहरी सहकारी बैंकों की संख्या अन्य 6 आस्ति आकार वाली सहकारी सहकारी बैंकों की संख्या का लगभग 6 प्रतिशत थी जबकि इस क्षेत्र की कुल आस्तियों में इस आस्ति आकार वाले बैंकों का हिस्सा 59 प्रतिशत था। शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या में मध्यम आकार (100-500 करोड़ रुपये) की आस्ति वाले शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा 21 प्रतिशत था, जबकि कुल आस्ति के आकार में उनका हिस्सा 27 प्रतिशत था। इससे पता चलता है कि कुल आस्तियों में शेष 14 प्रतिशत हिस्सा छोटे आकार की आस्ति (15-100 करोड़ रुपये) वाले शहरी सहकारी बैंकों का था, जिनका शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या में लगभग 73 प्रतिशत हिस्सा था (चार्ट V.4)।

5.13 जमा-राशि और अग्रिम के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों के वर्गीकरण के विश्लेषण से पता चला कि बैंकिंग कारोबार प्रबल रूप से बड़े शहरी सहकारी बैंकों को मिलता रहा। कुल जमा-राशि में बड़े जमा आधार वाले शहरी सहकारी बैंकों (500 करोड़ रुपये से अधिक या उसके बराबर) का हिस्सा लगभग 53 प्रतिशत रहा, जबकि शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या में उनका हिस्सा केवल 4 प्रतिशत था। इसी प्रकार, शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या में केवल 3 प्रतिशत का अग्रिम आधार 500 करोड़ रुपये से अधिक था, किंतु 2010-11 में दिए गए कुल अग्रिमों में उनका लगभग 47 प्रतिशत का हिस्सा रहा (सारणी V.2)।

शहरी सहकारी बैंकों का टियरवार स्वरूप

पिछले वर्ष की तुलना में टियर-I बैंकों की संख्या में गिरावट

5.14 ग्रेडवार वर्गीकरण के अलावा, शहरी सहकारी बैंकों को विनियामक प्रयोजनार्थ दो वर्गों में बांटा जाता है, यथा- टियर-I और टियर-II। निम्नलिखित मानदंडों[4] को पूरा करने वाले सभी शहरी सहकारी बैंकों को टियर-I के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि अन्य सभी बैंकों को टियर-II के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

चार्ट V.4 : आस्ति के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण

(मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार)

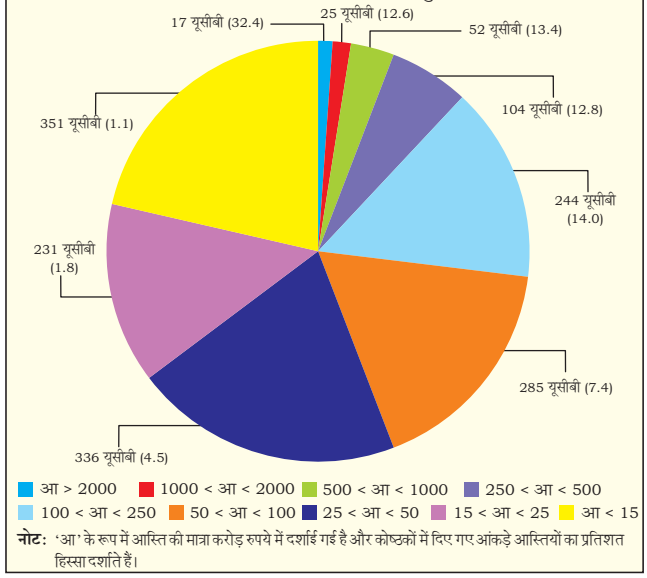

नोट: 'आ' के रूप में आस्ति की मात्रा करोड़ रुपये में दर्शाई गई है और कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े आस्तियों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

[4] इस परिभाषा में विनिर्दिष्ट जमा-राशि और अग्रिम की गणना ठीक पहले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार की जाए।

सारणी V.2: जमा-राशि और अग्रिमों के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

जमा-राशि का आधार	जमा-राशि के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण				अग्रिम का आधार	अग्रिमों के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण			
	शसबैंकों की संख्या		जमा-राशि			शसबैंकों की संख्या		अग्रिम राशि	
	संख्या	कुल राशि में हिस्से का प्रतिशत	राशि	कुल राशि में हिस्से का प्रतिशत		संख्या	कुल राशि में हिस्से का प्रतिशत	राशि	कुल राशि में हिस्से का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ज ⩾ 1000	28	1.7	83,867	39.6	अग्रि ⩾ 1000	17	1.0	45,487	33.4
500 ⩽ ज < 1000	41	2.5	28,899	13.6	500 ⩽ अग्रि < 1000	27	1.6	19,057	14.0
250 ⩽ ज < 500	91	5.5	30,212	14.2	250 ⩽ अग्रि < 500	50	3.0	17,335	12.7
100 ⩽ ज < 250	206	12.5	31,631	14.9	100 ⩽ अग्रि < 250	148	9.0	22,642	16.6
50 ⩽ ज < 100	245	14.9	17,219	8.1	50 ⩽ अग्रि < 100	182	11.1	12,463	9.1
25 ⩽ ज < 50	318	19.3	11,442	5.4	25 ⩽ अग्रि < 50	259	15.7	9,323	6.8
10 ⩽ ज < 25	418	25.4	7,115	3.4	10 ⩽ अग्रि < 25	446	27.1	7,297	5.4
ज < 10	298	18.1	1,646	0.8	अग्रि < 10	516	31.4	2,737	2.0
कुल	**1,645**	**100.0**	**2,12,031**	**100.0**	**कुल**	**1,645**	**100.0**	**1,36,341**	**100.0**

टिप्पणी : ज : जमा-राशि करोड़ रुपये में, अग्रि : अग्रिम राशि करोड़ रुपये में

I. 100 करोड़ रुपये से कम जमा-राशि वाले ऐसे बैंक जो एक ही ज़िले में परिचालनरत हैं।

II. 100 करोड़ रुपये से कम जमा-राशि वाले ऐसे बैंक जो एक से अधिक ज़िलों में परिचालन कर रहे हों, बशर्ते कि वे ज़िले आस-पास स्थित हों। साथ ही साथ, मात्र एक ज़िले में स्थित शाखाओं की जमा-राशि और अग्रिम की राशि बैंक की कुल जमा और अग्रिम राशि का कम-से-कम 95 प्रतिशत हो।

III. 100 करोड़ रुपये से कम जमा-राशि वाले ऐसे बैंक जिनकी शाखाएं मूलतः एक ज़िले में स्थित थीं, किंतु उस ज़िले के पुनर्गठन की वजह से वह बहु ज़िला बैंक बन गया हो।

5.15 मार्च 2011 के अंत में पिछले वर्ष की तुलना में टियर-II बैंकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जबकि टियर-I बैंकों की संख्या में गिरावट आई। मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या में टियर-I बैंकों का हिस्सा 75 प्रतिशत से भी अधिक रहा। इसके बावजूद, कुल जमा-राशि में उनका हिस्सा 20 प्रतिशत से भी कम था। यद्यपि कुल बैंकों की संख्या में टियर-II बैंकों का हिस्सा एक चौथाई से भी कम है, फिर भी अग्रिमों और जमा-राशियों में उनका हिस्सा सर्वाधिक था। इसी प्रकार, कुल आस्तियों में भी टियर-II बैंकों का बोलबाला था। शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में इनकी कुल आस्तियों का हिस्सा लगभग 81 प्रतिशत रहा (सारणी V.3)।

शहरी सहकारी बैंकों का तुलन-पत्र संबंधी परिचालन

ऋणों और अग्रिमों के साथ-साथ लिए गए उधार में हुई बढ़ोतरी की वजह से शहरी सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र में विस्तार हुआ

5.16 मार्च 2011 के अंत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र में 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। देयता पक्ष के अंतर्गत, लिए गए उधारों और आस्ति पक्ष के अंतर्गत, ऋणों और अग्रिमों में हुई बढ़ोतरी के कारण उनके तुलन-पत्र में विस्तार हुआ। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की तुलना में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र में तेज़ी से विस्तार हुआ।

सारणी V.3 : शहरी सहकारी बैंकों का टियरवार वर्गीकरण

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक टियर का प्रकार	बैंकों की संख्या		जमा-राशि		अग्रिम		आस्ति	
	संख्या	कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत	राशि	कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत	राशि	कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत	राशि	कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	1,279	77.8	40,779	19.2	24,918	18.3	52,377	19.2
II	366	22.2	1,71,252	80.8	1,11,423	81.7	2,20,924	80.8
कुल	**1,645**	**100.0**	**2,12,031**	**100.0**	**1,36,341**	**100.0**	**2,73,301**	**100.0**

5.17 मार्च 2011 के अंत में कुल देयताओं में जमा-राशि का हिस्सा 78 प्रतिशत था, अर्थात् शहरी सहकारी बैंक संसाधन जुटाने के लिए जमा-राशियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में कुल देयताओं में जमा-राशियों के हिस्से में मामूली वृद्धि हुई। वर्ष 2010-11 में कुल देयताओं में पूंजी और आरक्षित निधियों का हिस्सा कुल मिलाकर लगभग 12 प्रतिशत रहा। आस्ति पक्ष के अंतर्गत कुल आस्तियों में ऋणों और अग्रिमों का हिस्सा लगभग आधा रहा, उसके बाद निवेशों और अन्य बैंक में उपलब्ध शेष राशि का क्रम था (सारणी V.4)।

शहरी सहकारी बैंकों की निवेश संबंधी गतिविधियां

कुल निवेश में एसएलआर लिखतों का सर्वाधिक हिस्सा बना रहा

5.18 वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों के कुल निवेश में गिरावट आई। वर्ष 2010-11 में जहां एसएलआर प्रतिभूतियों में किये गये कुल निवेश में लगातार वृद्धि हुई वहीं गैर-एसएलआर लिखतों में किए गए निवेश में गिरावट आई।

5.19 मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल निवेश में एसएलआर लिखतों का हिस्सा लगभग 93 प्रतिशत था। कुल एसएलआर निवेश में केंद्र और राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश का लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा था। इसके अलावा 2010-11 में शहरी सहकारी बैंकों का राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में मीयादी जमाराशियों के रूप में किया गया निवेश उनके एसएलआर निवेशों का लगभग 1/5वां हिस्सा था। वर्ष 2010-11 में एसएलआर निवेशों की संरचना में भी बदलाव आया, क्योंकि शहरी सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंकों और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से अपने निवेश को निकालकर केंद्र और राज्य सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अंतरित करने लगे (सारणी V.5)।

5.20 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की तुलना में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के एसएलआर निवेशों की दर ऊँची रही। इन दोनों समूहों के गैर-एसएलआर निवेशों में गिरावट आई। तथापि, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक ने अपने कुल निवेश में गैर-अनुसूचित

सारणी V.4 : शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		सभी शहरी सहकारी बैंक	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
देयताएं						
1. पूंजी	1,612	1,871	3,955	4,395	5,567	6,267
	(1.6)	(1.6)	(3.0)	(2.9)	(2.3)	(2.3)
2. आरक्षित निधि	10,377	11,066	14,153	15,195	24,531	26,260
	(10.0)	(9.3)	(10.6)	(9.9)	(10.3)	(9.6)
3. जमा-राशि	80,208	92,428	1,02,943	1,19,602	1,83,150	2,12,031
	(77.2)	(77.3)	(77.2)	(77.8)	(77.2)	(77.6)
4. उधार ली गई राशि	1,783	2,718	557	1,571	2,340	4,289
	(1.7)	(2.3)	(0.4)	(1.0)	(1.0)	(1.6)
5. अन्य देयताएं	9,916	11,483	11,766	12,973	21,682	24,455
	(9.5)	(9.6)	(8.8)	(8.4)	(9.1)	(8.9)
आस्तियां						
1. हाथ में नकदी	586	648	1,604	1,709	2,190	2,357
	(0.6)	(0.5)	(1.2)	(1.1)	(0.9)	(0.9)
2. बैंकों में शेष	10,290	11,010	10,238	12,880	20,528	23,890
	(9.9)	(9.2)	(7.7)	(8.4)	(8.7)	(8.7)
3. मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य मुद्रा	407	651	1,023	485	1,431	1,136
	(0.4)	(0.5)	(0.8)	(0.3)	(0.6)	(0.4)
4. निवेश	31,107	33,480	48,063	53,595	79,170	87,075
	(29.9)	(28.0)	(36.0)	(34.9)	(33.4)	(31.9)
5. ऋण और अग्रिम	50,647	61,772	61,789	74,569	1,12,436	1,36,341
	(48.7)	(51.7)	(46.3)	(48.5)	(47.4)	(49.9)
6. अन्य आस्तियां	10,859	12,005	10,657	10,498	21,516	22,503
	(10.5)	(10.0)	(8.0)	(6.8)	(9.1)	(8.2)
कुल देयताएं/आस्तियां	**1,03,896**	**1,19,566**	**1,33,374**	**1,53,736**	**2,37,271**	**2,73,302**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों का प्रतिशत हैं।

सारणी V.5: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किए गए निवेश

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार		घटबढ़ प्रतिशत	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
कुल निवेश (क+ख)	**79,169**	**87,075**	21.6	10.0
	(100.0)	**(100.0)**		
क. एसएलआर निवेश (i से vi तक)	**70,925**	**80,756**	29.3	13.9
	(89.6)	**(92.7)**		
i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	40,818	52,372	19.4	28.3
	(51.6)	(60.1)		
ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	7,791	10,127	79.4	30.0
	(9.8)	(11.6)		
iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	415	576	1.2	38.8
	(0.5)	(0.7)		
iv) राज्य सहकारी बैंकों में रखी गई मीयादी जमा-राशि	6,326	5,496	19.8	-13.1
	(8.0)	(6.3)		
v) जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में रखी गई मीयादी जमा-राशि	13,839	10,861	51.8	-21.5
	(17.5)	(12.5)		
vi) अन्य, यदि कोई हो	1,736	1,324	13.1	-23.7
	(2.2)	(1.5)		
ख. गैर-एसएलआर निवेश	**8,244**	**6,319**	-19.4	-23.4
	(10.4)	**(7.3)**		

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल निवेश का प्रतिशत हैं।

शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश किया (चार्ट V.5)।

शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

आय में हुई बढ़ोतरी की वजह से शहरी सहकारी बैंकों के निवल लाभ में सुधार आया

5.21 वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के निवल लाभों में काफी वृद्धि हुई, संभवतः पिछले वर्ष वैश्विक वित्तीय संकट के स्पिलओवर प्रभाव से इसमें कमी आई थी। मुख्य रूप से व्यय में हुई बढ़ोतरी की तुलना में आय में तेजी से वृद्धि होने के कारण लाभों में वृद्धि हुई, जिससे इस क्षेत्र की समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार आया। गैर-अनुसूचित बैंकों, जिनकी आय की तुलना में व्यय में अधिक बढ़ोतरी हुई, के मामले में मुख्य रूप से आरक्षित निधियों और आकस्मिक व्ययों, करों और स्टाफ संबंधी व्ययों में आई कमी की वजह से लाभों में वृद्धि हुई (सारणी V.6)।

5.22 वर्ष 2010-11 में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लाभ और हानि लेखे की सभी प्रमुख मदों में धनात्मक वृद्धि हुई। निवल लाभों में काफी बढ़ोतरी होने की वजह से इस क्षेत्र की आस्तियों और निवल ब्याज मार्जिन से प्राप्त आय में समूचे तौर पर सुधार हुआ। आस्तिजन्य आय के बैंकवार आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकतर बैंकों ने 0-1.5 प्रतिशत के दायरे में आस्तिजन्य आय दर्ज की (सारणी V.7 और चार्ट V.7)।

शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता

आस्ति की गुणवत्ता

सकल एनपीए में वृद्धि हुई, तथापि, एनपीए के सकल और निवल दोनों अनुपातों में गिरावट आई

5.23 वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) में बढ़ोतरी हुई। तथापि, 2010-11 के दौरान निवल एनपीए अनुपातों के साथ-साथ सकल एनपीए अनुपातों में गिरावट आई, अर्थात् शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया। सकल और

चार्ट V.5: शहरी सहकारी बैंकों के निवेश की संरचना

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

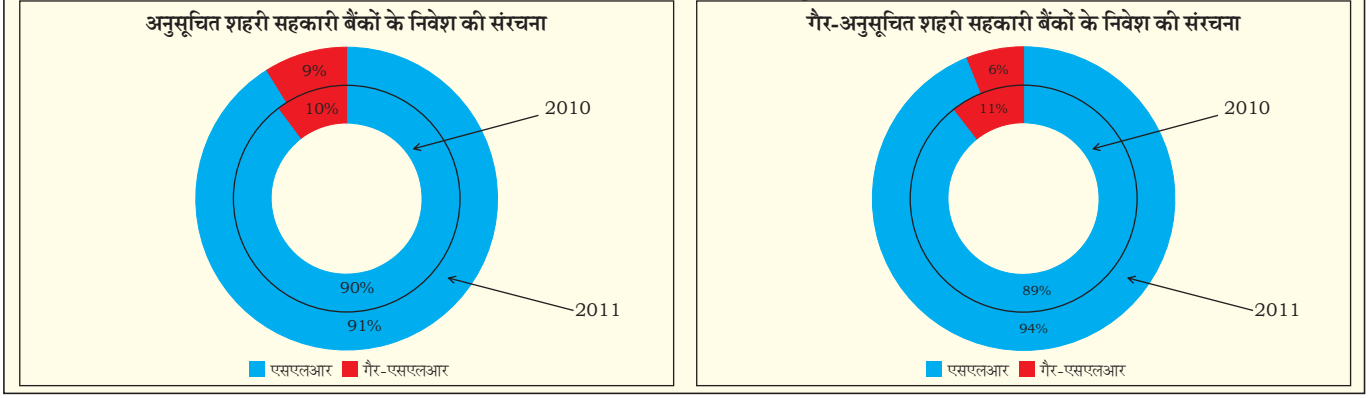

सारणी V.6: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन
(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	अनुसूचित		गैर-अनुसूचित		सभी शहरी सहकारी बैंक		घटबढ़ प्रतिशत (सभी शहरी सहकारी बैंक)	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. कुल आय (i+ii)	**8,561**	**9,842**	**11,157**	**12,601**	**19,718**	**22,443**	**7.1**	**13.8**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**		
i. ब्याजजन्य आय	7,751	8,989	10,528	11,860	18,279	20,849	9.9	14.1
	(90.5)	(91.3)	(94.4)	(94.1)	(92.7)	(92.9)		
ii. गैर-ब्याजजन्य आय	810	853	629	741	1,439	1594	-19.1	10.8
	(9.5)	(8.7)	(5.6)	(5.9)	(7.3)	(7.1)		
ख. कुल व्यय (i+ii)	**7,347**	**7,809**	**9,500**	**10,770**	**16,847**	**18,579**	**12.7**	**10.3**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**		
i. ब्याजजन्य व्यय	5,334	5,536	6,670	7,601	12,004	13,137	12.3	9.4
	(72.6)	(70.9)	(70.2)	(70.6)	(71.3)	(70.7)		
ii. गैर-ब्याजजन्य व्यय	2,013	2,273	2,830	3,169	4,843	5,442	13.6	12.4
	(27.4)	(29.1)	(29.8)	(29.4)	(28.7)	(29.3)		
जिसमें से: स्टाफ संबंधी व्यय	1,010	1,154	1,776	1,667	2,786	2,821	17.9	1.3
ग. लाभ								
i. परिचालन लाभ की राशि	1,214	2,033	1,657	1,832	2,871	3,865	-17.0	34.6
ii. प्रावधान, आकस्मिक व्यय, कर	666	800	948	862	1,614	1,662	-18.5	12.7
iii. निवल लाभ की राशि	548	1,233	709	970	1,257	2,203	-19.6	75.3

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल राशि का प्रतिशत हैं।

निवल एनपीए अनुपातों में सुधार होने के साथ-साथ इस क्षेत्र के प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में भी बढ़ोतरी हुई (सारणी V.8)।

पूंजी पर्याप्तता

अधिकतर शहरी सहकारी बैंकों ने 9 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर दर्ज किया है

5.24 मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार, लगभग 90 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों के पास 9 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर पाया गया। तथापि, 20 प्रतिशत के अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक 9 प्रतिशत के विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखने से चूक गए। किंतु पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के मामले में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की स्थिति बेहतर रही, जिनमें से केवल 8 प्रतिशत बैंकों ने विनिर्दिष्ट सीमा से कम सीआरएआर बनाए रखने संबंधी सूचना दी है (चार्ट V.6)।

5.25 बैंकवार सीआरएआर के विश्लेषण से पता चलता है कि 9 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले अधिकांश यूसीबी ने ऋणात्मक

चार्ट V.6: सीआरएआर के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण
(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

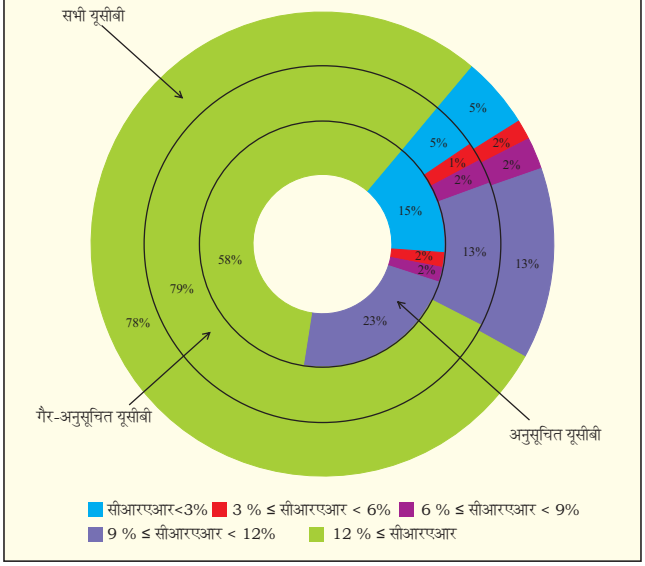

सारणी V.7: शहरी सहकारी बैंकों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक

वित्तीय संकेतक	अनुसूचित		गैर-अनुसूचित		सभी शहरी सहकारी बैंक	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7
आस्तिजन्य आय	0.57	1.10	0.57	0.68	0.57	0.86
निवल ब्याज मार्जिन	2.54	3.09	3.12	2.97	2.86	3.02

सारणी V.8: शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च'2010	मार्च'2011
1	2	3
1. सकल एनपीए	11,399	11,529
2. निवल एनपीए	3,821	3,130
3. सकल एनपीए अनुपात	10.1	8.5
4. निवल एनपीए अनुपात	3.9	2.5
5. प्रावधानीकरण	7,578	8,399
6. कवरेज अनुपात	66.5	72.9

टिप्पणी : 1. कवरेज अनुपात की गणना सकल एनपीए के प्रतिशत संबंधी प्रावधान के रूप में की गई है।
2. मद सं.3, 4 और 6 प्रतिशत में दर्शाई गई है।

सीआरएआर दर्ज किया। इन बैंकों का निराशाजनक वित्तीय निष्पादन इनके द्वारा रिपोर्ट की गई ऋणात्मक आस्तिजन्य आय में दिखाई पड़ता है (चार्ट V.7)।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी अग्रिम

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दी गई कुल अग्रिम राशि में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को लगभग 46 प्रतिशत का अग्रिम दिया गया

5.26 शहरी सहकारी बैंक समाज के छोटे और कमज़ोर वर्गों को पर्याप्त रूप से और सही समय पर ऋण देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का निर्धारण पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समायोजित बैंक ऋण के 40 प्रतिशत पर या तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र की क्रेडिट समतुल्य राशि की बराबर राशि पर किया गया[5]।

5.27 मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दी गई उनकी कुल अग्रिम-राशि में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम का हिस्सा लगभग 46 प्रतिशत रहा। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिम का और विश्लेषण करने पर पता चलता है कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिमों में लघु उद्यमों और आवास ऋणों को दिए गए अग्रिम का हिस्सा क्रमशः लगभग 59 और 26 प्रतिशत था। कुल अग्रिमों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि के हिस्से में वर्ष 2011 में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई (चार्ट V.8)।

5.28 मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए कुल अग्रिमों में से लगभग 14 प्रतिशत अग्रिम कमज़ोर वर्गों[6] को दिए गए, जिनमें लघु उद्यमों को दिए गए अग्रिमों का हिस्सा 60 प्रतिशत से अधिक रहा। मार्च 2011 के अंत की स्थिति के

चार्ट V.7: शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर और आस्तिजन्य आय

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

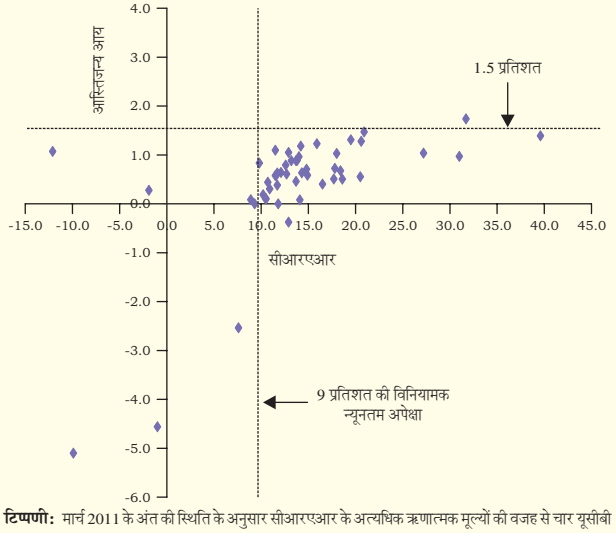

टिप्पणी: मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार सीआरएआर के अत्यधिक ऋणात्मक मूल्यों की वजह से चार यूसीबी को इस चार्ट में शामिल नहीं किया गया है।

चार्ट V.8: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों की संरचना

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

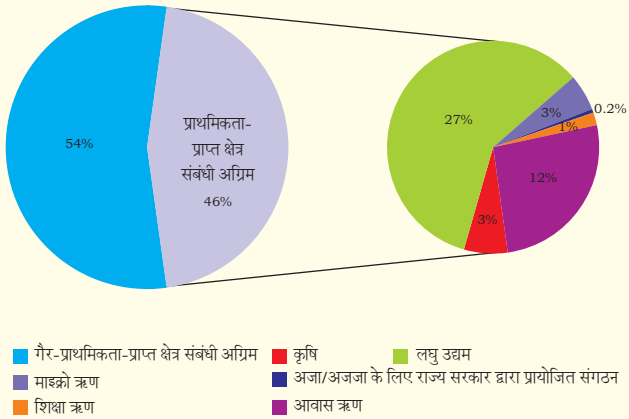

टिप्पणी: इस चार्ट में दर्शाए गए प्रतिशत यूसीबी द्वारा दिए गए कुल ऋणों और अग्रिमों के हैं।

[5] 30 अगस्त 2007 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा एचटीएम वर्ग के अंतर्गत धारित गैर-एसएलआर बांडों में किए गए विद्यमान निवेश को समायोजित बैंक ऋण के परिकलन के अंतर्गत हिसाब में नहीं लिया जाता है। किंतु बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर बांडों में नए सिरे से किए गए निवेशों को इस प्रयोजन हेतु हिसाब में लिया जाता है। साथ ही, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्यों/उप लक्ष्यों को निर्धारित करने में अंतर-बैंक एक्सपोजरों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

[6] प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों में कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिम शामिल हैं।

सारणी V.9: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कमज़ोर वर्गों को दिए गए अग्रिम

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्से का प्रतिशत
1	2	3
कृषि और संबद्ध गतिविधियां	1,507	1.1
जिनमें से 1. प्रत्यक्ष वित्त	555	0.4
2. अप्रत्यक्ष वित्त	952	0.7
लघु उद्यम	11,928	8.7
जिनमें से 1. प्रत्यक्ष वित्त	9,991	7.3
2. अप्रत्यक्ष वित्त	1,937	1.4
माइक्रो ऋण	1,000	0.7
अजा/अजजा के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन	96	0.1
शिक्षा ऋण	399	0.3
आवास ऋण	4,021	2.9
कुल	**18,951**	**13.9**

अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में कमज़ोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत रहा (सारणी V.9)।

शहरी सहकारी बैंकों का भौगोलिक विस्तार

शहरी सहकारी बैंक का पश्चिम क्षेत्र में संकेंद्रण जारी रहा

5.29 शहरी सहकारी बैंकों की संख्या के अलावा, अग्रिमों और जमा-राशि के राज्यवार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि देश के पश्चिमी क्षेत्र में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या और बैंकिंग कारोबार की मात्रा अधिक बनी रही। मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल शहरी सहकारी बैंकों में से लगभग 48 प्रतिशत बैंक पश्चिमी राज्यों में थे। उसके बाद कुल शहरी सहकारी बैंकों में से लगभग 34 प्रतिशत बैंक दक्षिणी राज्यों में थे। बैंकिंग कारोबार का अवलोकन करने पर पता चला कि कुल जमा-राशि और अग्रिम राशि का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पश्चिमी क्षेत्र में था। कुल जमा-राशि और अग्रिमों में दक्षिण भारत स्थित राज्यों का हिस्सा क्रमशः 14 और 16 प्रतिशत रहा। अतः देश के अन्य भागों, विशेष रूप से पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शहरी सहकारी बैंकों की कम उपस्थिति रही (चार्ट V.9)।

5.30 जमा-राशि और अग्रिम संबंधी राज्यवार आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि क्षेत्र-विशेष में भी कुछ ही राज्यों में इनका बैंकिंग कारोबार संकेंद्रित था। कुल जमा-राशि और अग्रिमों में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु का लगभग 90 प्रतिशत का हिस्सा रहा। केवल महाराष्ट्र में 65 प्रतिशत से अधिक शहरी सहकारी बैंकों का बैंकिंग कारोबार रहा, इसके बाद क्रमशः गुजराज और कर्नाटक का स्थान था।

5.31 भौगोलिक संकेंद्रण के विभिन्न स्तरों के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न ग्रेडों का तुलनात्मक विश्लेषण करने की दृष्टि से शहरी सहकारी बैंकों की संख्या के अनुसार सर्वोच्च पांच राज्यों के हिस्से की, सबसे नीचे वाले पांच राज्यों के हिस्से के साथ तुलना की गई। इस विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भौगोलिक उपस्थिति की दृष्टि से ग्रेड-I के शहरी सहकारी बैंकों का संकेंद्रण स्तर अपेक्षाकृत कम रहा, इसके बाद क्रमिक रूप से ग्रेड II/III और ग्रेड IV का संकेंद्रण स्तर कम रहा (चार्ट V.10)।

चार्ट V.9: शहरी सहकारी बैंकों का क्षेत्रवार और राज्यवार स्वरूप

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

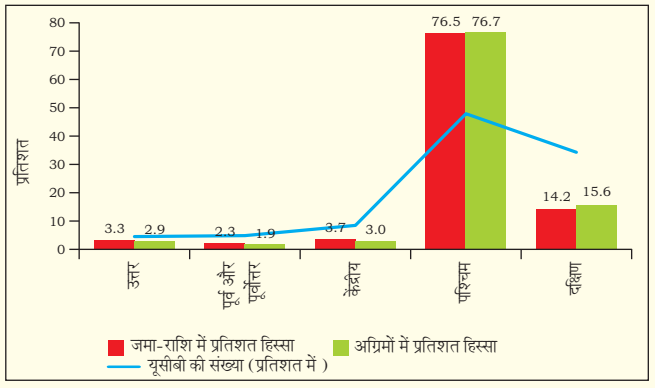

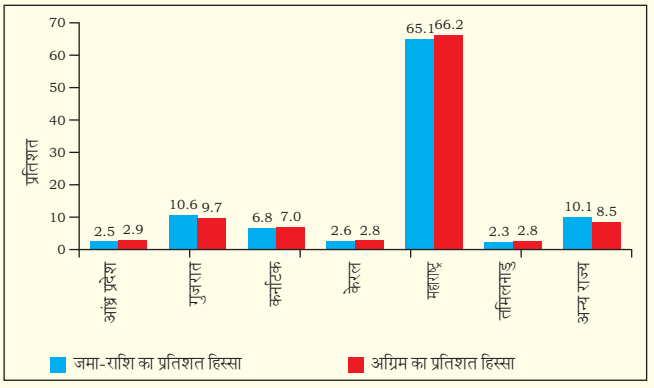

3. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं[7]

दीर्घावधिक सहकारी संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन तुलनात्मक दृष्टि से कमजोर

5.32 मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार देश में कुल 95,765 ग्रामीण सहकारी संस्थाएं परिचालन में थीं। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की कुल संख्या में अधिकांश संस्थाएं अल्पावधि स्वरूप की थीं, जबकि देश में परिचालनरत कुल सहकारी संस्थाओं में दीर्घावधि स्वरूप की संस्थाओं का हिस्सा केवल एक प्रतिशत था। अल्पावधिक संरचना में राज्य सहकारी बैंकों और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी संस्थाओं ने लाभ दर्ज किए, जबकि बुनियादी स्तरीय संस्थाओं, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को भारी घाटा हुआ। दीर्घावधिक सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति अल्पावधिक सहकारी संस्थाओं की तुलना में कमज़ोर पाई गई, जिनमें से मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी ने हानि दर्ज की है।

5.33 राज्य सहकारी बैंक और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अपना संसाधन जुटाने के लिए जमा-राशियों पर काफी निभर रहे, जबकि पीएसीएस, एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी के मामले में कुल आस्तियों में उधारों का सर्वाधिक हिस्सा था। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं द्वारा दिए गए कुल ऋणों और अग्रिमों में लगभग 47 प्रतिशत हिस्सा ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का था, जिसके बाद प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और राज्य सहकारी बैंकों का क्रम रहा। कुल ऋणों और अग्रिमों में दीर्घावधिक सहकारी संस्थाओं का हिस्सा 3 प्रतिशत से भी कम था, जिससे पता चलता है कि ग्रामीण ऋण संवितरण में अल्पावधिक संरचना की प्रबलता है। आस्ति की गुणवत्ता और वसूली के निष्पादन की दृष्टि से अल्पावधिक सहकारी संस्थाओं (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को छोड़कर) की स्थिति दीर्घावधिक सहकारी संस्थाओं की तुलना में बेहतर रही। दीर्घावधिक सहकारी संस्थाओं के मामले में एनपीए अनुपात का स्तर ऊँचा रहा। तथापि, अल्पावधिक संरचना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने सबसे अधिक एनपीए अनुपात दर्ज किया, इससे पता चलता है कि इन बुनियादी स्तरीय सहकारी संस्थाओं की आस्ति की गुणवत्ता खराब है (सारणी V.10)।

चार्ट V.10: शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या में सर्वोच्च और सबसे निचले पांच राज्यों के हिस्से का प्रतिशत
(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

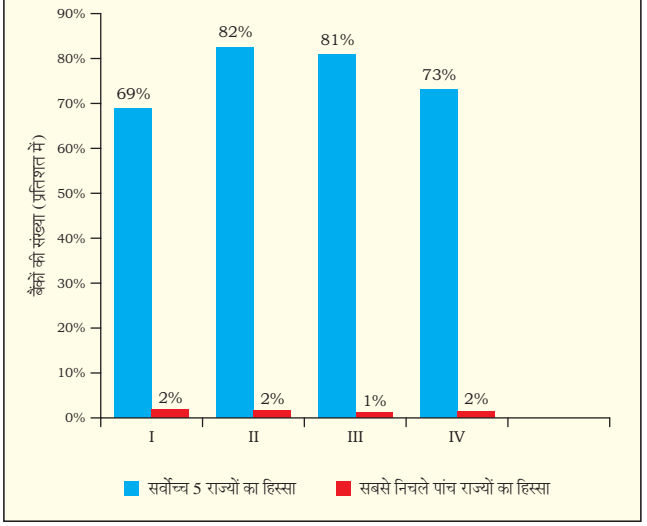

सहकारी संस्थाओं का प्रबंधन

कुल ग्रामीण सहकारी समितियों के बोर्डों में लगभग एक तिहाई बोर्ड अधिक्रमण के अधीन है

5.34 मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं (पीएसीएस को छोड़कर) की लगभग एक-तिहाई संस्थाओं के बोर्ड अधिक्रमण के अधीन थे। विभिन्न प्रकार की ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के बीच एससीएआरडीबी के बोर्ड सबसे अधिक प्रतिशत में अधिक्रमणाधीन रहे (सारणी V.11)।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की अल्पावधिक संरचना

5.35 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की अल्पावधिक संरचना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एसटीसीबी के रूप में परिचालन करने वाली शीर्ष संस्थाएं, ज़िला स्तर पर परिचालित डीसीसीबी और बुनियादी स्तर पर पीएसीएस परिचालनरत हैं। एसटीसीबी और डीसीसीबी के निवल लाभों में गिरावट आई, जबकि पीएसीएस को लगातार घाटा होता रहा। तथापि, मार्च 2010 के अंत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में एसटीसीबी और डीसीसीबी के एनपीए अनुपात में कमी आई।

राज्य सहकारी बैंक

वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में एसटीसीबी के तुलन-पत्र की वृद्धि धीमी हुई

5.36 वर्ष 2009-10 के दौरान एसटीसीबी के तुलन-पत्र में लगभग 12 प्रतिशत की दर पर विस्तार हुआ, जो कि 2008-09 के

[7] इस भाग में प्रस्तुत किया गया 2009-10 का आंकड़ा अनंतिम है।

सारणी V.10: ग्रामीण सहकारी बैंकों का स्वरूप
(31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	अल्पावधिक			दीर्घावधिक	
	एसटीसीबी	डीसीसीबी	पीएसीएस	एससीआरडीबी	पीसीएआरडीबी
1	2	3	4	5	6
क. सहकारी बैंकों की संख्या	31	370	94,647	20	697
ख. तुलन-पत्र के संकेतक					
i. स्वाधिकृत निधियां (पूंजी + आरक्षित निधियां)	11,871	31,370	12,479	4,510	5,165
ii. जमाराशि	79,150	1,46,404	35,286	759	461
iii. उधार राशि	23,559	28,735	51,764	15,581	12,832
iv. प्रदत्त ऋण और अग्रिम	53,588	1,18,393	74,938	3,205	2,465
v. बकाया ऋण और अग्रिम	49,629	1,07,466	76,480	17,000	11,482
vi. कुल देयताएं/आस्तियां	1,20,662	2,18,676	1,35,192 +	25,562	25,037
ग. वित्तीय निष्पादन					
i. लाभ कमाने वाली संस्थाएं					
क. संख्या	29	322	40,936	10	276
ख. लाभ की राशि	462	1,659	1,132	127	123
ii. घाटा उठाने वाली संस्थाएं					
क. संख्या	2	47*	41,679	9	416
ख. घाटे की राशि	209	523	2,347	155	538
iii. समग्र लाभ (+)/हानि (-)	253	1,136	-1,215	-27	-415
iv. संचित हानि	575	4757	-	1,190	4154
घ. अनर्जक आस्तियां					
i. राशि	4353	16,234	39,524 ++	5,642	4,841
ii. बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में	8.8	12.9	41.3	33.2	42.0
iii. मांग की तुलना में ऋण की वसूली (प्रतिशत)	91.8	75.7	-	41.0	41.5

एसटीसीबी : राज्य सहकारी बैंक, डीसीसीबी : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, पीएसीएस : प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, एससीएआरडीबी : राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पीसीएआरडीबी : प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
'-' : उपलब्ध नहीं. +: कार्यशील पूंजी. ++: कुल अतिदेय राशि. *: उड़ीसा स्थित नयागढ़ डीसीसीबी लाभ-हानि रहित स्थिति में है।
टिप्पणी : 1 सूचना उपलब्ध न होने के कारण बिहार, मणिपुर, केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यों में स्थित एसटीसीबी की वर्ष 2009-10 की स्थिति दर्शाने के लिए पिछले वर्ष की स्थिति को दोहराया गया है।
2 बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल में परिचालनरत डीसीसीबी संबंधी आंकड़े दोहराए गए हैं।
3 मणिपुर एससीएआरडीबी परिचालन में नहीं है।
4 पांच एससीएआरडीबी के वर्ष 2010 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
स्रोत: नाबार्ड और एनएएफएससीओबी

दौरान हुई वृद्धि से कम है। एसटीसीबी के तुलन-पत्र के विस्तार के पीछे दो मुख्य कारण रहे, यथा- देयता पक्ष के अंतर्गत उधार ली गई राशि और अन्य देयताओं में हुई बढ़ोतरी तथा आस्ति पक्ष के अंतर्गत नकद और बैंक में शेष राशि एवं अन्य आस्तियों में हुई वृद्धि। देयता पक्ष के अंतर्गत एसटीसीबी के संसाधनों में सर्वाधिक हिस्सा जमा-राशियों का था, जबकि कुल आस्तियों में लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा निवेश का था। 2009-10 के दौरान निवेश में हुई वृद्धि की दर ऋणों तथा अग्रिमों की वृद्धि दर की तुलना में अधिक थी। इसके अलावा, मार्च 2010 के अंत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में कुल आस्तियों में निवेशों के हिस्से के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, वही, ऋणों और अग्रिमों के हिस्से में कमी आई (सारणी V.12)।

सारणी V.11: अधिक्रमण के अंतर्गत निर्वाचित बोर्ड
(31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	एसटीसीबी	डीसीसीबी	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी	**कुल**
1	2	3	4	5	6
(i) संस्थाओं की कुल संख्या	31	370	20	697	**1,118**
(ii) ऐसी संस्थाओं की संख्या जिनके बोर्ड अधिक्रमण के अधीन थे	9	86	9	265	**369**
अधिक्रमण के अंतर्गत रिपोर्टिंग बोर्डों का प्रतिशत [(i) के प्रतिशत के रूप में (ii)]	**29.0**	**23.2**	**45.0**	**38.0**	**33.0**

टिप्पणी : 1.बिहार, सिक्किम, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल स्थित एसटीसीबी और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल स्थित डीसीसीबी से संबंधित आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2009-10 के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े दोहराए गए हैं।
2. त्रिपुरा स्थित एससीएआरडीबी परिचालन में नहीं है।
स्रोत: नाबार्ड

5.37 धारा 42(2) की विवरणियों में उपलब्ध अनुसूचित एसटीसीबी के तुलन-पत्र के प्रमुख संकेतकों के संबंध में अद्यतन की गई सूचना से यह पता चलता है कि वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में जमा-राशि में काफी गिरावट हुई है। इसके विपरीत, वर्ष 2010-11 में दिए गए कुल ऋण में काफी बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में एसटीसीबी द्वारा एसएलआर लिखतों में किए गए निवेशों में कमी आई (चार्ट V.11)।

मुख्य रूप से आय में गिरावट आने से एसटीसीबी के लाभों में कमी आई

5.38 वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में एसटीसीबी के निवल लाभों में कमी आई। मुख्य रूप से वर्ष 2009-10 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में आय में धीमी गति से वृद्धि होने के कारण लाभ में गिरावट आई। पिछले दो वर्षों में एसटीसीबी की कुल आय की संरचना में स्पष्ट रूप से परिवर्तन भी हुआ, क्योंकि कुल आय में उनकी गैर-ब्याजजन्य

सारणी V.12: मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार		प्रतिशत घटबढ़	
	2009#	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	1,569 (1.5)	1,631 (1.4)	2.3	4.0
2. आरक्षित निधियां	10,325 (9.5)	10,240 (8.5)	4.2	-0.8
3. जमा-राशियां	70,312 (65.0)	79,150 (65.6)	24.8	12.6
4. उधार	20,913 (19.3)	23,559 (19.5)	-7.4	12.7
5. अन्य देयताएं	4,997 (4.6)	6,083 (5.0)	7.8	21.7
आस्तियां				
1. नकद और बैंक शेष	7,960 (7.4)	9,367 (7.8)	-4.2	17.7
2. निवेश	46,567 (43.1)	54,334 (45.0)	47.6	16.7
3. ऋण और अग्रिम	48,400 (44.8)	49,629 (41.1)	-3.3	2.5
4. अन्य देयताएं	5,188 (4.8)	7,333 (6.1)	1.8	41.3
कुल देयताएं/आस्तियां	**1,08,116 (100.0)**	**1,20,662 (100.0)**	**13.8**	**11.6**

#: वर्ष 2008-09 के आंकड़ों को अद्यतन किया गया है

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. 'आरक्षित निधियों' में कुछ बैंकों द्वारा दर्शाए गए लाभ-हानि लेखा में उपलब्ध शेष राशि शामिल है।
3. बिहार, मणिपुर, केरल और पश्चिम बंगाल स्थित एसटीसीबी की वर्ष 2009-10 की स्थिति दर्शाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े दोहराए गए हैं।

स्रोत: नाबार्ड

चार्ट V.11: अनुसूचित एसटीसीबी के चुनिंदा तुलन-पत्र संकेतक

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति)

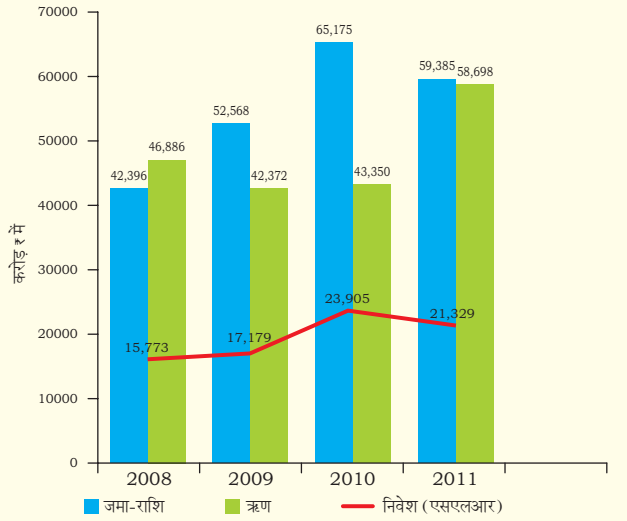

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत फार्म बी

आय के हिस्से में लगातार वृद्धि होती रही। यही प्रवृत्ति 2009-10 में भी बरकरार रही, जब गैर-ब्याजजन्य आय में ब्याजजन्य आय की तुलना में तीव्र गति से बढ़ोतरी होती रही। तथापि, 2010 में एसटीसीबी की कुल आय में लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा ब्याजजन्य आय का था।

5.39 व्यय पक्ष के अंतर्गत कुल व्यय में ब्याजजन्य व्यय का हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक बना रहा। वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में कुल परिचालन व्यय में गिरावट आने के बावजूद कुल वेतन बिल में काफी बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2009-10 के दौरान प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों में भी गिरावट आई (सारणी V.13)।

एसटीसीबी के एनपीए अनुपात में गिरावट आई, तथापि, 'हानि' एनपीए में तेज़ी से वृद्धि हुई

5.40 मार्च 2010 के अंत की स्थिति में एनपीए में समग्र और प्रतिशत के रूप में गिरावट आने के चलते पिछले वर्ष की तुलना में एसटीसीबी की आस्ति की गुणवत्ता में सुधार आया। एनपीए की विभिन्न श्रेणियों का और विश्लेषण करने पर पता चलता है कि 2009-10 में मुख्यतः अव-मानक और संदिग्ध आस्तियों में गिरावट आने से एनपीए में कमी हुई, जबकि इसी अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में हानि वाली आस्तियों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई थी (सारणी V.14)।

सारणी V.13: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घटबढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**7,590**	**8,239**	**22.5**	**8.6**
	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याजजन्य आय	7,281	7,822	21.8	7.4
	(95.9)	(94.9)		
ii. अन्य आय	309	417	44.1	35.0
	(4.1)	(5.1)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**7,272**	**7,985**	**21.8**	**9.8**
	(100.0)	(100.0)		
i. व्यय किया गया ब्याज	5,729	6,595	24.9	15.1
	(78.8)	(82.6)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	451	393	-16.9	-12.9
	(6.2)	(4.9)		
iii. परिचालन व्यय	1,092	997	29.3	-8.7
	(15.0)	(12.5)		
जिसमें से, वेतन बिल	512	581	11.8	13.7
	(7.0)	(7.3)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	768	647	0.6	-15.8
ii. निवल लाभ	318	253	43.8	-20.4

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय के प्रतिशत हैं।
2. बिहार, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और केरल के वर्ष 2009-10 के आंकड़ों के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े दोहराए गए हैं।

स्रोत: नाबार्ड

5.41 वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में कुल एनपीए में 'अव-मानक' और 'हानि' वाले एनपीए वर्गों के प्रतिशत हिस्से में बढ़ोतरी हुई, तथापि, इसी अवधि में 'संदिग्ध' एनपीए के प्रतिशत हिस्से में गिरावट आई (चार्ट V.12)।

सारणी V.14: राज्य सहकारी बैंकों की सुदृढ़ता संबंधी संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार		प्रतिशत घटबढ़	
	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5
क. कुल एनपीए (i+ii+iii)	**5,725**	**4,353**	-7.5	-24.0
i. अव-मानक	1,627	1,332	-41.9	-18.1
ii. संदिग्ध	3,822	2,219	44.1	-41.9
iii. हानि	276	802	-62.5	190.6
ख. ऋण के प्रति एनपीए अनुपात	**11.8**	**8.8**		
i. मांग की तुलना में वसूली (%)	91.8	91.8		
ii. अपेक्षित प्रावधान	2,883	2,861	8.5	-0.7
iii. किया गया प्रावधान	3,310	4,438	10.3	34.1

स्रोत: नाबार्ड

ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

ऋणों और अग्रिमों की तुलना में निवेशों में तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई

5.42 वर्ष 2009-10 में देयता के अंतर्गत जमा-राशि और 'अन्य' देयताओं में बढ़ोतरी होने की वजह से डीसीसीबी के तुलन-पत्र में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2008-09 की तुलना में इस अवधि में निवेशों की गति धीमी रही।

5.43 वर्ष 2009-10 में डीसीसीबी की कुल देयताओं में जमा-राशियों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा था जो इस बात को दर्शाता है कि वे निधि की प्राप्ति के लिए जमा-राशि पर काफी निर्भर थे। साथ ही साथ, कुल देयताओं में जमाराशियों और आरक्षित निधियों के प्रतिशत हिस्से में कमी आई।

5.44 आस्ति पक्ष के अंतर्गत कुल आस्तियों में ऋणों और अग्रिमों का हिस्सा लगभग आधा रहा, जबकि उनमें निवेशों का हिस्सा लगभाग एक-तिहाई था। 2008-09 में ऋणों और अग्रिमों में गिरावट हुई, जबकि वर्ष 2009-10 में बढ़ोतरी हुई। तथापि, वर्ष 2009-10 में ऋणों और अग्रिमों में हुई वृद्धि की तुलना में इस अवधि में निवेश की वृद्धि अधिक रही। तथापि, वर्ष 2009-10 के दौरान ऋणों और अग्रिमों की राशि की तुलना में निवेश की राशि में हुई उच्चतर वृद्धि से यह संकेत मिलता है कि डीसीसीबी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं

चार्ट V.12: एसटीसीबी के विभिन्न प्रकार के एनपीए वर्गों का प्रतिशत हिस्सा

(मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार)

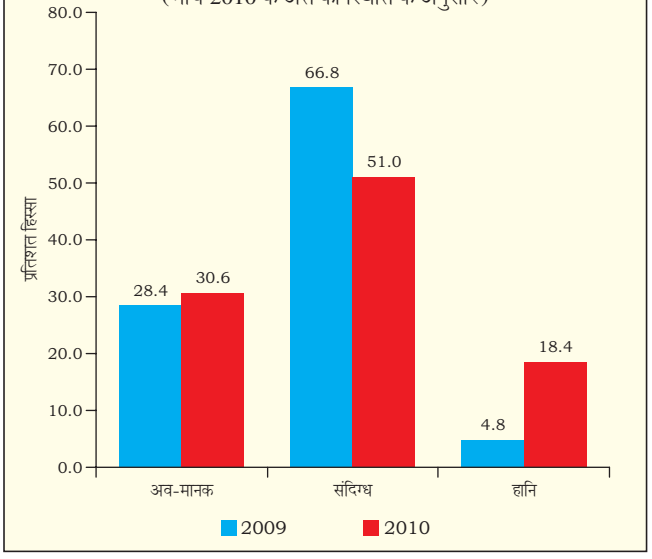

सारणी V.15: ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार		प्रतिशत घटबढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	6,578	7,309	10.8	11.1
	(3.4)	(3.3)		
2. आरक्षित निधि	23,227	24,061	3.4	3.6
	(11.9)	(11.0)		
3. जमाराशियां	1,27,623	1,46,404	16.4	14.7
	(65.2)	(67.0)		
4. उधार	27,663	28,735	-13.9	3.9
	(14.1)	(13.1)		
5. अन्य देयताएं	10,593	12,168	21.1	14.9
	(5.4)	(5.6)		
आस्तियां				
1. नकद और बैंक शेष	12,917	14,797	21.8	14.6
	(6.6)	(6.8)		
2. निवेश	64,709	75,913	34.2	17.3
	(33.1)	(34.7)		
3. ऋण और अग्रिम	99,429	1,07,466	-1.8	8.1
	(50.8)	(49.1)		
4. अन्य आस्तियां	18,629	20,500	-1.0	10.0
	(9.5)	(9.4)		
कुल देयताएं/आस्तियां	**1,95,684**	**2,18,676**	**9.4**	**11.7**
	100.0	**100.0**		

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
2. 'आरक्षित निधियों' में लाभ-हानि लेखा में उपलब्ध शेष राशि शामिल है जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।
3. बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल के मामले में अद्यतन आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2009-10 के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े दोहराए गए हैं।

स्रोत: नाबार्ड

के चलते देशी संवृद्धि में अधोमुखी जोखिम बढ़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए उससे बचने के लिए ऋण देने के बजाय निवेश को प्राथमिकता देते रहे हैं (सारणी V.15)।

मुख्य रूप से परिचालन व्ययों में बढ़ोतरी होने की वजह से डीसीसीबी के निवल लाभों में कमी आई

5.45 वर्ष 2009-10 में डीसीसीबी के निवल लाभों में काफी कमी आने की वजह से उनका समग्र वित्तीय निष्पादन खराब रहा। इसके विपरीत, पिछले वर्ष में इन संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन में सुधार आया था जब डीसीसीबी उसके पिछले वर्ष की तुलना में समग्र लाभ दर्ज कर रहे थे।

5.46 डीसीसीबी के लाभ-हानि लेखे के विभिन्न घटकों का विश्लेषण करने पर पता चला कि मुख्य रूप से परिचालन व्ययों में तेज़ी से बढ़ोतरी होने की वजह से लाभों में कमी आई। वर्ष 2009-10 में डीसीसीबी के कुल व्यय में ब्याजजन्य व्यय का सर्वाधिक हिस्सा रहा, जोकि उस अवधि में ब्याजजन्य आय की तुलना में तीव्र गति से बढ़ रहा था। वर्ष 2008-09 की तुलना में 2009-10 में काफी धीमी गति से ब्याजजन्य आय, जोकि डीसीसीबी की आय में प्रमुख घटक है, में बढ़ोतरी हुई (सारणी V.16)।

एनपीए अनुपात में कमी होने से डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया

5.47 मार्च 2010 के अंत में पिछले वर्ष के क्रम में डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में बेहतरी की प्रवृत्ति जारी रही। पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में कुल एनपीए के साथ-साथ एनपीए अनुपात में गिरावट आई। एसटीसीबी की तरह डीसीसीबी के कुल एनपीए में हानि वाली आस्तियों के हिस्से के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद संदिग्ध और अव-मानक आस्तियों के हिस्से के प्रतिशत में गिरावट आई। कुल एनपीए में क्रमशः अव-मानक आस्तियों और संदिग्ध आस्तियों का सर्वाधिक हिस्सा रहा। पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में डीसीसीबी के वसूली निष्पादन में भी सुधार आया (सारणी V.17)।

सारणी V.16: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**16,302**	**17,713**	**24.1**	**8.7**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याजजन्य आय	14,817	15,936	23.7	7.6
	(90.9)	(90.0)		
ii. अन्य आय	1,485	1,777	28.6	19.7
	(9.1)	(10.0)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**14,949**	**16,576**	**12.6**	**10.9**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. व्यय किया गया ब्याज	9,413	10,330	19.6	9.7
	(63.0)	(62.3)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	2,119	2,228	-12.5	5.1
	(14.2)	(13.4)		
iii. परिचालन व्यय	3,417	4,018	14.7	17.6
	(22.9)	(24.2)		
जिसमें से, वेतन बिल	2,255	2,618	13.9	16.1
	(15.1)	(15.8)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	3,473	3,363	52.1	-3.2
ii. निवल लाभ	1,353	1,136	-	-16.0

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल राशि के प्रतिशत हैं।
2. बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल के मामले में अद्यतन आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2007-08 के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े दोहराए गए हैं।

स्रोत: नाबार्ड

बॉक्स V.2: राज्य सहकारी बैंकों की सुदृढ़ता

एक प्रवृत्तिपरक विश्लेषण

राज्य सहकारी बैंक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की अल्पावधिक संरचना के अंतर्गत शीर्ष संस्था होते हैं। अतः राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति का अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं पर काफी असर पड़ता है। विशेष रूप से हाल के वर्षों में बुनियादी स्तरीय सहकारी संस्थाओं या पीएसीएस को काफी घाटा होने के परिप्रेक्ष्य में एसटीसीबी द्वारा उन पीएसीएस को सहायता प्रदान करना उनकी अपनी वित्तीय सुदृढता पर निर्भर है।

चूंकि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं से संबंधित जोखिम-भारित आस्ति के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अतः एसटीसीबी के जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) का परिकलन करना संभाव नहीं था। तथापि, एसटीसीबी की पूंजी पर्याप्तता के कच्चे परिकलन को ही निवेश और अग्रिम की तुलना में पूंजी और आरक्षित निधि के अनुपात के रूप में मान लिया गया। हाल के वर्षों में यह अनुपात 12-15 प्रतिशत के दायरे में रहा, किंतु पिछले दो वर्षों में इसमें मामूली गिरावट आई (चार्ट 2.1)। एसटीसीबी का उच्च लीवरेज अनुपात[8] ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के लिए एक चिंता की बात बनी हुई है और यह उन्हें बुनियादी स्तरीय संस्थाओं को सहायता प्रदान करने से भी रोकता है।

वर्ष 2006 से एसटीसीबी के एनपीए में समग्र रूप से और प्रतिशत में लगातार गिरावट आती रही है। एनपीए की तीन प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत कमी आने की वजह से इस प्रकार गिरावट हुई, तथापि, 2009-10 में 'हानि' वाली श्रेणी में बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद, वाणिज्य बैंकों की तुलना में एसटीसीबी का एनपीए अनुपात अधिक रहा। 2005-09 की अवधि में एसटीसीबी के अनुपात की संरचना में एक और महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति देखी गई कि कुल एनपीए में 'अव-मानक' एनपीए के प्रतिशत हिस्से में कमी हुई। साथ ही, कुल एनपीए में 'संदिग्ध' एनपीए के प्रतिशत हिस्से में बढ़ोती हुई, किंतु 2010 में उसमें गिरावट आई। 2005-09 की अवधि में कुल एनपीए में 'संदिग्ध' एनपीए के प्रतिशत हिस्से में हुई बढ़ोतरी से यह पता चला कि हाल के वर्षों में कुल एनपीए में एसटीसीबी का एनपीए कम होने का नाम नहीं ले रहा था।

वर्ष 2007 से एसटीसीबी के प्रावधान कवरेज अनुपात में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी। इसके अलावा, एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2010 में पिछले वर्ष की तुलना में एसटीसीबी के प्रावधान कवरेज अनुपात में तीव्र वृद्धि हुई।

एसटीसीबी की क्षमता - ऋण जोखिम में बढ़ोतरी की एक दबाव परीक्षा

आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण एसटीसीबी के लिए एक बैंक स्तरीय दबाव परीक्षा चलाना संभव नहीं था। तथापि, बढ़े हुए ऋण जोखिम का सामना करने में एसटीसीबी की क्षमता का विश्लेषण करने हेतु एक प्रणाली स्तरीय दबाव परीक्षा चलाई गई। उस दबाव परीक्षा में यह मान लिया गया कि अव-मानक आस्तियों के मामले में 25 प्रतिशत तथा संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों में 100 प्रतिशत की प्रावधानीकरण-अपेक्षा को बढ़ाने के साथ-साथ एसटीसीबी के सकल एनपीए में 100, 200 और 300 प्रतिशत में बढ़ोतरी हो जाता है। यह मान लिया गया कि तीनों परिस्थितियों में विभिन्न श्रेणी के एनपीए के अनुपात में कोई बदलाव नहीं है। बढ़ी हुई प्रावधानीकरण-अपेक्षा को पहले एसटीसीबी के परिचालन लाभों में से समायोजित किया गया। उसके बाद अवशिष्ट प्रावधानीकरण-अपेक्षाओं, यदि कोई हों, को पूंजी से घटाया गया। एसटीसीबी की कोई जोखिम भारित आस्तियां उपलब्ध न होने की वजह से सीआरएआर का परिकलन पूंजी (प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं का समायोजन करने के बाद) और आरक्षित निधि के प्रति निवेशों (जोखिम भारित) और अग्रिमों के अनुपात के रूप में किया गया। एसटीसीबी द्वारा एसएलआर लिखतों में किए गए निवेशों के लिए शून्य प्रतिशत का जोखिम भारांक मान लिया गया (आरबीआई अधिनियम की धारा 42(2) के फार्म बी के अनुसार प्राप्त किए आंकड़ों के आधार पर)। निम्नांकित सारणी में दबाव परीक्षा के परिणाम दिए गए हैं।

सारणी 2.1: ऋण जोखिम संबंधी दबाव परीक्षा के परिणाम-एसटीसीबी

मद	परिस्थिति I	परिस्थिति II	परिस्थिति III
1	2	3	4
एनपीए में बढ़ोतरी प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाएं	100% अव-मानक आस्तियों के लिए 25 प्रतिशत और संदिग्ध/हानि वाली आस्तियों के लिए 100 प्रतिशत	200% अव-मानक आस्तियों के लिए 25 प्रतिशत और संदिग्ध/हानि वाली आस्तियों के लिए 100 प्रतिशत	300% अव-मानक आस्तियों के लिए 25 प्रतिशत और संदिग्ध/हानि वाली आस्तियों के लिए 100 प्रतिशत
सीआरएआर (वास्तविक)	15.8	15.8	15.8
दबाव की स्थिति में सीआरएआर	7.7	3.3	-1.2

दबाव परीक्षा के परिणामों से पता चला कि दबाव की उपर्युक्त परिस्थितियों में सीआरएआर का स्तर काफी गिरने के साथ-साथ एनपीए के स्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने की स्थिति में प्रणाली के स्तर पर एसटीसीबी के सीआरएआर पर काफी असर पड़ता है।

चार्ट 2.1: एसटीसीबी की पूंजी पर्याप्तता, लीवरेज और एनपीए की प्रवृत्ति

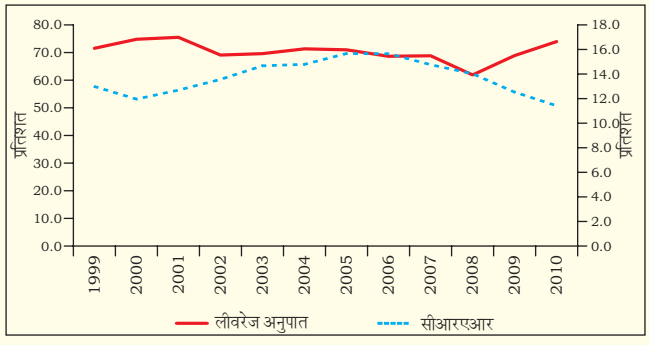

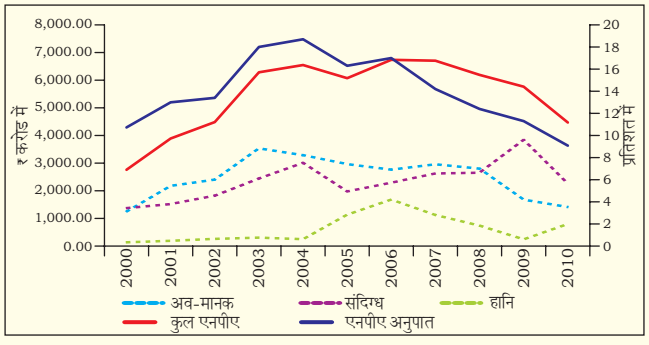

[8] इसका परिकलन आस्ति और पूंजी के अनुपात के रूप में किया जाता है।

सारणी V.17: ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की सुदृढ़ता संबंधी संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क. कुल एनपीए (i+ ii + iii)	**17,989**	**16,234**	**-4.1**	**-9.8**
i) अव-मानक	8,110	7,229	2.9	-10.9
	(45.1)	(44.5)		
ii) संदिग्ध	7,202	6,394	-12.3	-11.2
	(40.0)	(39.4)		
iii) हानि	2,677	2,611	0.7	-2.5
	(14.9)	(16.1)		
ख. ऋणों की तुलना में एनपीए का प्रतिशत	**17.9**	**12.9**		
i) मांग की तुलना में वसूली (%)	72.7	75.7		
ii) अपेक्षित प्रावधान	10,225	10,984	-1.6	7.4
iii) किया गया प्रावधान	11,463	12,393	-5.1	8.1

स्रोत : नाबार्ड

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस)

5.48 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण प्रदान करने की महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती रहीं। पीएसीएस अल्पावधिक ग्रामीण ऋणदात्री सहकारी संस्थाओं का एक अभिन्न अंग हैं, जो बुनियादी स्तर पर कार्य करती हैं और किसानों और ग्रामीण कारीगारों को अल्पावधिक फसल ऋण और अन्य कार्यशील पूंजी ऋण देती हैं।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा दिये गये कुल अग्रिमों में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई

5.49 वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में पीएसीएस के तुलन-पत्रगत परिचालनों में काफी विस्तार हुआ। मुख्य रूप से जमा-राशि में हुई वृद्धि की वजह से पीएसीएस की कार्यशील पूंजी में बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2009-10 में पीएसीएस के कुल संसाधनों में उधार राशि का आधे से अधिक हिस्सा रहा, इससे स्पष्ट है कि वे निधि जुटाने में बाहरी स्रोतों पर अधिक निर्भर रहती हैं। वर्ष 2009-10 में पीएसीएस द्वारा दिए गए कुल ऋणों में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2009-10 में मध्यावधिक ऋणों की तुलना में अल्पावधिक ऋणों, जिसका पीएसीएस द्वारा दिए गए कुल ऋणों में 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, में तीव्र गति से वृद्धि हुई (सारणी V.18)।

लगभग 43 प्रतिशत पीएसीएस ने हानि रिपोर्ट की

5.50 पीएसीएस के वित्तीय निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि देशभर में परिचालरत कुल पीएसीएस में से 43 प्रतिशत पीएसीएस घाटा उठा रही थी, जबकि 5 प्रतिशत पीएसीएस निष्क्रिय या परिचालन में नहीं थी। आम तौर पर इससे इन संस्थाओं का कमज़ोर वित्तीय निष्पादन दिखाई पड़ता है। तथापि, मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत पीएसीएस को व्यवहार्य पीएसीएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 23 प्रतिशत पीएसीएस को संभावित रूप से व्यवहार्य पीएसीएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की दीर्घावधिक संरचना

5.51 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की दीर्घावधिक संरचना के अंतर्गत राज्य के स्तर पर परिचालनरत एससीएआरडीबी और ज़िला/खंड के स्तर पर परिचालित पीसीएआरडीबी शामिल हैं। वर्ष 2009-10 में एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी दोनों ने निवल हानि रिपोर्ट की। इसके अलावा, 2009-10 में इनके सकल एनपीए में बढ़ोतरी हुई, तथापि, पीसीएआरडीबी के एनपीए अनुपात में मामूली गिरावट आई।

सारणी V.18: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां - चुनिंदा तुलन-पत्रगत संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क. देयताएं				
1. कुल संसाधन (2+3+4)	87,080	99,529	3.3	14.3
2. स्वाधिकृत निधियां (क+ख)	11,896	12,479	8.3	4.9
क. प्रदत्त पूंजी	7,007	7,148	6.2	2.0
जिसमें से,				
सरकार का योगदान	603	656	-4.1	8.9
ख. कुल आरक्षित निधियां	4,889	5,330	11.4	9.0
3. जमा-राशियां	26,245	35,286	3.1	34.4
4. उधार राशियां	48,938	51,764	2.3	5.8
5. कार्यशील पूंजी	94,585	1,35,192	7.4	42.9
ख. आस्तियां				
1. प्रदत्त कुल ऋण (क+ख)*	58,787	74,938	2.0	27.5
क) अल्पावधिक	48,022	61,951	1.3	29.0
ख) मध्यावधिक	10,765	12,987	5.0	20.6
2. बकाया कुल ऋण (क+ख)	64,044	76,480	-2.5	19.4
क) अल्पावधिक	45,686	54,970	4.6	20.3
ख) मध्यावधिक	18,359	21,510	-16.4	17.2

टिप्पणी: * - वर्ष के दौरान
स्रोत: एनएएफएससीओबी

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी)

एससीएआरडीबी की उधार राशि में गिरावट आई जबकि पूंजी और आरक्षित निधियां दोनों में हुई वृद्धि से उनकी देयताओं के हिस्से में वृद्धि हुई

5.52 वर्ष 2009-10 में एससीएआरडी की कुल आस्तियों/देयताओं में 0.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, जबकि 2008-09 में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2009-10 में देयता पक्ष के अंतर्गत उधार, जोकि निधि जुटाने का प्रमुख स्रोत है, में ऋणात्मक वृद्धि हुई। जबकि इस अवधि में देयता पक्ष के अंतर्गत अन्य प्रमुख मदों, अर्थात् निवल स्वाधिकृत निधि (पूंजी और आरक्षित निधि) और जमाराशि, में बढ़ोतरी हुई।

5.53 मार्च 2010 के अंत में आस्ति पक्ष के अंतर्गत कुल आस्तियों में ऋणों और अग्रिमों का हिस्सा लगभग दो-तिहाई रहा। वर्ष 2010 में कुल आस्तियों के अंतर्गत एक और प्रमुख घटक, अर्थात् 'अन्य आस्तियों' में गिरावट आई। हालाँकि वर्ष 2009-10 में किए गए निवेशों की गति पिछले वर्ष की तुलना में धीमी हुई, फिर भी वर्ष 2009-10 में इसमें ऋणों और अग्रिमों की तुलना में ऊँची दर पर वृद्धि हुई (सारणी V.19)।

एससीएआरडीबी ने निवल हानि रिपोर्ट की जबकि पिछले वर्ष उन्होंने निवल लाभ रिपोर्ट किया था

5.54 वर्ष 2009-10 में एससीएआरडीबी का वित्तीय निष्पादन काफी खराब हुआ। उल्लेखनीय है कि एससीएआरडीबी ने वर्ष 2009-10 में निवल हानि रिपोर्ट की है, जबकि उन्होंने वर्ष 2008-09 में लाभ रिपोर्ट किया था। एक ओर ब्याजजन्य आय में काफी गिरावट आने और दूसरी ओर परिचालन व्ययों, जिनमें वेतन संबंधी व्यय शामिल है, में हुई बढ़ोतरी की वजह से उनका वित्तीय निष्पादन खराब रहा। हालाँकि प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों में काफी गिरावट के साथ-साथ ब्याज पर किए गए व्यय में भी मामूली गिरावट आई, फिर भी इससे आय में हुई कमी, जो कि 2008-09 की लगभग एक-तिहाई के बराबार है, की भरपाई नहीं हो पाई (सारणी V.20)।

एससीएआरडीबी के लाभों में गिरावट आई, साथ ही, एनपीए अनुपात में बढ़ोतरी हुई

5.55 वर्ष 2009-10 में एससीएआरडीबी की लाभप्रदता में काफी कमी आई और उनके एनपीए में बढ़ोतरी हुई। एनपीए की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 'अव-मानक' और 'संदिग्ध' श्रेणियों में बढ़ोतरी हुई, जबकि 'हानि' वाले एनपीए में कमी आई। कुल एनपीए में 'अव-मानक' एनपीए का हिस्सा सबसे बड़ा रहा, उसके बाद 'संदिग्ध' और 'हानि' श्रेणी के एनपीए का क्रम था। तथापि, मार्च 2010 के अंत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में वसूली में एससीएआरडीबी के वित्तीय निष्पादन में सुधार आया (सारणी V.21)।

सारणी V.19: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	812	821	-33.5	1.0
	(3.2)	(3.2)		
2. आरक्षित निधियां	3,191	3,688	15.4	15.6
	(12.6)	(14.4)		
3. जमा-राशियां	711	759	8.6	6.7
	(2.8)	(3.0)		
4. उधार-राशियां	15,849	15,581	-1.6	-1.7
	(62.4)	(61.0)		
5. अन्य देयताएं	4,823	4,713	20.2	-2.3
	(19.0)	(18.4)		
आस्तियां				
1. नकद और बैंक शेष	189	197	-22.5	4.3
	(0.7)	(0.8)		
2. निवेश	2,941	3,141	15.6	6.8
	(11.6)	(12.3)		
3. ऋण और अग्रिम	16,420	17,000	-11.2	3.5
	(64.7)	(66.5)		
4. अन्य आस्तियां	5,836	5,224	67.3	-10.5
	(23.0)	(20.4)		
कुल देयताएं/आस्तियां	**25,386**	**25,562**	**2.5**	**0.7**
	(100.0)	**(100.0)**		

नोट: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल राशि के प्रतिशत हैं।
2. महाराष्ट्र के मामले में एससीएआरडीबी के वर्ष 2007-08 के आंकड़े दोहराए गए हैं।
3. मणिपुर स्थित एससीआरडीबी परिचालन में नहीं है।

स्रोत: नाबार्ड

प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी)

वर्ष 2009-10 में पीसीएआरडीबी के तुलन-पत्र में कम दर पर बढ़ोतरी हुई

5.56 वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में पीसीएआरडीबी की 'अन्य' आस्तियों और देयताओं में आए संकुचन और उनके तुलन-पत्रों के दो प्रमुख घटकों, यथा- उधार ली गई राशि तथा ऋण एवं अग्रिम, में धीमी गति से बढ़ोतरी होने की वजह से उनके तुलन-पत्र की वृद्धि दर में कमी आई। मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार

सारणी V.20: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क आय (i+ii)	**3,009**	**2,012**	**65.0**	**-33.1**
	(100.0)	(100.0)		
i ब्याजजन्य आय	2,774	1,737	64.6	-37.4
	(92.2)	(86.3)		
ii अन्य आय	235	275	69.3	17.1
	(7.8)	(13.7)		
ख व्यय (i+ii+iii)	**2,960**	**2,040**	**43.2**	**-31.1**
	(100.0)	(100.0)		
i व्यय किया गया ब्याज	1,330	1,303	3.7	-2.0
	(44.9)	(63.9)		
ii प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1,390	450	147.7	-67.7
	(47.0)	(22.1)		
iii परिचालन व्यय	240	287	7.7	19.6
	(8.1)	(14.1)		
जिसमें से, वेतन बिल	194	233	19.7	20.3
	(6.5)	(11.4)		
ग लाभ				
i परिचालन लाभ	1,439	422	352.2	-70.6
ii निवल लाभ (+)/ हानि (-)	49	-27	-	-

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल राशि के प्रतिशत हैं।
2. महाराष्ट्र स्थित एससीएआरडीबी के आंकड़े दोहराए गए हैं।
3. मणिपुर का एससीएआरडीबी परिचालन में नहीं है।
स्रोत: नाबार्ड

पीसीएआरडीबी के कुल संसाधनों में उधार ली गई राशियों का हिस्सा आधे से अधिक रहा, जबकि उनमें पूंजी और आरक्षित निधियों का समग्र हिस्सा 21 प्रतिशत था। आस्ति पक्ष के अंतर्गत 'अन्य आस्तियों' का हिस्सा सर्वाधिक रहा, जिसके बाद ऋणों एवं अग्रिमों तथा निवेशों का क्रम रहा। वर्ष 2009-10 में ऋणों और अग्रिमों की तुलना में निवेशों में उच्च दर पर वृद्धि हुई (सारणी V.22)।

सारणी V.21: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की सुदृढ़ता संबंधी संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क. कुल एनपीए (i+ii+iii)	**4,948**	**5,641**	**-23.1**	**14.0**
	(100.0)	**(100.0)**		
i) अव-मानक	2,942	3,475	-15.1	18.1
	(59.5)	(61.6)		
ii) संदिग्ध	1,970	2,146	-28.7	9.0
	(39.8)	(38.0)		
iii) हानि	36	20	-82.8	-43.7
	(0.7)	(0.4)		
ख. ऋणों की तुलना में एनपीए का अनुपात	**30.4**	**33.2**		
i) मांग की तुलना में वसूली (%)	40.7	41.0		
ii) अपेक्षित प्रावधान	1,466	1,218	13.9	-16.9
iii)किया गया प्रावधान	1,493	1,536	16.0	2.9

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत: नाबार्ड

स्टाफ संबंधी व्ययों में तेज़ी से बढ़ोतरी होने से पीसीएआरडीबी को अधिक घाटा हुआ

5.57 वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में हानि में बढ़ोतरी होने से पीसीएआरडीबी का वित्तीय निष्पादन खराब रहा। ब्याजजन्य और गैर-ब्याजजन्य आय दोनों में कमी आने की वजह से पीसीएआरडीबी की आय में समग्र रूप से गिरावट आई। व्यय पक्ष के अंतर्गत स्टाफ संबंधी व्ययों तथा प्रावधान और आकस्मिक व्ययों में तेज़ गति से बढ़ोतरी हुई। तथापि, उल्लेखनीय है कि पीसीएआरडीबी ने मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार परिचालनगत लाभ दर्ज किए, किंतु उच्च प्रावधानीकरण और आकस्मिक व्ययों की वजह से उन्होंने निवल हानि दर्ज की (सारणी V.23)।

पीसीएआरडीबी के एनपीए अनुपात में मामूली गिरावट आई

5.58 मार्च 2010 के अंत में पिछले वर्ष की तुलना में पीसीएआरडीबी के कुल एनपीए में राशि के रूप में बढ़ोतरी हुई। तथापि, इसी अवधि में पीसीएआरडीबी के एनपीए अनुपात में मामूली

सारणी V.22: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	1,515	1,527	69.4	0.8
	(6.1)	(6.1)		
2. आरक्षित निधि	3,493	3,638	15.0	4.2
	(14.1)	(14.5)		
3. जमा-राशि	400	461	17.8	15.2
	(1.6)	(1.8)		
4. उधार ली गई राशि	12,365	12,832	16.4	3.8
	(49.8)	(51.3)		
5. अन्य देयताएं	7,073	6,579	32.8	-7.0
	(28.5)	(26.3)		
आस्तियां				
1. नकद और बैंक शेष	236	268	86.2	13.6
	(0.9)	(1.1)		
2. निवेश	1,122	1,167	27.6	4.0
	(4.5)	(4.7)		
3. ऋण और अग्रिम	11,268	11,482	13.7	1.9
	(45.4)	(45.9)		
4. अन्य आस्तियां	12,219	12,120	31.3	-0.8
	(49.2)	(48.4)		
कुल देयताएं/आस्तियां	**24,846**	**25,037**	**22.9**	**0.8**
	100.0	**100.0**		

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल राशि के प्रतिशत हैं।
स्रोत: नाबार्ड

सारणी V.23: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**2,022**	**1,831**	**29.2**	**-9.4**
	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याजजन्य आय	1,431	1,292	4.8	-9.8
	(70.8)	(70.5)		
ii. अन्य आय	591	540	195.8	-8.7
	(29.2)	(29.5)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**2,221**	**2,248**	**15.3**	**1.2**
	(100.0)	(100.0)		
i. व्यय किया गया ब्याज	1,217	1,138	22.9	-6.5
	(54.8)	(50.6)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	545	596	-12.3	9.3
	(24.6)	(26.5)		
iii. परिचालन व्यय	458	513	46.0	12.0
	(20.6)	(22.8)		
जिनमें से, वेतन बिल	191	285	-9.4	49.2
	(8.6)	(12.7)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	347	180	32.5	-48.1
ii. निवल लाभ	-199	-417	-	-

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल राशि के प्रतिशत हैं।
स्रोत: नाबार्ड

सारणी V.24: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क. कुल एनपीए (i+ii+iii)	**4,742**	**4,840**	**-7.3**	**2.1**
	(100.0)	**(100.0)**		
i) अव-मानक	2,769	2,723	-7.2	-1.7
	(58.4)	(56.3)		
ii) संदिग्ध	1,930	2,089	-8.3	8.2
	(40.7)	(43.2)		
iii) हानि	43	28	53.7	-34.2
	(0.9)	(0.6)		
ख. एनपीए-ऋण अनुपात	**42.2**	**42.0**		
i) मांग की तुलना में वसूली (%)	39.5	41.5		
ii) अपेक्षित प्रावधान	854	1,040	-5.4	21.8
iii) किया गया प्रावधान	903	1,114	-4.8	23.4

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल राशि के प्रतिशत हैं।
स्रोत: नाबार्ड

गिरावट आई। मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के एनपीए के अंतर्गत संदिग्ध एनपीए में काफी बढ़ोतरी हुई, जबकि अव-मानक और हानि वाले एनपीए में कमी आई। मार्च 2010 के अंत में पिछले वर्ष की तुलना में पीसीएआरडीबी के वसूली निष्पादन में सुधार आया (सारणी V.24)।

4. ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने में नाबार्ड की भूमिका

5.59 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को ऋण प्रदान करने में नाबार्ड एक धुरी की भूमिका निभाता है। नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अल्पावधिक ऋण का मुख्य रूप से मौसमी स्वरूप की कृषि गतिविधियों, फसलों के विपणन और मछली पालन संबंधी क्रियाकलापों के वित्तपोषण में उपयोग किया जाता है। मध्यावधिक ऋण का उपयोग अन्य अनुमोदित कृषि कार्यों के लिए किया जाता है और दीर्घावधिक कर्ज में राज्य सरकारों को दिया गया ऋण शामिल होता है।

नाबार्ड द्वारा दिए गए कुल ऋण में एसटीसीबी को दिए गए ऋण का हिस्सा लगभग 70 प्रतिशत रहा

5.60 वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में नाबार्ड द्वारा दिए गए ऋण की कुल राशि में काफी बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2010-11 में नाबार्ड द्वारा दिए गए कुल ऋणों के अंतर्गत एसटीसीबी और आरआरबी को दिए गए अल्पावधिक ऋण का हिस्सा सर्वाधिक रहा। वर्ष 2010-11 में नाबार्ड द्वारा दिए गए कुल ऋण में से एसटीसीबी को लगभग 70 प्रतिशत का हिस्सा प्राप्त हुआ जबकि आरआरबी को 29 प्रतिशत का हिस्सा प्राप्त हुआ तथा राज्य सरकारों को दिए गए दीर्घावधिक ऋण का हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम रहा। वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में एसटीसीबी और आरआरबी को दिए गए ऋण में काफी बढ़ोतरी हुई, किंतु राज्य सरकारों को दिए गए दीर्घावधिक ऋण में गिरावट आई (सारणी V.25)।

ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के अंतर्गत की गई प्रगति

5.61 ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेशों में आई गिरावट के परिप्रेक्ष्य में, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार और नाबार्ड की संयुक्त पहल से आरआईडीएफ की स्थापना की गई। वर्ष 1995-96 के वार्षिक बजट में आरआईडीएफ योजना की शुरुआत की गई। आरआईडीएफ योजना के अंतर्गत निधि ऐसे वाणिज्य बैंकों से उस सीमा तक जुटाई जाती है, जिस सीमा तक वे कृषि के संबंध में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने से चूक जाते हैं।

बॉक्स V. 3 वित्तीय समावेशन में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की भूमिका - कुछ उभरते मुद्दे

देश के कोने-कोने में स्थित ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का व्यापक नेटवर्क समाज के वंचित और गरीब तबके के लोगों तक पहुंचने का एक सक्षम साधन माना जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के भौगोलिक फैलाव और उनके द्वारा किए जाने वाले बैंकिंग कारोबार का तुलनात्मक विश्लेषण करना जरूरी है। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के परिचालनों और कार्य-निष्पादन संबंधी क्षेत्रवार आंकड़ों से पता चला कि एक ओर एसटीसीबी, जो कि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की अल्पावधिक संरचना में नोडल संस्थाएं हैं, प्रत्येक राज्य में स्थित है, तो दूसरी ओर डीसीसीबी की देश के केंद्रीय और दक्षिण क्षेत्रों में उपस्थिति है। देश के पश्चिम और पूर्व भागों में डीसीसीबी का बैंकिंग नेटवर्क कमजोर पाया गया, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक भी डीसीसीबी उपलब्ध नहीं है। न केवल देश के पश्चिम और पूर्व भागों में डीसीसीबी की संख्या काफी कम है, बल्कि इन दोनों क्षेत्रों में हानि वाली संस्थाओं का प्रतिशत भी अधिक पाया गया। इसके विपरीत देश के पश्चिम और पूर्व भागों में पीएसीएस, जो कि अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के अंतर्गत बुनियादी स्तरीय संस्थाएं हैं, अधिक संख्या में मौजूद हैं। विभिन्न क्षेत्रों के बीच देश के दक्षिण क्षेत्र में हानि वाली पीएसीएस का प्रतिशत सबसे अधिक है।

अल्पावधिक ऋण संरचना के अंतर्गत एससीएआरडीबी केंद्रीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जबकि कुल पीसीएआरडीबी में 60 प्रतिशत से अधिक बैंक देश के दक्षिण क्षेत्र में अवस्थित हैं। उल्लेखनीय है कि दक्षिण क्षेत्र में परिचालनरत पीसीएआरडीबी की संख्या काफी कम है और साथ ही, मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार पश्चिम क्षेत्र स्थित सभी संस्थाएं हानि उठा रही हैं (चार्ट 3.1)।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के क्षेत्रवार आंकड़े के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन संस्थाओं का नेटवर्क व्यापक रहने के बावजूद देश के विभिन्न भागों में इनकी समान रूप से उपस्थिति नहीं है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का नेटवर्क काफी कमजोर रहने की वजह से वित्तीय समावेशन के लिए इन संस्थाओं की क्षमता सीमित हो जाती है। इसके अलावा, एसटीसीबी को देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वाधिक एनपीए अनुपात का सामना करना पड़ा (परिशिष्ट सारणी V.4)। मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार केवल 4 प्रतिशत की पीएसीएस पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिचालनरत हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिचालित एससीएआरडीबी ने भी लगभग 50 प्रतिशत के एनपीए अनुपात का सामना किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिचालनरत ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की कम संख्या और उनकी निराशाजनक वित्तीय निष्पादन चिंता की बात बने हुए हैं।

मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार डीसीसीबी, एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी के वित्तीय निष्पादन खराब होने लगे। परिचालन व्ययों में हुई बढ़ोतरी के चलते इन संस्थाओं के लाभों में गिरावट आई। परिचालन व्ययों की बढ़ोतरी का मतलब उनकी परिचालनगत अक्षमता। अतः उनकी कारोबारी गतिविधियों को सारणीबद्ध करने और मानव संसाधन विकास संबंधी पहलें करने हेतु एक व्यापक योजना जरूरी है। साथ ही, कुछ राज्यों में पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण कार्य, जहाँ पहले से शुरू हो चुका हो, में गति बढ़ाना आवश्यक है तथा अन्य राज्यों, जहाँ पीएसीएस परिचालित हैं, को भी इस दिशा में कार्य शुरू करना चाहिए। पीएसीएस के लिए सामान्य लेखांकन पद्धति (सीएएस) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को अपनाने की प्रक्रिया और व्यापक हो। कारोबारी गतिविधियों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की क्षमता बड़े पैमाने पर बढ़ने की प्रत्याशा है। तथापि, इस प्रौद्योगिकी की जानकारी हासिल करने के लिए इन संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए समुचित प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना जरूरी है।

चूंकी पीएसीएस से सदस्य ही उधार ले सकते हैं, अतः इन बुनियादी स्तरीय संस्थाओं के व्यापक नेटवर्क की प्रभावशीलता का और उपयोग करने हेतु सदस्यता प्रति पीएसीएस को बढ़ाना जरूरी है। मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार सदस्य प्रति पीएसी की संख्या घटकर 1336 हो गई, जबकि मार्च 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार यह संख्या 1384 थी। पश्चिम और केंद्रीय क्षेत्र में सदस्यता प्रति पीएसी कम है। इसके अलावा, देश के पूर्वोत्तर, पश्चिम और केंद्रीय क्षेत्रों में उधारकर्ता प्रति पीएसी कम है (सारणी 3.1)। हालाँकि देश के पश्चिम क्षेत्र में परिचालनरत पीएसीएस का सबसे अधिक प्रतिशत है, फिर भी पश्चिम क्षेत्र के साथ समूचे भारत के स्तर पर सदस्य प्रति पीएसी की संख्या में बढ़ोतरी करने की दिशा में प्रयास करना जरूरी है।

विशेष रूप से देश के पूर्वोत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में तथा सामान्य रूप से सारे भारत में परिचालनरत पीएसीएस से संबंधित मांग की तुलना में अतिदेय राशि का प्रतिशत बहुत ज्यादा पाया गया। मार्च 2010 के अंत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में सारे भारत के स्तर पर अतिदेय राशि के प्रतिशत में मामूली गिरावट आई, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिचालित पीएसीएस की अतिदेय राशि में बढ़ोतरी हुई। उच्च अतिदेय राशि पीएसीएस के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जो इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति और सुदृढता के समक्ष आशंका पैदा कर रही है। पीएसीएस की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए इस दिशा में यथोचित पहल करना जरूरी है।

चार्ट 3.1: ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का भौगोलिक अस्तित्व

(मार्च 2010 के अंत की स्थिति)

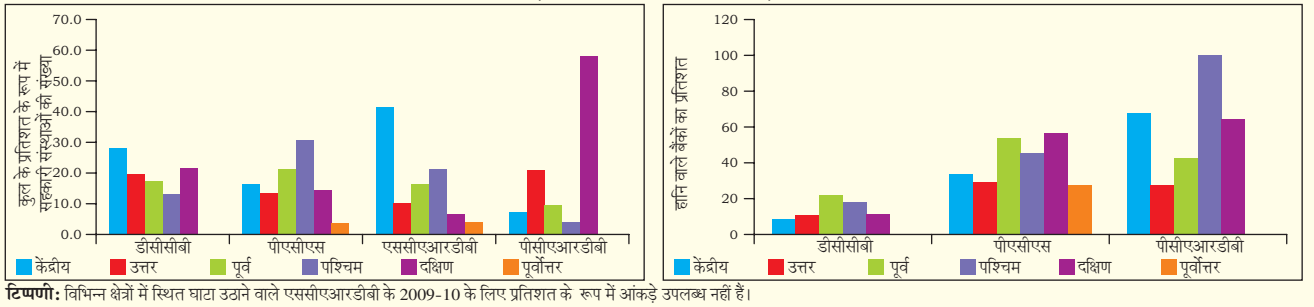

टिप्पणी: विभिन्न क्षेत्रों में स्थित घाटा उठाने वाले एससीएआरडीबी के 2009-10 के लिए प्रतिशत के रूप में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सारणी 3.1: पीएसीएस की सदस्यता संबंधी क्षेत्रवार ब्योरे

(मार्च 2010 के अंत की स्थिति)

क्षेत्र	सदस्य प्रति पीएसीएस	अजा/अजजा सदस्यों का प्रतिशत	ग्रामीण कारीगरों, छोटे और सीमांत किसानों का प्रतिशत	उधारकर्ता प्रति पीएसीएस	अजा/अजजा उधारकर्ताओं का प्रतिशत	ग्रामीण कारीगरों, छोटे और सीमांत उधारकर्ताओं का प्रतिशत
उत्तर	862	27.7	72.3	464	16.9	83.1
पूर्व	2,130	40.8	59.2	720	27.8	72.2
केंद्रीय	665	47.3	52.7	297	38.5	61.5
पश्चिम	571	13.3	86.7	147	16.2	83.8
दक्षिण	3,064	18.3	81.7	2,215	8.7	91.3
पूर्वोत्तर	1,031	35.2	64.8	73	32.2	67.8
अखिल भारत	1,336	28.9	71.1	632	17.1	82.9

सारणी V.25: नाबार्ड द्वारा एसटीसीबी, राज्य सरकारों और आरआरबी को दिया गया ऋण

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2009-10				2010-11			
	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. एसटीसीबी (क+ख)	**18,287**	**18,680**	**17,215**	**17,169**	**24,814**	**25,091**	**18,385**	**23,875**
क. अल्पावधिक*	18,287	18,680	17,149	17,169	23,975	24,898	18,385	23,682
ख. मध्यावधिक#	66**	0	66	0	839	193		193
2. राज्य सरकारें								
क. दीर्घावधिक	8***	0	53	199	0	8	39	167
3. आरआरबी (क+ख)	**7,374**	**7,091**	**3,969**	**6,924**	**10,459**	**10,416**	**7,137**	**10,203**
क. अल्पावधिक*	7,374	7,091	3,842	6,904	10,400	10,416	7,117	10,203
ख. मध्यावधिक#	0	0	127	20	59		20	
कुल जोड़ (1+2+3)	**25,661**	**25,771**	**21,237**	**24,292**	**35,273**	**35,515**	**25,561**	**34,245**

टिप्पणी : 1. # मध्यावधिक के अंतर्गत एमटी अंतरण, एमटी(एनएस) और एमटी - चलनिधि समर्थन योजना शामिल हैं।
2. * अल्पावधिक ऋण के अंतर्गत एसटी(एसएओ), एसटी (अन्य) और एसटी (बुनकर) शामिल हैं।
3. वर्ष 2010-11 के दौरान अल्पावधिक ऋण चुकौती के अंतर्गत एसटी(एसएओ)ए/सी V और साथ ही, ए/सी VI, एसटी (अन्य) और एसटी (बुनकर) से संबंधित चुकौतियां शामिल हैं।
4. ** मंजूरी बंद कर दी गई है।
5. ***2009-10 (जून 2010) की बढ़ाई गई अवधि में केरल सरकार को मंजूर किया गया दीर्घावधिक ऋण

स्रोत: नाबार्ड

मंजूर किए गए ऋणों में से आरआईडीएफ XVI के पहले वर्ष के दौरान 20 प्रतिशत ऋण संवितरित किए गए

5.62 मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार आरआईडीएफ के अंतर्गत कुल 95,785 करोड़ रुपये की जमा-राशि जुटाई गई। आरआईडीएफ XVI के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं की संख्या में पिछले ट्रैन्च की तुलना में बढ़ोतरी हुई। तथापि, आरआईडीएफ XVI के अंतर्गत मंजूर किए गए कुल ऋणों में से पहले वर्ष के दौरान 20 प्रतिशत ऋण दिए गए।

5.63 आरआईडीएफ ट्रैन्च XII-XV के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी (एनआरआरडीए) नामक एक अलग विंडो की स्थापना की गई। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए भारत निर्माण कार्यक्रम के ग्रामीण सड़क संबंधी घटकों का वित्तपोषण करने के उद्देश्य से एनआरआरडीए शुरू की गई। मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार एनआरआरडीए के अंतर्गत कुल 18,500 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया। उल्लेखनीय है कि एनआरआरडीए के अंतर्गत ऋण देने में कोई विलंब नहीं हुआ, जैसा कि इस योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत वितरित ऋणों से स्पष्ट होता है (सारणी V.26)।

5.64 आरआईडीएफ के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं और ऋणों के प्रयोजनवार ब्योरे से पता चलता है कि मंजूर की गई कुल परियोजनाओं में सिंचाई का आधे से अधिक हिस्सा रहा, जबकि उनमें सड़कों और पुलों से संबंधित परियोजनाओं का हिस्सा लगभग बीस प्रतिशत था तथा 19 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक क्षेत्र संबंधी परियोजनाओं को दिया गया। इसके विपरीत, कुल ऋणों में

चार्ट V.13: आरआईडीएफ के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं और ऋणों का प्रयोजनावार ब्योरा

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति)

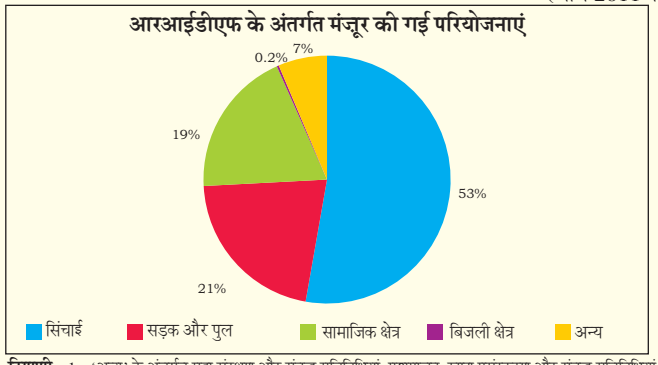

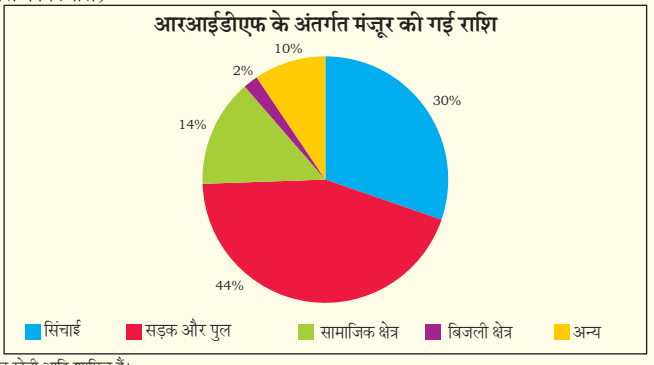

टिप्पणी: 1. 'अन्य' के अंतर्गत मृदा संरक्षण और संबद्ध गतिविधियां, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध गतिविधियां, रबड़ खेती आदि शामिल हैं।
2. सामाजिक क्षेत्र संबंधी परियोजनाओं के अंतर्गत पेय जल की आपूर्ति, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

सारणी V.26: आरआईडीएफ का ट्रैन्चवार ब्योरा (मार्च 2011 के अंत की स्थिति)

(राशि करोड़ रुपये में)

ट्रैन्च	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	राशि			संस्वीकृत ऋणों में से संवितरित ऋणों का प्रतिशत
			मूल निधि	संस्वीकृत	संवितरित	
1	2	3	4	5	6	7
I	1995-96	4,168	2,000	1,906	1,761	92.4
II	1996-97	8,193	2,500	2,636	2,398	91.0
III	1997-98	14,345	2,500	2,733	2,454	89.8
IV	1998-99	6,171	3,000	2,903	2,482	85.5
V	1999-00	12,106	3,500	3,435	3,055	88.9
VI	2000-01	43,168	4,500	4,489	4,071	90.7
VII	2001-02	24,598	5,000	4,582	4,053	88.4
VIII	2002-03	20,887	5,500	5,950	5,148	86.5
IX	2003-04	19,544	5,500	5,638	4,916	87.2
X	2004-05	16,482	8,000	7,651	6,569	85.9
XI	2005-06	29,763	8,000	8,311	7,010	84.4
XII	2006-07	41,774	10,000	10,377	8,001	77.1
XIII	2007-08	36,810	12,000	12,614	8,969	71.1
XIV	2008-09	85,428	14,000	14,726	9,253	62.8
XV	2009-10	38,946	14,000	15,623	6,629	42.4
XVI	2010-11	41,779	16,000	18,315	3,731	20.4
आरआईडीएफ : कुल	-	4,44,162	1,16,000	1,21,888	80,500	66.0
एनआरआरडीए (XII से XV तक)	-	-	18,500	18,500	18,500	100.0
कुल जोड़		4,44,162	1,34,500	1,40,388	99,000	70.5

'-': कुछ नहीं/उपलब्ध नहीं
स्रोत: नाबार्ड

लगभग 44 प्रतिशत का ऋण सड़कों और पुलों के विकास के लिए मंजूर किया गया था, जिसके बाद सिंचाई और सामाजिक क्षेत्र संबंधी परियोजनाओं के लिए मंजूर किये गये ऋण का क्रम था (चार्ट V.13)।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) के अंतर्गत की गई प्रगति

5.65 मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार सारे देश में कुल 104 मिलियन केसीसी जारी किए गए। वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में कुल जारी किए गए कार्डों की संख्या और केसीसी के अंतर्गत मंजूर किए गए ऋणों की मात्रा में बढ़ोतरी हुई (सारणी V.27)।

सारणी V.27: किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत की गई प्रगति

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	वर्ष के दौरान दिए गए केसीसी (हजार की संख्या में)	मंजूर की गई राशि	दिए गए केसीसी की संचयी संख्या (हजार की संख्या में)
1	2	3	4
2006-07	8,511	46,729	67,605
2007-08	8,470	88,264	76,075
2008-09	8,592	53,085	84,667
2009-10	9,006	57,678	93,673
2010-11	10,168	72,625	1,03,841

स्रोत: नाबार्ड

5.66 दिए गए केसीसी की संख्या से संबंधित क्षेत्रवार और एजेन्सीवार संवितरण संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2010-11 में सहकारी बैंकों द्वारा जारी किए गए केसीसी की कुल संख्या में दक्षिण क्षेत्र का 34 प्रतिशत का सर्वाधिक हिस्सा रहा, जिसके बाद केंद्रीय और उत्तर क्षेत्रों का क्रम रहा। तथापि, केसीसी के अंतर्गत ऋण संवितरण की दृष्टि से केंद्रीय क्षेत्र का 35 प्रतिशत का सर्वाधिक हिस्सा रहा। वाणिज्य बैंकों के मामले में दक्षिण क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में केसीसी दिए गए और ऋण वितरित किए गए। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिए गए केसीसी की संख्या और केसीसी योजना के अंतर्गत विशेष रूप से सहकारी संस्थाओं, वाणिज्य और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित ऋण काफी कम था (परिशिष्ट सारणी V.10)।

केसीसी को प्रौद्योगिकी संपन्न बनाने की दिशा में की गई पहल

5.67 कृषि कर्ज माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर), 2008 के कवरेज मुद्दों से संबंधित कार्य बल ने केसीसी को प्रौद्योगिकी संपन्न बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है, जिसके अंतर्गत केसीसी का स्मार्ट कार्ड के रूप में अंतरण भी शामिल है ताकि उसका एटीएम, बिक्री केंद्रों और दस्ती मशीनों के ज़रिए धन-राशि निकालने और प्रेषित करने में प्रयोग किया जा सके। इसके अलावा, केसीसी के एमआईएस की डिज़ाइन को नए सिरे से तैयार करने की सिफारिश की गई है। इस समिति ने यह प्रस्ताव किया है कि केसीसी सीमा को 5 वर्ष

करने के साथ-साथ किसान को उसका उपयोग अपनी आवश्यकतानुसार करने की सुविधा दी जाए। साथ ही, फसल या खेती की किसी भी अवस्थाओं के लिए उप लक्ष्य तय नहीं किया जाए।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं से संबंधित पुनरुत्थान पैकेज की स्थिति

5.68 ग्रामीण सहकारी क्षेत्र की चुनौतियों और मुद्दों का विश्लेषण करने तथा इस क्षेत्र के लिए भावी कार्य योजना तैयार करने के लिए वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने प्रो. ए वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया। इस समिति की सिफारिशों के अनुसरण में जनवरी 2006 में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के लिए एक पुनरुत्थान पैकेज घोषित किया गया। तदुपरांत वर्ष 2008-09 के केंद्रीय बजट में दीर्घावधिक सहकारी संस्थाओं के लिए अलग से एक पुनरुत्थान पैकेज की घोषणा की गई।

5.69 नाबार्ड को पुनरुत्थान पैकेज को अमल में लाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति (एनआईएमसी) देशभर में पुनरुत्थान पैकेज के कार्यान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखती है। प्रत्येक राज्य में इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखने हेतु नाबार्ड और डीसीसीबी स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति (डीएलआईसी) द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित राज्य स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति (एसएलआईसी) है।

अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) संबंधी पुनरुत्थान पैकेज का कार्यान्वयन प्रगति पर है

5.70 किसी राज्य में पुनरुत्थान पैकेज के कार्यान्वयन की प्रक्रिया केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और नाबार्ड के बीच उस आशय के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने से शुरू होती है। अब तक 25 राज्य सरकारों ने भारत सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके अंतर्गत देशभर परिचालित 96 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीण सहकारी संस्थाएं शामिल हैं।

5.71 सोलह राज्यों में 53,380 पीएसीएस के पुनर्पूंजीकरण हेतु नाबार्ड द्वारा 8661 करोड़ रुपये की राशि दी गई, जबकि राज्य सरकारों ने अपने-अपने हिस्से के रूप में 817 करोड़ रुपये दिए हैं।

सामान्य लेखांकन पद्धति (सीएएस) और प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस)

5.72 सोलह राज्यों में सीएएस को अपनाने की प्रक्रिया प्रगति पर है, जबकि अन्य राज्यों, जिनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, में संबंधित आरसीएस को सूचित किया गया है कि वे नाबार्ड द्वारा सुझाए गए अनुसार सीएएस अपनाएं।

पीएसीएस की विशेष लेखापरीक्षा

5.73 सभी सहभागी राज्यों के बीच विशेष लेखापरीक्षा के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश और फार्मेट परिचालित किए गए। इसके अलावा, पीएसीएस की विशेष लेखापरीक्षा का संचालन करने हेतु सभी 25 राज्यों में मास्टर प्रशिक्षकों और विभागीय लेखापरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। अब तक 80,773 पीएसीएस में विशेष लेखापरीक्षा शुरू की गई है और 80,639 पीएसीएस में यह कार्य पूरा हो गया है।

कानूनी, संस्थागत और प्रबंधकीय सुधार

5.74 अब तक 21 राज्यों ने अपने राज्य सहकारी अधिनियमों में संशोधन किया है। विभिन्न राज्यों में एसटीसीबी और पीएसीएस की उप विधियों में संशोधन करने का कार्य प्रगति पर है।

5.75 सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन में पात्र व्यावसायिकों को लाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने सहकारी संस्थाओं के निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) की नियुक्ति संबंधी 'समुचित और उपयुक्त मानदंड' विनिर्दिष्ट किए हैं। तदनुसार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य कुछ राज्यों के एसटीसीबी में 'समुचित और उपयुक्त मानदंडों' को पूरा करने वाले व्यावसायिक निदेशकों को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, कुछ राज्यों ने राज्य सहकारी संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पहले ही लागू कर दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और तमिलनाडु को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में एसटीसीसीएस की लगभग सभी इकाइयों में निर्वाचित बोर्ड हैं।

प्रशिक्षण और मानव संसाधन संबंधी पहलें

5.76 नाबार्ड द्वारा गठित एक कार्यदल पीएसीएस के निर्वाचक निदेशकों और स्टाफों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करता है। 23 राज्यों के 254 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया

है। इन मास्टर प्रशिक्षकों ने पीएसीएस के लिए क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु 2039 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। अब तक सत्रह राज्यों में 81,037 पीएसीएस सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा चौदह राज्यों में पीएसीएस के 1,12,354 निर्वाचित सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है।

5.77 पीएसीएस सचिवों के लिए कारोबार विकास और लाभप्रदता संबंधी एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है तथा 12 कार्यान्वयनकर्ता राज्यों के 76 मास्टर प्रशिक्षकों को लखनऊ स्थित बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक आठ राज्यों में 36,125 पीएसीएस स्टाफों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, कारोबार विकास/विशाखन के लिए सीसीबी/एसटीसीबी के शाखा प्रबंधकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवासीय तौर पर एक पांच दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसमें 1,582 शाखा प्रबंधकों/वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

5. निष्कर्ष

शहरी सहकारी बैंकों के लाभ में वृद्धि हुई, तथापि उनकी आस्ति गुणवत्ता चिंताजनक है

5.78 वर्ष 2010-11 में शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय निष्पादन में सुधार आया, जबकि, ग्रामीण सहकारी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खराब हुई। हालाँकि 2010-11 में शहरी सहकारी बैंकों के समग्र लाभ में सुधार हुआ, फिर भी, कुछ शहरी सहकारी बैंकों द्वारा ऋणात्मक सीआरएआर सूचित किया जाना चिंता की बात है। इसके अलावा, शहरी सहकारी बैंकों के एनपीए अनुपात में गिरावट आने के बावजूद उनके सकल एनपीए में बढ़ोतरी हुई है।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति कमज़ोर

5.79 ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक ओर एसटीसीबी और डीसीसीबी ने लाभ दर्ज किया है, दूसरी ओर बुनियादी स्तरीय संस्थाओं, अर्थात् पीएसीएस ने अत्यधिक हानि दर्ज की है। इसके अलावा, दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के परिचालन व्ययों, विशेष रूप से स्टाफ संबंधी व्ययों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे पता चलता है कि इन सहकारी संस्थाओं के परिचालनगत व्ययों को युक्तियुक्त बनाने हेतु कदम उठाना ज़रूरी है। एमआईएस/सीएएस के कार्यान्वयन और पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण को भी त्वरित रूप से पूरा करना आवश्यक है।

वित्तीय समावेशन में सहकारी संस्थाओं के क्षेत्रीय संकेंद्रण से बाधा पहुंच रही है

5.80 क्षेत्रीय संकेद्रण के अलावा, देश के पूर्वोत्तर भाग में बैंकिंग सेवा की दृष्टि से सहकारी संस्थाओं की उपस्थिति काफी कम रही। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं के आधार को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु बुनियादी स्तरीय ग्रामीण सहकारी संस्थाओं, अर्थात् पीएसीएस की वित्तीय स्थिति में सुधार करने हेतु प्रयास करना ज़रूरी है।

अध्याय VI

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफआई) वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाने, वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और विविधता लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्हें तेजी से बैंकिंग प्रणाली का अनुपूरक माना जा रहा है जो वित्तीय संकट के समय आघातों को सहने और जोखिम को कम करने में सक्षम हैं। जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) के वित्तीय निष्पादन में वर्ष 2010-11 के दौरान सुधार हुआ है जैसा कि इस अवधि में इनके परिचालन लाभ में हुई वृद्धि और व्यय में हुई मामूली गिरावट से प्रतीत होता है। प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के समेकित तुलन पत्र में वृद्धि हुई है लेकिन उनकी कुल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ में कोई बदलाव नहीं हुआ। वर्ष 2010-11 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा काफी अधिक संसाधन जुटाए गए। ट्रेडिंग आय में सुधार होने के बावजूद, प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) के निवल आय में गिरावट हुई और ऐसा होने का मुख्य कारण यह था कि उनके ब्याज व्यय में अनुपात से अधिक वृद्धि हुई और अन्य आय कम हो गए। वित्तीय क्षेत्र में तेजी से होते बदलाव ने विनियामक के समक्ष नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं और विशेष रूप से काफी जटिल एनबीएफआई क्षेत्र के लिए एक उपयुक्त विनियामी सुरक्षात्मक ढांचा तैयार करना मुख्य चुनौती है।

1. परिचय

6.1 भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफआई) क्षेत्र में कई प्रकार की वित्तीय संस्थाएं हैं जिनमें से प्रत्येक ने वित्तीय क्षेत्र के विकास के किसी विशेष चरण में अपना योगदान दिया है। मोटे तौर पर, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई) भारत में विकास आयोजना का एक नतीजा है और इन संस्थाओं को लंबी अविध के लिए वित्त प्रदान करने के प्रयोजन से बनाया गया था। दूसरी ओर, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) अधिकांशतः निजी क्षेत्र की संस्थाएं हैं जो कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं जिनमें उपस्कर पट्टेदारी, किराया खरीद, उधार और निवेश शामिल हैं। वर्ष 1995 में अस्तित्व में आए प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) ने प्राथमिक और द्वितीयक दोनों सरकारी प्रतिभूति बाजार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि वित्तीय संस्थाओं, एनबीएफसी और प्राथमिक व्यापारियों को सामान्य रूप से एनबीएफआई क्षेत्र में समूहबद्ध किया गया है, तथापि अपने परिचालन की प्रकृति के अनुसार वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तीन तरह के इन एनबीएफआई के लिए विनियामी फोकस भी अलग-अलग होता है। इन संस्थाओं का कारोबारी परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन मुख्य रूप से उस क्षेत्र विशेष के कारकों से निर्देशित होता है।

6.2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां विविध प्रकार के कार्य करती हैं और व्यक्तियों, कार्पोरेट तथा संस्थागत ग्राहकों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। वे कई ऐसे क्षेत्रों में ऋण की कमी पूरी करने में मदद करती आ रही हैं जहां बैंक जैसी संस्थाएं पहुंचने में असमर्थ हैं। वित्तीय समावेशन के बढ़ते महत्त्व को देखते हुए विशेष रूप से लघु उद्योग और रिटेल क्षेत्र में एनबीएफसी को महत्त्वपूर्ण वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के रूप में देखा जाने लगा है। इन संस्थाओं को अभिशासित करने वाले विनियमन बैंकों की तुलना में कम कठोर हैं क्योंकि बैंकों की भांति उन पर विशेष विनियमन मानदंड लागू नहीं होते। जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर बैंकों की भांति कोई नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) लागू नहीं है, लेकिन उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी सार्वजनिक जमाराशि देयताओं का 15 प्रतिशत चलिनिधि आस्ति के रूप में सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश करें। उनकी सार्वजनिक जमाराशि को बीमा कवर प्राप्त नहीं है। एनबीएफसी को रिज़र्व बैंक से पुनर्वित सुविधा प्राप्त नहीं है और न ही वे जमाराशि पर चेक जारी कर सकते हैं और इस प्रकार वे भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं।

6.3 वर्ष 2006 से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इस आधार पर पुनः वर्गीकृत किया गया कि क्या वे किसी उत्पादक आस्ति के सृजन में शामिल हैं या नहीं। नए वर्गीकरण के तहत, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, नामतः आस्ति वित्त कंपनी, ऋण कंपनी और निवेश कंपनी। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में वित्त के बढ़ते महत्त्व को समझते हुए इस क्षेत्र से जुड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की एक चौथी श्रेणी नामतः बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी (आईएफसी) की शुरुआत फरवरी 2010 में हुई। इसके बाद, जनवरी 2011 में कंपनियों की एक श्रेणी नामतः प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करनेवाली कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी एनडी-एसआई) को रिज़र्व बैंक के विनियमन और पर्यवेक्षण के तहत लाया गया।

6.4 हाल तक, जमाराशि स्वीकार न करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर न्यूनतम विनियमन लागू थे क्योंकि वे जमाराशि नहीं लेने वाले निकाय थीं और ऐसा माना जाता था कि वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में उनसे अधिक खतरा नहीं है। तथापि, इस श्रेणी के बढ़ते महत्त्व और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ इनकी अंतर्संबद्धता को समझते हुए 1 अप्रैल 2007 से जमाराशि स्वीकार न करने वाली ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंड लागू किए गए जो बड़े और प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण थे (अर्थात् जिनका आस्ति आकार 100 करोड़ रुपए और इससे अधिक है); इन संस्थाओं को प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी के रूप में अभिहित किया गया।

6.5 इस अध्याय में 2010-11 के दौरान एनबीएफआई के इन प्रत्येक प्रकारों के वित्तीय निष्पादन तथा सुदृढ़ता संकेतक का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय को चार भागों में विभाजित किया गया है। भाग 2 में वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण किया गया है । भाग 3 में एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई के वित्तीय निष्पादन की चर्चा की गयी है। भाग 4 में प्राथमिक तथा द्वितीयक बाजारों में प्राथमिक व्यापारियों के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण किया गया है तथा भाग 5 में निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. वित्तीय संस्थाएं

6.6 मार्च 2011 के अंत में, रिज़र्व बैंक के विनियमन के अंतर्गत पांच वित्तीय संस्थाएं अर्थात् एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी तथा आईआईबीआई थीं। इनमें से वित्तीय चार संस्थाएं (अर्थात एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी) रिज़र्व बैंक के पूर्णतः विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन हैं। 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार आईआईबीआई स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया में है। रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2010 में नाबार्ड में अपनी 71.5 प्रतिशत पूंजीगत स्टेक होल्डिंग भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी (सारणी VI.1)। भारत सरकार ने अप्रैल 2010 में एनएचबी में रिज़र्व बैंक के स्वामित्व और शेयरहोल्डिंग को भारत सरकार को हस्तांतरित करने में अपनी सहमति दी और इस बात पर भी सहमति दी कि आवास वित्त कंपनियों के पंजीकरण और विनियामक कार्यकलापों को एनएचबी से रिज़र्व बैंक के पास हस्तांतरित किया जाए और पर्यवेक्षण संबंधी कार्यकलाप एनएचबी के पास रहें।

6.7 वर्ष 2010-11 के दौरान, एनएचबी और एक्जिम बैंक द्वारा उधार की समग्र अपेक्षा को पूरा करने में हो रही मुश्किलों को देखते हुए 'उधार लेने की उनकी कुल सीमा' को एक वर्ष के लिए उनकी निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) के 10 गुणे से बढ़ाकर एनओएफ के 11 गुणा कर दिया गया (एनएचबी के लिए 30 सितंबर 2011 और एक्जिम बैंक के लिए 31 मार्च 2012 तक) और यह समीक्षा के अधीन था। इसके अलावा एनएचबी, सिडबी और एक्जिम बैंक केअल्पावधि उधार की अपेक्षा को पूरा करने में हो मुश्किलों को देखते हुए एक वर्ष के लिए अर्थात् 30 जून 2012 तक 'अम्ब्रेला सीमा' के तहत उनकी उधार की सीमा को उनके निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) के 100 प्रतिशत से बढ़ाकर एनओएफ के 150 प्रतिशत कर दिया गया और

सारणी VI.1: वित्तीय संस्थाओं के स्वामित्व का स्वरूप

(31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार)

संस्था	स्वामित्व	प्रतिशत
1	2	3
एक्जिम बैंक	भारत सरकार	100
नाबार्ड*	भारत सरकार	99
	भारतीय रिज़र्व बैंक	1
एनएचबी	भारतीय रिज़र्व बैंक	100
सिडबी**	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	72.2
	बीमा कंपनियां	21.4
	वित्तीय संस्थाएं	6.4

* भारत सरकार के दिनांक 16 सितंबर, 2010 की अधिसूचना के अनुसार 16 सितंबर, 2010 से नाबार्ड की ईक्विटी में भारत सरकार और रिज़र्व बैंक की हिस्सेदारी क्रमशः 99% और 1% है।

** सिडबी में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (19.2 प्रतिशत), भारतीय स्टेट बैंक (15.2 प्रतिशत), और भारतीय जीवन बीमा निगम (14.4 प्रतिशत) तीन बड़े शेयरधारक हैं।

यह समीक्षा के अधीन था। बैंकों को अग्रिम, अग्रिम पुनर्निधारण, निवेश संविभाग आदि के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंड दिशानिर्देशों को चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं पर भी लागू किया गया।

वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलाप

6.8 2010-11 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता में थोड़ी गिरावट हुई। ऐसा निवेश संस्थाओं विशेष रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की गई स्वीकृति और संवितरण में आई गिरावट के चलते हुआ (सारणी VI.2 और परिशिष्ट सारणी VI.1)।

वित्तीय संस्थाओं की आस्तियां और देयताएं

6.9 2010-11 के दौरान वित्तीय संस्थाओं के समेकित तुलनपत्रों में विस्तार हुआ। देयता पक्ष में, 'बांडों तथा डिबेंचरों' के साथ जमाराशियां उधार की प्रमुख स्रोत रहीं। तथापि, 'अन्य स्रोतों' से जुटाए गए संसाधनों में गिरावट देखी गई। आस्ति पक्ष में, उधार तथा अग्रिम एकल बड़े घटक बने रहे जिनका वित्तीय संस्थाओं की कुल आस्तियों में हिस्सा चार बटा पांच था और 2010-11 में इसमें 16.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई (सारणी VI.3)।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन

6.10 वित्तीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अधिक संसाधन जुटाए गए। वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष के मुकाबले सभी घटकों दीर्घावधि, अल्पावधि और विदेशी मुद्रा संसाधनों में तेज वृद्धि देखी गई। चारों वित्तीय संस्थाओं में एनएचबी ने सबसे अधिक संसाधन जुटाए जिसके बाद नाबार्ड, एक्जिम बैंक और सिडबी का क्रम आता है (सारणी VI.4)।

6.11 वित्तीय संस्थाओं ने विभिन्न लिखतों जैसे वाणिज्यिक पत्र (सीपी), जमा प्रमाणपत्र (सीडी) तथा मीयादी जमाराशियों के माध्यम से मुद्रा बाजार से संसाधन जुटाए। 2010-11 में वित्तीय संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (सारणी VI.5)। इसके परिणामस्वरूप, 2010-11 में वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए कुल संसाधनों में 70 प्रतिशत से अधिक हिस्से के साथ वाणिज्यिक पत्र सबसे महत्त्वपूर्ण एकल माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया। वित्तीय संस्थाओं को अधिदेश है कि वे स्वीकृत समग्र सीमा के अंतर्गत संसाधन जुटाएं। यद्यपि 2010-11 में सिडबी द्वारा मुद्रा बाजार से 8,137 करोड़ रुपए के कुल संसाधन जुटाए गए, तब भी वर्ष के दौरान किसी भी समय इस लिखत के तहत बकाया राशि समग्र सीमा से अधिक नहीं हुई। चूंकि वाणिज्यिक पत्र मुद्रा बाजार की एक अल्पावधि लिखत है, इसलिए वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाएं अक्सर इसके जरिए संसाधन जुटाती रहीं, जिसके चलते वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से जुटायी गयी संचयी राशि का स्तर उच्चतर था।

निधियों के स्रोत तथा उपयोग

6.12 2010-11 में वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोत/अभिनियोजन में थोड़ी गिरावट आई। वित्तीय संस्थाओं ने आंतरिक रूप से अधिक निधियां जुटाईं और इसके बाद बाह्य स्रोतों का स्थान आता है। वित्तीय संस्थाओं की निधियों में 'अन्य स्रोतों' का भाग काफी कम है। मुख्य रूप से वैश्विक वित्तीय बाजार में व्याप्त अनिश्चितता

सारणी VI.2: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(राशि करोड़ रुपए में)

श्रेणी	राशि				घटबढ़ प्रतिशत	
	2009-10		2010-11		2010-11	
	स्वी	संवि	स्वी	संवि	स्वी	संवि
1	2	3	4	5	6	7
(i) अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाएं*	42,552	37,987	55,432	47,224	30.3	24.3
(ii) विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएं#	590	320	882	509	49.5	59.1
(iii) निवेश संस्थाएं@	63,637	53,762	45,155	40,231	-29.0	-25.2
एफआई द्वारा कुल सहायता (i+ii+iii)	**106,779**	**92,069**	**101,469**	**87,964**	**-5.0**	**-4.5**

स्वी: स्वीकृत। संवि: संवितरित *: आईएफसीआई, सिडबी और आईआईबीआई के संबंध में। #: आईवीसीएफ: आईसीआईसीआई वेंचर और टीएफसीआई के संबंध में।
@: एलआईसी और जीआईसी तथा भूतपूर्व सब्सिडियरी (एनआईए, यूआईआईसी और ओआईसी) के संबंध में।
टिप्पणी: सभी आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी VI.3: वित्तीय संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2010	2011	घटबढ़ प्रतिशत
1	2	3	4
देयताएं			
1. पूंजी	4,600	4,900	6.5
	(1.8)	(1.7)	
2. आरक्षित निधि	39,556	42,612	7.7
	(15.9)	(14.7)	
3. बांड और डिबेंचर	71,011	90,097	26.9
	(28.5)	(31.0)	
4. जमाराशियां	79,472	92,782	16.7
	(31.9)	(31.9)	
5. उधार राशियां	35,307	42,681	20.9
	(14.2)	(14.7)	
6. अन्य देयताएं	19,037	17,544	-7.8
	(7.6)	(6.0)	
कुल देयताएं/आस्तियां	**2,48,983**	**2,90,616**	**16.7**
आस्तियां			
1. नकद और बैंक शेष	3,694	5,814	57.4
	(1.5)	(2.0)	
2. निवेश	8,676	11,802	36.0
	(3.5)	(4.1)	
3. ऋण और अग्रिम	2,14,671	2,50,238	16.6
	(86.2)	(86.1)	
4. भुनाए/पुनर्भुनाए गए बिल	2,668	3,542	32.8
	(1.1)	(1.2)	
5. अचल आस्तियां	553	537	-2.7
	(0.2)	(0.2)	
6. अन्य आस्तियां	18,722	18,682	-0.2
	(7.5)	(6.4)	

टिप्पणी: i. ये आंकड़े चार एफआई यथा - एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी के हैं।
ii. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: i. संबंधित एफआई के तुलनपत्र। ii.30 जून 2011 की स्थिति के अनुसार एनएचबी की गैर लेखापरीक्षित ऑफ-साइट विवरणियां।

के चलते 2010-11 में एक ओर जहां आंतरिक स्रोतों से जुटाई गई निधियों में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर बाह्य स्रोतों में गिरावट आई। जुटाई गई निधियों के अधिकांश भाग का उपयोग नए अभिनियोजन के

सारणी VI.5: वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन

(मार्च 2011 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

लिखत	नाबार्ड	सिडबी@	एनएचबी	एक्जिम	कुल
1	2	3	4	5	6
क. कुल	**7,103**	**8,137**	**2,621**	**1,538**	**19,398**
i) सावधि जमाराशियां	48	2,179	249	71	2,548
ii) सावधि मुद्रा	110	-	-	-	110
iii) अंतर-कारपोरेट जमाराशियां	-	-	-	-	-
iv) जमा प्रमाणपत्र	137	-	-	4	141
v) वाणिज्यिक पत्र	6,448	5,958	0.0	1,462	13,867
vi) बैंकों से अल्पावधि ऋण	360	-	2,372	-	2,732
ख. अंब्रेला सीमा	**12,675**	**5,610**	**3,277**	**4,408**	
ग. अंब्रेला सीमा का उपयोग ('ख' के प्रतिशत के रूप में 'क')	**56.0**	**145.1**	**7.6**	**60.1**	

- : शून्य/नगण्य

स्रोत: वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन संबंधी पाक्षिक विवरणी।

लिए किया गया और इसके बाद इससे पुराने उधारियों की चुकौती की गई। वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस निधि के कुछ ही भाग का उपयोग ब्याज भुगतान के लिए किया गया। वर्ष के दौरान अन्य अभिनियोजन में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले उधारियों की चुकौती में गिरावट देखी गई (सारणी VI.6)।

उधार लेने और देने की लागत और परिपक्वता

6.13 जुटाए गए रुपया संसाधनों की औसत भारित लागत में हर स्तर पर वृद्धि हुई (सारणी VI.7)। वर्ष के दौरान एनएचबी को छोड़कर वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए रुपए संसाधनों की औसत भारित परिपक्वता में भी वृद्धि हुई। एनएचबी ने वर्ष के दौरान अपनी

सारणी VI.4: वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था	जुटाए गए कुल संसाधन								कुल बकाया (मार्च के अंत में)	
	दीर्घावधि		अल्पावधि		विदेशी मुद्रा		कुल			
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एक्जिम बैंक	8,150	11,132	5,052	1,538	5,193	11,083	18,395	23,752	40,509	47,192
नाबार्ड	16	9,741	12,330	18,532	-	-	12,346	28,273	24,922	33,891
एनएचबी	7,518	7,538	10,306	29,458	-	-	17,824	36,996	10,598	10,918
सिडबी	13,253	9,977	11,500	2,285	987	1,226	25,740	13,489	30,186	34,090
कुल	**28,937**	**38,388**	**39,188**	**51,813**	**6,180**	**12,309**	**74,305**	**1,02,510**	**1,06,215**	**1,26,091**

-: शून्य/नगण्य

टिप्पणी : दीर्घावधि रुपया संसाधनों में बांड/डिबेंचर से जुटाई गई उधार राशियां सम्मिलित हैं; और अल्पावधि संसाधनों में सीपी, सावधि जमाराशियां, आईसीडी, सीडी और सावधि मुद्रा से प्राप्त उधार राशियां सम्मिलित हैं। विदेशी मुद्रा संसाधनों में आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार के बांड और उधार राशियां सम्मिलित हैं।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

मूल उधार दर (पीएलआर) में वृद्धि किया, जबकि एक्जिम बैंक और सिडबी ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया (सारणी VI.8)।

वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन

6.14 वर्ष 2010-11 में वित्तीय संस्थाओं के परिचालनिक लाभ और निवल लाभ में कमी के चलते उनके वित्तीय निष्पादन में गिरावट हुई। वर्ष के दौरान मुख्य रूप से वेतन संशोधन के चलते परिचालनिक खर्चे में तेज वृद्धि हुई। तथापि, वित्तीय संस्थाओं के ब्याज आय में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VI.9)। चारों वित्तीय संस्थाओं में से एक्जिम बैंक के मामले में आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) सबसे अधिक बना रहा जिसके बाद एनएचबी और सिडबी का स्थान था (सारणी VI.10)।

सुदृढ़ता के संकेतक: आस्ति गुणवत्ता

6.15 2010-11 में समग्र स्तर पर वित्तीय संस्थाओं की निवल अनर्जक आस्तियों की राशि में पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि हुई। निवल अनर्जक आस्तियों में हुई वृद्धि केवल सिडबी के कारण थी, जबकि

सारणी VI.6: वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों और नियोजन की प्रवृत्ति

(मार्च 2011 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद		2010	2011	घटबढ़ प्रतिशत
1		2	3	4
क.	**निधियों का स्रोत (i+ii+iii)**	**3,02,610 (100)**	**2,97,784 (100)**	**-1.6**
	(i) आंतरिक	1,56,733 (51.8)	1,63,197 (54.8)	4.1
	(ii) बाह्य	1,26,813 (41.9)	1,19,072 (40.0)	-6.1
	(iii) अन्य@	19,065 (6.3)	15,515 (5.2)	-18.6
ख.	**निधियों का नियोजन (i+ii+iii)**	**3,02,610 (100)**	**2,97,784 (100)**	**-1.6**
	(i) नए नियोजन	1,71,922 (56.8)	1,74,674 (58.7)	1.6
	(ii) भूतकाल की उधार राशियों की चुकौती	1,15,015 (38.0)	83,971 (28.2)	-27.0
	(iii) अन्य नियोजन	15,673 (5.2)	39,139 (13.1)	149.7
	जिनमें से:			
	ब्याज का भुगतान	16,561 (5.5)	14,227 (4.8)	-14.1

टिप्पणी: एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी।
@: बैंकों के पास रखी नकदी और शेष, रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों के पास रखी शेष राशियां सम्मिलित हैं।
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी VI.7: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए रुपया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता

संस्था	औसत लागत (प्रतिशत)		भारित औसत परिपक्वता (वर्ष)	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
एक्जिम बैंक	7.1	8.4	1.9	2.9
सिडबी	6.0	7.0	2.4	2.5
नाबार्ड	4.4	7.1	0.3	1.1
एनएचबी	6.2	7.2	4.7	2.5

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

नाबार्ड के मामले में थोड़ी गिरावट हुई। यदि चारों वित्तीय संस्थाओं को उनकी निवल अनर्जक आस्तियों के आरोही क्रम में रखा जाए तो सिडबी सबसे अधिक निवल अनर्जक आस्तियों के साथ शीर्ष पर होगा जबकि शून्य एनपीए के साथ एनएचबी सबसे नीचे होगा। इसके अलावा, सिडबी का अनर्जक आस्ति अनुपात (निवल उधारियों के प्रतिशत के रूप में एनपीए) सबसे अधिक था जिसके बाद एक्जिम बैंक का स्थान आता है। (सारणी VI.11 और चार्ट VI.1)

6.16 एक्जिम बैंक के अवमानक आस्तियों में काफी अधिक वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष के दौरान संदिग्ध और हानि वाली आस्तियां कम हुईं। नाबार्ड के मामले में, अवमानक आस्तियां शून्य स्तर तक आ गईं, लेकिन उनकी संदिग्ध आस्तियों में वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान सिडबी की अवमानक और संदिग्ध आस्तियों में काफी अधिक वृद्धि हुई। 2010-11 में चारों वित्तीय संस्थाओं की अवमानक आस्तियों को एक-साथ मिलाकर देखने पर उनकी अवमानक आस्तियों में तेज वृद्धि दिखती है (सारणी VI.12)।

पूंजी पर्याप्तता

6.17 2010-11 में एनएचबी और सिडबी के मामले में सीआरएआर के अनुसार उनके पूंजी पर्याप्तता में वृद्धि हुई, जबकि एक्जिम बैंक और नाबार्ड के पूंजी पर्याप्तता में गिरावट हुई। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वित्तीय संस्थाओं का सीआरएआर

सारणी VI.8: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की दीर्घावधि पीएलआर संरचना

(प्रतिशत)

प्रभावी	एनएचबी	एक्जिम बैंक	सिडबी
1	2	3	4
मार्च 2010	10.25	14.00	11.00
मार्च 2011	10.50	14.00	11.00

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी VI.9: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

	2009-10	2010-11	घटबढ़	
	कुल	कुल	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय	**15,624**	**17,965**	**2,340**	**15.0**
अ) ब्याज आय	15,147	17,485	2,338	15.4
	(96.9)	(97.3)		
आ) गैर-ब्याज आय	478	480	2.4	0.5
	(3.1)	(2.7)		
ख. व्यय	**10,492**	**13,337**	**2,846**	**27.1**
अ) ब्याज व्यय	9,611	11,862	2,251	23.4
	(91.6)	(88.9)		
आ) परिचालन व्यय	880	1,475	595	67.6
	(8.4)	(11.1)		
जिनमें से: वेतन बिल	468	1,095	627	134.1
ग. कराधान के लिए प्रावधान	**1,559**	**1,255**	**-304**	**-19.5**
घ. लाभ				
परिचालन लाभ (पीबीटी)	4,332	3,808	-524	-12.1
निवल लाभ (पीएटी)	2,773	2,554	-219	-7.9
ङ. वित्तीय अनुपात @				
परिचालन लाभ	1.9	1.4		
निवल लाभ	1.2	0.9		
आय	6.7	6.7		
ब्याज आय	6.5	6.5		
अन्य आय	0.2	0.2		
व्यय	4.5	4.9		
ब्याज व्यय	4.1	4.4		
अन्य परिचालन व्यय	0.4	0.5		
वेतन बिल	0.2	0.4		
प्रावधान	0.7	0.5		
स्प्रेड (विशुद्ध ब्याज आय)	2.4	2.1		

@: औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
स्रोत: i) संबंधित एफआई के वार्षिक लेखा विवरण।
ii) 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की लेखा परीक्षित/गैर-लेखा परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां।
iii) 30 जून 2011 की स्थिति के अनुसार एनएचबी की गैर-लेखा परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां।

निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत के मानदंड से काफी अधिक था (सारणी IV.13)। विशेष रूप से सिडबी का सीआरएआर अधिक था जो इस

सारणी VI.11: वित्तीय संस्थाओं की निवल अनर्जक आस्तियां

(मार्च 2011 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था	निवल अनर्जक आस्तियां	
	2010	2011
1	2	3
एक्जिम बैंक	78	93
नाबार्ड	33	30
एनएचबी*	-	-
सिडबी	69	132
सभी वित्तीय संस्थाएं (एफआई)	180	255

- : शून्य/नगण्य
*: ऑसमॉस विवरणियों के अनुसार जून के अंत में स्थिति।
स्रोत: 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की लेखा-परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां और 30 जून 2011 की स्थिति के अनुसार एनएचबी की गैर-लेखा परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां।

बात का संकेत देता है कि इस पूंजी का उपयोग ऋण के और आगे विस्तार हेतु करने की गुंजाइश है।

3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

6.18 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनकी देयताओं के प्रकार, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों के प्रकार और प्रणालीगत रूप से उनके महत्त्वपूर्ण होने के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। देयताओं के आधार पर इनकी दो श्रेणियां हैं- (i) श्रेणी 'क' कंपनियां (सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार और धारण करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अर्थात् एनबीएफसी-डी) और (ii) श्रेणी 'ख' कंपनियां (सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार न करने वाली और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अर्थात् एनबीएफसी-एनडी)। एनबीएफसी-डी पर पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता, चलनिधि आस्ति बनाए रखना, एक्सपोजर मानदंड (जिसमें भूमि, भवन और निर्दिष्ट भाववाले शेयरों में निवेश पर प्रतिबंध शामिल है), आस्ति देयता प्रबंधन और रिपोर्टिंग

सारणी VI.10:वित्तीय संस्थाओं के चुनिंदा वित्तीय मानदंड

(मार्च 2011 के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	ब्याज आय/औसत कार्यकारी निधि		गैर-ब्याज आय/औसत कार्यकारी निधि		परिचालनात्मक लाभ/औसत कार्यकारी निधि		औसत आस्ति पर प्रतिलाभ		प्रति कर्मचारी निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एक्जिम बैंक	6.28	6.54	0.29	0.46	1.75	2.21	1.13	1.15	2.21	2.39
नाबार्ड	6.19	6.22	0.10	0.10	1.80	1.25	1.23	0.88	0.33	0.27
एनएचबी*	7.27	7.74	0.17	0.04	2.14	1.72	1.35	1.11	3.15	3.21
सिडबी	8.42	8.11	0.62	0.35	4.32	3.00	1.15	1.09	0.41	0.50

*: जून 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार।
स्रोत: वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत विवरण।

चार्ट VI.1: निवल अनर्जक आस्तियां/निवल ऋण
(मार्च के अंत में)

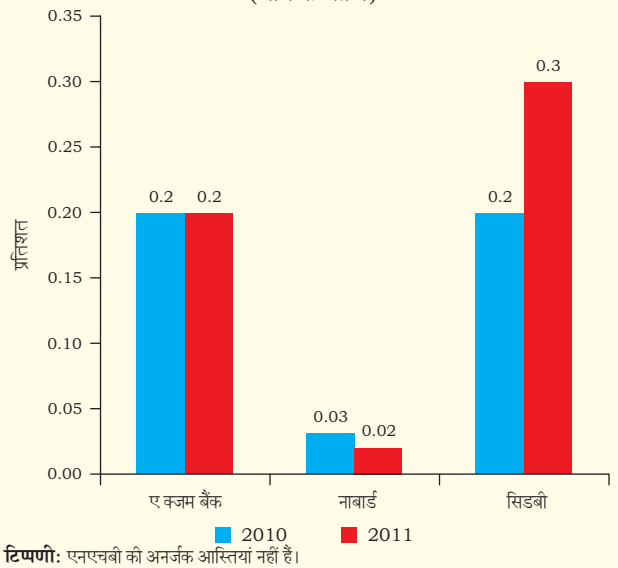

टिप्पणी: एनएचबी की अनर्जक आस्तियां नहीं हैं।

आवश्यकताएं लागू हैं। एनबीएफसी-एनडी न्यूनतम विनियमन के अधीन हैं क्योंकि वे ऐसी निकायें हैं जो जमाराशि स्वीकार नहीं करती हैं और उन्हें वित्तीय स्थिरता के लिए कम खतरे के रूप में देखा जाता है। तथापि, इस खंड के बढ़ते महत्त्व और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ इनके अंतर्संबद्धों को पहचानते हुए (बॉक्स VI.1)जमाराशि स्वीकार न करने वाली बड़ी और प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर 1 अप्रैल 2007 से पूंजी पर्याप्तता, एक्सपोजर मानदंड, एएलएम प्रबंधन और रिपोर्टिंग आवश्यकता लागू किए गए; ऐसी संस्थाओं को प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी के रूप में परिभाषित किया गया।

6.19 कार्यकलाप के आधार एनबीएफसी को पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: (i) ऋण कंपनियां (एलसी); (ii) निवेश कंपनियां (आईसी); (iii) आस्ति वित्त कंपनियां (एएफसी); (iv) बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियां (आईएफसी) और (v) प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी-एनडी-एसआई)। ऐसी कंपनियां जिनके आस्ति का आकार 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक था और जिनका मुख्य कारोबार केवल ग्रुप प्रतिष्ठानों में स्टेक धारण करने के प्रयोजन से उनमें निवेश करना था तथा जो इन प्रतिभूतियों न ट्रेडिंग करती थीं और न ही जनता से जमाराशि स्वीकार करती थीं, उनके लिए अगस्त 2010 में सीआईसी-एनडी-एसआई नामक एक नई श्रेणी बनाई गई । सीआईसी-एनडी-एसआई के लिए समायोजित नेटवर्थ और लीवरेज सीमा के रूप में एक विनियामक ढांचा लागू किया गया और उन्हें एनओएफ, पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों से छूट दी गई।

सारणी VI.13: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की जोखिम (भारित) आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात
(मार्च 2011 के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	2010	2011
1	2	3
एक्जिम बैंक	18.5	17.2
नाबार्ड	24.9	21.8
एनएचबी *	19.6	20.5
सिडबी	30.2	31.6

*: ऑसमॉस विवरणियों के अनुसार जून अंत की स्थिति।
स्रोत: 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की लेखा-परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां और 30जून 2011 की स्थिति के अनुसार एनएचबी की गैर-लेखा परीक्षित ऑसामॉस विवरणियां।

6.20 एनबीएफसी-एनडी-एसआई और साथ ही जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के स्वामित्व के स्वरूप से मालूम होता है कि ये कंपनियां मुख्य रूप से गैर-सरकारी कंपनियां (प्रकृति के अनुसार पब्लिक लिमिटेड कंपनियां) थीं। मार्च 2011 के अंत में एनबीएफसी-एनडी-एसआई और जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी कंपनियों में गैर-सरकारी कंपनियों का प्रतिशत क्रमशः 97.2 प्रतिशत और 97.0 प्रतिशत था, जबकि सरकारी कंपनियों की

सारणी VI.12: वित्तीय संस्थाओं का आस्ति वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था	मानक		अवमानक		संदिग्ध		घाटा	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एक्जिम बैंक	38,958	45,563	62	197	301	246	50	36
नाबार्ड	1,20,487	1,39,459	7	-	44	68	-	1
एनएचबी *	19,837	22,582	-	-	-	-	-	-
सिडबी	37,892	45,922	75	143	2	136	-	-
सभी वित्तीय संस्थाएं	**2,17,173**	**2,53,525**	**144**	**339**	**347**	**450**	**50**	**37**

- : शून्य/नगण्य *: ऑसमॉस विवरणी के अनुसार जून 2011 के अंत में स्थिति।
स्रोत: 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की लेखा-परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां और 30 जून 2011 की स्थिति के अनुसार एनएचबी की गैर-लेखा परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां।

बॉक्स VI.1: भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बैंकों के बीच अंतर्संबद्धता

विगत कुछ समय से, बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां दोनों ही भारत की वित्तीय प्रणाली का महत्त्वपूर्ण अंग बन गई हैं। हाल के वैश्विक वित्तीय संकट (2007-09) के आलोक में, बैंकिंग प्रणाली और एनबीएफआई के बीच सांठ-गांठ को लेकर गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं की भूमिका रेखांकित की गई है। सामान्य रूप से, एनबीएफआई बैंकिंग प्रणाली की तुलना में अधिक जोखिम लेने वाली संस्थाओं के रूप में जाने जाते हैं। परंपरागत रूप से, बैंकों के गैर-बैंकिंग क्षेत्रों की ओर बढ़ने संबंधी चर्चा कुछ गतिविधियों, *उदाहरणार्थ,* बीमा, निवेश बैंकिंग आदि के इर्द-गिर्द घूमती है। बहरहाल, हाल के वैश्विक संकट ने इस चर्चा को आगे ले जाते हुए इसमें एनबीएफआई के साथ बैंकिंग प्रणाली की अंतर्संबद्धता को शामिल कर लिया है क्योंकि अत्यधिक अंतर-संस्थागत एक्सपोजर से वित्तीय प्रणाली को खतरा हो सकता है।

जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी में बैंकों का एक्सपोजर

जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के मामले में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है, कि मार्च 2011 के अंत में उनकी कुल देयताओं में बकाया सार्वजनिक जमाराशियां घटकर महज लगभग 3.5 प्रतिशत रह गईं, जबकि मार्च 2001 के अंत में ये 20.9 प्रतिशत थीं। जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनियों पर विवेकपूर्ण विनियामक मानदंड कठोर होने के साथ ही सार्वजनिक जमाराशि के बदले मुख्य रूप से उधारियों पर भरोसा बढ़ने लगा। उनकी निधियों के स्रोतों के गहन विश्लेषण से मालूम होता है कि मार्च 2011 के अंत में उनकी कुल देयाताओं में (जो मार्च 2001 के अंत में 31.0 प्रतिशत से बढ़ गईं) उनकी कुल उधारियों का हिस्सा लगभग 66.2 प्रतिशत है। महत्त्वपूर्ण रूप से, उनकी कुल उधारियों का लगभाग आधा भाग बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से आता है, जो वित्तीय प्रणाली के भीतर गहन वित्तीय अंतर्संबद्धता को दर्शाने के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के उच्च प्रणालीगत जोखिम को भी रेखांकित करता है।

बैंकिंग प्रणाली एनबीएफसी को मिलने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों निधियों के प्रमुख स्रोत प्रतीत होते हैं। हाल तक, एनबीएफसी को सीधे उधार देने में बैंकों को फायदा होता था क्योंकि बैंकों द्वारा इस प्रकार दिए गए ऋण को उनके 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र' ऋण में शामिल करने की अनुमति थी। अप्रत्यक्ष रूप से, बैंक एनबीएफसी द्वारा जारी डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र खरीदकर उन्हें निधि प्रदान करते हैं।

एनबीएफसी द्वारा विशेष रूप से बैंकिंग प्रणाली से लिए गए अधिक उधार की वजह से उनकी चलनिधि स्थिति को लेकर कुछ चिंताएं उठी हैं। ये चिंताएं और भी गंभीर हो जाएंगी यदि संकट या संकट जैसी स्थिति के समय बैंक की खुद की चलनिधि स्थिति तंग हो जाती है।

प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडी-एसआई)

एनबीएफसी-एनडी में से 100 करोड़ रुपए या इसके अधिक आस्ति आकार वाली बड़ी एनबीएफसी जिन्हें प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के रूप में परिभाषित किया गया है, वे भी अपने संसाधनों के लिए बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर होते देखे गए। चूंकि ये एनबीएफसी सार्वजनिक जमाराशियां नहीं लेती हैं, इसलिए एनबीएफसी-डी की तुलना में इन पर लागू विनियमन कम कठोर हैं। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, विश्व भर में विनियामकों का ध्यान प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (सिफि) की ओर बढ़ा है। तदनुसार, भारत में भी एनबीएफसी-एनडी-एसआई के विवेकपूर्ण विनियमन को एनबीएफसी-डी के समतुल्य लाने की प्रक्रिया जारी है।

किसी भी स्थिति में, यह समझने करने की जरूरत है कि यदि एनबीएफसी अपने संसाधनों के लिए बैंकिंग प्रणाली पर काफी अधिक निर्भर हो जाते हैं तब इससे संकट के समय न केवल बैंकों पर दबाव बढ़ेगा बल्कि खुद एनबीएफसी के लिए भी खतरा हो सकता है क्योंकि चलनिधि संकट या आसन्न संकट के समय बैंक काफी संवेदनशील हो सकते हैं और या तो वे एनबीएफसी को उधार देने में काफी अनिच्छा दिखाने लगते हैं या चरम स्थिति में वे एनबीएफसी को पूरी तरह उधार देना बंद कर देते हैं जिससे अस्थिरता की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस दिशा में हाल का वैश्विक संकट एक संकेतक है।

चूंकि बैंक और एनबीएफसी विनियामक और लागत प्रोत्साहन ढांचे के लिहाज से एक जैसे नहीं होते हैं और एनबीएफसी आगे ऋण देने के लिए बैंकों से उधार लेते हैं, इसलिए यह सुनिश्चत करने के लिए कि बैंक के जमाकर्ताओं को अप्रत्यक्ष रूप से किसी अलग-अलग लागत-प्रोत्साहन ढांचे से जोखिम नहीं है, पर्याप्त जांच बिंदू और संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

बैंकिंग प्रणाली से भिन्न, एनबीएफसी पर पूंजी बाजार संबंधी कार्य संपादित करने में कोई अधिकतम सीमा भी नहीं है। इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र पर लागू विनियमन के मुकाबले एनबीएफसी पर सामान्य तौर पर कम कठोर विनियमन लागू हैं, तथापि विगत कुछ समय से एनबीएफसी पर लागू विनियामक मानदंडों को बैंकिंग प्रणाली के समतुल्य लाने की दिशा में सारगर्भित प्रगति हुई है।

उपर्युक्त के आलोक में, एनबीएफसी द्वारा सार्वजनिक जमाराशि के बदले बैंकिंग प्रणाली से अधिक उधार लेना प्रणालीगत अंतर्संबद्धता के दृष्टिकोण से चिंताजनक प्रतीत होता है।

हिस्सेदारी मार्च 2011 के अंत में केवल क्रमशः 2.8 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत थी (सारणी VI.14)।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रोफाइल (आरएनबीसी सहित)

6.21 रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी की कुल संख्या जून 2011 के अंत में थोड़ी गिरकर 12,409 हो गई (चार्ट VI.2)। 2010-11 में जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) में भी इसी प्रकार का रुझान देखा गया और ऐसा मुख्य रूप से एनबीएफसी के पंजीकरण रद्द किए जाने, एनबीएफसी के जमाराशि लेने के कार्य से अलग हो जाने और जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी के जमाराशि न लेने वाली एनबीएफसी में बदल जाने की वजह से हुआ।

सारणी VI.14: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के स्वामित्व का स्वरूप

(31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार)

(कंपनियों की संख्या)

स्वामित्व	एनबीएफसी-एनडी-एसआई	जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी
1	2	3
क. सरकारी कंपनियां	**9**	**9**
	(2.8)	(3.0)
ख. गैर-सरकारी कंपनियां	**310**	**288**
	(97.2)	(97.0)
1. पब्लिक लिमिटेड कंपनियां	181	279
	(56.7)	(93.9)
2. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां	129	9
	(40.4)	(3.0)
कंपनियों की कुल संख्या (क+ख)	**319**	**297**

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एनबीएफसी की कुल संख्या के प्रतिशत हिस्से हैं।

6.22 एनबीएफसी की संख्या में गिरावट आने के बावजूद, 2010-11 के दौरान उनकी कुल आस्तियों और निवल स्वाधिकृत निधि में वृद्धि दर्ज हुई, जबकि उनकी सार्वजनिक जमाराशियों में गिरावट आई। एनबीएफसी की कुल आस्तियों में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) की हिस्सेदारी में 2010-11 के दौरान गिरावटी रुझान देखा गया। 2010-11 में आरएनबीसी की निवल स्वाधिकृत निधियों में भी इसी प्रकार का रुझान देखा गया (सारणी VI.15)।

6.23 2010-11 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की सकल जमाराशियों की तुलना में एनबीएफसी की सार्वजनिक जमाराशियों के अनुपात में गिरावट दर्ज हुई। इस वर्ष के दौरान एल3 के व्यापक चलनिधि समुच्चय की तुलना में एनबीएफसी की जमाराशि के अनुपात में गिरावट दर्ज हुई (चार्ट VI.3)।

चार्ट VI.2 : भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या

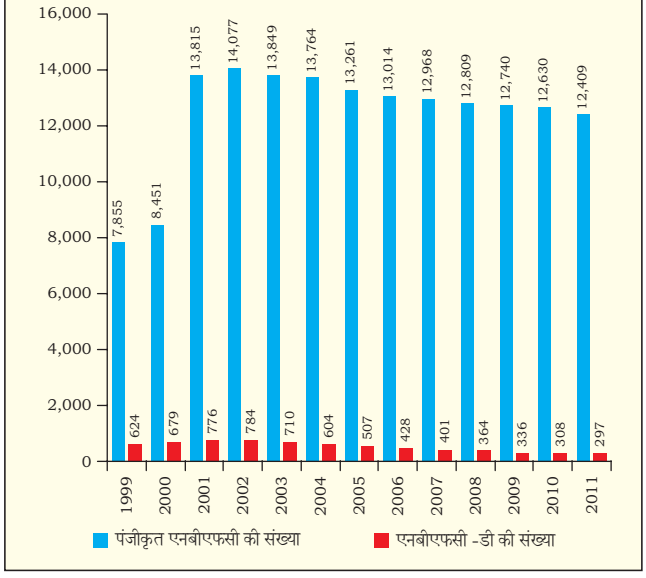

एनबीएफसी-डी का परिचालन (आरएनबीसी को छोड़कर)

6.24 2010-11 के दौरान एनबीएफसी-डी के तुलन पत्र के आकार में 11.9 प्रतिशत की दर से विस्तार हुआ जबकि पिछले वर्ष यह विस्तार 22.2 प्रतिशत था। विस्तार में यह गिरावट दो बड़े एनबीएफसी-डी के एनबीएफसी-एनडी में बदल जाने की वजह से हुआ (सारणी VI.16)। यह उल्लेखनीय है कि एनबीएफसी-डी की कुल देयताओं में उधारियों का हिस्सा लगभग दो-तिहाई है। वर्ष 2010-11 में, एनबीएफसी-डी की सार्वजनिक जमाराशियां, जो क्रेडिट रेटिंग के अधीन हैं (बॉक्स VI.2), में वृद्धि का रुझान बना रहा। एनबीएफसी-डी के आस्ति पक्ष में कुल आस्तियों में उधार एवं अग्रिम लगभग तीन-चौथाई हिस्से के साथ सबसे महत्त्वपूर्ण भाग बने रहे। इसमें दूसरा बड़ा हिस्सा निवेश का था जिसमें 2010-11 के दौरान मुख्य रूप से गैर-एसएलआर निवेश में कमी के चलते धीमी वृद्धि हुई।

6.25 मार्च 2011 के अंत में एनबीएफसी-डी की कुल आस्तियों में आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) का हिस्सा सबसे अधिक था (सारणी VI.17)।

एनबीएफसी-डी की जमाराशियों का आकारवार वर्गीकरण

6.26 मार्च 2011 के अंत में 50 करोड़ रुपए से अधिक की जमाराशि आकार वाली एनबीएफसी-डी की जमाराशियों में

सारणी VI.15: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रुपरेखा

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में			
	2009-10		2010-11अ	
	गैर बैं.वि.कं	*जिसमें से:* अवशिष्ट गैर बैं.कं.	गैर बैं.वि.कं	*जिसमें से:* अवशिष्ट गैर बैं.कं.
1	2	3	4	5
कुल आस्तियां	1,12,131	17,919	1,16,897	11,466
		(16.0)		(9.8)
सार्वजनिक जमाराशियां	17,352	14,521	11,964	7,902
		(83.7)		(66.0)
निवल स्वाधिकृत निधियां	16,424	2,921	17,975	2,988
		(17.8)		(16.6)

अ : अनंतिम

टिप्पणी: 1) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में एनबीएफसी-डी और आरएनबीसी शामिल हैं।
2) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत हैं।
3) जमाराशि स्वीकार करने वाली 297 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से 217 गै.बैं.वि. कंपनियों ने 8 सितंबर 2011 की कट-ऑफ तारीख को मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणियां फाइल की हैं।

स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

बॉक्स VI.2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग -प्रथाएं एंव संभावनाएं

चूंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) अपने परिचालन की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग प्रकार की होती हैं, इसलिए रिज़र्व बैंक ने विनियामक अनुपालन के लिहाज से उन्हें मोटे तौर पर चार समूहों में वर्गीकृत किया है, नामतः (i) आस्ति वित्त कंपनियां, (ii) ऋण कंपनियां, (iii) निवेश कंपनियां और (iv) बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियां। 'वित्तीय कंपनियों पर गठित कार्यदल' (अध्यक्षः ए.सी. शाह) ने 1992 में जमाराशि लेनेवाली एनबीएफसी के लिए क्रेडिट रेटिंग की सिफारिश की थी। इसके बाद, रिटेल जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए रिज़र्व बैंक ने जनवरी 1998 में एनबीएफसी क्षेत्र के नए विनियामक ढांचे में एनबीएफसी के लिए रेटिंग करवाना अनिवार्य कर दिया।

दी गई क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) द्वारा लिखतों से जुड़े तुलनात्मक क्रेडिट जोखिम की वर्तमान धारणा का एक सांकेतिक प्रतिबिंब है। यह धारणा जारीकर्ता के कारोबार और वित्तीय जोखिम का विस्तृत मूल्यांकन करने और इस मूल्यांकन का उपयोग अलग-अलग संभावित परिस्थितियों में रेटेड कंपनी के भावी वित्तीय निष्पादन का स्तर और स्थिरता का आकलन करने के बाद तैयार होती है। इस प्रकार क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी कंपनी विशेष के बारे में कंपनी के भीतर और बाहरी स्रोतों से जो भी जानकारी प्राप्त करती है, उस जानकारी के आधार पर, रेटिंग एजेंसी द्वारा उस कंपनी के विश्लेषण से निकाला गया निष्कर्ष उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में प्रतिबिंबित होता है।

रेटिंग क्रियाविधि

किसी एनबीएफसी की रेटिंग करने में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी के कारोबार और वित्तीय जोखिम का मूल्यांकन करती है और इस मूल्यांकन के जरिए अलग-अलग संभावित परिस्थितियों में उस कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन का स्तर और स्थिरता का आकलन करती है। किसी एनबीएफसी के जोखिम के मूल्यांकन का विस्तृत मानंदड निम्न पर आधारित होता हैः **कारोबार जोखिमः** (i) परिचालन वातावरण, (ii) स्वामित्व ढांचा, (iii) फ्रेंचाइजी और आकार (iv) प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, (v) प्रबंधन, प्रणाली एवं रणनीति और (vi) गवर्नेंस ढांचा; **वित्तीय जोखिमः** (i) आस्ति गुणवत्ता, (ii) चलनिधि, (iii) लाभप्रदता और (iv) पूंजी पर्याप्तता।

तथापि, संबंधित कंपनी विशेष की समग्र जोखिम फ्रोफाइल में होने वाले संभावित परिवर्तन के अनुसार अलग-अलग कंपनियों में इन सभी मानदंडों का तुलनात्मक महत्त्व अलग-अलग हो सकता है। इसके अलावा, चूंकि इनमें से अधिकांश मानदंड गुणात्मक प्रकृति के होते हैं, इसलिए रेटिंग कंपनियां निर्धारित उप-मानदंडों पर जानकारी जुटाकर और उसका आकलन कर तथा विभिन्न कंपनियों से उसकी तुलना करके व्यक्तिनिष्ठ निर्णय को कम करने का प्रयत्न करती हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में एक आम चलन यह रहा है कि वे एनबीएफसी की जोखिम प्रबंधन नीतियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करती हैं क्योंकि ये मूल्यांकन कंपनी विशेष पर चलनिधि का दबाव, लाभप्रदता और पूंजीकरण के प्रभाव का आकलन जानने में महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एनबीएफसी के पूंजी के स्तर अलावा इनकी पूंजी की गुणवत्ता का भी मूल्यांकन करती हैं। एनबीएफसी की विनियामक पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता पूरा करने की क्षमता का भी मूल्यांकन किया जाता है। ईक्विटी पर काफी अधिक लाभ का आवश्यक रूप से यह अभिप्राय नहीं है कि क्रेडिट रेटिंग ऊंची होगी, क्योंकि अंतर्निहित जोखिम भी काफी अधिक होगा और ऐसा होने पर यह अधिक अस्थिर हो सकता है या इसका पूर्वानुमान करना मुश्किल हो सकता है।

सभी रेटिंगों पर वैधता की अवधि तक लगातार निगरानी रखी जाती है।

एनबीएफसी की क्रेडिट रेटिंग के लिए विनियामक आवश्यकताएं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 1998 से जमाराशि लेनेवाली ऐसी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए क्रेडिट रेटिंग करवाना अनिवार्य कर दिया जिनकी निवल स्वाधिकृत निधि 25 लाख रुपए या इससे अधिक है। वर्तमान में, 2 करोड़ रुपए या इससे अधिक एनओएफ वाली एनबीएफसी-डी को वर्ष में कम-से-कम एक बार किसी अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवाना आवश्यक है। यह भी अधिदेश दिया गया कि वे 'न्यूनतम निवेश ग्रेड' के बिना जनता से जमाराशि नहीं जुटा सकते हैं और वे रेटिंग की एक प्रति रिज़र्व बैंक में प्रस्तुत करें। इसके अलावा, रेटिंग में किसी प्रकार की अपग्रेडिंग और डाउनग्रेडिंग की सूचना भी विनियामक को तत्काल देना आवश्यक है।

एजेंसी	*न्यूनतम ग्रेड*
द क्रेडिट रेटिंग इन्फॉरमेशन सर्विसेज़ ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल)	एफ ए - (एफ ए माइनस)
आईसीआरए लिमिटेड	एमए ए - (एम ए माइनस)
क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (केअर)	केअर बीबीबी (एफडी)
फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	[टीए - (इंड) (एफडी)]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां के क्रेडिट रेटिंग की संभावनाएं

किसी एनबीएफसी द्वारा जुटाई गई जमाराशि की मात्रा को रेटिंग से संबद्ध कर दिया गया है। एनबीएफसी के सीआरएआर को रेटिंग से संबद्ध कर उन्हें किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तदनुसार, अभी तक रेटेडे एनबीएफसी को केवल 12 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखना आवश्यक है, जबकि रेटिंग न हुई एनबीएफसी को 15 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखना है। प्रसंगवश, जमाराशि नहीं लेनेवाली एनबीएफसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपने लिखतों की रेटिंग करवाती हैं, यद्यपि विनियामक ने इनके लिए रेटिंग करवाना अनिवार्य नहीं किया है।

सब-प्राइम वित्तीय संकट के आलोक में, विनियामकों के बीच प्रत्याशा और वास्तविकता, अर्थात् क्रेडिट रेटिंग पर भरोसा और ऐसी रेटिंग की विश्वसनीयता, के बीच संभावित अंतर को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। ये चिंताएं मुख्यतः इस बात को लेकर हैं कि गलत क्रेडिट रेटिंग बाजार आबंटन प्रोत्साहन, लागत ढांचा और प्रतिस्पर्धा को उलट-पुलट कर सकती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बीच की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ उनकी व्यापारिक आकांक्षाएं काफी ऊंची प्रतीत होती हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के विरुद्ध बार-बार होनेवाली सबसे अधिक शिकायत इस बात को लेकर है कि उनमें जवाबदेही नहीं हैं क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां शुद्धता के लिए कानूनी रूप से जवाबदेह नहीं हैं और गलत रेटिंग होने पर अक्सर वे जवाबदेही से बच जाती हैं। विनियामक और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

संदर्भः भारतीय रिज़र्व बैंक (1992): *वित्तीय कंपनियों पर कार्यदल* (अध्यक्षः श्री ए.सी.शाह) की रिर्पोट, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई।

चार्ट VI.3 : व्यापक चलनिधि (एल 3) और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियो की सार्वजनिक जमाराशियों का अनुपात

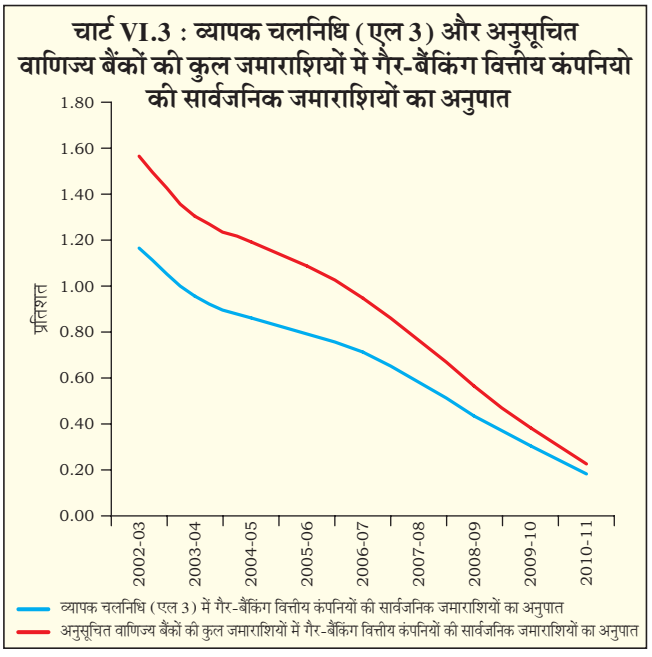

उल्लेखनीय तेज वृद्धि हुई जिनका कुल जमाराशियों में हिस्सा 90.6 प्रतिशत था। तथापि, इस श्रेणी में आनेवाली एनबीएफसी-डी की संख्या केवल 8 थी जो एनबीएफसी-डी की कुल संख्या के लगभग 3.7 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती थीं। इस प्रकार, अपेक्षाकृत केवल बड़ी एनबीएफसी-डी कंपनियां जमाराशियों के जरिए संसाधन जुटाने में समर्थ थीं (सारणी VI.18 और चार्ट VI.4)।

एनबीएफसी द्वारा धारित जमाराशियों का क्षेत्रवार संयोजन

6.27 देश के उत्तरी क्षेत्र में एनबीएफसी-डी की संख्या सबसे अधिक थी जो मार्च 2011 के अंत में एनबीएफसी-डी की कुल संख्या के 66.4 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। तथापि, उत्तरी क्षेत्र की एनबीएफसी-डी का जमाराशि आकार, दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एनबीएफसी-डी की तुलना में काफी छोटा था, जिसका मार्च 2011 के अंत में जमाराशि में 72.4 प्रतिशत हिस्सा था। 2010-11 में दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एनबीएफसी-डी द्वारा धारित जमाराशियों के हिस्से में भी वृद्धि हुई (सारणी VI.19 तथा चार्ट VI.5)।

6.28 महानगरों में, उत्तरी क्षेत्र में नई दिल्ली में एनबीएफसी-डी की संख्या सबसे अधिक थी जबकि दक्षिणी क्षेत्र में एनबीएफसी-डी की

सारणी VI.16: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़ 2009-2010		घट-बढ़ 2010-11 अ	
	2010	2011 अ	संपूर्ण	प्रतिशत	संपूर्ण	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रदत्त पूंजी+	3,892	3,643	75	2.0	-250	-6.4
	(4.1)	(3.5)				
2. आरक्षित निधि	12,181	13,506	2,769	29.4	1,325	10.9
	(12.9)	(12.8)				
3. सार्वजनिक जमाराशि	2,831	4,062	860	43.6	1,231	43.5
	(3.0)	(3.9)				
4. उधार राशियां	64,078	69,816	8181	14.6	5,738	9.0
	(68.0)	(66.2)				
5. अन्य देयताएं	11,229	14,404	5,198	86.2	3,175	28.3
	(11.9)	(13.7)				
कुल देयताएं आस्तियां	**94,212**	**1,05,431**	**17,084**	**22.2**	**11,219**	**11.9**
	(100.0)	(100.0)				
1. निवेश	18,498	21,102	2,812	17.9	2,604	14.1
(i) एसएलआर प्रतिभूतियां @	9,634	13,487	222	2.4	3,854	40.0
	(10.2)	(12.8)				
(ii) गैर एसएलआर निवेश	8,864	7,614	2,590	41.3	-1,250	-14.1
	(9.4)	(7.2)				
2. ऋण और अग्रिम	71,119	77,901	13,108	22.6	6,782	9.5
	(75.5)	(73.9)				
3. बिल संबंधी कारोबार	45	89	21	87.9	44	97.4
	(0.0)	(0.1)				
4. अन्य आस्तियां	4,550	6,339	1,143	33.6	1,789	39.3
	(4.8)	(6.0)				

अ: अनंतिम।
@ एसएलआर निवेश में 'अनुमोदित प्रतिभूतियां' और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 'भार-रहित मीयादी जमाराशियां' शामिल हैं। उधार और अग्रिम में किराया खरीद और पट्टा आस्तियां शामिल हैं।
+ जमाराशि लेने वाली दो बड़ी एनबीएफसी के जमाराशि न लेने वाली एनबीएफसी में बदल जाने के चलते प्रदत्त पूंजी में गिरावट हुई।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हिस्से हैं।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

सारणी VI.17: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के श्रेणी के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की देयता के मुख्य घटक

(राशि करोड़ रुपए में)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वर्गीकरण	गै.बैं.वि. कंपनियों की संख्या		जमाराशियां		उधार राशियां		देयताएं	
	2009-10	2010-11 अ	2009-10	2010-11 अ	2009-10	2010-11 अ	2009-10	2010-11 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आस्ति वित्त कंपनियां	225	174	2,287	3,628	41,927	49,022	60,902	74,008
			(80.8)	(89.3)	(65.4)	(70.2)	(64.6)	(70.2)
ऋण कंपनियां	65	43	544	434	22,151	20,795	33,310	31,424
			(19.2)	(10.7)	(34.6)	(29.8)	(35.4)	(29.8)
कुल	**290**	**217**	**2,831**	**4,062**	**64,078**	**69,816**	**94,212**	**1,05,431**

अ: अनंतिम।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हिस्से हैं।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

कुल जमाराशियों में 73.9 प्रतिशत के साथ चेन्नै का सबसे बड़ा हिस्सा था।

एनबीएफसी के पास रखी सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज-दर

6.29 एनबीएफसी-डी की सार्वजनिक जमाराशियों में सबसे अधिक राशि 10 प्रतिशत तक की ब्याज दर के दायरे में संग्रह की गयी और मार्च 2011 के अंत में इसका हिस्सा लगभग तीन-चौथाई था (सारणी VI.20 और चार्ट VI.6)।

सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता प्रोफाइल

6.30 परिपक्वता अवधि के अनुसार एनबीएफसी-डी द्वारा संग्रह की गई सार्वजनिक जमाराशियों में सबसे बड़ा हिस्सा अल्पावधि से मध्यावधि परिपक्वता का था। मार्च 2011 के अंत में, जमाराशियों का सबसे बड़ा हिस्सा दो वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष तक की परिपक्वता वाली जमाराशियों का था जिसके बाद एक वर्ष से कम परिपक्वता वाली राशियों का क्रम आता था। 2010-11 में, दो वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों के हिस्से में वृद्धि हुई, जबकि प्रायः अन्य सभी परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों के हिस्से में गिरावट आई (सारणी VI.21 और चार्ट VI.7)।

चार्ट VI.4 : जमाराशियों के दायरे के अनुसार एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा

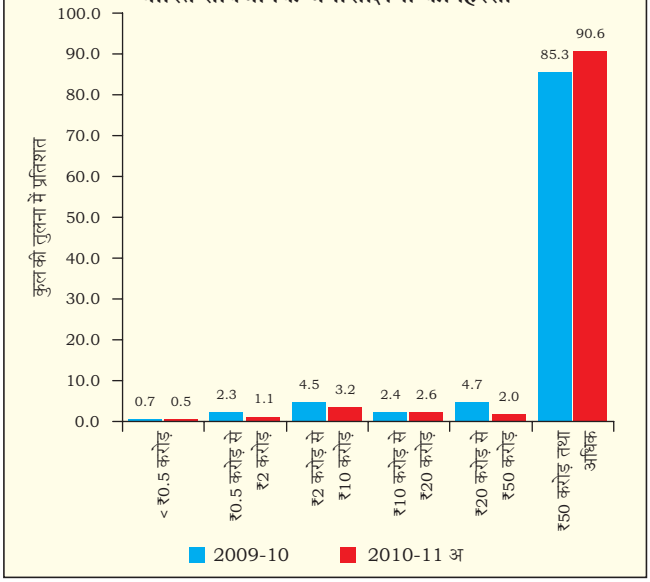

6.31 एनबीएफसी-डी के लिए बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं उधार के प्रमुख स्रोत थे और मार्च 2011 के अंत में इनका हिस्सा लगभग 50 प्रतिशत था। सरकार से लिए गए उधारों (केवल सरकारी ऋण कंपनियों को दिए गए उधार) के हिस्से में वृद्धि देखी गई, जबकि बाह्य स्रोतों से लिए गए उधार नगण्य थे। 2010-11 में अन्य स्रोतों (जिनमें अन्य कंपनियों से लिए गए उधार राशियों के साथ ही वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड और किसी अन्य प्रकार की विधि से ली

सारणी VI.18: जमाराशियों के दायरे के अनुसार एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां

(राशि करोड़ रुपए में)

जमाराशि की सीमा	मार्च के अंत में			
	गै.बैं.वि.कं. की संख्या		जमाराशि	
	2009-10	2010-11अ	2009-10	2010-11अ
1	2	3	4	5
1. 0.5 करोड़ रुपए से कम	184	134	21	19
2. 0.5 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	60	38	64	44
3. 2 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	27	28	128	129
4.10 करोड़ रुपए से अधिक और 20 करोड़ रुपए तक	5	7	69	108
5. 20 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक	4	2	133	81
6. 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक	10	8	2,416	3,681
कुल	**290**	**217**	**2,831**	**4,062**

अ: अनंतिम।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

सारणी VI.19: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशि- क्षेत्र-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	मार्च के अंत में			
	2010		2011 अ	
	गै.बैं.वि.कं-डी की संख्या	सार्वजनिक जमाराशियां	गै.बैं.वि.कं-डी की संख्या	सार्वजनिक जमाराशियां
1	2	3	4	5
उत्तरी	189	335	144	188
पूर्व	9	9	8	4
पश्चिमी	27	612	20	929
दक्षिणी	65	1,876	45	2,942
कुल	290	2,831	217	4,062
महानगरीय क्षेत्र:				
कोलकाता	6	9	5	4
चेन्नै	37	1,812	26	2,864
मुंबई	11	592	6	907
नई दिल्ली	55	207	50	98
कुल	109	2,619	87	3,873

अ: अनंतिम।

स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

गई उधार राशियां शामिल हैं, जिनको सार्वजनिक जमाराशियों के रूप में नहीं माना जाता है) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई जिसके चलते एनबीएफसी-डी के कुल उधार में इसके हिस्से में वृद्धि हुई (सारणी VI.22)

एनबीएफसी की आस्तियां

6.32 2010-11 के दौरान जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी-डी की कुल आस्तियों में धीमी वृद्धि दर्ज हुई जो मुख्यतः आस्ति वित्त

सारणी VI.20: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - जमाराशि पर ब्याज दर-दायरा-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

जमाराशि की ब्याज-दर का दायरा	मार्च के अंत में	
	2010	2011 अ
1	2	3
10 प्रतिशत तक	1,516	2,996
	(53.6)	(73.8)
10 प्रतिशत से अधिक और 12 प्रतिशत तक	1,222	945
	(43.2)	(23.3)
12 प्रतिशत और उससे अधिक	93	121
	(3.3)	(3.0)
कुल	**2,831**	**4,062**

अ: अनंतिम

टिप्पणी: सार्वजनिक जमाराशि पर ब्याज-दर तथापि 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ी। कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल के प्रतिशत हिस्से हैं।

स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

कंपनियों की आस्तियों में हुई वृद्धि की वजह से थी (सारणी VI.23)। मार्च 2011 के अंत में, एनबीएफसी-डी क्षेत्र की कुल आस्तियों के लगभग तीन-चौथाई से अधिक का हिस्सा आस्ति वित्त कंपनियों के पास था। घटक-वार रूप में, कुल आस्तियों में अग्रिमों का हिस्सा प्रमुख था और उसके बाद निवेश का स्थान था।

आस्ति के आकार के अनुसार एनबीएफसी-डी का वितरण

6.33 जमाराशि संग्रह करने की क्षमता के कारण केवल बड़ी एनबीएफसी-डी के पास बड़ा आस्ति आधार था। मार्च 2011 के अंत में, केवल 7 प्रतिशत एनबीएफसी-डी का आस्ति आकार 500 करोड़

चार्ट VI.5: एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा - क्षेत्र-वार

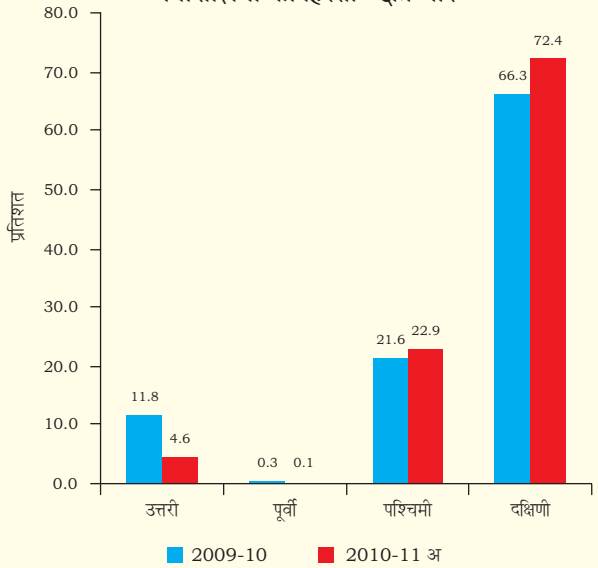

चार्ट VI.6: एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशि पर ब्याज -दर - दायरा-वार

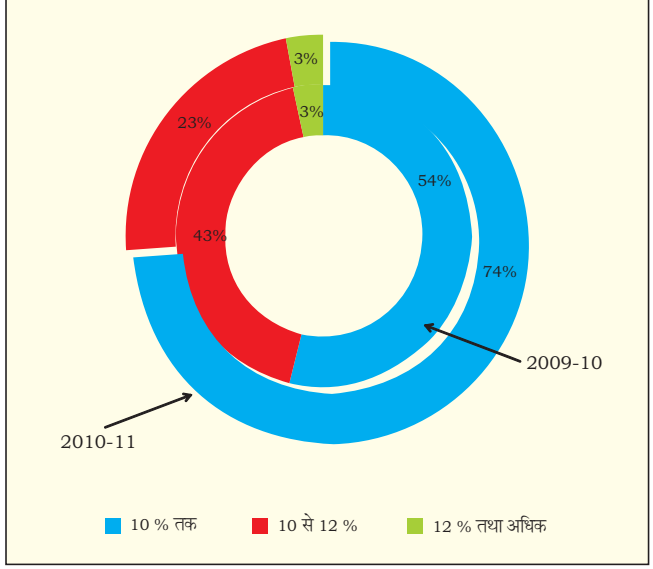

सारणी VI.21: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए में)

परिपक्वता अवधि	मार्च के अंत में	
	2010	2011 अ
1	2	3
1. एक वर्ष से कम	1,034	982
	(36.5)	(24.2)
2. एक वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	595	794
	(21.0)	(19.6)
3. 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	1,031	1,988
	(36.4)	(48.9)
4. 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	81	222
	(2.9)	(5.5)
5. 5 वर्ष और उससे अधिक@	90	77
	(3.2)	(1.9)
कुल	**2,831**	**4,062**

अ: अनंतिम

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।

@ 31 मार्च 2011 को 33 करोड़ रुपए की बेनामी सार्वजनिक जमाराशि सहित (गत वर्ष 58 करोड़ रुपए)।

स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

चार्ट VI.7: एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता का स्वरूप

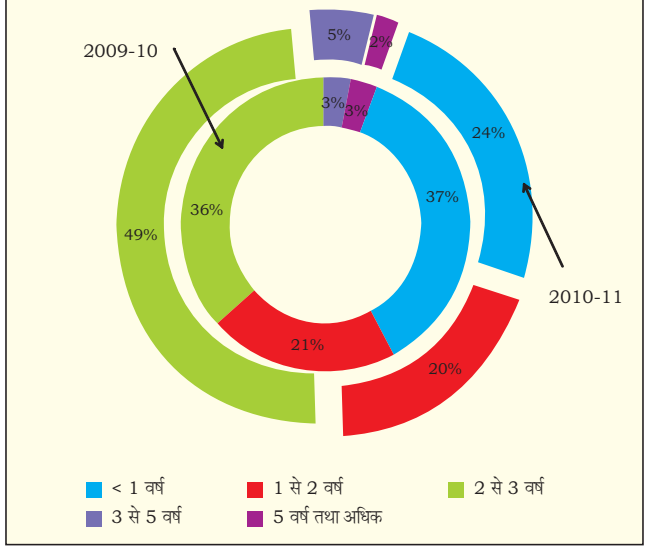

रुपए से अधिक था और सभी एनबीएफसी-डी की कुल आस्तियों में इनका हिस्सा 97.5 प्रतिशत था (सारणी VI.24)।

एनबीएफसी की आस्तियों का वितरण - कार्यकलापों के प्रकार

6.34 2010-11 के दौरान, एनबीएफसी-डी के उधार तथा अंतर-कंपनी जमाराशियों के रूप में धारित आस्तियों और निवेशों में काफी वृद्धि हुई। एनबीएफसी-डी क्षेत्र की कुल आस्तियों में इन दो कार्यकलाप वाली श्रेणियों का हिस्सा 93.9 प्रतिशत था (सारणी VI.25)।

एनबीएफसी-डी का वित्तीय कार्यनिष्पादन

6.35 एनबीएफसी-डी के वित्तीय निष्पादन में 2010-11 में सुधार हुआ जैसा कि उनके परिचालन लाभ में हुई वृद्धि से ज्ञात होता है। लाभ में बढ़ोतरी मुख्यतः आय में वृद्धि (निधि आधारित) और व्यय में थोड़ी गिरावट की वजह से हुई। कर के संबंध में किए गए प्रावधान के साथ-साथ परिचालन लाभ में हुई वृद्धि से वर्ष 2010-11 में निवल लाभ लगभग दुगुनी हो गई (सारणी VI.26)।

6.36 2010-11 में कुल औसत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यय में थोड़ी गिरावट हुई, जबकि कुल औसत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में आय कमोबेश एक जैसी रही, जिसके कारण एनबीएफसी-डी की कुल औसत आस्ति (आस्तियों पर प्रतिलाभ) की तुलना में निवल लाभ में वृद्धि हुई (चार्ट VI.8)।

सारणी VI.22: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की उधार राशियों के स्रोत

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण	सरकारी		बाह्य स्रोत @		बैंक और वित्तीय संस्थाएं		डिबेंचर		अन्य		कुल उधार	
	2009-10	2010-11 अ	2009-10	2010-11 अ	2009-10	2010-11 अ	2009-10	2010-11 अ	2009-10	2010-11 अ	2009-10	2010-11 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आस्ति वित्त	0	0	757	3	24,159	28,329	12,030	12,285	4,980	8,405	41,927	49,022
	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(100.0)	(75.8)	(80.2)	(80.3)	(85.7)	(42.3)	(59.0)	(65.4)	(70.2)
ऋण	4,710	5,908	0	0	7,693	6,991	2,943	2,045	6,805	5,850	22,151	20,795
	(100.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(24.2)	(19.8)	(19.7)	(14.3)	(57.7)	(41.0)	(34.6)	(29.8)
कुल	**4,710**	**5,908**	**757**	**3**	**31,853**	**35,320**	**14,973**	**14,330**	**11,785**	**14,256**	**64,078**	**69,816**

अ: अनंतिम; @ : इसमें (i)विदेशी सरकार, (ii) विदेशी प्राधिकरण, और (iii) विदेशी नागरिक या व्यक्ति शामिल हैं।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।

स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

सारणी VI.23: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण-वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों के मुख्य घटक

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत में					
	आस्तियां		अग्रिम		निवेश	
	2010	2011 अ	2010	2011 अ	2010	2011 अ
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त कंपनियां	60,902	74,008	46,651	55,724	10,688	12,630
	(64.6)	(70.2)	(65.6)	(71.5)	(57.8)	(59.9)
ऋण कंपनियां	33,310	31,424	24,468	22,178	7,810	8,472
	(35.4)	(29.8)	(34.4)	(28.5)	(42.2)	(40.1)
कुल	**94,212**	**1,05,431**	**71,119**	**77,901**	**18,498**	**21,102**

अ: अनंतिम।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

सुदृढ़ता संकेतक: एनबीएफसी-डी की आस्ति गुणवत्ता

6.37 हाल के वर्षों में देखे गए रुझान के अनुरूप 2010-11 में एनबीएफसी-डी के क्रेडिट एक्सपोजर की तुलना में सकल एनपीए अनुपात में काफी गिरावट आई। एनपीए के संबंध में किए गए प्रावधान मार्च 2011 के अंत तक पिछले लगातार चार वर्षों के दौरान के एनपीए की राशि से अधिक होने के कारण निवल एनपीए ऋणात्मक रहा (सारणी VI.27)।

6.38 2009-10 में आस्ति वित्त तथा ऋण कंपनियों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ जैसा कि इन कंपनियों के सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए अनुपात में आई गिरावट से स्पष्ट होता (सारणी VI.28)।

6.39 2010-11 में, सभी कंपनियों के एनपीए की सभी तीन श्रेणियों अर्थात अवमानक, संदिग्ध और हानिवाली आस्तियों के हिस्से में गिरावट आई जो इन संस्थाओं की आस्तियों की गुणवत्ता में हुए सुधार को रेखांकित करता है। तथापि, ऋण कंपनियों के मामले में, मार्च 2011 के अंत में मानक आस्तियों का हिस्सा सुधरकर 98.7 प्रतिशत हो गया (सारणी VI.29)।

सारणी VI.24: आस्ति आकार के दायरे के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

	कंपनियों की सं.		आस्तियां	
	2010	2011अ	2010	2011अ
1	2	3	4	5
1. 0.25 करोड़ रुपए से कम	3	2	0	0
2. 0.25 करोड़ रुपए से अधिक और 0.50 करोड़ रुपए तक	20	9	8	3
3. 0.50 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	105	70	125	80
4. 2 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	91	73	416	347
5. 10 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक	37	34	831	822
6. 50 करोड़ रुपए से अधिक और 100 करोड़ रुपए तक	10	8	702	508
7. 100 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक	7	6	1,377	831
8. 500 करोड़ रुपए से अधिक	17	15	90,753	1,02,839
कुल	**290**	**217**	**94,212**	**1,05,431**

अ: अनंतिम।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

6.40 मार्च 2011 के अंत में, 204 एनबीएफसी में से 199 का सीआरएआर 15 प्रतिशत अथवा इससे अधिक था (सारणी VI.30)। इससे मालूम होता है कि एनबीएफसी क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों से समेकन की प्रक्रिया से गुजर रहा है जिसमें कमजोर एनबीएफसी

सारणी VI.25: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों का वितरण- कार्यकलापवार

(राशि करोड़ रुपए में)

कार्यकलाप	मार्च के अंत में		प्रतिशत वृद्धि
	2010	2011 अ	2011 अ
1	2	3	4
ऋण और अंतर-कंपनी जमाराशियां	71,119	77,901	9.5
	(75.5)	(73.9)	
निवेश	18,498	21,102	14.1
	(19.6)	(20.0)	
बिल	45	89	97.4
	(0.1)	(0.1)	
अन्य आस्तियां	4,550	6,339	39.3
	(4.8)	(6.0)	
कुल	**94,212**	**1,05,431**	11.9

अ : अनंतिम।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

सारणी VI.26: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में	
	2010	2011 अ
1	2	3
क. आय (i+ii)	**13,615**	**15,196**
(i) निधि आधारित	13,388	15,069
	(98.3)	(99.2)
(ii) शुल्क आधारित	227	127
	(1.7)	(0.8)
ख. व्यय (i+ii+iii)	**11,038**	**10,934**
(i) वित्तीय	6,546	6,816
	(59.3)	(62.3)
जिसमें से: ब्याज भुगतान	730	902
	(6.6)	(8.2)
(ii) परिचालन	2,666	2,968
	(24.2)	(27.1)
(iii) अन्य	1,825	1,150
	(16.5)	(10.5)
ग. कर प्रावधान	**1,096**	**1,402**
घ. परिचालन लाभ (करपूर्व लाभ)	**2,577**	**4,263**
ङ निवल लाभ (करोत्तर लाभ)	**1,482**	**2,861**
च. कुल आस्तियां	**94,212**	**1,05,431**
छ. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
i) आय	14.5	14.4
ii) निधि आय	14.2	14.3
iii) शुल्क आय	0.0	0.0
iv) व्यय	11.7	10.4
v) वित्तीय व्यय	0.1	0.1
vi) परिचालन व्यय	2.8	2.8
vii) कर प्रावधान	1.2	1.3
viii) निवल लाभ	1.6	2.7
ज. आय की तुलना में लागत अनुपात	**81.1**	**72.0**

अ: अनंतिम।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

धीरे-धीरे कारोबार से अलग हो रहे हैं और मजबूत एनबीएफसी के लिए मार्ग प्रशस्त हो रहा है। एनबीएफसी को एक साथ मिलाकर उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) की तुलना में सार्वजनिक

सारणी VI.27: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी के अनर्जक आस्ति अनुपात

(प्रतिशत)

मार्च के अंत में	क्रेडिट एक्सपोजर के प्रति सकल अनर्जक आस्तियां	क्रेडिट एक्सपोजर के प्रति निवल अनर्जक आस्तियां
1	2	3
2002	10.6	3.9
2003	8.8	2.7
2004	8.2	2.4
2005	5.7	2.5
2006	3.6	0.5
2007	2.2	0.2
2008	2.1	#
2009	2.0	#
2010	1.3	#
2011अ	0.7	#

#: अनर्जक आस्तियों से अधिक प्रावधान।
स्रोत: एनबीएफसी-डी की छमाही विवरणियां।

चार्ट VI.8 : एनबीएफसी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन

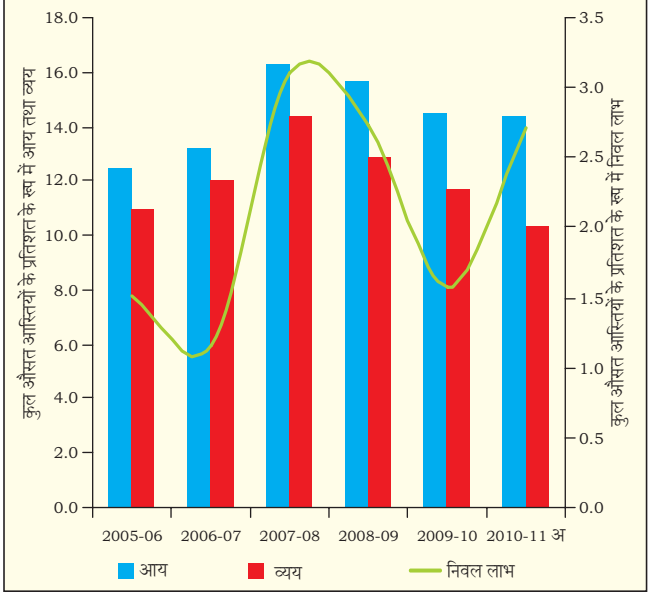

जमाराशि के अनुपात में मार्च 2011 के अंत में 0.3 प्रतिशत की थोड़ी वृद्धि हुई (सारणी VI.31)। 2010-11 में एनबीएफसी-डी के एनओएफ और सार्वजनिक जमाराशि में वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः उन कंपनियों तक सीमित थी जिनका एनओएफ श्रेणी आकार 500 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक था (सारणी VI.32)।

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी)

6.41 मार्च 2011 के अंत में, आरएनबीसी की आस्तियों में 36 प्रतिशत की गिरावट आई। आस्तियों में मुख्य रूप से भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों, बांडों/डिबेंचरों तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों

सारणी VI.28: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की श्रेणी के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की अनर्जक आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण/ मार्च के अंत में	सकल अनर्जक आस्तियां			
	सकल अग्रिम	राशि	सकल अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत	निवल अग्रिम
1	2	3	4	5
आस्ति वित्त				
2009-10	45,449	350	0.77	44,480
2010-11अ	51,748	251	0.49	50,807
ऋण कंपनियां				
2009-10	20,529	541	2.63	19,913
2010-11अ	18,295	243	1.33	18,046
सभी कंपनियां				
2009-10	65,978	891	1.35	64,393
2010-11अ	70,043	494	0.70	68,853

अ: अनंतिम।
स्रोत: एनबीएफसी-डी की छमाही विवरणियां।

सारणी VI.29: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की श्रेणी के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों का वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण / मार्च के अंत में	मानक आस्तियां	अवमानक आस्तियां	संदिग्ध आस्तियां	हानि आस्तियां	सकल अनर्जक आस्तियां	सकल अग्रिम
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त कंपनियां						
2009-10	45,098	287	46	18	350	45,449
	(99.2)	(0.6)	(0.1)	(0.0)	(0.8)	(100.0)
2010-11अ	51,497	214	29	8	251	51,748
	(99.5)	(0.4)	(0.1)	(0.0)	(0.5)	(100.0)
ऋण कंपनियां						
2009-10	19,989	298	169	74	541	20,529
	(97.4)	(1.5)	(0.8)	(0.4)	(2.6)	(100.0)
2010-11अ	18,053	102	140	0	243	18,295
	(98.7)	(0.6)	(0.8)	(0.0)	(1.3)	(100.0)
सभी कंपनियां						
2009-10	65,087	585	214	92	891	65,978
	(98.6)	(0.9)	(0.3)	(0.1)	(1.4)	(100.0)
2010-11अ	69,549	316	169	8	494	70,043
	(99.3)	(0.5)	(0.1)	(0.0)	(0.7)	(100.0)

अः अनंतिम।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल क्रेडिट एक्सपोजर के प्रतिशत हैं।
स्रोत : एनबीएफसी-डी की छमाही विवरणियां।

की मीयादी जमाराशियों /जमा-प्रमाणपत्रों में निवेश शामिल था। तथापि, 2010-11 में आरएनबीसी की निवल स्वाधिकृत निधि में 2.3 प्रतिशत की थोड़ी वृद्धि हुई (सारणी VI.33)।

6.42 2010-11 के दौरान आरएनबीसी की आय में हुई गिरावट उनके व्यय में हुई गिरावट से अधिक थी, जिसके चलते वर्ष के दौरान उनके परिचालन लाभ में काफी गिरावट आई। कराधान के लिए किए गए प्रावधान में कमी आने के बावजूद, 2010-11 में आरएनबीसी के निवल लाभ में तेज गिरावट हुई जबकि पिछले इसमें वर्ष तेज वृद्धि हुई थी।

आरएनबीसी की जमाराशियों का क्षेत्रीय पैटर्न

6.43 मार्च 2011 के अंत में, दो अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आरएनबीसी) थीं जिनमें से एक पूर्वी क्षेत्र में तथा दूसरी मध्य क्षेत्र में थी। आरएनबीसी अन्य कारोबारी मॉडलों की ओर अग्रसर हो रही हैं और ये 2015 तक अपनी जमाराशि देयताओं को

सारणी VI.31: एनबीएफसी की श्रेणी के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की सार्वजनिक जमाराशि की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण	**निवल स्वाधिकृत निधियां**		**सार्वजनिक जमाराशियां**	
	2009-10	**2010-11**	**2009-10**	**2010-11**
1	2	3	4	5
आस्ति वित्त कंपनियां	8,697	10,818	2,287	3,628
			(0.3)	(0.3)
ऋण कंपनियां	4,806	4,170	545	434
			(0.1)	(0.1)
कुल	**13,503**	**14,987**	**2,831**	**4,062**
			(0.2)	(0.3)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े निवल स्वाधिकृत निधि की तुलना में सार्वजनिक जमाराशि का अनुपात हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणीय।

सारणी VI.30: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात

कंपनियों की संख्या

सीआरएआर दायरा	2009-10			2010-11अ		
	आ.वि.क.	ऋ.क.	कुल	आ.वि.क.	ऋ.क.	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1) 12 प्रतिशत से कम	2	1	3	1	1	2
क) 9 प्रतिशत से कम	2	0	2	1	1	2
ख) 9 प्रतिशत से अधिक तथा 12 प्रतिशत तक	0	1	1	0	0	0
2) 12 प्रतिशत से अधिक तथा 15 प्रतिशत तक	1	0	1	1	2	3
3) 15 प्रतिशत से अधिक तथा 20 प्रतिशत तक	5	3	8	5	3	8
4) 20 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक	21	7	28	19	3	22
5) 30 प्रतिशत से अधिक	182	53	235	142	27	169
कुल	**211**	**64**	**275**	**168**	**36**	**204**

अ : अनंतिम।
टिप्पणी : आ.वि.कं-आस्ति वित्त कंपनी; ऋ.कं : ऋण कंपनियां; नि.कं. : निवेश कंपनी
स्रोत: छमाही विवरणियां।

सारणी VI.32: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की सार्वजनिक जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा

(राशि करोड़ रुपए में)

निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा	2009-10			2010-11अ		
	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	सार्वजनिक जमा राशियां	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	सार्वजनिक जमा राशियां
1	2	3	4	5	6	7
0.25 करोड़ रुपए तक	4	-436	174	2	-200	32
0.25 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	172	130	46	113	84	32
2 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	70	265	134	65	266	136
10 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक	27	538	189	20	453	113
50 करोड़ रुपए से अधिक और 100 करोड़ रुपए तक	1	66	52	2	120	104
100 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक	6	1,405	480	7	1,712	453
500 करोड़ रुपए से अधिक	10	11,535	1,754	8	12,553	3,192
कुल	**290**	**13,503**	**2,830**	**217**	**14,987**	**4,062**

अः अनंतिम।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

घटाकर 'शून्य' कर लेंगी। मुख्यतः मध्य क्षेत्र में स्थित आरएनबीसी द्वारा धारित जमाराशियों में उल्लेखनीय गिरावट आने की वजह से 2010-11 में दो आरएनबीसी की सार्वजनिक जमाराशियों में काफी गिरावट हुई (सारणी VI.34)।

आरएनबीसी के निवेश का स्वरूप

6.44 2010-11 में जमाराशियों में हुई गिरावट की वजह से आरएनबीसी के निवेश में गिरावट आई। यह गिरावट भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों के मामले में काफी अधिक था (सारणी VI.35)।

एनबीएफसी-एनडी-एसआई

6.45 मार्च 2010 की तुलना में मार्च 2011 को समाप्त वर्ष में प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण जमाराशि नहीं लेने वाली एनबीएफसी की आस्तियों में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआई की कुल उधार राशियों (जमानती और बेजमानती) में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कुल देयताओं का लगभग दो-तिहाई था (सारणी VI.36)। एनबीएफसी-एनडी-एसआई के मामले में जमानती उधार निधियों का अकेला सबसे बड़ा स्रोत बना रहा, जिसके बाद बेजमानती उधार, आरक्षित निधि तथा अधिशेष का स्थान था।

सारणी VI.33 : अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों का प्रोफाइल

(राशि करोड़ रुपए में)

मद		मार्च के अंत में		घट-बढ़ प्रतिशत	
		2010	2011अ	2009-10	2010-11अ
1		2	3	4	5
क.	**आस्तियां (i से v)**	**17,920**	**11,466**	**-11.6**	**-36.0**
	(i) भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2,467	1,308	-53.0	-47.0
	(ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों / सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मीयादी जमाराशि / जमा प्रमाणपत्र में निवेश	4,860	2,652	-19.0	-45.4
	(iii) सरकारी कंपनी/सरकारी क्षेत्र के बैंक / सरकारी वित्त संस्था / निगम के बांड/डिबेंचर/वाणिज्यिक पत्र	5,860	2,876	-16.2	-50.9
	(iv) अन्य निवेश	710	49	137.4	-93.1
	(v) अन्य आस्तियां	4,022	4,582	130.9	13.9
ख.	**निवल स्वाधिकृत निधि**	**2,921**	**2,988**	**56.2**	**2.3**
ग.	**कुल आय (i+ii)**	**1,946**	**1,159**	**-19.5**	**-40.4**
	(i) निधि आय	1,920	1,128	-17.1	-41.2
	(ii) शुल्क आय	26	31	-74.2	18.8
घ.	**कुल व्यय (i+ii+iii)**	**1,400**	**1,006**	**-32.4**	**-28.1**
	(i) वित्तीय लागत	974	631	-39.3	-35.2
	(ii) परिचालन लागत	343	368	-9.5	7.3
	(iii) अन्य लागत	83	7	-3.5	-91.4
ङ	**कराधान**	**164**	**62**	**10.1**	**-62.2**
च.	**परिचालन लाभ (पीबीटी)**	**546**	**153**	**57.5**	**-71.9**
छ.	**निवल लाभ(पीएटी)**	**382**	**91**	**93.1**	**-76.1**

अ: अनंतिम पीबीटीः कर पूर्व लाभ पीएटीः करोत्तर लाभ
स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

सारणी VI.34: अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - क्षेत्र-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

	2009-10		2010-11अ	
	अ.गै.बैं.कं. की संख्या	सार्वजनिक जमाराशि	अ.गै.बैं.कं. की संख्या	सार्वजनिक जमाराशि
1	2	3	4	5
मध्य	1	11,235	1	5,290
		(77.4)		(66.9)
पूर्वी	1	3,285	1	2,612
		(22.6)		(33.1)
कुल	**2**	**14,521**	**2**	**7,902**
महानगरीय क्षेत्र :				
कोलकाता	1	3,285	1	2,612
कुल	**1**	**3,285**	**1**	**2,612**

अ: अनंतिम।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी VI.35: अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के निवेश का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए में)

	2009-10	2010-11अ
1	2	3
जमाकर्ताओं के प्रति समग्र देयताएं (एएलडी)	**14,521**	**7,902**
(i) भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियां	2,467	1,308
	(17.0)	(16.6)
(ii) बैंकों में सावधि जमाराशियां	4,860	2,652
	(33.5)	(33.6)
(iii) सरकारी कंपनी/सरकारी क्षेत्र के बैंक/ सरकारी वित्तीय संस्था/ निगम के बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र	5,860	2,876
	(40.4)	(36.4)
(iv) अन्य निवेश	710	49
	(4.9)	(0.6)

अ: अनंतिम।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एएलडी का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

6.46 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है तथा उधार उनकी निधियों का अकेला सबसे बड़ा स्रोत है, जो अधिकांशतः बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होता है। इस प्रकार, उनमें एक प्रणालीगत संबद्धता होती है तथा उन पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रणाली को उनसे कोई जोखिम नहीं है। जहां तक वे बैंक वित्तपोषण पर निर्भर रहते हैं, जमाकर्ताओं के लिए अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र रहता है। जहां निधीयन

सारणी VI.36: एनबीएफसी-एनडी-एसआई का समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2009-10	2010-11अ	घट-बढ़ प्रतिशत
1	2	3	4
1. शेयर पूंजी	**36,462**	**40,591**	**11.3**
2. आरक्षिति निधि और अधिशेष	1,27,131	1,45,177	14.2
3. कुल उधार	**3,85,779**	**5,00,938**	**29.9**
अ. जमानती उधार	**1,77,408**	**2,74,990**	**55.0**
अ.1. डिबेंचर	58,590	98,292	67.8
अ.2. बैंकों से उधार	45,850	92,698	102.2
अ.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	7,971	7,769	-2.5
अ.4. उपचित ब्याज	3,526	5,144	45.9
अ.5. अन्य	61,471	71,086	15.6
आ. बेजमानती उधार	**2,08,371**	**2,25,948**	**8.4**
आ.1. डिबेंचर	82,544	74,946	-9.2
आ.2. बैंकों से उधार	43,575	45,129	3.6
आ.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	2,471	2,923	18.3
आ.4. रिश्तेदारों से उधार	1,854	1,127	-39.2
आ.5. इंटर-कारपोरेट उधार	22,153	24,883	12.3
आ.6. वाणिज्यिक पत्र	31,049	32,321	4.1
आ.7. उपचित ब्याज	3,696	4,355	17.8
आ.8. अन्य	21,029	40,263	91.5
4. वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	39,433	43,648	10.7
कुल देयताएं / कुल आस्तियां	**5,88,806**	**7,30,366**	**24.0**
आस्तियां			
1. ऋण तथा अग्रिम	3,48,517	4,58,173	31.5
1.1. जमानती	2,48,655	3,32,544	33.7
1.2. बेजमानती	99,862	1,25,629	25.8
2. किराया खरीद आस्तियां	41,685	50,019	20.0
3. निवेश	1,19,788	1,36,143	13.7
3.1. दीर्घावधि निवेश	82,944	95,662	15.3
3.2. वर्तमान निवेश	36,844	40,481	9.9
4. नकद और बैंक शेष	25,857	29,877	15.5
5. अन्य चालू आस्तियां	40,565	42,444	4.6
6. अन्य आस्तियां	12,393	13,431	8.4
ज्ञापन मदें			
1. पूंजी बाजार एक्सपोजर	59,905	78,399	30.9
जिसमें से			
ईक्विटी शेयर	27,772	31,743	14.3
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएमई	10.2	10.7	
3. लीवरेज अनुपात	2.60	2.93	

अ:अनंतिम।
टिप्पणी: 1 प्रस्तुत आंकड़े एनडीएसआई से संबंधित है जिन्होंने मार्च 2010, मार्च 2011 और जून 2011 की अवधि में लगातार रिपोर्ट किया गया है। रिर्पोट करने वाली सभी एनडी-एसआई की कुल आस्तियों में इन एनडी-एसआई का हिस्सा 93.4 प्रतिशत है।
2. पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) में (i) सूचीबद्ध लिखतों में निवेश और (ii) सीएमई संबद्ध उधार एवं अग्रिम शामिल हैं।
स्रोत : एनडी-एसआई की मासिक विवरणी।

के संकेंद्रण में जोखिम रहती है, वहीं एनबीएफसी को दिए गए बैंक उधार पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने से उनकी वृद्धि बाधित हो सकती है। समूचे एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र का लीवरेज अनुपात 2010-11 में 2.93 तक बढ़ गया। तथापि, संवेदनशील क्षेत्र, जो पूंजी बाजार जैसे संभाव्य उछाल-गिरावट के चक्र के प्रति प्रणत रहता है, के प्रति एनडी-एसआई क्षेत्र के एक्सपोज़र में भी वृद्धि दिखायी देती है। वित्तीय क्षेत्र में तेजी से होते बदलाव ने विनियामक के समक्ष नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं और विशेष रूप से काफी जटिल एनबीएफआई क्षेत्र के लिए एक उपयुक्त विनियामक सुरक्षात्मक ढांचा तैयार करना मुख्य चुनौती है (बॉक्स VI.3)।

एनबीएफसी-एनडी-एसआई का क्षेत्रवार उधार

6.47 एनबीएफसी-एनडी-एसआई के कुल उधार के क्षेत्रवार विश्लेषण से मालूम होता है कि उत्तरी क्षेत्र के साथ पश्चिमी क्षेत्र ने मार्च 2011 तथा मार्च 2010 के समाप्त वर्ष के दौरान कुल उधार में 80 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा बनाए रखा; यह प्रवृत्ति जून 2011 को समाप्त तिमाही के दौरान भी बनी रही। पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2011 को समाप्त तिमाही के दौरान सभी क्षेत्रों में काफी अधिक वृद्धि दर्ज की गयी। जून 2011 को समाप्त तिमाही के दौरान सभी क्षेत्रों में इसी प्रकार की प्रवृत्ति बनी रही।(सारणी VI.37)।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

6.48 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र के वित्तीय कार्यनिष्पादन में थोड़ा सुधार हुआ जैसा कि पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान निवल लाभ की वृद्धि में दिखायी देता है। इस अवधि के दौरान आस्ति पर प्रतिलाभ में कोई बदलाव नहीं हुआ (सारणी VI.38)। समूची एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र की कुल आस्तियों की तुलना

सारणी VI.37: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधार राशियां

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	मार्च 2010	मार्च 2011अ	जून 2011अ
1	2	3	4
उत्तरी	2,09,491	2,68,356	2,72,228
पूर्व	13,500	16,937	18,458
पश्चिमी	1,07,846	1,36,877	1,48,291
दक्षिणी	54,943	78,768	85,847
कुल उधार राशियां	**3,85,779**	**5,00,938**	**5,24,823**

अ: अनंतिम।
स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआई की मासिक विवरणी।

सारणी VI.38: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च 2010	मार्च 2011अ	जून 2011अ
1	2	3	4
1. कुल आय	60,932	71,696	20,765
2. कुल व्यय	43,609	50,118	14,842
3. निवल लाभ	12,231	15,619	4,667
4. कुल आस्तियां	5,88,806	7,30,366	7,61,805
वित्तीय अनुपात			
(i) कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में आय	10.3	9.8	2.7
(ii) कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यय	7.4	6.9	1.9
(iii) कुल आय की तुलना में निवल लाभ	20.1	21.8	22.5
(iv) कुल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ	2.1	2.1	0.6

अ: अनंतिम।
स्रोत : एनडी-एसआई की मासिक विवरणी (100 करोड़ रुपए और अधिक)।

में सकल एवं निवल दोनों अनर्जक आस्तियों के अनुपात में मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान गिरावट आई। जून 2011 को, अनर्जक आस्तियों के अनुपात में थोड़ी वृद्धि हुई (सारणी VI.39)। मार्च 2011 के अंत तक 253 एनबीएफसी-एनडी-एसआई में से 104 कंपनियों ने अपनी आस्तियों के निधीयन के लिए अपनी खुद की निधि पर निर्भरता दिखायी। तथापि, कुछ कंपनियों ने अपनी आस्तियों के बड़े हिस्से के निधीयन के लिए आईसीडी/वाणिज्यिक पत्र/बैंकों पर निर्भरता दिखायी (सारणी VI.40)।

6.49 मार्च 2011 की स्थिति तक, सीआरएआर के अनुसार रिपोर्ट करने वाली अधिकांश कंपनियों ने न्यूनतम 15 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता मानदंड को बनाए रखा (सारणी VI.41)। यह बताता है कि एनबीएफसी-एनडी-एसआई के पास काफी गुंजाइश है कि वह आगे विस्तार हेतु अपनी इस पूंजी का उपयोग करे। ये कंपनियां भी अपने मीयादी उधार, कार्यशील पूंजीगत उधार, तथा डिबेंचर/वाणिज्यिक पत्र के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों पर निर्भर थीं। निजी क्षेत्र के नए बैंक दूसरे बड़े बैंक समूह बनकर उभरे हैं, जिनसे ये कंपनियां मीयादी उधार तथा कार्यशील पूंजीगत उधार जुटा सकती हैं (सारणी VI.42)।

सारणी VI.39: गैर-बैंकिंग कंपनी एनडी-एसआई के अनर्जक आस्ति अनुपात

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च 2010	मार्च 2011अ	जून 2011अ
1	2	3	4
1. सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए	2.8	1.8	2.3
2. निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए	1.2	0.7	1.2
3. कुल आस्तियों की तुलना में सकल एनपीए	2.0	1.3	1.7
4. कुल आस्तियों की तुलना में निवल एनपीए	0.9	0.5	0.9

अ: अनंतिम।
स्रोत : एनडी-एसआई की मासिक विवरणी (100 करोड़ रुपए और अधिक)।

बॉक्स VI.3: एनबीएफसी क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं पर गठित कार्यदल की सिफारिशें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी क्षेत्र के विनियमन से जुड़े उभरते हुए विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए 'एनबीएफसी क्षेत्र के मुद्दों एवं चिंताओं' पर एक कार्यदल गठित किया (अध्यक्षः श्रीमती उषा थोराट)। *उदाहरणार्थ* ये मुद्दे हैं, (i) एनबीएफसी के 'मुख्य कारोबार' की अवधारणा की समीक्षा और एक अलग विनियामक श्रेणी की आवश्यकता पर पुनः विचार; (ii) एनबीएफसी के प्रवेश मानदंड की पुनः समीक्षा; (iii) एनबीएफसी की कुछ विशेष श्रेणियों को छूट देनेवाले वर्तमान ढांचे की पुनः समीक्षा; (iv) किसी एक समूह के भीतर एक से अधिक एनबीएफसी के लिए और विनिर्माण एवं औद्योगिक घरानों द्वारा निर्मित कैप्टिव एनबीएफसी के लिए नीति का निर्माण; (v) एनबीएफसी के विनियमन को बैंकों की सर्वोत्तम विनियामक परिपाटी के समरूप लाने की आवश्यकता पर विचार; (vi) एनबीएफसी के लिए व्यापक 'डिस्क्लोजर मानदंड' की सिफारिश; (vii) एनबीएफसी-एनडी-एसआई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के लिए व्यावसायिक अर्हता निर्धारित करने की आवश्यकता पर विचार; (viii) एक या अलग-अलग प्रकार की एनबीएफसी की आस्तियों की निगरानी करने की आवश्यकता पर विचार; (ix) एनबीएफसी के आकार और अन्य संस्थाओं के साथ उनकी अंतर्संबद्धता को ध्यान में रखते हुए उनके पर्यवेक्षण की आवधिकता और गंभीरता के मद्देनजर नीतियां बनाना।

इस रिपोर्ट को जनता की टिप्पणियों के लिए 23 अगस्त 2011 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया। इस कार्यदल की महत्त्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(i) जब तक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन नहीं हो जाता है, तब तक रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण के लिए लंबित सभी नए एनबीएफसी के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि आवश्यकता वर्तमान 2 करोड़ रुपए ही रखी जाए। तथापि, रिज़र्व बैंक किसी नए एनबीएफसी के पंजीकरण में न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से अधिक आस्ति आकार होने पर जोर दे सकता है। वर्तमान में ऐसे एनबीएफसी जो इस सीमा से नीचे हैं, उनका पंजीकरण समाप्त हो सकता है या उन्हें दो वर्ष पूरे होने पर नए पंजीकरण प्रमाणपत्र लेने के लिए कहा जा सकता है;

(ii) जनता से जमाराशि नहीं लेनेवाली एनबीएफसी को पंजीकरण से छूट दी जा सकती है बशर्ते उनकी आस्ति 1000 करोड़ रुपए से कम हो;

(iii) किसी पंजीकृत एनबीएफसी की शेयरधारिता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 25 प्रतिशत या इससे अधिक के हस्तांतरण, नियंत्रण में परिवर्तन, विलयन या अधिग्रहण में रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति होनी चाहिए;

(iv) किसी एनबीएफसी के मुख्य कारोबार का निर्धारण करने में आस्ति और आय दोनों मानदंडों को बढ़ाकर क्रमशः आस्तियों का 75 प्रतिशत तथा आय का 75 प्रतिशत किया जाए। मुख्य कारोबार संबंधी संशोधित मानदंड को पूरा करने के लिए तीन वर्ष की अवधि दी जा सकती है;

(v) सभी पंजीकृत जमाराशि स्वीकार करने वाली और जमाराशि स्वीकार न करनेवाली एनबीएफसी के लिए यह निर्दिष्ट किया जाए कि वे तीन वर्ष में सीआरएआर (जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात) के प्रयोजन से 12 प्रतिशत टियर I पूंजी का लक्ष्य प्राप्त करें;

(vi) सभी पंजीकृत एनबीएफसी के लिए चलनिधि अनुपात की शुरुआत इस रूप में की जा सकती है कि यदि पहले 30 दिनों में उनके संचयी बर्हिप्रवाह और संचयी अंतर्प्रवाह में कोई अंतर होता है तब नकदी, बैंक बैलेंस और धारित सरकारी प्रतिभूतियां पूरी तरह उसकी भरपाई कर दें;

(vii) बैंकों पर लागू आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड चरणबद्ध तरीके से एनबीएफसी पर भी लागू किया जाए। बैंकों की ही भांति, विनियमन के तहत किए गए प्रावधानों पर, उपयुक्त आयकर कटौती की अनुमति दी जा सकती है। बैंकों पर लागू लेखांकन मानदंडों को एनबीएफसी पर भी लागू किया जाए;

(viii) एनबीएफसी जब शेयर ब्रोकरों और मर्चेंट बैंकों को उधार देते हैं, तब उन पर बैंकों के समान विनियमन लागू किया जाए और जब वे मार्जिन वित्तपोषण का काम करते हैं, तब उन पर वैसे ही विनियमन लागू किए जाएं जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर ब्रोकरों के लिए निर्दिष्ट किया है;

(ix) बड़े एनबीएफसी जिनके समूह में शेयर ब्रोकर और मर्चेंट बैंक होते हैं उनके पर्यवेक्षण के लिए वित्तीय संगुट दृष्टिकोण अपनाया जाए;

(x) सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएं जो एनबीएफसी के लिए योग्य पाई गई हैं, वे शीघ्र अति शीघ्र एनबीएफसी पर लागू विनियामक ढांचे का पालन करें;

(xi) यदि किसी बैंक में समूह कोई एनबीएफसी शामिल है, तो रीयल इस्टेट के प्रति बैंक के एक्सपोजर की बोर्ड अनुमत सीमा को पूरे बैंक समूह पर लागू किया जाए। ऐसे एनबीएफसी जो बैंकों द्वारा प्रायोजित नहीं किए गए हैं या जिनके समूह में कोई बैंक नहीं है, उनके पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) और वाणिज्यिक रीयल इस्टेट (सीआरई) एक्सपोजर के लिए जोखिम भार को बढ़ाकर क्रमशः 150 प्रतिशत और 125 प्रतिशत किया जाए। बैंक प्रायोजित एनबीएफसी के मामले में, सीएमई और सीआरई के लिए जोखिम भार वैसा ही रखा जा सकता है जैसा कि बैंकों के लिए निर्धारित किया गया है;

(xii) कैप्टिव एनबीएफसी जिनके कारोबारी स्वरूप का मुख्य ध्येय (90 प्रतिशत या इससे अधिक) मूल कंपनी के उत्पादों का वित्तपोषण करना है, वे पंजीकरण के समय से 12 प्रतिशत टीयर I पूंजी बनाए रख सकते हैं। ऐसी कंपनियों के पर्यवेक्षी जोखिम का आकलन करते समय मूल कंपनी के जोखिम पर भी ध्यान दिया जाए;

(xiii) पंजीकरण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन से 100 करोड़ रुपए की कट ऑफ सीमा का निर्धारण करने में किसी एक समूह की सभी एनबीएफसी की कुल आस्तियों को एक साथ लिया जाए;

(xiv) 100 करोड़ रुपए और इससे अधिक आस्तिवाली सभी एनबीएफसी के लिए, चाहे वे सूचीबद्ध हों या न हों, सेबी लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 के तहत अनिवार्य प्रकटीकरण का अनुपालन जरूरी किया जाए।

(xv) 100 करोड़ रुपए और इससे अधिक आस्ति वाले एनबीएफसी के प्रकटीकरण में निम्नलिखित को शामिल किया जाएः प्रावधान कवरेज अनुपात, चलनिधि अनुपात, आस्ति देयता प्रोफाइल, मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण की सीमा, अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़, तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर, संरचनागत उत्पाद और प्रतिभूतिकरण/समनुदेशन।

(xvi) 1,000 करोड़ रुपए और इससे अधिक आस्तिवाली एनबीएफसी का वार्षिक आधार पर व्यापक रूप से निरीक्षण किया जाए और वे वार्षिक स्ट्रेस टेस्ट के अधीन हों ताकि उनकी नाजुकता का आकलन किया जा सके।

4. प्राथमिक व्यापारी

6.50 30 जून 2011 की स्थिति के अनुसार, 21 प्राथमिक व्यापारी (पीडी) थे जिनमें से 13 बैंक थे जो विभागीय तौर पर प्राथमिक व्यापारी संबंधी कारोबार कर रहे थे (बैंक पीडी) तथा शेष आठ बैंकेतर संस्थाएं थीं, जिन्हें स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारी के रूप में जाना जाता है, और जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की

सारणी VI.40: सार्वजनिक निधियों पर निर्भरता

(31मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार)

(कंपनियों की संख्या)

निर्भरता (कुल देयताओं की तुलना में प्रतिशत)	स्वाधिकृत निधि	बैंक	डिबेंचर	अंतर-कंपनी जमाराशियां	वाणिज्यिक पत्र
1	2	3	4	5	6
0 प्रतिशत	0	179	187	182	216
0 से 20 प्रतिशत	46	30	35	49	23
20 से 40 प्रतिशत	47	24	18	10	8
40 से 60 प्रतिशत	27	15	9	7	3
60 से 80 प्रतिशत	29	5	4	2	3
80 से 100 प्रतिशत	104	0	0	3	0
कुल रिपोर्टिंग कंपनियां	253	253	253	253	253

धारा 45 आईए के अंतर्गत एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत हैं। अप्रैल 2011 में, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड को स्टैंडएलोन आधार पर पीडी संबंधी कारोबार करने के लिए प्राधिकार दिया गया। इसके अलावा, आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड के अपनी मूल कंपनी में विलय के अनुसरण में, अप्रैल 2011 से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को विभागीय तौर पर पीडी कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किया गया।

प्राथमिक व्यापारियों का परिचालन और कार्यनिष्पादन

6.51 वर्ष 2010-11 के दौरान, खजाना बिलों (टी-बिल) की नीलामी में प्राथमिक व्यापारियों ने 3,66,320 करोड़ रुपए की अपनी बोली संबंधी वचनबद्धता की तुलना में सामूहिक तौर पर (बैंक-पीडी सहित) 6,87,416 करोड़ रुपए की वास्तविक बोली लगायी। वर्ष के दौरान सफलता अनुपात, अर्थात्, प्राथमिक व्यापारियों की कुल वचनबद्धता में उनकी स्वीकृत बोलियों की कुल राशि का अनुपात बढ़कर 62 प्रतिशत हो गया, जबकि 2009-10 में यह 56 प्रतिशत था। नकदी प्रबंधन बिलों (सीएमबी) की नीलामी में, 12,000 करोड़ रुपए की कुल अधिसूचित राशि की तुलना में प्राथमिक व्यापारियों ने 38,495 करोड़ रूपए की बोली लगाई जिसमें से पीडी की कुल

सारणी VI.41: एनबीएफसी-एनडी-एसआई की पूंजी पर्याप्तता अनुपात

(31मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार)

(कंपनियों की संख्या)

सीआरएआर का दायरा	आ.वि.कं.	बु.वि.कं.	नि.कं.	ऋ.कं.	कुल
1	2	3	4	5	6
12 प्रतिशत से कम	-	-	4	2	6
12 प्रतिशत से अधिक और 15 प्रतिशत तक	-	-	3	1	4
15 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक	7	1	3	22	33
20 प्रतिशत से अधिक और 30 प्रतिशत तक	4	1	9	19	33
30 प्रतिशत से अधिक	4	1	127	66	198
कुल	**15**	**3**	**146**	**110**	**274**

टिप्पणी: आ.वि.कं.- आस्ति वित्त कंपनियां; बु.वि.कं.-बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियां; नि.कं.- निवेश कंपनियां; ऋ.कं.- ऋण कंपनियां

स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

बोलियों का 68.1 प्रतिशत स्वीकार किया गया। प्राथमिक व्यापारियों के लिए छमाही आधार पर खजाना बिलों और सीएमबी को मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत सफलता अनुपात प्राप्त करना आवश्यक है। सभी प्राथमिक व्यापारियों ने 2010-11 की पहली और दूसरी छमाहियों में निर्धारित सफलता अनुपात प्राप्त कर लिया।

6.52 वर्ष 2010-11 के दौरान, भारत सरकार ने बाजार उधारी कार्यक्रम के तहत 4,37,000 करोड़ रुपए की दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां जारी किया। प्राथमिक व्यापारी (बैंक -पीडी सहित) 4,37,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि की तुलना में 7,97,545 करोड़ रुपए राशि की दिनांकित सरकारी - प्रतिभूतियों की हामीदारी के लिए तैयार हुए। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में, प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा (जारी प्रतिभूतियों के अनुपात में स्वीकृत बोलियां) 2010-11 में बढ़कर 49.6 प्रतिशत हो गया, जबकि 2009-10 में यह 42.0 प्रतिशत था (डिवॉल्वमेंट छोड़कर) (सारणी VI.43)। वर्ष 2010-11 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों पर 6 बार 5,772.7 करोड़ रुपए की राशि का आशिंक

सारणी VI.42: एनबीएफसी -एनडी - एसआई का बैंक एक्सपोजर

(31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक समूह	मीयादी ऋण	कार्यकारी पूंजी ऋण	डिबेंचर/वाणिज्यिक पत्र	अन्य	जोड़
1	2	3	4	5	6
क. राष्ट्रीयकृत बैंक	74,806	14,233	4,519	312	93,870
ख. स्टेट बैंक समूह	8,634	5,089	1,120	25	14,868
ग. पुराने प्राइवेट बैंक	4,892	1,081	653	85	6,712
घ. नए प्राइवेट बैंक	23,076	6,541	3,463	370	33,450
ङ विदेशी बैंक	6,947	1,958	995	725	10,625
सभी बैंक	**1,18,356**	**28,902**	**10,750**	**1,517**	**1,59,525**

स्रोत: मासिक विवरणियां।

सारणी VI.43 : प्राथमिक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

	2010	2011
1	2	3
खजाना बिल		
अधिसूचित राशि	3,80,000	3,04,000
बोली वचनबद्धता	4,17,060	3,66,320
वास्तविक प्रस्तुत बोलियां	7,54,041	6,87,416
कवर की तुलना में बोलियों का अनुपात	2.0	2.3
स्वीकृत बोलियां	2,33,648	2,27,104
सफलता अनुपात (प्रतिशत में)	56.0	62.0
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां		
अधिसूचित राशि	4,18,000	4,37,000
वास्तविक प्रस्तुत बोलियां	5,35,722	6,23,939
कवर की तुलना में बोलियों का अनुपात	1.3	1.4
स्वीकृत बोली	1,75,609	2,16,535
पीडी का हिस्सा (प्रतिशत में)	42.0	49.6

डिवॉल्वमेंट हुआ, जबकि 2009-10 में 18 बार 7,219.2 करोड़ रुपए का डिवॉल्वमेंट हुआ था।

स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का कार्यनिष्पादन

6.53 वर्ष 2010-11 के दौरान, द्वितीयक सरकारी प्रतिभूति बाजार में, बाजार प्रतिभागियों के कुल टर्नओवर की तुलना में स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों के टर्नओवर का हिस्सा एकमुश्त लेन-देन के मामले में 15.9 प्रतिशत से बढ़कर 19 प्रतिशत और रेपो लेन-देन के मामले में 7 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया। स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का समग्र हिस्सा 8.7 प्रतिशत से बढ़कर 16 प्रतिशत हो गया (सारणी VI.44)।

स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों की निधियों का स्रोत तथा उपयोग

6.54 वर्ष 2010-11 के दौरान, आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड और नॉमुरा फिक्सड इन्कम सिक्युरिटिज लिमिटेड ने नई पूंजी डाली। तथापि, एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड द्वारा अपनी पूंजी की आंशिक वापसी-खरीद के चलते, पीडी के आरक्षित निधि और अधिशेष को मिलाकर इनकी पूंजी में थोड़ी गिरावट हुई। एक ओर पीडी के बेजमानती ऋण में 24 प्रतिशत की गिरावट हुई, वहीं दूसरी ओर इनके जमानती ऋण में 152 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

6.55 निधि के उपयोग के मामले में, वर्ष 2010-11 में सरकरी प्रतिभूतियों में निवेश में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2009-10 में इसमें 14 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। तथापि, कंपनी बांडों में निवेश में 2009-10 के 77 प्रतिशत की तुलना में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VI.45)।

सारणी VI.44: द्वितीयक बाजार में स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

	2010	2011
1	2	3
एकमुश्त		
स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का टर्न ओवर	9,02,093	10,89,956
बाजार का टर्न ओवर	56,84,838	57,41,904
प्राथमिक व्यापारी का हिस्सा (प्रतिशत)	15.9	19.0
रिपो		
स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का टर्न ओवर	17,00,382	11,45,970
बाजार का टर्न ओवर	2,41,83,229	81,98,568
प्राथमिक व्यापारी का हिस्सा (प्रतिशत)	7.0	14.0
कुल		
स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का टर्न ओवर	26,02,475	22,35,926
बाजार का टर्न ओवर	2,98,68,067	1,39,40,472
प्राथमिक व्यापारी का हिस्सा (प्रतिशत)	8.7	16.0

स्रोत: सीसीआईएल।

स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

6.56 वर्ष 2010-11 में ट्रेडिंग आय में सुधार होने के बावजूद, प्राथमिक व्यापारियों के निवल लाभ में लगभग 22 प्रतिशत की गिरावट हुई और ऐसा मुख्य रूप से उनके ब्याज व्यय में वृद्धि और अन्य आय में आई गिरावट की वजह से हुआ। वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल बढ़ने से स्टैंडएलोन पीडी के खजाना लाभ पर असर पड़ा (सारणी VI.46 और परिशिष्ट सारणी VI.2)।

6.57 कुल मिलाकर, निवल लाभ में 22 प्रतिशत की गिरावट के चलते आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) 2009-10 के 1.8 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 1.1 प्रतिशत हो गया, जबकि औसत आस्तियों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VI.47)। स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों के पूंजी का समूह अच्छा बना रहा। अलग-अलग स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का सीआरएआर मार्च 2011 के अंत में निर्धारित न्यूनतम 15 प्रतिशत से अधिक बना रहा। एक समूह के रूप में स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का सीआरएआर मार्च 2011 के अंत 46.2 प्रतिशत रहा। (सारणी VI.48 और परिशिष्ट सारणी VI.3)। मार्च 2011 के अंत में, प्राथमिक व्यापारियों के कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उनके द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियां बढ़कर 66 प्रतिशत हो गईं, जबकि पिछले वर्ष यह 61 प्रतिशत थीं (सारणी VI.49)।

सारणी VI.45: स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उपयोग

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में			प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6
निधियों के स्रोत	**10,307**	**10,308**	**13,030**	**0.01**	**26.40**
1 पूंजी	1,121	1,541	1,521	37.47	-1.30
2 आरक्षित निधि और अधिशेष	2,213	1,925	1,886	-13.01	-2.01
3 ऋण (क+ख)	6,973	6,842	9,622	-1.88	40.64
क) जमानती	2,945	2,522	6,352	-14.36	151.85
ख) बेजमानती	4,028	4,320	3,271	7.25	-24.29
निधियों का उपयोग	**10,307**	**10,308**	**13,030**	**0.01**	**26.40**
1 अचल आस्तियां	13	14	38	7.69	169.86
2 निवेश (क से ग)	7,891	7,280	9,817	-7.74	34.86
क) सरकारी प्रतिभूतियां	7,305	6,258	8,648	-14.33	38.19
ख) वाणिज्यिक पत्र	88	142	10	61.36	-93.08
ग) कंपनी बांड	498	880	1,160	76.71	31.76
3 ऋण और अग्रिम	959	741	429	-22.73	-42.12
4 गैर-चालू आस्तियां	0	0	0		
5 ईक्विटी, म्युच्युअल फंड आदि	22	68	25	209.09	-63.59
6 अन्य *	1,422	2,205	2,721	55.07	23.38

*: अन्य में नकदी + सीडी + बैंक शेष + उपचित ब्याज + आस्थिगत कर अस्तियां - चालू देयताएं और प्रावधान शामिल हैं।
स्रोत : प्राथमिक व्यापारियों के वार्षिक रिपोर्ट।

5. निष्कर्ष

6.58 वित्तीय संस्थाओं ने वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अधिक संसाधन जुटाए। संसाधन जुटाने वाले सभी घटकों, अल्पावधि, दीर्घावधि और विदेशी मुद्रा संसाधनों में तेज वृद्धि देखी गई। तथापि, रुपया संसाधनों की औसत भारित लागत हर स्तर पर बढ़ गई। वर्ष 2010-11 में वित्तीय संस्थाओं के परिचालन लाभ और निवल लाभ में आई कमी की वजह से उनके वित्तीय निष्पादन में गिरावट हुई। वर्ष के दौरान मुख्यतः वेतन संशोधन के चलते उनके परिचालन व्यय में काफी तेज वृद्धि हुई। 2010-11 में वित्तीय संस्थाओं की निवल अनर्जक आस्तियों की राशि में वृद्धि हुई। सभी वित्तीय संस्थाओं का सीआरएआर 9 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड से ऊपर बना रहा जो इस बात का संकेत था कि आगे ऋण के विस्तार के लिए पूंजी के उपयोग की गुंजाइश है।

सारणी VI.46: स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2009-10	2010-11	2009-10 की तुलना में घट-बढ़	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय (i + ii + iii)	**804**	**1,079**	**275**	**25.5**
i) ब्याज और बट्टा	690	970	280	28.8
ii) कारोबारी लाभ	-30	58	88	151.9
iii) अन्य आय	144	51	-93	-181.3
ख. व्यय (i + ii)	**452**	**811**	**359**	**44.3**
i) ब्याज	302	653	351	53.8
ii) प्रशासनिक लागत	150	158	8	4.9
कर पूर्व लाभ	**343**	**272**	**-71**	**-26.2**
करोत्तर लाभ	**227**	**178**	**-49**	**-27.4**

स्रोत: प्राथमिक व्यापारियों के वार्षिक रिपोर्ट।

6.59 2010-11 में एनबीएफसी-डी के वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ जैसा कि उनकी कुल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ के अनुपात में हुई वृद्धि से प्रतिबिंबित होता है। एनबीएफसी-डी की अनर्जक आस्तियों के तीनों प्रकार जैसे अवमानक , संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों के हिस्से में आई गिरावट उनकी आस्ति गुणवता में हुए सुधार को रेखांकित करती है। अधिकांश एनबीएफसी-डी का सीआरएआर 15 प्रतिशत से अधिक था जो इस क्षेत्र में हो रहे समेकन प्रक्रिया का प्रतीक है। एनबीएफसी-डी के तुलन पत्र का आकार बढ़

सारणी VI.47: प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

संकेतक	2009-10	2010-11
1	2	3
i) निवल लाभ	227	178
ii) औसत आस्तियां	12,815	16,697
iii) औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	1.8	1.1

स्रोत: प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियां।

सारणी VI.48: स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का सीआरएआर

(मार्च केअंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

विवरण	2010	2011
1	2	3
1. कुल निवल पूंजीगत निधि	3,610	3,626
2. कुल जोखिम भारित आस्तियां	8,308	7,858
क) क्रेडिट जोखिम	2,803	3,350
ख) बाजार जोखिम	5,505	4,508
3. सीआरएआर(प्रतिशत)	43.5	46.2

स्रोत: प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियां।

सारणी VI.49 : प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा संकेतक

(मार्च केअंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2010	2011
1	2	3
कुल आस्तियां	10,308	13,030
इनमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	6,258	8,648
कुल आस्तियों के प्रतिशत के रुप में		
सरकारी प्रतिभूतियां	61	66
चलनिधि समर्थन सीमा	3,000	3,000

स्रोत : प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियां ।

गया। आस्ति पक्ष में, ऋण और अग्रिम सबसे बड़े स्रोत बने रहे जिसके बाद निवेश का स्थान था। दो वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाले जमाराशियों के हिस्से में वृद्धि हुई। एनबीएफसी-डी क्षेत्र की कुल आस्तियों में आस्ति वित्त कंपनियों का हिस्सा दो-तिहाई से अधिक था।

6.60 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र के वित्तीय कार्यनिष्पादन में भी काफी सुधार हुआ जैसा कि इनके निवले लाभ में हुई वृद्धि से प्रतिबिंबित होता है। लेकिन, 2010-11 में, कुल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ के अनुपात में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और मुख्य रूप से बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाला उधार इनकी निधि के सबसे बड़े स्रोत हैं। इस प्रकार, इनमें प्रणालीगत वित्तीय अंतर्संबद्धता है जिसकी गंभीरतापूर्वक निगरानी करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इससे प्रणाली को किसी प्रकार जोखिम नहीं है।

6.61 वर्ष 2010-11 में मुख्यतः प्राथमिक व्यापारियों के ब्याज व्यय में हुई अनुपात से अधिक वृद्धि और अन्य आय हुई में कमी के चलते उनके निवल लाभ में गिरावट दर्ज हुई। सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल से बढ़ने से स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों के लाभ पर असर पड़ा।

6.62 एनबीएफसी क्षेत्र की वर्तमान विनियामक खामी, आस्ति में तेज वृद्धि और वित्तीय क्षेत्र में अंतर्संबद्धता के फैलाव के चलते जोखिम की धारणा में लगातार हो रहे बदलाव को प्रतिफलित करने के प्रयोजन से इस क्षेत्र से संबंधित वर्तमान पर्यवेक्षी ढांचे में सुधार करने की जरूरत है।

परिशिष्ट सारणी IV.1 : भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक			राष्ट्रीयकृत बैंक *			स्टेट बैंक समूह			निजी क्षेत्र के बैंक		
		2009-10	2010-11	प्रतिशत घट-बढ़	2009-10	2010-11	प्रतिशत घट-बढ़	2009-10	2010-11	प्रतिशत घट-बढ़	2009-10	2010-11	प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	वायदा विनिमय संविदा	9,59,454 (21.6)	11,91,753 (22.5)	24.2	6,00,770 (19.8)	7,61,450 (20.6)	26.8	3,58,684 (25.4)	4,30,303 (26.9)	20.0	11,20,390 (97.4)	14,68,535 (105.0)	31.1
2.	दी गई गारंटियां	3,30,555 (7.4)	4,19,552 (7.9)	26.9	2,12,317 (7.0)	2,57,435 (7.0)	21.3	1,18,238 (8.4)	1,62,116 (10.2)	37.1	1,32,673 (11.5)	1,84,441 (13.2)	39.0
3.	स्वीकृतियाँ, समर्थन *आदि.*	4,73,793 (10.7)	5,78,359 (10.9)	22.1	2,47,973 (8.2)	3,07,363 (8.3)	24.0	2,25,820 (16.0)	2,70,996 (17.0)	20.0	5,89,611 (51.2)	6,94,743 (49.7)	17.8
	आकस्मिक देयतांएं	**17,63,802 (39.7)**	**21,89,664 (41.4)**	**24.1**	**10,61,059 (35.0)**	**13,26,248 (35.9)**	**25.0**	**7,02,742 (49.8)**	**8,63,415 (54.0)**	**22.9**	**18,42,674 (160.1)**	**23,47,719 (167.9)**	**27.4**

क्रम सं.	मद	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक			निजी क्षेत्र के नए बैंक			विदेशी बैंक			अनुसूचित वाणिज्य बैंक		
		2009-10	2010-11	प्रतिशत घट-बढ़	2009-10	2010-11	प्रतिशत घट-बढ़	2009-10	2010-11	प्रतिशत घट-बढ़	2009-10	2010-11	प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	वायदा विनिमय संविदा	99,833 (37.1)	1,05,080 (34.0)	5.3	10,20,558 (115.7)	13,63,455 (125.2)	33.6	59,60,248 (1,369.0)	80,71,241 (1,642.1)	35.4	80,40,092 (133.4)	1,07,31,529 (149.4)	33.5
2.	दी गई गारंटियां	12,276 (4.6)	16,306 (5.3)	32.8	1,20,397 (13.7)	1,68,135 (15.4)	39.7	59,949 (13.8)	69,543 (14.2)	16.0	5,23,177 (8.7)	6,73,536 (9.4)	28.7
3.	स्वीकृतियाँ, समर्थन *आदि.*	12,022 (4.5)	17,750 (5.7)	47.7	5,77,589 (65.5)	6,76,993 (62.2)	17.2	9,05,006 (207.9)	11,60,222 (236.1)	28.2	19,68,410 (32.7)	24,33,324 (33.9)	23.6
	आकस्मिक देयतांएं	**1,24,131 (46.2)**	**1,39,136 (45.0)**	**12.1**	**17,18,543 (194.9)**	**22,08,583 (202.8)**	**28.5**	**69,25,203 (1,590.7)**	**93,01,006 (1,892.7)**	**34.3**	**1,05,31,679 (174.7)**	**1,38,38,389 (192.6)**	**31.4**

* : आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित बैंक समूह की कुल देयताओं का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.2(अ) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार

(मार्च 2011 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		*जिसमें से,* कृषि		*जिसमें से,* माइक्रो और लघु उद्योग		*जिसमें से,* अन्य		गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		*जिसमें से,* सार्वजनिक क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		कुल अनर्जक अस्तियां
		राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि 15 = (3+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**41,245**	**58.1**	**14,487**	**20.4**	**14,340**	**20.2**	**12,417**	**17.5**	**29,803**	**41.9**	**278**	**0.4**	**71,047**
	राष्ट्रीयकृत बैंक*	**25,678**	**59.8**	**9,220**	**21.5**	**10,424**	**24.3**	**6,034**	**14.1**	**17,229**	**40.2**	**273**	**0.6**	**42,907**
1.	इलाहाबाद बैंक	1,217	73.9	549	33.3	282	17.1	387	23.5	430	26.1	-	-	1,647
2.	आंध्रा बैंक	522	52.5	116	11.7	109	11.0	297	29.8	473	47.5	-	-	996
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,762	63.2	772	27.7	690	24.8	300	10.8	1,024	36.8	99	3.6	2,786
4.	बैंक ऑफ इंडिया	2,939	67.5	898	20.6	1,645	37.8	396	9.1	1,418	32.5	14	0.3	4,357
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	888	75.7	313	26.7	404	34.5	170	14.5	286	24.3	-	-	1,174
6.	केनरा बैंक	1,692	56.7	663	22.2	555	18.6	474	15.9	1,290	43.3	-	-	2,982
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,331	55.6	418	17.5	687	28.7	226	9.4	1,064	44.4	-	-	2,395
8.	कार्पोरेशन बैंक	464	58.7	217	27.5	111	14.0	136	17.2	326	41.3	-	-	790
9.	देना बैंक	428	50.8	138	16.3	194	23.0	97	11.5	414	49.2	40	4.8	842
10.	इंडियन बैंक	495	68.7	219	30.4	141	19.6	135	18.7	225	31.3	-	-	720
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1,388	49.7	447	16.0	633	22.6	308	11.0	1,405	50.3	56	2.0	2,793
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,161	60.4	425	22.1	361	18.8	374	19.5	760	39.6	-	-	1,921
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	270	63.6	66	15.4	169	39.9	35	8.3	155	36.4	-	-	424
14.	पंजाब नेशनल बैंक	2,742	62.6	1,171	26.7	1,349	30.8	222	5.1	1,637	37.4	4	0.1	4,379
15.	सिंडिकेट बैंक	1,569	60.6	328	12.7	295	11.4	946	36.5	1,020	39.4	-	-	2,589
16.	यूको बैंक	1,573	50.9	697	22.5	508	16.5	368	11.9	1,518	49.1	25	0.8	3,090
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,262	62.4	856	23.6	946	26.1	460	12.7	1,361	37.6	1	-	3,623
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1,078	79.5	320	23.6	609	44.9	149	11.0	278	20.5	-	-	1,356
19.	विजया बैंक	1,032	82.0	363	28.8	284	22.6	385	30.6	227	18.0	-	-	1,259
20.	आईडीबीआई बैंक लि.	866	31.1	244	8.8	453	16.3	170	6.1	1,918	68.9	33	1.2	2,785
	स्टेट बैंक समूह	**15,567**	**55.3**	**5,268**	**18.7**	**3,916**	**13.9**	**6,383**	**22.7**	**12,573**	**44.7**	**6**	**-**	**28,140**
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	278	33.3	98	11.8	139	16.7	40	4.8	558	66.7	-	-	835
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	411	35.7	79	6.9	122	10.6	209	18.2	740	64.3	-	-	1,150
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	13,275	57.5	4,518	19.6	3,138	13.6	5,618	24.3	9,799	42.5	6	-	23,074
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	519	60.1	282	32.6	184	21.3	54	6.2	345	39.9	-	-	864
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	757	54.8	243	17.6	273	19.8	241	17.4	624	45.2	-	-	1,382
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	327	39.2	47	5.6	59	7.1	221	26.4	508	60.8	-	-	835

*: आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

-: शून्य / नगण्य

स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां (देशी)

परिशिष्ट सारणी IV.2(आ) : निजी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार

(मार्च 2011 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		*जिसमें से,* कृषि		*जिसमें से,* माइक्रो और लघु उद्योग		*जिसमें से,* अन्य		गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		*जिसमें से,* सार्वजनिक क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		कुल अनर्जक अस्तियां
		राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि 15 = (3+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	निजी क्षेत्र के बैंक	**4,823**	**26.8**	**2,172**	**12.1**	**1,298**	**7.2**	**1,353**	**7.5**	**13,147**	**73.2**	**153**	**0.8**	**17,971**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**1,599**	**43.3**	**417**	**11.3**	**551**	**14.9**	**631**	**17.1**	**2,094**	**56.7**	**153**	**4.1**	**3,694**
1.	कैथालिक सीरियन बैंक लिमिटेड	58	30.3	10	5.0	31	15.9	18	9.4	134	69.7	-	-	192
2.	सिटी यूनियन बैंक लि.	56	49.9	26	23.5	9	7.9	21	18.6	56	50.1	-	-	112
3.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	35	52.8	6	8.6	6	9.3	23	34.8	32	47.2	-	-	67
4.	फेडरल बैंक लि.	454	39.6	135	11.8	177	15.4	142	12.4	694	60.4	153	13.3	1,148
5.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	57	37.7	42	28.0	10	6.7	4	2.9	94	62.3	-	-	152
6.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	312	60.2	47	9.1	49	9.5	216	41.6	206	39.8	-	-	519
7.	कर्नाटक बैंक लि.	324	46.1	93	13.3	133	19.0	97	13.8	379	53.9	-	-	702
8.	करूर वैश्य बैंक लि.	75	32.9	8	3.7	56	24.6	11	4.7	153	67.1	-	-	228
9.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	57	36.4	16	10.2	17	10.8	24	15.3	100	63.6	-	-	158
10.	नैनीताल बैंक लि.	12	56.5	3	14.5	6	27.9	3	14.1	9	43.5	-	-	21
11.	रत्नाकर बैंक लि.	18	90.9	3	17.2	12	58.3	3	15.4	2	9.1	-	-	20
12.	एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	2	100.0	-	-	-	-	2	100.0	-	-	-	-	2
13.	साउथ इंडियन बैंक लि.	83	36.1	12	5.0	45	19.4	27	11.7	147	63.9	-	-	230
14.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	54	38.2	14	10.2	-	-	40	28.0	87	61.8	-	-	141
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**3,224**	**22.6**	**1,755**	**12.3**	**746**	**5.2**	**722**	**5.1**	**11,053**	**77.4**	**-**	**-**	**14,277**
15.	एक्सिस बैंक लि.	673	42.4	419	26.4	169	10.6	85	5.4	914	57.6	-	-	1,587
16.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	56	21.2	16	6.0	38	14.3	3	1.0	208	78.8	-	-	264
17.	एचडीएफसी बैंक लि.	484	29.1	145	8.7	322	19.4	17	1.0	1,177	70.9	-	-	1,660
18.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	1,808	18.4	1,116	11.4	89	0.9	603	6.1	8,008	81.6	-	-	9,816
19.	इंडसइंड बैंक लि.	107	40.1	32	12.0	64	23.9	11	4.2	159	59.9	-	-	266
20.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	97	16.0	27	4.5	66	11.0	4	0.6	507	84.0	-	-	603
21.	येस बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	81	100.0	-	-	81

-: शून्य / नगण्य

स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां (देशी)

परिशिष्ट सारणी IV.2(इ): विदेशी बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार

(मार्च 2011 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		*जिसमें से,* कृषि		*जिसमें से,* माइक्रो और लघु उद्योग		*जिसमें से,* अन्य		गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		*जिसमें से,* सार्वजनिक क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		कुल अनर्जक अस्तियां
		राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि 15 = (3+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	विदेशी बैंक	**1,141**	**22.5**	**0.1**	**-**	**352**	**6.9**	**789**	**15.6**	**3,924**	**77.5**	**-**	**-**	**5,065**
1.	एबी बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	5	40.2	-	-	5	40.2	-	-	8	59.8	-	-	13
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	20	100.0	-	-	20
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक एनवी	100	100.0	-	-	49	49.6	50	50.4	-	-	-	-	100
5.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	बैंक ऑफ अमरीका नेशनल अशोसिएशन	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	100.0	-	-	1
7.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	-	-	-	-	-	-	-	-	14	100.0	-	-	14
8.	बैंक ऑफ सिलोन	1	54.5	-	-	0.7	38.7	0.3	15.7	0.8	45.5	-	-	2
9.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	10	100.0	-	-	10	100.0	-	-	-	-	-	-	10
10.	बरक्लैज बैंक पीएलसी	56	7.2	-	-	50	6.4	6	0.7	725	92.8	-	-	781
11.	बीएनपी परिबा	0.5	4.1	-	-	-	-	0.5	4.1	11	95.9	-	-	11
12.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	3	100.0	-	-	3
13.	सिटी बैंक एन.ए.	218	26.0	-	-	165	19.7	53	6.3	621	74.0	-	-	839
14.	कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	क्रेडिट एग्रिकोल कॉरपोरेट एण्ड इन्वेस्टमेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	199	100.0	-	-	199
16.	क्रेडिट स्वीस एजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	डीबीएस बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	83	100.0	-	-	83
18.	ड्यूश बैंक (एशिया)	4	2.5	-	-	4	2.1	0.8	0.5	174	97.5	-	-	179
19.	फर्स्ट रैण्ड बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	एचएसबीसी लि.	408	41.0	-	-	60	6.0	348	35.0	588	59.0	-	-	996
21.	जेपी मोर्गन चेस बैंक नेशनल ऐसोसिएशन	-	-	-	-	-	-	-	-	27	100.0	-	-	27
22.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	कुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	मशरेक बैंक पीएससी	0.00070	87.5	-	-	0.00010	12.5	0.0006	75.0	0.0001	12.5	-	-	-
25.	मिजुओ कार्पोरेट बैंक लि.	6	100.0	-	-	-	-	6	100.0	-	-	-	-	6
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	एसबीईआर बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	सिनहान बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	सोसाइटे जनरेल	1	100.0	-	-	-	-	1	100.0	-	-	-	-	1
30.	सोनाली बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	100.0	-	-	1
31.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	303	26.4	0.1	-	8	0.7	295	25.7	845	73.6	-	-	1,148
32.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	18	100.0	-	-	18
33.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	दि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलंड एनवी	28	4.6	-	-	-	-	28	4.6	586	95.4	-	-	614
35.	यूबीएस एजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-: शून्य / नगण्य

टिप्पणी: 1) विदेशी बैंको की क्षेत्रवार सकल अनर्जक आस्तियों के मामले में निर्यात व्यापार को अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों की अनर्जक आस्तियों में जोड़ा गया है और गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों को तदनुसार समायोजित किया गया है।

2) बैंक ऑफ इंटरनेशनल इंडोनेशिया ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया है। परंतु तकनीकी रूप से वह बंद नहीं हुआ है। वह पिछले दो वर्षों से रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है।

3) 'एसबीईआर बैंक' ने जून 2011 से ही विवरणी प्रस्तुत करना आरंभ किया।

स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां (देशी)

परिशिष्ट सारणी IV.3(अ) : कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिमों में अनर्जक आस्तियाँ - सरकारी क्षेत्र के बैंक

(मार्च 2011 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कमजोर वर्गों को अग्रिमों में अनर्जक आस्तियां	
		राशि	प्रतिशत
1	2	3	4
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**7,929**	**3.6**
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**5,314**	**3.8**
1.	इलाहाबाद बैंक	155	2.1
2.	आंध्रा बैंक	47	0.7
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	557	6.9
4.	बैंक ऑफ इंडिया	800	4.2
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	263	10.0
6.	केनरा बैंक	354	2.0
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	152	11.8
8.	कार्पोरेशन बैंक	52	1.2
9.	देना बैंक	105	3.9
10.	इंडियन बैंक	17	0.3
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	422	5.6
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	213	3.5
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	49	1.6
14.	पंजाब नेशनल बैंक	852	5.4
15.	सिंडिकेट बैंक	229	2.7
16.	यूको बैंक	288	3.8
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	426	11.8
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	77	1.5
19.	विजया बैंक	234	6.1
20.	आईडीबीआई बैंक लि.	22	0.6
	स्टेट बैंक समूह	**2,615**	**3.2**
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	112	1.8
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	179	2.5
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2,013	3.4
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	129	3.0
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	53	7.9
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	129	3.0

टिप्पणी: राष्ट्रीयकृत बैंक में आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित (देशी)

परिशिष्ट सारणी IV.3(आ) : कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिमों में अनर्जक आस्तियाँ - निजी क्षेत्र के बैंक

(मार्च 2011 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कमजोर वर्गों को अग्रिमों में अनर्जक आस्तियां	
		राशि	प्रतिशत
1	2	3	4
	निजी क्षेत्र के बैंक	**283**	**1.0**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**145**	**1.1**
1.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	5	0.6
2.	सिटी यूनयन बैंक लि.	-	-
3.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	-	-
4.	फेडरल बैंक लि.	36	3.2
5.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	4	0.8
6.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	43	1.5
7.	कर्नाटक बैंक लि.	10	1.9
8.	करूर वैश्य बैंक लि.	5	0.3
9.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	14	1.8
10.	नैनीताल बैंक लि.	-	-
11.	रत्नाकर बैंक लि.	1	1.3
12.	एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	-	-
13.	साउथ इंडियन बैंक लि.	6	0.2
14.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	21	2.1
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**138**	**1.0**
15.	एक्सिस बैंक लि.	-	-
16.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	2	0.6
17.	एचडीएफसी बैंक लि.	24	0.8
18.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	95	2.8
19.	इंडसइंड बैंक लि.	-	-
20.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	18	0.9
21.	येस बैंक लि.	-	-

- : शून्य / नगण्य

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित (देशी)

परिशिष्ट सारणी IV.4(अ) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर वर्गों को अग्रिम

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2011के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कुल अग्रिम		कुल कृषि अग्रिम		*जिसमें से,* प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		*जिसमें से,* अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		कमजोर वर्गों को अग्रिम	
		राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशतकप या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	सरकारी क्षेत्र के बैंक										
	राष्ट्रीयकृत बैंक*										
1.	इलाहाबाद बैंक	**30,764**	**43.0**	13,387	18.2	9,808	13.7	3,579	5.0	7,547	10.5
2.	आंध्रा बैंक	**21,885**	**38.5**	9,808	17.3	8,418	14.8	1,390	2.4	7,000	12.3
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	**57,364**	**43.6**	24,529	17.5	17,158	13.0	7,371	5.6	13,245	10.1
4.	बैंक ऑफ इंडिया	**60,035**	**45.6**	21,135	16.1	15,237	11.6	5,898	4.5	17,713	13.5
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**15,680**	**38.7**	4,483	11.1	3,835	9.5	648	1.6	2,590	6.4
6.	केनरा बैंक	**70,757**	**44.1**	29,656	18.5	22,669	14.1	6,987	4.4	17,824	11.1
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	**40,075**	**37.8**	19,009	16.9	13,192	12.4	5,816	5.5	10,708	10.1
8.	कार्पोरेशन बैंक	**20,308**	**32.1**	4,270	6.8	2,901	4.6	1,370	2.2	4,442	7.0
9.	देना बैंक	**15,150**	**42.4**	6,389	16.2	4,179	11.7	2,210	6.2	2,690	7.5
10.	इंडियन बैंक	**25,573**	**43.0**	10,986	18.5	8,692	14.6	2,294	3.9	6,073	10.2
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	**32,648**	**44.5**	16,056	21.8	12,724	17.3	3,332	4.5	7,463	10.2
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	**34,470**	**41.3**	12,413	14.8	8,626	10.3	3,787	4.5	6,066	7.3
13.	पंजाब नेशनल बैंक	**73,765**	**40.7**	35,054	19.3	26,837	14.8	8,217	4.5	18,365	10.1
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	**13,249**	**40.5**	5,993	15.0	3,442	10.5	2,550	7.8	3,128	9.6
15.	सिंडिकेट बैंक	**36,606**	**46.2**	15,143	18.6	11,180	14.1	3,963	5.0	8,505	10.7
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	**49,128**	**41.9**	20,254	14.1	11,301	9.6	8,953	7.6	11,849	10.1
17.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	**17,751**	**41.5**	5,712	13.1	3,677	8.6	2,035	4.8	5,143	12.0
18.	यूको बैंक	**27,963**	**38.8**	11,354	15.7	8,191	11.4	3,163	4.4	7,496	10.4
19.	विजया बैंक	**14,671**	**35.0**	4,969	11.9	3,773	9.0	1,196	2.9	3,808	9.1
20.	आईडीबीआई बैंक लि.	**40,838**	**29.5**	14,957	10.3	7,996	5.8	6,962	5.0	3,699	2.7
	स्टेट बैंक समूह										
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	**2,38,809**	**42.0**	94,228	16.6	68,663	12.1	25,565	4.5	59,213	10.4
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	**14,855**	**41.8**	7,245	20.4	5,969	16.8	1,277	3.6	6,192	17.4
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	**27,478**	**51.5**	10,210	18.6	7,519	14.1	2,692	5.0	2,184	4.1
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	**12,106**	**40.5**	5,319	16.8	3,676	12.3	1,643	5.5	4,291	14.4
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	**19,325**	**41.1**	6,851	14.6	5,615	11.9	1,236	2.6	4,793	10.2
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	**17,363**	**44.1**	5,580	14.2	4,807	12.2	773	2.0	4,289	10.9

* : आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. स.नि.बैं. क.-30 अप्रैल 2007 से समायोजित निवल बैंक कर्ज या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर का समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो।

3. कृषि के प्रतिशत की गणना के लिए समायोजित निवल बैंक कर्ज के 4.5 प्रतिशत तक के अप्रत्यक्ष कृषि की गणना की गई है।

4. आईडीबीआई बैंक लि. के लिए सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2011 के अंतिम शुक्रवार को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र रियायती ऋण का लक्ष्य और कृषि ऋण का लक्ष्य क्रमश: 34 प्रतिशत और 14 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

स्रोत: संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी IV.4(आ) : निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर वर्गों को अग्रिम

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2011के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कुल अग्रिम		कुल कृषि अग्रिम		*जिसमें से,* प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		*जिसमें से,* अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		कमजोर वर्गों को अग्रिम	
		राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशतकप या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	निजी क्षेत्र के बैंक										
1.	एक्सिस बैंक लि.	**41,300**	**44.4**	16,381	15.2	9,961	10.7	6,420	6.9	4,654	5.0
2.	कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	**2,117**	**46.6**	891	19.6	857	18.9	34	0.8	827	18.2
3.	सिटी यूनियन बैंक लि.	**3,346**	**48.4**	1,179	17.1	981	14.2	198	2.9	528	7.6
4.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	**1,657**	**45.1**	773	16.3	433	11.8	340	9.3	340	9.3
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	**2,555**	**50.7**	915	18.1	717	14.2	198	3.9	859	17.0
6.	फेडरल बैंक लि.	**11,312**	**40.9**	3,588	13.0	2,725	9.9	864	3.1	1,238	4.5
7.	येस बैंक लि.	**10,163**	**45.7**	5,888	20.1	3,477	15.6	2,411	10.8	1,388	62.4
8.	एचडीएफसी बैंक लि.	**58,064**	**46.6**	22,817	14.8	12,848	10.3	9,969	8.0	2,908	2.3
9.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	**55,173**	**53.1**	15,414	14.0	9,897	9.5	5,517	5.3	3,443	3.3
10.	इंडसइंड बैंक लि.	**9,437**	**45.9**	3,406	16.3	2,415	11.8	991	4.8	1,763	8.6
11.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	**7,724**	**41.7**	2,501	12.9	1,552	8.4	948	5.1	455	2.5
12.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	**10,424**	**51.9**	2,897	12.5	1,612	8.0	1,285	6.4	2,807	14.0
13.	कर्नाटक बैंक लि.	**6,348**	**43.0**	1,974	13.1	1,270	8.6	704	4.8	536	3.6
14.	करूर वैश्य बैंक लि.	**5,614**	**41.1**	2,501	18.3	2,103	15.4	398	2.9	1,390	10.2
15.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	**8,991**	**42.4**	4,186	19.5	3,180	15.0	1,006	4.7	1,982	9.4
16.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	**2,615**	**41.2**	1,181	18.6	930	14.6	251	4.0	728	11.5
17.	नैनीताल बैंक लि.	**811**	**62.9**	276	20.5	206	16.0	70	5.5	104	8.0
18.	रत्नाकर बैंक लि.	**500**	**56.1**	228	23.0	165	18.5	63	7.1	109	12.2
19.	एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	**97**	**46.8**	50	24.2	46	22.3	4	1.9	24	11.5
20.	साउथ इंडियन बैंक लि.	**6,085**	**38.1**	3,418	21.4	3,275	20.5	144	0.9	3,056	19.1
21.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	**4,494**	**53.6**	1,670	19.9	1,395	16.6	275	3.3	959	11.4

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. स.नि. बैंक क.-30 अप्रैल 2007 से समायोजित निवल बैंक कर्ज या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर का समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो।

3. कृषि क्षेत्र को ऋण देने में सफलता की गणना के लिए अप्रत्यक्ष कृषि समायोजित निवल बैंक कर्ज के 4.5 प्रतिशत तक या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर का समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो, को लिया गया है।

स्रोत: संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी IV.4(इ) : विदेशी बैंको द्वारा माइक्रो तथा लघु उद्योग (एमएसई) और निर्यात क्षेत्र को अग्रिम

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2011के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कुल अग्रिम		एमएसई अग्रिम		निर्यात कर्ज	
		राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो
1	2	3	4	5	6	7	8
	विदेशी बैंक						
1.	एबी बैंक लि.	**21**	**33.9**	13	20.9	8	12.9
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	**71**	**42.8**	43	25.7	28	17.1
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन	**-**	**-**	-	-	-	-
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक एनवी	**511**	**105.5**	162	33.5	349	72.1
5.	बीएनपी परिबा	**1,275**	**34.1**	738	19.8	537	-
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	**-**	**-**	-	-	-	-
7.	बैंक ऑफ अमरीका नेशनल अशोसिएशन	**1,518**	**41.8**	430	11.9	1,088	30.0
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	**132**	**34.1**	41	10.6	73	-
9.	बैंक ऑफ सिलोन	**33**	**41.6**	17	21.4	18	22.3
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	**2,729**	**53.8**	509	10.0	2,220	43.8
11.	बरक्लैज़ बैंक पीलसी	**3,043**	**40.2**	2,005	26.5	1,600	-
12.	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	**40**	**20.1**	40	20.1	-	-
13.	सिटी बैंक	**13,246**	**36.1**	4,174	11.4	7,406	20
14.	कॉमनवेल्थ बैंक बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया	**-**	**-**	-	**-**	-	**-**
15.	क्रेडिट एग्रिकोल	**1,410**	**48.3**	350	12.0	1,060	36.3
16.	क्रेडिट स्वीस एजी	**-**	**-**	-	-	-	-
17.	डीबीएस बैंक लि.	**3,790**	**64.2**	687	11.6	3,103	52.6
18.	ड्यूश बैंक (एशिया)	**4,828**	**36.9**	1,664	12.7	3,115	23.8
19.	फर्स्ट रैण्ड बैंक	**57**	**283.8**	6	28.6	51	255.3
20.	एचएसबीसी लि.	**10,463**	**42.5**	2,994	12.2	6,810	27.7
21.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	**1,182**	**41.9**	295	10.4	887	31.4
22.	जेएससी वीटीबी बैंक	**10**	**26.1**	-	-	10	26.1
23.	क्रुंग थाई बैंक	**5**	**94.1**	5	94.1	-	-
24.	मशरेकबैंक पीएससी	**41**	**73.8**	1	1.7	40	72
25.	मिजुओ कार्पोरेट बैंक लि.	**488**	**17.9**	206	7.6	282	10.3
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	**-**	**-**	-	-	-	-
27.	एसबीईआर बैंक	**-**	**-**	-	-	-	-
28.	सिनहान बैंक	**172**	**35.8**	59	12	64	-
29.	सोसाइटे जनरेल	**267**	**64.2**	50	12.0	196	47.3
30.	सोनाली बैंक	**4**	**40.2**	-	-	-	-
31.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	**14,188**	**34.1**	4,476	10.8	8,097	19.5
32.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	**176**	**43.0**	65	15.9	102	25.0
33.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी	**1,977**	**59.1**	335	10.0	1,642	-
34.	दि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड	**4,792**	**34.4**	2,070	14.9	3,709	26.6
35.	यूबीएस एजी	**149**	**104.1**	100	69.8	49	34.3
36.	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लि.	**-**	**-**	-	-	-	-

- : शून्य / नगण्य

टिप्पणी: 1) आंकड़े अनंतिम हैं।

2) स.नि.बैं.क. - 30 अप्रैल 2007 से समायोजित निवल बैंक कर्ज या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर का समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो।

स्रोत: संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी IV.5(अ): सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2011 के अंतिम शुक्रवार को)

क्रम सं.	बैंक का नाम	समग्र	कृषि	कमजोर वर्ग
1	2	3	4	5
	सरकारी क्षेत्र के बैंक			
	राष्ट्रीयकृत बैंक*			
1.	इलाहाबाद बैंक	√	√	√
2.	आंध्रा बैंक	X	X	√
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	√	X	√
4.	बैंक ऑफ इंडिया	√	X	√
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	X	X	X
6.	केनरा बैंक	√	√	√
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	X	X	√
8.	कार्पोरेशन बैंक	X	X	X
9.	देना बैंक	√	X	X
10.	इंडियन बैंक	√	√	√
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	√	√	√
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	√	X	X
13.	पंजाब नेशनल बैंक	√	√	√
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	√	X	X
15.	सिंडिकेट बैंक	√	√	√
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	√	X	√
17.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	√	X	√
18.	यूको बैंक	X	X	√
19.	विजया बैंक	X	X	X
20.	आईडीबीआई बैंक लि.	X	X	लागू नहीं
	स्टेट बैंक समूह			
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	√	X	√
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	√	√	√
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	√	√	X
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	√	X	√
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	√	X	√
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	√	X	√

√ : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड का अनुपालन किए जाने को सूचित करता है।
×: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड का पालन न किए जाने को सूचित करता है।
* : राष्ट्रीयकृत बैंक में आईडीबीआई बैंक शामिल है।

टिप्पणी: आईडीबीआई लिमि. के लिए सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2011 के अंतिम शुक्रवार को रियायती प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण तथा कृषि ऋण का लक्ष्य समायोजित निवल बैंक कर्ज का क्रमश: 34.0 प्रतिशत तथा 14.0 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

परिशिष्ट सारणी IV.5(आ): निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2011 के अंतिम शुक्रवार को)

क्रम सं.	बैंक का नाम	समग्र	कृषि	कमजोर वर्ग
1	2	3	4	5
	निजी क्षेत्र के बैंक			
1.	एक्सिस बैंक लि.	√	X	X
2.	कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	√	√	√
3.	सिटी यूनियन बैंक लि.	√	X	X
4.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	√	X	X
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	√	√	√
6.	फेडरल बैंक लि.	√	X	X
7.	एचडीएफसी बैंक लि.	√	X	X
8.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	√	X	X
9.	इंडसइंड बैंक लि.	√	X	X
10.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	√	X	X
11.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	√	X	√
12.	कर्नाटक बैंक लि.	√	X	X
13.	करूर वैश्य बैंक लि.	√	√	√
14.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	√	√	X
15.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	√	√	√
16.	नैनीताल बैंक लि.	√	√	X
17.	रत्नाकर बैंक लि.	√	√	√
18.	एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	√	√	√
19.	साउथ इंडियन बैंक लि.	X	√	√
20.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	√	√	√
21.	येस बैंक लि.	√	√	√

√ : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंदित मानदंड का अनुपालन किए जाने को सूचित करता है।

×: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड का पानल न किए जाने को सूचित करता है।

परिशिष्ट सारणी IV.5(इ): विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2011 के अंतिम शुक्रवार को)

क्रम सं.	बैंक का नाम	समग्र	माइक्रो और लघु उद्यमों को अग्रिम	निर्यात ऋण
1	2	3	4	5
	विदेशी बैंक			
1.	एबी बैंक लि.	√	√	√
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक	√	√	√
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन	-	-	-
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक एनवी	√	√	√
5.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	-	-	-
6.	बैंक ऑफ अमरीका नेशनल अशोसिएशन	√	√	√
7.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी.एस.सी.	√	√	X
8.	बैंक ऑफ सिलोन	√	√	√
9.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	√	√	√
10.	बरक्लैज बैंक पीएलसी	√	√	X
11.	बीएनपी परिबा	√	√	X
12.	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	X	√	X
13.	सिटी बैंक	√	√	√
14.	कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया	-	-	-
15.	क्रेडिट एग्रिकोल कारपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट	√	√	√
16.	क्रेडिट स्वीस एजी	-	-	-
17.	डीबीएस बैंक लि.	√	√	√
18.	ड्यूश बैंक (एशिया)	√	√	√
19.	फर्स्ट रैण्ड बैंक लि.	√	√	√
20.	एचएसबीसी लि.	√	√	√
21.	जेपी मोर्गन चेस बैंक नेशनल अशोसिएशन	√	√	√
22.	जेएससी वीटीबी	X	X	√
23.	कुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	√	√	X
24.	मशरेक बैंक पीएससी	√	X	√
25.	मिजुओ कार्पोरेट बैंक लि.	√	X	X
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	X	X	X
27.	एसबीईआर बैंक	-	-	-
28.	सिनहान बैंक	√	√	X
29.	सोसाइटे जनरेल	√	√	√
30.	सोनाली बैंक	√	X	X
31.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	√	√	√
32.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	√	√	√
33.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे	√	√	X
34.	दि रॉयल बैंक स्कॉटलंड	√	√	√
35.	यूबीएस एजी	√	√	√
36.	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लि.	-	-	-

√ : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंदित मानदंड का अनुपालन किए जाने को सूचित करता है।

X : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड का पानल न किए जाने को सूचित करता है।

- : शून्य/नगण्य/लागू नहीं

टिप्पणी: बैंकों, जिन्होंने अपना परिचालन 2010-11 से शुरु किया है, को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का ऋण लक्ष्य 2011-12 से ही लागू होगा।

परिशिष्ट सारणी IV.6 : संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूहवार उधार

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक			राष्ट्रीयकृत बैंक*			स्टेट बैंक समूह			निजी क्षेत्र के बैंक		
		2009-10	2010-11	प्रतिशत घट-बढ़	2009-10	2010-11	प्रतिशत घट-बढ़	2009-10	2010-11	प्रतिशत घट-बढ़	2009-10	2010-11	प्रतिशत घट-बढ़
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	पूंजी बाजार #	37,501	44,023	17.4	27,526	32,412	17.8	9,975	11,611	16.4	23,573	25,250	7.1
		(1.4)	(1.3)		(1.5)	(1.4)		(1.2)	(1.2)		(3.7)	(3.1)	
2.	भू-संपदा क्षेत्र @	3,86,412	4,73,735	22.6	2,68,746	3,05,060	13.5	1,17,665	1,68,675	43.4	1,47,648	1,86,158	26.1
		(14.3)	(14.3)		(14.6)	(13.2)		(13.7)	(17.0)		(23.4)	(23.3)	
3.	पण्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	**4,23,913**	**5,17,758**	**22.1**	**2,96,272**	**3,37,471**	**13.9**	**1,27,641**	**1,80,286**	**41.3**	**1,71,221**	**2,11,407**	**23.5**
		(15.7)	**(15.7)**		**(16.1)**	**(14.6)**		**(14.9)**	**(18.1)**		**(27.1)**	**(26.5)**	

क्रम सं.	मद	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक			निजी क्षेत्र के नये बैंक			विदेशी बैंक			अनुसूचित वाणिज्य बैंक		
		2009-10	2010-11	प्रतिशत घट-बढ़	2009-10	2010-11	प्रतिशत घट-बढ़	2009-10	2010-11	प्रतिशत घट-बढ़	2009-10	2010-11	प्रतिशत घट-बढ़
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	पूंजी बाजार #	2,091	2,279	9.0	21,481	22,971	6.9	6,645	7,075	6.5	67,718	76,348	12.7
		(1.4)	(1.2)		(4.5)	(3.8)		(4.1)	(3.6)		(1.9)	(1.8)	
2.	भू-संपदा क्षेत्र @	23,084	25,195	9.1	1,24,564	1,60,963	29.2	46,771	55,659	19.0	5,80,830	7,15,551	23.2
		(15.0)	(13.6)		(26.0)	(26.3)		(28.7)	(28.5)		(16.6)	(16.6)	
3.	पण्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	**25,176**	**27,473**	**9.1**	**1,46,045**	**1,83,934**	**25.9**	**53,415**	**62,735**	**17.5**	**6,48,549**	**7,91,900**	**22.1**
		(16.3)	**(14.9)**		**(30.5)**	**(30.0)**		**(32.7)**	**(32.1)**		**(18.6)**	**(18.4)**	

- : शून्य / नगण्य

: पूंजी बाजार एक्सपोजर में निवेश तथा अग्रिम दोनों शामिल हैं।

@ : वास्तविक क्षेत्र एक्सपोजर में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऋण दोनों शामिल हैं।

* : आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित बैंक समूह के कुल ऋण तथा अग्रिम का प्रतिशत दर्शाते हैं ।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.7 : बीएसई में बैंक स्टॉक का शेयर मूल्य तथा मूल्य/अर्जन अनुपात

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च के अंतिम शुक्रवार को)

क्रम सं.	बैंक का नाम	अंतिम मूल्य (रु.) (मार्च के अंत में)			अंतिम मूल्य में प्रतिशत घट-बढ़ (2009-10 की तुलना में 2010-11)	मूल्य/अर्जन अनुपात (मार्च के अंत में)		
		2008-09	2009-10	2010-11		2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	सरकारी क्षेत्र के बैंक							
1.	इलाहाबाद बैंक	39	143	231	61.9	2.2	5.2	7.1
2.	आंध्रा बैंक	45	108	151	39.6	3.3	5.0	5.8
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	235	639	963	50.7	3.6	7.3	8.6
4.	बैंक ऑफ इंडिया	220	341	478	40.3	3.7	10.0	9.8
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	21	50	59	19.6	2.4	4.9	8.6
6.	केनरा बैंक	166	410	626	52.6	3.3	5.6	6.4
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	34	147	141	-3.9	2.4	5.3	5.4
8.	कार्पोरेशन बैंक	181	481	638	32.7	2.9	5.8	6.4
9.	देना बैंक	32	78	104	32.9	2.2	4.4	4.9
10.	इंडियन बैंक	83	176	232	32.2	2.8	4.9	5.9
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	46	92	144	56.2	1.9	7.1	8.3
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	110	321	387	20.6	3.0	7.1	6.5
13.	पंजाब नेशनल बैंक	411	1,013	1,220	20.4	4.1	8.0	8.4
14.	सिंडिकेट बैंक	48	86	122	41.7	2.7	5.9	6.1
15.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	147	293	347	18.6	4.3	7.1	8.1
16.	विजया बैंक	23	47	79	67.6	-	5.4	-
17.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1,067	2,079	2,768	33.1	6.2	11.2	16.4
18.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	196	454	520	14.5	2.4	4.9	5.1
19.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	331	637	653	2.5	3.5	5.1	5.4
20.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	212	613	745	21.6	1.7	4.6	5.1
21.	यूको बैंक	24	57	107	89.6	3.2	3.1	7.4
22.	आईडीबीआई बैंक लि.	45	115	142	23.9	4.3	8.2	9.0
	निजी क्षेत्र के बैंक							
23.	एक्सिस बैंक	415	1,169	1,404	20.1	8.2	19.7	17.2
24.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.#	37	55	-	-	5.2	-	-
25.	सिटी यूनियन बैंक लि.	12	29	45	56.9	3.2	7.1	8.4
26.	धनलक्ष्मी बैंक	50	133	113	-14.7	5.6	36.6	34.2
27.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	19	32	46	42.4	-	36.6	34.2
28.	फेडरल बैंक लि.	138	267	419	56.9	4.9	10.4	12.9
29.	आईएनजी वैश्य बैंक	128	279	321	15.0	6.9	12.7	12.2
30.	इंडसइंड बैंक लि.	32	171	264	54.5	7.6	18.9	21.3
31.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	315	679	875	28.8	3.7	6.4	8.3
32.	कर्नाटक बैंक लि.	65	120	108	-10.3	2.9	8.9	9.9
33.	करूर वैश्य बैंक	200	458	399	-12.9	4.6	7.4	8.9
34.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.*	283	749	457	-39.0 (22.0)	14.9	19.9	21.5
35.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	63	78	98	25.6	5.3	15.7	9.5
36.	साउथ इंडियन बैंक लि.**	51	178	23	-87.2 (28.1)	2.9	8.6	8.8
37.	एचडीएफसी बैंक लि.	968	1,933	2,343	21.2	18.3	28.1	27.3
38.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	333	953	1,113	16.8	10.4	22.1	20.9
39.	येस बैंक	50	255	310	21.6	4.9	-	14.7

– : उपलब्ध नहीं।

: बैंक ऑफ राजस्थान का आईसीआईसीआई बैंक में अगस्त 2010 में विलय हुआ।

* : 13 सितंबर 2010 को स्टाक को 1:2 अनुपात में स्प्लिट किया गया। कोष्ठको के आंकड़े स्प्लिट के बाद के हैं।

** : 23 सितंबर 2010 को स्टाक को 1:10 अनुपात में स्प्लिट किया गया। कोष्ठको के आंकड़े स्प्लिट के बाद के हैं।

स्रोत : बीएसई और ब्लूमबर्ग।

परिशिष्ट सारणी IV.8 : देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप *(जारी)*

(मार्च 2011 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कुल सरकारी और भा.रि.बैंक -निवासी	वित्तीय संस्थाएं - निवासी	वित्तीय संस्थाए - अनिवासी	अन्य कंपनियां - निवासी	अन्य कंपनियां - अनिवासी	कुल व्यक्ति निवासी	कुल व्यक्ति अनिवासी	कुल - निवासी	कुल - अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राष्ट्रीयकृत बैंक*									
1.	इलाहाबाद बैंक	58.0	30.6	-	1.2	-	10.2	-	100.0	-
2.	आंध्रा बैंक	58.0	14.7	14.5	1.7	-	10.8	0.4	85.2	14.8
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	57.0	16.0	16.6	4.7	-	5.2	0.5	82.9	17.1
4.	बैंक ऑफ इंडिया	65.9	12.5	14.3	1.4	-	5.6	0.4	85.3	14.7
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	79.2	8.8	1.0	1.5	-	9.3	0.2	98.9	1.2
6.	केनरा बैंक	67.7	11.5	14.9	0.9	-	4.9	0.1	85.0	15.0
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	80.2	8.3	3.2	1.6	-	6.5	0.2	96.6	3.4
8.	कार्पोरेशन बैंक	58.5	36.0	-	2.3	-	3.0	0.3	99.7	0.3
9.	देना बैंक	58.0	9.3	-	3.6	-	15.0	14.1	85.9	14.1
10.	इंडियन बैंक	80.0	4.5	10.1	2.6	-	2.8	0.1	89.8	10.2
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	65.9	13.6	6.3	2.6	-	11.1	0.6	93.2	6.8
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	58.0	22.2	13.7	1.5	-	4.5	0.1	86.2	13.8
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	82.1	1.5	4.7	2.5	-	8.9	0.3	95.0	5.0
14.	पंजाब नेशनल बैंक	58.0	17.5	19.3	1.2	-	4.0	-	80.7	19.4
15.	सिंडिकेट बैंक	69.5	11.3	4.4	2.5	-	12.3	-	95.6	4.4
16.	यूको बैंक	68.1	10.2	5.4	3.3	-	12.7	0.3	94.3	5.7
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	57.1	27.4	-	6.6	-	9.0	-	100.0	-
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	85.5	5.1	-	5.8	-	3.6	0.1	99.9	0.1
19.	विजया बैंक	57.7	10.9	7.9	3.3	-	19.6	0.6	91.5	8.5
20.	आईडीबीआई बैंक लि.	65.1	15.1	3.9	3.5	-	11.8	0.6	95.5	4.5
	स्टेट बैंक समूह									
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	-	77.2	-	4.1	5.5	13.0	0.2	94.3	5.7
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	59.4	16.3	15.7	2.9	-	5.7	0.1	84.2	15.8
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	-	94.2	-	0.3	-	5.4	0.1	99.9	0.1
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1.1	76.3	3.3	3.3	-	12.9	3.1	93.6	6.4

- : शून्य / नगण्य

* : आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां (देशी)।

परिशिष्ट सारणी IV.8 : देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप *(समाप्त)*

(मार्च 2011 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कुल सरकारी और भा.रि.बैंक -निवासी	वित्तीय संस्थाएं - निवासी	वित्तीय संस्थाए - अनिवासी	अन्य कंपनियां - निवासी	अन्य कंपनियां - अनिवासी	कुल व्यक्ति निवासी	कुल व्यक्ति अनिवासी	कुल - निवासी	कुल - अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक									
1.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	-	9.7	-	13.5	14.9	43.0	18.9	66.2	33.8
2.	सिटी यूनियन बैंक लि.	-	6.7	17.5	11.5	7.2	56.7	0.5	74.9	25.2
3.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	-	5.9	32.7	19.5	-	35.8	6.1	61.2	38.8
4.	फेडरल बैंक लि.	-	24.0	36.1	14.7	5.0	17.1	3.1	55.8	44.2
5.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	-	12.8	23.8	6.0	43.3	10.1	4.0	28.9	71.1
6.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	53.2	4.5	23.0	7.2	-	11.7	0.5	76.6	23.4
7.	कर्नाटक बैंक लि.	-	30.6	-	20.2	-	48.8	0.4	99.6	0.4
8.	करूर वैश्य बैंक लि.	-	4.3	22.9	15.9	-	55.0	2.0	75.1	24.9
9.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	-	9.0	-	22.0	7.0	61.1	0.9	92.0	8.0
10.	नैनीताल बैंक लि.	-	98.6	-	-	-	1.4	-	100.0	-
11.	रत्नाकर बैंक लि.	-	-	-	22.7	32.8	38.4	6.2	61.0	39.0
12.	एसबीआई कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-
13.	साउथ इंडियन बैंक लि.	-	10.5	36.2	11.9	-	38.1	3.4	60.4	39.6
14.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	-	-	-	11.7	16.5	71.6	0.2	83.4	16.6
	निजी क्षेत्र के नए बैंक									
15.	एक्सिस बैंक लि.	-	42.3	46.9	5.6	-	5.0	0.2	52.9	47.1
16.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	-	1.9	-	16.4	36.5	42.2	3.0	60.6	39.4
17.	एचडीएफसी बैंक लि.	-	11.6	-	32.1	46.8	9.1	0.4	52.8	47.2
18.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	-	19.1	66.1	9.0	-	5.5	0.4	33.5	66.5
19.	इंडसइंड बैंक लि.	-	8.5	48.7	11.2	19.9	9.8	2.1	29.4	70.6
20.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	-	5.3	29.9	8.7	0.6	55.0	0.6	68.9	31.1
21.	येस बैंक लि.	-	9.9	45.5	12.1	4.8	26.9	0.8	48.9	51.1

- : शून्य / नगण्य

स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां (देशी)।

परिशिष्ट सारणी IV.9 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(जारी)*

(मार्च 2011 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम			कुल एटीएम की तुलना में ऑफ-साइट एटीएम का प्रतिशत	शाखाओं की तुलना में एटीएम का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**21,705**	**19,800**	**16,945**	**15,680**	**74,130**	**40,729**	**33,776**	**74,505**	**45.3**	**100.5**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**20,387**	**15,978**	**13,569**	**12,277**	**62,211**	**29,795**	**9,692**	**49,487**	**39.8**	**79.5**
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**14,185**	**10,561**	**10,154**	**9,398**	**44,298**	**15,691**	**9,145**	**24,836**	**36.8**	**56.1**
1.	इलाहाबाद बैंक	968	455	506	444	2,373	142	72	214	3.6	9.0
2	आंध्रा बैंक	407	422	455	319	1,603	452	529	981	53.9	61.2
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,171	833	625	723	3,352	998	563	1,561	36.1	46.6
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1,299	769	613	622	3,303	755	670	1,425	47.0	43.1
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	534	290	298	383	1,505	323	94	417	22.5	27.7
6.	केनरा बैंक	803	912	765	772	3,252	1,415	758	2,173	34.9	66.8
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,386	948	724	679	3,737	374	632	1,006	62.8	26.9
8.	कार्पोरेशन बैंक	216	338	362	352	1,268	677	505	1,182	42.7	93.2
9.	देना बैंक	362	258	264	307	1,191	391	105	496	21.2	41.6
10.	इंडियन बैंक	496	502	473	358	1,829	806	322	1,128	28.5	61.7
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	573	547	543	504	2,167	719	324	1,043	31.1	48.1
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	333	396	495	416	1,640	878	314	1,192	26.3	72.7
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	299	150	238	254	941	81	2	83	2.4	8.8
14.	पंजाब नेशनल बैंक	1,972	1,091	993	799	4,855	3,044	2,006	5,050	39.7	104.0
15.	सिंडिकेट बैंक	768	605	591	527	2,491	1,018	202	1,220	16.6	49.0
16.	यूको बैंक	802	466	479	445	2,192	411	197	608	32.4	27.7
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	828	846	730	647	3,051	1,830	804	2,634	30.5	86.3
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	627	286	349	294	1,556	262	246	508	48.4	32.6
19.	विजया बैंक	260	260	358	308	1,186	447	98	545	18.0	46.0
20.	आईडीबीआई बैंक लि.	81	187	293	245	806	668	702	1,370	51.2	170.0
	स्टेट बैंक समूह	**6,202**	**5,417**	**3,415**	**2,879**	**17,913**	**14,104**	**10,547**	**24,651**	**42.8**	**137.6**
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	4,972	3,865	2,382	2,065	13,284	10,826	9,258	20,084	46.1	151.2
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	317	256	164	172	909	586	391	977	40.0	107.5
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	311	387	292	220	1,210	997	273	1,270	21.5	105.0
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	213	141	152	194	700	532	203	735	27.6	105.0
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	334	280	249	150	1,013	574	178	752	23.7	74.2
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	55	488	176	78	797	589	244	833	29.3	104.5

टिप्पणी: राष्ट्रीयकृत बैंकों में आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

स्रोत: वाणिज्य बैंकों से संबंधित मास्टर ऑफिस फाइल (अद्यतन संशोधित संस्करण)

परिशिष्ट सारणी IV.9 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(जारी)*

(मार्च 2011 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम			कुल एटीएम की तुलना में ऑफ-साइट एटीएम का प्रतिशत	शाखाओं की तुलना में एटीएम का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	निजी क्षेत्र के बैंक	**1,311**	**3,814**	**3,315**	**3,162**	**11,602**	**10,648**	**13,003**	**23,651**	**55.0**	**203.9**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**764**	**1,738**	**1,349**	**966**	**4,817**	**2,641**	**1,485**	**4,126**	**36.0**	**85.7**
1.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	18	194	99	49	360	105	54	159	34.0	44.2
2.	सिटी युनियन बैंक लि.	34	82	83	49	248	185	47	232	20.3	93.5
3.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	24	107	83	59	273	167	292	459	63.6	168.1
4.	फेडरल बैंक लि.	49	402	178	112	741	462	342	804	42.5	108.5
5.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	83	84	162	175	504	206	194	400	48.5	79.4
6.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	231	84	124	64	503	262	100	362	27.6	72.0
7.	कर्नाटक बैंक लि.	90	101	148	144	483	192	75	267	28.1	55.3
8.	करूर वैश्य बैंक लि.	33	128	127	81	369	371	117	488	24.0	132.2
9.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	38	97	86	48	269	145	105	250	42.0	92.9
10.	नैनीताल बैंक लि.	25	29	25	22	101	-	-	-	-	-
11.	रत्नाकर बैंक लि.	25	30	20	25	100	32	-	32	-	32.0
12.	एसबीआई कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	-		-	2	2	2	-	2	-	100.0
13.	साउथ इंडियन बैंक लि.	65	304	160	103	632	398	91	489	18.6	77.4
14.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	49	96	54	33	232	114	68	182	37.4	78.4
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**547**	**2,076**	**1,966**	**2,196**	**6,785**	**8,007**	**11,518**	**19,525**	**59.0**	**287.8**
15.	एक्सिस बैंक लि.	94	449	452	382	1,377	1,743	4,527	6,270	72.2	455.3
16.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	4	14	12	52	82	78	56	134	41.8	163.4
17.	एचडीएफसी बैंक लि.	123	619	548	673	1,963	2,749	2,722	5,471	49.8	278.7
18.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	260	803	693	767	2,523	2,727	3,377	6,104	55.3	241.9
19.	इंडसइंड बैंक लि.	22	78	110	93	303	254	340	594	57.2	196.0
20.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	21	57	82	162	322	307	403	710	56.8	220.5
21.	येस बैंक लि.	23	56	69	67	215	149	93	242	38.4	112.6

– : शून्य / नगण्य

स्रोत: वाणिज्य बैंकों से संबंधित मास्टर ऑफिस फाइल (अद्यतन संशोधित संस्करण)

परिशिष्ट सारणी IV.9 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(समाप्त)*

(मार्च 2011 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम			कुल एटीएम की तुलना में ऑफ-साइट एटीएम का प्रतिशत	शाखाओं की तुलना में एटीएम का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	विदेशी बैंक	**7**	**8**	**61**	**241**	**317**	**286**	**1,081**	**1,367**	**79.1**	**431.2**
1.	एबी बैंक लि.	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक एनवी	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
5.	बीएनपी परिबा	-	-	-	9	9	-	-	-	-	-
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
7.	बैंक ऑफ अमरीका नेशनल अशोसिएशन	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
9.	बैंक ऑफ सिलोन	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	-	-	1	4	5	-	-	-	-	-
11.	बरक्लैज़ बैंक पीलसी	-	1	4	4	9	7	28	35	80.0	388.9
12.	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
13.	सिटी बैंक एन.ए.	-	2	12	29	43	58	593	651	91.1	1,514.0
14.	कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
15.	क्रेडिट एग्रिकोल कारपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-
16.	क्रेडिट स्वीस एजी	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
17.	डीबीएस बैंक	3	3	-	6	12	4	26	30	-	250.0
18.	ड्यूश बैंक (एशिया)	1	-	6	8	15	14	46	60	76.7	400.0
19.	फर्स्ट रैण्ड बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
20.	एचएसबीसी लि.	1	1	10	38	50	72	79	151	52.3	302.0
21.	जेपी मोर्गन चेस बैंक नेशनल अशोसिएशन	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
22.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
23.	क्रंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
24.	मशरेक बैंक पीएससी	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
25.	मिजुओ कार्पोरेट बैंक लि.	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-
27.	एसबीईआर बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
28.	सिनहान बैंक	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-
29.	सोसाइटे जनरेल	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
30.	सोनाली बैंक	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
31.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	-	-	16	78	94	95	224	319	70.2	339.4
32.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
33.	बैंक ऑफ टोकियो मित्सुबिशी यूएफजे लिमि.	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
34.	दि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलंड एनवी	2	-	10	19	31	35	85	120	70.8	387.1
35.	यूबीएस एजी	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
36.	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लि.	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-

– : शून्य / नगण्य

स्रोत: वाणिज्यिक बैंकों की मास्टर ऑफिस फाइल (नवीनतम अद्यतन संस्करण)

परिशिष्ट सारणी IV.10 : बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(जारी)*

(2010-11 की अवधि के लिए)

क्रम सं.	बैंक का नाम	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	क्रेडिट/ डेबिट कार्ड शिकायतों से भिन्न शिकायतो की संख्या 1000 खाते*	क्रेडिट/ डेबिट कार्ड शिकायतों की संख्या 1000 क्रेडिट/ डेबिट कार्ड खाते@	प्रति शाखा शिकायतों की संख्या#	शिकायतों का श्रेणीवार विश्लेषण												
						जमा खाता	प्रेषण	उधार/ अग्रिम सामान्य और आवास	क्रेडिट डेबिट एटीएम कार्ड	पूर्व सूचना के बिना प्रभार	पेन्शन	वादे पूरा न करना	उचित व्यवहार-संहिता का पालन न करना	नोट तथा सिक्के	बीसीएस बीआई	वसूली एजेंट	विषय से हटकर	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**66,927**	**0.08**	**0.16**	**0.90**	**1,660**	**4,010**	**4,293**	**16,871**	**4,018**	**5,810**	**2,879**	**13,340**	**130**	**2,276**	**1,706**	**2,336**	**7,598**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**42,724**	**0.05**	**0.01**	**0.69**	**726**	**3,019**	**3,262**	**9,217**	**1,700**	**5,746**	**1,971**	**8,799**	**86**	**1,260**	**120**	**1,983**	**4,835**
	राष्ट्रीयकृत बैंक**	**20,417**	**0.02**	**0.00**	**0.45**	**379**	**1,574**	**1,891**	**3,343**	**995**	**1,746**	**1,035**	**4,680**	**36**	**742**	**58**	**1,263**	**2,675**
1.	इलाहाबाद बैंक	834	0.02	0.07	0.35	7	74	47	71	28	67	38	230	1	49	-	113	109
2.	आंध्रा बैंक	842	0.02	0.03	0.53	14	33	104	160	20	89	56	173	-	53	-	8	132
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	2,034	0.03	0.05	0.61	52	176	133	343	123	136	90	489	7	75	11	180	219
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1,532	0.02	0.04	0.47	21	137	76	304	49	151	63	425	2	48	3	72	181
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	369	0.02	0.02	0.25	3	36	23	34	24	34	16	119	1	21	2	8	48
6.	केनरा बैंक	2,047	0.03	0.06	0.63	45	177	235	393	80	192	128	324	3	89	9	83	289
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,495	0.03	0.04	0.40	23	135	103	130	30	195	65	450	-	54	1	101	208
8.	कार्पोरेशन बैंक	459	0.02	0.03	0.37	8	34	38	122	31	10	17	120	-	15	-	12	52
9.	देना बैंक	593	0.03	0.03	0.50	5	27	14	45	67	92	10	228	-	34	2	22	47
10.	इंडियन बैंक	719	0.02	0.02	0.39	14	46	224	95	37	49	75	66	4	14	3	9	83
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	754	0.02	0.04	0.35	18	46	166	127	35	49	70	113	4	16	4	25	81
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	686	0.03	0.05	0.42	5	64	44	136	43	16	30	160	-	16	3	49	120
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	278	0.02	0.31	0.30	5	16	46	16	11	34	4	58	-	13	3	23	49
14.	पंजाब नेशनल बैंक	2,946	0.02	0.05	0.61	42	247	175	676	98	376	128	482	8	52	4	271	387
15.	सिंडिकेट बैंक	969	0.02	0.04	0.39	14	55	98	197	59	69	35	200	-	34	7	84	117
16.	यूको बैंक	922	0.03	0.06	0.42	16	73	63	82	78	77	46	304	-	31	3	36	113
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,491	0.03	0.03	0.49	40	92	197	220	82	72	86	285	4	66	1	117	229
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	466	0.02	0.03	0.30	6	38	21	41	19	27	21	193	-	24	1	15	60
19.	विजया बैंक	295	0.02	0.03	0.25	6	24	31	39	8	8	17	71	-	22	1	12	56
20.	आईडीबीआई बैंक लि.	686	0.08	0.02	0.85	35	44	53	112	73	3	40	190	2	16	-	23	95
	स्टेट बैंक समूह	**22,307**	**0.03**	**0.06**	**1.25**	**347**	**1,445**	**1,371**	**5,874**	**705**	**4,000**	**936**	**4,119**	**50**	**518**	**62**	**720**	**2,160**
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	19,435	0.05	0.07	1.46	297	1,231	1,034	5,268	543	3,683	797	3,485	39	456	52	652	1,898
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1,005	0.05	0.05	1.11	17	107	85	173	78	92	86	249	6	10	3	12	87
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	628	0.02	0.04	0.52	14	36	48	205	36	98	19	94	1	19	2	5	51
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	305	0.03	0.03	0.44	4	25	13	63	8	56	5	81	-	6	-	18	26
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	548	0.04	0.05	0.54	10	37	74	142	27	65	17	49	4	5	5	30	83
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	386	0.03	0.00	0.48	5	9	117	23	13	6	12	161	-	22	-	3	15

परिशिष्ट सारणी IV.10 : बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(जारी)*

(2010-11 की अवधि के लिए)

क्रम सं.	बैंक का नाम	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	क्रेडिट/ डेबिट कार्ड शिकायतों से भिन्न शिकायतो की संख्या 1000 खाते*	क्रेडिट/ डेबिट कार्ड शिकायतों की संख्या 1000 क्रेडिट/ डेबिट कार्ड खाते@	प्रति शाखा शिकायतों की संख्या#	शिकायतों का श्रेणीवार विश्लेषण												
						जमा खाता	प्रेषण	उधार/ अग्रिम सामान्य और आवास	क्रेडिट डेबिट एटीएम कार्ड	पूर्व सूचना के बिना प्रभार	पेन्शन	वादे पूरा न करना	उचित व्यवहार-संहिता का पालन न करना	नोट तथा सिक्के	बीसीएस बीआई	वसूली एजेंट	विषय से हटकर	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	निजी क्षेत्र के बैंक	**17,122**	**0.08**	**0.07**	**1.47**	**641**	**816**	**832**	**4,458**	**1,836**	**43**	**747**	**3,378**	**25**	**812**	**928**	**283**	**2,323**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**1,179**	**0.02**	**0.01**	**0.25**	**50**	**65**	**185**	**149**	**120**	**1**	**94**	**254**	**1**	**51**	**12**	**30**	**167**
1.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	43	-	-	0.1	2	2	9	2	11	-	2	7	-	5	-	-	3
2.	सिटी युनियन बैंक लि.	41	-	-	0.2	2	3	11	8	1	-	9	4	-	1	-	-	2
3.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	100	-	-	0.4	4	1	17	11	18	-	3	29	-	1	2	1	13
4.	फेडरल बैंक लि.	190	-	-	0.3	10	9	22	22	24	-	16	47	-	6	2	3	29
5.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	324	0.1	-	0.6	20	20	27	46	32	-	21	75	-	18	3	11	51
6.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	47	-	-	0.1	3	3	3	9	1	-	-	8	-	1	1	5	13
7.	कर्नाटक बैंक लि.	74	-	-	0.2	1	8	9	17	7	1	3	14	-	3	-	2	9
8.	करूर वैश्य बैंक लि.	109	-	-	0.3	2	8	25	12	11	-	15	16	-	6	1	2	11
9.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	55	-	-	0.2	3	1	19	4	1	-	9	5	1	2	-	-	10
10.	नैनीताल बैंक लि.	22	-	-	0.2	1	2	-	2	1	-	-	5	-	1	-	5	5
11.	रत्नाकर बैंक लि.	9	-	0.1	0.1	1	-	2	1	1	-	-	3	-	-	-	-	1
12.	एसबीआई कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	2	0.1	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
13.	साउथ इंडियन बैंक लि.	102	-	-	0.2	-	7	27	9	6	-	8	26	-	6	1	1	11
14.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	61	-	-	0.3	1	1	14	6	6	-	8	14	-	1	2	-	8
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**15,943**	**0.12**	**0.08**	**2.35**	**591**	**751**	**647**	**4,309**	**1,716**	**42**	**653**	**3,124**	**24**	**761**	**916**	**253**	**2,156**
15.	एक्सिस बैंक लि.	2,215	0.1	0.1	1.6	68	155	99	624	346	8	90	392	4	67	79	56	227
16.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	94	0.1	-	1.2	4	8	5	5	12	-	5	40	-	2	1	-	12
17.	एचडीएफसी बैंक लि.	5,590	0.1	0.1	2.9	223	208	245	1,543	680	12	256	1,195	12	297	280	86	553
18.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	6,895	0.1	0.1	2.7	220	323	258	1,967	510	19	242	1,205	5	358	471	94	1,223
19.	इंडसइंड बैंक लि.	373	0.1	0.1	1.2	25	21	17	42	56	1	20	112	-	12	7	7	53
20.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	728	0.3	0.1	2.3	47	35	23	110	107	1	37	173	3	24	78	9	81
21.	येस बैंक लि.	48	0.1	0.1	0.2	4	1	-	18	5	1	3	7	-	1	-	1	7

परिशिष्ट सारणी IV.10: बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(समाप्त)*

(2010-11 की अवधि के लिए)

क्रम सं.	बैंक का नाम	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	क्रेडिट/ डेबिट कार्ड शिकायतों से भिन्न शिकायतो की संख्या 1000 खाते*	क्रेडिट/ डेबिट कार्ड शिकायतों की संख्या 1000 क्रेडिट/ डेबिट कार्ड खाते@	प्रति शाखा शिकायतों की संख्या#	शिकायतों का श्रेणीवार विश्लेषण												
						जमा खाता	प्रेषण	उधार/ अग्रिम सामान्य और आवास	क्रेडिट डेबिट एटीएम कार्ड	पूर्व सूचना के बिना प्रभार	पेन्शन	वादे पूरा न करना	उचित व्यवहार-संहिता का पालन न करना	नोट तथा सिक्के	बीसीएस बीआई	वसूली एजेंट	विषय से हटकर	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	विदेशी बैंक	**7,081**	**0.27**	**0.35**	**22.34**	**293**	**175**	**199**	**3,196**	**482**	**21**	**161**	**1,163**	**19**	**204**	**658**	**70**	**440**
1.	एबी बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन	67	0.65	0.07	67.00	-	5	3	38	-	-	-	8	-	-	10	-	3
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक एनवी	-	-	-	-													
5.	बीएनपी परिबा	1	-	-	0.11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	बैंक ऑफ अमरीका नेशनल अशोसिएशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	बैंक ऑफ सिलोन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	बरक्लैज़ बैंक पीएलसी	629	0.40	0.89	69.89	16	16	20	299	38	3	10	73	-	16	107	3	28
12.	चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	1	0.11	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
13.	सिटी बैंक एन.ए.	967	0.13	0.09	22.49	35		31	367	36	-	22	196	1	42	158	15	64
14.	कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	क्रेडिट एग्रिकोल काररपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	क्रेडिट स्वीस एजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	डीबीएस बैंक लि.	36	0.91	-	3.00	-	34	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
18.	ड्यूश बैंक (एशिया)	208	0.36	0.80	13.87	9	3	11	82	12	-	2	41	-	13	17	3	15
19.	फर्स्ट रैण्ड बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	एचएसबीसी लि.	1,865	0.27	0.65	37.30	77	34	44	941	126	4	38	292	8	39	161	4	97
21.	जेपी मोर्गन चेस बैंक नेशनल अशोसिएशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	कुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	मशरेक बैंक पीएससी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	मिजुओ कार्पोरेट बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	एसबीईआर बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	सिनहान बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	सोसाइटे जनरेल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	सोनाली बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	2,144	0.34	0.47	22.8	117	65	69	869	183	6	68	389	8	71	98	31	170
32.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	1	0.07	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
33.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	दि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलंड एनवी	1,162	0.45	1.03	37.5	39	18	20	600	87	8	21	160	2	23	107	14	63
35.	यूबीएस एजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 31 मार्च 2009 को खातों की संख्या।
@ 30 जून 2011 को क्रेडिट/डेबिट कार्ड कातों की संख्या।
\# 31 मार्च 2011 को शाखाओं की संख्या।
'-' शून्य/नगण्य/उपलब्द नहीं
** आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

परिशिष्ट सारणी IV.11 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कर्ज-जमाराशि अनुपात एवं निवेश तथा कर्ज-जमाराशि अनुपात - क्षेत्र/राज्यवार

(प्रतिशत)

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कर्ज-जमाराशि अनुपात					निवेश व कर्ज - जमाराशि अनुपात @				निवेश व कर्ज व आरआईडीएफ - जमाराशि अनुपात @	
		मार्च 2009		मार्च 2010		मार्च 2011	मार्च 2009		मार्च 2010		मार्च 2010	
		स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	अखिल भारतीय	**72.6**	**72.6**	**73.3**	**73.3**	**75.1**	**78.6**	**78.6**	**79.8**	**79.8**	**81.2**	**81.2**
1	**उत्तरी क्षेत्र**	**68.9**	**71.1**	**74.4**	**74.9**	**82.7**	**73.3**	**75.5**	**79.4**	**80.0**	**82.2**	**82.7**
	हरियाणा	61.4	74.0	63.3	76.1	71.5	67.3	80.0	70.1	82.9	71.1	83.9
	हिमाचल प्रदेश	38.6	47.1	42.2	51.1	39.6	60.6	69.1	64.2	73.0	67.8	76.6
	जम्मू और कश्मीर	47.2	47.3	46.4	47.8	37.2	59.8	60.0	58.3	59.7	62.4	63.8
	पंजाब	65.7	65.5	71.5	73.0	77.3	75.0	74.8	82.7	84.2	84.9	86.3
	राजस्थान	80.6	87.5	88.4	96.6	90.0	96.2	103.0	105.7	114.0	108.2	116.4
	चंडीगढ़	115.0	119.9	131.1	133.7	129.3	115.0	119.9	131.1	133.7	131.1	133.7
	दिल्ली	68.9	68.8	74.6	70.6	87.1	69.0	68.8	74.6	70.6	77.9	73.9
2	**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र**	**36.0**	**39.2**	**35.5**	**39.1**	**32.8**	**46.9**	**50.1**	**45.7**	**49.3**	**48.0**	**51.6**
	अरुणाचल प्रदेश	25.5	33.9	27.5	34.4	22.5	32.0	40.3	33.5	40.3	40.4	47.2
	असम	38.5	41.5	37.8	40.5	35.6	48.4	51.4	46.5	49.2	48.1	50.8
	मणिपुर	36.0	37.1	42.1	44.8	32.8	56.5	57.5	66.7	69.5	67.5	70.3
	मेघालय	28.3	34.6	25.6	32.7	24.0	37.2	43.5	34.1	41.2	36.3	43.3
	मिजोरम	57.9	60.2	53.2	57.7	43.0	80.5	82.8	72.9	77.5	76.5	81.1
	नगालैंड	30.8	31.6	30.3	40.2	25.6	54.5	55.3	56.2	66.1	60.6	70.5
	त्रिपुरा	30.7	31.5	30.7	31.6	31.4	37.8	38.6	37.9	38.7	40.4	41.3
3	**पूर्वी क्षेत्र**	**48.8**	**50.8**	**50.8**	**53.5**	**51.2**	**57.2**	**59.2**	**59.9**	**62.6**	**61.1**	**63.8**
	बिहार	26.8	26.6	29.0	29.7	29.0	35.0	34.8	38.1	38.8	39.7	40.4
	झारखंड	32.0	35.7	35.1	36.8	35.0	37.5	41.2	42.8	44.5	44.6	46.3
	उड़ीसा	50.8	55.7	54.4	58.1	51.3	55.3	60.2	57.8	61.5	59.6	63.4
	सिक्किम	41.6	53.7	37.2	49.5	37.7	142.7	154.7	52.1	64.4	55.5	67.8
	पश्चिम बंगाल	60.7	62.2	61.5	64.8	63.7	71.1	72.6	72.6	75.9	73.4	76.6
	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	31.7	38.1	36.5	41.1	37.8	31.7	38.1	36.5	41.1	36.5	41.1
4	**मध्य क्षेत्र**	**44.3**	**48.7**	**47.3**	**51.0**	**47.4**	**52.9**	**57.3**	**55.6**	**59.4**	**57.2**	**60.9**
	छत्तीसगढ़	46.3	52.3	52.3	55.1	52.3	48.9	54.9	55.4	58.3	56.7	59.5
	मध्य प्रदेश	57.4	61.9	60.6	63.7	59.7	66.7	71.2	69.9	73.1	72.3	75.4
	उत्तर प्रदेश	42.2	46.5	43.3	47.4	43.6	51.5	55.8	51.9	56.0	53.1	57.2
	उत्तराखंड	25.3	28.6	33.7	38.2	35.2	32.9	36.3	43.4	47.9	45.4	49.8
5	**पश्चिमी क्षेत्र**	**85.6**	**77.0**	**79.1**	**74.7**	**78.1**	**89.5**	**81.0**	**83.1**	**78.8**	**83.6**	**79.3**
	गोवा	26.7	26.6	26.5	27.9	29.0	31.8	31.7	31.8	33.2	32.3	33.7
	गुजरात	63.7	74.6	65.3	75.2	66.3	73.4	84.3	75.9	85.8	77.9	87.8
	महाराष्ट्र	91.2	78.7	82.9	75.8	81.3	94.1	81.6	85.8	78.6	86.0	78.9
	दादरा और नगर हवेली	18.1	87.7	60.0	92.9	34.8	18.1	87.7	60.0	92.9	60.0	92.9
	दमण और दीव	19.3	49.1	20.2	44.7	20.9	19.3	49.1	20.2	44.7	20.2	44.7
6	**दक्षिणी क्षेत्र**	**87.9**	**94.1**	**92.7**	**94.8**	**94.1**	**95.5**	**101.7**	**101.6**	**103.7**	**102.7**	**104.8**
	आंध्र प्रदेश	96.4	104.9	105.1	109.7	110.0	106.2	114.8	117.1	121.6	118.9	123.4
	कर्नाटक	77.3	82.8	77.6	80.4	72.5	82.2	87.7	82.7	85.6	83.4	86.2
	केरल	59.7	61.7	63.1	64.5	72.0	68.8	70.8	73.5	74.9	74.3	75.7
	तमिलनाडु	108.1	115.2	113.8	113.5	114.1	115.5	122.7	123.1	122.8	124.3	124.0
	लक्षद्वीप	5.4	7.5	7.3	7.7	8.2	5.4	7.5	7.3	7.7	7.3	7.7
	पुदुचेरी	51.4	55.8	57.2	59.2	61.3	64.0	68.4	71.7	73.7	71.7	73.7

@ : बैंकों के राज्यवार निवेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी संस्थाओं, राज्य विद्युत बोर्ड, नगरपालिका निगम, नगरपालिका और बंदरगाह, राज्य वित्त निगम, आवास बोर्ड, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सड़क परिवहन निगम तथा अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी निकायों के राज्य सरकारी उधार तथा शेयर, बांड, डिबेंचर आदि की अपनी राज्य स्तरीय प्रतिभूतियों की धारिता दर्शाता है।
अखिल भारतीय निवेश व कर्ज जमा अनुपात केंद्रीय सरकार और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश को छोड़कर है, जिनका ऊपर उल्लेख नहीं है।

टिप्पणी: 1) 2009 और 2010 के जमा व कर्ज के आंकड़े (स्वीकृति और उपयोग के अनुसार) बीएसआर-1 तथा 2 के 31 मार्च के सर्वेक्षणों पर आधारित है।
2) 2010 के जमा व कर्ज के आंकड़े (स्वीकृति और उपयोग के अनुसार) बीएसआर-7 के 31 मार्च के सर्वेक्षणों पर आधारित है।
3) निवेश के आंकड़े 31 मार्च 2009 तथा 31 मार्च 2010 के बीएसआर - 5 सर्वेक्षण पर आधारित है।
4) आरआईडीएफ के बकाया आंकड़े नाबार्ड द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है।

परिशिष्ट सारणी V.1: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड

(मार्च 2011 के अंत में)

क्रम नं.	बैंक का नाम	सीआरए आर (प्रतिशत)	कार्यशील निधि की तुलना में निवल व्याज आय (%)	कार्यशील निधि की तुलना में ब्याजेतर आय (%)	आस्तियों पर आय	जमाराशियों की औसत लागत	प्रति कर्मचारी लाभ (लाख रुपये)	प्रति कर्मचारी कारोबार (लाख रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	13.7	3.5	1.4	1.1	5.3	3.7	436.32
2	अहमदाबाद मर्कैंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	39.6	4.1	0.3	1.2	5.1	3.9	287.04
3	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बंगलूरू	-67.1	2.1	1.9	1.0	4.9	2.5	163.64
4	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	20.9	4.7	0.3	1.4	6.0	3.2	323.58
5	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	19.5	3.9	0.3	2.8	5.5	19.8	903.04
6	भारत को-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	13.7	1.1	0.3	-0.2	1.5	-1.1	716.4
7	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	14.3	3.1	0.4	0.7	6.0	1.9	351.2
8	बॉम्बे मर्कैंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-1.9	3.3	2.4	0.6	4.2	1.1	172.67
9	चारमीनार को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	-848.0	-	-	-0.1	2.6	-	-
10	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	17.8	2.9	0.3	0.9	5.6	3.6	515.87
11	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	11.7	2.6	0.6	1.0	5.8	5	701.65
12	डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	14.2	4.2	0.9	1.1	5.4	-	481.46
13	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	14.8	4.0	0.2	1.0	5.3	3.0	401.43
14	गोपीनाथ पाटील पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	20.6	4.1	0.2	1.2	4.4	4.4	455.96
15	ग्रेटर बाँबे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	18.6	2.6	0.8	0.7	6.1	2.3	427.52
16	इंडियन मर्कैंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, लखनऊ	9.3	1.2	1.3	0.2	7.9	0.4	224
17	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	11.5	2.5	1.1	0.6	6.0	1.4	295.02
18	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	9.8	2.7	0.5	1.6	5.9	6.3	575.47
19	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, नासिक	-1.0	1.4	0.3	-2.8	5.9	-4.6	143.29
20	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	11.6	2.8	0.4	1.3	6.3	6.0	635.05
21	कालापन्ना आवडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	11.7	3.1	0.3	0.6	5.5	1.5	315.44
22	कालूपुर कमर्शियल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	31.0	3.1	0.5	2.1	5.5	12.2	629.46
23	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	13.8	3.4	1.2	1.4	5.1	4.4	445.64
24	कराड अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	10.7	3.2	0.4	0.5	6.3	1.2	327.95
25	माधवपुरा मर्कैंटाईल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-2,077.4	-1.6	7.2	2.1	5.4	373.4	9,852.73
26	महानगर को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	11.8	3.4	0.4	0.6	5.7	2.2	469.87
27	मापुसा अर्बन को. ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा	-12.1	2.5	1.3	0.9	5.7	1.6	224.85
28	महेसाना अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	12.6	2.9	0.3	0.9	6.3	4.2	688.6
29	नगर अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	17.7	4.2	0.4	0.7	6.5	2.2	387.16
30	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	10.9	3.2	0.7	0.4	5.7	0.6	240.21
31	नासिक मर्चेंट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	31.7	5.3	0.5	1.7	4.8	3.2	211.29
32	न्यू इंडिया को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	18.4	3.2	0.9	0.8	5.7	4.1	636.69
33	एनकेजीएसबी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	12.9	2.6	0.4	1.1	6.6	5.1	656.12
34	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	14.9	3.0	0.7	0.6	5.4	2.2	421.02
35	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	12.9	3.2	0.4	0.3	6.3	0.6	249.04
36	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को. ऑप. बैंक लिमिटेड	13.2	3.3	0.8	0.8	6.0	3.9	656.05
37	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	18.0	3.2	0.7	1.0	5.9	6.1	575.89
38	रुपी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-76.7	1.4	0.4	-2.0	5.4	-6.0	239.43
39	सांगली अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	12.1	3.0	1.0	0.6	5.9	0.6	135.32
40	सारस्वत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	12.7	2.8	0.6	1.0	5.8	6.2	822.3
41	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	27.2	4.2	0.2	0.7	4.8	2.3	344.86
42	शामराव विठ्ठल को.ऑप. बैंक लिमिटेड	14.0	5.8	1.3	2.5	10.6	13.1	745.08
43	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपूर	7.6	3.8	0.4	0.7	6.1	1.3	309.18
44	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	11.5	3.8	0.5	0.8	6.2	2.2	370.21
45	सूरत पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	20.5	4.0	0.3	0.8	6.4	3.3	489.11
46	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	10.2	3.2	0.6	0.7	5.9	1.9	366.10
47	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	15.9	3.7	0.6	1.1	5.8	6.4	704.05
48	अकोला-जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	10.5	3.0	0.4	0.5	6.5	1.0	275.93
49	अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	8.9	2.3	0.5	0.2	6.9	0.7	400.49
50	कपोल को.ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	10.5	3.0	1.1	0.3	5.9	0.9	368.14
51	खामगांव अर्बन को ऑप. बैंक लिमिटेड,खामगांव	-9.9	2.4	0.5	0.2	5.9	0.3	184.48
52	वसावी को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	14.1	4.6	2.7	0.1	3.5	0.2	85.98
53	जोरास्ट्रियन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	16.5	3.2	0.4	1.8	6.1	9.2	677.15

'-': शून्य/नगण्य

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम है।

स्रोत: ओएसएस विवरणियाँ।

परिशिष्ट सारणी V.2: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रुपये में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	परिचालनगत लाभ		करोत्तर निवल लाभ		ब्याज आय	
		2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.2	2.7	0.5	1.1	7.5	7.7
2	अहमदाबाद मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.2	1.9	1.4	1.2	7.0	7.2
3	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बंगलूरू	0.1	1.2	0.1	1.0	3.5	3.6
4	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	2.1	2.6	1.5	1.4	10.1	9.6
5	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.4	3.0	1.3	2.8	8.5	8.5
6	भारत को-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	0.9	0.7	-0.1	-0.2	2.1	2.4
7	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	1.3	1.3	0.6	0.7	7.8	7.7
8	बॉम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.2	2.2	0.3	0.6	5.0	5.3
9	चारमीनार को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	-0.7	-0.1	-0.7	-0.1	3.4	1.0
10	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.4	1.6	0.7	0.9	7.0	7.8
11	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	1.4	1.6	0.6	1.0	8.3	7.3
12	डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	2.2	2.8	1.2	1.1	7.8	8.3
13	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.9	2.0	0.7	1.0	8.3	8.3
14	गोपीनाथ पाटील पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	2.3	2.3	1.3	1.2	7.5	7.6
15	ग्रेटर बाँबे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.9	1.1	0.5	0.7	7.5	8.3
16	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, लखनऊ	0.79	2.56	-15	0.76	26.8	30.3
17	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	1.4	1.1	0.4	0.6	6.9	7.0
18	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	0.2	0.8	0.8	1.6	7.8	8.2
19	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, नासिक	-1.0	0.3	-6.6	-2.8	3.7	4.8
20	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	1.5	1.7	0.6	1.3	8.2	8.0
21	कालापन्ना आवडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	0.8	1.2	0.4	0.6	8.2	7.8
22	कालूपुर कमर्शियल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	1.7	2.1	1.0	2.1	6.8	6.6
23	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	1.9	2.3	0.9	1.4	7.5	7.6
24	कराड अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.0	1.3	0.4	0.5	8.5	8.7
25	माधवपुरा मर्केंटाईल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-0.8	-0.59	0.9	0.07	0.4	0.5
26	महानगर को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.3	1.3	0.7	0.6	7.9	8.1
27	मापुसा अर्बन को. ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा	-	0.8	1.1	0.9	7.0	6.9
28	महेसाना अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.8	2.2	0.8	0.9	8.3	8.5
29	नगर अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	1.5	1.8	0.5	0.7	8.4	8.9
30	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	0.8	1.1	0.3	0.4	7.5	8.1
31	नासिक मर्चेंट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.8	2.9	1.7	1.7	8.6	8.4
32	न्यू इंडिया को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	0.8	1.4	0.7	0.8	8.6	8.1
33	एनकेजीएसबी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.4	1.5	1.1	1.1	8.4	8.3
34	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	0.8	0.6	0.6	0.6	7.5	7.3
35	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	0.4	1.1	-0.4	0.3	7.9	8.5
36	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.0	1.9	0.9	0.8	8.0	8.6
37	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	1.5	1.6	1.0	1.0	7.6	5.7
38	रुपी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-1.0	-0.5	-1.3	-2	3.7	3.6
39	सांगली अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.2	1.3	0.6	0.6	7.5	7.4
40	सारस्वत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.0	1.7	0.6	1.0	6.4	7.2
41	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.4	1.9	1.0	0.7	7.2	6.8
42	शामराव विठ्ठल को.ऑप. बैंक लिमिटेड	2.1	4.4	1.0	2.5	8.6	14.7
43	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपूर	0.1	1.2	-0.8	-0.6	5.7	6.4
44	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	1.1	1.8	0.6	0.8	8.8	8.9
45	सूरत पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.5	2.5	0.6	0.8	8.1	8.7
46	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	0.3	1.1	0.2	0.7	7.7	8.3
47	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.2	2.2	1.2	1.1	8.4	8.1
48	अकोला-जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	0.7	1.5	0.1	0.5	8.4	8.4
49	अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	0.7	1.5	0.1	0.2	8.4	7.9
50	कपोल को.ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	0.4	1.1	0.1	0.3	8.0	8.3
51	खामगांव अर्बन को ऑप. बैंक लिमिटेड,खामगांव	-1.8	0.6	-5.1	0.2	6.9	7.0
52	वसावी को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	0.2	1.3	0.1	0.1	4.3	4.4
53	जोरास्ट्रियन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	0.7	1.8	0.4	1.8	8.3	8.4

परिशिष्ट सारणी V.2: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक *(समाप्त)*

(मार्च के अंत में)

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रुपये में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	ब्याज व्यय		प्रावधान तथा आकस्मितताएं		परिचालनगत कुल व्यय		स्प्रेड	
		2009-10	2010-11	2009-10	2010-11 P	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16
1	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.5	4.3	0.3	0.4	7.1	6.3	3.0	3.4
2	अहमदाबाद मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.3	3.2	0.2	0.1	5.1	5.6	3.8	4.0
3	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बंगलूरू	2.6	2.3	-	0.2	4.2	3.7	0.9	1.4
4	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	5.9	5.1	0.1	0.6	8.2	7.2	4.2	4.5
5	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.3	4.6	0.5	0.2	6.4	5.7	3.3	3.9
6	भारत को-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	1.6	1.3	0.3	0.2	2.2	1.9	0.6	1.0
7	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	5.0	4.8	0.7	0.6	7.0	6.7	2.9	2.9
8	बॉम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.0	3.0	0.7	0.4	4.8	4.9	2.0	2.4
9	चारमीनार को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	3.8	1.3	-	-	4.7	2.8	-0.4	-0.3
10	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.7	4.9	0.4	0.4	6.2	6.4	2.2	2.8
11	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	6.1	4.8	0.6	0.2	7.7	6.4	2.1	2.5
12	डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	5	4.6	0.7	1.1	6.7	6.3	2.8	3.7
13	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.8	4.4	0.7	0.5	6.7	6.5	3.5	4.0
14	गोपीनाथ पाटील पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	3.4	3.5	0.3	0.4	5.4	5.5	4.1	4.1
15	ग्रेटर बॉबे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.8	5.7	0.4	0.3	8.1	8.3	1.7	2.6
16	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, लखनऊ	24.61	25.8	15.8	0.4	30.1	32.65	0.5	1.0
17	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.0	4.7	0.9	0.5	6.9	6.9	1.9	2.3
18	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.9	5.5	-	0.1	8.2	7.9	1.9	2.7
19	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, नासिक	3.8	3.7	5.5	3.1	4.9	4.7	-0.1	1.1
20	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	6.0	5.3	0.6	0.3	7.6	6.7	2.2	2.7
21	कालापन्ना आवडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.5	4.7	0.2	0.3	7.7	6.9	2.6	3.1
22	कालूपुर कमर्शियल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	4.5	3.7	0.2	-	5.7	5.0	2.3	2.9
23	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	4.4	4.3	0.5	0.4	6.5	6.5	3.1	3.3
24	कराड अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	6.0	5.5	0.3	0.4	8.2	8	2.5	3.2
25	माधवपुरा मर्केंटाईल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.02	1	-	-	1.24	1.1	-0.58	-0.5
26	महानगर को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.5	4.8	0.6	0.3	7.1	7.2	3.4	3.3
27	मापुसा अर्बन को. ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा	5.4	4.9	0.1	-	7.6	7.1	1.7	2.0
28	महेसाना अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.7	5.5	0.4	0.6	6.9	6.7	2.6	3.0
29	नगर अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	5.1	5.0	0.7	0.5	7.3	7.5	3.3	3.9
30	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	5.3	4.9	0.4	0.5	8.1	7.7	2.2	3.2
31	नासिक मर्चेंट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.6	3.5	0.4	0.5	6.2	5.9	4.9	4.9
32	न्यू इंडिया को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.9	4.9	-	0.4	7.8	7.6	3.7	3.2
33	एनकेजीएसबी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	6.2	5.7	-	-	7.8	7.1	2.2	2.6
34	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	5.0	4.2	-	-	7.7	7.4	2.5	3.0
35	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	5.8	5.4	0.8	0.8	7.8	7.8	2.1	3.1
36	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.9	5.3	0.2	0.2	7.1	7.6	3.1	3.3
37	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	5.2	3.4	0.4	0.3	6.7	4.5	2.4	2.3
38	रुपी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.6	2.9	0.2	1.5	5.1	4.4	0.1	0.8
39	सांगली अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.0	4.7	0.6	0.8	7.3	7.0	2.5	2.7
40	सारस्वत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.0	4.7	0.2	0.3	6.6	6.3	1.4	2.5
41	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.0	3.2	0.7	0.7	5.0	5.1	4.2	3.6
42	शामराव विठ्ठल को.ऑप. बैंक लिमिटेड	5.8	9.1	0.4	0.7	7.5	11.7	2.7	5.6
43	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपूर	4.1	3.5	0.8	0.6	6	5.5	1.6	2.9
44	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.7	5.2	0.2	0.5	8.1	7.6	3.1	3.7
45	सूरत पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.8	4.7	0.5	1.6	6.9	6.7	3.2	4.0
46	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	5.8	5.2	0.1	0.2	8.2	7.8	1.9	3.1
47	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.2	4.8	0.2	0.4	7.1	6.5	3.2	3.3
48	अकोला जनता कमर्शियल को.ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	6.6	5.5	0.6	0.8	8.2	7.3	1.8	2.9
49	अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	7.1	5.7	0.5	1.0	8.1	6.8	1.4	2.2
50	कपोल को.ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.8	5.4	0.1	0.2	8.8	8.2	2.2	3.0
51	खामगांव अर्बन को ऑप. बैंक लिमिटेड,खामगांव	6.9	4.9	3.2	0.4	9.2	6.7	0.1	2.1
52	वसावी को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	2.0	2.1	-	0.9	4.3	4.6	2.3	2.3
53	जोरास्ट्रियन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.9	5.2	0.1	-	8.1	7.2	2.4	3.2

'-': शून्य/नगण्य

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: ओएसएस विवरणियाँ।

परिशिष्ट सारणी V.3: शहरी सहकारी बैंकों का राज्यवार वितरण

(मार्च 2011 के अंत में)

क्रम सं.	राज्य	शहरी सहकारी बैंको की कुल संख्या	शाखाओं की कुल संख्या (प्रधान कार्यालय और शाखाओं सहित)	एक्सटेंशन काउंटरों की कुल संख्या	एटीएम की कुल संख्या	उन जिलों की संख्या जहां यूसीबी की शाखा है	जन जिलों की संख्या जहां यूसीबी की शाखा नहीं है	जमाराशियां (करोड़ रुपये)	अग्रिम (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	106	260	6	3	21	2	5,348	3,963
2.	असम	8	22		0	5	22	438	187
3.	बिहार	3	5	1	1	2	22	65	33
4.	छत्तीसगढ़	12	22	2	0	8	10	369	120
5.	दिल्ली	15	79	1	0	1	0	1,563	854
6.	गोवा	6	66	1	0	2	0	1,696	1,019
7.	गुजरात	243	853	2	70	24	1	22,422	13,250
8.	हरियाणा	7	17	1	0	7	13	397	219
9.	हिमाचल प्रदेश	5	9	1	0	3	3	346	193
10.	जम्मू और कश्मीर	4	19	4	0	6	16	307	156
11.	झारखंड	2	2		0	2	36	17	9
12.	कर्नाटक	268	840	9	18	30		14,333	9,602
13.	केरल	60	358	2	1	14	0	5,522	3,844
14.	मध्य प्रदेश	52	90	1	0	23	26	1,317	624
15.	महाराष्ट्र	539	4,526	117	1,003	35	0	1,38,124	90,260
16.	मणिपुर	3	10	1	0	2	7	176	80
17.	मेघालय	3	4		0	3	4	106	49
18.	मिजोरम	1	1		0	1	7	23	8
19.	उड़ीसा	12	46	4	0	13	17	1,017	578
20.	पुदुचेरी	1	6	0	0	1	3	122	100
21.	पंजाब	4	19	1	0	2	18	717	356
22.	राजस्थान	39	200	3	3	23	10	3,711	2,159
23.	सिक्किम	1	3			2	2	13	9
24.	तमिलनाडु	129	313	0	4	32	0	4,822	3,773
25.	त्रिपुरा	1	2		0	2	3	1	9
26.	उत्तर प्रदेश	70	242	19	9	39	33	4,052	1,953
27.	उत्तराखंड	5	61	2	3	8	5	2,037	1,340
28.	पश्चिम बंगाल	46	103	2	3	11	8	2,969	1,593
	अखिल भारतीय	**1,645**	**8,178**	**180**	**1,118**	**322**	**268**	**2,12,031**	**1,36,341**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

परिशिष्ट सारणी V.4: राज्य सहकारी बैंकों के कार्यशील परिणाम - क्षेत्रवार और राज्यवार

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रूपये में)

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य	लाभ / हानि की राशि		कुल अनर्जक आस्तियां		बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां		मांग की तुलना में वसूली (जून अंत के अनुसार प्रतिशत)	
		2009	2010 अ	2009	2010 अ	2009	2010 अ	2009	2010 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उत्तरी क्षेत्र	**106**	**72**	**347**	**364**	**3.1**	**3.2**	**97.3**	**97.9**
1.	चंड़ीगढ़	7	3	6	9	11.9	15.6	61.9	60.9
2.	दिल्ली	32	26	35	30	10.8	9.4	92.4	89.0
3.	हरियाणा	11	-14	2	2	0.1	0.1	97.7	99.9
4.	हिमाचल प्रदेश	28	36	197	217	14.1	13.2	85.5	80.0
5.	जम्मू और कश्मीर	0	0	19	17	21.4	19.1	56.7	58.3
6.	पंजाब	12	8	55	56	1.2	1.2	99.2	99.2
7.	राजस्थान	16	13	33	33	1.9	1.8	96.5	97.1
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**18**	**68**	**435**	**455**	**37.4**	**36.1**	**49.2**	**45.5**
8.	अरुणाचल प्रदेश	3	9	96	110	79.7	99.9	11.8	14.4
9.	असम	-1	6	119	112	38.3	34.6	68.7	64.3
10.	मणिपुर	9	9	84	105	58.0	69.1	43.7	19.6
11.	मेघालय	15	19	37	40	17.7	15.0	21.0	20.1
12.	मिजोरम	2	2	22	24	17.0	18.9	75.3	75.3
13.	नागालैंड	-13	1	29	29	45.5	41.9	70.4	67.1
14.	सिक्किम	1	2	2	2	7.0	7.0	62.2	62.2
15.	त्रिपुरा	2	20	46	33	29.7	18.1	64.6	65.7
	पूर्वी क्षेत्र	**33**	**33**	**468**	**386**	**9.6**	**7.1**	**87.2**	**91.6**
16.	अंडमान और निकोबार	2	2	15	29	12.7	20.0	74.8	59.2
17.	बिहार	6	6	229	154	37.3	24.2	46.3	72.1
18.	उड़ीसा	10	10	136	115	6.9	4.6	95.6	96.7
19.	पश्चिम बंगाल	15	15	88	88	4.0	4.0	91.1	91.1
	मध्य क्षेत्र	**68**	**45**	**607**	**470**	**10.0**	**7.3**	**93.0**	**92.4**
20.	छत्तीसगढ़	2	5	63	63	16.7	10.1	59.2	80.0
21.	मध्य प्रदेश	30	18	92	59	4.0	2.4	96.2	96.9
22.	उत्तर प्रदेश	35	20	443	317	13.6	10.3	92.9	90.2
23.	उत्तराखंड	1	2	9	31	6.3	12.4	91.7	97.4
	पश्चिमी क्षेत्र	**-34**	**64**	**2,268**	**1,927**	**20.1**	**18.4**	**83.3**	**81.6**
24.	गोवा	1	1	61	61	12.3	10.9	80.3	80.7
25.	गुजरात	-53	60	300	195	16.9	10.2	86.8	87.2
26.	महाराष्ट्र	18	3	1,907	1,671	21.8	20.9	82.2	79.6
	दक्षिणी क्षेत्र	**127**	**-29**	**1,600**	**751**	**11.3**	**5.3**	**95.0**	**93.9**
27.	आंध्र प्रदेश	61	137	948	40	20.2	1.0	93.3	88.9
28.	कर्नाटक	13	9	192	137	5.5	4.4	95.3	97.6
29.	केरल	20	-194	338	394	14.0	19.2	88.8	81.8
30.	पुदुचेरी	-1	0	19	15	8.9	6.2	90.8	92.0
31.	तमिलनाडु	34	19	103	165	3.1	3.6	99.8	99.8
	अखिल भारतीय	**318**	**253**	**5,725**	**4,353**	**11.8**	**8.8**	**91.8**	**91.8**

अ: अनंतिम

टिप्पणी: 1. बिहार, केरल, मणिपुर और पश्चिम बंगाल राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों के 2010 के आंकड़े वही हैं जो पिछले वर्ष थे।

2. झारखंड राज्य सहकारी बैंक ने अभी तक कार्य करना शुरू नहीं किया है, अत: इसे शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत: नाबार्ड

परिशिष्ट सारणी V.5: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के क्षेत्रवार और राज्यवार कार्यशील परिणाम

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	2009					2010					2008-09			2009-10		
		रिपोर्ट करनेवाले डीसीसीबी की संख्या	लाभ		हानि		रिपोर्ट करनेवाले डीसीसीबी की संख्या	लाभ		हानि		कुल अनर्जक आस्तियां	कर्ज की तुलना में एनपीए अनुपात (प्रतिशत)	जून के अंत में मांग की तुलना में वसूली (प्रतिशत)	कुल अनर्जक आस्तियां	कर्ज की तुलना में एनपीए अनुपात (प्रतिशत)	जून के अंत में मांग की (तुलना में वसूली (प्रतिशत)
			डीसीसीबी की संख्या	राशि	डीसीसीबी की संख्या	राशि		डीसीसीबी की संख्या	राशि	डीसीसीबी की संख्या	राशि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	उत्तरी क्षेत्र	**73**	**69**	**148**	**4**	**28**	**73**	**65**	**112**	**8**	**35**	**1,807**	**6.6**	**77.8**	**1,812**	**8.9**	**79.6**
1	हरियाणा	19	18	31	1	9	19	15	9	4	19	535	9.6	61.4	587	10.2	63.7
2	हिमाचल प्रदेश	2	2	50	-	-	2	2	48	-	-	112	7.7	84.4	129	7.8	87.4
3	जम्मू और कश्मीर	3	2	1	1	7	3	2	1	1	3	83	17.9	61.6	76	14.8	73.3
4	पंजाब	20	19	38	1	2	20	18	32	2	9	540	7.3	91.2	562	7.0	92.5
5	राजस्थान	29	28	28	1	10	29	28	22	1	4	537	13.6	79.0	458	10.4	79.0
	पूर्वी क्षेत्र	**64**	**50**	**77**	**14**	**93**	**64**	**46**	**50**	**17**	**115**	**1,136**	**17.7**	**62.7**	**1,136**	**5.1**	**68.4**
6	बिहार	22	13	12	9	23	22	13	12	9	23	339	54.5	50.8	339	54.5	50.8
7	झारखंड	8	5	8	3	2	8	5	3	3	14	101	75.9	17.2	101	75.9	17.2
8	उड़ीसा	17	15	29	2	37	17	14	7	2	47	289	9.3	59.6	289	1.5	69.6
9	पश्चिम बंगाल	17	17	28	-	31	17	14	28	3	31	407	16.0	75.6	407	16.0	75.6
	मध्य क्षेत्र	**104**	**90**	**294**	**14**	**43**	**104**	**95**	**305**	**9**	**38**	**3,357**	**27.7**	**63.7**	**3,135**	**24.7**	**68.0**
10	छत्तीसगढ़	6	6	40	-	-	6	6	44	-	-	236	24.7	69.5	242	23.1	72.1
11	मध्य प्रदेश	38	37	122	1	4	38	38	119	-	-	1,583	29.2	65.2	1,496	24.9	68.3
12	उत्तर प्रदेश	50	37	91	13	39	50	41	102	9	38	1,387	30.0	57.8	1,233	27.9	63.6
13	उत्तराखंड	10	10	41	-	-	10	10	40	-	-	151	13.7	83.4	164	13.7	87.4
	पश्चिमी क्षेत्र	**49**	**41**	**573**	**8**	**55**	**49**	**42**	**593**	**7**	**322**	**6,502**	**15.3**	**66.8**	**5,597**	**17.7**	**71.8**
14	गुजरात	18	14	101	4	18	18	17	113	1	3	1,116	18.1	74.7	994	15.9	75.6
15	महाराष्ट्र	31	27	472	4	37	31	25	480	6	319	5,386	23.5	63.8	4,603	18.1	70.6
	दक्षिणी क्षेत्र	**80**	**74**	**503**	**6**	**22**	**80**	**74**	**600**	**6**	**14**	**5,187**	**15.6**	**80.6**	**4,553**	**11.6**	**82.4**
16	आंध्र प्रदेश	22	19	213	3	11	22	22	134	-	-	1,237	20.4	74.2	785	12.6	78.9
17	कर्नाटक	21	21	70	-	-	21	18	85	3	6	773	12.9	81.6	740	10.9	74.5
18	केरल	14	13	31	1	1	14	11	27	3	8	1,285	13.5	87.0	1,442	12.4	87.8
19	तमिलनाडु	23	21	189	2	10	23	23	354	-	-	1,892	15.3	82.2	1,586	10.9	86.5
	अखिल भारतीय	**370**	**324**	**1,595**	**46**	**241**	**370**	**322**	**1,660**	**47**	**524**	**17,989**	**17.9**	**72.7**	**16,233**	**12.9**	**75.7**

'-': शून्य/नगण्य

टिप्पणी: 1. 2010 के आंकड़े अनंतिम हैं।

2. वर्ष 2009-10 में उड़ीसा का एक मध्यवर्ती बैंक न लाभ न हानि की स्थिति में था।

3. डीसीसीबी के बिहार और पश्चिम बंगाल के वर्ष 2009-10 के लाभ तथा हानि के आंकड़े वही है जो पिछले वर्ष थे ।

स्रोत: नाबार्ड

परिशिष्ट सारणी V.6: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार *(जारी)*

(31 मार्च 2010 को)

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	पीएसी एस की संख्या	जमा राशियां (करोड़ रुपये)	उधार (करोड़ रुपये)	कार्यशील पूंजी (करोड़ रुपये)	जारी कर्ज तथा अग्रिम (करोड़ रुपये)		बकाया उधार तथा अग्रिम (करोड़ रुपये)		लाभ वाली समितियां	
						अल्पावधि	मध्यावधि	कृषि	कृषेतर	संख्या	राशि (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	उत्तरी क्षेत्र	**12,623**	**2,781**	**11,413**	**20,336**	**13,401**	**282**	**7,441**	**542**	**7,767**	**156**
1.	चंड़ीगढ़	16	0.03	0.09	0.23	0.03	0.10	-	0.05	15	0.03
2	हरियाणा	628	371	4,485	6,992	4,279	38	4,443	389	33	2
3	हिमाचल प्रदेश	2,097	1,191	64	1,577	1	26	34	-	1,650	17
4	जम्मू और कश्मीर	765	1	37	79	10	3	22	1	275	1
5	पंजाब	3,990	908	4,020	5,901	6,199	54	128	-	2,504	92
6	राजस्थान	5,127	310	2,806	5,787	2,913	162	2,812	152	3,290	44
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**3,583**	**72**	**65**	**378**	**19**	**2**	**40**	**7**	**637**	**82**
7	अरुणाचल प्रदेश	33	-	13	18	-	-	-	-	12	3
8	असम	766	-	-	111	7	1	6	0.30	309	76
9	मणिपुर	204	1	1	4	3	-	5	-	-	-
10	मेघालय	179	3	13	22	3	0.01	10	1	68	0.23
11	मिजोरम	245	-	-	6	1	0.12	1	-	83	1
12	नागालैंड	1,719	64	9	112	2	0.47	2	4	-	-
13	सिक्किम	169	-	2	4	3	0.13	1	0.02	78	-
14	त्रिपुरा	268	4	27	100	0.04	0.07	17	2	87	2
	पूर्वी क्षेत्र	**20,308**	**3,763**	**4,405**	**10,574**	**4,566**	**865**	**4,374**	**150**	**5,110**	**49**
15	अंडमान और निकोबार द्वीप	46	0.44	3	4	3	0.47	3	-	33	0.06
16	बिहार	8,463	67	501	493	353	-	171	-	1,180	6
17	झारखंड	208	13	3	15	1	-	2.64	7.23	60	1
18	उड़ीसा	3,565	2,382	2,332	6,153	3,034	568	2,978	125	1,365	25
19	पश्चिम बंगाल	8,026	1,301	1,566	3,909	1,175	297	1,220	17	2,472	17
	मध्य क्षेत्र	**15,454**	**1,098**	**4,732**	**7,510**	**4,026**	**219**	**3,692**	**281**	**7,419**	**152**
20	छत्तीसगढ़	1,213	250	538	995	578	50	529	52	816	28
21	मध्य प्रदेश	4,633	504	2,914	4,561	2,371	125	2,097	229	1,632	78
22	उत्तराखंड	679	276	310	695	291	32	266	0	435	28
23	उत्तर प्रदेश	8,929	68	971	1,259	786	12	800	0	4,536	18
	पश्चिमी क्षेत्र	**29,082**	**375**	**13,263**	**18,735**	**7,718**	**1,493**	**10,315**	**1,736**	**14,711**	**470**
24	गोवा	79	33	5	58	2	8	5	16	56	0.24
25	गुजरात	7,763	241	3,870	5,741	3,611	307	3,584	35	4,786	86
26	महाराष्ट्र	21,240	100	9,388	12,937	4,106	1,178	6,726	1,686	9,869	384
	दक्षिणी क्षेत्र	**13,597**	**27,198**	**17,885**	**77,658**	**32,220**	**10,126**	**15,261**	**7,926**	**5,292**	**316**
27	आंध्र प्रदेश	2,721	1,153	4,790	34,278	3,007	332	3,644	227	951	23
28	कर्नाटक	4,694	1,618	3,708	6,058	3,159	108	3,198	150	1,909	51
29	केरल	1,608	20,907	2,781	25,952	17,631	8,522	5,692	4,199	772	165
30	पुदुचेरी	52	70	33	129	29	9	10	0.08	23	1
31	तमिलनाडु	4,522	3,450	6,574	11,241	8,395	1,154	2,718	3,350	1,637	76
	अखिल भारतीय	**94,647**	**35,286**	**51,764**	**1,35,191**	**61,951**	**12,987**	**41,123**	**10,642**	**40,936**	**1,226**

परिशिष्ट सारणी V.6: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा संकेतक-राज्यवार *(समाप्त)*

(31 मार्च 2010 को)

क्रम. सं.	क्षेत्र/राज्य	हानिग्रस्त समितियां		अर्थक्षम	संभावित रूप से अर्थक्षम	निष्क्रिय समितियां	अप्रचलित समितियां	अन्य
		संख्या	राशि (करोड़ रुपये)					
1	2	13	14	15	16	17	18	19
	उत्तरी क्षेत्र	**3,718**	**356**	**9,058**	**2,656**	**667**	**223**	**19**
1.	चंडीगढ़	1	-	15	-	1	-	-
2	हरियाणा	595	294	628	-	-	-	-
3	हिमाचल प्रदेश	390	3	443	1,613	24	-	17
4	जम्मू और कश्मीर	356	15	275	173	96	219	2
5	पंजाब	970	13	3,206	290	490	4	
6	राजस्थान	1,406	32	4,491	580	56	-	
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**983**	**109**	**2,052**	**426**	**668**	**435**	**2**
7	अरुणाचल प्रदेश	20	5	11	16	5	1	
8	असम	419	99	709	57	-	-	
9	मणिपुर	108	0.02	195	-	8	1	
10	मेघालय	111	0.29	169	10	-	-	
11	मिजोरम	116	2	93	96	-	54	2
12	नागालैंड	-	-	457	228	655	379	
13	सिक्किम	28	-	158	11	-	-	
14	त्रिपुरा	181	3	260	8	-	-	
	पूर्वी क्षेत्र	**10,870**	**107**	**15,547**	**2,946**	**771**	**532**	**512**
15	अंडमान और निकोबार द्वीप	7	0	39	4	1	2	
16	बिहार	3,962	1	8,463	-	-	-	-
17	झारखंड	0	0	60	85	29	0	34
18	उड़ीसा	2,143	93	2,913	502	27	4	119
19	पश्चिम बंगाल	4,758	13	4,072	2,355	714	526	359
	मध्य क्षेत्र	**5,192**	**250**	**12,066**	**2,654**	**478**	**185**	**71**
20	छत्तीसगढ़	397	8	1,117	96	0	0	
21	मध्य प्रदेश	2,610	230	3,373	1,183	6	0	71
22	उत्तराखंड	217	11	461	106	90	22	
23	उत्तर प्रदेश	1,968	2	7,115	1,269	382	163	
	पश्चिमी क्षेत्र	**13,212**	**597**	**18,409**	**9,711**	**563**	**231**	**168**
24	गोवा	23	0	59	12	8	0	
25	गुजरात	2,310	202	5,027	1,782	555	231	168
26	महाराष्ट्र	10,879	395	13,323	7,917	0	0	
	दक्षिणी क्षेत्र	**7,704**	**946**	**8,408**	**3,979**	**334**	**59**	**817**
27	आंध्र प्रदेश	1,789	476	2,163	546	5	7	
28	कर्नाटक	2,320	73	2,946	1,192	294	50	212
29	केरल	682	123	1,324	226	35	1	22
30	पुदुचेरी	29	6	23	29	0	0	
31	तमिलनाडु	2,884	269	1,952	1,986	0	1	583
	अखिल भारतीय	**41,679**	**2,365**	**65,540**	**22,372**	**3,481**	**1,665**	**1,589**

'-' : शून्य/नगण्य

स्रोत: राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय महासंघ (एनएएफएससीओबी)

परिशिष्ट सारणी V.7: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्यशील परिणाम

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य	शाखाओं की संख्या	लाभ/हानि की राशि		कुल अनर्जक आस्तियां		बकाया उधारों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां		वसूली (प्रतिशत)	
		2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	उत्तरी क्षेत्र	**85**	**69**	**50**	**761**	**899**	**13.9**	**15.6**	**64.9**	**58.0**
1.	हरियाणा @	0	13	5	232	550	13.3	28.5	63.1	46.4
2.	हिमाचल प्रदेश #	33	12	1	102	68	39.0	27.5	49.3	51.4
3.	जम्मू और कश्मीर*	45	-5	-2	7	5	80.1	46.1	20.9	29.0
4.	पंजाब @	0	25	27	1	2	0.04	0.09	80.8	78.9
5.	राजस्थान @	7	24	19	419	274	28.9	18.3	59.2	51.8
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**35**	**-3**	**-3**	**16**	**16**	**52.0**	**51.8**	**53.4**	**54.4**
6.	असम*	30	-3	-3	8	8	78.8	79.7	30.9	36.4
7.	मणिपुर*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	त्रिपुरा*	5	0	0	8	8	39.0	39.0	61.2	61.2
	पूर्वी क्षेत्र	**138**	**-1**	**7**	**369**	**314**	**40.3**	**31.4**	**34.7**	**36.5**
9.	बिहार*	131	-1	-1	59	59	85.3	85.3	1.9	1.9
10.	उड़ीसा @	5	-1	-1	110	110	99.9	99.9	48.9	48.9
11.	पश्चिम बंगाल #	2	1	9	200	145	27.1	17.6	56.7	59.8
	मध्य क्षेत्र	**349**	**207**	**-50**	**1,724**	**2,266**	**39.2**	**49.0**	**35.3**	**37.5**
12.	छत्तीसगढ़ @	0	0	0	89	95	44.5	49.6	42.2	36.2
13.	मध्य प्रदेश @	7	-75	-61	391	486	31.6	40.1	27.4	26.1
14.	उत्तर प्रदेश*	342	282	11	1,244	1,685	42.0	52.4	38.3	43.4
	पश्चिम क्षेत्र	**181**	**22**	**32**	**1,381**	**1,424**	**77.6**	**80.7**	**20.1**	**19.5**
15.	गुजरात*	181	26	36	264	307	43.1	51.4	38.1	37.2
16.	महाराष्ट्र @	0	-4	-4	1,117	1,117	95.7	95.7	13.3	13.3
	दक्षिणी क्षेत्र	**56**	**22**	**-63**	**696**	**723**	**19.0**	**19.2**	**51.7**	**57.9**
17.	कर्नाटक @	23	0	-83	382	395	28.7	28.9	32.4	43.9
18.	केरल @	14	18	18	92	106	5.1	5.6	88.4	92.5
19.	पुदुचेरी*	1	2	0	1	1	10.0	4.9	91.5	95.7
20.	तमिलनाडु @	18	2	2	221	221	41.3	41.3	4.9	4.9
	अखिल भारतीय	**844**	**316**	**-27**	**4,947**	**5,642**	**30.4**	**33.2**	**40.7**	**41.0**

@ संघीय संरचना # संमिश्र संरचना * एकल संरचना

टिप्पणी: 1. 2010 के आंकड़े अनंतिम हैं ।

2. वर्ष 2010 के लिए बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और त्रिपुरा के आंकड़े वही हैं जो पिछले वर्ष थे ।

3. मणिपुर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का कार्य बंद हो चुका है ।

स्रोत: नाबार्ड

परिशिष्ट सारणी V.8: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्यशील परिणाम

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	2008-09				2009-10				अनर्जक आस्तियां		बकाया उधार के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां		वसूली (प्रतिशत) जून के अंत में	
		लाभ		हानि		लाभ		हानि							
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	उत्तरी क्षेत्र	**99**	**72**	**46**	**76**	**105**	**52**	**40**	**204**	**1,881**	**2,288**	**35.3**	**34.7**	**39.1**	**41.2**
1.	हरियाणा	4	25	15	45	0	0	19	166	661	952	38.2	49.9	22.3	27.1
2.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	3	1	2	0	0	26	28	35.5	38.3	59.2	61.3
3.	पंजाब	64	25	25	16	80	38	9	4	795	762	35.2	37.3	57.6	59.4
4	राजस्थान	31	22	5	12	24	12	12	34	399	546	28.7	38.3	40.1	37.8
	मध्य क्षेत्र	**23**	**24**	**27**	**69**	**16**	**2**	**34**	**36**	**746**	**623**	**63.2**	**56.7**	**37.6**	**37.5**
5.	छत्तीसगढ़	6	0	6	3	3	0	9	6	72	73	42.1	46.1	49.5	52.9
6.	मध्य प्रदेश	17	24	21	66	13	2	25	30	674	550	66.8	58.5	36.0	35.3
	पूर्वी क्षेत्र	**50**	**15**	**19**	**5**	**11**	**2**	**54**	**37**	**250**	**175**	**37.7**	**23.1**	**56.3**	**46.3**
7.	उड़ीसा	32	1	14	3	4	1	39	18	30	30	97.5	97.5	48.5	48.5
8.	पश्चिम बंगाल	18	14	5	2	7	1	15	19	220	145	34.8	20.0	61.0	44.9
	पश्चिमी क्षेत्र	**4**	**6**	**25**	**132**	**0**	**0**	**29**	**184**	**614**	**481**	**95.9**	**98.8**	**8.0**	**20.8**
9.	महाराष्ट्र	4	6	25	132	0	0	29	184	614	481	95.9	98.8	8.0	20.8
	दक्षिणी क्षेत्र	**167**	**71**	**236**	**60**	**144**	**67**	**259**	**77**	**1,252**	**1,274**	**36.6**	**35.4**	**50.1**	**48.2**
10.	कर्नाटक	79	26	98	39	56	22	121	56	408	457	33.0	35.8	49.0	43.9
11.	केरल	39	36	7	1	39	36	7	1	690	663	37.9	33.9	61.1	66.9
12.	तमिलनाडु	49	9	131	20	49	9	131	20	154	154	42.2	42.2	12.1	12.1
	अखिल भारतीय	**343**	**188**	**353**	**342**	**276**	**123**	**416**	**538**	**4,743**	**4,841**	**42.2**	**42.0**	**39.5**	**41.5**

टिप्पणी: 2010 के आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.9: ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृतियां और संवितरण - राज्यवार *(जारी)*

(मार्च 2011 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य का नाम / क्षेत्र	ग्राबुसुविनि I		ग्राबुसुविनि II		ग्राबुसुविनि III		ग्राबुसुविनि IV		ग्राबुसुविनि V		ग्राबुसुविनि VI	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अखिल भारतीय	**1,906**	**1,761**	**2,636**	**2,398**	**2,733**	**2,454**	**2,903**	**2,482**	**3,435**	**3,055**	**4,489**	**4,071**
दक्षिणी क्षेत्र	**499**	**460**	**865**	**780**	**752**	**673**	**702**	**640**	**925**	**856**	**1,279**	**1,174**
आंध्र प्रदेश	227	215	337	308	282	252	287	273	379	359	559	511
कर्नाटक	176	159	195	180	171	162	172	167	173	165	292	275
केरल	96	86	87	73	89	74	64	57	127	117	175	159
तमिलनाडु			246	219	209	186	179	143	246	216	253	229
पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश												
पश्चिमी क्षेत्र	**345**	**322**	**359**	**319**	**408**	**381**	**426**	**380**	**572**	**511**	**964**	**881**
गोवा	7	7					9	9			19	9
गुजरात	151	145	127	114	154	135	115	91	222	179	506	462
महाराष्ट्र	187	170	232	204	254	246	302	280	350	332	439	410
उत्तरी क्षेत्र	**527**	**499**	**792**	**713**	**838**	**753**	**935**	**749**	**868**	**810**	**1,070**	**1,006**
हरियाणा	27	19	64	62	67	62	53	48	90	80	65	62
हिमाचल प्रदेश	14	14	53	53	51	49	88	79	110	108	127	128
जम्मू और कश्मीर	6	6			36	24	107	103	111	109	162	155
पंजाब	61	61	63	62	89	85	96	75	103	91	229	200
राजस्थान	124	117	152	129	158	140	64	49	132	120	254	245
उत्तर प्रदेश	296	282	461	407	414	389	475	389	317	300	233	218
उत्तराखंड	0	0	0	0	22	2	51	6	5	0	0	0
मध्य क्षेत्र	**241**	**215**	**250**	**239**	**280**	**262**	**242**	**218**	**263**	**245**	**372**	**310**
छत्तीसगढ़	82	78	10	6	57	58	69	65	34	32	51	43
मध्य प्रदेश	159	137	241	233	223	204	173	153	229	213	321	267
पूर्वी क्षेत्र	**286**	**257**	**307**	**286**	**432**	**363**	**481**	**392**	**442**	**363**	**512**	**442**
बिहार	22	13	0	0	58	27	0	0	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	0	4	2	119	82	91	82	0	0
उड़ीसा	170	162	151	141	199	172	149	117	128	100	104	86
पश्चिम बंगाल	95	82	156	145	171	161	214	193	222	181	408	356
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**9**	**8**	**63**	**61**	**23**	**23**	**117**	**103**	**364**	**270**	**291**	**258**
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	25	23	103	92
असम	0	0	63	61	16	16	65	52	186	117	50	45
मणिपुर	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
मेघालय	3	3	0	0	7	7	9	9	31	31	30	29
मिजोरम	2	2	0	0	0	0	0	0	54	54	4	4
नगालैंड	1	1	0	0	0	0	0	0	16	14	56	48
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	21	21	9	9	5	5
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	22	21	44	22	35	28

परिशिष्ट सारणी V.9: ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृतियां और संवितरण - राज्यवार *(जारी)*

(मार्च 2011 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य का नाम / क्षेत्र	ग्राबुसुविनि VII		ग्राबुसुविनि VIII		ग्राबुसुविनि IX		ग्राबुसुविनि X		ग्राबुसुविनि XI		ग्राबुसुविनि XII	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
अखिल भारतीय	**4,582**	**4,053**	**5,950**	**5,149**	**5,638**	**4,916**	**7,651**	**6,569**	**8,311**	**7,010**	**10,377**	**8,001**
दक्षिणी क्षेत्र	**1,388**	**1,256**	**1,706**	**1,480**	**1,783**	**1,481**	**2,817**	**2,343**	**2,525**	**2,126**	**2,286**	**1,962**
आंध्र प्रदेश	609	558	904	752	856	651	1,533	1,229	1,267	1,082	744	607
कर्नाटक	235	212	220	202	290	261	407	372	449	405	483	433
केरल	192	159	194	168	90	74	219	178	205	134	261	190
तमिलनाडु	353	327	388	358	548	494	658	563	604	504	799	732
पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश							0	0	0	0	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	**586**	**471**	**743**	**690**	**966**	**954**	**1,396**	**1,350**	**992**	**812**	**1,329**	**781**
गोवा	16	10	16	10	0	0	0	0		0	0	0
गुजरात	41	22	284	284	899	899	1,312	1,275	891	778	816	346
महाराष्ट्र	530	439	443	396	67	55	84	75	101	34	513	435
उत्तरी क्षेत्र	**1,439**	**1,360**	**1,558**	**1,407**	**1,386**	**1,264**	**1,720**	**1,542**	**2,202**	**1,948**	**3,346**	**2,915**
हरियाणा	150	140	267	239	153	125	166	153	178	164	249	235
हिमाचल प्रदेश	168	175	169	154	142	112	92	79	225	194	273	203
जम्मू और कश्मीर	217	207	176	158	154	147	49	47	80	80	461	426
पंजाब	232	206	206	198	287	254	311	286	283	269	553	481
राजस्थान	375	347	347	281	140	125	313	241	592	488	742	617
उत्तर प्रदेश	298	269	323	311	218	212	481	444	788	701	1,035	923
उत्तराखंड	0	16	70	65	292	289	308	291	57	53	32	31
मध्य क्षेत्र	**396**	**322**	**823**	**736**	**708**	**570**	**583**	**500**	**497**	**419**	**766**	**631**
छत्तीसगढ़	85	70	282	242	433	351	53	39	108	86	38	31
मध्य प्रदेश	311	253	540	494	275	219	531	461	389	333	729	600
पूर्वी क्षेत्र	**672**	**544**	**964**	**704**	**538**	**445**	**1,051**	**753**	**1,423**	**1,149**	**1,975**	**1,220**
बिहार	58	38	199	161	97	62	75	52	459	406	631	200
झारखंड	0	0	0	0	49	39	174	113	107	89	331	240
उड़ीसा	149	137	247	211	185	156	376	285	397	293	500	420
पश्चिम बंगाल	464	369	519	332	207	189	426	303	459	360	513	360
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**101**	**99**	**156**	**131**	**257**	**203**	**84**	**81**	**671**	**557**	**674**	**491**
अरुणाचल प्रदेश	69	69	0	0	15	12	26	24	149	93	142	108
असम	0	0	76	62	190	141	14	13	402	376	283	207
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	1	0	28	0	16	16
मेघालय	18	17	16	15	16	14	0	0	32	28	24	22
मिजोरम	7	7	2	2	14	14	7	7	19	19	8	8
नगालैंड	1	1	7	7	17	17	29	28	34	34	25	21
सिक्किम	5	5	5	5	3	3	8	8	6	6	16	16
त्रिपुरा	0	0	50	41	3	3	0	0	0	0	161	93

परिशिष्ट सारणी V.9: ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृतियां और संवितरण - राज्यवार *(समाप्त)*

(मार्च 2011 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य का नाम / क्षेत्र	ग्राबुसुविनि XIII		ग्राबुसुविनि XIV		ग्राबुसुविनि XV		ग्राबुसुविनि XVI		राज्य का कुल	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
अखिल भारतीय	**12,614**	**8,969**	**14,726**	**9,253**	**15,623**	**6,629**	**18,315**	**3,731**	**1,21,888**	**80,500**
दक्षिणी क्षेत्र	**3,482**	**2,574**	**3,469**	**2,150**	**3,140**	**1,264**	**3,770**	**687**	**31,388**	**21,906**
आंध्र प्रदेश	1,266	803	1,333	718	1,185	395	1,237	272	13,005	8,985
कर्नाटक	961	654	674	396	657	178	861	20	6,416	4,241
केरल	298	261	501	313	370	143	532	116	3,499	2,302
तमिलनाडु	957	856	905	677	850	520	1,034	275	8,229	6,298
पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश	0	0	55	47	79	28	106	4	239	78
पश्चिमी क्षेत्र	**1,760**	**1,388**	**2,293**	**1,727**	**2,034**	**1,012**	**2,345**	**822**	**17,518**	**12,801**
गोवा	27	16	86	86	149	105	57	46	385	298
गुजरात	649	500	1,085	870	972	537	1,163	528	9,386	7,167
महाराष्ट्र	1,084	872	1,123	771	914	369	1,125	248	7,747	5,336
उत्तरी क्षेत्र	**3,466**	**2,708**	**3,919**	**2,733**	**4,987**	**2,324**	**6,022**	**1,458**	**35,075**	**24,188**
हरियाणा	221	190	274	159	531	193	487	89	3,042	2,019
हिमाचल प्रदेश	299	159	425	220	454	170	424	118	3,115	2,015
जम्मू और कश्मीर	602	430	342	226	654	317	903	102	4,059	2,537
पंजाब	336	291	525	365	553	264	602	175	4,527	3,362
राजस्थान	778	611	1,100	809	1,005	433	1,300	446	7,575	5,197
उत्तर प्रदेश	1,092	917	952	753	1,364	744	1,569	407	10,317	7,667
उत्तराखंड	138	111	300	201	426	202	738	121	2,440	1,390
मध्य क्षेत्र	**1,330**	**628**	**1,047**	**390**	**1,261**	**484**	**1,320**	**200**	**10,379**	**6,368**
छत्तीसगढ़	69	54	72	50	86	55	121	5	1,648	1,264
मध्य प्रदेश	1,261	573	975	340	1,176	429	1,200	196	8,731	5,104
पूर्वी क्षेत्र	**2,169**	**1,452**	**3,052**	**1,894**	**3,125**	**1,225**	**3,771**	**456**	**21,201**	**11,944**
बिहार	589	459	752	404	877	339	1,090	265	4,907	2,425
झारखंड	407	289	631	507	567	298	623	0	3,104	1,741
उड़ीसा	509	312	849	464	760	236	898	38	5,771	3,331
पश्चिम बंगाल	665	392	820	519	922	353	1,160	153	7,420	4,447
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**407**	**219**	**946**	**359**	**1,076**	**321**	**1,086**	**108**	**6,328**	**3,293**
अरुणाचल प्रदेश	29	14	122	54	56	22	0	0	736	510
असम	88	49	113	63	300	100	284	46	2,130	1,347
मणिपुर	0	0	0	0	4	0	272	30	329	55
मेघालय	57	51	66	48	135	41	143	7	588	322
मिजोरम	22	22	1	1	75	44	146	16	362	201
नगालैंड	15	15	240	49	187	55	79	3	706	293
सिक्किम	42	40	99	53	177	17	78	7	474	195
त्रिपुरा	154	29	305	91	142	43	86	0	1,003	371

टिप्पणी: आंकड़े अनन्तिम हैं ।

स्रोत: नाबार्ड

परिशिष्ट सारणी V.10: किसान क्रेडिट कार्ड योजना - राज्यवार प्रगति

(मार्च 2011 के अंत में)

(राशि करोड़ में और जारी किए गए कार्ड हजार में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सहकारी बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		वाणिज्य बैंक ( )		कुल	
		जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश **	549	378	286	751	1,063	7,556	1,898	8,685
2	असम	0	0	38	168	79	282	117	451
3	अरुणाचल प्रदेश #	0	0	0	0	2	10	2	10
4	बिहार	0	0	262	1,427	305	1,865	567	3,292
5	गुजरात	61	389	11	100	171	1,840	243	2,329
6	गोवा $	1	1	0	0	1	10	2	12
7	हरियाणा	14	91	36	490	98	1,875	148	2,456
8	हिमाचल प्रदेश	11	162	15	140	30	319	57	621
9	जम्मू और कश्मीर	0	1	10	58	6	50	16	109
10	कर्नाटक	124	540	156	997	371	4,078	650	5,615
11	केरल	101	567	21	300	179	1,780	301	2,647
12	मध्य प्रदेश	312	2,714	75	718	239	2,307	627	5,740
13	महाराष्ट्र	118	1,053	8	62	600	3,247	726	4,362
14	मेघालय #	0	0	0	0	4	22	4	22
15	मिजोरम #	0	0	0	2	4	13	4	15
16	मणिपुर #	0	0	0	0	2	11	2	11
17	नागालैंड #	1	1	0	0	3	8	3	9
18	उड़ीसा	318	524	77	209	177	765	571	1,497
19	पंजाब	32	313	23	759	159	4,655	213	5,727
20	राजस्थान	450	1,920	82	1,986	311	4,270	843	8,176
21	सिक्किम #$	0	0	0	0	1	11	1	11
22	तमिलनाडु	188	734	27	64	614	5,776	828	6,573
23	त्रिपुरा #	5	8	13	25	13	47	32	80
24	उत्तर प्रदेश	231	424	369	2,179	748	7,092	1,348	9,694
25	पश्चिम बंगाल	97	336	156	675	196	929	449	1,940
26	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह #$	0	0	0	0	0	2	0	3
27	चंदीगढ़ #$	0	0	0	0	4	22	4	22
28	दमन और दीव @#$	0	0	0	0	0	2	0	2
29	नई दिल्ली #$	0	1	0	0	2	27	2	28
30	दादरा और नगर हवेली @$	0	0	0	0	0	5	0	5
31	लक्षद्वीप @$	0	0	0	0	0	0	0	0
32	पुदुचेरी #	0	1	0	0	9	86	10	87
33	झारखंड**	0	0	51	106	104	515	155	621
34	छत्तीसगढ़	178	486	53	205	42	342	272	1,033
35	उत्तराखंड	21	74	5	46	47	621	73	741
36	अन्य राज्य							0	0
37	वाणिज्य बैंको के संबंध में राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं (1998-99)							0	0
38	**कुल**	**2,812**	**10,719**	**1,774**	**11,468**	**5,582**	**50,438**	**10,169**	**72,625**

राज्य सहकारी बैंक केंद्रीय वित्तीय एजेंसी जैसा कार्य करता है। @ इन संघशासित प्रदेशों में कोई सहकारी बैंक नहीं है । $: इन राज्यों/संघशासित प्रदेशो में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है।

* योजना का कार्यान्वयन करने वाले बैंको की संख्या ** आंकड़े समाधान के अंतर्गत

( ) वाणिज्य बैंकों के आंकड़े 30 सितंबर 2010 तक के हैं।

वर्ष के दौरान तमिलनाडु में सहकारी संस्थाओं द्वारा जारी कार्डों की संख्या 95,089 है और स्वीकृत राशि 25,174 लाख रुपये हैं । तथापि, वर्ष के दौरान तिरूचिरापल्ली, डीसीसीबी द्वारा जारी 2,37,432 कार्डो के घटाने को दर्शाने के लिए उसका अभिशून्यन किया गया है।

स्रोत: नाबार्ड

परिशिष्ट सारणी VI.1: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(राशि करोड़ रुपये में)

संस्थाएं	उधार*				हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान				अन्य #				कुल				2009-10 की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़	
	2009-10		2010-11		2009-10		2010-11		2009-10		2010-11		2009-10		2010-11			
	स्वी	संवि.	स्वी	संवि.	स्वी	संवि.	स्वी	संवि.	स्वी	संवि.	स्वी	संवि.	स्वी	संवि.	स्वी	संवि.	स्वी	संवि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अ. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं																		
बैंक (1, 2 तथा 3)	**40,399.4**	**36,730.2**	**53,081.3**	**46,005.0**	**2,128.1**	**1,232.1**	**2,321.4**	**1,188.7**	**24.9**	**25.0**	**29.0**	**30.1**	**42,552.4**	**37,987.3**	**55,431.7**	**47,223.7**	**30.3**	**24.3**
1. आईएफसीआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. सिडबी	5,461	4,989	11,198	7,349	1,546.2	1,056.9	2,010.9	1,050.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,007.2	6,045.4	13,208.5	8,399.4	88.5	38.9
3. आईआईबीआई	34,938.4	31,741.7	41,883.7	38,655.6	581.9	175.2	310.6	138.7	24.9	25.0	29.0	30.1	35,545.2	31,941.9	42,223.2	38,824.3	18.8	21.5
आ.विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं (4, 5 तथा 6)	**536.3**	**266.0**	**800.4**	**427.5**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**590.4**	**320.1**	**881.6**	**508.8**	**49.3**	**58.9**
4. आईवीसीएफ	20.0	26.8	143.4	130.0	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	26.8	143.4	130.0	617.0	385.1
5. आईसीआईसीआई वेंचर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
6. टीएफसीआई	516	239	657	298	5.0	5.0	9.1	9.1	49.1	49.1	72.1	72.1	570.4	293.3	738.2	378.8	29.4	29.1
इ. निवेश संस्थाएं (7 तथा 8)	**13,936.5**	**3,559.0**	**8,623.9**	**3,149.3**	**48,859.6**	**50,102.2**	**36,156.9**	**36,891.3**	**841.4**	**100.6**	**374.0**	**190.5**	**63,637.5**	**53,761.8**	**45,154.8**	**40,231.1**	**-29.0**	**-25.2**
7. एलआईसी	13,896.5	3,519.0	8,623.9	3,149.3	48,289.0	49,531.6	34,919.6	35,654.0	821.4	98.7	354.0	190.5	63,006.9	53,149.3	43,897.5	38,993.8	-30.3	-26.6
8. जीआईसी @	40.0	40.0	-	-	570.6	570.6	1,237.3	1,237.3	20.0	1.9	20.0	-	630.6	612.5	1,257.3	1,237.3	99.4	102.0
ई. वित्तीय संस्थाएं (अ+आ+इ)	54,872.1	40,555.2	62,505.6	49,581.8	50,987.7	51,334.3	38,478.3	38,080.0	866.3	125.6	403.0	220.6	1,06,780.2	92,069.1	1,01,468.1	87,963.6	-5.0	-4.5
उ. राज्य स्तरीय संस्थाएं (9 तथा 10)																		
9. एसएफसीएस	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
10. एसआईडीसीएस	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
ऊ. सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (ई + उ)	**54,872.1**	**40,555.2**	**62,505.6**	**49,581.8**	**50,987.7**	**51,334.3**	**38,478.3**	**38,080.0**	**866.3**	**125.6**	**403.0**	**220.6**	**1,06,780.2**	**92,069.1**	**1,01,468.1**	**87,963.6**	**-5.0**	**-4.5**

स्वी : स्वीकृत संवि : संवितरित - : शून्य .. : उपलब्ध नहीं

* : उधार में रुपया उधार और विदेशी मुद्रा उधार शामिल है। # : अन्य में गारंटी शामिल है । @ : आंकड़ो में साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियां शामिल हैं ।

टिप्पणी: सभी आंकड़े अनंतिम हैं ।

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं ।

परिशिष्ट सारणी VI.2: प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये मे)

क्रम. सं.	प्राथमिक व्यापारी का नाम	वर्ष	आय				व्यय			कर पूर्व लाभ	करोत्तर लाभ	निवल मालियत पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)
			ब्याज आय बट्टा आय सहित	व्यापार लाभ	अन्य आय	कुल आय	ब्याज व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एसटीसीआई-पीडी	2009-10	100	-31	11	80	44	16	60	20	13	4.7
		2010-11	138	-13	4	129	105	16	121	8	5	1.9
2	एसबीआई डीएफएचआइ लि.	2009-10	127	50	15	192	40	14	54	135	89	7.9
		2010-11	145	23	3	171	67	19	86	85	53	5.3
3	आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज लि.	2009-10	245	24	52	321	134	72	206	116	85	15.0
		2010-11	301	36	22	359	226	53	279	80	53	9.0
4	पीएनबी गिल्ट लि.	2009-10	101	-30	31	102	35	11	46	56	37	6.5
		2010-11	99	-11	15	103	52	8	59	44	31	5.3
5	मार्गन स्टैनली - पीडी	2009-10	29	3	7	39	13	17	30	10	5	1.9
		2010-11	110	14	3	126	80	19	98	27	18	6.5
6	नोमूरा फाइ. सि. लि.	2009-10	18	-10	15	23	7	14	21	1	1	0.4
		2010-11	101	12	1	115	69	27	96	18	12	3.3
7	ड्यूश सिक्युरिटीज (भारत) प्रा.लि.	2009-10	47	-10	7	44	17	4	21	23	15	6.7
		2010-11	37	-8	1	30	19	4	23	7	5	2.0
8	आईडीबीआई गिल्टस् लि.	2009-10	23	-26	6	3	13	9	22	-18	-18	-17.0
		2010-11	39	6	2	46	36	9	45	1	1	0.9
	जोड़	**2009-10**	**690**	**-30**	**144**	**804**	**303**	**157**	**460**	**343**	**227**	**6.9**
		2010-11	**970**	**58**	**51**	**1,079**	**653**	**154**	**807**	**272**	**178**	**5.1**

सभी राशि निकटतम करोड़ रुपये में पूर्णांकित की गई है ।

स्रोत: प्राथमिक व्यापारियों की विवरणियां ।

परिशिष्ट सारणी VI.3: प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम. सं.	प्राथमिक व्यापारी का नाम	पूंजीगत निधियां (टियर I + टियर II + पात्र टियर III)		सीआरएआर (प्रतिशत)		सरकारी प्रतिभूतियों व खजाना बिल (बही मूल्य/ एमटीएम) का स्टॉक		कुल आस्तियाँ (चालू देयताओं और प्रावधानों को घटाकर)	
		2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ड्यूश सिक्युरिटीज (भारत) प्रा.लि.	228	224	53	265	235	333	279	385
2	आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज प्राइमरी डीलर लि.	807	891	29	29	639	3,148	3,046	5,505
3	आइडीबीआई गिल्टस् लि.	142	164	72	248	175	368	449	443
4	मार्गन स्टैनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्रा.लि.*	267	286	17	21	1,311	271	1,275	316
5	नोमुरा फिक्स्ड इनकम सिक्युरिटीज प्रा.लि. **	246	373	50	41	707	808	793	1,230
6	पीएनबी गिल्टस् लि.	553	569	42	94	1,007	1,141	1,308	1,427
7	एसबीआई डीएफएचआई लि.	1,109	853	149	130	1,225	1,122	1,917	1,657
8	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि.	258	266	33	26	960	1,453	1,240	2,067
	जोड़	**3,610**	**3,626**	**44**	**46**	**6,258**	**8,643**	**10,308**	**13,030**

* मार्गन स्टैनली इंडिया पीडी ने पीडी का परिचालन 20 जुलाई 2009 से शुरू किया ।

** नोमुरा एफआईएस ने पीडी का परिचालन 7 सितंबर 2009 से शुरू किया ।

स्रोत: प्राथमिक व्यापारियों की विवरणियां ।